



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग



छठी रिपोर्ट
1999-2000 एवं 2000-2001



सत्यमेव जयते

दिलीप सिंह भूरिया
अध्यक्ष
DILEEP SINGH BHURIA
CHIAIRMAN

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
5th FLOOR, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
Off. : 4632298, 4620435
Tel. : Res. : 3715460

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की छठी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करना वास्तव में एक गौरवपूर्ण कार्य है। हमने इस रिपोर्ट में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आयोग के कार्यकरण की अवधि को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह रिपोर्ट, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के विकास कार्यक्रमों, संवैधानिक और विधिक सुरक्षाओं तथा किए गए अन्य उपायों के कार्यान्वयन और इन उपायों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सामान्य जानकारी देती है।

कार्यभार ग्रहण करने के बाद, आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास और अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ बैठकें आयोजित की। आयोग के सदस्यों ने इन विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के साथ जिला तथा स्थानीय स्तर पर विचार-विमर्श किए। आयोग ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे अधिकांश केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विस्तृत समीक्षाएं की। चूंकि अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की बड़ी संख्या है, इसलिए ऐसे संगठनों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए समीक्षाएं की गई थीं।

इस अवधि के दौरान अनेक अन्य विकास हुए, जिनका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट विकास आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए, वर्ष 1999 में एक पृथक जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को बांट कर अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करने के लिए भी कार्यवाई शुरू की गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों की एक कार्यशाला दिसम्बर, 1999 में हुई थी और इस कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कानूनों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार हेतु, स्पष्ट रूप से नीति संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, इस कार्यशाला से प्रकट हुई सिफारिशों पर शीघ्र अनुवर्तन अपेक्षित है। आयोग ने, राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के साथ सघनता से विचार-विमर्श भी किया है और उसकी अन्तिम सिफारिशों में शामिल करने के लिए अपने सुविचारित मत दिए हैं।

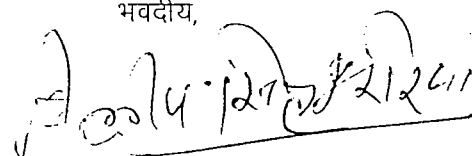
माननीय राष्ट्रपति जी ने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्यपालों की एक समिति गठित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। आयोग ने समिति को अपनी निविष्टियां उपलब्ध करवाई थी और उसके परामर्शों में भागीदारी भी की थी। इस समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है और आयोग की यह प्रबल इच्छा है कि इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मुख्य धारा में शामिल करने के समर्थ बनाने के लिए, कार्यक्रमों और कार्य-नीतियों की दिशा में एक नई प्रेरणा देने के योग्य होगी।

कार्यान्वयन स्तर पर वास्तविक कठिनाइयों का पता लगाने और सफल प्रयासों और नवीन स्कीमों को एक दूसरे के साथ बांटने का अवसर देने के उद्देश्य से आयोग ने कुछ चुनिंदा जिलों के कलेक्टरों के साथ अगस्त, 2001 में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। आयोग ने एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के कार्यान्वयन पर अनुसंधान अध्ययन करने का भी निर्णय लिया है, जिस पर कार्यवाई शुरू कर दी गई है।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न विधिक और नीति प्रयासों तथा उनके विकास के लिए तैयार की गई विशेष कार्य-नीतियों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बड़े भाग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तथापि, लाभ उनमें से सभी के पास नहीं पहुँचे हैं और उनमें अधिकांश गरीबी और दुःखों में लिप्त रहना और समाज के अन्य वर्गों द्वारा भेदभाव और अत्याचारों के अधीन बने रहना जारी है। विकास कार्यक्रमों को नई शक्ति और दिशा के साथ कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन वर्गों पर विशेष रूप से लक्षित किया जाना आवश्यक है जो विकास कार्यक्रमों से अभी तक वंचित रहे हैं।

सादर,

भवदीय,


(दिलीप सिंह भूरिया)

श्री के.आर. नारायणन
भारत के राष्ट्रपति
नई दिल्ली

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
I	परिचय	1-8
II	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान	9-20
III	अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास	21-54
IV	अनुसूचित जातियों का सामाजिक एकीकरण	55-77
V	अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास	78-137
VI	जनजातीय लोगों के बीच भूमि हस्तांतरण और विस्थापन की समस्याएं तथा वनों पर उनकी निर्भरता	138-180
VII	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास	181-219
VIII	सेवा सम्बन्धी सुरक्षण	220-251
IX	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार	252-290
X	मुख्य सिफारिशों का सारांश	291-307

प्राक्कथन

चूंकि अनेक सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार-विमर्श किए हैं, इसलिए आयोग यह निष्कर्ष व्यक्त कर सकता है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक नियोग्यताओं को दूर करने के लिए संविधान में किए गए विशिष्ट उपबन्धों, अनेक विधिक व नीति पहलों, संस्थागत नेटवर्क और पर्याप्त वित्तीय आबंटनों के बावजूद अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने की दृष्टि से प्राप्त परिणाम आशा से काफी कम रहे हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार और शैक्षणिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की आरक्षण-नीति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शोषण व भेदभाव के अधीन नहीं हैं, संस्थात्मक विधान और उनके विकास के लिए वर्धित तथा विशिष्ट वित्तीय आबंटन जैसे मुख्य उपाय थे।

निर्वाचित निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण पद्धति के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर नियोजन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की सहभागिता के लिए प्रावधान किए गए हैं। परन्तु निर्वाचक तथा दलीय राजनीति की बाध्यता विशेषतः पंचायती राज निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलनात्मक अनुभवहीनता के कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की सामाजिक नियोग्यताओं तथा आर्थिक वंचन से सम्बन्धित मुद्दों पर एक सामान्य राय बनाने में पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं। इससे न केवल अनु० जाति व अनु० जनजाति के प्रतिनिधियों के बीच, बल्कि समाज के अन्य वर्गों द्वारा भी आत्मनिरीक्षण करने तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा में इन समुदायों के एकीकरण के लिए परिस्थितियां सृजित करने हेतु उपाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।

नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नीति की व्यवस्था संविधान में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि अभिशासन में इन समुदायों को न्यायोचित हिस्सा मिले। यह सत्य है कि नियुक्तियों में आरक्षण से लाभ उनकी जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से को ही मिलेगा, परन्तु विभिन्न स्तरों पर उनके प्रतिनिधित्व से उनके सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के निरूपण और कार्यान्वयन में इन समुदायों की संस्थाओं व विकास आवश्यकताओं को समाविष्ट करने की आशा थी। आरक्षण के बावजूद सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों दोनों में समूह क और समूह ख की सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित अनुपात से काफी कम बना रहना जारी है। अनुसूचित जनजातियों का कम प्रतिनिधित्व, विशेषतः सभी सेवा समूहों में चिन्ता का विषय बना हुआ है। इस स्थिति का एक कारण तुलनात्मक रूप से साक्षरता का निम्न स्तर तथा शिक्षा का अत्यधिक घटिया स्तर है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की अच्छे स्तर की शिक्षा तक पहुंच नहीं होती है और उन उच्चतर स्तर के पदों पर प्रतिस्पर्धा करते समय उनकी कमी पाई जाती है, जिनके लिए तकनीकी व व्यावसायिक योग्यताओं की अपेक्षा होती है।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों को सेवा आरक्षणों के मामले में दी गई अधिकांश रियायतें व छूट वर्ष 1997 में सरकार द्वारा जारी किए गए 5 कार्यालय ज्ञापनों के द्वारा वापस ले ली गई। आयोग द्वारा लगातार अनुसरण करने के परिणामतः, इन कार्यालय ज्ञापनों में से 3 कार्यालय ज्ञापनों को संविधान में संशोधन करते हुए हाल ही में वापस लिया गया। पद-आधारित रोस्टर्स में परिवर्तन से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञापन की प्रतिकूलता अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हितों के खिलाफ जारी है। सरकार के इस एकल निर्णय से अनेक बैकलाग आरक्षित रिक्तियां समाप्त हो गई हैं। विद्यमान स्कीमों के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के बावजूद विभिन्न सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थाओं में बड़ी संख्या के लघु संवर्गों में आरक्षण तमाशा बन गया है तथा सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात पर कभी भी नहीं पहुंच सकता है। कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से आरक्षण-नीति के कार्यान्वयन, जो कि बारम्बार न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन है, से भी वांछित

उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है। आयोग काफी समय से आरक्षण-नीति को सांविधिक आधार देने और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में रखते हुए न्यायिक हस्तक्षेप से अलग रखने की सिफारिश करता रहा है। दिसम्बर 1999 में आयोजित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सांसद कायशाला में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनु० जाति व अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अनेक मामले हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, जो कि वस्तुतः अच्छा विकास है। परन्तु विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इनकी समीक्षा करने से आयोग का मत है कि अत्याचार के अनेक मामले अपंजीकृत रहते हैं। क्योंकि मुख्यतः पुलिस अधिकारी इन मामलों को पंजीकृत करने में हिचकिचाहट करते हैं तथा इन अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में इन समुदायों के सदस्यों के बीच जागरूकता की कमी भी है। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण, अपराधियों के साथ सांठ-गांठ तथा गवाहों-व-साक्ष्य के छल-कपट से विलम्ब होता है, जिससे इन संस्थात्मक कानूनों की प्रभावकारिता में कमी आती है। अधिकांशतः सभी राज्यों में राज्य स्तर पर अनुवीक्षण व सतर्कता समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जाती हैं, जो कि इन कानूनों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। अधिकांश मुख्य राज्यों के न्यायालयों के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या चिन्ताजनक है। अकेले उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में 70,000 से अधिक मामले लम्बित पड़े हुए हैं। इन अधिनियमों के अन्तर्गत विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है, परन्तु अधिकांश राज्यों ने विद्यमान जिला व सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया है। विशेषतः उन राज्यों में, जहां लम्बित मामलों की संख्या काफी अधिक है, केवल विशेष न्यायालयों की स्थापना के प्रश्न पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों में दोषसिद्धि की दर 6 से 10 प्रतिशत के बीच है और ऐसी कम दोषसिद्धि की दरों के कारणों की जांच करने तथा शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय का मत है कि विशेष न्यायालय सुपुर्दा कार्यवाहियों का अनुसरण किए बिना इन अधिनियमों के अन्तर्गत मामलों पर प्रत्यक्षतः विचार नहीं कर सकते हैं। अतः इन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रत्यक्षतः मामले स्वीकार करने के लिए विशेष न्यायालयों को प्राधिकृत करने के बारे में समुचित रूप से इन अधिनियमों में संशोधन करना अनिवार्य है।

विशेष संघटक योजना व जनजातीय उप योजना को उस तरिके से कार्यान्वित नहीं किया जाता है, जिस तरिके से इनकी कल्पना की गई थी। अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालय न तो एस.सी.पी. व टी.एस.पी. का निरूपण कर रहे हैं तथा न अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आबंटन कर रहे हैं। यद्यपि राज्य व संघ राज्य क्षेत्र एस.सी.पी. व टी.एस.पी. का निरूपण करते हैं परन्तु कतिपय अपवादों के साथ आबंटन निर्धारित अनुपातों से कम होते हैं व उनका अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजातीय कार्य नोडल मंत्रालयों की भूमिका अनु० जाति व अनु० जनजाति के विकास कार्यक्रमों के समन्वय में काफी अप्रभावी रही है। इसी प्रकार, कुछेक राज्यों को छोड़कर, अनु० जाति व अनु० जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में समाज-कल्याण व जनजातीय कल्याण विभागों की अल्प भूमिका होती है, जिसे संबंधित विभागों पर ही छोड़ दिया जाता है। योजना आयोग ने केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर त्रिपक्षीय समिति तंत्र के माध्यम से इस स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया है। तथापि, इसकी प्रभावकारिता पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं है। समय आ गया है कि अनु० जाति व अनु० जनजाति के लिए विकास कार्यक्रमों के निरूपण तथा कार्यान्वयन के विद्यमान संस्थागत तंत्र पर नए सिरे से विचार किया जाए ताकि लक्ष्य वर्गों की बेहतर सहभागिता, आवश्यकता आधारित कार्यक्रम तैयार करने और ऐसे कार्यक्रमों व स्कीमों की उपलब्धि में सुधार करना सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यकारी सारांश

अध्याय-I	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का परिचय - भारत के संविधान के अंतर्गत उसकी स्थापना और उसे सौंपे गए कर्तव्य और उत्तरदायित्व।
अध्याय-II	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए सुरक्षणों के संबंध में संविधान के विभिन्न उपबन्ध: सुरक्षात्मक और शोषण-विरोधी विधान ; और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विधिक उपबन्ध।
अध्याय-IV	जाति प्रथा की उत्पत्ति और अस्पृश्यता का व्यवहार तथा विधायी व अन्य उपायों के जरिए अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद किए गए प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों को व्यापक प्रचार देने के आवश्यकता और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार की भूमिका समन्वित करने की आवश्यकता के साथ-साथ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों पर बल दिया गया है। अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के अन्वेषण में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों की ओर भी ध्यान दिया गया है। इस बात पर बल दिया गया है कि भारत सरकार को हरिजन थानों और विशेष न्यायालयों की दो संस्थाओं का उनके द्वारा अब तक प्राप्त किए गए ठोस परिणामों के अनुसार पूर्ण रूप से अन्वेषण करना चाहिए।
अध्याय III तथा V	अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति समाज के अन्य वर्गों की तुलना में बहुत ही खराब होती जा रही है । अनुमान है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल परिवारों में से लगभग 50 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं । वे सबसे गरीब तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका पता इस बात से लगता है कि अन्य वर्गों के गरीब लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रति व्यक्ति व्यय कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें से अधिकांश या तो कृषि मजदूर हैं अथवा छोटे किसान हैं । केन्द्र के हिस्से में कमी किए जाने, केन्द्रीय सरकार द्वारा किस्तें रिलीज करने में विलम्ब और आंबटित धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विभिन्न स्कीमों के जरिए मजदूरी रोजगार प्रदान करने के प्रयास धीमे पड़ गए हैं। इन स्कीमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित कवरेज के बारे में मार्ग-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारें और केन्द्रीय मंत्रालय, दोनों एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत कम धनराशियां नियत कर रहे हैं और इसके अलावा इन धनराशियों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए करना बहुत ही सामान्य है । एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत परिव्यय को बढ़ाने, मानीटरिंग के तंत्र को सुदृढ़ बनाने और नियत की राशियों का पूरा उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय-VI	अनुसूचित जनजाति के बीच भूमि हस्तांतरण की मात्रा और बृहद परियोजनाओं के कारण विस्थापन पर इस अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। वनों पर अनुसूचित जनजाति की निर्भरता की सीमा पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। अध्याय में निम्नलिखित बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है:- - i भूमि हस्तांतरण से संबंधित संरक्षात्मक और विधिक उपबंध । - ii पंचायत(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अधीन अनुसूचित जनजाति को अधिकार देना। - iii जनजातीय क्षेत्रों में शुरू की गई बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापन की मात्रा। - iv भूमि हस्तांतरण, परियोजनाओं के कारण विस्थापन से संबंधित मामलों में अनुसूचित जनजाति पर प्रभाव डाल रहे बड़े नीति संबंधी मुद्दों पर आयोग द्वारा हस्तक्षेप। - v अनुसूचित जनजाति पर प्रभाव डाल रहे वन कानून और नीतियां। - vi एम.एफ.पी, औषधीय पौधों, झूम खेती के प्रभाव और जनजातीय लोगों के लाभ के लिए वनारोपण और वनों को नया जीवन देने के लिए जे.एफ.एम की संकल्पना से संबंधित मुद्दे । - vii अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए कमियां और सुझाव ।
अध्याय-VII	प्राथमिक स्तर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक स्थिति तथा उच्च शिक्षा में उनके प्रतिनिधित्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। महिला स्व सहायता समूह के साथ भागीदारी, मध्याह्न भोजन के सुदृढीकरण के जरिए बीच में स्कूल छोड़ने वालों, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में, पर नियंत्रण करने की आवश्यकता और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया है। सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की भागीदारी अनिवार्य है। सरकारी संसाधनों में इष्टतम उपयोग के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी आवश्यक आधारभूत संरचनाओं सहित शैक्षणिक परिसरों को विकसित किया जाए। जनजातीय कलाओं और शिल्पों को बनाए रखने की आवश्यकता पर उन्हें व्यावसायिक संस्था में साधन सम्पन्न व्यक्तियों के रूप में शामिल करने पर भी बल दिया गया है।
अध्याय-VIII	केंद्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी निर्धारित स्तर तक नहीं पहुँचा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 31-1-97, 2-7-97, 22-7-97, 13-8-97 और 2-8-97 को जो कार्यालय ज्ञापन जारी किए थे, उनका आरक्षण की नीति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। संसद द्वारा एक ऐसा अधिनियम पारित किए जाने की जरूरत है, जिसमें शिक्षा संस्थाओं और सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।

अध्याय- IX	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के महत्वपूर्ण उपबंधों पर बल देने के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों के विशिष्ट मामले और आयोग द्वारा दिए गए उपाय अध्याय की विशिष्टताएं हैं, जिसमें कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों द्वारा अधिनियमों को कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।
अध्याय- X	विभिन्न कार्यक्रमों की प्रभावकारिता बढ़ाने और संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों के कार्यचालन में सुधार करने के सिफारिश की गई हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि कार्यपालिका द्वारा इनको अमल में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि एक समतापूर्ण समाज का निर्माण करने के हमारे संविधान के सपने को साकार किया जा सके।

अध्याय 1

परिचय

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां युगों-युगों से विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव और आर्थिक वंचनों के अधीन रही हैं। संविधान निर्माताओं ने, निर्वाचित निकायों, सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण की नीति के जरिए उन्हें शासन में उनका न्यायोचित हिस्सा देकर, सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध उन्हें संरक्षण देकर तथा उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए अधिक और विशिष्ट वित्तीय आबंटन की व्यवस्था करके उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के योग्य बनाने हेतु, संविधान में विशेष उपबंध करना आवश्यक समझा था। जनजातीय उप योजना और विशेष संघटक योजना के जरिए विकास के लाभों में उनका न्यायोचित हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतियाँ अपनाई गई थीं, जो क्रमशः 5वीं और 6ठीं पंचवर्षीय योजना से चालू हैं।

1.2 संविधान निर्माताओं को यह भी मालूम था कि उनके संरक्षण और विकास के लिए केवल संवैधानिक उपबंध करने से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अतः संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त संविधान के अधीन अथवा किसी अन्य विधि के अधीन उनके लिए किए गए सुरक्षाओं के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हेतु एक विशिष्ट उपबंध बनाया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के रूप में पदनामित विशेष अधिकारी का कार्यालय, नई दिल्ली स्थित उसके कार्यालय सहित दिनांक 18-11-1950 को अस्तित्व में आया। बाद में आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय भी एक-एक करके स्थापित किए गए और वर्ष 1965 तक आयुक्त के 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। वर्ष 1967 में अनु० जाति और अनु० जनजाति के आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को स्थानान्तरित किया गया और उन्हें गृह मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग में महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के अधीन रखा गया। क्षेत्रीय कार्यालयों को महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पांच आंचलिक कार्यालयों में पुनः पदनामित और समूहबद्ध किया गया।

1.3 जुलाई, 1978 में संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करते हुए अनु० जाति और अनु० जनजाति के एक सदस्यीय आयुक्त की बजाय बहु सदस्यीय आयोग की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन लम्बित रहने तक, सरकार ने दिनांक 21.7.1978 के संकल्प सं० 13013/9/77/एससीटी(1) के जरिए एक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया था। प्रथम आयोग अर्थात् अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आयोग, जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्री भोला पासवान शास्त्री और चार अन्य सदस्य थे, दिनांक 1-12-1978 से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 में आयोग का नाम राष्ट्रीय अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आयोग में बदला गया और यह एक राष्ट्रीय स्तरीय सलाहकार निकाय बन गया।

1.4 वर्ष 1990 में राष्ट्रीय आयोग को उसके वर्तमान रूप में लाने के लिए संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आयोग को अधिक शक्तियाँ और उत्तरदायित्व दिए गए थे और उसे उसकी अपनी प्रक्रिया नियंत्रित करने के लिए भी अधिकार दिए गए थे। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्यों के लिए प्रावधान किया गया है, जिन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अध्यक्षता, अनु० जाति के प्रतिनिधि के लिए दो कार्यकाल के

बाद अनु० जनजाति के प्रतिनिधि के लिए एक कार्यकाल के साथ अनु० जाति और अनु० जनजाति के बीच घूर्णन रहती है।

1.5 श्री रामधन, अध्यक्ष, श्री बंदी उरावं, उपाध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्यों के साथ प्रथम संवैधानिक आयोग का गठन दिनांक 12-3-1992 को किया गया था। दूसरा आयोग, श्री एच० हनुमनथप्पा, अध्यक्ष, और श्रीमती ओमेम मार्योंग देवरी, उपाध्यक्ष के साथ दिनांक 8-10-1995 से अस्तित्व में आया। वर्तमान आयोग, जो श्रृंखला में तीसरा है, श्री दिलीप सिंह भूरिया, अध्यक्ष, श्री कामेश्वर पासवान, उपाध्यक्ष तथा अन्य पाँच सदस्यों के साथ दिनांक 15-12-1998 से गठित हुआ था।

1.6 आयोग ने अभ्यावेदनों से निपटने और विशिष्ट शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए अपने कार्यविधि नियम तैयार किए हैं। आयोग को सौंपे गए कर्तव्यों में एक-एक कर्तव्य संविधान के हाल में प्रचलित अथवा किसी अन्य विधि के अधीन अथवा सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के अधीन अनु० जाति और अनु० जनजाति को दिए गए सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा इन सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है। आयोग द्वारा अन्वेषण शिकायत/ रिपोर्ट की गंभीरता और अत्यावश्यकता पर निर्भर रहते हुए तीन तरीकों से किया जाता है।

(क) आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

(ख) आयोग के मुख्यालय में गठित एक अन्वेषण दल द्वारा और

(ग) उसके राज्य कार्यालयों के माध्यम से।

इसके अतिरिक्त, घटनाओं अथवा शिकायतों की जाँच-पड़ताल के लिए स्वीकार्य माध्यम, पूछताछ अधिनियम कमीशन के अधीन एक कमीशन की नियुक्ति द्वारा है।

1.7 अपने कार्यकाल के शुरू से ही, आयोग ने पाया कि उसका अधिकांश समय, मुख्यतः राज्य की राजधानियों से प्राप्त, सेवा सुरक्षणों से संबंधित अभ्यावेदनों पर लग जाता है और विकास कार्यक्रमों के अनुवीक्षण तथा संरक्षात्मक विधान के कार्यान्वयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अतः यह निर्णय लिया गया था कि आयोग को इन पहलुओं पर भी समान महत्व देना चाहिए और अपने कार्यकाल के दौरान आयोग ने विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित संगठनों के साथ गतिविधि-मामलों पर अधिकतम समय लगाया।

1.8 वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आयोग में सेवा मामलों, अत्याचार/अस्पृश्यता मामलों और विकास मामलों से संबंधित 22,000 से अधिक अभ्यावेदन/ याचिकाएं/ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन पर आयोग द्वारा कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा अनु० जाति और अनु० जनजाति से संबंधित मामलों, जैसा कि राष्ट्रीय / स्थानीय दैनिकों में सूचित किया गया है, पर भी कार्रवाई की गई है। आयोग के हस्तक्षेप के साथ 1194 लोगों को वांछित सहायता प्राप्त हुई और उनकी शिकायतों में सुधार किया गया। अभ्यावेदनों की लगभग समान संख्या का निपटान आवश्यक अन्वेषण के बाद किया गया था। शेष मामलों में अन्वेषण प्रगति पर है और राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा संबंधित संगठनों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

1.9 सुरक्षणों से संबंधित एक मामले की जाँच करने के लिए अथवा किसी विशिष्ट शिकायत की पूछताछ करते समय, समन अथवा वारंट जारी करके प्रतिवादियों/ गवाहों की उपस्थिति और अभिलेखों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए, आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्ति है। जहां कहीं प्रतिवादी संगठन/ प्राधिकरण आयोग के साथ सहयोग नहीं करते हैं, आयोग ने संविधान के

अनुच्छेद 338 की धारा 8 के अन्तर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और समन जारी करने के माध्यम से प्रतिवादियों की उपस्थिति बाध्य की है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान 492 समन जारी किए गए थे। यद्यपि जमानती और गैर-जमानती दोनों प्रकार के वारंट जारी करने के लिए एक उपबंध विद्यमान है, परन्तु आयोग को इस शक्ति का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं मिला क्योंकि सभी प्रतिवादी समन दिए जाने पर, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए थे।

1.10 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों और संस्थाओं के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आयोग ने जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यस्तरीय समीक्षा बैठकें कीं। ये समीक्षा बैठकें संबंधित राज्यों के राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श से पहले अथवा बाद में आयोजित की गई थी। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों में अनु० जाति और अनु० जनजाति के लिए विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, संरक्षात्मक विधान, आरक्षण नीति, आदि पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी।

1.11 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने, आरक्षण नीति और कल्याण गतिविधियों के कार्यान्वयन के संबंध में 124 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ वित्तीय संस्थाओं/ संगठनों सहित उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा की तथा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में सुधार लाने और रोस्टर्स का रख-रखाव, विशेषकर अनु० जाति और अनु० जनजाति के लिए बैकलॉग रिक्तियों को एक समयबद्ध ढंग से भरने के लिए, विशिष्ट सुझाव/ सिफारिशें की।

1.12 आयोग ने, निम्नलिखित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों द्वारा एस सी पी और टी एस पी नीतियों के कार्यान्वयन के साथ-साथ उनके द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की:-

1. दूरसंचार विभाग
2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कर्मचारी चयन आयोग सहित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
3. रेलवे बोर्ड सहित रेल मंत्रालय
4. महिला और बाल विकास विभाग
5. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग
6. प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
8. ग्रामीण विकास मंत्रालय

1.13 आयोग ने पाया है कि केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों को एस सी पी और टी एस पी की संकल्पना स्पष्ट नहीं है और वे योजना आयोग, के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने योजनागत बजट निर्धारित नहीं कर रहे हैं, यद्यपि टी एस पी और एस सी पी की संकल्पना क्रमशः पांचवीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना में विकसित की गई थी। मंत्रालयों / विभागों को एस सी पी और टी एस पी के लिए अपने योजनागत बजट के आबंटन के मामले में और निधियों को जारी करने में भी योजना आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। कुछ मंत्रालयों ने योजनाओं को विनिर्दिष्ट किए बिना अनु० जाति और अनु० जनजाति के विकास के नाम पर कुछ राशियां आबंटित की गई हैं और एस सी पी एवं टी एस पी के लिए अलग से निर्धारण नहीं किया जा रहा है।

1.14 आयोग ने, वर्ष 1997 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए पांच कार्यालय ज्ञापनों को वापस लेने के लिए लगातार दबाव डाला, जिससे अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति कर्मचारियों को दी गई रियायतों/ छूटों को वापस लेने पर प्रभाव पड़ा अथवा आरक्षण नीति का प्रभाव कम किया गया। आयोग द्वारा इन कार्यालय ज्ञापनों को वापस लेने के लिए सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक विशेष रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की गई थी। लगातार अनुसरण के साथ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने, संविधान (इक्विसीवा संशोधन) अधिनियम 2000 तथा संविधान (बियासिवा संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 के संशोधन के आधार पर, अन्तिम रूप से अनुदेश जारी किए हैं। एक नई धारा अनुच्छेद 16 के नीचे धारा 4 (ख) के रूप में जोड़ी गई है। संविधान में हाल ही में जोड़े गए अनुच्छेद 16 (4ख) के अनुसरण में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे, जिसके द्वारा आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पचास प्रतिशत की सीमा केवल आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उत्पन्न होती है और पूर्व वर्षों के बैकलॉग/ अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के लिए अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियों को एक पृथक और भिन्न समूह के रूप में माना जाएगा और किसी सीमा के अधीन नहीं होगी।

1.15 संविधान (बियासीवा संशोधन) अधिनियम, 2000 के माध्यम से अनुच्छेद 335 में एक परन्तुक जोड़ा गया है जो व्यवस्था करता है कि बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी परीक्षा में अर्हक अंकों से छूट लेने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। संविधान के अनुच्छेद 335 के परन्तुक को लागू करने के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि कम अर्हक अंकों, मूल्यांकन के कम मानकों के तरीके द्वारा, जो 22-7-1997 से पूर्व विद्यमान थे, अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रोन्नति के मामले में छूटों/ रियायतों को दिनांक 3-10-2000 से पुनः चालू किया जाए।

1.16 आयोग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में जनजाति के व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1980 से पूर्व के अतिक्रमणों को नियमन करने के मुद्दे का समाधान करने के लिए, सात बैठकें आयोजित की। आयोग द्वारा लगातार अनुसरण के कारण, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दो राज्यों में लगभग 1.4 लाख परिवारों को लाभ देते हुए लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर भूमि के अतिक्रमण को नियमन करने के लिए अपनी स्वीकृति जारी की, बशर्ते कि वे अनुमोदित पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों। आयोग ने उड़ीसा के वन क्षेत्र में अतिक्रमणों के नियमन में भी हस्तक्षेप किया है और अब मामला उड़ीसा सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

आयोग की संघटनात्मक संरचना

1.17 राष्ट्रीय अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पाँच सदस्यों से मिलकर बनता है। आयोग की सहायता सचिव के नेतृत्व में सचिवालय द्वारा की जाती है। आयोग का संघटनात्मक चार्ट अनुबंध I.1 में दिया गया है। आयोग, मुख्यालय और उसके राज्य कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके 16 राज्य कार्यालय विभिन्न राज्यों के राजधानी शहरों में स्थित हैं। तीन नए राज्यों के सृजन के बाद, आयोग ने छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के लिए दो और कार्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

1.18 आयोग के राज्य कार्यालयों द्वारा, यह देखने के उद्देश्य से कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के हितों को सुरक्षित और बढ़ावा दिया जाता है, संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-

विमर्श करना अपेक्षित होता है। राज्य कार्यालय, विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप योजना से निधियों के परिवर्तन पर, यदि कोई हो, निगरानी रखने सहित अनु० जाति/ अनु० जनजाति के विकास के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग का अनुवीक्षण भी करते हैं।

1.19 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनु० जनजाति आयोग सामान्यतः विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दो माह में कम से कम एक बार मिलता है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के बीच की अवधि के दौरान आयोग की 16 बैठकें आयोजित की गई थीं और अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए थे और निर्णय लिए गए थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों की अनु० जाति और अनु० जनजाति की सूचियों में समुदायों को शामिल करने/ से निकालने के लिए 492 प्रस्ताव आयोग के विचारार्थ भेजे थे। आयोग ने इन सभी प्रस्तावों की जांच की और अपने विचार प्रस्तुत किए और भारत के महापंजीयक, संबंधित राज्य सरकार और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, जहां-कहीं आवश्यक समझा गया, अपने विचार भेज दिए हैं।

1.20 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने अत्याचार के गंभीर मामलों में मौके पर जाँच के लिए अथवा क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जांच के लिए गहन दौर किए। आयोग द्वारा मौके पर की गई कुछ जाँचों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:-

- (i) फरवरी, 1999 के माह में उपाध्यक्ष के साथ अध्यक्ष ने बिहार में जहानाबाद जिले में नारायणपुर गांव का दौरा किया जहां 12 अनु० जाति के व्यक्ति मारे गए थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने स्थानीय लोगों और जिला अधिकारियों के साथ मौके पर जांच की उसके पश्चात उन्होंने मुख्य सचिव, महानिदेशक (पुलिस) और बिहार सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए ताकि घटना के कारण, राज्य सरकार द्वारा किए गए एहतियाती उपाय तथा पीड़ित परिवारों को दी गई वित्तीय राहत की जांच की जा सके। आयोग के हस्तक्षेप पर राज्य सरकार ने उन सभी परिवारों को अनुग्रह अदायगी मुहैया करवाई, जिनके रिश्तेदार मारे गए थे। आयोग ने घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कतिपय दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दिया, जिनमें न्यूनतम मजदूरी की अदायगी, सरकार द्वारा भूमि की खरीद और उसका भूमिहीन अनुसूचित जातियों में वितरण, बटाईदारी प्रणाली के अन्तर्गत खेती कर रहे अनु० जाति/ अनु० जनजाति के व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार, विकास कार्यक्रमों आवासीय विद्यालयों को खोलना, आदि सुनिश्चित करना शामिल था।
- (ii) उपाध्यक्ष के साथ अध्यक्ष महोदय ने बिहार के लाखी सराय जिला के हसनपुर बालुघाट ग्राम का दौरा दिनांक 2.7.2000 को किया, जहां अनुसूचित जाति के 6 व्यक्तियों सहित 11 व्यक्तियों को मारा गया था तथा स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस कार्मिक से मौके पर जांच पड़ताल की। जांच करने पर आयोग ने पाया कि बिहार खनिज विकास निगम द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में असफल रहने के कारण असामाजिक तत्व गैर कानूनी तौर पर खनिज निकालते थे और अपने लाभ के लिए बेचते थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिश बिहार सरकार को भेजी ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
- (iii) राष्ट्रीय अनु० जाति और अनु० जनजाति आयोग के अध्यक्ष एक सदस्य एवं सचिव महोदय ने दिनांक 2.9.2000 को केरल के पालाककड जिले में अट्टापाडी

जनजातीय परियोजना का दौरा किया। उन्होंने अन्नेकल की एक नाबालिक आदिवासी बालिका सुश्री सिन्धु, जो अविवाहित मां बन गई थी, से सम्बन्धित घटना की जांच-पड़ताल करने के लिए उसके घर का दौरा भी किया। अपराधी ने लड़की से विवाह करने से इन्कार किया। पुलिस ने धारा 376 भा0 दण्ड संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (5) के अन्तर्गत एक मामला पंजीकृत किया। अपराधी को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ा गया। बालिका के पिता की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी। आयोग ने सुश्री सिन्धु के पिता वेल्ली की हत्या/ मृत्यु संबंधी मामले की आगे पुनः जांच की सिफारिश की तथा पुनर्वास उपाय के भाग के रूप में सिन्धु को रोजगार देने की भी सिफारिश की।

- (iv) स्थानीय दैनिक नई दुनिया में एक रिपोर्ट छपी कि दिनांक 2.4.2001 को मध्य प्रदेश के देवास जिले के महेन्दीखेड़ा, हिरापुर, हरमोडी जमासिंध आदि ग्रामों के जनजातियों के लोग जिला प्राधिकारियों द्वारा वन अधिकारियों की मिली भगत से उनके मकानों को गिराने के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए ग्राम महेन्दीखेड़ा में इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने गोली चला दी जिसमें तीन जनजातीय लोग मारे गए। अध्यक्ष ने 6.4.2001 को कलेक्टर, एस पी व अन्य अधिकारियों के साथ महेन्दीखेड़ा गांव का तथा हिरापुर, वैशाली, जेरासंद, सिमोली, बनद, परपारही तथा कतूलिया जैसे अन्य गांवों का भी दौरा किया और प्रभावित परिवारों के साथ भेंट की। पूछताछ से पता चला कि अवांछनीय तत्वों ने अबोध और भोले- भाले जनजातीय लोगों का उपयोग अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए किया। अवैध रूप से काटकर गिराए गए पेड़ों को प्राप्त करने की अपनी उत्सुकता में, जिला प्रशासन ने उनके घर गिराकर आतंक का माहौल पैदा कर दिया, जिनमें से कुछेक के बारे में बताया गया कि वे 10-15 वर्ष पुराने थे। आयोग के हस्तक्षेप पर मध्य प्रदेश सरकार ने तीन पीड़ितों के परिवारों को एक लाख रूपए की अनुग्रह राशि की अदायगी की जो पुलिस की गोली से मारे गए थे और घटना के कारण तथा की गई ज्यादतियों, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए तीन सचिवों की एक समिति भी नियुक्त की गई थी। गंभीर और सामान्य रूप से धायल प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः 10,000 रूपए तथा 5000 रूपए की वित्तीय सहायता दी गई है जिला प्रशासन द्वारा की गई ज्यादति, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है।

1.21 गुजरात में दिनांक 26.1.2001 को गम्भीर भूकम्प आया, जिससे जान-माल तथा सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। सुरेन्द्र नगर तथा कच्छ जिलों में अनेक भवन तबाह हुए और लोग कंकरीट मलबे के अन्तर्गत दब गए। अध्यक्ष महोदय ने सदस्या (वी0 एन0) और सचिव महोदय के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा भूकम्प प्रभावित परिवारों को दिए गए पुनर्वास व राहत मालूम करने के लिए दिनांक 26.3.2001 को मुख्य मंत्री तथा जिला कलेक्टर, सचिव समाज कल्याण के साथ भी विचार-विमर्श किया। कलेक्टर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भुज, रापर, अन्जार, गांधीग्राम और माधू के नगरों सहित कच्छ जिला के पांच तालुका में 70 प्रतिशत से अधिक भवन भूकम्प में ढेर हो गए थे। पुलिस द्वारा पाई गई पंजीकृत लाशों के आधार पर मृतकों की संख्या लगभग 18,500 थी।

1.22 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सहायता से इन्टरनेट पर अपनी वेबसाइट शुरू की है। वेबसाइट पर आयोग के बारे में सूचना, संगत

संवैधानिक उपबन्ध, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षण कल्याण तथा विकास से सम्बन्धित संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम व नियमों तथा आयोग के कार्यविधि नियम के बारे में सूचना दी गई है। आयोग की वेबसाइट का पता एचटीटीपी:/डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एनसी एस सी एराटी निक. इन है।

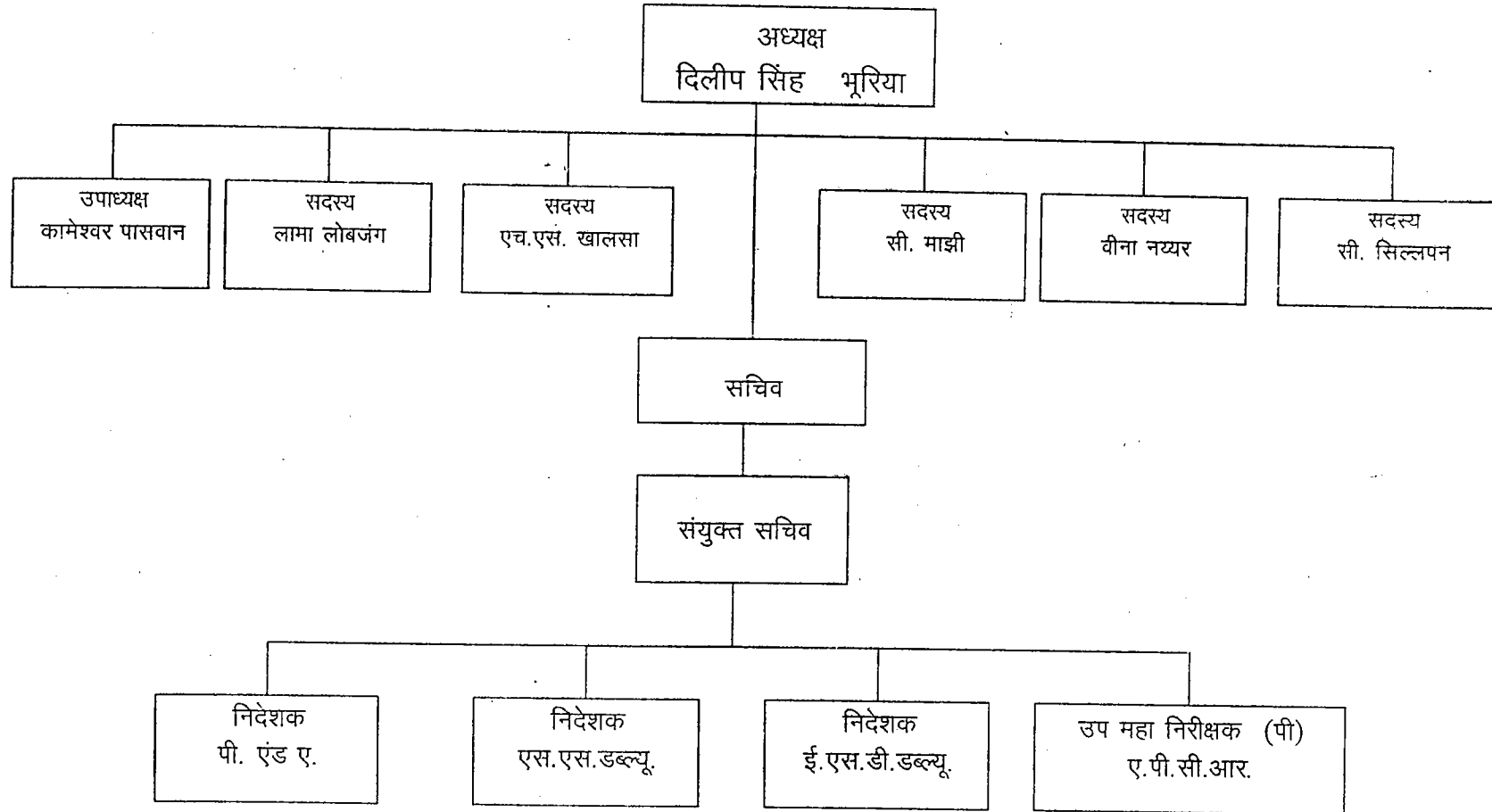
1.23 आयोग को सौंपे गए कर्तव्यों में से एक कर्तव्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षणों तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यकरण पर एक रिपोर्ट वार्षिक तौर पर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी है। आयोग ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वर्ष 1998-99 के लिए अपनी पांचवीं रिपोर्ट और तीन विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्तमान आयोग द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद बिहार के पुरणिया जिले के थाने दागरूद्धा के अधीन निखरेल गांव में एक घटना घटी, जिसमें सात सन्थाल जनजातीय लोगों को जीवित जलाया गया तथा 100 झुग्गियों को आग लगाई गई। घटना का कारण बटाई पर जनजातीय व्यक्तियों द्वारा की जा रही भूमि पर जुताई संबंधी विवाद था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने न केवल मौके पर जांच- पड़ताल की, बल्कि बिहार में भूमि विवाद के मूल कारण का अध्ययन करने का भी निर्णय लिया। अध्ययन के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का विकास-भूमि अधिकार पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता बिहार का गामला सम्बन्धी एक विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति को दिनांक 26.4.2000 को प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों में अनु0 जातियों और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के कार्यकरण का भी अध्ययन किया तथा अपनी पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति को दिनांक 26.2.2001 को प्रस्तुत की।

1.24 आयोग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने तथा अपनी गतिविधियों पर प्रकाश डालने के लिए एक त्रैमासिक समाचार पत्र प्रारम्भ किया है।

1.25 आयोग का संचालन कम्प्यूटर पर करने के लिए एक गंभीर प्रयास किया गया है। आवश्यक बाह्यों सहित कम्प्यूटर सभी राज्य कार्यालयों को इंटरनेट सुविधा सहित दे दिए गए हैं। अधिकांश स्टाफ को कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

1.26 वर्तमान आयोग द्वारा अपना कार्यभार करने की शुरुआत से ही, अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास पर बल दिया गया है और संघ तथा राज्य सरकारों के साथ उनके लिए, विकास कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन का सधन रूप से अनुवीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक विधान और आरक्षण के नियम को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए आयोग द्वारा सरकार पर भी दबाव डाला गया है। इस रिपोर्ट में अनु0 जातियों के आर्थिक विकास के मूल्यांकन, अनु0 जनजाति का आर्थिक विकास, जनजातीय भूमि हस्तांतरण को पुनः वापस दिलाना तथा रोकना, स्वाधीनता के 53 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति शासन में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति का प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक विधान के कार्यान्वयन की स्थिति अर्थात् पीसीआर अधिनियम, 1955 और अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा उसके अन्तर्गत नियम, 1995 आदि पर अध्याय सम्मिलित है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का संगठनात्मक चार्ट



अध्याय II

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान

भारतीय समाज में लोगों का एक वर्ग कुछ मूलभूत अधिकारों से वंचित था, जिनका प्राचीन काल में शेष लोगों द्वारा उपभोग किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह गए। अन्य समुदायों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच मौलिक विसंगतियाँ होने और उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए विशेष उपायों की अत्यावश्यकता के कारण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में संविधान में एक स्पष्ट विशिष्टता बनाई गई है और संविधान के भाग XVI में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। उसी प्रकार, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए संविधान के भाग-X में विशेष प्रावधान किए गए हैं। विधान विसंगतियों को दूर करने और उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक हितों के संरक्षण और उन्नति के लिए व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त भाग - III, IV, IX, IX - क और संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में अनेक अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक चिन्ता बढ़ाते हैं।

2.2 अनुच्छेद 14 व्यवस्था करता है कि “राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।”

2.3 अनुच्छेद 15 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस समकरण प्रक्रिया के विशिष्ट प्रयोगों में से एक है। यह निम्न प्रकार से है:-

“(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर -

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के संबंध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।”

2.4 भारत के संविधान में प्रावधान अन्तर्विष्ट है, जो कुछ न्यूनतम अधिकारों की गारंटी देता है, जिसका प्रत्येक नागरिक द्वारा उपभोग किया जाना चाहिए और जिसमें पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के कर्तव्य में भी अन्तर्विष्ट है। भारत के संविधान के भाग - III में अन्तर्विष्ट मौलिक अधिकारों के अधीन अधिकारों की गारंटी देता है और राज्य का कर्तव्य राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अधीन है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अन्तर्गत अनुच्छेद 46 में व्यवस्था है कि “राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।” संविधान की प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास के लिए संविधान में कुछ सुरक्षण और संरक्षात्मक उपाय किए गए हैं ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके।

2.5 संविधान के अनुच्छेद 366 (24) और 366 (25) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में परिभाषा दी गई है। इनकी पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में वर्णित है।

अनुच्छेद 366 (24) “अनुसूचित जातियों” से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है।

अनुच्छेद 366 (25) “अनुसूचित जनजातियों” से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है।

अनुच्छेद 341 (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, {यथास्थिति} उस राज्य {या संघ राज्य क्षेत्र} के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।

(2) संसद विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्कर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 342

(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों

अथवा उनके भागों या उनमें के यूथो को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, { यथास्थिति } उस राज्य { या संघ राज्य क्षेत्र } के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद विधि द्वारा, किसी जनजाति, या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्कर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षण

2.6 संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन वर्णित सभी उपायों को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:-

- ❖ सामाजिक सुरक्षण
- ❖ आर्थिक सुरक्षण
- ❖ शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षण
- ❖ राजनैतिक सुरक्षण
- ❖ सेवा सुरक्षण
- ❖ अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षण

सामाजिक सुरक्षण

2.7 इन सुरक्षणों के अधीन प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 17, 23, 24 और 25 (2) (ख) में वर्णित है ।

2.8 अनुच्छेद 17 के अनुसार “अस्पृश्यता” का अंत हो गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है । “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा । इस अनुच्छेद से संबंधित दो महत्वपूर्ण कानून हैं अर्थात् नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 । “अस्पृश्यता” का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने, और उससे संबंधित बातों के लिए दण्ड विहित करने के उद्देश्य से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उसके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है । इस अधिनियमन के माध्यम से पीड़ितों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई थी । अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अभियुक्तों को कड़ी और बड़ी हुई सजा देने तथा पीड़ितों अथवा उनके परिवार के पुनर्वास की भी व्यवस्था करता है । उसके अधीन बनाए गए

अनु० जाति तथा अनु० जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में पीड़ितों अथवा उनके परिवार के पुनर्वास और आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान समाविष्ट है।

2.9 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करना है। गंगुला अशोक और ए एन आर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में दिनांक 28.1.2000 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व, 2000 की एस एल पी (क्रम) सं० 829 के तहत विशेष न्यायालय, आरोप पत्र प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहे थे। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दिए गए निर्णय के बाद जो सूचित करता है कि जब तक सकारात्मक और विशेष रूप से अलग से व्यवस्था नहीं की जाती है, कोई सत्र न्यायालय, एक न्यायाधीश द्वारा उस मामले को सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान नहीं ले सकता है। न्यायालय द्वारा अत्याचार के मामलों के निपटान की गति धीमी हो जाएगी। चूंकि अनु० जा० और अनु० जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एक केन्द्रीय अधिनियम है, भारत सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन और विशेष प्रावधान जोड़े जाने चाहिए ताकि सुपुर्दगी कार्यवाही के बिना अत्याचार के मामले विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण के लिए सीधे लिए जाएं।

2.10 अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध करता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु चूंकि अधिकतर बन्धुआ मजदूर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं, अतः इस अनुच्छेद का उनके लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में बंधक मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 बनाया गया है और बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी है। परन्तु पिछले 25 वर्षों से इस अधिनियम को लागू किए जाने के बावजूद बंधुआ मजदूरों अभी तक विद्यमान हैं और इसकी रोकथाम करने व तत्संबंधी पुनर्वास कार्य को अधिक कारगर बनाये जाने की आवश्यकता है।

2.11 अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है कि 14(चौदह) वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रम को रोकने के लिए केंद्रीय तथा राज्य कानून हैं। यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि खतरनाक नियोजन में लगे बाल श्रमिकों का बहुमत नहीं, तथापि काफी बड़ा भाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति का है। यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था होने तथा इस संबंध में प्रचार किए जाने के बावजूद काच चूड़ी उद्योग, कालीन बुनाई कार्य और बीड़ी उद्योग आदि में बाल श्रमिक कार्यरत हैं। इन बच्चों की दयनीय स्थिति और इन कानूनों के उल्लंघन की जानकारी के लिए प्रेस व टेलीविजन द्वारा भी व्यापक कवरेज दी जाती है। दुर्भाग्यवश बाल श्रम की समस्या अभी जारी है और इस बुराई का पूरी तरह से समाप्त करने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाने के लिए विशेष उपाय किये जाने अपेक्षित हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार के श्रम विभागों के भाग पर एक ही समय में विधिक प्रावधानों तथा सतर्कता के कार्यान्वयन को तीव्र किए जाने की आवश्यकता है।

2.12 अनुच्छेद 25 (2) (ख) में यह व्यवस्था की गई है कि सभी हिन्दू धार्मिक संस्थाएं, हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी। हिंदू शब्द में सिक्ख, जैन व बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति शामिल हैं। यह उपबंध सुसंगत है, क्योंकि हिन्दुओं के कुछ सम्प्रदाय दावा करते रहे हैं कि

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि यह सामाजिक कुप्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की घटनाएं समाचार पत्रों में कभी-कभी छपती रहती हैं और उन्हें इस आयोग के ध्यान में भी लाया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को हिन्दुओं के मंदिरों तथा हिंदू धार्मिक संस्थानों में बिना रोक टोक के प्रवेश देने के लिए समाज के सभी वर्गों के सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं।

आर्थिक सुरक्षण

2.13 अनुच्छेद 23, 24 तथा 46 के प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक सुरक्षण का भाग बनते हैं।

अनुच्छेद 46 - राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षण

2.14 अनुच्छेद 15 (4) राज्य को सामाजिक-शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह उपबंध संविधान में, संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसके द्वारा कई अनुच्छेद संशोधित किए गए। इस उपबंध ने राज्यों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में जिनमें तकनीकी, इंजीनियरी और मेडिकल कालेजों में स्थान आरक्षित करने के अधिकार दिए। इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 16 (4) में “पिछड़े वर्ग” शब्दों का प्रयोग व्यापक जेनेरिक रूप में किया गया है तथा इसमें पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों यथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, विमुक्त जातियां और घुमन्तु/अर्ध घुमन्तु (खानाबदोश) जातियां या समुदाय आदि शामिल हैं।

2.15 अनुच्छेद 29 (1) में यह प्रावधान है कि “भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।” इस अनुच्छेद का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि उनमें से अधिकांश की विशेष भाषाएं हैं तथा कुछ समुदाय जैसे संथालों की अपनी अलग लिपि भी है जिसे ओलचिकी कहते हैं। परन्तु इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि जनजाति के लोगों को केवल उनकी ही भाषा में शिक्षित किया जाए क्योंकि ऐसा करने से वे अलग-अलग हो जाएंगे। उन्हें राज्य की भाषा के साथ-साथ राष्ट्रीय भाषा में भी शिक्षित किया जाए ताकि राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ उनके संघटन को मदद दी जा सके।

2.16 अनुच्छेद 350 (क) में भी प्रावधान है “राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं।” अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी-अपनी भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा से अलग किसी अन्य भाषा परिवार की होती है। जनजातीय समुदायों में शिक्षा की सुलभता तथा स्वीकार्यता में सुधार के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि, जहां तक संभव हो सके उन्हें शिक्षा उनकी

भाषा में दी जाए तथा इस प्रयोजनार्थ पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि तैयार करने के लिए परम अग्रता आधार पर उपाय शुरू किए जाएं ।

राजनीतिक सुरक्षण

2.17 अनुच्छेद 164 (1) में यह प्रावधान है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जिसे साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है । झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के नए राज्यों के सृजन के साथ जनजातीय जनसंख्या का अधिक संकेन्द्रण होता है, अनुच्छेद 164 (1) को उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ।

2.18 अनुच्छेद 330 में लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है, इस अनुच्छेद के अनुसरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 545 में से क्रमशः 79 तथा 41 स्थान आरक्षित हैं ।

2.19 अनुच्छेद 332 में, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है ।

2.20 अनुच्छेद 334 में, यह व्यवस्था है कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान (और लोक सभा व राज्यों की विधान सभाओं में नामजदगी द्वारा एंग्लोइंडियन लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान) है । इस आरक्षण को संविधान में प्रति 10 वर्ष बाद संशोधन करते हुए आगे बढ़ाया गया है । लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2010 तक बढ़ा दिया गया है ।

2.21 संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के साथ प्रभाव में आए अनुच्छेद 243 - घ के अंतर्गत पंचायतों में ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद के प्रत्यक्ष निर्वाचन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संबंधित स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित ये स्थान प्रत्येक स्तर पर किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी - बारी से आबंटित किए जाएंगे ।

2.22 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) बना दिए जाने से, पंचायत से संबंधित संविधान के भाग IX के उपबंध इन अपवादों व आशोधनों के अधीन कि किसी राज्य का विधान मंडल किसी भी मुद्दे से असंगत कोई कानून नहीं बनाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू कर दिए हैं । ये मुद्दे इस प्रकार हैं -

प्रथागत विधि, सामाजिक और धार्मिक आचरण तथा जनजातीय समुदायों का पारम्परिक प्रबन्ध/आचरण । अधिनियम, स्थानीय समुदायों को लघु वन उत्पादों के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है, उनकी भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व तथा किसी परियोजना के अधीन उनके विस्थापन के मामले में पुनर्वास उपायों के संबंध में उनसे परामर्श भी किया जाना चाहिए ।

2.23 अनुच्छेद 243 न संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नगरपालिका निकायों में प्रत्येक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे

। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित इन स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे ।

2.24 अनुच्छेद 371 क में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.25 अनुच्छेद 371 ख में असम से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.26 अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.27 अनुच्छेद 371 च में सिक्किम से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.28 अनुच्छेद 371 छ में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

2.29 अनुच्छेद 371 ज में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान है ।

सेवा संबंधी सुरक्षण

2.30 अनुच्छेद 14 में निर्धारित समानता का सामान्य और संक्षिप्त सिद्धान्त अनुच्छेद 16 में अधिक विस्तार में कतिपय स्थिति के लिए दिया गया है । यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबन्ध सहित राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार अथवा नियुक्ति में समान अवसर का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है ।

अनुच्छेद 16

(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी ।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा ।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी {जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।}

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

2.31 अनुच्छेद 16 (4 क) - उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में दिनांक 16.11.1992 के अपने निर्णय में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण की वर्तमान नीति को जारी नहीं रखा जा सकता है । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की वर्तमान नीति को 5 वर्ष अर्थात् 15.11.1997 तक जारी रखने की अनुमति दी है । तथापि, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखना आवश्यक समझा क्योंकि

सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया था। तदनुसार, संविधान (77 वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया जिसमें सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की गई और इसमें निम्नलिखित खंड 4 क को अन्तः स्थापित किया गया।

“ इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण का उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ”

2.32 अनुच्छेद 16 (4ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 50% से अधिक रिक्तियां आरक्षित नहीं की जानी चाहिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 अगस्त 1997 के का० झा० सं० 36012/5/97 स्था० (आरक्षण) के तहत निर्धारित किया गया है कि आरक्षण पर 50% की सीमा चालू तथा बैकलाग रिक्तियों पर लागू होगी और आरक्षित रिक्तियों का बैकलाग आरक्षण संबंधी 50% की सीमा के प्रयोजनार्थ भिन्न समूह के रूप में नहीं माना जाएगा। संसद द्वारा संविधान (इक्यासिवां संशोधन) अधिनियम 2000 के तहत संविधान के अनुच्छेद 16 के उपबंधों को संशोधित किया गया तथा संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा (4 क) के नीचे निम्नलिखित उपबंध जोड़ा गया।

“ इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड 4 या खण्ड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ग की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ”

2.33 संशोधन के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, यह अपेक्षा की गई थी कि चूंकि विशेष रूप से समूह “ क ” और “ ख ” श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए समूह “ क ” के निम्नतम स्तर से ऊपर के, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। इस मुद्दे पर विचार - विमर्श करने के बाद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी टिप्पणियाँ प्रेषित करते हुए इस बात से अवगत कराया कि समूह “ क ” सहित अन्य सभी स्तरों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। तथापि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.8.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/18/95 - स्थापना (आरक्षण) भाग - II में ऐसे किसी उपबंध को शामिल नहीं किया गया और केवल आरक्षण की विद्यमान नीति को ही जारी रखा गया। इस संबंध में यह पाया गया है कि भारत सरकार द्वारा इस संशोधन को उसके सही प्रयोजन से कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह आदेश आयोग के परामर्श की अवहेलना करते हुए जारी किया गया और इस संबंध में राष्ट्रपति को अलग से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने अपनी चौथी और पांचवी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रोन्नति में आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-8-1997 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए पदों की सभी श्रेणियों में सभी स्तरों तक दिया जाना चाहिए। समाज के अत्यधिक दलित वर्ग को उसका हिस्सा दिलवाने तथा कार्य का अवसर प्रदान करने तथा प्रवन्धन में योगदान देना सुनिश्चित करने के लिए आयोग अपनी सिफारिश को दोहराता है।

2.34 अनुच्छेद 335 में प्रावधान है - “ संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा ।”

2.35 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 1997 के का० झा० सं० 36012/23/96-स्था० (आरक्षण) के तहत, एस० विनोद कुमार बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्रिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए प्रोन्नति के मामलों में कम अर्हता अंक/मूल्यांकन के निम्न मानक देने के लिए जारी किए गए अनुदेश वापस लिए थे । संसद द्वारा संविधान (बियासिवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 के तहत अनुच्छेद 335 में वर्णित उपबंध संशोधित किए गए और अन्त में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए:-

“ परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।”

अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षण

2.36 जनजातीय कार्यों को संविधान में एक विशेष स्थिति दी गई है । जबकि राज्य सामान्यतः अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए उत्तरदायी हैं, संघ सरकार भी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व रखती है । स्वाधीनता के तुरन्त बाद यह पाया गया था कि तुच्छ धनराशि के लिए अधिकांश जनजाति भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरण किया गया था । अतः जनजातीय लोगों ने भूमि हस्तांतरण की गंभीर समस्या का सामना किया । संविधान निर्माताओं ने इन कठिनाईयों को देखा तथा जनजातीय कार्यों और जनजातीय भूमि के नियंत्रण के बारे में संविधान में विशेष उपबन्ध किए ।

2.37 अनुच्छेद 244 के अधीन संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के लिए, विधि-निर्माण की व्यवस्था करती है ।

- अनुच्छेद 244 (1) निर्धारित करता है कि पांचवीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे ।
- (2) छठी अनुसूची के उपबंध असम, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे ।

2.38 पांचवीं अनुसूची में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान हैं । 8 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं ये राज्य इस प्रकार हैं - आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमालय प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान । इन राज्यों के राज्यपालों के विशेष उत्तरदायित्व हैं और उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हैं । इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदें हैं ।

2.39 अनुच्छेद 244 (1) के अधीन संविधान की पांचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के लिए विधान हेतु विशेष उपबंधों की व्यवस्था करती है । उक्त अनुसूची का पैरा 5(1) अधिकार देता है कि राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकें कि संसद का या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें ।

पैरा 5(2) अधिकार देता है कि राज्यपाल राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में और विशेषकर उसमें विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में शान्ति और सुशासन के लिए विनियम बनाए। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि का सही रूपान्तर निम्न प्रकार से है:-

- (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उप पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।
- (2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम:-
 - (क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे।
 - (ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे।
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारोबार करने का विनियमन कर सकेंगे।
- (3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप पैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।
- (4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।
- (5) इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनियम बनने वाले राज्यपाल ने जनजाति सलाहकार परिषद् वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद् से परामर्श नहीं कर लिया है।

2.40 उन आठ राज्यों के अतिरिक्त तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, में भी सांविधिक जनजाति सलाहकार परिषद् है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के नए राज्यों के सृजन के बाद, जिनमें विशाल जनजातीय जनसंख्या हैं, इन राज्यों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने और इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदों की भी व्यवस्था करने हेतु, संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

2.41 उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि की गैर जनजातीय व्यक्तियों को खनन पट्टा देने के विरुद्ध अपने निर्णय में वर्ष 1970 में यथा संशोधित विनियम की धारा 3 (1) (क) में 'व्यक्ति' शब्द की व्याख्या की है। निर्णय के अनुसार शब्द 'व्यक्ति' में सरकार भी सम्मिलित होगी। अब धारा 3 (1)

(क) में शब्द व्यक्ति का अर्थ जनजातीय और गैर-जनजातीय व्यक्तियों के संदर्भ में, जो अन्तर-स्फूर्ति से हस्तांतरण द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से संबंधित है, न केवल जन्म से व्यक्तियों को शामिल करना होगा, बल्कि निगम समूह अथवा निगम एकल, राज्य निगम साझाफर्म कम्पनी, निगम संरचना अथवा सभी वर्गों के व्यक्तियों के साथ, अंतरितक अथवा अंतरिती के रूप में किसी व्यक्ति सहित जातीय भाव में सभी न्यायिक व्यक्ति शामिल हैं, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के संबंध में पांचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) (ख) में शब्द नियमन अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अंतरितक अथवा अंतरिती के रूप में उन पर लागू हो सके। अतः, केवल जनजातीय लोगों और एक सहकारी समिति, जो केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से मिलकर बनी हो, के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का कब्जा और उपभोग होना चाहिए।

2.42 अनुच्छेद 275(1) में व्यवस्था है कि ऐसी राशियां, जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी।

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए।

इस अनुच्छेद में छठी अनुसूची में शामिल किए गए राज्यों को भारत की संचित निधि में से ऐसे विशेष अनुदान दिए जाने के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। छठी अनुसूची में असम (उत्तरी कछार पर्वतीय जिला तथा कार्बी अंगलोग जिला), मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा (स्वशासी पर्वतीय जिला) राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। इन क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषदें तथा स्वशासी प्रादेशिक (रीजनल) परिषदें हैं। इन क्षेत्रों में स्वप्रबंध की पुरानी परम्परा है। ये स्वशासी परिषदें न केवल विभिन्न विभागों तथा विकास कार्यक्रमों का प्रशासन करती हैं, बल्कि उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित जैसे भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम अथवा नगर प्रशासन जिसमें ग्राम और शहर की पुलिस और जन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सहित ग्राम और शहरी प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह एवं विवाह-विच्छेद तथा सामाजिक रीति - रिवाज पर कानून बनाने की भी शक्तियां प्राप्त हैं।

2.43 अनुच्छेद 338 - जैसा कि संविधान के संशोधित - अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया है कि आयोग के कार्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न सुरक्षणों का अन्वेषण करना, उनका अनुवीक्षण (मानिट्रिंग) और मूल्यांकन करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना तथा योजना प्रक्रिया में भाग लेना शामिल है। संघ और राज्य सरकारों को उन सभी मुख्य नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श लेना अनिवार्य है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करते हैं। संविधान के संशोधित अनुच्छेद 338 के उपबंधों के अनुसार किसी भी मामले का अन्वेषण या शिकायत की जाँच-पड़ताल करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियाँ हैं जो वाद के विचारण में होती हैं, तथा विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात:-

- (i) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को “समन” करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ।
- (ii) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना ।
- (iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना ।
- (iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना ।
- (v) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ।
- (vi) कोई अन्य विषय जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें ।

2.44 आयोग द्वारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यकरण और उनके कल्याण तथा उत्थान के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो वह ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है । आयोग अब तक राष्ट्रपति को पांच रिपोर्टें तथा चार विशेष रिपोर्टें, जिनमें विभिन्न सिफारिशें दी गई हैं, प्रस्तुत कर चुका है । आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में रो पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी वार्षिक रिपोर्ट और एक विशेष रिपोर्ट कार्रवाई ज्ञापन सहित संसद में रखी जा चुकी है।

2.45 आयोग को व्यापक दायित्व सौंपे गये हैं जिनमें न केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य ही शामिल हैं, अपितु योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन सभी मुख्य नीतिगत मामलों में परामर्श देना भी शामिल है जिनका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रभाव पड़ता है । आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षणों से संबंधित मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करने अथवा उनके अधिकारों के वंचन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ भी दी गई हैं । परन्तु आयोग के निर्णय स्वरूप में केवल अनुशासनात्मक है और न कि संघ अथवा राज्य सरकार के प्रतिवादी विभाग/संगठन, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, वित्तीय संस्थान, आदि पर बाध्यकारी नहीं है । आयोग महसूस करता है कि सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने और संविधान के अंतर्गत आयोग को और कारगर शक्तियाँ प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है ।

अध्याय - III

अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास

3.1 अनुसूचित जातियों का जन सांख्यिकीय वर्णन

3.1.1 वर्ष 1991 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13.82 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.37 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में 1981-91 में वृद्धि की दसवर्षीय दर (30.04 प्रतिशत) कुल जनसंख्या की तदनुरूप दर (23.79 प्रतिशत) से ऊंची थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या) 922 था, जो कुल जनसंख्या से सम्बन्धित औसत (923) के लगभग बराबर था। अनुसूचित जातियों के भौगोलिक छितराव से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 2.92 करोड़ है। अनुसूचित जातियों की काफी बड़ी जनसंख्या वाले अन्य राज्य पश्चिम बंगाल (1.60 करोड़), बिहार (1.26 करोड़), तमिलनाडु (1.07 करोड़) आन्ध्रप्रदेश (1.05 करोड़), मध्यप्रदेश (96 लाख) और महाराष्ट्र (87 लाख) है। वर्ष 1991 की जनगणना से पता चलता है कि आनुपातिक रूप से पंजाब में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है अर्थात् वहां पर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 28.31 प्रतिशत है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान है, जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या में 25.34 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 23.62 प्रतिशत और 21.05 प्रतिशत है। हरियाणा (19.75 प्रतिशत), तमिलनाडु (19.18 प्रतिशत) और दिल्ली (19.05 प्रतिशत) में भी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या इन राज्यों की कुल जनसंख्या के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर है। अनुसूचित जातियों के लोगों की बहुत बड़ी संख्या देहाती क्षेत्रों में बसती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की 81 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और केवल 19 प्रतिशत लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। कुल जनसंख्या के मामले में वर्ष 1991 में शहरीकरण 25.7 प्रतिशत था। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों के लोगों के शहरीकरण की दर कुल जनसंख्या के शहरीकरण की दर से कम है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का राज्यवार ब्योरा अनुबंध 3.1 में दिया गया है।

3.2 अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति

3.2.1 अनुसूचित जातियों के लोगों के क्षेत्रीय बिखराव के स्वरूप से भी पता चलता है कि उनकी सबसे अधिक संख्या उन राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल) में है, जहां देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि देश में लगभग 32 करोड़ लोग हैं जो कि 1973-74 से गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं, हालांकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात जो 1973-74 में 54.9 प्रतिशत था घट कर 1993-94 में 36 प्रतिशत रह गया है। इन 32 करोड़ गरीब लोगों में से 6 करोड़ से अधिक लोग अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो किसी राज्य के गरीब लोगों की सबसे बड़ी संख्या है, इसके बाद बिहार (4.93 करोड़), महाराष्ट्र (3 करोड़), मध्य प्रदेश (2.98 करोड़) और पश्चिम बंगाल (2.54 करोड़) का स्थान है। योजना आयोग के अनुमानों से यह भी पता चलता

है कि वर्ष 1993-94 में अनुसूचित जातियों की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में 48.11 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 49.48 प्रतिशत) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या में से 80 प्रतिशत लोग रहते हैं, बिहार में अनुसूचित जातियों के उन लोगों की प्रतिशतता (70.66 प्रतिशत) सबसे अधिक है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं : इसके बाद उत्तर प्रदेश (58.99 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (51.64 प्रतिशत) का स्थान है। वर्ष 1993-94 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों का राज्यवार ब्योरा अनुबंध-3.11 में दिया गया है। सांख्यिकी विभाग द्वारा गरीबी के जो अनुमान तैयार किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों के लोगों में गरीबी अधिक व्यापक रूप से फैली हुई है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों का ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है:-

वर्ष/सामाजिक समूह की श्रेणी	किसी श्रेणी के कुल परिवारों की तुलना में उस श्रेणी के गरीब परिवारों का अनुपात		सभी गरीब परिवारों की तुलना में किसी श्रेणी के परिवारों का अनुपात		सभी गैर-गरीब परिवारों में किसी श्रेणी के परिवारों का अनुपात	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7
I) 1987-88						
अनुजाति	55.22	47.07	24.72	17.63	16.30	9.17
अन्य	39.45	28.82	60.65	76.70	75.74	87.59
अखिल भारत	44.86	31.62	100	100	100	100
II) 1993-94						
अनुजाति	49.04	42.35	28.24	21.65	18.34	19.84
अन्य	32.96	23.98	56.74	73.87	72.14	86.10
अखिल भारत	38.46	26.89	100	100	100	100

स्रोत: गरीबों की गिनती (काउंटिंग दी पूअर) सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार

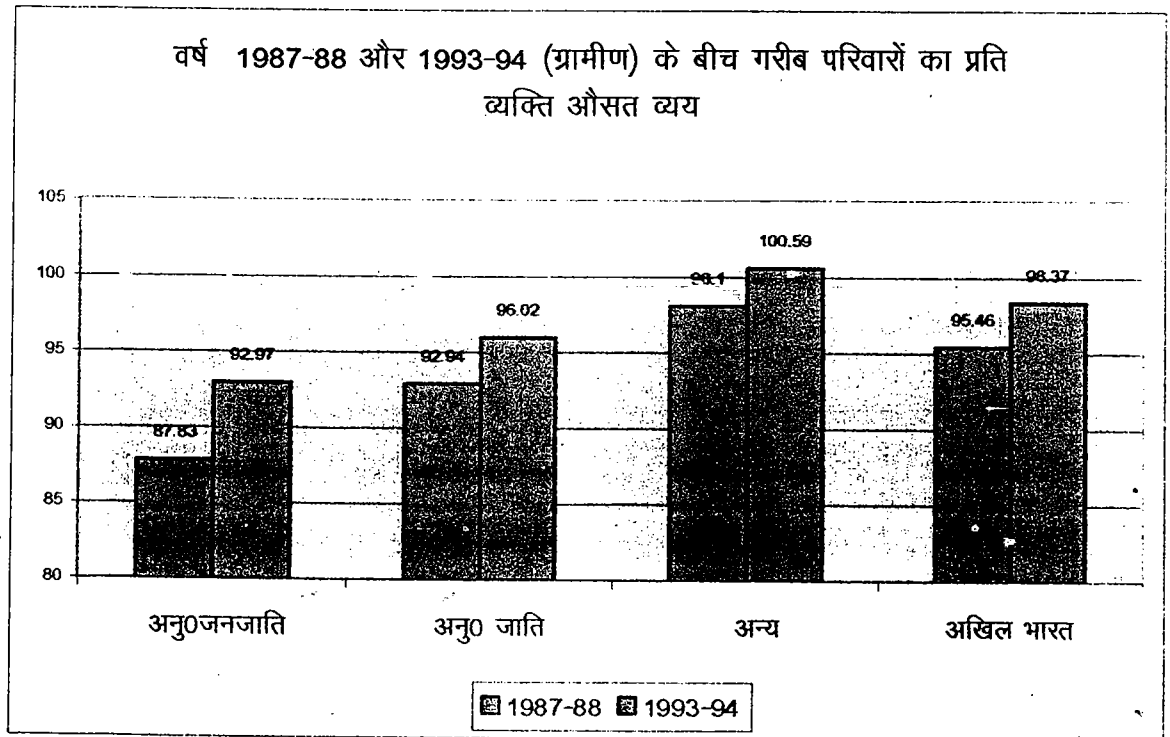
उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ 2 और 3 में किसी विशेष श्रेणी के गरीब परिवारों का अनुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उस श्रेणी के कुल परिवारों की प्रतिशतता के रूप में दिया गया है। वर्ष 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के 49.04 प्रतिशत परिवार गरीब थे, जबकि इसकी तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न श्रेणियों के 32.96 प्रतिशत परिवार गरीब थे। इसी प्रकार 1993-94 में शहरी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों के 42.35 प्रतिशत परिवार गरीब थे, जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न अन्य श्रेणियों के 23.98 प्रतिशत परिवार गरीब थे। इस प्रकार, अन्य श्रेणियों की तुलना में अनुसूचित जातियों में अधिक गरीबी थी। यह भी देखा जा सकता है कि 1987-88 से 1993-94 तक की अवधि में सभी सामाजिक समूहों में गरीबी में कुछ कमी हुई थी। लेकिन, जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों में गरीबी की मात्रा काफी अर्थात् 50 प्रतिशत के करीब बनी रही; जहां अनुसूचित जातियों के अधिकांश लोग रहते हैं। स्तम्भ-4 से यह देखा जा सकता है कि 1993-94 में सभी गरीब परिवारों अनुसूचित जातियों के परिवारों का अनुपात 28.24 प्रतिशत था।

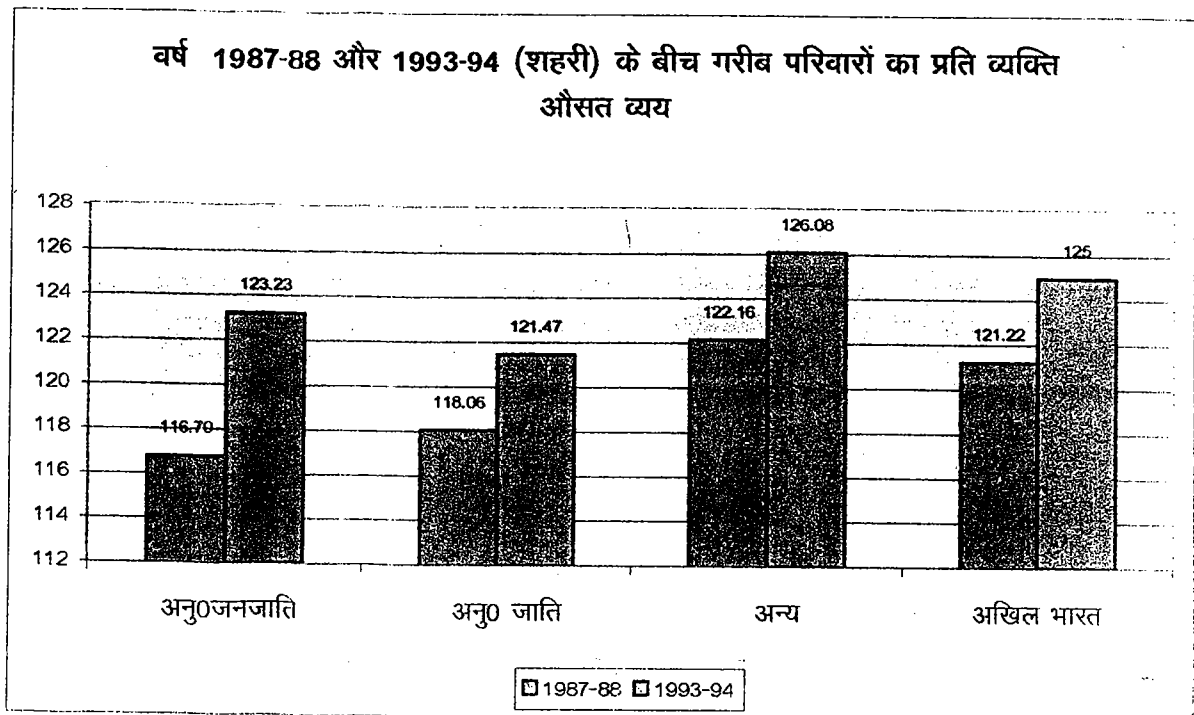
इस स्तम्भ से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न जातियों के परिवारों में 1987-88 से 1993-94 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी के मामले में काफी सुधार हुआ ।

3.2.2 सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय के जो अनुमान तैयार किए गए हैं उनसे पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के लोग देश के गरीबों में सबसे अधिक गरीब हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य वर्गों के उपभोग-व्यय का ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है:-

	प्रति व्यक्ति औसत		गरीब परिवारों का व्यय	
	ग्रामीण		शहरी	
	1987-88	1993-94	1987-88	1993-94
अनु0जनजाति	87.83	92.97	116.79	123.23
अनु0 जाति	92.94	96.02	118.06	121.47
अन्य	98.10	100.59	122.16	126.08
अखिल भारत	95.46	98.37	121.22	125.00

स्रोत: 'काउंटिंग दि पूअर' सर्वेक्षण विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संख्या, सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार





तालिका में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रति व्यक्ति व्यय सबसे कम है, जिसके बाद अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य वर्गों का स्थान है। वर्ष 1993-94 में शहरी इलाकों में अनुसूचित जातियों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय सभी सामाजिक समूहों में सबसे कम था।

3.3 अनुसूचित जातियों का व्यावसायिक पैटर्न

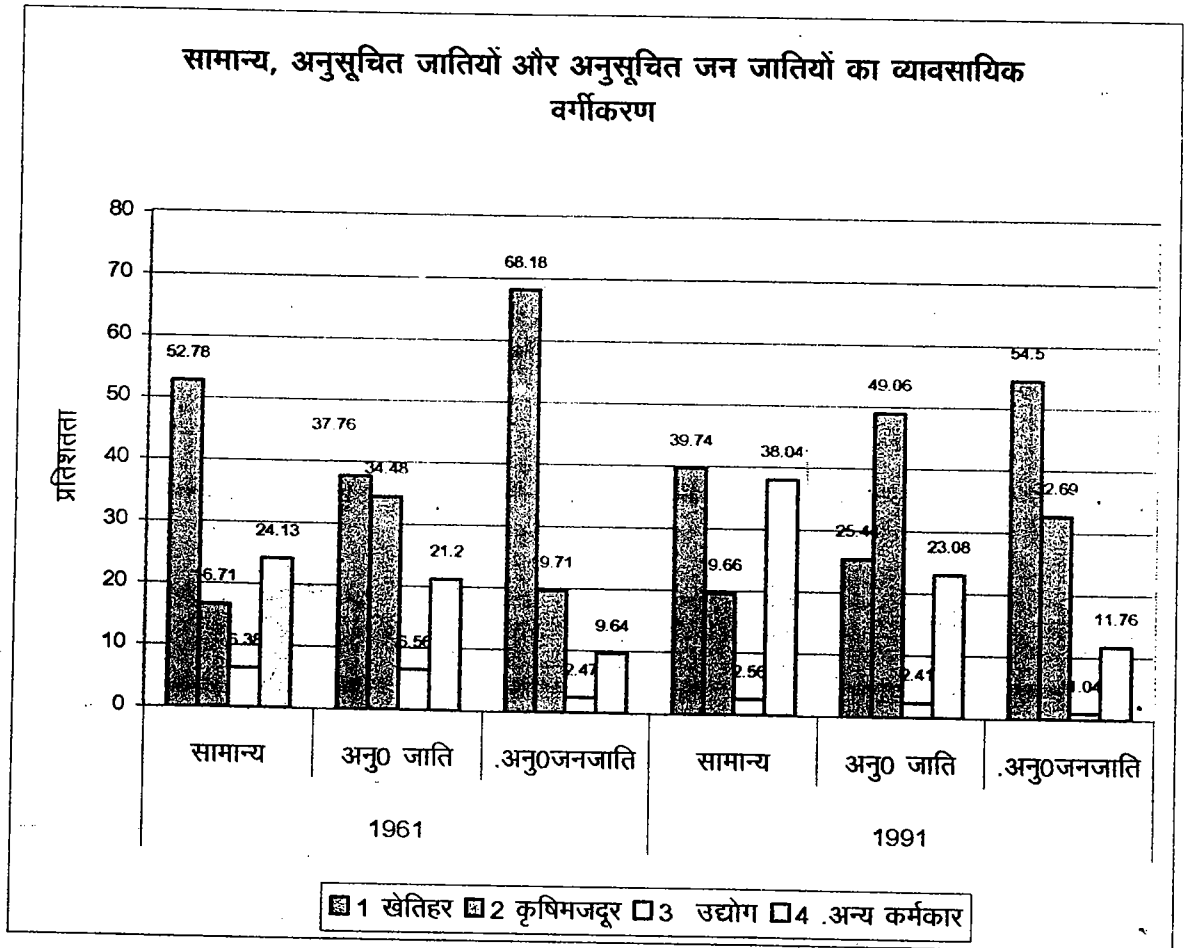
3.3.1 अनुसूचित जातियों की दुर्दशा का सबसे अधिक कष्टदायक पहलू है, अस्पृश्यता का कलंक जो वे शताब्दियों से झेल रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों की पहचान उनके अत्यंत शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई है, जो अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से हुआ है। जैसा कि भली भाँति ज्ञात है, अनुसूचित जातियों के बहुत से समुदाय पारम्परिक रूप से किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने पेशों में वे जो काम करते हैं उससे उन्हें बहुत कम प्राप्ति होती है। हालांकि उनकी सेवाएं समाज के लिए नितांत आवश्यक थीं, लेकिन वे घटिया और अस्वच्छ मानी जाती थीं और उनमें कड़ी मेहनत की जरूरत होती थी, लेकिन उनसे बहुत कम आय होती थी। अनुसूचित जाति के समुदायों ने पारम्परिक व्यवसायों की व्यापक श्रेणियां अपनाई हैं पारम्परिक व्यवसायों में मुख्य व्यवसाय चमड़ा एवं घृणित कार्य, शवों को उठाना, मैला ढोना, ढोल बजाना, गाना - बजाना आदि हैं। अनुसूचित जातियों के व्यवसायों के विश्लेषणों से पता चलता है कि कुछ व्यवसाय जैसे चमड़े के काम, मैला उठाने के काम, आदि को सदा गिरा हुआ काम समझा जाता था। लेकिन कुछ क्षेत्रों में कुछ समूहों को अस्पृश्य समझा जाता है, पर उन्हीं व्यावसायिक समूहों को अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं माना जाता। यदि पूर्वी भारत में मछुआरा समूहों को अछूत समझा जाता है, तो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में अथवा दक्षिण में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश अथवा मणिपुर के कुम्हार अछूत हैं, लेकिन अन्य किसी क्षेत्र में नहीं हैं। आन्ध्रप्रदेश में धोबी

अछूत नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में वे अछूत समझे जाते हैं और उन्हें “अनुसूचित जातियाँ” अधिसूचित किया गया है :-

3.3.2 अनुसूचित जातियों के व्यावसायिक वर्गीकरण पर विचार करने के लिए हम जनगणना के आंकड़ों को देख सकते हैं, जो नीचे की तालिका में दिए गए हैं :-

सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का व्यावसायिक वर्गीकरण

		1961			1991		
		सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1.	खेतिहर	52.78	37.76	68.18	39.74	25.44	54.50
2.	कृषि-मजदूर	16.71	34.48	19.71	19.66	49.06	32.69
3.	उद्योग	6.38	6.56	2.47	2.56	2.41	1.04
4.	अन्य कर्मकार	24.13	21.20	9.64	38.04	23.08	11.76



3.4 अनुसूचित जातियाँ और उनकी कृषि पर निर्भरता

3.4.1 उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1961 में अनुसूचित जातियों के 72.24 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें से 37.76 प्रतिशत खेतिहर थे और 34.48 प्रतिशत कृषि-मजदूर थे। कृषि पर उनकी निर्भरता में वर्ष 1991 तक और वृद्धि हो गई है। अनुसूचित जातियों के 74.50 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें से 25.44 प्रतिशत खेतिहर और 49.06 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों के लोगों की बहुत अधिक संख्या अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत संख्या खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करती है। देश के कुल श्रम बल का लगभग 59.40 प्रतिशत भाग (अर्थात् 39.74 प्रतिशत खेतिहर + 19.66 प्रतिशत कृषि मजदूर) रोजगार के लिए सीधे कृषि पर निर्भर है। लेकिन, सामान्य लोगों के मामले में कृषि पर निर्भरता जो 1961 में 69.49 प्रतिशत (52.78+16.71) थी, काफी घट कर 1991 में 59.40 प्रतिशत रह गई है, जिसमें से लगभग 20 प्रतिशत कर्मकार मजदूरों के रूप में काम करते थे। चूंकि कृषि कार्यों का स्वरूप केवल मौसमी होता है, इसलिए मुख्य रूप से भूमिहीन मजदूरों के रूप में काम करने वाले कर्मकार वर्ष के अधिकांश भाग में अल्प-रोजगार प्राप्त रहते हैं। इनमें से मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से, जो पहले ही काफी कम है, कम मजदूरी मिलती है। यह देखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों में गरीबी का अनुपात लगभग 50 प्रतिशत है। छद्म बेरोजगारी, गरीबी और भूमिहीन मजदूरों की कम मजदूरी के कारण उनके बच्चों और महिलाओं को इससे भी कम मजदूरी पर और शोषणकारी स्थितियों में काम करने पर मजबूर होना पड़ता है।

3.4.2 इस प्रकार के लोग, बहुत बड़ी संख्या में, फसल-कटाई और बुवाई के मौसम में रोजगार की तलाश में दूर-दराज के इलाकों में चले जाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक होने के बावजूद, उनके अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें न्यूनतम मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने और उनके शोषण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। समाचार पत्रों में हाल में जमींदारों द्वारा प्रवासी कृषि मजदूरों के शोषण की अनेक घटनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें पंजाब और हरियाणा में दलित मजदूरों को बंधुआ मजदूरों के रूप में रखा जाना भी शामिल है। आयोग सिफारिश करता है कि खेतिहर मजदूरों को शोषण से बचाने, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में उन्हें सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत कवर करने के लिए तत्काल एक कानून लाया जाना चाहिए। खेतिहर मजदूरों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुछ क्षेत्रों जैसे बिहार के कुछ भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में फालतू मजदूरों का बाहुल्य है, जबकि मजदूरों की मांग पंजाब, हरियाणा, आदि जैसे कृषि की दृष्टि से उन्नत राज्यों से आती है। इसके परिणामस्वरूप, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे फालतू मजदूरों वाले राज्यों और अन्य स्थानों से कृषि की दृष्टि से उन्नत क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों का मौसमी प्रवजन होता है। इन मजदूरों का सफर करने का पसन्दीदा साधन रेल है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के साथ हाल में हुई अपनी बैठक में यह सुझाव दिया था कि रेलवे को इन श्रमिकों के प्रवजन के स्वरूप (पैटर्न) का अध्ययन करना चाहिए और इन श्रमिकों को रोजगार के लिए अपने गन्तव्य स्थलों तक जाने और कृषि कार्यों के पूरा होने के बाद वापस घर जाने में सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष गाड़ियां चलानी चाहिए।

3.4.3 इन भूमिहीन मजदूरों का आर्थिक विकास एक भारी चुनौती बना हुआ है। इन भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार ने सुधार शुरू किए थे, जिनके परिणामस्वरूप गरीबों को कुछ भूमि प्राप्त हुई थी। सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त समूहों में गरीबी का उपशमन करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण कार्यसूत्र- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक भूमिहीन परिवार को भूमि का एक न्यूनतम टुकड़ा देना, भूमि के स्वामित्व की बहाली, और सुरक्षात्मक कानूनों का कार्यान्वयन था। हम इस अध्याय में भूमि से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर विचार करेंगे। भूमिहीन मजदूरों के लाभ के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कदम मजदूरी रोजगार का कार्यक्रम है, ताकि कृषि के कम कामकाज वाले मौसम में आय के एक सुनिश्चित स्रोत की व्यवस्था की जा सके।

3.5 अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम

3.5.1 जवाहर रोजगार योजना दिनांक 1-4-1989 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करना है। जवाहर रोजगार योजना की 22.5 प्रतिशत राशियां अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के लिए खर्च की जानी अपेक्षित होती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण निर्माण कार्यों के चयन और कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। योजना आयोग ने इस कार्यक्रम के कार्य निष्पादन पर विचार करते समय इस कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन का हवाला दिया है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून, 1993- मई, 1994 के दौरान किया गया था, और जिसमें यह बताया गया था कि प्रति व्यक्ति 11 दिन का रोजगार सृजित किया गया था। कार्य निष्पादन के इस स्तर पर कार्यक्रम, लाभभोगियों के आय के स्तरों पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल सका। इस कार्यक्रम को उसकी वास्तविक भावना के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया गया था और बहुत बार जोर रोजगार सृजन पर नहीं बल्कि परिसम्पत्तियों के निर्माण पर दिया गया था और बहुत से राज्यों में निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन ठेकेदारों द्वारा श्रम प्रधान कार्यप्रणालियों के स्थान पर ट्रकों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करके किया गया था। योजना आयोग ने वेतन पंजियों (मस्टर रोल्स) और माप पुस्तकों में गड़बड़ी किए जाने की घटनाएं भी नोट की हैं। प्रधानों के व्यक्तिगत समर्थकों को अथवा उन कर्मकारों को, जो कम मजदूरी प्राप्त करते हुए ऊंची मजदूरी के लिए हस्ताक्षर करने के लिए रजामन्द हों, रोजगार दिए जाने के बारे में भी शिकायतें मिली हैं। योजना आयोग ने नोट किया है कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने में सचमुच सफलता मिली है और उसके परिणामस्वरूप पंचायतों का सशक्तीकरण हुआ है, क्योंकि धनराशियां उन्हें उपलब्ध कराई गई थी और इसके अलावा उन्हें सम्बन्धित लाइन विभागों के माध्यम से निर्माण-कार्य क्रियान्वित कराने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। जवाहर रोजगार योजना को सुदृढ़ बनाया गया है और दिनांक 1.4.1999 से उसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित योजना का मुख्य उद्देश्य मांग आधारित सामुदायिक ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है और रोजगार सृजन को दूसरा उद्देश्य निर्धारित किया गया है।

3.5.2 रोजगार आश्वासन स्कीम वर्ष 1993 में ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की भीषण कमी की अवधि में पिछड़े ब्लॉकों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार का सृजन करने के लिए शुरू की

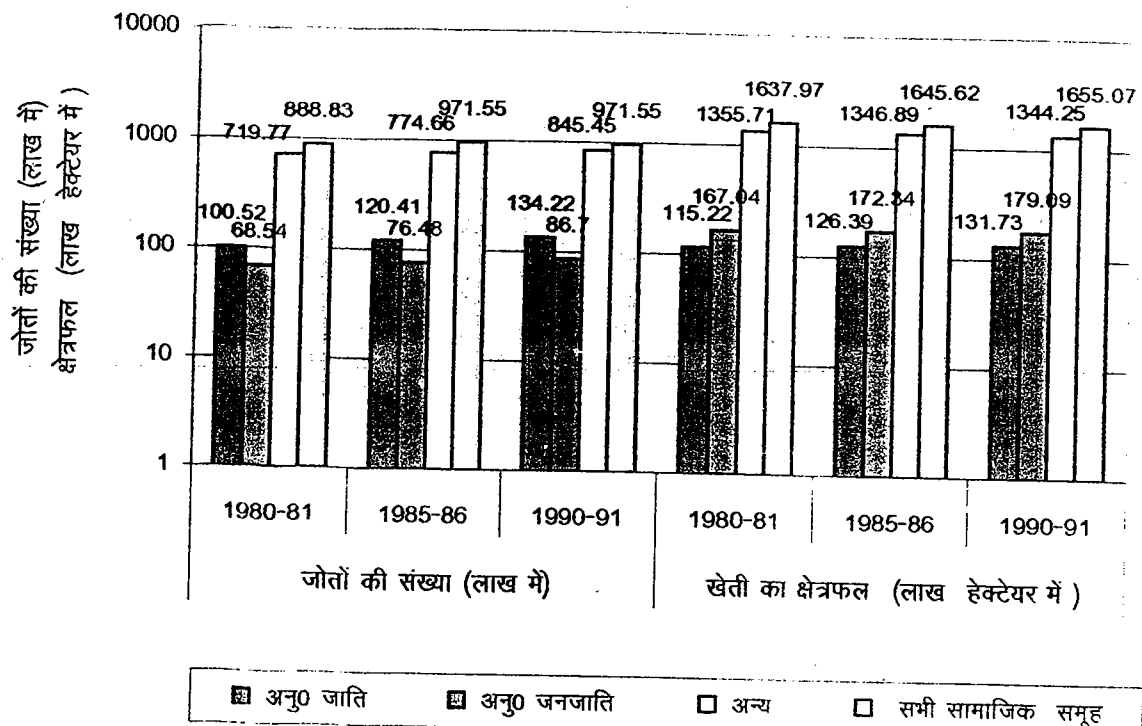
गई थी। इस स्कीम से नियमित आधार पर सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने में सफलता नहीं मिली, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पना की गई थी। वर्ष 1993 में यह स्कीम देश के 1772 पिछड़े खंडों में शुरू की गई थी, लेकिन 1997-98 के अन्त तक इस स्कीम को 5448 ग्रामीण खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम को सार्वभौमिक बनाए जाने के बाद, धन की कमी के कारण मांग आधारित स्कीम के रूप में जारी नहीं रखा जा सकता था और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की रोजगार की मांग बनी हुई है।

3.5.3 अनुसूचित जातियों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय खेती है, जिससे अनुसूचित जातियों को 25.44 प्रतिशत रोजगार प्राप्त होता है। अनुसूचित जातियों के लोग भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में बहुत भीषण रूप से वंचित हैं और अभी वे कृषि-भूमि का बहुत ही छोटा सा खण्ड रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भूमि स्वामित्व ऐसा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिससे अतीत में सामाजिक हैसियत निर्धारित होती रही है और आज भी होती है और इसी से ग्रामीण भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में, जहां अनुसूचित जातियों के 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग रहते हैं, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था होती है। वर्ष 1980-81, 1985-86 और 1990-91 में भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों के पास जोत भूमियों की संख्या और उनके द्वारा जितने क्षेत्र में खेती की जाती है, उसकी जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है:-

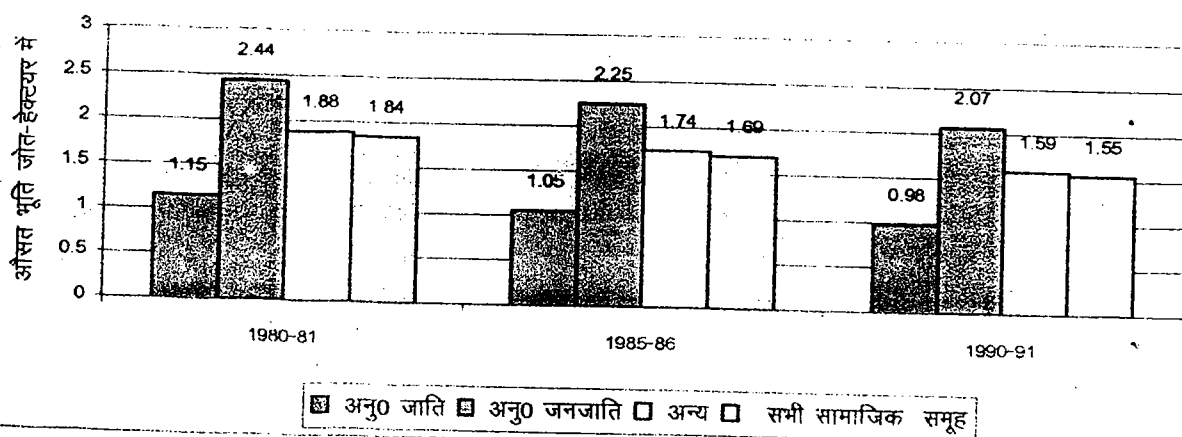
वर्ष 1980-81, 1985-86 और 1990-91 में भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा धारित जोत की भूमियों की संख्या और उनके द्वारा की जाने वाली खेती का क्षेत्रफल

सामाजिक समूह	जोतों की संख्या (लाख में)			खेती का क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर में)			जोत की भूमि का औसत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
	1980-81	1985-86	1990-91	1980-81	1985-86	1990-91	1980-81	1985-86	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनु० जाति	100.52 (11.3)	120.41 (12.4)	134.22 (12.6)	115.22 (7.0)	126.39 (7.7)	131.73 (8.0)	1.15	1.05	0.98
अनु० जनजाति	68.54 (7.7)	76.48 (7.9)	86.70 (8.1)	167.04 (10.2)	172.34 (10.5)	179.09 (10.8)	2.44	2.25	2.07
अन्य	719.77 (81.00)	774.66 (79.7)	845.45 (79.3)	1355.71 (82.8)	1346.89 (81.8)	1344.25 (81.2)	1.88	1.74	1.59
सभी सामाजिक समूह	888.83 (100.00)	971.55 (100.00)	971.55 (100.00)	1637.97 (100.0)	1645.62 (100.0)	1655.07 (100.00)	1.84	1.69	1.55

वर्ष 1980-81, 1985-86, 1990-91 में विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा धारित
जोतों की संख्या और उनके द्वारा उपयोग में लाया गया क्षेत्रफल



वर्ष 1980-81, 1985-86 तथा 1990-91 में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए भूमि जोतों का
औसत आकार



तालिका से पता चलता है कि 1985-86 में अनुसूचित जातियों के कृषकों की संख्या कुल कृषकों में 12.4 प्रतिशत थी, उनके द्वारा कुल क्षेत्र के 7.7 प्रतिशत के बराबर क्षेत्र में खेती की जाती थी और जोत का औसत क्षेत्र केवल 1.05 हेक्टेयर था और अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा जितने क्षेत्र में खेती की जाती थी वह अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में सबसे कम था और जोतों का आकार अन्य सभी सामाजिक समूहों की तुलना में सबसे छोटा था। वर्ष 1990-91 की कृषि जनगणना से पता चलता है कि सभी कृषकों की जोतों का औसत जो 1985-86 में 1.69 हेक्टेयर था, और भी घट कर 1.55 हेक्टेयर रह गया है। वर्ष 1990-91 में अनुसूचित जातियों के लोगों की जोतों की संख्या 13.42 मिलियन लाख क्षेत्र का अनुमान था, जबकि 1985-86 में उनकी संख्या 12.04 मिलियन थी, जिससे 1990-91 में लगभग 11.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का पता चलता है। अनुसूचित जातियों की जोतों का कुल क्षेत्र जो 1985-86 में 12.64 मिलियन हेक्टेयर था, अब 1990-91 में बढ़कर 13.17 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो 4.2 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों के लोगों की जोतों के क्षेत्र में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई, जिस अनुपात में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों के अधिकतर किसान 1990-91 में 72.2 प्रतिशत सीमान्तिक किसानों की श्रेणी (1 हेक्टेयर से कम जोत की भूमि) में आते हैं और अन्य 16 प्रतिशत लघु किसानों (1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत की भूमि) की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार कृषि, भूमि का वितरण, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है, अत्यन्त असन्तुलित है।

3.5.4 भूमि के असमान वितरण से टकराव उत्पन्न हुआ है और देश के बहुत से भागों में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। ग्रामीण समाज का विभाजन जातियों के आधार पर होने के कारण अनुसूचित जातियों के मामले में स्थिति और खराब हो गई है। बिहार में अनुसूचित जातियों के लोगों की बार बार होने वाली हत्याएं और जातियों पर आधारित सेनाओं का निर्माण मुख्यतः जमीन के स्वामित्व के लिए होने वाले संघर्ष का परिणाम है। हाल के समय में ऐसी घटनाओं के लिए जहानाबाद जिले का नाम समाचारों में बार बार आता रहा है। आयोग ने देखा कि बिहार के बहुत से भागों में जो हिंसा भड़की है, उसका कारण रैय्यत के अधिकारों को रिकार्ड करने में राज्य सरकार की असफलता है। आयोग ने यह नोट किया है कि पश्चिम बंगाल में लोगों की सक्रिय भागीदारी से भूमि और काश्तकारी सुधारों का सफल क्रियान्वयन किया गया है, जिससे काश्तकारों के अधिकारों की बेहतर तरीके से रक्षा करने में सहायता मिली है। आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि भूमि सुधारों का कारगर ढंग से कार्यान्वयन किया जाए और अनुसूचित जातियों के बीच भूमि का इष्टतम वितरण किया जाए और काश्तकारों के अधिभाग के अधिकारों को उपयुक्त रूप से अभिलेखबद्ध किया जाए, ताकि काश्तकारी सम्बन्धी कानूनों को समुचित रूप से संशोधित करके यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि जोतने वाले किसानों को उसके जमीन से निकाला न जा सके जहां पर खेती कर रहे हों, जिससे की मृत अंडर रैय्यत के परिवार के सदस्यों को काश्तकार के देहान्त के बाद काश्तकारी के अधिकार उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त कर सकें।

3.5.5 कृषि के क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा करते समय अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि कृषि के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे श्रम बल का बहुत बड़ा भाग छोटे और सीमान्तिक किसानों के रूप में अथवा खेतिहर मजदूरों के रूप में कृषि पर निर्भर करते हैं, ग्रामीण गरीबी में कोई

खास कमी नहीं हुई है और खाद्यान्नों के बहुत बड़े भंडार का निर्माण होने के बावजूद गरीब और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लोग भूख से मरते रहते हैं। समाचार पत्रों में हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में 50 प्रतिशत गरीब बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भूमि की उच्चतम सीमा में कोई ढील दिए जाने से छोटे और सीमान्तिक किसानों के, बहुत बड़ी संख्या में, और गरीब हो जाने की संभावना है। इन किसानों के पास आजीविका का कोई अन्य वैकल्पिक साधन नहीं बचेगा। दूसरी ओर, कृषि में निवेश के लिए प्रेरित करने और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में शामिल होने के बाद उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत छोटी और सीमान्तिक जोतों पर उच्च मूल्य-वर्धित कृषि शुरू करके, जिसमें श्रम का अंश अधिक होता है, कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की आशा कर सकता है।

3.5.6 जनसंख्या में वृद्धि होने से भूमि पर दबाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक उत्तरवर्ती कृषि-गणना में जोत की भूमियों का औसत आकार सिकुड़ता गया है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की गरीबी की असाधारण समस्या से निपटने के लिए, फालतू/ अतिरिक्त भूमि वितरण के लिए पर्याप्त नहीं होगी। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कृषि भिन्न अवसरों को बढ़ाना होगा, ताकि अनुसूचित जातियों के लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके।

3.6 अनुसूचित जातियों के अन्य पारम्परिक व्यवसाय

3.6.1 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, अनुसूचित जातियाँ पारम्परिक रूप से किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी रही हैं। हालांकि अनुसूचित जातियों के व्यावसायिक स्वरूप में काफी अधिक विविधीकरण हुआ है, लेकिन उनमें बहुत से लोग अभी भी अपने पारम्परिक जातिगत धंधों में लगे हुए हैं। अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1961 में अनुसूचित जातियों के लगभग 2 करोड़ लोग चमड़े के काम के अपने पारम्परिक व्यवसाय में लगे हुए थे, लगभग 47 लाख बुनकर और 30 लाख मछुवारे थे। अनुसूचित जातियों के विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होने से राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों के लोगों को कृषि-भिन्न व्यवसायों में नियोजित करने का एक सम्भाव्य विकल्प उपलब्ध होता है। लेकिन, उनके पारम्परिक व्यवसायों के सुनियोजित विकास के पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए हैं, जिससे कि उन्हें मौजूदा स्थितियों में प्रतियोगितात्मक और आकर्षक बनाया जा सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, इन व्यवसायों में रत व्यक्तियों का आय स्तर उनकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिससे उनके पास अपने व्यावसायिक कौशल को विकसित करने और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश करने के लिए कोई राशि फालतू नहीं बचती थी। इसके परिणामस्वरूप, इनमें से अधिकतर व्यवसाय अविकसित बने हुए हैं और उनका संचालन बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है। अनुसूचित जातियों के शिक्षा से वंचित होने के कारण इन व्यवसायों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने के मार्ग में और बाधा आई है। यह उल्लेखनीय है कि दुनिया के अधिकतर विकसित देशों में ये व्यवसाय वाणिज्यिक आधार पर संगठित हैं और ऐसे व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों को आकर्षित पारिश्रमिक मिलता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के इन पारम्परिक व्यवसायों का सहकारीकरण किए जाने और उन्हें संगठित किए जाने के पर्याप्त सुनियोजित प्रयास नहीं किए गए हैं और अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा किए गए कार्यों से उनकी दैनिक अनिवार्य आवश्यकताएं मुश्किल से पूरी होती हैं। अनुसूचित जातियों के व्यावसायिक वर्गीकरण के बारे में दी गई सूचना से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के लिए आजीविका के एक साधन के रूप

में घरेलू उद्योगों की भूमिका कम हो गई है। घरेलू उद्योगों का हिस्सा, जो वर्ष 1961 में अनुसूचित जातियों के 6.56 प्रतिशत लोगों के मुख्य व्यवसाय का स्रोत था, घटकर वर्ष 1991 में 2.4 प्रतिशत रह गया था। सरकार को अनुसूचित जातियों के परम्परागत व्यवसायों के बारे में प्रशिक्षण देने, कौशल उन्नयन करने, उन व्यवसायों का सहकारीकरण करने और उनका बेहतर गठन करने के लिए कदम उठाने चाहिए और कच्ची सामग्री, वित्त और उत्पादों के विपणन के रूप में उन्हें सहायता देनी चाहिए।

3.7 रोजगार कार्यालयों के सक्रिय (लाइव) रजिस्ट्रों में अनुसूचित जातियों के पंजीयन से सम्बन्धित सूचना से पता चलता है कि इन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों के 52 लाख व्यक्ति पंजीकृत हैं। वर्ष 1996 में 31,000 व्यक्तियों को नौकरी की पेशकश की गई, जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या के एक प्रतिशत से भी कम थे। सर्वेक्षणों से भी यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों सहित सभी समुदायों के बेरोजगार व्यक्तियों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। बेरोजगार व्यक्तियों में माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तरों तक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का अनुपात, जो वर्ष 1983 में 47 प्रतिशत था, बढ़कर 1993-94 में 64 प्रतिशत हो गया था। नियमित मजदूरी रोजगार की मात्रा में कमी होने से, शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह जरूरी है कि वे स्व रोजगार के अवसरों की तलाश करें। इसके लिए शिक्षा पद्धति की दिशा को व्यवसायीकरण की ओर मोड़ना होगा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों को उभरती हुई मार्केट की मांगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना होगा।

3.8 स्वरोजगार बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

3.8.1 आई.आर. डी.पी. स्व-रोजगार का सबसे पहला कार्यक्रम है, जो 1980-81 में शुरू किया गया था। आई आर डी पी के कई सम्बद्ध कार्यक्रम हैं, जैसे स्व रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी डबल्यू सी आर ए), गंगा कल्याण योजना (जी0 के0 वाई0) और ग्रामीण शिल्पकारों को उन्नत औजारों के किटों की आपूर्ति (एस0आई0टी0आर0ए0)। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी काफी अधिक लाभ उपलब्ध होने की परिकल्पना की गई है। लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। आई आर डी पी के अन्तर्गत 50 प्रतिशत निधियां अनु0 जाति / अनु0 जनजाति के लाभभोगियों के लिए निर्धारित की गई थीं। डी. डबल्यू. सी. आर. ए. के अन्तर्गत 1997-98 से यह अनिवार्य बना दिया गया कि 50 प्रतिशत समूह अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति की महिलाओं के होंगे। ट्राइसेम में भी यह परिकल्पना की गई थी कि प्रशिक्षण के लिए चुने जाने वाले युवकों में 50 प्रतिशत युवक अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के होने चाहिए। एस.आई.टी. आर.ए. में भी अ0जा0/ अ0ज0जा0 समुदायों के लिए 50 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। गंगा कल्याण योजना की स्कीम में भी यह उपबन्ध था कि 50 प्रतिशत धनराशियां अनु0 जाति और अनु0 जनजाति के लिए निर्धारित की जानी चाहिए।

3.8.2 योजना आयोग ने आई आर डी पी और सम्बद्ध कार्यक्रमों के मूल्यांकन के आधार पर यह नोट किया है कि आई.आर.डी.पी. और सम्बद्ध कार्यक्रमों में कई त्रुटियां हैं। चूंकि इन कार्यक्रमों में लाभों का बहुत बड़ा अनुपात अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति के लिए आरक्षित था, अतः हम योजना आयोग की टिप्पणियों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे, जो इस प्रकार है:

- (i) बहुविध आई आर डी पी और सम्बद्ध कार्यक्रमों का कार्यान्वयन वांछित संयोजनों के बिना किया गया है। इन्हें अलग अलग कार्यक्रमों के रूप में कार्यान्वित किया गया था और निरन्तर आय सृजन के समूचे उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखा गया। आई.आर. डी पी के केवल 3 प्रतिशत लाभभोगियों को ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया था और ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित केवल 23 प्रतिशत व्यक्तियों को आई.आर. डी.पी. के अन्तर्गत सहायता दी गई थी।
- (ii) अन्य विभागों के साथ, उदाहरणार्थ संधारणीय कृषि अथवा ग्रामीण उद्योगीकरण की रामूची कार्यनीति अथवा क्षेत्र के संसाधन आधार के साथ तालमेल का अभाव रहा है।
- (iii) प्रति परिवार औसत निवेश उप क्रान्तिक स्तर पर अर्थात् प्रति परिवार प्रति मास 2000 रुपये की आय सृजित करने के लिए अपर्याप्त रहा है, जैसा कि कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पना की गई थी और जो परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए जरूरी है। नौवीं योजना के प्रारम्भ के समय 16,753 रुपये की प्रति परिवार सहायता की कम राशि से लाभभोगी को वित्तीय रूप से ऐसी सक्षम परियोजनाएं शुरू करने में मदद नहीं मिल सकती थी, जिनसे संधारणीय आधार पर पर्याप्त आय का सृजन हो सके।
- (iv) अन्तरनिर्मित रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं का प्रबन्ध अक्सर अनपढ़ और अकुशल लाभभोगियों के हाथ में था, जिन्हें किसी उद्यम के प्रबन्ध का पहले कोई अनुभव नहीं था अथवा बहुत कम अनुभव था। आई.आर.डी.पी. ने उन कमजोरियों को ध्यान में नहीं रखा, जिनसे गरीब लोग ग्रस्त हैं, विशेष रूप से इस बात को सामुदायिक निर्णय लेने में इन लोगों को शामिल नहीं किया जाता। जिन स्थानों पर बुनियादी ढांचा और बाजार विकसित था, वहां इस कार्यक्रम को अधिक सफलता मिली।
- (v) चूक के डर के कारण बैंक गरीबों को ऋण देने में हिचकिचाते थे और उनके द्वारा अपेक्षाकृत खुशहाल अथवा ऐसे बेईमान लोगों को तरजीह दी गई, जो सब्जी की राशि बैंक कर्मचारियों की मौन स्वीकृति से हड़प कर ऋण चुका देते थे।
- (vi) सूझ-बूझ और योजना के अभाव के कारण कतिपय परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक ऋण दिए गए।
- (vii) आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत ऋण एक बार दिया जाता है, श्रृणदाता और ऋणकर्ता के बीच लगातार जारी रहने वाला सम्बन्ध नहीं है।
- (viii) उन क्रियाकलापों पर कम बल दिया जाता है, जिनके लिए किसी स्थिर परिसम्पत्तियों की जरूरत नहीं होती, जैसे व्यापार, सेवा अथवा साधारण प्रोसेसिंग के कार्य।
- (ix) भारतीय गरीबी के संदर्भ में, बैंको द्वारा उत्पादक प्रयोजनों के लिए, ऋणों के स्वीकार्य उपयोग और उपभोग के अस्वीकार्य उपयोग के बीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है।

(x) घन की चोरी, गबन, कार्यक्रम के मार्ग निर्देशों का उल्लंघन, लक्ष्यगत समूहों के रूप में गैर गरीबों का चयन, लेखाओं का ठीक तरह से न रखा जाना और परिसम्पत्तियों की घटिया गुणवत्ता ये सारी बातें विभिन्न अध्ययनों में अभिलेखबद्ध की गई हैं।

3.8.3 द्राइरोग के बारे में भी योजना आयोग ने देखा है कि दिए जाने प्रशिक्षण का सम्बन्ध प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता अथवा उसके रूझान से अथवा कौशल विशेष की मांग से नहीं था। प्रशिक्षित युवक के घटिया प्रौद्योगिकीय आधार और श्रृण उपलब्ध होने की अनिश्चितता के कारण, उसके लिए स्वरोजगार का उद्यम चलाना संभव नहीं था।

3.8.4 सितरा के अन्तर्गत अनेक दस्तकारों को उन्नत हस्त औजारों के किट सप्लाई किए गए थे और योजना आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि ग्रामीण दस्तकारों द्वारा इस योजना का अच्छा स्वागत किया गया है।

3.8.5 डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. का उद्देश्य यह था कि स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके और बुनियादी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराकर महिलाओं और उनके जरिए बच्चों के रहन सहन की स्थितियों में सुधार किया जाए। आन्ध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा और गुजरात जैसे राज्यों में इस स्कीम का कार्य- निष्पादन बेहतर रहा। लेकिन, गलत चयन, समूह के सदस्यों के बीच परस्पर सम्बन्ध न होने, गैर व्यवहार्य कार्यकलापों का चयन, कमजोर संयोजनों और संस्थात्मक सहायता के अभाव, आदि के कारण कुछ समूह कुछ समय बीतने के बाद निष्क्रिय हो गए।

3.8.6 दिनांक 1-4-99 से आई. आर. डी. पी. और सम्बद्ध कार्यक्रमों का विलय स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक कार्यक्रम के रूप में कर दिया गया है, जो एक सम्पूर्णतावादी कार्यक्रम है और जिसका उद्देश्य स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को कवर करना है, जैसे ग्रामीण गरीबों को संगठित करना, प्रशिक्षण, स्वरोजगार के उद्यमों की योजना बनाने के लिए भागीदारितापूर्ण कार्यप्रणाली और बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं, प्रौद्योगिकी श्रृण और विपणन प्रबन्धों की व्यवस्था करना।

3.8.7 औद्योगिक विकास के नए उभरते क्षेत्रों ने लोगों को रोजगार के नए अवसर मुहैया किए हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके अनुसूचित जातियों के शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे भी इन अवसरों का लाभ उठा सकें। आयोग ने हाल में दूरसंचार विभाग के साथ एक बैठक की थी और उसने यह नोट किया था कि विभाग के एक उपक्रम, भारत संचार निगम लिमिटेड ने संचार ढाबा की एक स्कीम शुरू की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट दुकानें खोले जाने से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आयोग की सिफारिश है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देकर, जहां कहीं आवश्यक हो संचार क्षेत्रों की स्कीम में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

3.9 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना

3.9.1 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना को छठी पंचवर्षीय योजना के समय से कार्यान्वित किया जा रहा है। उन सभी राज्यों से, जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या काफी अधिक है, और केन्द्रीय मंत्रालयों से अपेक्षित है कि वे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजनाएं तैयार करें। उनके लिए यह जरूरी है कि वे ऐसी स्कीमों और ऐसे कार्यक्रमों का पता लगाएं, जो विभाग द्वारा पहले से कार्यान्वित किए जा रहे हों अथवा कार्यान्वित

किए जा सकते हों, जिनसे अनुसूचित जातियों को लाभ हो सकता हो। अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना, सम्बन्धित राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। रिपोर्टाधीन अवधि में चौबीस राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में विशेष संघटक योजनाएँ तैयार की थी। विशेष संघटक योजना के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के परियोजना और व्यय तथा वर्ष 2000-2001 के परियोजना का राज्यवार ब्योरा अनुबन्ध 3. III में दिया गया है।

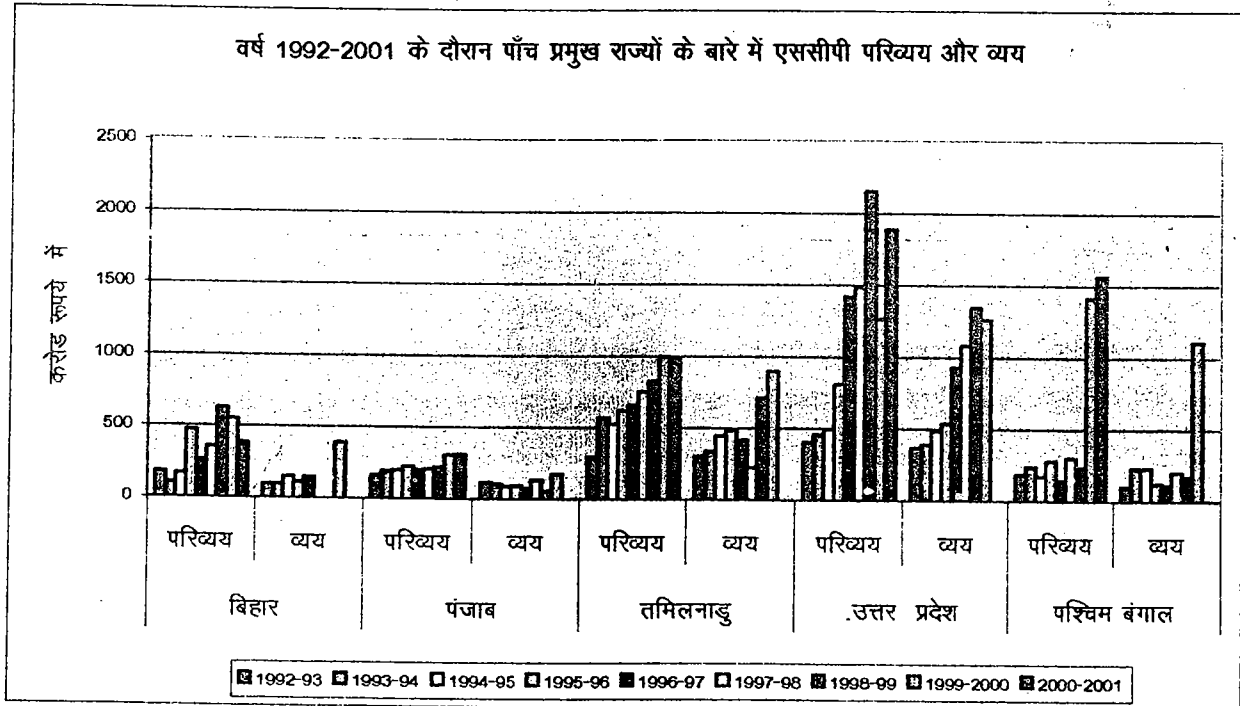
3.9.2 अनुबन्ध 3. III से यह देखा जा सकता है कि बहुत से राज्यों ने 1999-2000 में एस सी. पी. (विशेष संघटक योजना) के लिए जो व्यवस्था की थी, वह उनके राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में नहीं थी। इनमें आन्ध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, आदि जैसे राज्य शामिल हैं। गुजरात, गोवा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मामले में, जितने परियोजना की व्यवस्था की गई थी, वह उनकी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में आधा था। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और चंडीगढ़ के मामले ने भी, परियोजना उन राज्यों की अनु० जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में काफी कम था। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने एस सी पी के लिए रखे गए परियोजना का पूरा उपयोग किए जाने की रिपोर्ट दी है।

3.9.3 पंजाब और आन्ध्र प्रदेश के मामले में, परियोजना के उपयोग की भारी कटौती की गई। आन्ध्र प्रदेश में अनु० जाति की जनसंख्या 14.87 प्रतिशत है और वर्ष 1999-2000 में एस० सी० पी० के लिए 544.217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जो कुल परियोजना के 9.93 प्रतिशत के बराबर थी। एस० सी० पी० के अन्तर्गत 544.27 करोड़ रुपये के परियोजना की तुलना में केवल 189.42 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इस प्रकार, एस० सी० पी० के लिए जितने परियोजना की व्यवस्था की गई थी, उसका बहुत बड़ा भाग इस्तेमाल किए बिना पड़ा रहा। अगले वर्ष एस सी पी के लिए परियोजना को घटाकर 217.18 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो राज्य के 8228.12 करोड़ रुपये कुल योजना परियोजना का 2.64 प्रतिशत था। पंजाब के मामले में, वर्ष 1999-2000 में एस सी पी के लिए 304 करोड़ रुपये के परियोजना की व्यवस्था की गई थी जो राज्य के 2680 करोड़ रुपये के योजना परियोजना के 11.34 प्रतिशत के बराबर थी, जो राज्य में अनु० जाति की जनसंख्या के अनुपात से आधी से कम थी। राज्य में अनु० जाति की जनसंख्या इसकी कुल जनसंख्या का 28.31 प्रतिशत है। एस. सी. पी. के कार्यान्वयन के समय, इस परियोजना में और भी भारी कमी कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप, 1999-2000 में केवल 173.11 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। एस सी पी के कार्यान्वयन में, पंजाब के, जहां अनु० जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता देश में सबसे अधिक है और आन्ध्र प्रदेश, जहां अनु० जाति की जनसंख्या काफी अधिक है (1991 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ से अधिक है), घटिया कार्य निष्पादन से पता चलता है कि बहुत से राज्य अनुसूचित जातियों के विकास की ओर यथावांछित गम्भीरता से ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार, यह देखा जा सकता है कि असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मामले में भी एस. सी. पी. परियोजना का उपयोग बहुत

कम हुआ है। बहुत से राज्यों में एस. सी. पी. परिव्यय में कटौती किया जाना एक आम बात है, जिसके परिणामस्वरूप बजट अनुमानों में घोषित परिव्यय की तुलना में व्यय बहुत कम होता है। कुछ राज्यों से सम्बन्धित आंकड़े नीचे की तालिका से देखे जा सकते हैं:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बिहार		पंजाब		तमिलनाडु		उत्तर प्रदेश		पश्चिम बंगाल	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1992-93	180.09	95.05	164.06	113.11	293.00	300.44	404.99	367.56	185.73	100.05
1993-94	104.00	94.74	195.00	105.88	563.61	335.28	456.91	388.92	237.13	229.54
1994-95	166.69	152.23	200.07	87.42	523.06	443.19	492.24	482.49	174.35	232.49
1995-96	470.91	110.34	227.68	90.50	618.25	483.30	809.28	538.66	278.14	124.44
1996-97	260.30	144.17	205.00	75.59	652.39	416.90	1420.00	930.00	146.85	115.17
1997-98	354.79	0.00	210.00	134.59	752.23	224.35	1484.00	1082.55	300.38	204.91
1998-99	627.97	0.00	220.00	57.80	825.53	713.27	2159.81	1349.23	235.30	174.69
1999-2000	549.36	389.00	304.00	173.11	997.41	897.67	1261.35	1261.34	1414.14	1106.76
2000-2001	386.13		312.00		985.54		1889.53		1564.04	



3.9.4 यह देखा जा सकता है कि पंजाब योजना के शुरू होने के समय तय की गई विशेष संघटक योजना को कार्यान्वित करने में निरन्तर विफल रहा है। बिहार भी एस. सी. पी. को पूरी तरह से कार्यान्वित करने में नियमित रूप से विफल रहा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मामले में भी नियमित रूप से काफी अधिक कमी रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट प्रस्तुत करते समय अनुसूचित जातियों के लोगों को खुश करने के लिए एस सी पी के लिए काफी ऊँचे परिव्यय की घोषणा, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के किसी गम्भीर इरादे के बिना, कर दी जाती है। उसके बाद एस सी पी के कार्यान्वयन की पूर्णतः अवहेलना की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त तालिका में प्रस्तुत की गई तस्वीर उभरती है। स्पष्ट है कि बजट भाषण में एस. सी. पी. की घोषणा के बाद उसका कोई मानीटरिंग नहीं होता। पंजाब की यह विशेषता है कि वहां पहले राज्य की जनसंख्या की प्रतिशता के अनुसार एस.सी.पी. के लिए केवल आधी राशि तक के परिव्यय की व्यवस्था की जाती है यहां जनसंख्या के अनुसार लगभग 28 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर की तुलना में राज्य के योजना परिव्यय के लगभग 10-11 प्रतिशत के बराबर व्यवस्था की जाती है और तब कार्यान्वयन के स्तर पर इस अपर्याप्त परिव्यय में लगभग 50 प्रतिशत की और कमी कर दी जाती है।

3.9.5 चूंकि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्य सरकारों के सभी कार्यक्रम एस. सी. पी. के कार्यक्रम के अन्तर्गत है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम को कारगर बनाया जाए। इसके क्रियान्वयन के 20 वर्षों से भी अधिक वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की गति बहुत धीमी है और देश के अधिकांश लोगों में सुधार मुश्किल से ही दिखाई पड़ता है।

3.9.6 अनुसूचित जातियों की समस्याओं को कारगर ढंग से निपटने में एस.सी.पी. की विफलता का एक कारण, इस कार्यक्रम को तैयार करने का तरीका है। बहुत से राज्यों में, विभाग राज्य योजना के अन्तर्गत शामिल कार्यक्रमों अथवा स्कीमों के लिए निर्धारित परिव्यय का कुछ प्रतिशत भाग अलग कर देते हैं और उसे एस. सी. पी. के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं और ऐसा करते समय इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि क्या ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुसूचित जाति के विकास से कोई सीधा सम्बन्ध है या नहीं। परिव्ययों का यह मानकीय वर्गीकरण अक्सर अनुसूचित जातियों को पेश आ रही समस्याओं अथवा बाधाओं का गहराई से अध्ययन किए बिना किया जाता है।

3.9.7 राज्यों द्वारा तैयार की गई विशेष संघटक योजनाओं में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कोई समयबद्ध कार्यनीति नहीं होती है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं में अनुसूचित जाति की समस्याओं, उनके उत्थान के मार्ग में आ रही कठिनाइयों, उनकी क्षमताओं और उनके व्यवसायों की कार्य स्थितियों का पता नहीं लगाया जाता। इन विशेष संघटक योजनाओं में उनकी गरीबी को कम करने, उन्हें नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और एक निश्चित समयावधि में उन्हें आर्थिक रूप से समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं होते। सिफारिश की जाती है कि उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समान शिक्षा, जल आपूर्ति, बिजली, सफाई, आदि जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने, गरीबी का पूर्णतया उन्मूलन करने और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य वर्गों के बीच के अंतर को

आंकने के लिए साक्षरता-दर, शिशु मृत्युदर, अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचारों की मात्रा, उपभोग व्यय के अनुमानों और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए “अनुसूचित जाति मानव विकास सूचकांक तैयार करें, जिससे अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य वर्गों के विकास के बीच के अन्तर का अनुमान लगाया जा सकेगा और यह पता चल सकेगा कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए अभी और क्या प्रयास किए जाने की जरूरत है। ऐसी समयबद्ध कार्य-योजनाओं के बिना, एस0 सी0 पी0 के रूप में किए जाने वाले प्रयत्न अनुसूचित जातियों की स्थिति में कोई वास्तविक सुधार करने के लिए अपर्याप्त रहेंगे।

3.10 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस0 सी0 पी0 को एस0 सी0 ए0)

3.10.1 एस0सी0 पी0 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का मुख्य उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जातियों के परिवारों की उत्पादकता एवं आय को बढ़ाने और उनका व्यावसायिक विविधीकरण करने के लिए उनके परिवारों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके अनुसूचित जातियों के लोगों के त्वरित विकास को अतिरिक्त जोर देने हेतु राज्यों के प्रयत्नों की अनुपूर्ति की जाए। एस0 सी0 ए0 का उपयोग उन खंडों में, जहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, बुनियादी ढांचे के विकास के कार्यक्रमों के लिए इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि एस0 सी0 ए0 के आबंटनों का उपयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए कि इससे राज्य अनुसूचित जाति के विकास के लिए और बड़े पैमाने पर प्रयत्न करने के लिए उत्प्रेरित हों।

3.10.2 चूंकि एस0 सी0 ए0 100 प्रतिशत सहायता अनुदान की स्कीम है, इसलिए राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति के लिए इस केन्द्रीय सहायता का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। आठवीं योजना के दौरान 1344 करोड़ रूपए की राशि एस0 सी0 ए0 के रूप में रिलीज की गई थी। वर्ष 1997-98 में 308.26 करोड़ रूपए, 1998-99 में 361 करोड़ रूपए और 1999-2000 में 437 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी, जो पिछले वर्षों की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 2000-2001 के वित्तीय वर्ष के लिए 470 करोड़ रूपए की राशि नियत की गई है, जिसमें से 235 करोड़ रूपए की राशि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों को रिलीज की गई है। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में रिलीज की गई राशियों एवं उपयोग की गई राशियों और वर्ष 2000-2001 में रिलीज की गई राशियों का ब्यौरा अनुबन्ध 3. IV में दिया गया है।

3.10.3 अनुबन्ध 3. IV से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1998-99 में रिलीज की गई 36.20 करोड़ रूपए की राशि की तुलना में बिहार ने केवल 18.21 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग किया। राज्य सरकार ने सूचित किया कि वर्ष 1999-2000 में रिलीज की गई 34.71 करोड़ रूपए की राशि में से कोई राशि इस्तेमाल नहीं की गई। चूंकि इस स्कीम के अन्तर्गत और धनराशि उपयोग में प्रगति होने पर रिलीज की जाती है, इसलिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उपयोग की रिपोर्ट भेजने में विलम्ब होने से और धनराशि रिलीज करने में रुकावट आती है और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति में बाधा पड़ती है। यदि राज्य सरकार ने रिलीज की गई राशि का उपयोग नहीं किया है तो यह गम्भीर चिंता का विषय है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये धनराशियां 100 प्रतिशत

सहायता अनुदानों के रूप में होती है और ये समाज के उन वर्गों के विकास के लिए प्रदान की जाती है, जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है ।

3.10.4 गुजरात के मामले में भी, 1997-98 में 16.60 करोड़ रुपए की धनराशि रिलीज की गई और 6.81 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग हुआ । लेकिन 1998-99 में राज्य ने 3.71 करोड़ रुपए की जारी की गई राशि की तुलना में 11.37 करोड़ रुपए के उपयोग की रिपोर्ट दी और इस प्रकार गत वर्ष में धनराशियों के उपयोग में जो कमी हुई थी, उसे काफी हद तक पूरा कर दिया ।

3.10.5 मध्य प्रदेश ने 1997-98 में केवल 14.66 करोड़ रुपए का उपयोग किया, जबकि 19.45 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी । इसके बाद 1999-2000 में राज्य ने रिलीज की गई 23.03 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 19.36 करोड़ रुपए की सूचना दी । जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के तीन वर्षों के दौरान परिव्यय का काफी कम उपयोग हुआ है । मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भारत सरकार से अनुसूचित जाति के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में इस प्रकार के उदासीनतापूर्ण कार्य-निष्पादन से इस बात का पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रयास करने में इन राज्यों का रवैया कितना उपेक्षापूर्ण है । ये वे राज्य हैं, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या काफी अधिक है । महाराष्ट्र ने 1997-98 और 1998-99 में, उड़ीसा ने 1999-2000 में, पंजाब और राजस्थान ने 1998-99 में, तमिलनाडु ने 1999-2000 में और दिल्ली ने इन तीनों वर्षों में भारत सरकार द्वारा इन राज्यों को रिलीज की गई राशियों का कम उपयोग करने की रिपोर्ट दी है । आयोग इन राज्य सरकारों से अनुरोध करता है कि वे अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आबंटित की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का पूरा-पूरा उपयोग करें ।

3.11 केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा विशेष संघटक योजना (एस0सी0पी0)

3.11.1 केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे अपनी वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजनाएं तैयार करें । उनसे यह सुनिश्चित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उनके कुल योजना परिव्यय का कम से कम 15 प्रतिशत भाग विशेष संघटक योजना को प्राप्त हो । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत धनराशियाँ निर्धारित करने के लिए अलग बजट शीर्ष उपशीर्ष खोलें । मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस समय केवल 14 मंत्रालय/विभाग एस0 सी0 पी0 तैयार कर रहे हैं । 27 मंत्रालयों/विभागों ने विशेष संघटक योजना तैयार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, क्योंकि उनका विचार है कि उनके क्रियाकलापों को जाति-वार विभाजित नहीं किया जा सकता और वे वैयक्तिक लाभभोगी उन्मुख नहीं हैं । आयोग की सिफारिश है कि जिन मंत्रालयों/विभागों ने एस0 सी0 पी0 तैयार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, उनकी वार्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों को योजना आयोग द्वारा गठित स्थाई त्रिपक्षीय समिति के समक्ष, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग भी भाग ले, प्रस्तुत किया जाए, ताकि आयोग यह तसल्ली कर सके कि ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं हैं, जिन्हें ये मंत्रालय अनन्य रूप से अनुसूचित जाति के लाभ के लिए कार्यान्वित कर सकते हैं । उस मामले में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्यों द्वारा उपयोग हेतु एस.सी.पी. के

अन्तर्गत अनुपातिक निधियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास रखा जाना चाहिए।

3.12 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए संस्थागत वित्त

3.12.1 वित्त, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक सबसे विषम कठिनाई/बाधा है, जिसका कारण यह है कि इन समुदायों की पहचान उनके निम्न स्तर के वित्तीय आधार पर की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन० एस० एफ० डी० सी०) शिखर स्तर पर, राज्य स्तर पर अ० जाति विकास निगम और सहकारी समितियों के मुख्य अभिकरण हैं, जो अनुसूचित जातियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर रही है। इन संगठनों की शाखाओं का देश के सभी भागों में जाल फैला हुआ है और उन्होंने अनुसूचित जातियों को साहूकारों के पंजों से काफी हद तक बचाया है, जो अनुसूचित जाति के प्रमुख शोषणकर्ता हैं और उनकी भूमि हस्तान्तरण और उनके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। समाचार पत्रों में अभी हाल में हरियाणा में फरीदाबाद और अन्य स्थानों पर ईंटों के भट्टों में कर्ज द्वारा बंधुआ बनाए जाने की रिपोर्ट छपी है और बंधुआ व्यक्तियों को कुछ गैरसरकारी संगठनों के प्रयत्नों से मुक्त कराया गया है। अनुसूचित जाति के विकास के लिए वित्त के महत्व को देखते हुए, अनुसूचित जातियों को सहायता देने में एन० एस० एफ० डी० सी०, एस० सी० डी० सी०, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य- निष्पादन की जांच निम्नलिखित पैराग्राफों में की जा रही है।

3.13 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन० एस० एफ० डी.सी०)

3.13.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन० एस० एफ० डी० सी०) की स्थापना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को लाभ पहुँचाने वाले और आय-सृजन के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक कम्पनी के रूप में की गई थी। यह निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन परिवारों को, जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा की सीमाओं के दुगुने (इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 31,952/- रूपए प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 42,412/- रूपए प्रति वर्ष) से कम है, सहायता दे रहा है। एन० एस० एफ० डी० सी० राज्यों की माध्यम एजेंसियों, सामान्यतः एस० सी० डी० सी०, के माध्यम से रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एन० एस० एफ० डी० सी० द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि वर्ष 1999-2000 में एस० सी० डी० सी० को सहायता के संवितरण के लिए 200 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में केवल 100 करोड़ रूपए का संवितरण किया गया। वर्ष 2000-2001 के लिए केवल 110 करोड़ रूपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इससे अधिक राशि का संवितरण किया गया। एन० एस० एफ० डी० सी० द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्योरे से यह भी पता चलता है कि एन० एस० एफ० डी० सी० द्वारा सहायता का आन्ध्र प्रदेश के ए. पी० एस० सी० सी० एफ सी०, बिहार के बी. एस. एस० सी० सी० बी सी०, हरियाणा के एच० एच० के० एन० एल०, मध्य प्रदेश के एस० सी० एफ० डी० सी०, महाराष्ट्र के एम० पी० बी० सी० डी० सी०, उड़ीसा के ओ० एस० एफ० डी० सी०, राजस्थान के आर० एस० सी० डी० सी०, पंजाब के पी० एस० सी० एल० ई० एफ० सी०, तमिलनाडु के टी० ए० एच० डी० सी० ओ०, उत्तर प्रदेश के एस० सी० एफ० डी० सी० और पश्चिम बंगाल के डबल्यू बी० एस० सी० एस०

टी0 डी0 एफ0 सी0 द्वारा कम उपयोग किया गया। एन0 एस0 एफ0 डी0 सी0 द्वारा यह रिपोर्ट भी दी गई है कि वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए स्वीकृत और संवितरित की गई धनराशियों में काफी बड़ी राशि इस्तेमाल किए बिना पड़ी रही। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के निगमों ने बहुत घटिया निष्पादन किया है। एन0 एस0 एफ0 डी0 सी0 द्वारा वर्ष 2000-2001 के बारे में दी गई सूचना से पता चलता है कि इसके द्वारा संवितरित की गई 117.48 करोड़ रुपये की राशि में से 99.04 करोड़ रुपये (84 प्रतिशत) की राशि इस्तेमाल नहीं हुई। यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है और निगम को वर्ष के दौरान इतनी बड़ी राशियों के इस्तेमाल किए बिना पड़े रहने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए।

3.13.2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के व्यावसायिक स्वरूप (कैरियर प्रोफाइल) के बारे में प्रायोजित एक हाल के अध्ययन में यह देखा गया कि विद्यार्थियों को एन0 एस0 एफ0 डी0 सी0 और इसकी माध्यम एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जानकारी नहीं है। इसमें सुझाव दिया गया है कि वित्तीय सहायता के इस स्रोत के बारे में, जो राज्यों के अनुसूचित जाति विकास निगम (एस0 सी0 डी0 सी0) और राज्यों के अन्य माध्यम अभिकरणों द्वारा दी जाती है, सूचना का प्रचार प्रसार किए जाने की जरूरत है। एन एस एफ डी सी से सम्बन्धित लीफलेटो/पम्फलेटों को कालेजों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी कल्याण कार्यालय, रोजगार कार्यालयों के सूचना पट्टों पर लगाए/चिपकाए जा सकते हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को यह जानकारी प्रदान करने के लिए दूरदर्शन/समाचारपत्रों के माध्यम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

3.14 अनुसूचित जाति विकास निगम(एस0 सी0 डी0 सी0)

3.14.1 अनुसूचित जातियों के परिवारों का पता लगाने और उन्हें वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना की गई है, जिनकी इक्विटी पूंजी में केन्द्र और राज्य सरकारों की भागीदारी 49 : 51 के अनुपात में है। एस0 सी0 डी0 सी0 के मुख्य कार्यों में अनुसूचित जातियों के परिवारों का पता लगाना, उन्हें आर्थिक विकास की स्कीमों शुरू करने के लिए अभिप्रेरित करना, उन स्कीमों को ऋण सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास प्रायोजित करना, ब्याज की कम दर पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना, ताकि वापसी अदायगी की देनदारी को कम किया जा सके और गरीबी कम करने के अन्य कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना शामिल है। इस समय, एस0 सी0 डी0 सी0 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें 9 एस0 सी0 डी0 सी0 ऐसे हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

3.14.2 पंजाब राज्य अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इसने 1999-2000 में 28,200 लाभभोगियों और 2000-2001 में 26,731 लाभभोगियों को सहायता देना का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसकी तुलना में इन दो वर्षों में क्रमशः 7858 और 3482 व्यक्तियों को ऋण मंजूर किए गए और 7,963 और 3118 व्यक्तियों को वास्तव में संवितरण किए गए। जहां तक ऋण की राशि का सम्बन्ध है, 1999-2000 और 2000-

2001 के लिए क्रमशः 61 करोड़ रुपए और 58 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जिनकी तुलना में इन दो वर्षों में क्रमशः 16.88 करोड़ रुपए और 10.87 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए और 17.34 करोड़ रुपए और 9.30 करोड़ रुपए के संवितरण किए गए। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों और मंजूर तथा संवितरित ऋणों के बीच भारी अंतर है। निगम द्वारा संचालित सभी स्कीमों में कमियां हैं। जहां तक ऋणकर्ताओं की आय बढ़ाने में ऋणों की प्रभावकारिता का सम्बन्ध है, निगम ने एक लाभभोगी का उदाहरण दिया है जो पटियाला में एक सड़क के किनारे जूते गाठने का काम करता था और जिसकी वार्षिक आय 2000 रुपए थी। निगम ने वर्ष 1994 में उसे एक लाख रुपए का ऋण दिया और उसने किराए की एक दुकान में जूते बनाने का काम शुरू किया और 1999 तक न केवल अपने लिए एक अच्छा धंधा स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। बल्कि अपने भाई की ऐसा ही धंधा स्थापित करने में सहायता की। अब उसकी मासिक आय 15,000/- रुपए है और उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक अन्य लाभभोगी, हरबंस लाल, 1500/- रुपए की मासिक नौकरी पर एक बैंड पार्टी के साथ काम करता था। निगम से ऋण ले कर उसने स्वयं अपनी बैंड पार्टी बनाई और उसके राम बैंड से उसे अपने 15,000/- रुपए महीने और अपने दो बेटों के लिए, जो उसके भागीदार हैं, 8,000-8,000 रुपए की मासिक आय हो रही है। इन अलग-अलग मामलों से अनुसूचित जातियों को आशा की किरण दिखाई देती है और यदि निगम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित जोश प्रदर्शित करे तो यह समाज के सबसे अधिक जरूरतमंद वर्गों की काफी मदद कर सकता है।

3.14.3 हरियाणा अनु० जाति विकास निगम ने वर्ष 1999-2000 में 12650 लाभभोगियों को सहायता देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह वर्ष के अंत तक केवल 3935 व्यक्तियों को सहायता दे सका। वर्ष 2000-2001 में कार्य निष्पादन बेहतर रहा, जब 12,000 लाभभोगियों के लक्ष्य की तुलना में 11,188 लाभभोगियों को सहायता दी। कमी का कारण, एस० सी० ए० के अन्तर्गत शेयर पूंजी के रूप में बजट में रखी गई राशि का प्राप्त न होना बताया गया है। अगस्त 1998 से मई 2001 तक की अवधि में निगम ने अपने तीन प्रबन्ध निदेशक बदले। उच्च प्रबन्धकीय स्तर पर इतने बार-बार परिवर्तनों से निगम के सुचारु संचालन में सहायता नहीं मिल सकती। निगम के पास अपने प्रशासनिक व्यय को पूरा करने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। यह विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग (1998-99 से) अपने प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए कर रहा है। गरीब अनुसूचित जातियों को सहायता देने के लिए निर्धारित राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए करना एक गम्भीर मामला है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3.14.4 बिहार राज्य अनु० जाति सहकारी विकास निगम ने 1999-2000 में अनुसूचित जातियों के 15000 व्यक्तियों और 2000-2001 में 15000 और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। उपलब्धि क्रमशः 1156 और 351 व्यक्तियों की थी। इसी प्रकार, 8.58 करोड़ रुपए की सब्सिडी के वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि 65 लाख रुपए की थी। निगम ने लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी का कारण यह बताया है कि सरकार द्वारा धनराशियां रिलीज नहीं की गई थी। निगम ने सब्सिडी की राशि को 6000 रुपए से बढ़ा कर 10,000 रुपए करने का सुझाव दिया है और उसका विचार है कि निगम के कर्मचारियों की संख्या क्षेत्र और कार्य को देखते हुए पर्याप्त नहीं है और यह भी कहा है कि उसे अपने स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। निगम ने यह भी कहा है कि जिला स्तर पर बैंक उसके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

3.14.5 कर्नाटक अनु० जाति/अनु० जनजाति विकास निगम ने 190 करोड़ रुपए की राशि से 17,118 लाभभोगियों को सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसकी तुलना में वास्तविक रूप से, कुल 55.49 करोड़ रुपए के व्यय से अनु० जाति के 12,630 व्यक्तियों को सहायता दी गई। वापसी अदायगी की प्रतिशतता बहुत कम अर्थात् 27 प्रतिशत है। निगम को अपने सहायता पैकेज को आई० आर० डी० पी० और डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए० कार्यक्रम के साथ जोड़ने/एकीकृत करने पर विचार करना चाहिए। निगम ने सूचित किया है कि राज्य सरकार अपना समतुल्य अंशदान सामान्य समय पर रिलीज कर रही है। पिछले तीन वर्षों में निगम के प्रबन्ध निदेशक को बार-बार बदला गया है। प्रबन्ध निदेशक को इस प्रकार बदले जाने से निगम के सुचारु कार्यचालन में और निगम द्वारा दीर्घकालिक ऋण योजनाएं तैयार करने के काम में बाधाएं आती हैं।

3.14.6 पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास निगम ने वर्ष 1999-2000 में अनुसूचित जातियों के 70,000 लाभभोगियों और वर्ष 2000-2001 में 108000 व्यक्तियों को सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसकी तुलना में 1999-2000 में 50879 व्यक्तियों को सहायता दी गई। वित्तीय रूप में वर्ष 1999-2000 में उपलब्धि 54.89 करोड़ रुपए की थी, जबकि लक्ष्य 87 करोड़ रुपए का था।

3.14.7 केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति विकास निगम ने सरकार द्वारा कम राशि आबंटित किए जाने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति में कमी रह जाने की सूचना दी है। निगम ने रिपोर्ट दी है कि मुख्य समस्या निगम द्वारा लाभभोगियों के साथ करार निष्पादित करने में उत्पन्न होती है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के गरीब लोग बहुत से मामलों में रोजगार प्रतिभूतियां अथवा सम्पाश्विक प्रतिभूतियां समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाते।

3.14.8 असम राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड ने 1999-2000 और 2000-2001 में भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी रह जाने की रिपोर्ट दी है। निगम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली बहुत सी स्कीमों के बारे में यह बताया गया है कि निगम को विशेष केन्द्रीय सहायता वर्ष के अन्तिम भाग में पूरक मांगों के अन्तर्गत प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार एन० एस० एफ० डी० सी० द्वारा एन० एस० एफ० डी० सी० के ऋण कार्यक्रम, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियां रिलीज करने में विलम्ब हुआ था। निगम को राज्य सरकार से समतुल्य सहायता मिलना बन्द हो जाने के कारण, उसे अपने ऊपरी खर्च को पूरा करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

3.15 सरकारी क्षेत्र के बैंक

3.15.1 प्राथमिक क्षेत्र मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने कुल अग्रिमों में से कम से कम 10 प्रतिशत अग्रिम समाज के कमजोर वर्गों को दें, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग शामिल है। आर० बी० आई० ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऋणकर्ताओं को दिए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक अग्रिमों की, मार्च 2000 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, जो सूचना दी है, वह नीचे की तालिका में दी गई है:-

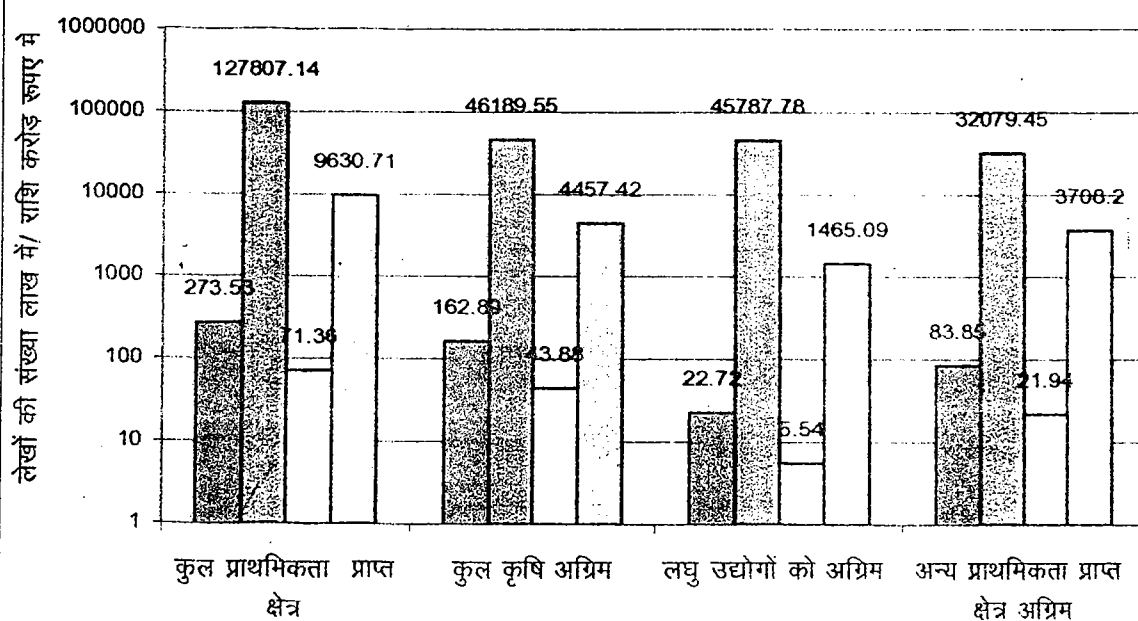
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनु० जाति/ अनु० जनजाति के ऋणकर्ताओं को दिए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक अग्रिम - मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार

(लेखों की संख्या लाख में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र का नाम	कुल अग्रिम		अनु० जाति / अनु० जनजाति को अग्रिम		अनु० जाति / अनु० जनजाति को दिए गए अग्रिमों की प्रतिशतता	
	लेखों की संख्या	बकाया राशि	लेखों की संख्या	बकाया राशि	लेखों की संख्या	बकाया राशि
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	273.53	127807.14	71.36	9630.71	26.09	7.54
कुल कृषि अग्रिम	162.89	46189.55	43.88	4457.42	26.94	9.65
लघु उद्योगों को अग्रिम	22.72	45787.78	5.54	1465.09	24.38	3.20
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	83.85	32079.45	21.94	3708.20	26.17	11.56

मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ऋणकर्ताओं को दिए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक अग्रिम



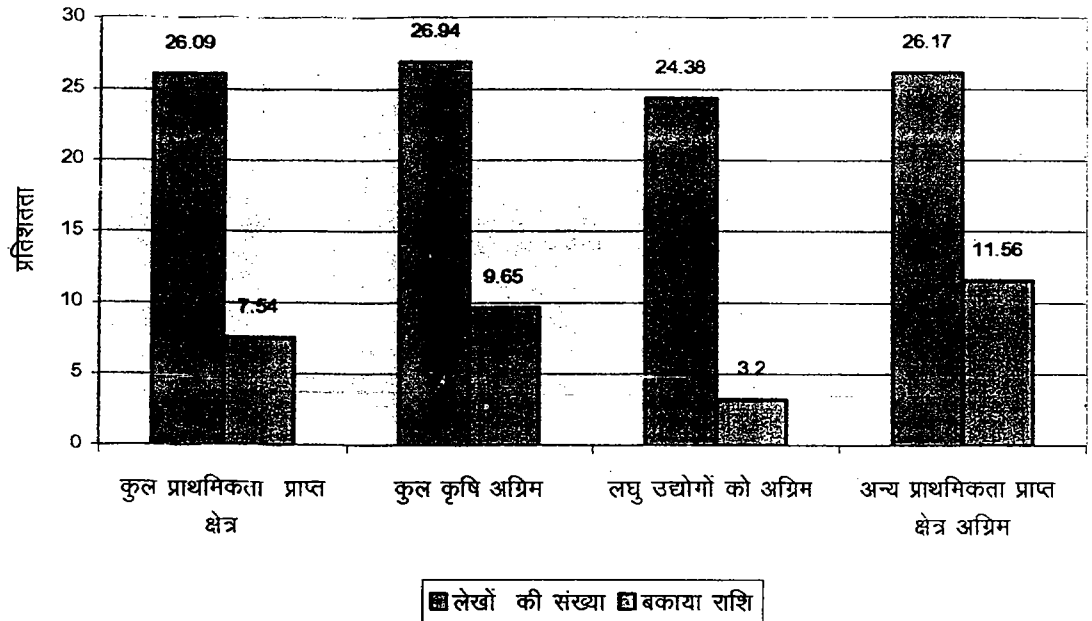
■ कुल अग्रिम लेखों की संख्या

■ कुल अग्रिम बकाया राशि

□ अनु० जाति / अनु० जनजाति को अग्रिम लेखों की संख्या

□ अनु० जाति / अनु० जनजाति को अग्रिम बकाया राशि

मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा अनु० जाति/ अनु० जनजाति के ऋणकर्ताओं को दिए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक अग्रिम की प्रतिशतता



तालिका से यह देखा जा सकता है कि मार्च, 2000 के अंत तक बकाया कुल राशि की 7.54 प्रतिशत राशि के ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऋणकर्ताओं को दिए गए हैं। यह कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। तालिका में यह भी दर्शाया गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक में 26 प्रतिशत खाते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऋणकर्ताओं के थे और उनके प्रति बकाया राशि कुल अग्रिमों के 7.54 प्रतिशत के बराबर थी, जिसका अर्थ यह है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋणों की राशि औसत रूप से, अन्य वर्गों के ऋणकर्ताओं को दिए गए ऋणों की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा, लघु उद्योगों को दिए गए ऋणों के मामले में 24 प्रतिशत ऋणकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे, जबकि लघु उद्योगों के मामले में कुल बकाया राशि में उनका हिस्सा केवल 3.20 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो, बैंकों को निम्नलिखित मार्ग-निर्देश जारी किए हैं

- i अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों का भाग है। बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अपने अग्रिमों का अनुपात बढ़ा कर 40 प्रतिशत तक लाएं और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिमों का स्तर कुल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत तक पहुंचना चाहिए।

- ii डी0 आर0 आई0 अग्रिम का 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को दिए जाने चाहियें ।
- iii एस0 जी0 एस0 वाई0 के अन्तर्गत सहायता पाने वाले कम से कम 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के होने चाहिए ।
- iv पी0 एम0 आर0 वाई0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 22.5 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है ।
- v एस0 जे0 एस0 आर0 वाई0 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को स्थानीय लोगों में उनकी संख्या के अनुपात में अग्रिम दिए जाने चाहिए ।
- vi डी0 आर0 आई0 स्कीम के अन्तर्गत बैंको द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के मकानों के निर्माण के लिए 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती दर पर 5,000/- रूपए तक के ऋण दिए जाते हैं ।
- vii यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आवेदन बिना किसी वैध कारण के नामंजूर न किए जाएं, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि ऐसे प्रस्तावों के मामले में, आवेदनों को बैंक प्रबन्धक से उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा नामंजूर किया जाना चाहिए ।
- viii बैंकों से कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन स्कीम /स्वरोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों से ऋण के लिए जो आवेदन प्राप्त हों, वे उन पर विचार करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों द्वारा रकम जमा कराए जाने पर जोर न दें ।
- ix बैंक कर्मचारियों को फार्म भरने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में गरीब ऋणकर्ताओं को सहायता देनी चाहिए, ताकि वे बिना किसी विलम्ब के ऋण सुविधा प्राप्त कर सकें ।
- x बैंकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए राज्य अभिकरणों द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ।
- xi बैंक कर्मचारी अनपढ़ ऋणकर्ताओं से सम्पर्क करें और उन्हें बताएं कि स्कीमों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं और उनसे क्या लाभ प्राप्त होंगे ।
- xii ऋण नियोजन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिये । इन समुदायों के लिए उपयुक्त विश्वसनीय और स्कीमों तैयार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए ।
- xiii बैंकों के मुख्य कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए ऋणों की वापसी के आधार पर शाखाओं से प्राप्त विवरणियों और अन्य डाटा के आधार पर, समय-समय समीक्षा करनी चाहिए ।
- xiv बैंकों से कहा गया है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों को ऋण की उपलब्धता को मानीटर करने के लिए मुख्यालयों में विशेष कक्ष स्थापित करें ।

xv संयोजक बैंकों (एस. एल. बी. सी.) से कहा गया है कि वे एस0 एल0 बी0 सी0 की बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि को आमंत्रित करें ।

xvi बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों के बारे में तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करते हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऋणकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों से सम्बन्धित डाटा अलग से शामिल होता है ।

3.15.2 बैंक अग्रिमों के मामले में इन मार्गनिर्देशों में अनु0 जाति/ अनु0 ज0जाति के व्यक्तियों को उच्च प्राथमिकता दी गई प्रतीत होती है । लेकिन नरसिंहम समिति (1991) की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकिंग क्षेत्र में बहुत से सुधार शुरू किए गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ऋणों की वसूली में सुधार करना और बैंकों की लाभकारिता को बढ़ाना है । अब तक जो विशिष्ट कार्रवाई की गई है, उसमें बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज दरों पर से प्रतिबन्ध हटाना और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों पर दिए जाने वाले जोर को कम करना शामिल है । वस्तुतः नरसिंहम समिति ने सिफारिश की थी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों के लक्ष्य को 40 प्रतिशत के स्तर से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए । योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में नरसिंहम समिति के इस सुझाव का विरोध किया था । लेकिन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण देने की प्रवृत्तियों से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कोई सन्तोषजनक चित्र उपस्थित नहीं होता । वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए डाटा से पता चलता है कि मार्च, 1995 के अंत में कृषि क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 57.74 लाख ऋणकर्ता थे । इन ऋणकर्ताओं की संख्या घट कर मार्च, 2000 तक 43.88 लाख रह गई है । लघु उद्योगों के मामले में, मार्च 1995 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऋणकर्ताओं की संख्या 9.15 लाख थी, जो मार्च, 2000 में 5.54 लाख हो गई है । अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मामले में, मार्च, 1995 के अंत में 32.26 लाख ऋणकर्ता थे, जिनकी संख्या कम हो कर मार्च, 2000 तक 21.94 लाख हो गई । इस प्रकार, 1995 से पांच वर्ष तक की अवधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऋणकर्ताओं की संख्या में काफी अधिक कमी हुई है । यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पहले कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दिए जाने वाले अग्रिमों में भेद किया जाता था । अब इस भेद को समाप्त कर दिया गया है । इसके परिणामस्वरूप, कृषि वस्तुओं का व्यापार करने वाले बड़े व्यापारियों को ऋण के रूप में दी गई राशि को कृषि अग्रिम माना जाएगा । यह पता लगाना कठिन होगा कि कितने अग्रिम समाज के कमजोर वर्गों को प्राप्त हुए हैं । यह दोहराया जाता है कि वर्ष 1969 से अर्थात् बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों ने समाज के कमजोर वर्गों की महत्वपूर्ण सेवा की है । अनुसूचित जाति के लोगों को सहायता देने में बैंकों की भूमिका को कम करने से साहूकारों के प्रति इन लोगों की कर्जदारी में वृद्धि हो जाएगी, जिससे ये गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे और उनके बंधुआपन और भूमि के हस्तान्तरण के लिए इसके परिणाम बड़े गम्भीर होंगे ।

3.15.3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी0एम0आर0वाई0) के लिए, जो दिनांक 2 अक्टूबर, 1993 से लागू है और जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करना है, श्रृण दे रहे हैं । इस स्कीम का उद्देश्य उद्योग, सेवा और व्यापार के क्षेत्रों में स्वरोजगार के कामधंधों की स्थापना में सहायता देना है । 18 से 35 वर्ष तक की आयु वाले बेरोजगार शिक्षित युवा इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं । लेकिन, उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में आयु की शर्त में ढील दे कर उसे 18 से 40 वर्ष बना दिया गया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से

विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के मामले में 18 से 45 वर्ष की आयु वाल बेरोजगार युवा सहायता पाने के पात्र हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वैयक्तिक ऋणकर्ताओं के मामले में व्यापार के क्षेत्र और अन्य गतिविधियों के लिए विद्यालय के संबंध में 1 लाख रुपए तक परियोजना लागत को कवर किया जाता है, जो भागीदारी के मामले में 10 लाख रुपए तक जा सकती है और सब्सिडी के रूप में अधिकतम 7,500 रुपए की राशि प्रति उद्यमकर्ता को दी जाती है। इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत तक आरक्षण की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में बैंको द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगो का मंजूर और संवितरित ऋणों का ब्योरा नीचे की तालिका में दिया गया है:

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत संवितरित ऋण

	1999-2000			2000-2001		
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	प्राइवेट बैंक	जोड़	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	प्राइवेट बैंक	जोड़
स्वीकृत ऋण						
क. लेखों की संख्या						
कुल	246742	11075	257817	84777	4881	89658
अनु० जाति/ अनु० जनजाति	43430	849	44279	11649	237	11886
%	17.60%	0.08%	17.17%	13.74%	4.86%	13.26%
ख. ऋण की राशि						
कुल	1604.02	67.56	1671.59	548.17	30.50	578.66
अनु० जाति/ अनु० जनजाति	264.88	4.19	269.07	89.25	1.22	90.47
%	16.51%	6.20%	16.10%	16.28%	4.00%	15.63%
2. संवितरित ऋण						
क. लेखों की संख्या						
कुल	176031	8835	184861	44717	3347	48064
अनु० जाति/ अनु० जनजाति	28435	528	28963	6341	164	6505
%	16.15%	5.98%	15.67%	14.18%	4.90%	13.53%
ख. संवितरित राशि						
कुल	1080.20	53.49	1133.69	274.25	20.50	294.75
अनु० जाति/ अनु० जनजाति	160.61	59.88	160.81	36.31	0.78	37.09
%	14.81%	111.95%	58.64%	13.24%	3.80%	12.58%

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋणों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

3.16 अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और अनुसूचित जातियों पर उसका प्रभाव

3.16.1 वर्ष 1991 से भारत सरकार ने, मुख्यतः उस समय विदेशी मुद्रा की भारी तंगी के कारण, आर्थिक सुधार शुरू किए हैं। इस एक दशक की अवधि में सरकार ने आर्थिक सुधारों को और

जोरदार बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें अर्थ-व्यवस्था को विश्व प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना, करों को युतिसंगत बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण, सब्सिडियों को घटा कर व्यय को नियंत्रित करना और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या घटाना शामिल है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में काफी उंची दर से संवृद्धि हुई है। लेकिन उच्च आर्थिक संवृद्धि अपने आप गरीबों तक नहीं पहुंचती, इस बात को भारतीय नीति-निर्माताओं द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू करते समय स्वीकार किया गया था। महालनोबिस समिति द्वारा 1964 में और हजारी समिति द्वारा 1967 में की गई पूर्व जांचों में यह देखा गया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का मार्ग-निर्देश प्रधान रूप से मुनाफो को अधिक से अधिक बढ़ाने के सिद्धान्त से होता है, जिससे असमानताओं में और वृद्धि होती है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान की दृष्टि से यह बात महत्वपूर्ण है कि आर्थिक सुधारों और उसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के लाभ अनुसूचित जातियों को उपलब्ध हों, जो गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब हैं। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में यह कहा कि दिल्ली के रिक्शाचालकों ने भारत सरकार की आर्थिक नीतियों में कोई परिवर्तन महसूस नहीं किया है। दूसरी ओर, इनमें से कुछ परिवर्तनों से अनुसूचित जातियों को भारी आघात पहुंचने की संभावना है।

3.16.2 भारत सरकार द्वारा बजट के ढांचे का पुनर्गठन करने का एक साधन सब्सिडियों, विशेष रूप से खाद्यान्नों और उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडियों, को कम करना है। विश्व व्यापार संगठन के करार के बाद, कृषि निविष्टियों और खाद्यान्नों पर दी जाने वाली सब्सिडियों को घटाने के लिए और दबाव पड़ेगा। जैसाकि पहले नोट किया गया था, अनुसूचित जातियों के लोगों में लघु और सीमान्तिक किसानों की संख्या बहुत अधिक है। ये किसान उर्वरकों का उपयोग बहुत कम पैमाने पर करते हैं और उर्वरक सम्बन्धी सब्सिडी को कम करने और उसके परिणामस्वरूप उनकी कीमतों में वृद्धि होने से ये किसान उर्वरकों का उपयोग करने में हतोत्साहित होंगे। इसलिए सुझाव दिया जाता कि सब्सिडियों को आमूलचूल वापस लेने की बजाय यह उचित होगा कि ये सब्सिडियां गरीबों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को दी जाएं। इन सब्सिडियों के वितरण में चोरी और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए सामाजिक उत्तरदायिता का इस्तेमाल किया जा सकता है।

3.16.3 इस समय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की नीति केवल सरकारी क्षेत्र में लागू होती है और इसका विस्तार गैर-सरकारी क्षेत्र तक नहीं किया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने के प्रयास शुरू किए हैं और सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करने का फैसला भी किया है। संगठित क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1983 से 1987-88 तक की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में 12.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई थी, जबकि इसकी तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र में इसमें वृद्धि की दर 0.43 प्रतिशत थी। वर्ष 1990 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की दर घट कर वर्ष 1997 में 0.67 प्रतिशत रह गई थी, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में यह दर 2.04 प्रतिशत थी। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भी निजीकरण किया जा रहा है, इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि गैर-सरकारी पार्टियों के साथ समझौता - ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय, भारत सरकार को उसमें एक खंड यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल करना चाहिए कि उद्यम का निजीकरण होने के बाद उसमें आरक्षण की नीति को कार्यान्वित किया जाता रहेगा।

दूसरे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे गैर-सरकारी संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में समाज के अन्य वर्गों के साथ स्पर्धा कर सकें। भारत सरकार ने हाल ही में, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी कंपनियों को आय में 100 प्रतिशत तक रियायत देने की घोषणा की है। आयोग सिफारिश करता है कि सरकार को अनुसूचित जाति के लोगों की बहुलता वाले पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे और संस्थान स्थापित करने की हिदायत जारी करनी चाहिए और अनुसूचित जातियों को इन संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ताकि वे संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

3.17 अनुसूचित जातियों की गरीबी से जुड़ी हुई एक समस्या यह है कि बच्चों को अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत छोटी और कोमल आयु में काम करना पड़ता है। श्रम मंत्रालय ने वर्ष 1999-2000 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह रिपोर्ट दी है कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 112.8 लाख काम करने वाले बच्चे हैं। वर्ष 1987-88 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में काम करने वाले बच्चों की संख्या 17.02 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन गैर-सरकारी अनुमानों के अनुसार, देश में काम करने वाले बच्चों की संख्या 40 से 100 मिलियन के बीच है। उनके पुनर्वास के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों ने देखा है कि काम करने वाले इन बच्चों में बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जाति के बच्चों की है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय और बच्चों को खतरे वाले उद्योगों में काम पर लगाने का निषेध करने वाले कानूनों के बावजूद, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बहुत कम मजदूरी पर शोषणकारी स्थितियों में काम करते आ रहे हैं।

3.18 भारत के उच्चतम न्यायालय ने लेख्य याचिका संख्या 465/1986 के मामले में दिनांक 10.12.1996 के अपने निर्णय में निर्देश दिए थे कि खतरे वाले व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों को किस तरीके से काम से हटाया जाना है और उनका पुनर्वास किया जाना है। इन निर्देशों में से एक निर्देश में बाल श्रम (निषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए गए प्रत्येक बालक के लिए अपराधी नियोजक द्वारा 20,000 रुपये के मुआवजे की अदायगी करना शामिल है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में बाल श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के निर्देश दिए थे। न केवल घोर गरीबी, बल्कि अनाकर्षक और घटिया रख रखाव वाले स्कूल, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, ये वे प्रमुख कारण हैं, जिनके परिणामस्वरूप बच्चे श्रम बाजार में पहुंचते हैं। प्रोब ने बताया है कि अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ सबसे पहले स्कूलों में प्रवेश के मामले में और फिर स्कूल के अन्दर भेदभाव किया जाता है। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक एक गैर सरकारी संगठन ने यह देखा है कि मौजूदा कानूनों को लागू करने में, जो खतरे वाले व्यवसायों में बच्चों को लगाने का निषेध करते हैं, भारत की घोर असफलता से संकेत मिलता है कि समस्या इरादे की है, अवसर की नहीं। इन स्थितियों में जातिगत पूर्वाग्रहों के कारण अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। यदि कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाए, तो बच्चों को कालीन बुनाई, कांच निर्माण, पटाखा और आतिशबाजी उद्योग, ईटों के भट्टों और खानों और ढाबों, रेस्टोरेंटों में और घरेलू नौकरों के रूप में काम करने से मुक्ति दिलाई जा सकती है।

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का राज्यवार ब्योरा

क्र.सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1991 में अनु० जाति की जनसंख्या	वर्ष 1991 की कुल जनसंख्या की तुलना में अ० जा० जनसंख्या की प्रतिशतता	वर्ष 1981 की कुल जनसंख्या की तुलना में अ० जा० जनसंख्या की प्रतिशतता	वर्ष 1991 की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या के रूप में राज्य में अनु० जाति की जनसंख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनु० जाति जनसंख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	105.92	15.93	14.87	7.66	82.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	.04	0.47	0.46		70.53
3.	असम	16.59	7.40		1.20	86.18
4.	बिहार	125.71	14.56	14.51	9.10	90.98
5.	गोवा	.24	2.08	2.05	0.02	52.32
6.	गुजरात	30.60	7.41	7.15	2.21	62.06
7.	हरियाणा	32.50	19.75	19.07	2.35	82.29
8.	हिमाचल प्रदेश	13.10	25.34	24.62	0.95	93.67
9.	जम्मू व कश्मीर					
10.	कर्नाटक	73.69	16.38	15.07	5.33	76.60
11.	केरल	28.865	9.92	10.01	2.09	81.48
12.	मध्य प्रदेश	96.26	14.54	14.10	6.96	78.14
13.	महाराष्ट्र	87.57	11.10	7.14	6.34	63.39
14.	मणिपुर	.37	2.02	1.25	0.03	47.72
15.	मेघालय	.09	0.51	0.41	0.01	54.81
16.	मिजोरम	.01	0.10	0.03		65.99
17.	नागालैंड					
18.	उड़ीसा	51.29	16.20	14.66	3.71	89.26
19.	पंजाब	57.42	28.31	26.87	4.15	79.45
20.	राजस्थान	76.07	17.29	17.04	5.50	80.21
21.	सिक्किम	.24	5.93	5.78	0.02	88.58
22.	तमिलनाडु	107.12	19.18	18.35	7.75	78.68
23.	त्रिपुरा	4.51	16.36	15.12	0.33	84.16
24.	उत्तर प्रदेश	292.76	21.04	21.16	21.18	88.21
25.	पश्चिम बंगाल	160.80	23.62	21.99	11.63	84.61
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह					
27.	चंडीगढ़	1.06	16.51	14.09	0.08	13.34
28.	दादर व नगर हवेली	.02	1.97	1.97		82.16
29.	दमण व दीव	.03	3.83	3.56		61.55
30.	दिल्ली	17.94	19.05	18.03	1.30	11.57
31.	लक्षद्वीप					
32.	पांडिचेरी	1.31	16.25	15.99	0.10	59.21
	अखिल भारत	1382.23	16.48	18.81	100	81.28

अनुबंध -3.II

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता - 1993-1994
(शासकीय पद्धति के अनुसार)

क्र सं०	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.02	25.66	43.82	46.68
2.	असम	45.38	41.44	14.34	7.11
3.	बिहार	70.66	69.75	55.16	35.76
4.	गुजरात	32.26	31.20	44.99	35.47
5.	हरियाणा	46.56	41.55	23.58	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	36.89	63.94	18.52	0.00
7.	कर्नाटक	46.36	37.33	61.59	62.05
8.	केरल	36.43	37.34	31.59	1.08
9.	मध्य प्रदेश	45.83	56.69	65.00	65.28
10.	महाराष्ट्र	51.64	50.58	52.56	61.06
11.	उड़ीसा	48.95	71.26	47.45	64.85
12.	पंजाब	22.08	27.00	27.96	0.00
13.	राजस्थान	38.38	46.23	48.63	13.21
14.	तमिलनाडु	44.05	44.37	61.50	30.08
15.	उत्तर प्रदेश	58.99	37.11	58.02	36.88
16.	पश्चिम बंगाल	45.29	61.95	37.73	19.41
	अखिल भारत	48.11	51.94	49.48	41.14

टिप्पणी: (i) अनुमान, गरीबों की संख्या और अनुपात का अनुमान विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में रेखांकित प्रणाली पर आधारित है।

(ii) पूरी जनसंख्या के लिए गरीबी रेखा अ० जा० और अ० ज० जा० के लिए उपयोग की जाती है।

(iii) अखिल भारत गरीबी अनुपात, व्यक्तियों का एन. एस. एस. वितरण और (इम्प्लिसिट) अखिल भारत गरीबी रेखा से निकाला गया है।

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के दौरान विशेष संघटक योजना
(एस. सी. पी.) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार परिव्यय और व्यय

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99			1999-2000		
		कुल योजना परिव्यय	एस.सी.पी. परिव्यय	एस.सी.पी. व्यय	कुल योजना परिव्यय	एस.सी.पी. परिव्यय	एस.सी.पी. व्यय
1	आंध्र प्रदेश	4688	573.46	632.48	5553	575.25	उपलब्ध नहीं
2	असम	1203	0.00	0.00	.00	0.00	उपलब्ध नहीं
3	बिहार	3768	627.97	0.00	3630	594.36	उपलब्ध नहीं
4	गोवा	171	1.84	1.81	188	2.65	उपलब्ध नहीं
5	गुजरात	5450	199.55	165.38	6550	260.82	उपलब्ध नहीं
6	हरियाणा	2260	365.37	351.28	2300	407.47	उपलब्ध नहीं
7	हिमाचल प्रदेश	1425	172.81	162.43	1600	190.09	उपलब्ध नहीं
8	जम्मू व कश्मीर	5353	400.50	318.24	5888	442.77	उपलब्ध नहीं
10	केरल	3100	304.01	297.80	3250	301.46	उपलब्ध नहीं
11	मध्य प्रदेश	3005	315.79	263.09	3316	390.23	उपलब्ध नहीं
12	महाराष्ट्र	11600	608	482.65	6642	640	उपलब्ध नहीं
13	मणिपुर	425	0.22	0.20	475	7.04	उपलब्ध नहीं
14	उड़ीसा	3084	322.15	304.31	3310	347.78	उपलब्ध नहीं
15	पंजाब	2500	220	57.02	2680	242	उपलब्ध नहीं
16	राजस्थान	4100	688.74	606.95	5022	797.41	उपलब्ध नहीं
17	सिक्किम	194	0.06	0.06	137	0.52	उपलब्ध नहीं
18	तमिलनाडु	4500	825	713.27	5251	997.41	उपलब्ध नहीं
19	त्रिपुरा	440	40.88	43.45	490	49.48	उपलब्ध नहीं
20	उत्तर प्रदेश	10260	2159.81	1349.23	11400	2394	उपलब्ध नहीं
21	पश्चिम बंगाल	4595	223.30	174.69	5753	1414.14	उपलब्ध नहीं
22	चंडीगढ़	00	12.87	9.37	151	14.19	उपलब्ध नहीं
23	दिल्ली	00	0.00	0.00	3000	245.30	उपलब्ध नहीं
24	पांडिचेरी	241	0.33	0.33	312	0.44	उपलब्ध नहीं
	कुल	74264	8075.19	5898.04	76970	10278.30	उपलब्ध नहीं

अनुबंध-3.IV

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को जारी की गई राज्यवार
विशेष केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1.	आंध्र प्रदेश	2680.13	2680.13	3388.78	4335.20
2.	असम	142.18	112.00	596.66	362.00
3.	बिहार	2808.20	4939.40	3620.07	1820.93
4.	गोवा	1659.99	680.56	371.40	1136.79
5.	गुजरात	3.83	1.16	2.72	1.90
6.	हरियाणा	546.41	644.69	741.77	705.93
7.	हिमाचल प्रदेश	256.91	229.60	259.56	229.60
9.	जम्मू व कश्मीर	1389.35	1434.61	1820.07	1820.07
10.	केरल	645.94	576.05	724.54	561.23
11.	मध्य प्रदेश	1945.24	1465.66	2237.08	2437.08
12.	महाराष्ट्र	1922.45	1643.61	1673.92	870.94
13.	मणिपुर	6.58	6.58	10.62	8.43
14.	उड़ीसा	1925.47	1925.47	2281.57	2295.99
15.	पंजाब	0	887.82	1119.74	486.47
16.	राजस्थान	2279.81	2308.28	2575.48	2357.68
17.	सिक्किम	4.44	4.44	4.03	6.12
18.	तमिलनाडु	1756.90	1766.97	3236.93	3236.93
19.	त्रिपुरा	106.28	106.50	108.72	102.99
20.	उत्तर प्रदेश	7646.66	5572.47	7518.15	6847.50
21.	पश्चिम बंगाल	2848.78	2848.78	3378.39	3378.39
22.	चंडीगढ़	18.16	18.16	22.00	22.00
23.	दिल्ली	135.43	90.69	201.71	78.87
24.	पांडिचेरी	23.99	25.74	73.29	73.29
	कुल	30827.00	30075.55	36100.00	33243.02

अध्याय - IV

अनुसूचित जातियों का सामाजिक एकीकरण

4.1 संवैधानिक और कानूनी सुरक्षण

4.1.1 अनेक सामाजिक सुधारकों के सतत प्रयासों और जातिगत आधार पर भेदभाव का कोई न्यायसंगत आधार न होने के बारे में जागरूकता बढ़ने के परिणामस्वरूप दलित जातियों के नेताओं ने समाज में अपना उपयुक्त और न्यायोचित स्थान प्राप्त करने के लिए जोर डालना शुरू कर दिया। दलित जातियों के नेताओं द्वारा इस प्रकार दबाव डालने और उच्च जातियों के हिन्दुओं के कुछ प्रबुद्ध नेताओं में मौजूदा जाति आधारित भेदभाव के अतर्कसंगत होने के बढ़ते हुए बोध के परिणामस्वरूप, वर्ष 1932 में पूणा पेक्ट पर हस्ताक्षर हुए, जिसके द्वारा शासन में दलित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उपाय करने पर सहमति हुई। इस प्रकार पूणा पेक्ट अनुसूचित जातियों के सामाजिक एकीकरण के लिए बाद में किए गए सुरक्षणों/संवैधानिक सुरक्षणों, कानूनों और अन्य उपायों का आधार बन गया।

4.1.2 संविधान के लागू होने से पहले भी कई विधान बनाए गए थे और अनुसूचित जातियों के लोगों को मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों में जाने की छूट देने के लिए अन्य उपाय किए गए थे।

1. बिहार : हरिजन (नागरिक असमर्थता निवारण) अधिनियम, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम XIX)
2. कर्नाटक : (क) नागरिक असमर्थता निवारण अधिनियम, 1943 (1943 का मैसूर अधिनियम XLII)
(ख) मैसूर मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम, 1948 (1948 का मैसूर अधिनियम XIV)
(ग) कुर्ग अनुसूचित जाति (नागरिक और सामाजिक असमर्थता निवारण) अधिनियम, 1949 (1949 का कुर्ग अधिनियम I)
(घ) कुर्ग मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम, 1949 (1949 का कुर्ग अधिनियम II)
3. केरल : (क) त्रावनकोर-कोचीन सामाजिक असमर्थता निवारण अधिनियम, 1125 (1125 का त्रावनकोर-कोचीन अधिनियम VIII)
(ख) त्रावनकोर-कोचीन असमर्थता निवारण अधिनियम, 1950 (1950 का त्रावनकोर-कोचीन अधिनियम XXVII)
4. महाराष्ट्र : (क) बम्बई हरिजन (सामाजिक असमर्थता निवारण) अधिनियम, 1946 (1947 का बम्बई अधिनियम X)
(ख) बम्बई हरिजन मंदिर प्रवेश अधिनियम, 1947 (1947 का बम्बई अधिनियम XXXV)

(ग) मध्य प्रान्त और बरार अनुसूचित जाति (नागरिक असमर्थता निवारण) अधिनियम, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम XXIV)

(घ) मध्य प्रान्त और बरार मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम XLI)

5. तमिलनाडु : मद्रास नागरिक असमर्थता निवारण अधिनियम, 1938 (1938 का मद्रास अधिनियम XXI)

6. उत्तर प्रदेश : संयुक्त प्रान्त (सामाजिक असमर्थता निवारण) अधिनियम, 1947 (1947 का उत्तर प्रदेश अधिनियम XIV)

7. राजस्थान : जहां तक राजस्थान राज्य का सम्बन्ध है, वहां पर कोई अधिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू नहीं था । राज्य सरकार ने अस्पृश्यता की प्रथा के निवारण के लिए कुछ कार्यकारी आदेश जारी किए हैं । ये अनुदेश इस प्रकार हैं :

(i) 'प्याउओं' (जहां पेय जल की आपूर्ति की जाती है) पर भेदभाव के निवारण के बारे में दिनांक 28.9.1951 की अधिसूचना संख्या 221/87/जी.ए./51 और दिनांक 24.11.1951 की अधिसूचना संख्या एफ 22/87/51

(ii) मृत पशुओं को हटाने के बारे में दिनांक 5.4.1952 का परिपत्र संख्या एफ. 22/28/ए.बी./51

(iii) आभूषणों, आदि के उपयोग के बारे में दिनांक 6.4.1952 का परिपत्र संख्या एफ. 22/28/जी.ए.(बी)/51

4.1.3 स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद, भारत के संविधान ने 'अस्पृश्यता' को समाप्त कर दिया (अनुच्छेद 17) और 1955 में संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया । राष्ट्रीय आन्दोलन ने अछूतों के प्रति सहानुभूति के वातावरण का निर्माण किया था । इससे सरकार के लिए अस्पृश्यों को पारम्परिक पृथक्करण के गर्त से बाहर निकालने के प्रयास के रूप में सुरक्षात्मक भेदभाव की व्यवस्था करना संभव हो सका ।

4.1.4 निम्नलिखित निर्योग्यताएं किसी एक अथवा अन्य रूप में विशेष रूप से अस्पृश्यता के साथ जुड़ी हुई हैं :-

- I कुओं, स्कूलों, सड़कों, डाकघरों और न्यायालयों जैसे सार्वजनिक सुविधाओं वाले स्थानों में प्रवेश की मनाही अथवा पाबन्दी ।
- II मन्दिरों और उनके साथ सम्बन्धित विश्राम गृहों, तालाबों और पूजागृहों में प्रवेश की मनाही अथवा पाबन्दी, जहां उनकी उपस्थिति से देवता और उच्च जाति के पूजा करने वाले अपवित्र हो सकते हैं । अस्पृश्यों और शूद्रों को सन्यासी बनने और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की मनाही थी । (रूढ़िवादी हिन्दुओं की पूर्ववर्ती एवं अत्यधिक पवित्र पुस्तकें)

- III किसी सम्मानप्रद और लाभकारी रोजगार का अपवर्जन और अस्वच्छ तथा निकृष्ट व्यवसायों में धकेलना ।
- IV उन्हें गांवों से बाहर रहने के लिए बाध्य करके, अन्य समूहों के पृथक्करण की अपेक्षा अतिशय चरम रूप से रिहायशी पृथक्करण ।
- V नाइयों, धोबियों, भोजनालयों, दुकानों और थिएटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहुंच तक रोक अथवा ऐसे स्थानों के भीतर अलग बर्तनों और सुविधाओं की अपेक्षा करना ।
- VI जीवन-शैली, विशेष रूप से सुविधा और विलासिता का संकेत देने वाली वस्तुओं के उपयोग पर पाबन्दियां । घोड़े पर चढ़ने, साइकिलों, छातों, जूतों के उपयोग, सोने और चांदी के आभूषण पहनने, दूल्हों को ले जाने के लिए-पालकियों के उपयोग-बहुत से इलाकों में इन सभी पर रोक थी ।
- VII उच्च जातियों के लोगों की उपस्थिति में सम्बोधन, भाषा, बैठने और खड़े होने के तरीके में आदर और सम्मान के भाव का प्रदर्शन करने की अपेक्षा ।
- VIII आने-जाने पर पाबन्दियां - उच्च जातियों के व्यक्तियों अथवा उनके घरों से निर्धारित दूरी तक सड़कों और गलियों पर से अछूतों के गुजरने की मनाही ।
- IX उच्च जातियों के लिए बेगार करने का और उनके लिए निकृष्ट कार्य करने का दायित्व ।

4.2 सामाजिक एकीकरण से सम्बन्धित संवैधानिक उपबन्ध

4.2.1 संविधान के अनुच्छेद 17 के जरिए "अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है । "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार एक दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना था । इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के सामाजिक एकीकरण को सुकर बनाने के लिए संविधान में निम्नलिखित उपबन्ध किए गए थे :-

- (i) अनुच्छेद 19 (5) अनुसूचित जातियों के लोगों को किसी भी जगह सम्पत्ति खरीदने और उनके विधिपूर्ण व्यवसायों पर और गतिविधियों पर दिखीं पाबन्दियों के बिना, कहीं पर भी बसने और जिस प्रकार चाहें, उस प्रकार से कोई व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है ।
- (ii) अनुच्छेद 25 में यह उपबन्ध है कि सार्वजनिक प्रकार की सभी हिन्दू धार्मिक संस्थाएं हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी ।
- (iii) संविधान के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि राज्य द्वारा संचालित, प्रबन्धित अथवा सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में अनुसूचित जाति के किसी विद्यार्थी को जाति, नस्ल अथवा धर्म के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाएगा ।
- (iv) अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए राज्य विधान सभाओं में और संसद में भी स्थान आरक्षित किए गए हैं । इसके अलावा, संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के जरिए पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ।

- (v) संविधान के अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 335 में राज्य पर यह दायित्व डाला गया है कि वह लोक सेवाओं में, यदि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो तो नियुक्तियां करने में उन जातियों के दावों पर और उन्हें आरक्षण देने पर विचार करे।
- (vi) अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था करता है।
- (vii) अनुच्छेद - 46 व्यवस्था करता है कि "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।"

4.2.2 भारतीय संविधान का उद्देश्य इसके सभी नागरिकों में समानता पैदा करना है। लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान करके संविधान-निर्माताओं ने उन्हें अन्य समुदायों के बराबर लाने के योग्य बनाना चाहा था। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जातियों के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धान्त प्रारम्भ किया गया था, जो कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण था।

4.3 अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955

4.3.1 संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया था और उसके किसी भी रूप में आचरण को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन भारत के संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं दी गई है। शब्द अस्पृश्यता को इन्वर्टेड कौमाओं में उपयोग किया गया है, जो अस्पृश्यता के उस व्यवहार की ओर इंगित करता है जो भोजन बांट कर खाने, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच, धार्मिक अनुष्ठान करने और पूजा-अर्चना करने, मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश, पेय जल स्रोतों तक पहुंच, आदि के मामले में लगे सामाजिक निषेधों और प्रतिबन्धों के रूप में ऐतिहासिक रूप में विकसित हुआ है। संविधान को अपनाए जाने के पांच वर्ष बाद, संसद द्वारा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया गया।

4.3.2 इस अधिनियम के उपबन्धों के तहत किसी धार्मिक और सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने अथवा किसी सांझे कुएं या जलाशय से पानी लेने की अनुमति देने से इन्कार करने को अपराध बना दिया गया। किसी खान-पान के स्थान, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, धर्मशाला आदि में जाति के आधार पर प्रवेश करने से रोकने को भी अपराध घोषित कर दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा कोई वृत्ति, व्यवसाय या व्यापार सम्बन्धी नियोग्यता लागू करने को भी अपराध बना दिया गया। जाति के आधार पर अनुसूचित जातियों को वस्तुओं की बिक्री करने अथवा सेवाएं प्रदान करने से इन्कार करना भी अपराध बना दिया गया। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करना, चोट पहुंचाना या क्षुब्ध करना या किसी ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करना या किसी ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करने की कार्रवाई में भाग लेना, जिसने अस्पृश्यता के अन्त से उत्पन्न होने वाले अपने किसी अधिकार का प्रयोग किया हो।

4.3.3 इसके अलावा, अधिनियम ने ऐसी कोई नियोग्यता लागू करने को अपराध बना दिया, जो 500/-रुपए तक के जुर्माने, छः महीने की अवधि के कारावास और लाइसेंसों और सरकारी अनुदानों के रद्दकरण अथवा निलम्बन से दंडनीय है।

4.3.4 इस अधिनियम में एक बिल्कुल नई और उल्लेखनीय विशेषता दी गई है; इसमें उपबन्ध है कि जहां "अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के सम्बन्ध में निषिद्ध आचरण किया जाएगा" वहां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य

"अस्पृश्यता" के आधार पर किया गया है। दूसरे शब्दों में, प्रमाणित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी, अभियोजक की नहीं।

4.4 असृश्यता अपराध अधिनियम की कमजोरियां और अपर्याप्ताएं

4.4.1 इस अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान, कतिपय कमजोरियां और अपर्याप्ताएं ध्यान में आईं, जिनका उल्लेख संक्षेप में नीचे किया गया है :-

- (i) अधिनियम में "अस्पृश्यता के आधार पर" सुविधाएं और सेवाएं प्रदान न करने का निषेध किया गया है। लेकिन यह प्रमाणित करना जरूरी था कि सुविधाएं और सेवाएं प्रदान न करने के पीछे एक विशिष्ट अभिप्राय था। चूंकि मनःस्थिति को प्रमाणित करना कठिन था, इसलिए दोष-सिद्धि प्राप्त करना कठिन था।
- (ii) यह अधिनियम उन सुविधाओं की कवरेज के बारे में अस्पष्ट था, जो जनता द्वारा उपयोग में लाई जाती थीं; लेकिन जो तकनीकी रूप से "सार्वजनिक" नहीं थीं। इसलिए उच्च न्यायालयों ने बहुत से मामले खारिज कर दिए, जिनमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उस सुविधा का उपयोग नहीं करने दिया गया था, जिसका उपयोग जनता द्वारा किया जाता था, लेकिन जो तकनीकी रूप से "सार्वजनिक" नहीं थी।
- (iii) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को शमनीय माना गया था। इस उपबन्ध से इस अधिनियम की प्रभावकारिता कम हो गई, क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आखिरकार उस गांव में रहना है, जहां वह अल्पमत में है और उच्च जाति के हिन्दु अनुचित दबाव डालकर या धमकी देकर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि कोई "समझौता" हो जाए।
- (iv) किसी भी स्तर पर कोई ऐसा अभिकरण नहीं था, जो प्रवर्तन की समस्याओं और नीतियों के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से सूचना एकत्र करता। इस प्रकार, प्रयास अत्यन्त विकेंद्रीकृत था और अस्पृश्यता के खिलाफ कानून लागू करने के लिए कोई विशेष दल अथवा कर्मचारी नहीं थे।
- (v) शिकायतकर्ता अपनी आजीविका के लिए प्रायः उच्च जातियों पर निर्भर करते थे। शिकायतकर्ता को यदि मारपीट, घर जलाने या इससे भी बुरी शारीरिक यातना के रूप में नहीं, तो सामाजिक बहिष्कार, या बेदखली या पशुओं को चराने के अधिकारों के वंचन के रूप में प्रतिशोध लिए जाने की आशंका होती है।
- (vi) हालांकि बहिष्कार और प्रतिशोध अपने आप में अपराध थे, लेकिन उनका स्वरूप ऐसा है कि उन्हें सिद्ध करना कठिन था क्योंकि इनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों का परोक्ष आचरण शामिल होता है और सफल अभियोजन के लिए अभिप्रेरण को सिद्ध करने की जरूरत होती है। मूल अपराधों को सिद्ध करने के लिए गवाह प्राप्त करना और भी अधिक कठिन था।
- (vii) यदि शिकायतकर्ता इन दबावों का मुकाबला करता भी था, तो मामलों के निपटान में अक्सर बहुत देर हो जाती थी। इलेपेरूमल समिति ने निपटाए गए 70 मामलों का विश्लेषण किया और यह पाया कि इनके निपटाने में औसत रूप से छः महीनों से अधिक का समय लगा था। न्यायालय में बार-बार होने वाली पेशियों में बहुत समय

लगता है और खर्च होता है। अभियुक्त के पास लगभग हमेशा अधिक संसाधन होते हैं और वह अधिक समय तक टिक सकता है। समय बीतने के साथ, गवाहों में अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करने की भावना कम हो जाती है। नीचे की तालिका से पता चलता है कि लम्बी मुकदमेबाजी से दोष-सिद्धि की दर कम हो गई।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के मामलों में होने वाली देरी और निपटान में सम्बन्ध

पंजीयन से निपटान तक का समय	निपटान		
	दोष-सिद्धि	शमित मामले	दोषमुक्ति
6 महीने से कम	15 (37.5 प्रतिशत)	10 (25 प्रतिशत)	15 (37.5 प्रतिशत)
6 महीने से अधिक	8 (26.7 प्रतिशत)	6 (20 प्रतिशत)	16 (53.3 प्रतिशत)

स्रोत : समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट, 1969 पृष्ठ- 51

(viii) अधिनियम में अस्पष्टताएं और त्रुटियां होने के कारण न्यायालयों में भारी बाधाएं आती थी। इन त्रुटियों पर काबू पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए उच्चस्तर के कौशल की और तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी और इसके अलावा स्थानीय दबावों से बचना भी जरूरी था। इन सभी कठिनाइयों के कारण दोष-सिद्धि के अवसर कम हो जाते थे।

(ix) यदि दोष-सिद्धि हो भी जाती थी, तो जो शास्तियां लागू की जाती थी, वे इतनी हल्की होती थीं कि उनका कोई निवारक प्रभाव नहीं पड़ता था और उनसे कोई अनुकूल प्रचार नहीं होता था।

4.4.2 इस अधिनियम के लागू होने के बाद से यह आम विचार था कि यह कानून उस प्रयोजन को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके लिए यह बनाया गया था। यह भी महसूस किया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत दिया जाने वाला दंड न निवारक था और न ही पर्याप्त।

4.5 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

4.5.1 तदनुसार, इस अधिनियम को 1976 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया और इसका नाम बदल कर 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' कर दिया गया। संशोधित अधिनियम, जो 19 नवम्बर, 1976 को लागू हुआ था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून था, जिसमें अस्पृश्यता के आचरण से उपजी कोई निर्योग्यता लागू करने और उससे संबंधित मामलों के लिए दंड विहित किया गया था।

4.5.2 इस अधिनियम के अंतर्गत, "अस्पृश्यता" के प्रचार और आचरण को और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना और उससे संबंधित मामलों को संज्ञेय और गैर-शमनीय अपराध बना दिया गया और कारावास की अवधि बढ़ा दी गई। राज्य सरकारों को किसी ऐसे इलाके के निवासियों पर, जो अस्पृश्यता का अपराध करते हुए और उस अपराध के करने में सहायता देते हुए पाए जाएं, सामूहिक जुर्माना करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में विशेष न्यायालयों, विशेष अभियोजन की व्यवस्था करके और अन्वेषण की अवधि निर्धारित करके इन समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है।

4.5.3 यह सुनिश्चित करने के लिए कि “अस्पृश्यता” की समाप्ति से उत्पन्न होने वाले अधिकार, इस सामाजिक बुराई से पीड़ित व्यक्तियों को पूरी तरह से उपलब्ध हों, इस अधिनियम की धारा 15 क (2) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने अपेक्षित हैं :-

- (i) ‘अस्पृश्यता’ से उपजी किसी निर्याग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वे ऐसे अधिकारों का फायदा उठा सकें।
- (ii) अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या ऐसे अभियोजनों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति।
- (iii) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना।
- (iv) ऐसे समुचित स्तरों पर समितियों की स्थापना, जो राज्य सरकार ऐसे उपायों के निरूपण या कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सहायता के लिए ठीक समझे।
- (v) इस अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से इस अधिनियम के कार्यकरण के समय-समय पर सर्वेक्षण की व्यवस्था करना, और
- (vi) उन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण, जहां लोग “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्याग्यता से पीड़ित हैं, और ऐसे उपायों को अपनाना, जिनसे ऐसे क्षेत्रों से ऐसी निर्याग्यताओं को दूर करना सुनिश्चित हो सके।

4.6 केन्द्र सरकार की भूमिका

4.6.1 इस अधिनियम में यह उपबन्ध है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों में समन्वय स्थापित करेगी और अपने द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के बारे में संसद के दोनों सदनों के पटलों पर हर वर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस उपबन्ध का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के बारे में वर्ष 1994 की वार्षिक रिपोर्ट (15 वीं रिपोर्ट) राज्य सभा में 14-12-1998 को और लोकसभा में 15-12-1998 को प्रस्तुत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है।

4.7 सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुदेश

4.7.1 केन्द्रीय हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 1961 में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :-

केन्द्र सरकार को अपने सभी कर्मचारियों के ध्यान में यह लाना चाहिए और राज्य सरकारों को भी ऐसा करने का अनुरोध करना चाहिए कि -

- (क) सरकारी कार्यालयों में और सरकारी सेवकों/कर्मचारियों द्वारा अस्पृश्यता के आचरण का गम्भीर नोटिस लिया जाएगा ; और
- (ख) पुलिस और मेजिस्ट्रेटों का यह विशेष दायित्व है कि वे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को लागू करें और सभी सरकारी कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे उन्हें इस अधिनियम को लागू करने और समाज के पुराण पंथी वर्गों के मन से अस्पृश्यता को दूर करने का वातावरण बनाने में उनकी सहायता करें।

4.7.2 इन सिफारिशों के आधार पर, गृह मंत्रालय ने दिनांक 21-1-1967 के आदेश संख्या 25/29/66 एस्ट (ए) द्वारा अनुदेश जारी किए, जिनमें इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया था कि सरकारी सेवकों को संविधान के अनुच्छेद 17 और अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और किसी भी रूप में अस्पृश्यता के आचरण के पूर्ण उन्मूलन करने के लिए दूसरों के सामने उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। इस बात पर भी बल दिया गया था कि सरकारी कार्यालयों में और सरकारी सेवकों द्वारा अस्पृश्यता का आचरण किए जाने का गंभीर नोटिस लिया जाएगा और यदि किसी सरकारी सेवक ने ऐसा व्यवहार किया, जिससे अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का उल्लंघन होता हो, तो उसका ऐसा आचरण नियंत्रण और अनुशासन के संगत नियमों में विहित समुचित शास्ति लागू किए जाने का अच्छा और पर्याप्त कारण होगा।

4.7.3 सरकार ने इसके अलावा यह भी देखा कि प्राधिकरणों द्वारा विद्यालय छोड़ने के समय दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों में और अनुसूचित जाति और जनजाति प्रमाणपत्रों में हरिजन और गिरिजन शब्दों का प्रयोग आम तौर पर किया जाता है। सरकार ने दिनांक 10.2.82 और 19.10.82 के आदेश संख्या बी.सी.आई. 2025/44/80 एस.सी.एड.बी.सी.डी. I/IV द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को हरिजन और गिरिजन शब्दों का प्रयोग वर्जित करने की हिदायत दी।

4.8 संचार-माध्यमों के जरिए जागरूकता उत्पन्न करना

4.8.1 सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जागरूकता उत्पन्न करने की स्कीम के अंतर्गत आल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के माध्यम से विशेष श्रोता कार्यक्रमों, जैसे ग्रामीण, महिला, युवा और बाल कार्यक्रमों में “अस्पृश्यता उन्मूलन” के विषय पर कार्यक्रमों का अभियान चलाया। वर्ष 1998 के पंचांग वर्ष में आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा विभिन्न बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं में अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में प्रसारित किए गए कुल कार्यक्रमों की संख्या 4990 थी। अस्पृश्यता के व्यवहार और विषय के संबंध में दूरदर्शन और पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। क्षेत्र प्रचार निदेशालय के अलावा, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने अस्पृश्यता की बुराईयों और उसके उन्मूलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अनेक लेख, आदि प्रकाशित किए हैं।

4.8.2 वर्ष 1998 के दौरान अस्पृश्यता के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 260 क्षेत्रीय प्रचार एककों ने 5226 फिल्म शो, 6717 मौखिक संचार कार्यक्रम, 2331 फोटो प्रदर्शनियां और 288 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

4.8.3 महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर की जयंतियों पर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन विशेष कार्यक्रमों में गोष्ठियां, कार्यशालाएं, रैलियां और प्रतियोगिताएं, जैसे निबन्ध-लेखन, वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिताएं शामिल थीं। गीत और नाटक प्रभाग ने लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के उद्देश्य से अस्पृश्यता के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए लोक और पारम्परिक कला के अनेकानेक माध्यमों का उपयोग करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक प्रभाग हर वर्ष औसत रूप से लगभग 38,000 कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। फिल्म प्रभाग ने ग्रामीण दर्शकों के लिए सन्त कनकदास की जीवनी पर आधारित एक कथा-चित्र 'कनक ज्योति' का निर्माण किया; सन्त कनकदास ने अपने जीवन में जाति आधारित भेदभावों और समाज की सामाजिक वर्जनाओं अथवा अन्ध-विश्वासों के खिलाफ संघर्ष किया था। 'मानवता' नामक एक वृत्त-चित्र प्रदर्शन के लिए रिलीज की गई थी, जिसमें अस्पृश्यता का आचरण न करने की वकालत की गई थी।

4.9 राज्यों में नागरिक अधिकार संरक्षण (पी.सी.आर.) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक ढांचा

4.9.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक ढांचे स्थापित किए गए हैं। राज्य में प्रशासनिक ढांचे का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है :-

- I आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अत्याचार और अस्पृश्यता के मामलों के तेजी से अन्वेषण और अभियोजन के लिए पुलिस के अपर महानिदेशक (सी.आई.डी.) के अधीन एक विशेष कक्ष की स्थापना की है। पी.सी.आर. कक्ष पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों को मानीटर करता है और पी.सी.आर. अधिनियम से संबंधित मामलों के बारे में सूचना प्राप्त करता है। यह कक्ष पूछताछ भी करता है और सरकार/न्यायालयों द्वारा निर्दिष्ट मामलों का अन्वेषण भी करता है।
- II असम में पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की मानीटरिंग मैदानी जनजातीय कल्याण और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की जाती है।
- III बिहार में अभियोजन शुरू करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एक पुलिस महानिरीक्षक के अधीन एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कक्ष गृह (पुलिस) विभाग में स्थापित किया गया है। राज्य के कल्याण विभाग द्वारा डिवीजन, जिला, सब-डिवीजन और ब्लाक स्तरों पर भी इस प्रकार के कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और रांची में ग्यारह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थाने स्थापित किए गए हैं।
- IV गुजरात में सचिवालय के स्तर पर प्रधान सचिव, जिनकी सहायता के लिए एक उप सचिव और एक अवर सचिव हैं, इस कार्य को देखते हैं, जबकि निदेशालय के स्तर पर एक विशेष कक्ष (जिसे 'नागरिक' कक्ष कहा जाता है) खोला गया है और इस कार्य को देखने के लिए एक उप-निदेशक की नियुक्ति की गई है। इस प्रयोजनार्थ बड़ोदा, अहमदाबाद और राजकोट में तीन क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी काम कर रहे हैं। गुजरात पंचायत अधिनियम के तहत जिला/तालुका और ग्राम स्तरों पर तीन-स्तरीय सामाजिक न्याय समितियां गठित की गई हैं और उन्हें अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा का निवारण करने का जिम्मा सौंपा गया है।
- V हरियाणा में जिला कल्याण अधिकारियों को पी.सी.आर. अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
- VI कर्नाटक में सिविल अधिकार प्रवर्तन कक्ष का निदेशक पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन के लिए काम कर रहा है। जब कभी पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित मामले दर्ज कराए जाते हैं, तब पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर जा कर निरीक्षण करते हैं, बन्दोबस्त करते हैं और जिन लोगों ने अत्याचार किया हो, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

- VII केरल में पुलिस मुख्यालय में एक पुलिस महा निरीक्षक (पी.सी.आर.) के अधीन एक विशेष कक्ष 1979 से कार्य कर रहा है ।
- VIII मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन की देखरेख करने और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पीड़ितों को राहत प्रदान की जाए, सिविल अधिकार संरक्षण कक्ष की स्थापना की गई है । वर्ष 1997-98 में इस कक्ष के लिए बजट में 48.84 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी । पुलिस के अपर महानिदेशक के अधीन राज्य के पुलिस मुख्यालय में एक अनुसूचित जाति विकास कक्ष स्थापित किया गया है, जो मामलों के पंजीयन, अन्वेषण और अदालतों में अभियोजन की मानीटरिंग करता है और राज्य के 46 विशेष पुलिस थानों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है । वर्ष 1998-99 में विशेष पुलिस थानों पर 660.45 लाख रुपए व्यय किए गए थे ।
- IX उड़ीसा में कल्याण विभाग में पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 और उससे सम्बन्धित मामलों की मानीटरिंग के लिए एक पी.सी.आर. कक्ष है । इसके अलावा, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय में भी एक-एक कक्ष है । राज्य पुलिस के मुख्यालय में पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के कार्यान्वयन के उचित मानीटरिंग के लिए एक विशेष कक्ष है और पुलिस महानिरीक्षक एच.आर.पी.सी. फील्ड स्टाफ के कार्य का पर्यवेक्षण करता है । जिला मुख्यालय में भी पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन की मानीटरिंग के लिए एक विशेष कक्ष है, जिसमें एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक और एक कान्स्टेबल होता है । जिलों के पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक जिला स्तर पर फील्ड स्टाफ और विशेष कक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे हैं ।
- X पंजाब राज्य में कोई पी.सी.आर. कक्ष स्थापित नहीं किया गया है ।
- XI यद्यपि राजस्थान में समाज कल्याण विभाग को इस अधिनियम के अन्तर्गत नोडल अभिकरण बनाया गया है, लेकिन अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रभावकारी रूप से पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी गृह (पुलिस) विभाग और विधि विभाग को सौंपी गई है ।
- XII तमिलनाडु में पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 का प्रवर्तन राज्य में न केवल सभी पुलिस थानों द्वारा बल्कि 34 जिला मुख्यालयों में से प्रत्येक में स्थित विशेष पी.सी.आर. चल स्क्वैडों द्वारा भी किया जा रहा है । प्रत्येक चल स्क्वैड का अध्यक्ष एक पुलिस निरीक्षक होता है । पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के बारे में सांख्यिकीय सूचना एकत्र करने के लिए प्रत्येक मोबाइल स्क्वैड के साथ एक सांख्यिकीय निरीक्षक होता है । निरीक्षक (सांख्यिकी) की पी.सी.आर. यूनिटों के स्टाफ द्वारा सहायता की जाती है । पुलिस के अपर महा निदेशक, सी.आई.डी., सामाजिक न्याय और पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय और सी.आई.डी., चेन्नई, पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन का मानीटरिंग करते हैं और पी.सी.आर. मोबाइल स्क्वैडों के कार्यचालन का भी पर्यवेक्षण करते हैं ।
- XIII त्रिपुरा राज्य सरकार ने पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन अभियोजन शुरू करने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिए (i) सब-डिवीजनों के सब-डिवीजनल अधिकारियों, (ii) सब डिप्टी कलेक्टरों (राजस्व सर्कलों के सर्कल

अधिकारियों) और (iii) उप-निरीक्षक के स्तर तक के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की है ।

- XIV उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) के कार्यान्वयन का काम विभिन्न स्तरों पर पुलिस के उप-महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन जिला स्तर पर जिले के पुलिस अधीक्षकों को सौंपा हुआ है । 20 संवेदनशील जिलों में विशेष अन्वेषण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं और ऐसे प्रत्येक कक्ष में एक पुलिस उप-निरीक्षक, एक हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल होते हैं । कक्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समूचे पर्यवेक्षण के तहत काम करता है । राज्य सरकार ने जिला पुलिस अधीक्षकों को यह निदेश भी दे रखे हैं कि वे यह कोशिश करें कि प्रत्येक पुलिस थाने में एक हैड कांस्टेबल अथवा एक कांस्टेबल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का हो और एक जिले के कम से कम 20 प्रतिशत पुलिस थानों में थाने का प्रभारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का हो । राज्य स्तर के अन्वेषण कक्ष में पुलिस का एक अपर महानिदेशक, एक महानिरीक्षक, एक उप महानिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, एक अपर पुलिस अधीक्षक और 9 उप पुलिस अधीक्षक हैं ।
- XV चंडीगढ़ में पी.सी.आर. अधिनियम कक्ष निदेशक, समाज कल्याण के पर्यवेक्षण के अधीन काम कर रहा है ।
- XVI दादरा और नगर हवेली में पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए कोई विशेष अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है । लेकिन पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि यदि पी.सी.आर. अधिनियम का उल्लंघन हो तो तत्काल कार्रवाई की जाए ।
- XVII दमण और दीव में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किसी मामले की रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने के कारण संघ राज्य क्षेत्र में कोई पी.सी.आर. कक्ष स्थापित नहीं किया गया है ।
- XVIII दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पी.सी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत बहुत कम मामले दर्ज किए जाने के कारण, दिल्ली सरकार ने कोई पी.सी.आर. कक्ष स्थापित नहीं किया है ।
- XIX पांडिचेरी में सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियों का पर्यवेक्षण करने के लिए मुख्य सचिव के कार्यालय में एक प्रवर्तन कक्ष है । इसके अलावा, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के तीन क्षेत्रों नामशः पांडिचेरी, कराइकल और यानम में पुलिस अधीक्षक के सीधे नियंत्रण के अधीन पी.सी.आर. कक्ष यूनिट काम कर रहा है ।

4.10 राज्यों में अनुवीक्षण समितियां

4.10.1 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियां स्थापित करने का प्रावधान है । हालांकि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समितियां गठित कर ली हैं परन्तु इन समितियों की बैठकें विशेष कर राज्य स्तर पर नियमित रूप से नहीं की जाती हैं, जिसके परिणामतः विधिक प्रावधानों के

- VII हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1996 में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसे राज्य में पी.सी.आर. अधिनियम के कार्यान्वयन को मानीटर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- VIII कर्नाटक में गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के प्रमुख मामलों के अन्वेषण और अभियोजन का मानीटरिंग करने के लिए गठित की गई है। यह समिति पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 और अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत मामलों की प्रगति का मानीटरिंग करने के लिए तिमाही में एक बार बैठक करती है। सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए तालुका, जिला और डिवीजन स्तर की समितियां भी गठित की हैं।
- IX केरल सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से सम्बन्धित मामलों के बारे में कार्रवाई करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर सलाहकार समितियां गठित की हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी संसद सदस्य, विधायक, जिला अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं। समिति का काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्कीमों और उपायों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना है। जिला स्तर की समितियां जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में काम करती हैं।
- X मध्य प्रदेश में पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। जिला मेजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला स्तर की समितियां भी गठित की गई हैं।
- XI महाराष्ट्र में राज्य, डिवीजन और जिला स्तर की समितियां नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित की गई है।
- XII अत्याचार के मामलों के समुचित पर्यवेक्षण और जांच के लिए, उड़ीसा में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग (भूतपूर्व कल्याण विभाग) में एक राज्य स्तरीय अत्याचार जांच समिति गठित की गई है। समिति का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है :
- (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को परेशान करने और उनके खिलाफ अत्याचार करने के आरोपों की जांच करना।
 - (ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गैर-कानूनी रूप से बेदखल किए जाने अथवा उनसे उनके कब्जे की जमीनों का गैर-कानूनी तरीके से कब्जा-करण के आरोपों की जांच करना।
 - (ग) समिति राज्य सरकार को राज्य सरकार के पदाधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की उन प्रशासनिक और अन्य चूकों के बारे में, यदि कोई हों, रिपोर्ट देगी, जिनके कारण ऐसी परेशानियां और ऐसे अत्याचार हुए हों और राज्य सरकार

को इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी। समिति ने पुरी जिले में कथित अत्याचारों के घटना-स्थलों के दो दौर किए और चुनिंदा जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक समीक्षा बैठक की और कल्याण विभाग और गृह विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक अन्य बैठक की।

XIII राजस्थान में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति के मुख्य कार्य ये हैं :

(क) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

(ख) अत्याचार निवारण और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाना।

(ग) उत्पीड़ितों के लिए पर्याप्त राहत सुनिश्चित करना और गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके प्रयासों में सहायता देना।

XIV तमिलनाडु की राज्य सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समिति गठित की है। तदनुसार, समिति का गठन करने वाले आदेश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार मुख्य मंत्री समिति के अध्यक्ष हैं और इसमें 24 और सदस्य हैं। सभी जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता और मानीटरिंग समितियों का गठन किया गया और इन समितियों की बैठकें तिमाही में एक बार होती हैं। जिला कलेक्टर पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत सभी मामलों की समीक्षा हर महीने करते हैं और अपनी रिपोर्ट अगले महीने की 20 तारीख तक भेजते हैं। जिला कलेक्टरों से प्राप्त समीक्षा रिपोर्टों के बारे में आदि द्रविड़ार और जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव द्वारा डी.आई.जी., पी.सी.आर. के साथ हर महीने विस्तार से चर्चा की जाती है। अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आवश्यक हिदायतें जिला कलेक्टरों को भेजी जाती हैं।

XV त्रिपुरा में राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त अनुसूचित जाति कल्याण सलाहकार समिति है। समिति में अनुसूचित जातियों के प्रमुख नेता शामिल हैं। समिति अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष संघटक योजना की स्कीमों के कार्यान्वयन और अन्य सम्बन्धित मामलों की समीक्षा और मूल्यांकन करती है।

XVI उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। राज्य स्तर की समिति समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

- XVII पांडिचेरी में अनुसूचित जातियों के कल्याण से सम्बन्धित एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री हैं और अनुसूचित जाति के सभी मौजूदा विधायक और दोनों सांसद इसके सदस्य हैं।

4.11

विशेष न्यायालय

- I आन्ध्र प्रदेश ने पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अपराधों से निपटने के लिए हैदराबाद को छोड़ कर, प्रत्येक जिले में एक की व्यवस्था करते हुए 22 विशेष चल न्यायालय की स्थापना की है। प्रत्येक चल अदालत की अध्यक्षता प्रथम श्रेणी के न्यायिक मेजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है और सहायता के लिए एक सहायक लोक अभियोजक और अन्य कर्मचारी हैं।
- II असम में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन, कोई विशेष न्यायालय नहीं है।
- III बिहार राज्य में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।
- IV गोवा राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, जिला न्यायालयों को, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों के निपटान के लिए, विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया गया है तथा मामलों के विचारण के लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी गई है।
- V गुजरात सरकार ने अत्याचार अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अधीन सभी सत्र न्यायालयों को दिनांक 30 जनवरी, 1990 से विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। बानसकांठा (पालनपुर), कच्छ (भुज) और अहमदाबाद (ग्रामीण) में स्थित विशेष न्यायालयों ने पहले से ही कार्य प्रारम्भ कर दिया है। वर्ष 1998 में इन न्यायालयों के लिए 16 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।
- VI हरियाणा राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में वरिष्ठतम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। मामलों के विचारण के लिए प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए एक विशेष लोक अभियोजक भी विनिर्दिष्ट किया गया है।
- VII चूंकि हिमाचल प्रदेश में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मामलों की संख्या नाममात्र थी, इसलिए इस प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं। तथापि, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन 11 जिलों में प्रत्येक के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।
- VIII कर्नाटक में तालुक मुख्यालय में स्थित सभी न्यायिक मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मामलों का विचारण हाथ में ले रहे हैं।
- IX पी.सी.आर. अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए केरल के जिला न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया गया है तथा विशेष

न्यायालयों में मामले चलाने के लिए सभी जिलों के लोक अभियोजकों को विशेष अभियोजक के रूप में नामित किया गया है।

- X मध्य प्रदेश में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दर्ज कराए जाने वाले मामले अब जिला न्यायालयों द्वारा निपटाए जाते हैं। पहले, राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए चार विशेष न्यायालयों की स्थापना की थी। लेकिन पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अधीन मामलों की संख्या सीमित होने के कारण विशेष न्यायालयों के पास कोई अधिक काम नहीं था, इसलिए इन विशेष न्यायालयों का विघटन कर दिया गया है।
- XI महाराष्ट्र में विशेष न्यायालयों की आवश्यकता की समीक्षा की गई और छः जिलों, अर्थात् (1) परभणी (2) धुले (3) वर्धा (4) यवतमाल, (5) भंडारा, (6) नागपुर में विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन है।
- XII उड़ीसा राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार के अपराधों और मामलों के शीघ्र विचारण के लिए जिला और सत्र न्यायाधीशों/अपर जिला और सत्र न्यायाधीशों के 23 न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।
- XIII पंजाब में राज्य सरकार द्वारा पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अधीन कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है, क्योंकि अस्पृश्यता के मामलों की संख्या बहुत कम होती है।
- XIV तमिलनाडु में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन पंजीकृत मामलों के तेजी से निपटान के लिए राज्य में सभी जिलों को शामिल करने के लिए 4 विशेष न्यायालय मदुरई, त्रिची, तंजावूर और तिरुनेलवेली में स्थापित किए गए हैं।
- XV त्रिपुरा राज्य सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से पश्चिमी त्रिपुरा जिला, अगरतला, उत्तरी त्रिपुरा जिला, कैलाशहर और दक्षिणी त्रिपुरा जिला, उदयपुर के सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।
- XVI चंडीगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।
- XVII दादर और नगर हवेली में कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है, क्योंकि पी.सी.आर. अधिनियम के अधीन कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है।

- XVIII पी.सी.आर. अधिनियम के अधीन कोई मामला सूचित न किए जाने के कारण दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है ।
- XIX चूंकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दर्ज कराए गए मामलों की संख्या बहुत कम रही है, इसलिए दिल्ली में कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है ।
- XX पांडिचेरी में कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन 'सहायक लोक अभियोजक' मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट, पांडिचेरी के न्यायालय में, जिसे इस संघ राज्य क्षेत्र में पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अधीन मामलों का विचारण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, मामलों का संचालन करता है ।

4.12

कानूनी सहायता

- I आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, जो जाति/समुदाय के आधार पर परेशानी के शिकार हों, कानूनी सहायता की स्कीम के तहत अदालतों में उपस्थित होने, विभिन्न दस्तावेज दायर करने, अर्जियां देने, वकीलों की फीस अदा करने, आदि पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए उन व्यक्तियों को, जिनकी वार्षिक आय 6,000/- रूपए से अधिक न हो, सहायता दी जाती है । आवेदनों पर जिला कलेक्टरों द्वारा विचार किया जाता है, जो अपने-आप भी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं ।
- II असम में सब-डिवीजनल कानूनी सहायता समितियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र लोगों को कानूनी सहायता दी जाती है ।
- III गोवा राज्य में गरीब लोगों को, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं, मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए कानूनी सहायता और सलाह की एक स्कीम विधि विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है ।
- IV गुजरात राज्य सरकार ने पी.सी.आर. अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत उत्पीड़ितों को कानूनी सहायता देने की एक स्कीम शुरू की है । बजट में कानूनी सहायता के लिए अपेक्षित व्यवस्था शीर्ष बी.सी.के.-57 "नागरिक सैल" के अंतर्गत की जा रही है ।
 - (क) इस सहायता के लिए मौजूदा वार्षिक आय-सीमा 12,000/- रूपए है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । जब तक आय-सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक अधिकांश लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकेंगे और स्कीम का प्रयोजन विफल हो जाएगा ।
 - (ख) सिविल मामले के लिए 500/- रूपए की मौजूदा दर पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ा कर आपराधिक मामले की दर के बराबर, अर्थात् 3000/-रूपए किया जाना चाहिए ।
- V हरियाणा में अस्पृश्यता के आचरण, मन्दिरों/पेय जल, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोक, भूमि के अंतरण के रिकार्ड, कन्याओं और

महिलाओं के अपहरण और अनुसूचित जाति के लिए अभिप्रेत आरक्षण के उल्लंघन से संबंधित मामलों में कानूनी सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत गवाहों और अदालती फीस के व्यय को पूरा किया जाता है। वर्ष 1998 में 11 व्यक्तियों के लाभ के लिए 14,500/- रूपए की राशि खर्च की गई थी।

- VI **हिमाचल प्रदेश** में उस व्यक्ति को, जिसकी वार्षिक आय 15,000/- रूपए से अधिक न हो, राज्य कानूनी सहायता बोर्ड द्वारा कानूनी मामलों के लिए मुफ्त सहायता दी जाती है। लेकिन इस उच्चतम सीमा को बढ़ा कर 25,000/- रूपए करने का प्रस्ताव है। मुफ्त कानूनी सहायता में मुकदमे बाजी पर होने वाला खर्च और गवाहों के टी.ए./डी.ए. का खर्च शामिल है। वर्ष 1998-99 में बजट में 8 लाख रूपए की व्यवस्था की गई थी।
- VII **कर्नाटक** में भी कानूनी सहायता बोर्ड की स्थापना की गई है। कर्नाटक कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण ने वर्ष 1998 में (दिनांक 1.1.1998 से 31.12.1998 तक) अनुसूचित जाति के 106 और अनुसूचित जनजाति के 10 व्यक्तियों को कानूनी सहायता दी है। कानूनी सहायता पर होने वाले खर्च की पूर्ति कानूनी सेवा प्राधिकरण को दी जाने वाली सामान्य राशियों से की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कोई आय-सीमा विहित नहीं है।
- VIII **केरल** सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के लिए, जो अत्याचार के शिकार हुए हों, आर्थिक और विशेष पुनर्वास की एक स्कीम तैयार की है।
- IX वर्ष 1998-99 में **मध्य प्रदेश** ने कानूनी सहायता और कानूनी सलाह बोर्ड के जरिए कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 9.60 लाख रूपए की व्यवस्था की थी। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्तियों को लोक अभियोजकों और वरिष्ठ एडवोकेटों की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- X **महाराष्ट्र** में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रत्येक जिले और तालुका में कानूनी सहायता समितियां हैं, जो निःशुल्क कानूनी सहायता देती हैं। जिन लोगों की वार्षिक आय 6000/-रूपए से कम है, वे उपर्युक्त स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कानूनी सहायता केंद्र अलग से गठित नहीं हैं। वे इन केंद्रों से निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- XI कानूनी सहायता एवं सलाह स्कीम, 1981 के अंतर्गत, जिसका प्रशासन उड़ीसा के विधि विभाग द्वारा किया जाता है, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कानूनी सहायता दी जाती है। इसके अलावा, कल्याण विभाग द्वारा प्रचालित एक अलग स्कीम के अंतर्गत भी मुकदमों में फंसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कानूनी सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत कानूनी सहायता जमीन पर अपना अधिकार, हकदारी और कब्जा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ने हेतु और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत मुकदमों के लिए दी जाती है। वर्ष 1998-99 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार

- निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 6 व्यक्तियों को कानूनी सहायता की अदायगी के लिए 4 जिलों को 40,000/- रूपए की राशि आबंटित की गई थी ।
- XII **पंजाब सरकार** ने वर्ष 1998 में इस स्कीम के लिए 60.11 लाख रूपए की राशि मंजूर की थी । मुफ्त कानूनी सहायता 2074 लोगों को दी गई थी, जिनमें 424 व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे। पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन अनुसूचित जाति को कानूनी सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए आय-सीमा से छूट प्राप्त है ।
- XIII **राजस्थान** राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984 में शुरू की गई कानूनी सहायता स्कीम के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग, चाहे उनकी आय कितनी भी हो, इस स्कीम के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं । यह स्कीम कानूनी सलाहकार बोर्ड और कानूनी सहायता समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है । ये समितियां सब डिवीजन और जिला स्तर पर न्यायिक मेजिस्ट्रेटों, सत्र न्यायाधीशों के प्रभार के अधीन और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और राजस्व बोर्ड के अधीन स्थापित की गई है । मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की कार्यकारी अध्यक्षता में एक कानूनी सहायता बोर्ड राज्य में कार्य कर रहा है ।
- XIV **तमिलनाडु** में दिनांक 1.11.97 से, तमिलनाडु राज्य कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड के स्थान पर, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा 1976 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में किया गया था, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) की स्थापना की गई । कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत गठित नया प्राधिकरण भूतपूर्व कानूनी सहायता बोर्ड की सभी नीतियों को कार्यान्वित कर रहा है ।
- XV **त्रिपुरा** में अनुसूचित जाति को कानूनी सहायता प्रदान करने की एक स्कीम है । त्रिपुरा में अस्पृश्यता के अपराध की किसी घटना की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए अस्पृश्यता के शिकार लोगों को कानूनी सहायता मंजूर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।
- XVI **चंडीगढ़** संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है और आवश्यक व्यवस्था की गई है ।
- XVII **दादरा और नगर हवेली** कानूनी सहायता और सलाह स्कीम, 1992 के अन्तर्गत उन लोगों के लिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ अस्पृश्यता से उपजी नियोग्यताओं के शिकार हों, कानूनी सहायता उपलब्ध है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कानूनी सहायता लेने की कोई आय-सीमा निर्धारित नहीं है ।
- XVIII **दमण और दीव** संघ राज्य क्षेत्र में 'निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड' का गठन किया गया है ।

XIX दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए व्यवस्था है।

XX पांडिचेरी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

4.13

अस्पृश्यता - प्रवण क्षेत्रों/स्थानों का अभिनिर्धारण

निम्नलिखित राज्यों ने अस्पृश्यता - प्रवण क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया है:

- I आन्ध्र प्रदेश - 340 स्थान
- II गुजरात ने 21 ब्लाक अभिनिर्धारित किए हैं और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 20 जिलों के लिए परियोजना अधिकारी का एक पद सृजित किया है।
- III महाराष्ट्र ने अस्पृश्यता के व्यवहार पर सघन निगरानी रखने और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के लिए, जहां कहीं ऐसे मामले ध्यान में आते हैं, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुले, जलगांव, अहमदनगर, सांगली, सतारा, शोलापुर, कोल्हापुर, बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, परभणी, नांदेड, लाटूर आदि जिलों के अस्पृश्यता और संवेदनशील गांवों की पहचान की है।
- IV तमिलनाडु ने वर्ष 1998 में 214 गांवों को अत्याचार-प्रवण और 102 गांवों को साधारण रूप से अत्याचार-प्रवण गांवों के रूप में अभिनिर्धारित किया है।
- V त्रिपुरा, असम, गोवा, दमण और दीव, दिल्ली, दादर और नगर हवेली, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप आदि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अस्पृश्यता का आचरण न होने की रिपोर्ट दी गई है।

4.14

अंतर्जातीय विवाह

- I आन्ध्र प्रदेश सरकार सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्जातीय विवाहों के लिए प्रत्येक दम्पति को 10,000/- रुपये के मूल्य का प्रोत्साहन पुरस्कार देती है। वर्ष 1998-99 में 258 दम्पतियों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने पर 22.37 लाख रुपये खर्च किए गए।
- II असम की योजना के अंतर्गत 3.00 लाख रुपये की और योजना-भिन्न के अंतर्गत 0.77 लाख रुपये की व्यवस्था थी, लेकिन वर्ष 1998 में कोई राशि मंजूर नहीं की गई। इसलिए किसी को लाभ नहीं मिला और इस सम्बन्ध में कोई व्यय नहीं हुआ।
- III गोवा में अंतर्जातीय विवाहों के लिए पुरस्कार देने की एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत शादी करने वाले उस जोड़े को, जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो, 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। गोवा में पंचाग वर्ष 1998 में एक दम्पति को लाभ दिया गया था।
- IV सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दे रही है। गुजरात

राज्य सरकार ऐसे दम्पति को 50,000 रूपए प्रदान करती है। वर्ष 1998-99 में अंतर्जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बजट में 25 लाख रूपए की व्यवस्था की तुलना में 19.80 लाख रूपए खर्च किए गए और 123 दम्पतियों को लाभ हुआ।

- V ऐसे दम्पति को, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का हो, हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने पर 25,000 रूपए की वित्तीय सहायता (60 प्रतिशत छः वर्षों की सावधि जमा और 40 प्रतिशत नकदी के रूप में) दी जाती है। वर्ष 1998 में 11 ऐसे दम्पतियों के लाभ के लिए 2.75 लाख रूपए व्यय किए गए।
- VI मध्य प्रदेश में ऐसे जोड़े को, जिन में से एक व्यक्ति का संबंध अनुसूचित जाति से हो, 6,000 रूपए का वित्तीय अनुदान और प्रमाणपत्र दिया जाता है। वर्ष 1998-99 में 18 लाख रूपए की व्यवस्था में से 9.32 लाख रूपए का व्यय किया गया और इस स्कीम के अधीन 155 दम्पतियों को लाभ मिला।
- VII महाराष्ट्र में 1998-99 में इस स्कीम के लिए 143.88 लाख रूपए की व्यवस्था थी और स्कीम के तहत 847 दम्पतियों को वित्तीय सहायता दी गई।
- VIII उड़ीसा में सामाजिक एकता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता के निवारण के उद्देश्य से, उच्च जाति के हिन्दू और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बीच अंतर्जातीय विवाह होने पर प्रत्येक दम्पति को 3,000/- रूपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1998-99 में ऐसे 134 विवाहों के लिए नकद प्रोत्साहन देने के लिए 4,02,000 रूपए मंजूर किए गए।
- IX पंजाब में ऐसे प्रत्येक जोड़े को, जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो, 25,000 रूपए की राशि दी जाती है।
- X त्रिपुरा में सवर्ण हिन्दू और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बीच, जो मैला उठाने का काम करता हो अर्थात् नाथौर, मुशर, डोम और चमार/मोची जाति का हो, अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने की एक स्कीम है, ऐसा अंतर्जातीय विवाह करने वाले प्रत्येक दम्पति को एक प्रशंसा-प्रमाणपत्र और 25,000 रूपए का नकद अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1997-98 में अंतर्जातीय विवाह के लिए अनुदान की मंजूरी के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
- XI चंडीगढ़ में अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति को 5,000/- रूपए की राशि अंतर्जातीय विवाह स्कीम के अंतर्गत दी जाती है।
- XII दादर और नगर हवेली ने वर्ष 1998 में कोई अंतर्जातीय विवाह होने की रिपोर्ट नहीं दी थी।
- XIII दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय में अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन देने की कोई स्कीम नहीं है।
- XIV पांडिचेरी के आदि-द्रविड कल्याण विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

4.15 सिफारिशें

आयोग ने अस्पृश्यता के विभिन्न रूपों, और उसके जारी रहने के कारणों का पता लगाने के लिए और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए कानूनी और अन्य उपायों की समीक्षा करने के लिए 'अस्पृश्यता की समस्या' का अध्ययन किया। सात राज्यों, नामशः बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को नमूनों के रूप में चुना गया था। इस अध्ययन से प्रकट हुआ कि अस्पृश्यता की प्रथा का विस्तार और किरमैं

भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। आयोग इस अध्ययन और उसके द्वारा उपलब्ध अन्य सूचना के आधार निम्नलिखित सिफारिशें करता है :-

- I. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को भी पी.सी.आर. अधिनियम का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों के लोगों के बीच इस अधिनियम के उपबन्धों के बारे में जागरूकता में सुधार किया जा सके। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रचार और संबंधित क्रिया-कलापों की समीक्षा ध्यान पूर्वक की जानी चाहिए, ताकि उन्हें प्रभावोन्मुख और दूर-दराज की आबादियों तक कारगर ढंग से पहुंचने के योग्य बनाया जा सके।
- II. केन्द्र सरकार को, कानूनी सहायता सहित उन सुविधाओं की समीक्षा करनी चाहिए जो राज्य सरकारों द्वारा अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को प्रदान की जा रही हैं और पी.सी.आर. अधिनियम के इस उपबन्ध का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए। इसके अलावा, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के स्वरूप और उनकी मात्रा का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि ये अस्पृश्यता की प्रथा को रोकने का सोदेश्य साधन बन सकें।
- III. केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों पर यह सुनिश्चित करने के लिए जोर डालना चाहिए कि इस उपबन्ध के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों का उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दर्ज किए गए सभी मामलों में कार्यवाई शुरू करने और अभियोजन का पर्यवेक्षण करने के लिए किया जाए। राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन राज्यों में, जहां ऐसा प्रवन्ध नहीं है, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त अथवा निर्धारित किए जाएं जो केवल पी.सी.आर. अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के बारे में कार्य करें। इन लोक अभियोजकों का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी मेहनत की सफलता अथवा विफलता के लिए उन्हें पुरस्कृत करने अथवा उनकी भर्त्सना करने की कोई स्कीम शुरू की जानी चाहिए।
- IV. केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के साथ विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का मामला उठाना चाहिए जिन्होंने अभी तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए हैं। इसके अलावा, विशेष न्यायालयों के कार्य-निष्पादन पर, मामलों को समय पर निपटाने के लिए ध्यानपूर्वक और विवेचनागत रूप से नजर रखी जानी चाहिए।
- V. केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिए कि वे मानिट्रिंग समितियों की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करें ताकि उन्हें कार्यात्मक और कारगर बनाया जा सके।
- VI. केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना चाहिए और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करना चाहिए कि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए और पी.सी.आर. अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय किए जाएं।

- VII. केन्द्र सरकार को राज्यों से अस्पृश्यता-प्रवण क्षेत्रों के अभिनिर्धारण का कार्य समयबद्ध आधार पर पूरा करने का अनुरोध करना चाहिए। केन्द्र सरकार को उन राज्यों से, जो ऐसे क्षेत्रों का अभिनिर्धारण कर चुके हैं अनुरोध करना चाहिए कि वे विशेष संघटक योजना के अधीन स्कीमों को कार्यान्वित करते समय ऐसे क्षेत्रों को अधिमानतः दें।
- VIII. केन्द्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में केवल राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना को इकट्ठा करने की बजाय, इस सूचना की विवेचनात्मक ढंग से जांच करानी चाहिए और इसके साथ-साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए।
- IX. अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित मामलों के बारे में मार्ग-निर्देशों का एक संकलन तैयार किया जाना चाहिए तथा उसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को जारी किया जाए और उसे अन्य संबंधित प्राधिकारियों में भी परिचालित किया जाना चाहिए।
- X. केन्द्र सरकार को अस्पृश्यता-निवारण पर मैला उठाने वालों को मुक्त कराने की स्कीम के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए।
- XI. राज्य सरकारों को जन-संचार के माध्यमों के जरिए अन्तरजातीय विवाहों की स्कीम का व्यापक प्रचार करना चाहिए, ताकि युवाओं की बहुत बड़ी संख्या को अन्तर्जातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- XII. ग्राम पंचायतें अस्पृश्यता की कुप्रथा का उन्मूलन करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। राज्य सरकारों को इस बुराई को समाप्त करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु स्कीमें तैयार करनी चाहिए।
- XIII. केन्द्रीय सरकार को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रभाव की समीक्षा करनी चाहिए तथा उनको इस मामले में समर्थन देने के लिए सूची में शामिल करना चाहिए। राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ सलाह करके, राष्ट्रीय स्तर पर अस्पृश्यता के उन्मूलन का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार किए जाने की भी आवश्यकता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, राज्य सरकारों को चुनिंदा सामाजिक कार्यकर्ताओं को अस्पृश्यता के निवारण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देने की स्कीम शुरू करने पर भी विचार करना चाहिए।
- XIV. भारत सरकार को 'हरिजन थानों' और विशेष न्यायालयों द्वारा अब तक प्राप्त किए गए ठोस परिणामों के अनुसार उनके निष्पादन का निरन्तर मानीटर करना चाहिए।
- XV. आकाशवाणी स्टेशनों और दूरदर्शन केंद्रों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के उद्देश्य, उसकी गतिविधियों व उसके कार्य के बारे में, जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है, देश में सामान्य जनता की जागरूकता में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रचार करना चाहिए।

अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

5.1 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के जनसांख्यिकी तथा सांस्कृतिक आयाम

5.1.1 वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8 प्रतिशत है। जनजातियाँ देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 20 प्रतिशत के क्षेत्र में बसा हुई हैं। वर्ष 1981 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का भाग देश की कुल जनसंख्या में 7.85 प्रतिशत था। वर्ष 1981-91 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि की दस वर्षीय दर (26.00 प्रतिशत) कुल जनसंख्या में वृद्धि की दर (23.79 प्रतिशत) से ऊँची रही थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बीच का अनुपात 74 : 26 था, जबकि इसकी तुलना में अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह अनुपात 93 : 7 था।

5.1.2 जनजातीय समुदायों में विभिन्न जातीय, धार्मिक और भाषाई समूह शामिल हैं। उनके विकास के स्तरों में एकरूपता नहीं है। जहाँ मिजोरम में वे लगभग 100 प्रतिशत साक्षर हैं, वहाँ अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जारवा और शोम्पर लोग अभी भी मूल प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हैं। लेकिन सभी जनजातियों की सामान्य विशेषता है उनकी मजबूत सांस्कृतिक परम्पराएँ, भाईचारा, उनकी बस्तियों की दूरी, बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं का अभाव और प्रौद्योगिकीय उन्नति का निचला स्तर।

5.1.3 जनजातीय लोग दूरस्थ, दुर्गम इलाकों और गरीबी की हालत में रहते हैं, भूख और कुपोषण के शिकार हैं और कुछ जनजातीय इलाकों में विशेष रूप से बच्चों की भूख से मृत्यु हो जाती है और कम से कम खराब मौसम में उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चूंकि भोजन और जल बुनियादी जरूरतें हैं, इसलिए उपयुक्त खाद्य और पोषण सुरक्षा कार्यक्रम के जरिए, इनकी ओर अविलम्ब ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जनजातीय क्षेत्रों, विशेष रूप से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल की दुर्लभता एक गम्भीर समस्या है, जिसका सम्बन्ध उनकी बुनियादी जरूरतों और जिंदा रहने से है। हाल के वर्षों में उच्च वर्षापात वाले क्षेत्रों में भी जल संकट पैदा हो रहा है।

5.1.4 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार द्वारा तीन उपाय किए गए हैं, अर्थात् (i) भारत के संविधान और विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत सुरक्षण और सुरक्षा के उपाय, (ii) शिक्षा और रोजगार में सकारात्मक भेदभाव; और (iii) विभिन्न स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा विकास के उपाय। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित संवैधानिक उपबन्धों और सुरक्षणों पर दूसरे अध्याय में अलग से चर्चा की गई है। शिक्षा और रोजगार में सकारात्मक भेदभाव के बारे में भी इस रिपोर्ट में अलग से चर्चा की गई है।

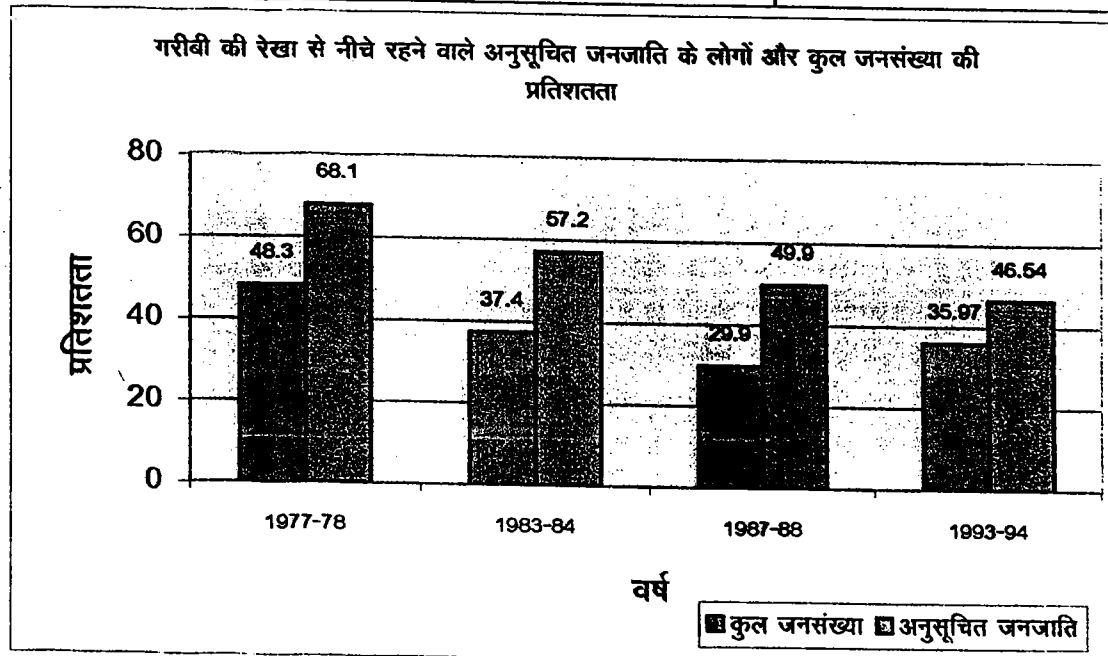
5.2 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास का परिदृश्य

5.2.1 समाज के आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात की तुलना करना और किसी अवधि-विशेष में इस अनुपात में होने वाली कमी है, जिससे विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का पता चलता है। अवधि-विशेष में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुमानों के बारे में योजना आयोग द्वारा एकत्र किया गया डाटा तालिका 5.1 में दिया गया है। जैसा कि इस तालिका से पता चलता है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रतिशतता समाज के शेष लोगों की तुलना में बहुत अधिक है।

तालिका 5.1

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों और कुल जनसंख्या की प्रतिशतता

वर्ष	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति
1977-78	48.30	68.10
1983-84	37.40	57.20
1987-88	29.90	49.90
1993-94	35.97	46.54



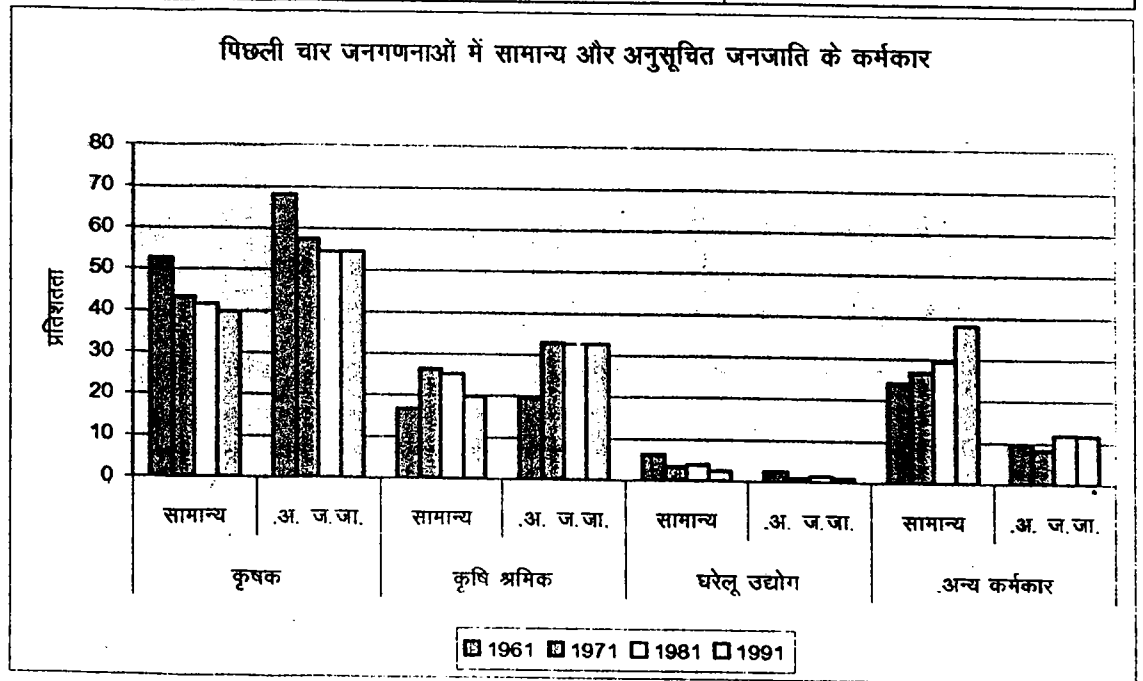
5.2.2 इस आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि विशेषज्ञ दल को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में गरीबी के अनुमान अलग से लगाने चाहिए। इस सिफारिश के आधार पर योजना आयोग ने वर्ष 1993-94 के बारे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण और शहरी गरीबों के अनुमान तैयार किए थे। इन अनुमानों से प्रकट होता है कि अनुसूचित जनजातियों के 46.54 प्रतिशत लोग गरीबी की स्थितियों में रहते आए हैं। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के बारे में किए गए 1997-98 के हाल के सर्वेक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े फिर प्रकाशित नहीं किए गए हैं, हालांकि राज्य स्तर के परिणामों से ऐसे अनुमान प्राप्त हो जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों के अनुमान नियमित आधार पर लगाए जाने चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान का काम करने वाले विभिन्न मंत्रालयों और अभिकरणों द्वारा उपयुक्त नीतिगत उपाय किए जा सकें।

5.2.3 विभिन्न जनगणनाओं की अवधियों में मुख्य कर्मकारों के व्यावसायिक वर्गीकरण से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। वर्ष 1961, 1971, 1981 और 1991 की जनगणनाओं में कर्मकारों के विस्तृत वर्गीकरण की जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है :

तालिका 5.2

पिछली चार जनगणनाओं में सामान्य और अनुसूचित जनजाति के कर्मकारों की प्रतिशतता

वर्ष	सामान्य (%)	अनुसूचित जनजाति (%)
1. कृषक		
1961	52.78	68.18 57.56 54.43 54.50
1971	43.38	
1981	41.53	
1991	39.74	
2. कृषि श्रमिक		
1961	16.71	19.71 33.04 32.67 32.69
1971	26.32	
1981	25.16	
1991	19.66	
3. घरेलू उद्योग		
1961	6.38	2.47 1.03 1.42 1.04
1971	3.35	
1981	3.99	
1991	2.56	
4. अन्य कर्मकार		
1961	24.13	9.64 8.37 11.84 11.76
1971	26.75	
1981	29.32	
1991	38.04	



5.2.4 इन आंकड़ों से देखा जा सकता है कि वर्ष 1991 में अनुसूचित जनजाति के मुख्य कर्मकारों में एक-तिहाई (32.69 प्रतिशत) कृषि श्रमिकों के रूप में काम करते थे। 1961-71 के दौरान अर्थात् हरित क्रान्ति की प्रारम्भिक अवधि में कृषि श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।

इसके बाद सामान्य लोगों की जनसंख्या में कृषि श्रमिकों की प्रतिशतता, जो 1971 में 26.32 प्रतिशत थी, घटकर 1991 में 19.66 प्रतिशत रह गई। लेकिन, इसी अवधि में अनुसूचित जनजाति के मुख्य कर्मकारों में कृषि श्रमिकों के अनुपात में नाम-मात्र की कमी हुई। कृषि श्रमिकों का रोजगार मौसमी और कम मजदूरी वाला होता है, जो मानसून पर बहुत अधिक निर्भर होता है। अनुसूचित जनजाति के विकास के सन्दर्भ में, कृषि मजदूरों द्वारा झेली गई समस्याओं की ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सबसे उपेक्षित वर्ग है।

5.2.5 वर्ष 1971 में अनुसूचित जनजाति के कृषि श्रमिकों की संख्या में जो भारी वृद्धि हुई थी, वह जनजातियों पर हरित क्रान्ति के प्रभाव की बजाए परिभाषा में परिवर्तन किए जाने के कारण हुई थी। इस बात की संभावना है कि कुछ सीमान्तिक जनजातीय कृषक कुछ समय पाकर कृषि मजदूर बन गए हों। जनजातियों में जोत की भूमि का आकार कम हो गया है और आर्थिक रूप से गैर-सक्षम हो गया है और जोत की उपलब्ध भूमियों में केवल सीमित संख्या में लोग लाभदायक ढंग से कार्यरत रह सकते हैं, जिससे अन्य जगहों पर कृषि-श्रमिकों के लिए अतिरिक्त जनशक्ति उपलब्ध हो सकती है। उसी जनगणना अवधि के अन्य व्यावसायिक कर्मकारों के आंकड़ों से भी इस सिद्धान्त का समर्थन होता है।

5.3 जनजातीय उप-योजना

5.3.1 जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति पांचवीं योजना के दौरान अपनाई गई थी और इसमें जनजातीय लोगों के बहुसंख्या वाले विकास खंडों का पता लगाना, इन अभिज्ञात क्षेत्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत अलग से धनराशियां निर्धारित करना और इसके साथ-साथ इन क्षेत्रों के लिए संस्थात्मक वित्त जुटाना और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना शामिल था। जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) की कार्यनीति के अनुसार टी.एस.पी. क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर के जनजातीय लोगों के बाहुल्य वाले क्लस्टर और पाकेट शामिल थे। हालांकि इसकी परिकल्पना मुख्य रूप से एक क्षेत्र-आधारित कार्यप्रणाली के रूप में की गई थी, लेकिन टी.एस.पी. कार्यनीति में लाभभोगी-उन्मुख कार्यक्रम भी शामिल हैं। टी.एस.पी. कार्यनीति 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दमण और दीव में लागू है। किसी क्षेत्र-विशेष में अनुसूचित जनजाति के लोगों की बहुलता के आधार पर, 194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं, 252 संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति पाकेट और 82 क्लस्टर अभिज्ञात और स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 75 आदिम जनजातीय समूहों की भी पहचान की गई है।

5.3.2 जनजातीय उप-योजना का दोहरा उद्देश्य है : जनजातियों का त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास और विभिन्न प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा। छठी पंचवर्षीय योजना में संशोधित क्षेत्र विकास पद्धति जनजातीय लोगों के बाहुल्य वाले ऐसे छोटे क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपनाई गई थी, जिनकी कम से कम जनसंख्या 10,000 हो और जिनमें जनजातीय लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे क्लस्टरों का पता लगाया गया था, जिनकी कम से कम जनसंख्या 5,000 हो, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक संख्या जनजातीय लोगों की हो। आई.टी.डी.पी. और एम.ए.डी.ए. और क्लस्टर संविधान की छठी अनुसूची के क्षेत्रों को कवर नहीं करते, जहां क्षेत्रीय और जिला स्वायत्त परिषदें स्थापित की गई हैं। इस समय देश में आई.टी.डी.पी., एम.ए.डी.ए., क्लस्टरों और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 100 प्रतिशत जनजातीय लोगों को कवर किया गया है।

5.3.3 केंद्रीय मंत्रालय ने अलग जनजातीय उप-योजना अथवा जनजातीय लोगों के सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट स्कीमें तैयार करना शुरू नहीं किया है। उनके प्रयास अभी तक जनजातीय लाभभोगियों को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए मार्गनिर्देश बनाने तक ही

सीमित हैं, हालांकि मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन के मानीटरिंग और सुनिश्चयन के किसी उपयुक्त तंत्र की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जनजातीय विकास में केंद्रीय मंत्रालय की भूमिका का निरूपण प्रधान मंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों को भेजे गए दिनांक 12 मार्च, 1980 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 280/पी.एम.ओ./80 में किया गया है। जनजातीय उप-योजना बनाने में कुछ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की उदासीनता के कारण, योजना आयोग को एक स्थाई त्रिपक्षीय समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें योजना आयोग, जनजातीय कल्याण मंत्रालय और सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सम्बन्धित मंत्रालय अलग से जनजातीय उप-योजना बनाएं और टी.एस.पी. के अन्तर्गत कम से कम जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में धनराशि नियत करें और जनजातीय समुदायों के सामाजिक - आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए विशिष्ट आवश्यकता आधारित स्कीमों/कार्यक्रम निर्धारित और तैयार करें।

5.4 टी.एस.पी. के लिए धनराशियों का प्रवाह

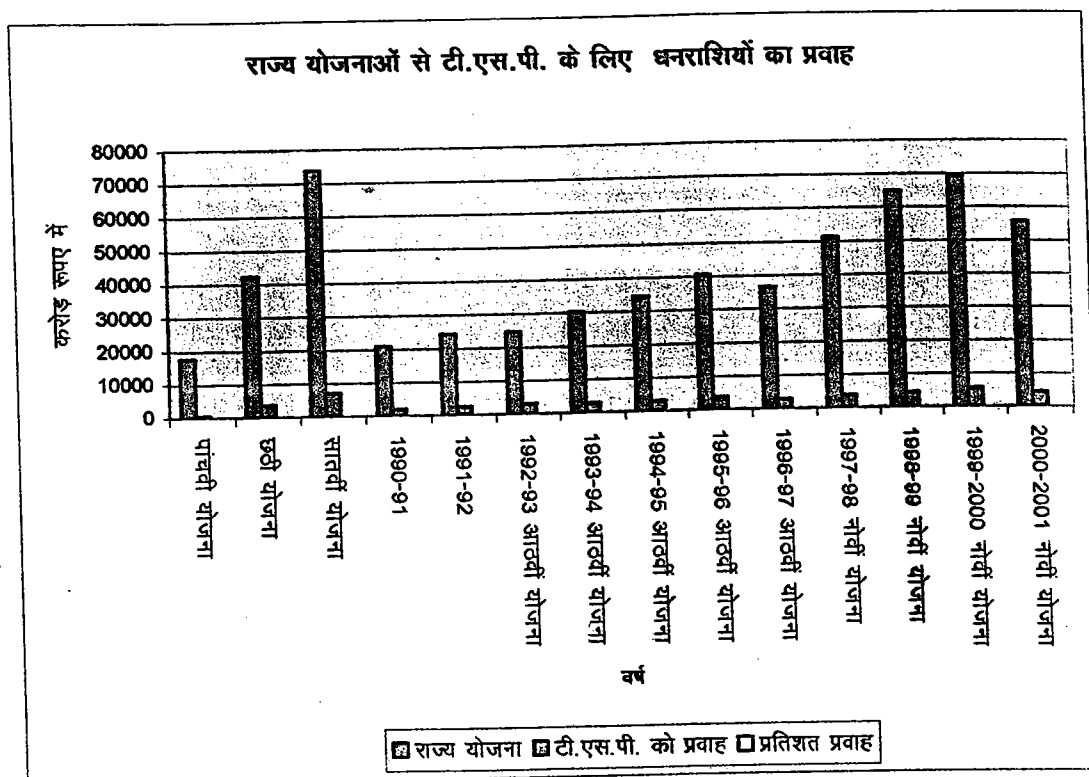
5.4.1 एक विवरण अनुबन्ध V-1 में दिया गया है, जिसमें वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में टी.एस.पी. को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुई धनराशियों की जानकारी दी गई है। टी.एस.पी. के आकार में लगातार वृद्धि होती रही है। समूची पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह 751.33 करोड़ रुपए की, और उसके बाद इसका परिव्यय बढ़ कर वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में क्रमशः 4492.58, 5615.33 और 4458.34 करोड़ रुपए हो गया। पांचवीं योजना से टी.एस.पी. के अन्तर्गत धनराशियों के बढ़े हुए प्रवाह को नीचे की तालिका 5.3 में देखा जा सकता है।

तालिका 5.3
राज्य योजनाओं से टी.एस.पी. के लिए धनराशियों का प्रवाह

(करोड़ रुपए में)

योजना अवधि	राज्य योजना	टी.एस.पी. को प्रवाह	प्रतिशत प्रवाह
पांचवी योजना	17692.88	751.33	4.25
छठी योजना	42390.60	3718.56	8.77
सातवीं योजना	73952.90	7076.81	9.57
1990-91	20918.64	2011.97	9.62
1991-92	24337.93	2503.62	10.27
आठवीं योजना			
1992-93	24811.55	3019.73	12.17
1993-94	30375.90	2887.83	9.51
1994-95	34501.05	3061.23	8.87
1995-96	40549.26	3867.07	9.54
1996-97	36718.60*	2964.19*	8.04
1997-98	51490.96	3882.64	7.54
1998-99	65013.82	4499.58	6.92
1999-2000	69342.19	5615.33	8.09
2000-2001	55738.89	4458.34	7.99

* इसमें बिहार, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का योजना परिव्यय और टी.एस.पी. के लिए धनराशि का प्रवाह शामिल नहीं है, क्योंकि इन राज्यों की टी.एस.पी. को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।



5.4.2 उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि 12.17 प्रतिशत का अधिकतम अनुपातिक आबंटन 1992-93 में हुआ था और उसके बाद इसमें 1998-99 तक गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देती रही। इन आबंटनों में केवल सांकेतिक मात्राकरण भी शामिल हैं। आयोग ने नोट किया है कि अनेक बार वास्तविक उपयोग के समय काफी कमी कर दी जाती है। इसके अलावा साक्षरता, स्वास्थ्य, आय और अन्य मामलों में अनुसूचित जनजाति और शेष जनसंख्या के विकास के सूचकांकों में निरन्तर काफी बड़ा अन्तर रहने से पता चलता है कि आबंटनों में पर्याप्त वृद्धि करने और उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करने की अविलम्ब आवश्यकता है। वर्ष 1994-95 से 2000-2001 तक राज्य योजनाओं से जनजातीय उप-योजना के लिए किए गए राज्य-वार आबंटनों की जानकारी अनुबन्ध V-2 से मिल सकती है।

5.4.3 यह सच है कि सातवी योजना के बाद से टी.एस.पी. के अन्तर्गत धनराशियों का नियतन राज्यों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, सिवाय वर्ष 1997-98 और 1998-99 के, लगभग 8 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहा है। लेकिन केवल कुछ राज्यों ने महाराष्ट्र के माडल को अपनाया है, जिसमें टी.एस.पी. के लिए अलग बजट शीर्ष है और टी.एस.पी. के समूचे बजट को जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव के नियंत्रण के अन्तर्गत पूल कर दिया जाता है, ताकि यह देखा जा सकता है कि धनराशियों का अन्य कार्यों के लिए उपयोग न हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि समूची नियत राशि का उपयोग केवल जनजातीय समुदायों के कल्याण और विकास के लिए किया जाए।

5.4.4 आठवी पंचवर्षीय योजना के कार्य दल ने सिफारिश की थी कि टी.एस.पी. के लिए धनराशियों का नियतन जनजातियों की जनसंख्या के हिस्से से कम से कम 3 प्रतिशत अधिक किया जाना चाहिए, ताकि जनजातीय लोगों और अन्य लोगों के विकास के बीच जो अन्तर है उसे पाटा जा सके। इसके अलावा, राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे टी.एस.पी. के लिए धनराशियों का नियतन कम से कम जनजातीय जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में करें (अनुबन्ध V-2)। केवल हिमाचल

प्रदेश ने धनराशि नियत करने के इस सिद्धान्त का, जिसकी सिफारिश की गई है, लगातार पालन किया है और 4.22 प्रतिशत जनसंख्या के लिए टी.एस.पी. के वास्ते राज्य योजना के 8.5 से 9.00 प्रतिशत के बराबर धनराशि नियत की है।

5.4.5 अखिल भारतीय स्तर पर, टी.एस.पी. के लिए योजना-राशियों का नियतन (8.88 प्रतिशत) जैसा कि आठवीं योजना के 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित है, न्यूनाधिक रूप से जनजातीय जनसंख्या के हिस्से के अनुपात में है। लेकिन बिहार और उड़ीसा द्वारा अनुपात से अधिक किए गए नियतन से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि ये दोनों राज्य वित्तीय संसाधनों का काफी बड़ा भाग जनजातियों पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जितना नियत किया जाए उतना वास्तव में खर्च भी किया जाए। अनुबन्ध V-2 में यह दर्शाया गया है कि राज्यों द्वारा टी.एस.पी. के लिए नियत की गई राशि में से कितने प्रतिशत राशि उपयोग की गई।

5.4.6 सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल चार राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ने टी.एस.पी. के लिए नियत पूरी राशि खर्च की थी। मध्य प्रदेश ने सातवीं योजना में किए गए उपयोग के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन यह दिलचस्पी की बात है कि उड़ीसा ने टी.एस.पी. के लिए जनजातीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक राशि नियत की थी, परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नियत की गई राशि का केवल 44.57 प्रतिशत भाग खर्च किया।

5.4.7 आयोग ने इस अवधि में राज्यों द्वारा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की, जिस पर इस अध्याय में अलग से चर्चा की गई है। आयोग ने देखा है कि राज्य आमतौर पर राज्य की जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में टी.एस.पी. के लिए परिव्यय की व्यवस्था नहीं करते। आयोग द्वारा यह भी देखा गया कि वार्षिक योजना सम्बन्धी चर्चा के समय जनजातीय उप-योजना के लिए जो धनराशि नियत की जाती है, वह अधिकांश राज्यों द्वारा पूरी इस्तेमाल नहीं की जाती। इस सम्बन्ध में आयोग अपनी पहली सिफारिश दोहराता है कि राज्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार राज्यों को जनजातीय उप-योजना के लिए धनराशि का नियतन राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता से कुछ अधिक करना चाहिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश को छोड़कर और किसी राज्य ने इस सिफारिश का पालन नहीं किया है।

5.4.8 टी.एस.पी. सम्बन्धी कार्यनीति और टी.एस.पी. के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और अन्य विकास उपायों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित संचालन समिति ने बताया था कि टी.एस.पी. की कार्यनीति कई बाधाओं से ग्रस्त है, जहां तक धनराशि और लाभों के मात्राकरण का सम्बन्ध है। हालांकि टी.एस.पी. को तैयार करने के प्रथम चरण के रूप में धनराशि के प्रवाह और मात्राकरण का काम किया जा सकता था, लेकिन समूची टी.एस.पी. के अन्तर्गत इस प्रकार धनराशि और लाभों की जो मात्रा निर्धारित की गई है उन्हें कारगर रूप से अलग-अलग नहीं किया जा सका, क्योंकि उस स्तर पर अपेक्षित प्रक्षेपण नहीं किए जा सके। इसके अलावा, टी.एस.पी. की वास्तविक आवश्यकताएं/मात्राकरण क्या होगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि टी.एस.पी. का महाराष्ट्र मॉडल भी, जिसकी इतनी अधिक प्रशंसा की जाती है, इस दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के उपबन्धों के अनुसार, प्रभावकारी प्रशासन एक ऐसी विशिष्ट मद है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिया जाना अपेक्षित है। सातवें वित्त आयोग ने ऐसे अनुदानों के लिए व्यवस्था की थी। लेकिन, बाद के वित्त आयोगों ने ऐसे अनुदान प्रदान नहीं किए। इसलिए वित्त आयोग के लिए यह जरूरी है कि वह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए धन की व्यवस्था करे।

5.4.9 आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि जनजातीय लोगों के कल्याण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास पुनरावर्ती बन गए हैं और इसलिए मौजूदा कार्यनीतियों/कार्यक्रमों की जांच करने की अविलम्ब आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उन्हें संशोधित किया जा सके और उनमें नए और अभिनव पहलू शामिल किए जा सकें।

5.5 जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए.)

5.5.1 एस.सी.ए. का उपयोग टी.एस.पी. की राशियों के साथ मिलाकर किया जाना है ताकि उन कमियों को पूरा किया जाए, जिनका अन्यथा राज्य योजनाओं द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता। यह मुख्यतः कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, पशुपालन, वन, शिक्षा, सहकारिता, मात्स्यिकी, ग्राम और लघु उद्योग के क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, आदि जैसे परिवार-उन्मुख और आय का सृजन करने वाली स्कीमों के लिए होती है। इससे राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। विशेष केंद्रीय सहायता की मात्रा का फैसला योजना आयोग द्वारा निर्धारित कसौटियों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1992-93 से 2000-2001 तक के वर्षों में टी.एस.पी. के लिए नियत और रिलीज की गई विशेष केंद्रीय सहायता की राज्यवार जानकारी अनुबन्ध V-3 में दी गई है।

5.5.2 यह देखा जा सकता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता की मात्रा में गत वर्षों में वृद्धि होती रही है। वर्ष 1992-93 में यह 25,000 लाख रुपए थी, जो बढ़ कर वर्ष 2000-2001 में 40,000 लाख रुपए हो गई। गत वर्षों में राज्यों को रिलीज की गई विशेष केंद्रीय सहायता और राज्यों द्वारा उसके उपयोग से पता चलता है कि यह 80-90 प्रतिशत के बीच रहा है। आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई विशेष केंद्रीय सहायता का पूरा उपयोग विकास स्कीमों को अधिक सक्षम बनाने और पारिवारिक आय का सृजन करने में अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग न होने का सामान्य रूप से राज्यों द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि भारत सरकार धनराशियां समय पर रिलीज नहीं करती और रिलीज होने के बाद भी राज्य के वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे कार्यान्वयन अभिकरणों को धनराशियां रिलीज करने में विलम्ब हो जाता है और परिणामतः धनराशि को समय पर इस्तेमाल करने का धक्का लगता है।

5.5.3 कुछ क्षेत्रों का यह दृढ़ मत है कि एस.सी.ए. के एक प्रमुख भाग का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाना चाहिए और केवल एक छोटे से भाग का उपयोग वैयक्तिक और परिवार-उन्मुख स्कीमों के लिए किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, यह भी आशंका है कि यदि एस.सी.ए. के इस्तेमाल के पैटर्न के मौजूदा अनुपात को बदल दिया गया तो इसका उपयोग जनजातीय लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने के स्थान पर आम जनता के लिए किया जाने लगेगा। सुगमता और बुनियादी ढांचे का अभाव जनजातीय क्षेत्रों के निरन्तर पिछड़ेपन के मुख्य कारण हैं और क्षेत्रकीय योजनाओं के तहत किए गए नियतनों से जनजातीय क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए, एस.सी.ए. का एक बड़ा भाग बुनियादी ढांचे और सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए और कुछ व्यवस्था व्यक्ति-उन्मुख स्कीमों के लिए की जानी चाहिए।

5.5.4 इस आयोग ने अपनी पहली वार्षिक रिपोर्टों में एस.सी.ए. के उपयोग के बारे में बहुत सी सिफारिशें दी हैं। आयोग इस बात को दोहराता है कि विशेष केंद्रीय सहायता सीधे कार्यान्वयन

अभिकरण को अर्थात् आई.टी.डी.पी. को रिलीज किया जाना चाहिए, जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधे डी.आर.डी. को धनराशियां रिलीज करके किया जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए जो अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, उन पर नीचे चर्चा की जा रही है :

5.6 ग्रामीण आवास योजना

5.6.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्यतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले ग्रामीण परिवारों को सहायता देने के लिए वर्ष 1985-86 से इन्दिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रहा है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से भिन्न लोगों के परिवारों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक धनराशि नियत नहीं की जाती। अन्य स्कीमें हैं “ग्रामीण आवास (शेल्टर)”, ऐसे परिवारों के लिए, जिनकी वार्षिक आय 32,000/- रुपए तक हो, ऋण व सब्सिडी स्कीम, जिसके अंतर्गत सब्सिडी की राशि की सीमा 10,000/- रुपए है। अधिक से अधिक 40,000/- रुपए की राशि का ऋण लिया जा सकता है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित लाभानुयोगियों की प्रतिशत 24.45 % है।

5.6.2 समग्र आवास योजना एक व्यापक आवास योजना है, जो वर्ष 1999-2000 में प्रारम्भ की गई थी और जिसके अन्तर्गत आश्रय, सफाई और पेयजल सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है। मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के बारे में अलग से सूचना नहीं दी है।

5.7 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

5.7.1 इस स्कीम का उद्देश्य गरीब परिवारों को आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां प्रदान करके उनकी सहायता करना और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। इस स्कीम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने आवश्यक हैं। आर्थिक सहायता परियोजना लागत का 50% है बशर्ते कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 10,000 रुपए स्वरोजगारियों के किसी समूह को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 1.25 लाख रुपए है। लेकिन सिंचाई परियोजनाओं के मामले में सब्सिडी की कोई मौद्रिक सीमा नहीं है। इस स्कीम की लागत का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75 : 25 के अनुपात के आधार पर किया जाता है और इस स्कीम को डी.आर.डी.ए. द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों, सम्बन्धित विभागों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है। एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत लाभभोगियों की जानकारी अनुबन्ध V- 4 में दी गई है। एस.जी.एस.वाई. के अधीन आर्थिक क्रियाकलापों के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्मित स्व-सहायता समूहों की जानकारी अनुबन्ध V- 5 में दी गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए अनुसूचित जनजातियों के स्व-सहायता समूहों स्वरोजगारियों का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर 13.93 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के बहुत कम स्व-रोजगारियों को कवर किया गया था। वर्ष 2000-2001 में कुल जितने कार्यदिवसों का रोजगार सृजित किया गया था, उनमें अनुसूचित जनजाति के लिए 25.40 प्रतिशत कार्यदिवसों का रोजगार था।

5.8 रोजगार आश्वासन स्कीम

5.81 रोजगार आश्वासन स्कीम का वर्ष 1999 में पुनर्गठन किया गया और गरीबी की रेखा से नीचे के अकुशलताप्राप्त मजदूरों के लिए मजदूरी रोजगार का यह एकमेव कार्यक्रम है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को तरजीह दी जाती है। वर्ष 2000-2001 में कुल जितने कार्यदिवसों का रोजगार सृजित किया गया था उसमें से 23.06 प्रतिशत कार्यदिवसों का रोजगार अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए था।

5.9 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)

5.9.1 जे.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत किए जाने वाले वार्षिक नियतनों का 22.5 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के वैयक्तिक लाभभोगियों के लिए निर्धारित किया जाना होता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए 25.40 प्रतिशत कार्य-दिवसों के रोजगार सृजित किए गए।

5.10 त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)

5.10.1 इस स्कीम के बारे में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, 10 प्रतिशत कवरेज अनुसूचित जनजाति की बस्तियों की होनी चाहिए, लेकिन इसकी तुलना में वर्ष 2000-2001 में उपलब्धि 8.69 प्रतिशत की थी। आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में एक गम्भीर समस्या सुरक्षित पेय जल की अनुपलब्धता की है और इसलिए राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की 10 प्रतिशत से अधिक बस्तियों को कवर करने की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए।

5.11 केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम (सी. आर. एस. पी.)

5.11.1 इस स्कीम के अन्तर्गत कुल राशियों में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वैयक्तिक परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए अलग निर्धारित की जानी है, जिसकी तुलना में वर्ष 2000-2001 में कुल कवरेज 31.11 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का कवरेज केवल 5.18 प्रतिशत था।

5.12 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

5.12.1 इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में कवर किए गए कुल व्यक्तियों में से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिशत 7.23 प्रतिशत था। वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ स्कीम (एन.एम.बी.एस.) के अन्तर्गत कवर किए गए कुल लोगों में अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर 8.35 प्रतिशत था। एन.एम.बी.एस. के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का राज्य स्तर पर कवरेज की जानकारी अनुबन्ध V- 6 में दी गई है।

5.12.2 राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एस.एफ.बी.एस.) के तहत वर्ष 2000-2001 में अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का कवरेज 7.40 प्रतिशत था। एस.एफ.बी.एस. के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का राज्य स्तर पर कवरेज की जानकारी अनुबन्ध V- 7 में दी गई है।

5.12.3 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का (एन. ओ. ए. पी. एस.) अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का कवरेज 7.55 प्रतिशत था। एन.ओ.ए.पी.एस. के तहत अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का राज्य स्तर पर कवरेज की जानकारी अनुबन्ध V- 8 में दी गई है।

5.12.4 आयोग सिफारिश करता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की मौजूदा संख्या के अनुसार, इन लोगों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी स्कीमों के अन्तर्गत कम से कम उनके अनुपात के अनुसार कवर किया जाना चाहिए।

5.13 आदिम जनजातीय समूहों का विकास (पी.टी.जी)

5.13.1 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले 75 जनजातीय समुदायों की पहचान आदिम जनजातीय समूहों के रूप में की गई है, ताकि उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाए। आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.एस.) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुबन्ध V- 9 में दी गई है। इन समुदायों को उनकी कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी, अलग-थलग अस्तित्व और बाह्य संसार से बहुत कम सम्पर्क होने (और कुछ मामलों में बिल्कुल कोई सम्पर्क न होने), साक्षरता के अत्यन्त निम्न स्तर, जनसंख्या में वृद्धि गतिरुद्ध होने, शिकार करके, खाद्य पदार्थों को एकत्र करके, और मछली पकड़ कर जीवन बिताने, अलग विशिष्ट संस्कृति और नस्ल के आधार पर आदिम जनजातीय समूह घोषित किया गया था। आदिम जनजातीय समूहों की समस्याएं और जरूरतें देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों से बिल्कुल भिन्न हैं। जनजातीय उप-योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के लिए यह अपेक्षित है कि वे केंद्रीय क्षेत्रक की/केंद्र-प्रायोजित स्कीमों और राज्य योजनाओं की स्कीमों से उनके विकास के लिए धनराशियां नियत करें।

5.13.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिम जनजाति समूहों के एकीकृत विकास की स्कीम के लिए, जिसमें जागरूकता उत्पन्न करने, विश्वास पैदा करने, जनजातीय युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देने, स्व-सहायता समूहों का गठन करने और सेवा/निविष्टियों की व्यवस्था करने के क्रियाकलाप शामिल हैं, जो अन्य किसी मौजूदा स्कीम में शामिल नहीं है, आई.टी.डी.पी., जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करता है। यह स्कीम वर्ष 1998-99 में शुरू की गई थी और विभिन्न राज्यों को रिलीज किए गए अनुदानों की जानकारी अनुबन्ध V- 10 में दी गई है।

5.13.3 आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों की दुर्दशा पर यह टिप्पणी की है कि उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा और उनका विकास सुनिश्चित करने, उपयुक्त और उचित कार्यक्रम तैयार करने के लिए उनके बारे में कोई उपयुक्त और क्रमबद्ध जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, आयोग इन 75 आदिम जनजातीय समूहों के बारे में अनुसंधान - अध्ययन करने की जरूरत पर बल देता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्राप्त किया जा चुका है, किस चीज का अभाव है, और भावी योजनाओं में उनके कल्याण के लिए क्या किया जाना चाहिए।

5.13.4 आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की स्कीमों के अन्तर्गत नियत की गई धनराशियों और किए गए खर्च की जानकारी अनुबन्ध V- 10 में दी गई है। इससे पता चलता है कि 1998-99 में आदिम जाति संहारिया के विकास के लिए टी.आर.आई., उदयपुर (राजस्थान) को 33.50 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जिनका इस्तेमाल वर्ष 2000-2001 में भी नहीं हुआ। आयोग के जयपुर में स्थित राज्य कार्यालय के पास उपलब्ध सूचना से इस बात की पुष्टि होती है कि यह राशि इसलिए इस्तेमाल नहीं की जा सकी क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपेक्षित मंजूरी नहीं दी है और धनराशि जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टी.आर.आई.) को रिलीज भी नहीं की गई थी। इसी प्रकार जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बिहार में आई.टी.डी.पी. को धन रिलीज किया था और धनराशियां इस्तेमाल किए बिना पड़ी रहीं। लेकिन केरल, कर्नाटक, मणिपुर और उड़ीसा के गैर-

सरकारी संगठनों को जो अनुदान रिलीज किए गए थे उनका उपयोग हो जाने की सूचना दी गई है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को जो धनराशियां रिलीज की जाएं, उनका उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाए और इसके लिए अनुवीक्षण व मूल्यांकन अध्ययन हाथ में लिए जा सकते हैं।

5.13.5 यह देखा गया है कि राज्यों द्वारा राज्य योजना से और अलग-अलग विभागों द्वारा भी आदिम जनजातीय समूहों के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए बजट व्यवस्था नहीं की जा रही है और केवल विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए, राज्य सरकारों को भी आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए बजट - व्यवस्था करनी चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए स्वेच्छिक प्रयासों के बारे में 17 अक्टूबर, 2000 को नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्य आम सहमति यह बनी कि आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए क्षेत्रकीय कार्यप्रणाली के स्थान पर एकीकृत कार्यप्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

5.14 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान

5.14.1 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर किए जाते हैं और जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से रिलीज किए जाते हैं। इनकी जानकारी अनुबन्ध V-11 में दी गई है। ये राशियां राज्य सरकारों को विकास की उन स्कीमों की लागत को पूरा करने के लिए रिलीज की जाती हैं जो उनके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष क्षेत्र के प्रशासन के स्तर तक ऊंचा उठाने के लिए हाथ में ली जाएं। वर्ष 1992-93 से 75 करोड़ रुपए की वार्षिक व्यवस्था की जा रही थी और 1992-93 से 1998-99 तक इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई। वर्ष 1999-2000 में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। यह फैसला किया गया है कि इस राशि के कुछ भाग का इस्तेमाल जनजातीय लड़कों और लड़कियों को प्राथमिक स्कूल-शिक्षा के बाद गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के वास्ते 100 माडल रिहायशी स्कूल स्थापित करने के लिए किया जाए। असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजना-भिन्न बजट में एक अलग व्यवस्था की जाती है, जो शुरू से ही हर वर्ष 14 लाख रुपए की जाती है और पिछले 50 वर्षों से इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।

5.14.2 इस उपबन्ध के अन्तर्गत नियत की जाने वाली राशि बहुत कम है और राज्यों द्वारा इसका उपयोग भी बहुत कम किया जाता है और वह भी अधिकांशतः, संविधान में अथवा मार्गनिर्देशों में परिकल्पित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए। वर्ष 1999-2000 के आंकड़ों से प्रकट होता है कि अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत रिलीज किए गए अनुदानों में से केवल 34.48 प्रतिशत का उपयोग राज्यों द्वारा किया गया था और कुछ राज्यों, जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने, उन्हें प्राप्त अनुदान का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। आयोग ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट में अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं और वह उन्हें फिर से दोहराता है।

5.14.3 इस स्कीम में टी.एस.पी. के सारे क्षेत्र और देश की जनजातियों की बहुसंख्या वाले 4 राज्य शामिल हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2000-2001 में 200 करोड़ रुपए का आबंटन किया था, लेकिन उनमें से केवल 76.57 करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए गए थे, जो बजट-व्यवस्था के केवल 38.29 प्रतिशत के बराबर हैं। यह देखा गया है कि स्कीमों को कार्यान्वित करने

के लिए राज्य सरकारें धनराशियां समय पर रिलीज नहीं कर रही हैं, इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि धनराशियां विशेष विकास कार्यों/परियोजनाओं और राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन के सामान्य मूल्यांकन के आधार पर रिलीज की जाएंगी। इस आयोग ने यह देखा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय परियोजनाओं को मंजूरी देने और राज्यों को धनराशि रिलीज करने में देर करता है, जिससे अन्ततः परियोजनाओं/निर्माण-कार्यों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकारों के साथ सलाह करके, प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की अविलम्ब आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें कम से कम देरी हो।

5.15 आई.टी.डी.पी./आई.टी.डी.ए. का कार्यचालन

5.15.1 देश के विभिन्न राज्यों के टी.एस.पी. क्षेत्रों में 194 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं/एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण हैं। टी.एस.पी. के अन्तर्गत स्कीमों/कार्यक्रमों और परियोजनाओं का कार्यान्वयन आई.टी.डी.पी. के जरिए किया जाता है। आई.टी.डी.पी. से अपेक्षा की जाती है कि वे टी.एस.पी. के नीतिगत ढांचे के अन्दर जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की स्कीमों में तैयार करें और कार्यान्वित करें। एक आई.टी.डी.पी. की बुनियादी भूमिका यह थी कि वह प्रत्येक आई.टी.डी.पी. क्षेत्र में कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में केंद्रीय भूमिका अदा करे। आई.टी.डी.पी. के पिछले कार्यचालन के आधार पर निम्नलिखित टिप्पणियां की जाती हैं/सिफारिशें की जाती हैं :-

- I टी.एस.पी. के अन्तर्गत पूल निधियों के एक काफी बड़े भाग का वितरण राज्यों में आई.टी.डी.पी. के बीच न्यायोचित आधार पर किया जाना चाहिए।
- II आई.टी.डी.पी./आई.टी.डी.ए. के स्तरों पर पूर्ण वित्तीय, कार्यक्रममात्मक और प्रशासनिक एकीकरण होना चाहिए।
- III टी.एस.पी. क्षेत्रों में संगठनों की बहुलता को समाप्त किया जाना चाहिए।
- IV आई.टी.डी.पी. में आन्ध्र प्रदेश की पद्धति के अनुसार सिंगल लाइन प्रशासन होना चाहिए।
- V आई.टी.डी.पी. क्षेत्र में, जिले में आई.टी.डी.पी. के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र शामिल होने चाहिए। सभी प्रचालनात्मक स्तरों पर कार्यों के कारगर और कुशल क्रियान्वयन के लिए कमान की लाइन सरल और अधिक स्पष्ट होनी चाहिए। एक आई.टी.डी.पी. में काम करने वाले परियोजना/जिला स्तर के सभी अधिकारियों को सभी प्रशासनिक और सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए परियोजना अधिकारी के सीधे नियंत्रण के अधीन रखा जाना चाहिए, चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी विभाग से हो।
- VI परियोजना अधिकारी को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए और उसे इन शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा उपयुक्त मानदंड विकसित किए जाने चाहिए ताकि परियोजना अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आई.टी.डी.पी. में जनजातियों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों की प्रगति के लिए उत्तरदायी बनाया जा सके। इस प्रयोजनार्थ से परियोजना अधिकारी के लिए कोई न्यूनतम कार्यकाल, जैसे लगभग तीन साल, अथवा अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए।

VII स्कीमों के कार्यचालन और कार्यान्वयन में सुधार के लिए आई.टी.डी.पी. के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए ।

VIII आई.टी.डी.पी. अधिकारी के कार्यालय को पर्याप्त समर्थनकारी कर्मचारियों और उपयुक्त आयोजन, मानीटरिंग और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके मजबूत बनाया जाना चाहिए ।

संस्थात्मक वित्त

5.16 जनजातीय सहकारी विपणन फेडरेशन (ट्राइफेड) और जनजातीय सहकारी विकास निगम (टी.डी.सी.सी.)

5.16.1 ट्राइफेड वर्ष 1987 से काम कर रहा है । इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को उनके गौण वन उत्पादों और फालतू कृषि उत्पादों के विपणन में उन्हें सहायता देना और उन्हें उनकी लाभकारी कीमतें प्राप्त कराना तथा उन्हें निजी व्यापारियों और बिचौलियों के शोषणकारी तौर-तरीकों से बचाना है । ट्राइफेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए है और उसकी चुकता पूंजी 1998-99 में 99.73 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 99.50 करोड़ रुपए है और शेष 23.00 लाख रुपए का अंशदान राज्य के टी.डी.सी.सी. और अन्य शेयरधारियों द्वारा किया गया है । भारत सरकार द्वारा वर्ष-वार रिलीज की गई शेयर-पूंजी का ब्योरा अनुबन्ध V.12 में दिया गया है । ट्राइफेड गौण वन उत्पादों और फालतू कृषि उत्पादों और बगान उत्पादों की वसूली का काम टी.डी.सी.सी., एफ.डी.सी., लैम्स और राज्य स्तर के अन्य वसूली अभिकरणों के माध्यम से करता है और भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड को मूल्य समर्थन के लिए वर्ष-वार रिलीज की गई राशि की जानकारी अनुबन्ध V-13 में दी गई है ।

5.16.2 ट्राइफेड के वर्ष 1988-89 से 1999-2000 के कार्य-निष्पादन से पता चलता है कि इसके कुल कारोबार में वर्ष 1996-97 तक वृद्धि होती रही, जब यह 13258 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, लेकिन केवल कारोबार से यह पता नहीं चल सकता कि ट्राइफेड के जरिए जनजातीय लोगों को कितना लाभ पहुंचा है । ट्राइफेड के कार्यचालन की समीक्षा करने और उपचारात्मक उपाय करने की अविलम्ब आवश्यकता है । भारत सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 99.50 करोड़ रुपए का अंशदान किया है और प्राधिकृत शेयर पूंजी का स्तर ट्राइफेड की चुकता पूंजी पहले ही प्राप्त कर चुकी है । इसलिए सरकार से निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने का अनुरोध करना जरूरी है ।

5.16.3 ट्राइफेड देश के अन्दर और निर्यात-बाजार में 100 से अधिक वस्तुओं का क्रय-विक्रय करता है, जिनमें दालें, मोटे अनाज, मक्का, वृक्षों से उत्पन्न तेलहन, अन्य तेलहन, डाक मिल्स, गौण वन उत्पाद, चिकित्सीय जड़ी बूटियां, मसाले और सूखे फल, बागवानी फसलों के उत्पाद और हस्त-शिल्प की वस्तुएं और अन्य उत्पाद जैसे बांस, धातु, लौह-कर्म, कागज की बनी वस्तुएं, पक्की मिट्टी (टेराकोटा) और कपड़े से बनी वस्तुएं शामिल हैं ।

5.16.4 कौशलों के उन्नयन, विपणनयोग्य वस्तुओं का पता लगाने, उत्पादों के मूल्य-वर्धन और गुणवत्ता-सुधार, मार्केट के लिंकेज स्थापित करने, आदि के लिए अपेक्षित सहायता/समर्थन देने का काम अधिक सुनियोजित तरीके से किया जाना चाहिए । यह बहुत जरूरी है कि विकास संधारणीय हो और इसलिए ट्राइफेड के कार्यचालन में सुधार के लिए अविलम्ब उपाय किए जाने की आवश्यकता है ।

5.16.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों के सहकारी जनजातीय विकास निगमों (टी.डी.सी.सी.), वन विकास निगमों, आदि को गौण वन उत्पादों की खरीद, उनके प्रसंस्करण और विपणन, आदि का कार्य हाथ में लेने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान देता है। जनजातीय लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी अल्प आय की अनुपूर्ति करने के लिए अभी भी गौण वन उत्पादों का संग्रह करने पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अधिकांश टी.डी.सी.सी. अपने खरीद के कार्यों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार से उपलब्ध होने वाले अनुदानों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मंत्रालय द्वारा रिलीज किए गए अधिकांश अनुदान स्टाफ वेतनों की अदायगी में खर्च हो जाते हैं।

5.16.6 आयोग ने देखा है कि आमतौर पर सक्षम अभिकरण गौण वन उत्पादों को संभालने, आदि के काम में, जो कि राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों को सौंपा गया है, पंचायतों की सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। गौण वन उत्पादों के प्रबन्ध के कौशलों की जानकारी के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञता के रूप में सहायता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

5.16.7 राज्य स्तर के बहुत से टी.डी.सी.सी. और 'लैम्प्स' को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वन-उत्पादों के लिए उपयुक्त मूल्य समर्थन प्रणाली के न होने के कारण जनजातीय लोगों को अपने गौण वन उत्पादों और कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है।

5.16.8 ट्राइफेड द्वारा खरीदे गए उत्पादों को राज्य से बाहर ले जाने पर भी पाबन्दी लगी हुई है और मार्केट यार्डों से बाहर वाणिज्यिक क्रियाकलापों पर लगे प्रतिबन्ध को अभी कार्य रूप नहीं दिया गया है। इससे व्यापारियों और बिचौलियों को गलत तौर-तरीके अपना कर जनजातीय उत्पादों को कम कीमतों पर बेचने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि मार्केट यार्डों से बाहर वाणिज्यिक क्रियाकलाप चलाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विनियम बनाए जाएं।

5.16.9 देश के अनुसूचित क्षेत्रों में नाबार्ड, अन्य बैंकों और संगठनों, जैसे ग्राम संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों, वन धन समितियों और ग्राम सभा और वार्ड सभा, ग्राम विकास बोर्ड, आदि की सहायता से स्व-सहायता का निर्माण तेजी से हो रहा है। हम सिफारिश करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के अधीन गांवों में जनजातीय स्व-सहायता समूहों को गौण वन उत्पादों और कृषि उत्पादों के संग्रह, भंडारण और बिक्री का काम हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि जनजातीय लोग आत्मनिर्भर बन सकें।

5.16.10 आयोग महसूस करता है कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जनजातियों के प्रति अपने दृष्टिकोण, बोध में बदलाव लाना चाहिए और उन्हें घुसपैटिए मानने के स्थान पर जनजातियों के साथ अपने सम्बन्धों को सहजीवी समझना चाहिए।

5.17 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

5.17.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन अक्टूबर, 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विभाजन करके किया गया है। हाल ही में एक अलग अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई है।

5.18 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

5.18.1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य योजनाओं के अन्तर्गत जनता के कमजोर वर्गों को पुनर्वित्त की प्राप्ति में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करता रहा है। वर्ष 1999-2000 में 109 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया, जबकि वर्ष 1998-

99 में 106 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे। नाबार्ड ने अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों की कवरेज और कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में कोई ब्योरा नहीं दिया है।

5.18.2 नाबार्ड की अनन्य रूप से जनजातियों के लोगों के वित्तपोषण के लिए ब्याज की रियायती दरों पर और ढीले बनाए गए मानदंडों पर अलग अल्पकालिक ऋण सीमाएं मंजूर करने की एक नीति है। ऋण और सेवाओं का पैकेज, जिनकी आवश्यकता जनजातीय लोगों को होती है, जिसमें कुछ भाग उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है 'लैम्प्स' के जरिए प्रदान किया जाता है और पी.ए.सी. के जनजातीय सदस्य पुनर्वित्त के पात्र समझे जाते हैं।

5.18.3 राष्ट्रीय बैंक ने गुजरात और महाराष्ट्र में आदिवासी विकास कार्यक्रम के लिए परियोजना अनुदान दिए। गुजरात में इस परियोजना को बी.ए.आई.एफ., पुणे (एक गैर-सरकारी संगठन) के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है और इसमें परती/सीमान्तिक भूमियों पर फलों के बागानों ('वाडी') द्वारा 8000 जनजातीय परिवारों और 2000 भूमिहीन महिलाओं के पुनर्वास की परिकल्पना की गई है। परियोजना में भूमि और जल संरक्षण के उपाय, ईंधन और चारे की खेती और अन्तर्वर्ती फसलें उगाना और जनजातीय परिवारों को रोजगार प्रदान करना शामिल है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1993-94 से 533 मिलियन रुपयों का संवितरण किया जा चुका है। महाराष्ट्र में परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों और समाज कल्याण के कार्यक्रमों के जरिए 14,000 जनजातीय परिवारों और 1000 भूमिहीन महिलाओं को शामिल किया गया है। परियोजना को थाने और नासिक जिलों के तीन पहाड़ी खंडों में गुजरात की पद्धति पर कार्यान्वित किया जा रहा है। आयोग को पता चला है कि इस परियोजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को उनके उत्पादों, विशेषतः आमों के लिए कम दरों पर अदायगी की जा रही है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। इसलिए, नाबार्ड, राज्य सरकार और सम्बन्धित अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनजातियों के लोगों का शोषण न किया जाए और उन्हें उनके श्रम और उत्पादों के लिए विहित दरों पर अदायगी की जाए।

5.18.4 जनजातीय क्षेत्र में कृषि की बहुत आर्थिक संभावनाएं हैं, यदि जनजातीय लोगों के लिए उपयुक्त सिंचाई और अन्य निविष्टियों और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की व्यवस्था की जाए। उत्तरी भारत में हरित क्रान्ति लाने के लिए किए गए सफल प्रयास उपयुक्त रूप से जनजातीय क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किए जा सकते हैं और इस तरह कृषि को जनजातीय लोगों के लिए एक उत्पादक, लाभकारी और सक्षम आर्थिक क्रियाकलाप बनाया जा सकता है। यदि कृषि के जरिए एक बार आर्थिक खुशहाली आ गई तो वह अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय युवाओं को रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर भागने से रोक देगी। सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में और वहां के विकास से सम्बन्धित किसी भी क्रियाकलाप में निवेश के किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पहले, सम्बन्धित जनजातीय समुदायों को इस प्रक्रिया में अवश्यमेव शामिल किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके हितों को नुकसान न पहुंचे।

5.18.5 नाबार्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभभोगी-उन्मुख सभी स्कीमों में, जहां चयन की कसौटी गरीबी से नीचे की रेखा हो, कम से कम 40-45 प्रतिशत लाभभोगी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए, क्योंकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा अनुपात उन्हीं का है। वार्षिक रिपोर्टों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कार्यक्रम-वार कवरेज की जानकारी अलग-अलग दी जानी चाहिए।

5.19.1 तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के समय, डीलरशिप और वितरणशिप के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत का आरक्षण किया गया था। आयोग द्वारा किए गए अन्वेषण से पता चला है कि पेट्रोल पम्पों और गैस की एजेंसियों के आबंटन में, तेल कम्पनियों द्वारा आरक्षण का गम्भीरता से पालन नहीं किया गया है। आयोग के जयपुर स्थित राज्य कार्यालय द्वारा राजस्थान में पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के आबंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के बारे में एक अध्ययन किया गया था। उदयपुर और जयपुर जिले के मामला-अध्ययन के आधार पर कुछ टिप्पणियाँ की गई थीं, जो इस प्रकार हैं :

5.19.2 संसद/विधान सभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन-क्षेत्र आमतौर पर सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं और 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दिए जाने के बाद भी पेट्रोल पम्पों की अवस्थिति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती। इसलिए आयोग की सिफारिश है कि डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आरक्षण सभी क्षेत्रों के लिए खुला होना चाहिए और केवल संसद और विधानसभाओं के आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।

5.19.3 जयपुर और उदयपुर के अनुसूचित जनजातियों के व्यापारियों (डीलरों) और वितरकों के मामला-अध्ययन से यह पता चला कि उन्हें स्थानीय प्राधिकारियों, विशेष रूप से खाद्य और पूर्ति विभाग और स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी न किसी बहाने से हर तरह से परेशान किया जा रहा है। यह भी रिपोर्ट दी गई कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डीलरों और वितरकों के प्रति तेल कम्पनियों का रवैया भी उपेक्षापूर्ण था। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों और तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबंटियों के प्रति वे अधिक सहायतापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बन सकें।

5.19.4 आजकल एल.पी.जी. के वितरण की एजेंसी केवल शहरों अथवा बड़े आकार के कस्बों में ही दी जाती है और ग्रामीण जनता पूरी तरह से उन पारम्परिक ईंधन स्रोतों पर निर्भर करती है, जिनका दिन-प्रति-दिन ह्रास हो रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग अधिकांशतः भूमिहीन हैं और उन्हें जलाऊ लकड़ी ढूँढने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए, एल.पी.जी. के वितरण की एजेंसियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी देनी शुरू की जानी चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को गैस कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर और गैस सब्सिडीयुक्त दरों पर दी जानी चाहिए। इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की अनेक अन्य समस्याएँ अवश्य ही नियन्त्रित होंगी।

5.19.5 नमूना जिलों के पेट्रोल, डीजल और एल.पी.जी. की बिक्री के आंकड़ों से प्रकट हुआ कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व में डीलरशिप की बिक्री, आंतरिक अवस्थितियों के कारण कम है। यह सिफारिश की जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डीलरशिप की संख्या और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के साथ-साथ राज्य स्तर पर इन उत्पादों की बिक्री की कुल मात्रा के अनुसार, 25 प्रतिशत आरक्षण विनियमित किए जाएं।

5.19.6 नीति सम्बन्धी नए मार्गनिर्देशों के अनुसार जो दिनांक 1.4.97 को जारी किए गए थे, तेल चयन बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को रखने का उपबन्ध समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि नए व्यापारी (डीलर) चयन बोर्ड में 3 में से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भी बारी-बारी से प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान

में इससे पहले केवल अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व दिया गया था। देश में काम कर रहे अन्य तेल चयन बोर्डों के मामले में भी यह बात सही हो सकती है।

5.19.7 राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को दी गई और इस समय चालू डीलरशिपों की कुल संख्या से पता चलता है कि प्रत्येक तेल कम्पनी (आई.ओ.सी., वी.पी.सी., एच.पी.सी. और आई.बी.पी.) द्वारा दी गई व्यापार अथवा वितरण सभी प्रकार की एजेंसियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हिस्सा, 25 प्रतिशत के आरक्षण की तुलना में 10 प्रतिशत से कम है। सिफारिश की जाती है कि आरक्षण के 25 प्रतिशत के निर्धारित कोटे को पूरा करने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को डीलरों और वितरण की एजेंसियों का बैकलॉग/कमी को पूरा करने लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए।

5.19.8 यह देखा गया गया है कि डीलरों और वितरकों की एजेंसियां देने के लिए साक्षात्कार लेने के वास्ते तेल चयन बोर्ड, जयपुर के सामने बहुत बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं। लम्बित मामलों की संख्या पिछले पांच वर्षों की अवधि में विज्ञापित डीलरों और वितरकों की एजेंसियों की संख्या के 30 प्रतिशत के बराबर है। आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लम्बित पड़े मामलों की संख्या अन्य श्रेणियों के लम्बित मामलों की तुलना में बहुत अधिक है। सरकार को समय-अनुसूची का कड़ाई से पालन करके, जैसा कि नीतिगत मार्गनिर्देशों में दिया गया है, तेल चयन बोर्ड के सामने लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के तरीके ढूंढने चाहिए, ताकि तेल कम्पनियों की डीलरों और वितरकों की कुल एजेंसियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 25 प्रतिशत के आरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

5.20 वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की राज्य स्तरीय समीक्षा

आयोग की एक जिम्मेदारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और संघ और किसी राज्य में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना है। आयोग ने सन्दर्भाधीन अवधि में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा की है, और निष्कर्षों पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है :-

5.20.1 बिहार

I आयोग ने 4.7.2000 को बिहार राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 7.66 प्रतिशत के बराबर है। आयोग ने देखा कि राज्य सरकार टी.एस.पी. के अन्तर्गत कार्यक्रमों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने में विफल रही है और जनजातीय लोगों के विकास के लिए बजट में निर्धारित परिव्यय का उपयोग बहुत कम हुआ है। यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत टी.एस.पी. के लिए दी जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों का उपयोग भी बहुत कम हुआ है। वर्ष 1991-92 से 1999-2000 तक की अवधि में अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुई 57.13 करोड़ रुपए की राशि में से केवल 18.35 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया, जो 32.12 प्रतिशत बैठता है। आयोग का यह पक्का मत है कि राज्य सरकार ने पिछले 10-15 वर्ष की अवधि में अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए टी.एस.पी. और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशियों का उपयोग करने के कोई

गम्भीर प्रयास नहीं किए हैं। राज्य सरकार का यह कहने से कि विकास कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र के पैटर्न पर विचार किया जा रहा है, घटिया कार्य-निष्पादन का औचित्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अन्य बहुत से राज्यों ने इस पद्धति को नहीं अपनाया है, लेकिन उनका कार्य-निष्पादन बिहार से बेहतर है। इसलिए, पुरजोर से यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को वर्ष 2001-2002 तक महाराष्ट्र पैटर्न अवश्य अपना लेना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शुरू कर देना चाहिए।

- II यूनीवर्सल बैंच मार्क सर्वेक्षण, 1980 से प्रकट हुआ था कि राज्य में 44.39 प्रतिशत जनजातीय परिवार भूमिहीन थे और आयोग ने देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों को अदा की जाने वाली मजदूरी में भारी अन्तर है। पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी 34 रुपए और 37 रुपए निर्धारित की गई थी, जो पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई अन्य राज्यों की तुलना में, जहां पर यह 80 रुपए है, बहुत कम है। जनजातीय लोगों को आस-पास के इलाकों में नियमित रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण उन्हें शहरों में जाने को विवश होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों (स्लम) में वृद्धि होती है और अन्य अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- III आयोग ने समीक्षा-बैठक में सुझाव दिया कि जनजातीय क्षेत्रों में फसल-पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए और सम्बन्धित प्राधिकारियों को जनजातीय लोगों की खान-पान की आदतों और भौगोलिक-जलवायु सम्बन्धी स्थितियों के आधार पर बारी-बारी से वैकल्पिक फसलें उगाने की पद्धति विकसित करनी चाहिए।

5.20.2

महाराष्ट्र

- I वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का हिस्सा 9.27 प्रतिशत है। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है, जिसने अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विभिन्न विभागों की राज्य योजना राशियों को इकट्ठा (पूल) करने और उन्हें जनजातीय विकास विभाग के नियंत्रण के अधीन रखने की पद्धति अपनाई है। वर्ष 1993-94 से राज्य योजना के लिए बजट में रखे परिव्यय की 9.27 प्रतिशत राशि टी.एस.पी. के लिए अलग से निर्धारित की जाती है। राज्य में जोत की कुल भूमि में से 6.7 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जनजाति के स्वामित्वाधीन है और 91 प्रतिशत जोतें व्यक्तियों की हैं और 9 प्रतिशत संयुक्त रूप से धारित हैं। दिनांक 28.7.99 को हुई समीक्षा बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के विषय में आयोग को भेजे गए आंकड़ों से प्रकट हुआ कि समाज के इन वर्गों के रहन-सहन का स्तर अभी भी बहुत नीचा है और शेष समाज की तुलना में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर है। आयोग का विचार है कि जनजातीय क्षेत्रों में घटिया स्तर के बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण राज्य में नक्सलवादी आन्दोलन के फलने-फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। नक्सलवादियों और सरकारी पदाधिकारियों-दोनों द्वारा गरीब और भोले-भाले जनजातीय लोगों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए, आयोग की सिफारिश है कि राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और जनजातीय

लोगों के आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि जनजातीय लोगों के असन्तोष और नक्सलवादी आन्दोलन को बढ़ने से रोका जा सके ।

- II टी.एस.पी. के अन्तर्गत धनराशियों की व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन व्यय अभी भी नियत राशि से कम होता है । अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात से अधिक 3 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि नियत करने के बारे में कार्यकारी दल और इस आयोग द्वारा जो सिफारिश सामान्य जनता और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक विकास के बीच के अन्तर को पाटने के लिए दी गई थी उसे अभी महाराष्ट्र द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।

5.20.3

तमिलनाडु

आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों के तमिलनाडु सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन की समीक्षा दिनांक 16.6.1999 को की और राज्य में अनुसूचित जनजाति के विकास के बारे में जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, वे इस प्रकार हैं :-

- I वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल 558 लाख की जनसंख्या में से जनजातियों की संख्या 5.74 लाख थी, जो एक प्रतिशत से थोड़ी सी ज्यादा है । राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अपने वार्षिक योजना बजट में एक प्रतिशत से अधिक की व्यवस्था करती रही है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार है । लेकिन 1992-93 से 1999-2000 तक के वर्षों में वार्षिक व्यय 75 से 90 प्रतिशत तक के बीच रहा है । आयोग ने राज्य सरकार से नियत की गई राशि का पूरा उपयोग करने के गम्भीर प्रयत्न करने का अनुरोध किया, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय विकास बहुत अधिक उत्साहजनक नहीं है ।
- II आयोग ने देखा कि टी.एस.पी. के 38 प्रतिशत क्षेत्रों में और टी.एस.पी. से भिन्न 36 प्रतिशत क्षेत्रों में स्वतंत्रता-प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी, राज्य सरकार द्वारा आयोग को दी गई सूचना के अनुसार, पेय जल की सुविधाएं नहीं हैं । राज्य सरकार ने जो ये कारण बताएं हैं कि ये इलाके पहाड़ी हैं और वनों वाले हैं वे स्वीकार करने योग्य नहीं हैं और जोर से यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार को दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सुरक्षित पेय जल की 100 प्रतिशत व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि जीवित रहने के लिए यह एक बुनियादी आवश्यकता है । पेय जल की समस्या को, जनजातीय समुदाय द्वारा अपनाई जाने वाली पारम्परिक जल प्रबन्ध प्रणालियों को फिर से जीवित करके और आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा उन्हें सम्यक रूप से समर्थन देकर, सुलझाया जा सकता है ।
- III राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में हर वर्ष 31 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पिछले 20 वर्षों में प्रति वर्ष केवल 22 मील लम्बी सड़कें बनाई गईं । आयोग ने सुझाव दिया कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक निश्चित समयावधि में प्रतिवर्ष 60 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने की योजना बना कर इस कमी को दूर किया जाना चाहिए । लोक निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सड़क-निर्माण के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत किए जाएं और इस कार्य में उपयुक्त तालमेल सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनजातीय लोग उनके लाभों से वंचित न रहें ।

- IV आयोग ने देखा कि जनजातीय लोगों के लिए मकानों का निर्माण कम हुआ है और राज्य सरकार द्वारा जो यह कारण बताया गया है कि इलाका कठिन होने की वजह से ठेकेदार आगे नहीं आ रहा, सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता। आयोग ने राज्य सरकार के इस फैसले की सराहना की कि वह मैदानी क्षेत्रों में 32,000/- रुपये की यूनिट लागत पर और पहाड़ी क्षेत्रों में 34,000/- रुपये की यूनिट लागत पर मकानों का निर्माण करेगी, जबकि भारत सरकार की यूनिट लागत 20,000/- रुपये है। आयोग सिफारिश करता है कि अन्य राज्यों को भी यूनिट लागत में उपयुक्त रूप से वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए ताकि जनजातियों के लाभभोगियों को रहने की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
- V वर्ष 1980 से पहले से वन क्षेत्रों में रहने वाले और वनभूमियों में खेती करने वाले जनजातीय लोगों को भूमि का पट्टा न दिए जाने और उन्हें नियमित न किए जाने के कारण जनजातीय लोग कष्ट भोग रहे हैं और कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार को पात्र अतिक्रमणार्थियों के वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को नियमित बनाने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार करना चाहिए।
- VI राज्य सरकार ने, आयोग को दी गई सूचना के अनुसार, 25,000 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया है। सिफारिश की जाती है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन सबको मुक्त कराने और उन्हें फिर से बसाने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए।

5.20.4 मध्य प्रदेश

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास और कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यान्वयन की राज्य स्तरीय समीक्षा आयोग द्वारा 8.1.1999 को भोपाल में की गई। राज्य में जनजातियों के विकास के बारे में की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस प्रकार हैं :-

- I राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का भाग 23.27 प्रतिशत है, लेकिन जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत धनराशियों का नियतन इस अनुपात में नहीं किया गया। आयोग ने देखा कि विभिन्न केंद्र-प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत धनराशियों का उपयोग बहुत कम हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार वर्ष 1997-98 में केंद्रीय क्षेत्रक की स्कीमों के अन्तर्गत केवल 50.47 प्रतिशत राशियों का और टी.एस.पी. के अन्तर्गत नियत कुल राशि, 75 प्रतिशत के अन्तर्गत 34.61 प्रतिशत भाग का उपयोग कर सकी थी। इसी प्रकार, एस.सी.ए. का उपयोग भी ज्यादा सन्तोषजनक नहीं था।
- II अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत रिलीज की गई धनराशि में से केवल 18 प्रतिशत का उपयोग वर्ष 1997-98 में किया गया और इसलिए लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत कम हुई, जैसे 30 किलो मीटर सड़क की तुलना में 5 किलोमीटर सड़क, 6 मध्यम दर्जे के पुलों में से 1 पुल, 60 पुलियों में से केवल 6 का निर्माण किया गया। टी.एस.पी. के अन्तर्गत स्कीमों के क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को महाराष्ट्र की पद्धति अपनानी चाहिए, जिसमें जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव का टी.एस.पी. के लिए निर्धारित सारी राशियों पर पूरा नियंत्रण होता है।

III मध्य प्रदेश में बहुत सी आदिम जनजातियां हैं और राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले इन समूहों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए कोई खास कार्य नहीं किया है। आयोग के पास भेजी गई सूचना से प्रकट हुआ कि वर्ष 1997-98 में सम्बन्धित विभागों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और पेय जल के विकास के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत, 4.73 प्रतिशत और 2.46 प्रतिशत व्यय किया गया। आयोग की राय है कि सरकार उन इलाकों की ओर, जहां आदिम जनजातियों के समूह रहते हैं, बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रही है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 1997-98 में आदिम जनजातियों के इलाकों में लघु सिंचाई के विकास के लिए केवल 41.48 लाख रुपए अर्थात् 5.73 प्रतिशत का उपयोग किया गया। आदिम जनजातीय लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में सड़कें बिछाने के कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए, जो विभिन्न अभिकरणों द्वारा आदिम जनजातियों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं और आदिम जनजाति-वार, आवश्यकता आधारित परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित मानीटरिंग किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए।

IV पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 दिनांक 23.12.97 से लागू हो गया है और राज्य सरकार ने इस केंद्रीय अधिनियम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। इस अधिनियम के उपबन्धों को अमल में लाने के लिए राज्य स्तर के बहुत से अधिनियमों, जैसे पंचायत राज अधिनियम, 1993, भू-राजस्व संहिता, 1959, साहूकार अधिनियम, 1934, आबकारी अधिनियम, 1915, ग्रामीण न्यायालय अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। पंचायती राज निकायों के विभिन्न स्तरों पर लोगों के प्रतिनिधियों को अपेक्षित रूप से तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सदस्यों के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना जरूरी है। जनजातीय लोगों और राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न स्थानीय प्रशासनिक अभिकरणों में अवधारणाओं की बेहतर समझ के लिए सामान्य जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाना चाहिए।

5.20.5 कर्नाटक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य स्तरीय समीक्षा आयोग द्वारा दिनांक 4.1.99 को बेंगलूर में की गई। राज्य में जनजातियों के विकास के बारे में की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस प्रकार हैं :-

I वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की 449.77 लाख की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 19.16 लाख थी, जो राज्य की जनसंख्या का 4.26 प्रतिशत थी। राज्य सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से जनजातियों के कल्याण के लिए तीन महत्वपूर्ण स्कीमों, अर्थात् गंगा कल्याण स्कीम, भूमि खरीद स्कीम और स्व-रोजगार स्कीम को कार्यान्वित कर रही है। गंगा कल्याण स्कीम के तहत जनजातीय परिवारों को 8 से 15 एकड़ तक की भूमि में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था निःशुल्क दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत कम से कम 3 लाभभोगी होने जरूरी हैं। निगम की एक अन्य स्कीम है

भूमि की खरीद; निगम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न जमींदारों से जमीन खरीदती है और उसे भूमिहीन जनजातीय लोगों में वितरित कर देती है। शुरु की अवस्था में, यह स्कीम 2 एकड़ शुल्क भूमि 1 एकड़ सिंचित भूमि प्रदान करने के लिए 20,000/-रुपए की यूनिट लागत से शुरु की गई थी। आयोग की सिफारिश है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए भूमि खरीद की स्कीम को अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

- II नव चेतना की विशेष स्कीम अनुसूचित जनजाति के विभिन्न कौशल प्राप्त उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करती है। इस स्कीम में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रक का नियोजक उम्मीदवारों का चयन करता है और स्टाइपेंड राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इससे अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सुप्रतिष्ठित संगठनों में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपने कैरियर के अवसरों में सुधार कर सकते हैं। यह एक अच्छी स्कीम है और राज्य को हर वर्ष अधिक उम्मीदवारों को इसके अन्तर्गत शामिल करना चाहिए।
- III वन विभाग जनजातीय समूहों द्वारा टोकरियां बनाए जाने के लिए प्रति लाभभोगी के आधार पर 100 बांस देता है। आयोग का विचार है कि राज्य में सम्भाव्य लाभभोगियों की संख्या को देखते हुए, स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य तुलनात्मक दृष्टि से कम है और उसे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लक्ष्यगत समूह के सभी सदस्यों को शामिल किया जा सके।
- IV अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम स्व-रोजगार स्कीम के अन्तर्गत 5000/-रुपए की सब्सिडी देता है और दुधारू पशुओं, बैलों और गाड़ियों, आदि की खरीद जैसे क्रियाकलापों के लिए शेष राशि बैंकिंग/वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में दी जाती है।
- V राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन 51 विद्यार्थियों को, जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया था, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की प्रक्रिया को अपनाए बिना, सीधे राजपत्रित अधिकारियों के पदों पर भर्ती कर लिया था। आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लाभ के लिए और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए भी ऐसी स्कीम को अन्य राज्यों में भी शुरु किया जाना चाहिए।

5.20.6 गुजरात

आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए गांधी नगर में 8.5.2000 को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार हैं :-

- I अनुसूचित जनजातियों के उन परिवारों का अनुपात, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 37.6 प्रतिशत था। यह देखा गया है कि यदि वर्ष 1992 के पिछले सर्वेक्षण के आंकड़ों से तुलना की जाए तो यह पता चलता है कि बजाए इसके कि अनुसूचित जनजातियों के लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठें, 11.03 प्रतिशत और जनजातियों के लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। जनजातीय

लोग भी महसूस करते हैं कि उनके लिए जो कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं उनका उनकी आय को बढ़ाने में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनमें से बहुत से कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों में केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हैं, जिनका केवल अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और वह भी कई दशकों के बाद ।

- II पंचायत राज प्रणाली और सहकारिता आन्दोलन को गुजरात में काफी सफलता मिली है, लेकिन आयोग और उसके राज्य कार्यालय के अधिकारियों द्वारा डांग, वलसड और वड़ोदरा जिलों में क्षेत्र में किए गए दौरों से पता चला था कि अनुसूचित क्षेत्र में जिला स्तर पर विद्यमान प्रशासनिक ढांचा अनुसूचित जनजातियों के विकास के संबंध में बहुत प्रभावकारी नहीं है ।
- III राज्य सरकार ने 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत जो धनराशियां नियत की थीं, वे राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में नहीं थीं, इन नियतनों में वृद्धि की जानी चाहिए और इसके अलावा इनका उपयोग भी बढ़ना चाहिए । हाल के वर्षों में व्यय कुल टी.एस.पी. बजट के 90 प्रतिशत से कम रहा है ।
- IV राज्य सरकार ने 1997-2000 की अवधि में केंद्र-प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक की स्कीमों, विशेष केंद्रीय सहायता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों के बारे में आयोग को सूचना नहीं दी है ।
- V आयोग ने देखा है कि स्वास्थ्य के मामले में, जनजातीय उप-योजना के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार दिखाई नहीं देता । आयोग को यह बताया गया था कि विशेष रूप से डांग के जनजातीय जिले में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है । डांग जिले में औसत रूप से 27 कुष्ठ रोगी प्रति हजार बताए जाते हैं । सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार को कुष्ठ रोग के आपात, उपचार सुविधाओं और अन्य संगत पहलुओं का पता लगाने के लिए अनुसूचित क्षेत्र और माडा (एम.ए.डी.ए.) में एक सर्वेक्षण करना चाहिए, ताकि कुष्ठ रोग के आपात को घटाने के लिए कार्यनीति तैयार की जा सके ।
- VI आयोग को दी गई सूचना के अनुसार, टी.एस.पी. क्षेत्र में लगभग 14.8 प्रतिशत भूमि सिंचाई वाली है । आयोग ने राज्य सरकार को पूर्वी गुजरात में, विशेष रूप से डांग और वलसड जिलों में और उन क्षेत्रों में जहां आदिम जनजातीय समूह बसते हैं, रोक (चक) बांधों की स्कीम तत्काल हाथ में लेने की सलाह दी थी । यह भी देखा गया कि इस क्षेत्र में जनजातीय किसानों के लिए अधिकतर लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं उपयुक्त रूप से काम नहीं कर रही अथवा बन्द हो गई हैं, जिसके कारण जनजातीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इन लिफ्ट सिंचाई परियोजना के विफल होने का मुख्य कारण है - किसानों द्वारा पुरानी देय राशियों की अदायगी न किए जाने के कारण बिजली काट दिया जाना, बिजली का बार-बार रूक जाना, बिजली की अनियमित आपूर्ति; लेकिन उन्हें बिजली के बिलों के एवज में एक निश्चित राशि की अदायगी करनी होती है । सामान्यतः जनजातीय लोग 4-6 माह तक बिजली का प्रयोग नहीं करते हैं परन्तु उन्हें बिजली-बिल के रूप में नियत राशि अदा करनी होती है । अन्य कारण हैं - आपातकालीन गरममत कार्य के लिए पर्याप्त कार्यचालन पूंजी का न होना और लाभभोगियों के बीच आपसी लड़ाई । अविलम्बनीय

अथवा आपातकालीन व्यय को पूरा करने के लिए प्रचालनात्मक निधियों की व्यवस्था करने, बिजली के बिलों के प्रभारों के बारे में तर्कसंगत फैसला करने और प्रशासनिक अभिकरण तथा लाभभोगियों द्वारा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के कारगर प्रबन्ध की व्यवस्था करने की बहुत जरूरत है। इन लघु लिफ्ट सिंचाई परियोजना समितियों को एक बार अनुदान के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करके सभी सक्षम यूनिटों को प्रचालनात्मक बनाया जाना चाहिए।

- VII गौण वन उत्पादों, विशेष रूप से तेंदू पत्तों के संग्रह के लिए, जनजातीय लोगों को बाजार का भाव दिया जाना चाहिए और मुनाफा तेंदू पत्ते तोड़ने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बीच बांटा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तेन्दू पत्तों के विपणन की प्रणालियों का अध्ययन करेगी और जो प्रणाली बेहतर पाई जाएगी, उसे अपनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोग को अध्ययन के परिणाम प्राथमिकता के आधार पर भेजे जाने चाहिए।
- VIII राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया था कि वर्ष 1980 से पहले अनुसूचित जनजातियों के 29,000 लोगों द्वारा 39,000 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण किया गया था। आयोग सिफारिश करता है कि जो जनजातीय लोग वर्ष 1980 से पहले वन क्षेत्र में खेती करते थे अथवा रहते थे, उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करके पट्टे जारी कर दिए जाने चाहिए।
- IX अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन मुहैया कर रहा है, लेकिन लाभभोगियों को सड़क परमिट प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं। स्कीम का निर्धारित लक्ष्य भी राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की तुलना में कम है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए और लाभभोगियों को पेश आने वाली कठिनाइयों की जांच की जानी चाहिए।
- X सरकारी निर्माण-कार्यों से भिन्न स्थानों पर श्रमिकों के रूप में काम करने वाले जनजातीय लोगों को, विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां आदिम जनजातीय समूह रहते हैं, न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं होती। अनुरोध है कि राज्य सरकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए और जनजातीय लोगों को विहित मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए तथा उनका शोषण समाप्त होना चाहिए।

5.20.7 राजस्थान

आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की राज्य-स्तरीय समीक्षा जयपुर में 27.7.2000 को की। राज्य में जनजातियों के विकास की समीक्षा के दौरान आयोग द्वारा प्रकट किए गए कुछ महत्वपूर्ण विचार निम्न प्रकार से हैं :-

- I आयोग ने देखा कि राज्य द्वारा राज्य-योजना से टी.एस.पी. के लिए जो राशि नियत की जाती है, वह राज्य में जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में नहीं होती।
- II मुख्य गांवों में बिजलीकरण कर दिया गया है, लेकिन आस-पास की अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में घरेलू और कृषि के प्रयोजनों के लिए बिजली के कनेक्शन

नहीं हैं क्योंकि वे राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को खम्भों (पोल्स) की काफी ऊंची लागत अदा करने की स्थिति में नहीं हैं, हालांकि बहुत से मामलों में मेन लाइन बिछाने पर आई लागत टी.ए.डी. विभाग द्वारा टी.एस.पी. बजट से चुकाई गई थी। टी.एस.पी. क्षेत्रों में जो रियायतें और सुविधाएं दी जाती हैं, वे टी.एस.पी. क्षेत्रों से बाहर रहने वाले जनजातीय लोगों को भी दी जानी चाहिए।

- III वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 18 जिलों में जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 5 प्रतिशत से कम थी, जो गम्भीर चिंता का विषय है, क्योंकि असाक्षरता का जनजातियों के समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि जनजातियों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए और अधिक धनराशियां नियत की जानी चाहिए।
- IV पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 का देश में वर्ष 1997 से प्रचालन शुरू हो गया है, लेकिन राजस्थान की राज्य सरकार को अभी इसके कुछ उपबन्धों को कार्यान्वित करना है।
- V अनुसूचित जनजाति के भूमि के अतिक्रमण के मामले बहुत बड़ी संख्या में राज्य में लम्बित पड़े हैं और अनेक मामलों में आबंटित भूमि का कब्जा अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं दिया गया है। अनुसूचित जनजाति की भूमि का अंतरण गैर-कानूनी तरीके से अनुसूचित जनजाति से भिन्न लोगों को करने की प्रथा जारी है। राज्य के अधिनियमों में जनजातीय भूमि का अन्तरण निषिद्ध है, लेकिन व्यवहार में भूमि के अन्य-संक्रमण को इन उपबन्धों द्वारा रोका नहीं जा सका है। अध्ययनों से पता चला है कि जनजातीय भूमि का अन्य-संक्रमण बढ़ रहा है। आयोग जोर देता है कि भूमि की खेती का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह पता लग सके कि जनजातीय लोगों की भूमि पर खेती करने वाले वास्तविक लोग कौन हैं।
- VI आयोग इस बात की भी जोरदार सिफारिश करता है कि राज्य सरकार को आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में खुली नीलामी के लिए भूमि में से कम से कम 25 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामान्य लागत पर देनी चाहिए।
- VII जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण के परिणामस्वरूप होने वाले भूमि-कटाव, भूमिगत जल के स्तर में गिरावट और जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय गिरावट के अन्य रूपों की ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कठिन इलाका होने के कारण और पहाड़ी गांवों, ढाणियों और माजरो की दुर्गमता के कारण जनजातीय क्षेत्रों में मार्केटिंग नेटवर्क (बाजारों का जाल) विकसित नहीं हुआ है। स्थानीय व्यापारी खरीद और बिक्री पर भारी मुनाफा कमाते हैं और जनजातीय लोगों को अपनी दैनिक जरूरत के सामान के लिए अधिक अदायगी करनी पड़ती है और अपने उत्पादों के लिए उन्हें कम धन प्राप्त होता है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने में राजस्थान राज्य जनजातीय सहकारी फेडरेशन की भूमिका असरदार नहीं रही।
- VIII न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन, निजी साहूकारों द्वारा ब्याज की बड़ी ऊंची दरों पर कर्जा दिया जाना, रोजगार के अवसरों का अभाव, जनजातीय लोगों में

सुरापान की लत, ये कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करती हैं।

- IX राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 से महाराष्ट्र की पद्धति को अपनाना स्वीकार कर लिया था और 112 करोड़ रुपए की बजट-व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन वह इसे व्यवहार में लाने में विफल रही है। सिफारिश की जाती है कि राज्य को महाराष्ट्र की पद्धति अवश्य अपनानी चाहिए और बजट में की जाने वाली व्यवस्था कम से कम राज्य में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए।

5.20.8

केरल

केरल की राज्य-स्तरीय समीक्षा दिनांक 8.9.2000 को तिरुवनंतपुरम में की गई और निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं :

- I यह उल्लेख किया गया कि टी.एस.पी. के अन्तर्गत व्यय की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।
- II जनजातियों की भूमि का बहुत बड़े पैमाने पर अन्य-संक्रामण गैर-जनजातीय लोगों को धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से हुआ है। राज्य सरकार को भूमि अन्यसंक्रामण अधिनियम, 1975 को कार्यान्वित करना चाहिए था, जिससे भूमि गंवाने वाले जनजातीय लोगों के वास्तविक हित सुरक्षित रहते।
- III आयोग ने देखा कि केवल 35 जनजातीय बस्तियों का बिजलीकरण हुआ है। राज्य सरकार का यह कहना था कि कुछ तकनीकी कारणों से वन विभाग बिजलीकरण की अनुमति नहीं देता और अधिकतर जनजातीय लोग वन-भूमियों में रहते हैं। सिफारिश की जाती है कि जनजातीय बस्तियों और घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए वनों के अन्दर बिजली की लाइनें बिछाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

5.20.9

मणिपुर

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 27.11.2000 को इम्फाल में की गई थी। मणिपुर में जनजातियों के कल्याण और विकास के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं :

- I राज्य में कृषि क्षेत्रक के विकास की गुंजाइश है, क्योंकि राज्य के 66 प्रतिशत से भी अधिक मुख्य कर्मकार कृषि से सम्बन्धित क्रियाकलाप करते हैं। कुल फसल-क्षेत्र के केवल 8 प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था है। राज्य सरकार को भूगत जल और भूतल जल संसाधनों की क्षमता का अन्वेषण करना चाहिए तथा और अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाना चाहिए ताकि वर्ष के दौरान अधिक फसलें उगाई जा सकें। सिंचाई और पीने के प्रयोजनों के लिए भूगत जल की उपलब्धता का अन्वेषण करने के लिए राज्य को विशेष परियोजना तैयार करनी चाहिए और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उसे भारत सरकार को पेश करना चाहिए।
- II पहाड़ी जिले में सड़कों की हालत और परिवहन की सुविधाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। सड़कों की हालत में सुधार करने और राज्य में सभी गांवों को आपस में जोड़ने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।
- III राज्य को खाद्य-प्रसंस्करण यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने चाहिए और विपणन सहायता देकर हथकरघा और हस्त-शिल्पों को बढ़ावा देना चाहिए।

IV मणिपुर जनजातीय विकास निगम का कार्य-निष्पादन सन्तोषजनक नहीं पाया गया । राज्य को राज्य में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए निगम के कार्यचालन को सुधारने के उपाय करने की सलाह दी गई ।

V टी.एस.पी. के अन्तर्गत धनराशियां नियत करते समय, उस भौगोलिक क्षेत्र का, जहां जनजातीय लोग रहते हैं, और जनजातीय जनसंख्या के अनुपात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

5.20.10 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

आयोग ने संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विकासात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की और उसकी टिप्पणियां इस प्रकार हैं :-

- I वर्ष 1991 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 9.54 प्रतिशत थी । यह देखा गया है कि निकोबार के 91.13 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, जिसका पता डी.आर.डी.ए. द्वारा किए गए बी.पी.एल. सर्वेक्षण से लगा था ।
- II संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, किन्तु भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत आदिम जनजाति संरक्षण विनियम, 1956 प्रख्यापित किया गया है। इस विनियम के अन्तर्गत उन जनजातीय क्षेत्रों को, जहां अधिकांश आबादी आदिम जनजातीय लोगों की है, आरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामोदित किया गया है । यह क्षेत्र एक द्वीप समूह है, द्वीप एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं और वहां पर बुनियादी ढांचे की सुविधाएं बहुत निम्न स्तर की हैं । कुछ आदिम जनजातियों में शत्रुता का भाव है और विशेष रूप से जारवा, सेंटीनीलीज और शोम्पेनों में कोई सांझी बोली न होने से संचार-सम्पर्क का अभाव है । ये सब बातें संघ राज्य क्षेत्र में जनजाति के लोगों के तेजी से आर्थिक विकास के मार्ग में मुख्य बाधाएं हैं ।
- III संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोग को दी गई सूचना से प्रकट हुआ है कि 8वीं योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा दी गई विशेष केंद्रीय सहायता पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की गई और काफी बड़ी राशि इस्तेमाल हुए बिना पड़ी है । इसलिए अनुरोध किया जाता है कि जनजातीय विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।
- IV आदिम जनजातीय समूहों, अर्थात् जारवा, सेंटीनीलीज और शोम्पेन जातियों के लोग विशाल जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था शिकार करके और खाद्य-पदार्थों को इकट्ठा करके जीवन बिताने की है । उन्हें स्थाई कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रशासन को उन्हें कृषि मशीनें, औजार और उपस्कर खेती के लिए देने चाहिए तथा उनमें फलदार वृक्ष और चिकित्सीय पौधे उगाने के कौशल विकसित करने चाहिए ।

5.20.11 आन्ध्र प्रदेश

आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

करने के लिए दिनांक 19.4.1999 को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोग की मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

- I राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का हिस्सा 6.31 प्रतिशत है और उनमें 56 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जबकि सामान्य लोगों में ऐसे लोगों की संख्या 31.6 प्रतिशत है। बुनियादी ढांचे का विकास जैसे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई 1.69 किलोमीटर है, जबकि सामान्य क्षेत्र में यह 46.79 किलोमीटर है। जनजातीय क्षेत्र में केवल 13.13 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत है, जबकि इसकी तुलना में सामान्य क्षेत्र में यह 37.89 प्रतिशत है। सरकार के विकास कार्यक्रमों का बहुत कम प्रभाव पड़ना शायद राज्य में नक्सलवादी आन्दोलन के फलने-फूलने का एक प्रमुख कारण है। आयोग का यह दृढ़ विचार है कि जनजातियों के आर्थिक विकास में तेजी लाई जानी चाहिए, अन्यथा नक्सलवादी आन्दोलन राज्य के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में और अन्य राज्यों के आस-पास के क्षेत्रों में तेजी से फैल सकता है।
- II आन्ध्र प्रदेश ने आई.टी.डी.ए. के सभी 8 क्षेत्रों में एकल लाइन वाले प्रशासन की व्यवस्था की है और वहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। आई.टी.डी.पी. के परियोजना अधिकारियों को अपर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी पदनामित किया गया है। राज्य स्तर पर जनजातीय कल्याण आयुक्त मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी है।
- III 'जन्मभूमि' नामक कार्यक्रम अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजातीय लोगों के बिना किसी अंशदान के, कार्यान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर 15 प्रतिशत के अंशदान से निर्माण-कार्य हाथ में लिए जाते हैं, जबकि सामान्य क्षेत्रों में 30 प्रतिशत अंशदान लिया जाता है।
- IV आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के कुल टी.एस.पी. परिव्यय के केवल 88 प्रतिशत भाग का व्यय किया है। कमी के मुख्य कारण थे जनजातीय बस्तियों में बिजलीकरण के लिए आर.ई.सी. द्वारा स्कीमों की मंजूरी देने में विलम्ब, रोजगार सृजन स्कीमों के अन्तर्गत आई.टी.डी.ए. क्षेत्रों के लिए धनराशियों का नियत न किया जाना और कुछ क्षेत्रों की दुर्गम्यता अथवा ई.ए.एस. के अन्तर्गत पेय जल की व्यवस्था करना।
- V राज्य सरकार ने आयोग को आश्वासन दिया कि वह महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे आवास-स्थल और मकानों के निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए विशेष रूप से अधिक धनराशियां नियत करेगी। इसके अलावा, राज्य को अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए 292 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली आन्ध्र प्रदेश भागीदारितापूर्ण जनजातीय विकास परियोजना (ए.पी.पी.टी.डी.पी.) और आन्ध्र प्रदेश जनजातीय विकास परियोजना (ए.पी.टी.डी.पी.) और श्री काकुलम, विजयनगरम, आदिलाबाद, महबूब नगर, अनन्तपुर और चित्तूर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए 650 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली प्रत्यक्ष गरीबी उपशमन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) के अन्तर्गत अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करना है।

- VI राज्य में मुख्य वन उत्पादों का 50 प्रतिशत मूल्य और वन सुरक्षा समिति द्वारा संग्रहीत वन उत्पादों का 100 प्रतिशत मूल्य वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को दे दिया जाता है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में 27 गौण वन उत्पाद अनन्य रूप से जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं और जनजाति के लोगों से एकाधिकार के आधार पर खरीद करने और विपणन करने का काम जी.सी.सी. को सौंपा गया है। जी.सी.सी. यह सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय लोगों को उचित दाम प्राप्त हों, कृषि उत्पादों, बीजों, काजू, मक्का, लाल चना, मिर्च आदि की बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर खरीद करने का काम भी करता है। राज्य सरकार को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय लोगों को बेहतर प्रतिफल मिले, समर्थन मूल्य तंत्र की एक प्रणाली शुरू करने का भी प्रस्ताव है, जिसे बिना अविलम्ब के कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

5.20.12 मेघालय

आयोग ने मेघालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 11.5.1999 को शिलांग में समीक्षा बैठक की। राज्य में जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं :

- I आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई कि राज्य पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर है और राज्य में कोई रेलवे लाइन नहीं है। इसलिए आयोग ने पड़ोसी राज्यों के बीच, जिला मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालय तक और उसके आगे गांवों तक सड़कों के जाल का और आगे विकास करने की जरूरत पर बल दिया, ताकि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- II आयोग का विचार है कि राज्य में कृषि-आधारित उद्योगों और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आकर्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेघालय कृषि उत्पादों, जैसे धान, आलू, मक्का और बागवानी उत्पादों, जैसे अनानास, संतरे, अमरुद और अन्य नकदी फसलों का अच्छा उत्पादक है।
- III ट्राइफेड और नाफेड को राज्य में ग्रामीण विपणन के बुनियादी ढांचे का विकास करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राज्य में 921 पी.ए.सी. हैं, लेकिन विपणन के साथ उनके संयोजन संतोषजनक नहीं हैं।
- IV वर्ष 1991 और 1998 में किए गए सर्वेक्षणों से प्रकट हुआ था कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सर्वेक्षण के अनुसार, 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे, जिससे पता चलता है कि विकास कार्यक्रमों का राज्य में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति पर वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है।
- V आयोग ने देखा कि विकास के लिए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा न होने के कारण जे.आर.वाई., आई.आर.डी.पी. जैसी स्कीमों का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए राज्यों में सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।
- VI मेघालय को अक्सर बाढ़ों, सड़क यातायात में व्यवधान और उग्रवादी गतिविधियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुझाव

दिया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम को ऐसी आपातकालीन स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए गुवाहाटी और शिलांग में संकट-रोधक भण्डार बनाने चाहिए।

VII राज्य सरकार को विकास संबंधी आवश्यकताओं और विकास की प्रक्रिया को तेज करने की जरूरतों को देखते हुए, छठी अनुसूची के कार्यचालन और स्वायत्त परिषदों के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए।

VIII मेघालय राज्य में एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा किसी स्कीम की वित्तव्यवस्था नहीं की जा रही है। राज्य द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना भी नहीं की गई है। आयोग की राय है कि बेरोजगार जनजातीय युवकों को अवसर प्रदान करने के लिए एन.एस.एफ.डी.सी. की आर्थिक विकास की स्कीमों का कार्यान्वयन किसी मौजूदा अभिकरण के माध्यम से कराया जाना चाहिए।

IX यह राज्य प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से सम्पन्न है, किन्तु बुनियादी ढांचे की अपर्याप्त सुविधाओं, सड़क परिवहन के घटिया स्तर, पहाड़ी क्षेत्र और बेरोजगारी के ऊँचे अनुपात के कारण यहां के लोगों और क्षेत्र के आर्थिक विकास की प्रगति धीमी बनी हुई है। औद्योगिक विकास के लिए निवेश करने और स्थानीय उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने से रोजगार के अवसरों में सुधार होगा। इससे बेरोजगार जनजातीय युवाओं में व्याप्त हताशा में कमी आएगी। राज्य को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली विशेष केंद्रीय सहायता से रोजगार सृजन की स्कीमों की परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए।

5.20.13 लक्षद्वीप

आयोग ने लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ 12.12.2000 को कावारत्ती में समीक्षा बैठक की। सभी द्वीपवासियों को, मूल भूमि से सेवा के लिए आने वाले व्यक्तियों को छोड़ कर, अनुसूचित जनजातीय लोग समझा जाता है। लगभग 96 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। द्वीप समूहों का आर्थिक विकास त्वरित करने और बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

5.20.14 अरुणाचल प्रदेश

आयोग के अध्यक्ष ने 12.5.99 को गैर-सरकारी संगठनों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों के साथ और 13.5.99 को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के साथ बैठक की। आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी 13.5.1999 को समीक्षा बैठक की गई। इन बैठकों में जो मुख्य टीका-टिप्पणियाँ की गईं, वे इस प्रकार हैं :

- I जिला स्तर पर अथवा उससे नीचे, 'लैम्पस' किसानों को विपणन सहायता देने के लिए जिम्मेदार हैं। ये सोसाइटियाँ जिला और राज्य स्तर की समितियों (सोसाइटीज) के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं, जो राज्य में सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आयोग का सुझाव है कि इन समितियों के माध्यम से राज्य के मुख्य कृषि उत्पादों, जैसे आलू, सेब, संतरा, अदरक, अनानास आदि की खरीद और भंडारण किया जाए और विपणन कार्य को ट्राइफेड अथवा नाफेड के

साथ जोड़ा जाए ताकि लोगों को अपने उत्पादों के सही दाम प्राप्त हों और बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण को न्यूनतम किया जा सके ।

- II राज्य की जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः वनों पर आधारित है, क्योंकि राज्य का 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है । पेड़ों को गिराने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध से राज्य और जनजाति समुदायों की अर्थव्यवस्था पर, कम से कम अल्पकालिक रूप से, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस प्रतिबन्ध के कारण राज्य को वन क्षेत्रक से प्राप्त होने वाला राजस्व 60-70 करोड़ रुपए से घटकर 6-7 करोड़ रुपए रह गया है । चूंकि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है, इसलिए आयोग का विचार है कि राजस्व में हुई कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार को राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए ।
- III बंधुआ मजदूरों के बारे में किए गए सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि राज्य के पूर्वी कामोंग जिले में सोलंग जनजाति के कई बंधुआ मजदूर हैं । राज्य ने 3542 बंधुआ मजदूर मामलों का पता लगाया है । आयोग का मत है कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना बनाते समय राज्य को उपयुक्त सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए ।
- IV राज्य में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है और कौशलों का विकास करने के लिए और अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, खादी और ग्रामीण कुटीर उद्योग और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोलने की जरूरत है । इससे जनजातीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी ।
- V राज्य को अत्यधिक जैव-विविधता के कारण वहां पर चिकित्सीय जड़ी-बूटियों विकसित करने की भारी संभावनाएं हैं । वाणिज्यिक आधार पर चिकित्सीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे जनजातीय लोगों की आय और राज्य के राजस्व में निश्चित रूप से वृद्धि होगी ।
- VI वन-विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की कई स्कीमें उपयुक्त रूप से कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं । न केवल झूम खेती के कारण बल्कि ठेकेदारों और व्यक्तियों द्वारा पेड़ों की गैर-कानूनी कटाई के कारण भी निर्वनीकरण जारी है । जनजातियों में वनों के संरक्षण की महान परम्परा है और संयुक्त वन प्रबन्ध को प्रोत्साहन देने की जरूरत है ।

5.20.15 त्रिपुरा

त्रिपुरा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 10491.85 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 69 प्रतिशत क्षेत्र जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत है । राज्य के 864 राजस्व गांवों में से 462 टी.एस.पी. क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या 31 प्रतिशत है ।

- I टी.एस.पी. क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से कम है । टी.एस.पी. क्षेत्र में जोत का वितरण असन्तुलित है । झूम खेती की प्रथा के अलावा, कृषि सम्बन्धी मुख्य समस्या है, खेती योग्य भूमि का अभाव और घटिया सिंचाई सुविधाएं । जनजातीय क्षेत्रों में कृषि-उत्पादकता राज्य स्तर की उत्पादकता से कम है । श्रम-बल में कृषि-श्रमिकों और छोटे और सीमान्तिक किसानों की बहुसंख्या है । राज्य के जनजातीय

लोगों की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, जो जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांशतः वर्षा-पोषित और झूम खेती वाली है।

- II राज्य द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के बारे में किए गए सर्वेक्षण से प्रकट हुआ था कि अनुसूचित जनजातियों के 25 प्रतिशत से अधिक परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताते हैं। आयोग सिफारिश करता है कि आय सृजन करने वाली स्कीमों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

5.20.16

असम

- I योजना आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 1993-94 में राज्य की 40.09 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 1998 में ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए बी.पी.एल. सर्वेक्षण के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया था कि कुल ग्रामीण परिवारों में 59.43 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताते हैं। अनुसूचित जनजाति के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या का अनुमान 4,26,337 था, जो राज्य के कुल परिवारों के लगभग 21 प्रतिशत के बराबर है। इसलिए राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आय सृजन करने वाले आर्थिक विकास के कार्यक्रमों पर जोर देना जरूरी है। राज्य को वर्ष 1999-2000 में टी.एस.पी. के लिए 24.44 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई थी, लेकिन वर्ष के दौरान केवल 4.32 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत सरकार से टी.एस.पी. के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 8.14 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। राज्य के पास, एस.सी.ए. की खर्च न की गई शेष राशि सहित कुल 33.57 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी, जिसमें से दिसम्बर, 2000 तक केवल 1.39 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट मिली है, जो केवल 4.14 प्रतिशत है। आयोग राज्य को सलाह देना चाहेगा कि एस.सी.ए. का निर्धारित अवधि में पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि टी.एस.पी. के अन्तर्गत आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रभाव न पड़े।
- II वनों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे राज्य और जनजातियों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वन नीति में फेर बदल करने की आवश्यकता है।

5.20.17

सिक्किम

- I सिक्किम की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 23 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता की दर 59 प्रतिशत है। सिक्किम भारत संघ में वर्ष 1975 में शामिल हुआ था, इसलिए यह वर्ष 1975 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर सका। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का अभाव, शिक्षित बेरोजगार युवाओं में बेरोजगारी मुख्य समस्या है। राज्य में अपना कोई इंजीनियरी और मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालय नहीं है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम कार्य नहीं कर रहा है। उत्तरी जिला एक

जनजातीय जिला है, जो सड़क संचार के अभाव में दुर्गम्य है। यह वर्ष में छः महीने देश के अन्य भागों से कटा रहता है, जिससे जिले और विशेष रूप से राज्य में रहने वाले जनजातीय लोगों के समग्र विकास में रुकावट आती है। शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है।

- II राज्य ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बंजर/फालतू भूमि के आबंटन की कोई नीति तैयार नहीं की है। राज्य सरकार ने सिक्किम कृषि भूमि उच्चतम सीमा और सुधार अधिनियम, 1977 पारित किया है, लेकिन उच्चतम सीमा से ऊपर की भूमि का अभी तक पता नहीं लगाया है। इसलिए आयोग राज्य में प्राथमिकता के आधार पर अधिशेष उच्चतम सीमा भूमि का पता लगाने की जरूरत पर बल देता है और अधिशेष भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5.20.18 मिजोरम

मिजोरम ने वर्ष 1987 में पूर्ण रूपेण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, मिजोरम की कुल जनसंख्या 8,91,058 है और राज्य की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जन जाति की जन संख्या 94 प्रतिशत से अधिक है। आयोग ने दिनांक 7.3.2000 को राज्य स्तरीय समीक्षा की और उसकी मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार हैं :

- I यह देखा गया है कि राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम स्थापित नहीं किया गया है। ट्राइफेड द्वारा वर्ष 1991-92 से किसानों से कृषि और वन उत्पाद खरीदने के कार्य किए जा रहे हैं।
- II सरकार द्वारा वर्ष 1998 में संयुक्त वन प्रबन्ध सम्बन्धी संकल्प पारित किया गया था। यह सूचित किया गया कि वानिकी कार्यक्रमों में जनजातीय लोगोंकी भागीदारीता उत्साहजनक है, इसलिए आयोग का सुझाव है कि जनजातीय लोगों को वनों से सम्बन्धित सभी क्रियाकलापों में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे न केवल जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि वनों की गैर-कानूनी कटाई को रोकने में भी संरक्षण मिलेगा। आयोग का यह भी विचार था कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उत्तर-पूर्वी वन नीति तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि मिजोरम से हर वर्ष बांसों, बेंत और अन्य इमारती लकड़ी के लगभग दस लाख टुकड़े गैर - कानूनी रूप से बाहर ले जाए जाते हैं और उससे राज्य के राजस्व को भारी हानि होती है। मिजोरम में नदियों के किनारे के बांस और बेंत का निर्यात महल प्रणाली द्वारा किया जाता है। महल प्रणाली का अनुसरण करने की बजाय, सुझाव दिया जाता है कि बांस और बेंत का निर्यात जनजातियों की सहकारी समितियां द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा कि त्रिपुरा और मेघालय राज्यों द्वारा किया जाता है। इससे राज्य के जनजातीय लोगों को लाभ होगा। यह सूचित किया गया है कि मिजोरम में बहुत सी चिकित्सीय जड़ी-बूटियां और पौधे उपलब्ध हैं। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि मिजोरम की जड़ी-बूटियों का अन्वेषण करने के लिए अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, ताकि उनका वाणिज्यिक उपयोग किया जा सके।

- I उड़ीसा की जनजातीय जनसंख्या 70,32,214 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 22.21 प्रतिशत है। कुल जनजातीय जनसंख्या के मामले में सभी राज्यों में उड़ीसा का स्थान तीसरा है। राज्य का लगभग 44.12 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत शामिल है। राज्य में 13 आदिम जनजातियाँ हैं।
- II वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में टी.एस.पी. को राज्य योजना से क्रमशः 18.97 प्रतिशत और 24.19 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई थी। वर्ष 1999-2000 में नियत राशि राज्य में जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में नहीं थी। नौवीं योजना की अवधि में भी कुल राज्य योजना परिव्यय में से प्राप्त राशि की प्रतिशतता कम, अर्थात् 19.61 प्रतिशत थी। इसलिए सिफारिश की जाती है राज्य योजना से टी.एस.पी. के लिए नियत की जाने वाली कम से कम राज्य में जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इसके अलावा, 8वीं योजना में कार्यकारी दलों द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार, जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों के विकास के बीच के अन्तर को पाटने के लिए 3 प्रतिशत और राशिगं निगत की जानी चाहिए। राज्य का सहकारी जनजातीय विकास निगम वित्तीय तांगियों के कारण कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा टी.डी.सी.सी. को जो प्रबन्धकीय सहायता दी गई है, वह योजना-भिन्न व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। टी.डी.सी.सी. को गौण वन उत्पाद और एस.ए.पी. की खरीद करने के लिए पर्याप्त कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता है। जनजातीय और ग्रामीण विकास परिषद, भुवनेश्वर द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला था कि जनजातीय परिवारों की आय में गौण वन उत्पादों का योगदान 20 प्रतिशत होता है और इन उत्पादों के विपणन की कोई बढ़िया प्रणाली नहीं है। जनजातियों के लोगों को व्यापारियों द्वारा खरीदे गए एम.एफ.पी. के लिए सही कीमत प्राप्त नहीं होती और एकत्र किए गए गौण वन उत्पादों (एम.एफ.पी.) के 50 प्रतिशत से अधिक भाग का विपणन बिचौलियों और स्थानीय छोटे व्यापारियों द्वारा किया जाता है।
- III इसलिए आयोग की राय है कि टी.डी.सी.सी. में फिर से नई जान डाली जाए, ताकि वह जनजातीय लोगों की जरूरतों को कारगर ढंग से पूरा कर सके। यह सुझाव भी दिया जाता है कि जनजातीय लोगों को विभिन्न उत्पादों के बाजार-भावों की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें एम.एफ.पी. के परिरक्षण और प्रसंस्करण के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुसरण में, उड़ीसा सरकार ने इमारती लकड़ी से भिन्न वन-उत्पादों की खरीद और व्यापार के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को, आरक्षित वनों, वन्य जीवन अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के अन्तर्गत वनों को छोड़कर, जो राजस्व गांवों की सीमाओं के बाहर हों, अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर एम.एफ.पी. पर स्वामित्व प्राप्त होता है।
- IV उड़ीसा सरकार ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अनुसार, उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण (अनुसूचित जनजाति द्वारा) विनियम (1956 का विनियम 2) में संशोधनों का प्रस्ताव किया है और उन्हें

टी.ए.सी. और उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, भारत के राष्ट्रपति के पास अभिस्वीकृति के लिए भेजा है। इससे जनजातियों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी भूमि का और आगे अन्तरण रूक जाएगा और जनजातीय लोगों को भूमिहीन बनने से रोका जाएगा। आयोग ने बल दिया कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अनुरूप अन्य राज्यों को भी अपने अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातीय क्षेत्रों में इसी प्रकार के उपबन्ध करने चाहिए।

- V राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के बारे में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित जनजाति के कुल परिवारों में से लगभग 82.42 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, जो एक गम्भीर चिंता का विषय है। आर्थिक और वैयक्तिक लाभभोगी-उन्मुख कार्यक्रमों से गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए आय-सृजन की वैयक्तिक लाभभोगी स्कीमों को अधिक गम्भीरता से और प्रभावकारितापूर्वक कार्यान्वित करके राज्य के जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए सुनियोजित प्रयास करने की आवश्यकता है।

5.21 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय लोगों के विशेष मुद्दे

5.21.1 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय लोगों की समस्याएं देश के शेष भाग के जनजातीय लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से भिन्न हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों में इस क्षेत्र की विद्यमान स्थितियों के अनुसार कुछ ऐसे फेर-बदल करने की आवश्यकता है, जो वहां के जनजातीय लोगों की जरूरतों के अनुरूप हों। बुनियादी ढांचे के विकास की गति धीमी बनी हुई है, जिसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तेज बनाए जाने की आवश्यकता है। युवा जनजातीय लोगों में बेरोजगारी का उच्च अनुपात आतंकवादी गतिविधियों का पोषण करने में सहायक होता है।

5.21.2 दस्तकारी और हथकरघा के विकास की काफी ऊंची संभावनाएं हैं, लेकिन डिजाइन सम्बन्धी पर्याप्त निविष्टियों और उपयुक्त विपणन सहायता के अभाव के कारण इस क्षेत्र का पूरा लाभ नहीं उठाया गया है और इसके अलावा, परिवहन की ऊंची लागत भी एक मुख्य बाधा है। इसे देखते हुए, भारत सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सस्मिडी प्राप्त परिवहन सुविधाओं की, जिनमें हवाई परिवहन भी शामिल है, व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उद्योगीकरण के लिए अनेक प्रोत्साहनों के बावजूद, इस क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों के कारण, कोई प्रमुख उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं। इसलिए, उद्योगपतियों को इस क्षेत्र में अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन से, इस क्षेत्र में तेजी से आने-जाने को सुगम बनाने के लिए बड़े गेज वाली रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहिए। ग्रामपुत्र के जरिए जल-मार्गों का विकास करने की संभावना का अन्वेषण किया जाना चाहिए।

5.21.3 इस क्षेत्र की एक अन्य गम्भीर समस्या है, बंगलादेशियों का गैर-कानूनी रूप से अप्रवास। गैर-कानूनी रूप से आए लोग इस क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं।

5.21.4 इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए इस क्षेत्र में झूम खेती की प्रथा का उन्मूलन किया जाना चाहिए। झूम खेती की स्कीम, जो आजकल कृषि मंत्रालय के अधीन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंपी जानी चाहिए।

5.22.1 संविधान के 73वें संशोधन के जरिए देश में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इस त्रि-स्तरीय प्रणाली में सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की जानकारी अनुबन्ध V- 14 में दी गई है। इससे पता चलता है कि ग्राम पंचायतों के 25,80,261 सदस्यों में से अनुसूचित जनजातियों के 2,35,445 व्यक्ति चुने गए थे, जो देश में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों के 9.1 प्रतिशत के बराबर हैं। पंचायत समिति स्तर पर 1,28,581 प्रतिनिधियों में से 7237 सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं, जो कुल निर्वाचित सदस्यों का 6 प्रतिशत हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत समिति के स्तर पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान संभवतः भरे नहीं गए हैं। उड़ीसा, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में पंचायती समिति के स्तर पर आरक्षण की विहित प्रतिशतता की तुलना में अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित सदस्यों की प्रतिशतता कम है। इन सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक अनुपात में चुने गए हैं और पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व कम है।

5.22.2 कतिपय राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दमण और दीव में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित सदस्यों का अनुपात राज्य में जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता की तुलना में अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि जनजाति के बहुत से निर्वाचित सदस्य आरक्षित स्थानों से भिन्न स्थानों से चुने गए हैं।

5.23 जनजातियां और आबकारी नीति

5.23.1 ऐसा प्रतीत होता है कि अल्कोहलयुक्त पेयों के अत्यधिक सेवन का परिणाम जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक दिशाहीनता, ऋणग्रस्तता और सम्पूर्ण कंगाली के रूप में हुआ है। सरकार ने इस तथ्य को नोट किया और गृह मंत्रालय ने वर्ष 1975 में जनजातीय क्षेत्रों में अल्कोहलयुक्त पेयों के उत्पादन और उसकी बिक्री के विनियमन के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए :-

- I जनजातीय क्षेत्रों में अल्कोहलयुक्त पेयों की वाणिज्यिक बिक्री बन्द की जानी चाहिए।
- II अनुसूचित जनजातियों को घर पर और धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर इस्तेमाल के लिए अपने पारम्परिक पेय निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- III अनुसूचित जनजातियों को अल्कोहलयुक्त पेय पीने की आदत छुड़ाने की कोशिशों की जानी चाहिए और इस प्रयोजनार्थ सरकारी और गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को जनजातीय क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5.23.2 राज्य सरकारों ने सामान्य रूप से इन मार्गनिर्देशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन, बाद में अनेक राज्य सरकारों ने शराब के ठेकेदारों को जनजातीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देना प्रारम्भ कर दिया ताकि राज्य राजस्व में वृद्धि हो सके। राज्यों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर शराब की बिक्री को रोकने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नहीं किए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में आबकारी नीति को कड़ाई से लागू करने, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में अल्कोहलयुक्त पेयों की वाणिज्यिक आधार पर बिक्री पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने की अविलम्ब आवश्यकता है। आयोग महसूस करता है कि अल्कोहल युक्त पेयों के उत्पादन और

बिक्री को विनियमित करने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है - जो कि उनकी गरीबी, ऋणग्रस्तता तथा शोषण का एक मुख्य कारण है।

5.24 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आयोग और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

5.24.1 संविधान के अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की स्थापना किए जाने का उपबन्ध है। इस उपबन्ध के अन्तर्गत पहला आयोग वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था और उसके अध्यक्ष श्री यू.एन. धेवर थे। उसके बाद इस उपबन्ध के अन्तर्गत और कोई आयोग गठित नहीं किया गया। सरकार आयोग स्थापित करने का फैसला पहले से कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी कारण इसके कार्यान्वयन में विलम्ब किया जा रहा है। आयोग सिफारिश करता है कि सरकार को अविलम्ब अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करना चाहिए।

5.25 राष्ट्रीय जनजाति कार्य संस्थान

5.25.1 विभिन्न संसदीय समितियां और विशेषज्ञ दल पिछले तीन दशकों से अधिक समय से राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश करते रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय कार्य संस्थान स्थापित करने के लिए वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में 4 करोड़ रुपए की बजट-व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2001-2002 में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई। यह आयोग बल देता है कि संस्थान को चालू किया जाना चाहिए और इसका स्तर एक 'डीम्ड' विश्वविद्यालय का होना चाहिए और संकाय तथा अन्य स्टाफ की नियुक्तियां, वेतनमान और सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पद्धतियों के अनुरूप होनी चाहिए।

5.25.2 राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की मौजूदा स्थिति और उनका कार्यचालन बहुत सन्तोषजनक नहीं समझा जाता है। इसलिए, यह आयोग सिफारिश करता है कि सभी जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का समन्वय और तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए, प्रस्तावित राष्ट्रीय जनजाति कार्य संस्थान के साथ सम्बद्ध करना चाहिए और इन संस्थानों के स्टाफ की सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह ही होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी जनजातीय उप-योजना से इन संस्थानों को धनराशियां मुहैया करवानी चाहिए।

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा टी एस पी को दी गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं०	मंत्रालय / विभाग	1999-2000			2000-2001		
		कुल परिव्यय	टी एस पी को दी गई राशि	प्रतिशतता	कुल परिव्यय	टी एस पी को दी गई राशि	प्रतिशतता
1	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय				272.17	21.45	7.00
2	दूरसंचार विभाग	12650.00	900.00			97.46	7.86
3	डाक विभाग	10.00	4.06			3.86	
4	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				270.00	31.00	
5	वाणिज्य विभाग	151.57	14.4050		186.49	14.36	7.74
6	भारतीय औषध पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग				10000.00	184.66	1.85
7	पर्यावरण और वन मंत्रालय	700.00	62.85		242.37	151.75	कुल परिव्यय का 17.85
8	ग्रामीण विकास मंत्रालय						सभी महत्वपूर्ण स्कीमें अनु० जा०/अनु० जन जा० के लिए सहायता देती हैं।
9	ग्रामीण विकास मंत्रालय पेय जल विभाग				3000.00	300.00	अनु० जा०/अनु० जन जाति के लिए 10%
10	वस्त्र मंत्रालय				6500.00	4.86	7.49
11	गैर परम्परागत मंत्रालय	800.00	6.75		7270.00	4.87	6.70
12	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैव प्रौद्योगिकी विभाग					0.75	
13	महिला एवं बाल विकास विभाग						आई सी डी एस परियोजना का 17.8%
14	संस्कृति विभाग	-	3.25			6.03	
15	कृषि मंत्रालय	-	82.48		160.63	72.47	कुल परिव्यय का 3.7%
16	एस. एस. आई. एवं ए. आर. आई. मंत्रालय				775.00	38.29	

17	विद्युत मंत्रालय	-	53.00			44.50	मंत्रालय ने 415 जनजातीय गाँवों के विद्युत्तिकरण के लिए 16.67 करोड़ रूपए की ब्याज आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।
18	मानव संसाधन विकास मंत्रालय				5450.00	436.54	8.01
19	युवा कार्य मंत्रालय				215.00	1.40	
20	कोयला मंत्रालय					4.65	
21	इस्पात विभाग	2082.40	11.65				

वर्ष 1994-95 से 2000-2001 तक के दौरान अनु0 जन जाति जनसंख्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रतिशतता और राज्य योजना तथा जनजातीय उप योजना से टी गई निधियां

(करोड़ रूपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनु जा० जनसंख्या का %	1994-95			1995-96		
			राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी परिव्यय	टी एस पी परिव्यय का %	राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी परिव्यय	टी एस पी परिव्यय का %
1	आन्ध्र प्रदेश	6.31	2130.00	78.76	3.70	3159.00	125.88	3.98
2	असम	12.82	978.83	109.75	11.21	1326.40	147.00	11.08
3	बिहार	7.66	2310.00	597.02	25.85	2400.00	687.02	28.63
4	गुजरात	14.92	224.00	237.75	106.14	2610.00	308.76	11.83
5	हिमाचल प्रदेश	4.22	650.00	58.50	9.00	750.00	67.50	9.00
6	जम्मू और कश्मीर	11.00	950.00	87.87	9.25	1165.00	119.57	10.26
7	कर्नाटक	4.26	3275.00	47.85	1.46	3575.00	67.68	1.89
8	केरल	1.10	1260.00	24.65	1.96	1550.00	24.32	1.57
9	मध्य प्रदेश	23.27	2750.00	627.72	22.83	2900.00	685.66	23.64
10	महाराष्ट्र	9.27	4400.00	330.00	7.50	5500.00	412.50	7.50
11	मणिपुर	34.41	240.00	85.72	35.72	300.00	119.86	39.95
12	उड़ीसा	22.44	1950.00	348.40	17.87	300.00	119.86	39.95
13	राजस्थान	12.44	2450.00	187.12	7.64	3200.00	305.45	9.55
14	सिक्किम	22.36	97.95	17.00	17.36	81.41	13.12	16.12
15	तमिल नाडु	1.03	2750.01	28.33	1.03	3200.00	36.39	1.14
16	त्रिपुरा	30.95	290.00	88.75	30.60	329.00	93.84	28.52
17	उत्तर प्रदेश	0.21	3842.00	2.60	0.07	4520.00	2.87	0.06
18	पश्चिम बंगाल	5.59	1706.00	77.03	4.52	2200.40	75.67	3.44
19	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.54	205.00	24.19	11.80	15.52	2.33	15.01
20	दमण और दीव	11.54	26.26	2.22	8.45	34.53	2.80	8.11
	अखिल भारत	8.08	34501.05	3061.23	8.87	40549.26	3867.07	9.54

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

2.. जनजातीय कार्य मंत्रालय

3. 10 वीं पंचवर्षीय योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों को अधिकार देने संबंधी कार्यकारी दल की अंतरिम रिपोर्ट

अनुबंध 5.II

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनु ज० जा० जनसंख्या का %	1996-97			1997-98		
			राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी परिव्यय	टी एस पी परिव्यय का %	राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी परिव्यय	टी एस पी परिव्यय का %
1	आन्ध्र प्रदेश	6.31	2942.78	55.19	1.87	3533.00	191.93	5.43
2	असम	12.82	1183.74	113.68	9.60	1192.97	132.65	11.12
3	बिहार	7.66						
4	गुजरात	14.92	3077.44	339.70	11.04	4500.00	489.06	10.87
5	हिमाचल प्रदेश	4.22	9000.00	81.00	9.00	1008.00	90.72	9.00
6	जम्मू और कश्मीर	11.00				1550.00	231.12	14.91
7	कर्नाटक	4.26	3700.00	79.81	2.16	4545.01	84.98	1.87
8	केरल	1.10	2086.45	30.45	1.46	2855.00	19.42	0.68
9	मध्य प्रदेश	23.27	3197.48	623.24	19.49	3657.22	622.21	17.01
10	महाराष्ट्र	9.27	7083.90	535.00	7.55	5836.20	550.00	9.42
11	मणिपुर	34.41	277.03	126.93	45.82	410.00	160.77	39.21
12	उड़ीसा	22.44	1917.26	432.35	22.55	2683.95	576.62	21.48
13	राजस्थान	12.44	3200.00	342.22	10.69	3504.13	390.17	11.13
14	सिक्किम	22.36				51.57	11.56	22.41
15	तमिल नाडु	1.03	3700.72	39.42	1.07	4000.00	42.45	1.06
16	त्रिपुरा	30.95	346.91	107.28	31.00	437.00	125.94	28.81
17	उत्तर प्रदेश	0.21				7080.00	32.00	0.45
18	पश्चिम बंगाल	5.59	3080.98	54.86	1.78	3922.34	102.79	2.63
19	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.54				255.00	25.52	10.06
20	दमण और दीव	11.51	23.91	3.06	12.79	59.57	2.73	4.58
	अखिल भारत	8.08	36718.60	2964.19	8.07	51490.96	3882.64	7.54

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

2.. जनजातीय कार्य मंत्रालय

3. 10 वीं पंचवर्षीय योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों को अधिकार देने संबंधी कार्यकारी दल की अंतरिम रिपोर्ट

अनुबंध 5.II

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनु जा० जनसंख्या का %	1998-99			1999-2000		
			राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी परिव्यय	टी एस पी परिव्यय का %	राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी परिव्यय	टी एस पी परिव्यय का %
1	आन्ध्र प्रदेश	6.31	4678.94	158.09	3.38	5479.50	152.59	2.78
2	असम	12.82	1128.70	108.66	9.62	1306.23	126.35	9.67
3	बिहार	7.66	2348.42	726.76	30.94	3630.00	1044.53	28.77
4	गुजरात	14.92	5450.00	666.72	12.23	6550.00	853.08	13.02
5	हिमाचल प्रदेश	4.22	1440.00	122.67	8.51	1600.00	135.00	8.43
6	जम्मू और कश्मीर	11.00				522.26	56.94	10.90
7	कर्नाटक	4.26	5353.00	76.18	1.42	5887.99	88.25	1.50
8	केरल	1.10	3100.00	61.17	1.97	3250.00	60.11	1.85
9	मध्य प्रदेश	23.27	3700.00	634.32	17.14	4000.05	847.27	21.18
10	महाराष्ट्र	9.27	11600.73	561.00	4.83	6641.82	580.59	8.74
11	मणिपुर	34.41						
12	उड़ीसा	22.44	2071.23	643.85	31.09	2488.88	627.88	25.23
13	राजस्थान	12.44	3800.00	384.55	10.12	5022.27	427.31	8.50
14	सिक्किम	22.36	193.60	17.24	8.91	90.81	25.01	27.54
15	तमिल नाडु	1.03	4500.00	46.24	1.03	5251.12	58.49	1.11
16	त्रिपुरा	30.95	440.00	120.51	27.38			
17	उत्तर प्रदेश	0.21	10260.96	49.10	0.48	11400.00	42.45	0.37
18	पश्चिम बंगाल	5.59	4594.85	79.92	1.74	5787.25	424.24	7.33
19	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.54	320.00	41.22	12.88	400.00	62.50	15.60
20	दमण और दीव	11.51	33.39	1.40	4.19	34.06	2.71	8.04
	अखिल भारत	8.08	65013.82	4499.58	6.92	69342.19	5615.33	8.09

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

2. जनजातीय कार्य मंत्रालय

3. 10 वीं पंचवर्षीय योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों को अधिकार देने संबंधी कार्यकारी दल की अंतरिम रिपोर्ट

अनुबंध 5.11

(करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अनु जा० जा० जनसंख्या का %	2000-2001		
			राज्य योजना परियोजना	जनजातीय उपयोगिता का प्रवाह	टी एस पी परियोजना का %
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	6.31		-	-
2	असम	12.82	1210.34	136.54	11.28
3	बिहार	7.66	-		
4	गुजरात	14.92	7600.00	916.54	12.05
5	हिमाचल प्रदेश	4.22	1720.00	146.11	8.49
6	जम्मू और कश्मीर	11.00			
7	कर्नाटक	4.26	7274.00	89.94	1.23
8	केरल	1.10			
9	मध्य प्रदेश	23.37	2490.60	613.24	25.34
10	महाराष्ट्र	9.27	5798.00	525.00	9.05
11	मणिपुर	34.41	681.95	257.54	37.76
12	उड़ीसा	22.21	2908.92	818.00	28.12
13	राजस्थान	12.44	4219.32	133.87	10.28
14	सिक्किम	22.36	133.35	31.22	23.41
15	तमिल नाडु	1.03	5700.27	58.60	1.02
16	त्रिपुरा	30.95	355.50	172.88	31.12
17	उत्तर प्रदेश	0.21	9025.00	46.76	0.51
18	पश्चिम बंगाल	5.59	5977.58	138.14	2.31
19	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.54	410.00	54.72	13.34
20	दमण और दीव	11.54	34.06	1.24	3.64
	अखिल भारत	8.08	55738.89	4458.34	7.99

स्रोत - वार्षिक रिपोर्ट

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2. जनजातीय कार्य मंत्रालय
3. 10 वीं पंचवर्षीय योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों को अधिकार देने संबंधी कार्यकारी दल की अंतरिम रिपोर्ट

वर्ष 1992-93 से 2000.2001 तक की योजना अवधि के दौरान टी एस पी को एस सी ए के अन्तर्गत राज्यवार जारी की गई राशि तथा उसका उपयोग दर्शाने वाला विवरण

क्र० स०	राज्य/ संघ क्षेत्र	1992-93			1993-94			1994-95		
		जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	व्यय न की गई राशि	जारी की गई राशि	व्यय की गई राशि	व्यय न की गई राशि	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	व्यय न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	1529.34	1561.18	-31.84	1539.22	1545.58	-6.360	1947.10	1947.100	0
2	असम	1077.61	956.61	121	1087.57	1038.75	48.82	1112.67	1110.27	2.40
3	बिहार	3175.25	3175.25	0	3497.39	0	3497.39	1748.70	274.22	1474.48
4	गुजरात	1855.84	1983.02	-127.18	2234.77	2103.66	131.11	2491.56	2056.98	434.58
5	हिमाचल प्रदेश	403.39	365.84	37.55	755.03	461.48	293.55	450.57	761.87	-311.3
6	जम्मू एवं कश्मीर	296.14	0	296.14	518.6	335.49	183.11	550.63	321.5	229.13
7	कर्नाटक	327.42	327.42	0	439.76	439.76	0	409.03	381.45	27.58
8	केरल	207.23	192.74	14.49	167.25	152.25	15	126.3	185.97	-59.67
9	मध्यप्रदेश	6785.01	5782.91	1002.1	8117.65	7719.51	398.14	7535.72	6983.85	551.87
10	महाराष्ट्र	1815.21	1502.78	312.43	2234.35	3139.68	-905.33	2196.34	2971.31	-774.97
11	मणिपुर	383.41	434.48	-51.07	417.12	411.73	5.39	432.81	438.4	-5.59
12	उड़ीसा	3378.03	3391.92	-13.89	3603.23	3611.04	-7.81	3956.55	3493.54	463.01
13	राजस्थान	1679.46	1644.42	30.04	2664.68	2620.05	44.63	2202.79	2180.02	22.77
14	सिक्किम	60.93	60.15	0.78	73.67	72.89	0.78	75.1	69.26	5.84
15	तमिलनाडु	270.72	263.58	7.14	214.05	227.2	-13.15	256.88	300.02	-43.14
16	त्रिपुरा	414.94	408.18	6.76	372.37	372.37	0	480.01	480.01	0
17	उत्तर प्रदेश	58.4	39.81	18.59	69.22	31.39	37.83	70.41	0	70.41
18	पश्चिम बंगाल	1171.67	1646.33	-474.66	1319.06	940.37	378.69	335.83	1335.83	-1000
19	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	86.13	71.91	14.22	77.22	53.13	24.09	85.5	68.54	-16.96
20	दमण व दीव	23.87	23.87	0	28.29	28.28	0.01	35.5	35.5	0

अनुबंध-V.III

वर्ष 1992-93 सं 2000-2001 तक की योजना अवधि के दौरान टी एस पी को एस सी ऐ के अन्तर्गत राज्यवार जारी की गई राशि तथा उसका उपयोग दर्शाने वाला विवरण

		1995-96			1996-97			1997-98		
क्र० स.	राज्य/संघ क्षेत्र	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	व्यय न की गई राशि	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	व्यय न की गई राशि	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	व्यय न की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आन्ध्र प्रदेश	2140.32	2140.32	0.00	2287.52	2287.62	0.00	2581.54	2581.54	0.00
2	असम	1545.19	823.80	721.39	1524.71	939.89	-584.82	1460.00	938.11	581.82
3	बिहार	274.22	8.30	265.92	3364.00	0.00	3364.00	0.00	0.00	0.00
4	गुजरात	3060.26	2632.25	428.01	2642.95	2950.07	-307.12	2632.77	2980.55	-347.78
5	हिमाचल प्रदेश	541.62	493.35	48.27	622.44	541.62	80.82	521.89	605.82	-83.93
6	जम्मू एवं कश्मीर	756.64	989.15	-232.51	681.54	787.37	-105.83	521.80	916.89	-395.09
7	कर्नाटक	659.99	411.47	248.52	569.50	391.98	177.52	500.00	641.53	-141.53
8	केरल	181.20	153.16	28.04	153.71	164.69	-10.98	196.12	231.78	-35.66
9	मध्यप्रदेश	9579.66	6581.33	2998.33	7695.71	8532.99	-837.28	9207.83	7139.01	2066.82
10	महाराष्ट्र	2930.82	2753.26	177.56	3160.78	2524.44	636.34	3400.89	2975.62	425.27
11	मणिपुर	574.53	575.63	-1.10	653.22	680.14	-6.92	950.00	762.09	187.91
12	मिज़ोरम	4958.10	5489.66	-531.56	4411.44	4411.44	0.00	5576.27	4376.27	1200.00
13	राजस्थान	2819.04	3023.21	-204.17	2467.32	2461.44	5.88	2341.13	2057.28	283.85
14	सिक्किम	100.19	73.15	27.04	138.41	93.27	45.14	60.00	121.91	-61.91
15	तमिलनाडु	274.44	274.44	0.00	238.81	232.01	6.80	243.71	263.31	-19.60
16	त्रिपुरा	564.97	588.55	-23.58	594.48	671.32	-76.84	885.00	835.00	50.00
17	उत्तर प्रदेश	104.08	39.59	64.49	90.39	101.66	-11.27	112.91	64.59	48.32
18	पश्चिम बंगाल	1763.21	1763.21	0.00	1558.07	1654.04	-95.97	16.39	1600.39	0.00
19	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	112.21	89.11	23.10	95.18	105.78	-10.60	118.00	97.13	20.87
20	दमण व दीव	59.31	59.31	0.00	49.82	49.82	0.00	50.75	50.61	0.14
	योग	33000.00	28962.25	4037.75	33000.00	29561.49	3438.51	32961.00	29239.43	3721.57

वर्ष 1992-93 सं 2000-2001 तक की योजना अवधि के दौरान टी एस पी को एस सी ऐ के अन्तर्गत राज्यवार जारी की गई राशि तथा उसका उपयोग दर्शाने वाला विवरण

		1998 - 1999			1999 - 2000			योग 1995 - 2000		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
क्र० स	राज्य/संघ क्षेत्र	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	व्यय न की गई राशि	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	व्यय न की गई राशि	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	व्यय न की गई राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	2728.47	2728.47	0.00	2182.94	729.29	1453.65	11920.79	10467.14	1453.65
2	असम	2089.56	2152.00	82.44	2443.50	1913.00	530.50	9042.96	6786.80	2276.16
3	बिहार	0.00	4362.12	4362.12	4779.13	13.00	4779.13	8417.35	4370.42	4046.93
4	गुजरात	3889.70	3249.61	440.09	3139.96	3123.81	16.17	15165.66	14936.29	229.37
5	हिमाचल प्रदेश	689.44	557.69	131.75	514.05	750.61	226.56	2889.44	2949.09	59.65
6	जम्मू एवं कश्मीर	739.22	500.269	238.951	776.36	726.56	49.82	3475.58	3920.24	444.66
7	कर्नाटक	686.64	505.41	181.23	616.13	889.31	273.18	3032.26	2839.70	192.56
8	केरल	406.17	208.14	200.03	218.63	208.00	10.63	1157.83	965.77	192.06
9	मध्यप्रदेश	9476.17	9641.21	165.04	9797.15	10585.25	786.10	45756.52	42479.79	3276.73
10	महाराष्ट्र	3532.21	2768.42	764.79	2974.57	0.00	2974.57	15999.27	11020.74	4978.53
11	मणिपुर	779.52	943.39	163.87	606.65	651.49	42.84	3565.92	3592.74	26.82
12	उड़ीसा	5911.86	5000.00	911.86	5898.250	7660.140	1961.86	26555.95	26937.51	381.56
13	राजस्थान	3475.72	2620.63	855.09	2915.24	3355.46	440.22	14018.45	13518.02	500.43
14	सिक्किम	80.00	96.11	36.11	86.26	86.38	0.10	444.88	470.82	25.94
15	तमिलनाडु	295.91	295.91	0.00	258.27	258.27	0.00	1311.14	1323.94	12.80
16	त्रिपुरा	977.77	791.77	186.00	831.57	1067.57	235.00	3853.79	3954.21	100.42
17	उत्तर प्रदेश	57.54	112.91	55.37	99.85	79.54	20.31	464.77	398.29	66.48
18	पश्चिम बंगाल	2222.10	2222.10	0.00	1759.40	0.00	1759.40	8903.17	7239.74	1663.43
19	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	133.90	123.77	10.13	255.40	125.25	120.15	714.69	551.04	163.65
20	दमन व दीव	86.10	10.71	55.39	44.60	20.60	24.00	270.58	191.05	79.53
	योग	38000.00	38889.64	889.64	40000.00	32240.53	7759.47	176961.00	158893.34	18067.66

स्रोत: 1. राष्ट्रीय अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आयोग की चौथी रिपोर्ट ।

2. दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनु० जनजातियों को अधिकार देने के लिए कार्यदल की अंतरिम रिपोर्ट-
जनजातीय कार्य मंत्रालय, अप्रैल, 2001

अनुबंध-5.IV

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 (22-12-2000) की स्थिति के अनुसार
(अनन्तिम) के दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता
प्राप्त कुल तथा अनु० जन जाति स्वरोजगारियों के ब्योरे

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की संख्या	उपेक्षित समूहों का कवरेज अनु० जनजाति के व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.
1	आन्ध्र प्रदेश	165190	15929	9.64
2	अरुणाचल प्रदेश	3060	3060	100.00
3	असम	17974	3886	21.62
4	बिहार	106393	16684	15.68
5	गोवा	0	0	0.00
6	गुजरात	19341	8054	41.64
7	हरियाणा	17348	0	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	8638	994	11.51
9	जम्मू व कश्मीर	5835	एन आर	0.00
10	कर्नाटक	19184	2126	11.08
11	केरल	29485	456	1.55
12	मध्य प्रदेश	112118	30695	27.38
13	महाराष्ट्र	87994	12869	14.62
14	मणिपुर	एन आर		0.00
15	मेघालय	741	741	100.00
16	मिजोरम	0	0	0.00
17	नागालैण्ड	4749	4749	100.00
18	उड़ीसा	74633	18402	24.66
19	पंजाब	1694	0	0.00
20	राजस्थान	34120	5507	16.14
21	सिक्किम	686	288	41.98
22	तमिलनाडु	65427	1309	2.00
23	त्रिपुरा	8450	2934	0.00
24	उत्तर प्रदेश	60647	782	1.29
25	पश्चिम बंगाल	88826	5008	5.64
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	795	78	0.00
27	दादर व नगर हवेली	एन आर	0	0.00
28	दमण व दीव	6	6	100.00
29	लक्षद्वीप	3	3	100.00
30	पांडिचेरी	531	384	0.00
	कुल	933868	134944	14.45

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2000-2001

अनुबध-5.V

वर्ष 2000-2001 (दिनांक 22-12-2000 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बनाए गए एस0एच0जी0 शुरू किए गए आर्थिक कार्यकलाप, सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों, आदि की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की संख्या	अपेक्षित समूहों का कवरेज अनु० जनजाति के व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशतता अ० ज० जा०
1.	2.	3.	4.	5.
1	आन्ध्र प्रदेश	45254	4251	9.49
2	अरुणाचल प्रदेश	355	355	100.00
3	असम	3197	940	29.40
4	बिहार	75446	881	1.17
5	छत्तीसगढ़	15262	7614	49.89
6	गोवा	30	0	0.00
7	गुजरात	17702	6252	35.32
8	हरियाणा	13200	0	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	8747	1032	11.80
10	जम्मू व कश्मीर	2214	0	0.00
11	झारखंड	30113	11595	38.50
12	कर्नाटक	16978	1349	7.95
13	केरल	12991	233	1.79
14	मध्य प्रदेश	27247	6918	25.39
15	महाराष्ट्र	29212	4610	15.78
16	मणिपुर	0	एन और	0.00
17	मेघालय	468	468	100.00
18	मिजोरम	204	204	100.00
19	नागालैण्ड	1376	1376	100.00
20	उड़ीसा	32270	7850	24.33
21	पंजाब	6171	0	0.00
22	राजस्थान	22927	3843	16.76
23	सिक्किम	1174	495	42.16
24	तमिलनाडु	38870	314	0.83
25	त्रिपुरा	2171	662	30.49
26	उत्तर प्रदेश	33666	108	0.32
27	उत्तरांचल	69	10	14.49
28	पश्चिम बंगाल	9459	729	7.71
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	363	20	5.51
30	दमण व दीव	0	0	३ डी आई वी आई ओ
31	दादर व नगर हवेली	0	0	0.00
32	लक्षद्वीप	20	20	100.00
33	पांडिचेरी	34	34	100.00
	कुल	446190	62163	13.93

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2000-2001

अनुबंध- 5.VI

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभ भोगी
वर्ष 2000-2001 (अनन्तिम) दिनांक 22-12-2000 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/राज्य क्षेत्र	राज्य लक्ष्य	सूचित किए गए लाभभोगियों की कुल संख्या	अनु० जनजाति
1.	2.	3.	4.	5.
1	आन्ध्र प्रदेश	305806	201610	7803
2	अरुणाचल प्रदेश	5213	4	4
3	असम	80660	11771	1361
4	बिहार	118873	45128	524
5	छत्तीसगढ़	58562	12787	1187
6	गोवा	496	14	0
7	गुजरात	20000	6958	1059
8	हरियाणा	12440	3380	0
9	हिमाचल प्रदेश	3675	2222	50
10	जम्मू व कश्मीर	9475	0	0
11	झारखंड	39509	13061	1883
12	कर्नाटक	77435	23946	378
13	केरल	26265	4604	78
14	मध्य प्रदेश	115423	26209	624
15	महाराष्ट्र	87210	34265	6331
16	मणिपुर	7374	758	12
17	मेघालय	10156	600	0
18	मिजोरम	2856	1472	0
19	नागालैण्ड	7390	35	0
20	उड़ीसा	120046	44932	8469
21	पंजाब	9035	5476	1166
22	राजस्थान	62565	3143	13
23	सिक्किम	2721	0	0
24	तमिलनाडु	174300	59131	49
25	त्रिपुरा	16232	1882	508
26	उत्तर प्रदेश	312945	99471	548
27	उत्तरांचल	16655	3847	10
28	पश्चिम बंगाल	104071	38644	1834
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	209	0	0
30	चंडीगढ़	509	0	0
31	दादर व नगर हवेली	90	0	0
32	दमण व दीव	60	0	0
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7098	0	0
34	लक्षद्वीप	31	0	0
35	पांडिचेरी	1008	179	0
	कुल	1816394	645529	33891
				8.355

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2000- 2001

राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति के लाभभोगी
वर्ष 2000-2001 (अनन्तिम) दिनांक 22-12-2000 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपये में)

क्रम सि०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य लक्ष्य	सूचित किए गए लाभभोगियों की कुल संख्या	अनु० जनजाति
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	29188	22310	431
2	अरुणाचल प्रदेश	556	0	0
3	असम	14931	3511	279
4	बिहार	11869	5848	103
5	छत्तीसगढ़	15970	4740	745
6	गोवा	118	81	0
7	गुजरात	1526	84	2
8	हरियाणा	521	214	10
9	हिमाचल प्रदेश	295	204	4
10	जम्मू व कश्मीर	552	22	4
11	झारखंड	4477	1409	281
12	कर्नाटक	6242	3962	38
13	केरल	3674	1663	30
14	मध्य प्रदेश	27924	13292	2732
15	महाराष्ट्र	9872	6231	1061
16	मणिपुर	497	27	2
17	मेघालय	694	58	0
18	मिजोरम	208	90	0
19	नागालैण्ड	347	25	0
20	उड़ीसा	12949	6563	1055
21	पंजाब	1290	951	0
22	राजस्थान	4502	659	7
23	सिक्किम	208	0	0
24	तमिलनाडु	18315	13581	337
25	त्रिपुरा	1181	249	83
26	उत्तर प्रदेश	26687	9651	0
27	उत्तरांचल	2370	1482	38
28	पश्चिम बंगाल	9382	3494	199
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	27	0	0
30	चंडीगढ़	27	0	0
31	दादर व नगर हवेली	27	0	0
32	दमण व दीव	27	2	1
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	303	0	0
34	लक्षद्वीप	27	0	0
35	पांडिचेरी	27	0	0
	कुल	206810	100403	7432
				7.405

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2000-2001

अनुबध-5.VIII

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लाभभोगी
वर्ष 2000-2001 (अनन्तिम) दिनांक 22-12-2000 की स्थिति के अनुसार

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य लक्ष्य	सूचित किए गए लाभभोगियों की कुल संख्या	अनु० जनजाति
1.	2.	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	466000	498102	45475
2	अरुणाचल प्रदेश	19365	0	0
3	असम	280379	126170	6473
4	बिहार	549664	427860	5817
5	छत्तीसगढ़	162400	131395	25674
6	गोवा	2985	2195	0
7	गुजरात	60000	7682	8
8	हरियाणा	57244	16388	516
9	हिमाचल प्रदेश	25272	24370	719
10	जम्मू व कश्मीर	33895	2634	1112
11	झारखंड	185084	136991	23904
12	कर्नाटक	316200	242126	6368
13	केरल	149178	54266	797
14	मध्य प्रदेश	436600	412964	82057
15	महाराष्ट्र	444285	283942	56536
16	मणिपुर	27449	1022	26
17	मेघालय	37678	7146	0
18	मिजोरम	10525	8581	7366
19	नागालैण्ड	27364	8076	4100
20	उड़ीसा	343400	347470	76446
21	पंजाब	41324	38475	538
22	राजस्थान	157536	90070	3291
23	सिक्किम	10104	4904	6552
24	तमिलनाडु	350000	1959876	38492
25	त्रिपुरा	60412	29826	11752
26	उत्तर प्रदेश	839931	293435	339
27	उत्तरांचल	43063	32429	576
28	पश्चिम बंगाल	353900	352635	14391
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1857	0	0
30	चंडीगढ़	1459	0	0
31	दादर व नगर हवेली	1260	0	0
32	दमण व दीव	265	259	88
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	26665	0	0
34	लक्षद्वीप	199	23	23
35	पांडिचेरी	5240	4102	0
	कुल	5528183	5545414	418436
				7.555

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2000-2001

पहचान की गई आदिम जन जातियों की राज्यवार सूची

1) आन्ध्र प्रदेश	2) बिहार	4.) कर्नाटक	6. सेहरीमास
गदबा	1. असुर	1. जेनु कुरुबास	7. बीरहोर
1. गुटुब गदबा	2. बीरहोर	2 कोरगा	
2. बोडो गदबा पोरजा			
3. बोंदो पोरजा	3. बीरीजिया	5) केरल	7) महाराष्ट्र
4. खनोद पोरजा	4. कोरवा	1. चोलानाइकन	1. कटकारी/कथौडी
5. परेंजी पोरजा	5. माल पहारी	2. कुरम्बस	2. कोलाम
खोंड	6. परहैया	3 कादर	3. मादिया गोंड
6. कुटिया खोंड	7. सावर	4. खथुनामाकल	
7. डोंगरिया खोंड	8. सोरिया पहारी पटना	5. कोरगा	8) मणिपुर
8. कोंदासवरा	9. हिल खारिया	6) मध्य प्रदेश	1. मारान
9. थोटी	3) गुजरात	1. अबुजमरियास	15) अंडमान निकोबार
10. चैनचुस	1. कथोडी	2. बैगास	द्वीप समूह
11. कोंडा रेडी	2. कोलगा	3. भारीयासा	1 शोमपैन्स
12. कोलमस	3. पाधर	4. पहाडी कोरवास	2 ऑंगे
9). उड़ीसा	4. कोतवालिया	5 कामरस	3 ग्रेट अंडमानीस
1. डीदाई	5. सिद्दी		4 जरावा
2. मनकिरदिया	10) राजस्थान	12) त्रिपुरा	5. सन्टीनलेस
3. लोदास	सहारीया	. रींगस	
4. खारिया	11). तमिलनाडु	13) उत्तर प्रदेश	
5. बोंडो	1. कट्टू नाइकन	1. बूजा	
6. डोंगरिया खोड	2. कोटास	2. राजी	
7. जुआंग	3. कुरम्बास	14) पश्चिम बंगाल	
8. कुटिया खोड	4. इरुलास	1. टोटो	
9. लजियासोरा	5. पानियास	2. बीरहोर	
10. पोडी भुजान्स	6. टोडास	3. लकोदा	
11. सौरा			
12. बिरहोर			
13. चुकटीया भुजिया			

अनुबंध-5.X

आदिम जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अन्तर्गत निधियों का आबंटन तथा किया गया व्यय दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०.	राज्य	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी	1998-99		1999-2000		2000-2001	
			निधियों का आबंटन	व्यय	निधियों का आबंटन	व्यय	निधियों का आबंटन	व्यय
1	आन्ध्र प्रदेश	आई.टी.डी.पी.	117.19	84.52	217.33	बब		
		टी.आर.आई.	-	-	-	-		
		एन.जी.ओ.						
2	बिहार	आई.टी.डी.पी.	100.00	एन.आर.				
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.						
3	गुजरात	आई.टी.डी.पी.						
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.			16.80	2.75		
4	केरल	आई.टी.डी.पी.						
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.	8.15	8.15	25.63	एन.आर.		
5	कर्नाटक	आई.टी.डी.पी.						
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.	8.91	8.91	4.02	एन.आर.		
6	मध्य प्रदेश	आई.टी.डी.पी.	100.00	82.00	132.32	एन.आर.		
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.			3.88	1.37		
7	महाराष्ट्र	आई.टी.डी.पी.			15.00	एन.आर.		
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.						
8	मणिपुर	आई.टी.डी.पी.						
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.	4.65	4.65	9.70	9.74		
9	उड़ीसा	आई.टी.डी.पी.						
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.	21.31	21.31	28.82	एन.आर.		
10	राजस्थान	आई.टी.डी.पी.						
		टी.आर.आई.	33.50	एन.आर.				
		एन.जी.ओ.						
11	त्रिपुरा	आई.टी.डी.पी.	100.00	56.00	100.00	एन.आर.		
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.			8.87	एन.आर.		
12	उत्तर प्रदेश	आई.टी.डी.पी.			74.80	एन.आर.		
		टी.आर.आई.						
		एन.जी.ओ.						
	कुल		493.71	265.54	662.61	13.86	1250.00	-

अनुबंध-5.XI

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्यवार जारी की गई राशि और उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		1995-2000		
		जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	जारी की गई राशि	सूचित किया गया व्यय	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आंध्र प्रदेश	460.50	480.50	480.50	0.00	453.50	153.00	607.00	0.00	613.86	0.00	2595.38	614.00	1981.38
2	असम	315.00	315.00	315.00	315.00	305.00	0.00	210.00	0.00	420.17	0.00	1585.17	830.00	935.17
3	बिहार	725.25	0.00	725.25	0.00	841.75	0.00	483.50	0.00	967.23	1124.00	3542.98	1124.00	2418.98
4	गुजरात	675.00	748.87	675.00	1354.16	625.00	1047.67	450.00	0.00	900.70	400.00	3325.70	3150.70	175.00
5	हिमाचल प्रदेश	24.00	0.00	24.00	24.00	108.00	8.00	16.00	0.00	31.92	0.00	203.92	32.00	171.92
6	जम्मू व कश्मीर	95.25	0.00	95.25	0.00	131.75	0.00	63.50	0.00	124.12	0.00	509.87	0.00	509.87
7	कर्नाटक	210.00	49.00	210.00	261.85	270.00	115.81	140.00	308.54	280.03	204.40	1110.03	939.40	170.63
8	केरल	35.25	48.45	35.25	0.00	111.75	0.00	123.50	0.00	46.92	72.41	352.67	120.86	231.81
9	मध्य प्रदेश	1687.50	1684.47	1687.50	1907.47	1282.50	1380.25	2125.00	702.16	2250.96	0.00	9013.48	5664.35	3349.11
10	महाराष्ट्र	801.75	671.85	801.75	214.75	687.25	304.31	534.50	878.19	1069.75	0.00	3875.00	1869.10	2005.90
11	मणिपुर	69.00	0.00	89.00	0.00	123.00	121.95	69.00	22.95	92.41	0.00	422.41	144.90	277.51
12	उड़ीसा	771.00	771.00	771.00	771.00	857.00	257.00	514.00	514.00	1027.93	1027.93	3740.93	3340.93	400.00
13	राजस्थान	600.00	744.19	600.00	557.00	600.00	200.00	700.00	800.00	800.29	300.00	3300.29	2601.19	699.10
14	सिक्किम	9.75	9.75	9.75	0.00	103.25	3.25	9.75	24.36	13.29	113.38	145.79	150.74	4.95
15	तमिलनाडु	83.00	0.00	83.00	0.00	121.00	0.00	42.00	0.00	83.93	0.00	372.93	0.00	372.93
16	त्रिपुरा	93.75	93.75	93.75	93.75	231.25	0.00	162.50	331.00	124.74	124.74	705.99	643.24	62.75
17	उत्तर प्रदेश	31.50	15.00	31.50	15.00	110.50	10.50	21.00	21.00	42.08	28.06	236.58	89.56	147.02

18	पश्चिम बंगाल	417.75	417.75	417.75	311.83	139.25	138.25	578.50	278.50	516.75	0.00	2310.00	1147.13	1162.87
19	अरुणाचल प्रदेश	60.00	0.00	60.00	0.00	120.00	0.00	60.00	0.00	80.45	0.00	380.45	0.00	380.45
20	मेघालय	166.50	186.50	186.50	166.50	255.50	0.00	166.50	0.00	221.88	0.00	976.88	333.00	643.88
21	मिजोरम	72.00	0.00	72.00	0.00	124.00	0.00	107.50	0.00	95.53	0.00	471.03	0.00	471.03
22	नागालैंड	118.25	116.25	116.25	166.25	138.75	138.75	316.25	316.25	155.06	51.89	842.56	739.19	103.37
	कुल	7500.00	6292.33	7500.00	8108.16	7600.00	3889.74	7500.00	3996.96	10000.00	3446.61	40000.00	23334.29	16666.71
	व्यय का प्रतिशत		83.90		81.44		51.86		52.29		34.48			58.34

भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की शेयर पूंजी के निवेश की स्कीम के अन्तर्गत
वर्षवार जारी की गई राशि

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1988-89	7.00
1989-90	3.00
1990-91	8.00
1991-92	7.00
1992-93	7.00
1993-94	8.00
1994-95	9.00
1995-96	10.75
1996-97	10.75
1997-98	23.00
1998-99	6.00
1999-2000	0.025
कुल	99.525

अनुबंध -5.XIII

भारत सरकार द्वारा मूल्य समर्थन लागत स्कीम के अन्तर्गत ट्राइफेड को वर्षवार जारी की गई राशि

(लाख रुपये में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
1	2	3
1990-91	100.00	100.00
1991-92	100.00	100.00
1992-93	50.00	50.00
1993-94	50.00	50.00
1994-95	50.00	50.00
1995-96	50.00	50.00
1996-97	50.00	50.00
1997-98	50.00	50.00
1998-99	100.00	100.00
1999-2000	500.00	297.00

अनुबंध-5.XIV

तीन स्तरीय प्रणाली में राज्यवार चुने गए अनुसूचित जन जाति के पंचायत-प्रतिनिधि

(लाख रूपए में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायत		पंचायत समिति		जिला परिषद	
		कुल	अनु० जनजाति प्रतिशत	कुल	अनु० जनजाति प्रतिशत	कुल	अनु० जनजाति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	230529	15304 (6.6)	14644	803 (5.8)	1093	66 (6.0)
2	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम अभी पारित नहीं किया गया है					
3	असम	30360		2564		845	
		वर्तमान आंकड़े नहीं हैं। नए चुनाव अक्टूबर 1997 से देय हैं।					
4	बिहार	73वें संशोधन के बाद राज्य में चुनाव नहीं हुए। चुनाव मुद्दा न्यायाधीन है। आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।					
5	गोवा	1281				35	
6	गुजरात	123470	9550 (7.7)	3814	561 (14.7)	761	114 (15.0)
7	हरियाणा	54346	0	2430	0	226	0
8	हिमाचल प्रदेश	18264	672 (3.7)	1661	74 (4.5)	252	14 (8.6)
9	जम्मू व कश्मीर	राज्य में 73 वाँ संशोधन लागू नहीं है। राज्य, 73 वाँ संशोधन स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है।					
10	कर्नाटक	80627	7575 (9.4)	3340	169 (5.0)	919	47 (5.1)
11	केरल	10270		1547		300	
12	मध्य प्रदेश	474351	132638 (2.8)	9097	2780 (30.6)	1036	267 (25.8)
		नए चुनाव हुए परन्तु नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं					
13	महाराष्ट्र	303545	35150 (11.6)	3524	453 (12.9)	1762	232 (13.2)
14	मणिपुर	1556	44 (2.8)	0	0	61	2 (03.3)
15	मेघालय	पारम्परिक परिषदें स्थानीय शासन के कर्तव्य निभाती हैं। 73वाँ संशोधन इन राज्यों में लागू नहीं है।					
16	मिजोरम						
17	नागालैण्ड						
18	उड़ीसा	81077	11823 (14.58)	5260	809 (15.4)	854	131 (15.3)
19	पंजाब	71473	0				
20	राजस्थान	112897	15616 (13.8)	5494	804 (14.6)	1028	154 (15.0)
21	सिक्किम	873	298 (34.1)	0	0	92	40 (43.5)
22	तमिलनाडु	125852	686 (0.55)	6499	41 (6.62)	648	3 (00.5)
23	त्रिपुरा	5421	704 (13.0)	196	26 (13.3)	70	7 (10.0)

24	उत्तर प्रदेश	799780	867 (0.11)	59991	135 (0.2)	2687	7 (0.26)
25	पश्चिम बंगाल	49225	3319 (6.74)	8520	582 (6.80)	716	50 (7.00)
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	667		-		30	
27	चंडीगढ़	वर्तमान आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।					
28	दादर व नगर हवेली	135	103 (76.3)	-		16	11 (68.7)
29	दमण व दीव	63	17 (27.0)	-		15	3 (20.0)
30	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पंचायत चुनाव करवाना चाहता है					
31	लक्षद्वीप	79	79 (100)	0	0	22	22 (100.0)
32	पांडिचेरी	120				16	
		बालू आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 73वें संशोधन के बाद राज्य में चुनाव नहीं हुए					
	कुल	2580261	235445	128581	7237	13484	1170
			9.15			5.65	8.75

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2000-2001

जनजातीय लोगों के बीच भूमि हस्तांतरण और विस्थापन की समस्याएं तथा वनों पर उनकी निर्भरता

6.1 जनजातीय लोग देश की आबादी के 8 प्रतिशत से अधिक हैं। उनकी संख्या आस्ट्रेलिया अथवा कनाडा जैसे देशों की कुल आबादी से चार गुना अधिक है। 83 प्रतिशत जनजातीय लोग गुजरात और पश्चिम बंगाल के बीच मध्य भारत पर्वतमालाओं में, 12 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, लगभग 4 प्रतिशत प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी और पश्चिमी घाटों तथा नीलगिरी पर्वतों में तथा शेष एक प्रतिशत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं।

6.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

6.2.1 जनजातीय आबादी के मध्य भारतीय क्षेत्र में प्राचीन समय से आप्रवासियों का बड़ी संख्या में आगमन हुआ है। उनके समृद्ध प्राकृतिक संसाधन आधार के कारण यह क्षेत्र हाल ही के समय में औद्योगिक कार्यकलाप का एक गढ़ बन गया है। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों में, आप्रवासियों के प्रभाव के अधीन उनकी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन में समय के साथ-साथ परिवर्तन होते रहे हैं। क्षेत्र के कुछ बड़े जनजातीय समूहों, जैसे गोण्ड, भील और मुण्डा, आदि ने अपने-अपने राज्य गठित कर लिए थे, यद्यपि वे लम्बे समय तक नहीं चले, मुगलों, मराठाओं और अन्ततः अंग्रेजों की बेहतर फौजों के सम्मुख नहीं टिक सके। राजस्व के लिए अंग्रेजों की धनलोलुपता के कारण उनके प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन जनजातीय क्षेत्रों और जमींदारों तथा जागीरदारों के अधीन क्षेत्रों में गैर-जनजातीय खेतिहरों की घुसपैठ हो गई। चूंकि राजस्व की अदायगी नकद करनी पड़ती थी, इससे व्यापारियों, और साहूकारों के लिए अपार अवसर खुल गए। इसके फलस्वरूप, जनजातीय किसान अपनी कृषि भूमि गैर-जनजातीय खेतिहरों, व्यापारियों और साहूकारों को खोने लग गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपनी पैतृक भूमि से उखड़ गए तथा उन्हें और अधिक दुर्गम क्षेत्रों में जाना पड़ा अथवा वे काश्तकार या बंधुआ मजदूर बन गए।

6.2.2 जनजातियों के लगातार बढ़ते शोषण और उनकी भूमियों के हस्तांतरण के कारण क्षेत्र के कई भागों में विद्रोह और बगावत हुई। मुण्डा, संथाल, राम्पा और गोण्ड विद्रोह इस संबंध में सुविख्यात हैं। शासकों की प्रतिक्रिया बेरहम दमन की थी, उसके बाद मेल-मिलाप के प्रयास किए गए। तदनुसार, जनजातीय भूमि-हस्तांतरण गैर-जनजातीय आप्रवासियों को रोकने के लिए संरक्षात्मक विधान अधिनियमित किए गए। कुछ जनजातीय क्षेत्र 'वर्जित क्षेत्र' के रूप में इस शर्त के साथ घोषित किए गए कि सामान्य राज्य के कानून ऐसे इलाकों में लागू नहीं होंगे। आजादी के बाद के समय में सरकार ने संरक्षात्मक नीतियों का ऐसा ही मार्ग अपनाया है। अनुसूचित जनजाति वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय भूमि गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरित करने के विरुद्ध कानून हैं तथा उनमें एक निश्चित तारीख के बाद हस्तांतरित जनजातीय भूमियों को वापस दिलाने का भी प्रावधान है।

6.2.3 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र आप्रवास से अपेक्षाकृत मुक्त रहा। तथापि, ब्रह्मपुत्र घाटी और त्रिपुरा के मैदानी इलाकों ने उत्तर भारतीय मैदानों और बंगाल से आप्रवासियों को आकर्षित किया। वर्ष 1947 में विभाजन के पश्चात, त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से, (अब बंगलादेश) आप्रवासियों की बाढ़ आ गई और जनजातीय आबादी अल्पसंख्यक हो गई। इस अपवाद को छोड़कर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की पर्वतमालाएं, जिनमें प्रमुख रूप से जनजातीय लोग रहते थे, सामान्यतः मैदानी इलाकों से आप्रवासियों

के लिए दुर्गम बने रहे। वर्ष 1826 में असम के विलयन के बाद, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पर्वतों में प्रवेश किया ताकि उन्हें अपने प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत लाया जा सके। तथापि, यह काम एक खर्चीला मामला हो गया क्योंकि एक के बाद एक जनजातियों ने कड़ा विरोध किया और अंग्रेजों को पर्वतों में शान्ति स्थापित करने में और नाममात्र गृह कर लगाकर प्रशासन की छवि लागू करने में 50 वर्ष से भी अधिक का समय लग गया। ब्रिटिशों सामान्यतः में जनजातियों के आर्थिक मामलों तथा सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया था। इसी नीति के एक भाग के रूप में, गैर-जनजातीय बाहरी लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने और वहां बसने से रोकने के लिए "आन्तरिक रेखा विनियमन" अपनाया गया। बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध की इस नीति के फलस्वरूप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर (मैतियों के साथ) जनजातीय बहुल राज्य बने रहे और अल्प गैर-जनजातीय जनता, लगभग पूरी शहरी का, भूमि और इसके हस्तांतरण से कुछ लेना-देना नहीं रहा है। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में, विधायी प्रतिबंधों और जलवायु की निष्ठुरता के कारण बाहरी लोगों का प्रवेश जनजातीय क्षेत्रों में सबसे कम रहा है और वह भी व्यापार तथा सेवा तक सीमित है तथा जनजातीय भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरण व्यवहारिक दृष्टि से लगभग नगण्य रहा है।

6.2.4 ऐतिहासिक रूप से प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश जनजातियां अपनी आजीविका के लिए खाद्य सामग्री एकत्र करने, शिकार करने, मछली पकड़ने तथा वन उत्पादों पर निर्भर रही है। उनमें से कुछेक झूम खेती के स्तर तक पहुंच गए थे तथा बहुत कम ने स्थिर खेती को अपनाया है। आजादी के बाद में, उन्हें भूमियों का आबंटन करके तथा अन्य निविष्टियां उपलब्ध कराकर कृषि में व्यवस्थित करने के प्रयास किए गए हैं।

6.2.5 90 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपनी आजीविका के लिए लगभग पूर्णरूप से कृषि पर निर्भर है, जिसकी अनुपूर्ति कुछ जनजातियों के गागले में लघु वन उत्पादों के संग्रह और बिक्री से होती है। फिर भी, कुछेक जनजातियां ऐसी हैं, जैसे कि जरावास और सेनटिनेललिज, जो अपने जीवन निर्वहन के लिए पूर्णतः वन संसाधनों पर निर्भर हैं। वर्ष 1961 के उपलब्ध व्यवसायिक वर्गीकरण से पता चलता है कि 87 प्रतिशत से अधिक जनजातीय लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। तथापि, खेतिहरों की प्रतिशतता जो वर्ष 1961 में 68.18 प्रतिशत थी, वर्ष 1991 में कम होकर 54.50 प्रतिशत रह गई तथा कृषि श्रम का अनुपात उसके अनुरूप बढ़ रहा है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र से 80 प्रतिशत से अधिक जनजातियां खेतिहरों के रूप में और केवल 3 प्रतिशत कृषि श्रम के रूप में बताई जाती रही हैं। भूमि पर जनजातीय समुदायों की अत्यधिक भारी निर्भरता और उनके भोलेपन व मौद्रिक अर्थव्यवस्था की समझ के अभाव का लाभ उठाकर जनजातीय क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों की धीरे-धीरे घुसपैठ के अनुभव को देखते हुए जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए और जहां कहीं कानूनी सुरक्षाओं के उल्लंघन में ऐसे हस्तान्तरण हुए हैं वहां उनकी पुनः बहाली करने के वास्ते संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों और नीति निर्माण की जरूरत पड़ी।

6.3 जनजातीय भूमि हस्तांतरण के निवारण के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक सुरक्षाओं की गारंटी दी गई है, जो निम्नानुसार हैं :-

6.3.1 भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 (5) में व्यवस्था है कि -- भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवाध संचरण का उप खंड (घ) और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का खंड (ङ) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण

जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी ।

6.3.2 संविधान की पांचवीं अनुसूची में, अन्य बातों के साथ-साथ जनजातियों के लिए उनकी भूमियों के हस्तांतरण के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था है । इस प्रावधान का पैरा 5 निम्न प्रकार से पठित है :-

“(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उपपैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

(2) राज्यपाल, किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है । विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूलता प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम —

- (क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे ।
- (ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे ।
- (ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कामकाज करने को विनियमन कर सकेंगे ।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उपपैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल संसद के या उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा ।”

6.3.3 छठी अनुसूची, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जहां परम्परागत जनजातीय परिषदें रही हैं । स्थानीय जनता के विरोध को देखते हुए छठी अनुसूची के प्रावधान नागालैंड में लागू नहीं किए गए थे । इस प्रावधान के अन्तर्गत, स्वायत्त जिला तथा क्षेत्रीय परिषदें गठित की गई हैं तथा सामुदायिक भूमियों का स्वामित्व ऐसी परिषदों में विहित है तथा उन्हें भूमियों के हस्तांतरण को विनियंत्रित करने का अधिकार भी प्राप्त है ।

6.4 जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए कानून तथा विनियम

अनुसूचित जनजातियों को भूमि तथा अन्य संसाधनों के संबंध में पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर बहुत से उपाय किए गए हैं । पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में सम्मिलित सभी राज्यों, जैसे कि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ने जनजातियों को भूमियों की पुनः बहाली के प्रावधान के साथ, अनाधिकृत हस्तान्तरणों के मामले में, गैर-जनजातीय लोगों को जनजातीय भूमियों के हस्तान्तरण को

निषिद्ध करते हुए भूमि हस्तान्तरण विनियम अधिनियमित किए हैं। राज्य विधानों के ब्योरे अनुबंध -6.1 में देखे जा सकते हैं। राज्य-वार ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

6.4.1 आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्र प्रदेश में, अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तान्तरण विनियम, 1959, 1970, 1971 और 1978 के विनियम-1 द्वारा यथासंशोधित, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अचल सम्पत्ति को, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों अथवा किसी जनजातीय सहकारी समिति को छोड़कर किसी अन्य को हस्तान्तरित करना निषिद्ध है। विनियम के अन्तर्गत, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समुचित पूछताछ के बाद अचल सम्पत्ति के कब्जे के तहत अवैध हस्तान्तरणों की बेदखली की व्यवस्था है। विनियम के अन्तर्गत विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए एक वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा 2000/- रुपए के जुर्माने अथवा दोनों की व्यवस्था है। ऐसे कानून के बावजूद आजकल गैर-जनजातीय लोग, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में, कानूनी अथवा गैर-कानूनी तरीके से, आधे से अधिक भूमि के मालिक हैं। अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजातीय लोगों को ऐसे ही अधिनियमों द्वारा संरक्षित किया जाना शेष है।

6.4.2 बिहार

बिहार/झारखण्ड में तीन कानून हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करते हैं, किन्तु संरक्षात्मक उपाय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हैं। बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत, 1952 में किए गए उचित संशोधनों के बाद, अनुसूचित जनजातियों से गैर-अनुसूचित जनजातीय लोगों को भूमि के हस्तान्तरण की मनाही है। किन्तु, जनजातीय खेतीहरों को अपनी भूमि गैर-जनजातीय लोगों को अवैध रूप से हस्तान्तरित करने से संरक्षण प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

6.4.3 गुजरात

वर्ष 1961 में गुजरात राज्य सरकार ने जनजातियों की विशेष भूमि हस्तान्तरण समस्या को समझा। इसलिए, बम्बई भूमि राजस्व संहिता, 1879 में संशोधन किया गया और धारा 73 (क) और 79 (क) जोड़ी गई। धारा 73 (क) के अन्तर्गत, कलेक्टर की अनुमति के बिना भूमि के स्थानान्तरण पर रोक है। धारा 79 (क) के अन्तर्गत भूमि के अनाधिकृत कब्जे की शीघ्र बेदखली की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने उक्त संहिता में नई धाराएं, यथा 73 (क) (क), 73(क) ख, 73(क) ग और 73(क) घ, जोड़कर भूमि राजस्व संहिता, 1879 को संशोधित किया तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों द्वारा धारित भूमि के हस्तान्तरण पर नए प्रतिबंध लगाए गए। यद्यपि भूमि हस्तांतरण से उनकी भूमि पर जनजातियों के हित संरक्षित करने के लिए विधान अधिनियमित किए गए हैं, तथापि इन्हें कारगर ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है।

6.4.4 कर्नाटक

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि का अन्तरण निषिद्ध) अधिनियम सं0 2, 1979, जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को निषिद्ध करता है। इस अधिनियम में, अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों को हस्तान्तरित भूमि की पुनः बहाली की, इसके अधिशारान से संबंधित नियमानुसार, व्यवस्था है। सहायक आयुक्त को, भू-हस्तान्तरणों से संबंधित मामलों का निर्णय करने की शक्ति प्रदान की गई है। यदि भूमि की पुनः बहाली व्यवहार्य न हो तो सरकार, भूमि प्रदान करने से संबंधित नियमानुसार, ऐसी भूमि को किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति को प्रदान कर सकती है। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई विनिश्चित

भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 6 मास तक के कारावास, अथवा 2,000/- रुपए तक के जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय होंगे।

6.4.5 केरल

केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध और हस्तांतरित भूमि की पुनः बहाली) अधिनियम, 1975 का अधिनियम, अनुसूचित जनजातियों की भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम जनवरी, 1982 से प्रवर्तन में आया तथा वर्ष 1986 में नियम बनाए गए। तथापि, इस अधिनियम के बावजूद, जनजातीय भूमि हस्तांतरण जारी रहा। अवैध हस्तांतरण अधिकांशतः वयनाड जिला और पलाक्कड जिले में अत्तापाडी क्षेत्र में हुआ है। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जनजातीय भूमि हस्तांतरण की समस्या का समाधान खोजने का निर्देश दिया। एक और विधेयक तैयार किया गया तथा केरल विधान सभा द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि गैर-जनजातीय लोग, जिन्होंने जनजातीय भूमि प्राप्त की है और इसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं, अवैध रूप से प्राप्त जनजातीय भूमि में से 2 हेक्टेयर भूमि अपने उपयोग के लिए रखने के लिए पात्र होंगे। इस प्रावधान की व्यापक रूप से आलोचना की गई क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इससे बड़ी संख्या में गरीब जनजातीय लोग अपनी भूमि से वंचित हो जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अधिनियम से इस प्रावधान को हटाने की सिफारिश की। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने अगस्त, 2000 में इस प्रावधान को रद्द कर दिया और केरल सरकार को 1975 के मूल अधिनियम को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने दिनांक 8.9.2000 को आयोजित अपनी राज्य समीक्षा बैठक में केरल राज्य सरकार का ध्यान बड़े पैमाने पर जनजातीय भूमि के हस्तांतरण की ओर दिलाया। मुख्य सचिव इस बात से सहमत थे कि केरल सरकार धोखाधड़ी भरे तरीकों द्वारा गैर-जनजातीय लोगों द्वारा हस्तांतरित जनजातीय भूमि की पुनः बहाली के प्रति वचनबद्ध है। सिफारिश की जाती है कि केरल सरकार को जनजातीय भूमि को जनजातीय लोगों को पुनः बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

6.4.6 मध्य प्रदेश

भूमि के हस्तान्तरण और आबंटन को विनियमित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की भू-राजस्व संहिता, 1959 है, जिससे मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1954 सहित विभिन्न काश्तकारी कानून निरस्त हो गए थे। इसके अन्तर्गत अपनी भूमि के संबंध में जनजातियों के अधिकारों के हितों को सुरक्षित रखने का विशेष प्रावधान है। भूमि का हस्तान्तरण कलेक्टर की लिखित अनुमति से ही करना संभव है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति से संबंधित भूमि को न तो कुर्क किया जा सकता है और न ही किसी डिक्री या आदेश के कार्यान्वयन में बेचा जा सकता है। मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता में, संहिता के उल्लंघन के लिए 5,000/-रुपए तक का दण्ड लगाने का भी प्रावधान है। इसके बावजूद, जनजातीय भूमि का हस्तांतरण हो रहा है। मध्य प्रदेश में, चयनात्मक कार्यान्वयन के कारण गरीब जनजातीय लोगों को भूमि की वापसी अप्रभावी बनी हुई है।

6.4.7 महाराष्ट्र

राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 के संगत अंशों को संशोधित किया, जो 1966 की संहिता की धारा 36 की उप-धारा-2 के उल्लंघन में हस्तांतरित जनजातीय भूमि की वापसी की व्यवस्था करने के वास्ते दिनांक 6.7.1974 को जारी एक अध्यादेश द्वारा कलेक्टर की अनुमति के बिना जनजातीय भूमि को गैर-जनजातीय लोगों में हस्तांतरण को रोकने के लिए प्रावधानों वाला मुख्य विधान था। भूमि की वापसी का लाभ बढ़ा दिया गया है

ताकि पूरे राज्य को कवर किया जा सके और यह अनुसूचित क्षेत्र तक सीमित न रहे। अध्यादेश के पश्चात्, राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को भूमि की वापसी के लिए महाराष्ट्र अधिनियम (1974 का अधिनियम सं. चौदह) नामक एक और विधान अधिनियमित किया, जिसमें अनुसूचित और अधिसूचित क्षेत्रों में और उससे बाहर, 1957 के बाद से कानूनी अथवा गैर-कानूनी रूप से हस्तांतरित भूमि की वापसी की व्यवस्था है। यदि जनजातीय भूमि के कब्जे का हस्तान्तरण ऐसे गैर-जनजातीय व्यक्ति के पक्ष में किया गया है जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उसकी भूमि के अधिग्रहण के कारण वह भूमिहीन हो गया था तो हस्तान्तरण में सम्मिलित केवल आधी भूमि की वापसी जनजातीय व्यक्ति को की जाएगी।

6.4.8 उड़ीसा

भूमि पर जनजातीय लोगों के हितों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए, उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम, 1956 का अधिनियमन किया। वर्ष 1956 के विनियम 2 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को अपने आप ही अथवा किसी हितकारी पक्ष द्वारा दर्ज किसी आवेदन-पत्र के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ करने और गैर-कानूनी तरीके से हस्तांतरित भूमि के मामले में जनजातीय व्यक्ति को भूमि की वापसी की शक्ति प्राप्त है। सक्षम प्राधिकारी को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि के अनाधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों को बेदखल करने की शक्ति प्राप्त है तथा अपराधकर्ताओं पर दण्ड और कठोर कारावास का दण्ड देने का भी प्रावधान किया गया है। कानूनों में कमियों को दूर करने और अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 में उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) संशोधन विनियम, 1996 नामक एक संशोधन के माध्यम से 1956 के विनियम 2 में संरक्षात्मक प्रावधान सम्मिलित किए हैं। संरक्षात्मक प्रावधानों के अनुसार, जनजातीय व्यक्ति के पास कम से कम एक एकड़ भूमि बनी रहनी चाहिए। कलेक्टरों को, मूल न्यायालय द्वारा पांच वर्षों के भीतर पारित गैर-कानूनी आदेशों के सुधार के लिए संशोधन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, दण्ड की दर, जनजातीय भूमि के प्रत्येक एक वर्ष के गैर-कानूनी कब्जे के लिए 200/-रुपए से बढ़ाकर 2,000/-रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। राज्य सरकार, "पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" के अधिनियम को देखते हुए, ग्राम पंचायतों को जनजातीय भूमि की वापसी और कब्जे को तय तथा मानीटर करने, अपराधों के शीघ्र विचारण तथा ऐसे अपराधों को संज्ञेय बनाने के लिए, शक्तियां सौंपकर वर्ष 1956 के विनियम 2 को और संशोधित करने का प्रस्ताव कर रही है। इसे उड़ीसा के राज्यपाल ने अनुमोदित कर दिया है तथा राष्ट्रपति की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद वर्ष 1956 के बाद से किए गए ऐसे सभी हस्तान्तरणों की समीक्षा करना तथा जनजातीय व्यक्तियों को भूमिहीन होने से बचाने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों से जनजातीय लोगों को भी भूमि के भावी हस्तान्तरणों को रोकना संभव हो सकेगा।

6.4.9 राजस्थान

राजस्थान राज्य ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पारित किया है और जनजातीय लोगों के हितों को संरक्षित करने के लिए अधिनियम की धारा 42, 43 और 46 के तहत विशेष प्रावधान किए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि के हस्तांतरण पर पूरी तरह से रोक है। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई भी भूमि गैर-जनजातीय व्यक्तियों को

हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। अधिनियम की धारा 183 के अनुसार, अतिक्रामक को तीन वर्ष तक के कारावास और 20,000/-रुपए तक के जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है। न्यूनतम सजा एक महीने की है और इस बात को सिद्ध करने का भार उसी पर है कि उसने अतिक्रमण नहीं किया है।

6.4.10 तमिलनाडु

तमिलनाडु में, जनजातीय भूमि के हस्तांतरण को रोकने और वापसी के लिए कोई कानून नहीं है। तमिलनाडु भू-सुधार अधिनियम के अन्तर्गत किसी जनजातीय व्यक्ति को विनिर्दिष्ट भूमि दस वर्ष तक अहस्तान्तरणीय है और इस अवधि के दौरान इसे गिरवी रखा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता। यदि कोई जनजातीय व्यक्ति अपनी भूमि बेचना चाहता है तो वह उसे केवल जनजातीय व्यक्ति को ही बेच सकता है और ऐसा भी सक्षम अधिकारी की अनुमति से कर सकता है।

6.4.11 उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जमीन्दारी उन्मूलन तथा भू-सुधार अधिनियम के अन्तर्गत, 1986 तक यथा संशोधित कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी जनजातीय व्यक्ति द्वारा किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को भूमि के हस्तान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 210 और 204 में संशोधन किया गया जिससे कि बलपूर्वक बेदखली और जनजातीय भूमि के प्रतिकूल कब्जे के कारण काश्तकारी अधिकारों के प्राप्त न होने के लिए स्वतः कार्रवाई की जा सके। जनजातीय लोगों की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के लिए कानून में 3 वर्ष तक के कारावास और 3,000/-रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में भू-अभिलेखों को सतत रूप से अद्यतन बनाया जाता है। वर्तमान उत्तरांचल में, जो उत्तर प्रदेश का एक भाग था, थारू और बुक्सा क्षेत्र में भूमि को हथियाना व्यापक रूप से प्रचलित है। वर्ष 1982 में बनाए गए कानून को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया।

6.5 आजादी के बाद जनजातीय भूमि-हस्तांतरण की स्थिति

6.5.1 बहुत से कानून तथा अधिनियम विद्यमान हैं किन्तु उनके कार्यान्वयन की प्रगति बहुत असंतोषजनक है तथा जनजातीय भूमि का हस्तान्तरण जारी है। 93 प्रतिशत जनजातीय लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनमें से 87 प्रतिशत अपनी जीविका के लिए खेतिहर अथवा कृषि मजदूर के रूप में कृषि पर निर्भर हैं। वर्ष 1961 से 1991 के दौरान अनुसूचित जनजाति खेतिहरों की प्रतिशतता 68.18 प्रतिशत से घटकर 54.50 प्रतिशत रह गई है और उनका अपनी भूमि से हाथ धोना जारी है। भूमिहीन जनजातीय लोगों की हालत बहुत बुरी है क्योंकि रोजगार की कमी तथा गरीबी के कारण वे अति संवेदनशील हैं। भू-स्वामी जनजातीय लोगों की समस्या भी कुछ अधिक भिन्न नहीं है क्योंकि उनकी औसत जोतों का आकार छोटा है। उनके अपने क्षेत्रों में नौकरियों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों को अन्य क्षेत्रों/नगरों में उत्प्रवास करना पड़ता है। जनजातीय भूमि के हस्तांतरण और उसकी वापसी के संबंध में राज्यवार विवरण, सितम्बर, 2000 तक की स्थिति के अनुसार अनुबंध-6. II में दिया गया है।

6.5.2 अनुबंध-6. II से देखा जा सकता है कि सितम्बर, 2000 तक की स्थिति के अनुसार राज्यों में 8.55 लाख हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण हो चुका था। केवल 84.67 प्रतिशत मामलों का न्यायालयों द्वारा निपटान किया गया था और केवल 51.21 प्रतिशत मामले अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में निर्णित किए गए हैं। न्यायालयों द्वारा अनुसूचित जनजाति के पक्ष में निर्णित 1,62,650 मामलों में से 1,58,297 मामलों में जनजातियों को भूमि की वापसी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में, न्यायालयों में फाइल किए गए कुल मामलों में से केवल 44.99 प्रतिशत मामलों का निपटान हुआ है।

महाराष्ट्र और त्रिपुरा में, न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों में से अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में क्रमशः 44.69 प्रतिशत और 30.48 प्रतिशत मामलों का निर्णय हुआ है।

6.6 जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के संबंध में समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

6.6.1 समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्यो के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.7.1997 को दिया गया था, यह मत व्यक्त किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में, राजकीय भूमि, वन भूमि तथा जनजातीय भूमि को खनन/औद्योगिक कामकाज के लिए गैर-जनजातीय लोगों अथवा प्राइवेट कम्पनियों को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में खनन पट्टे किसी राज्य एजेन्सी अथवा जनजातियों अथवा पूर्णतः जनजातीय व्यक्तियों की गठित सहकारी समितियों के अलावा किसी अन्य को नहीं दे सकती। उन मामलों में जहां राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, गैर-जनजातीय लोगों को, पट्टे पर देती है तो वह जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारिता के अपने दायित्व और कर्तव्य उस सम्बद्ध एजेन्सी को सम्प्रेषित कर देती है। परियोजना के प्रशासन के एक भाग के रूप में, लाइसेंसप्राप्तकर्ता अथवा पट्टाप्राप्तकर्ता को अनुसूचित क्षेत्रों में वनारोपण और पारिस्थितिकी के अनुरक्षण, सड़कों और जनसंचार सुविधाओं के रख-रखाव, पेय-जल की आपूर्ति, स्वच्छता बनाए रखने, जनजातियों को रोजगार प्रदान करने, और जनजातियों के लिए अस्पतालों तथा मकानों के निर्माण पर धन खर्च करना चाहिए। इस संबंध में, शुद्ध लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा, जल संसाधनों की स्थापना और अनुरक्षण, स्कूलों, अस्पतालों, स्वच्छता तथा सड़कों के निर्माण जैसी परिवहन सुविधाओं, आदि के लिए औद्योगिक/वित्तीय कार्यकलाप के एक भाग के रूप में एक स्थायी निधि के रूप में, अलग रखा जाना चाहिए। इस 20 प्रतिशत आबंटन में वनारोपण और पारिस्थितिकी के लिए व्यय सम्मिलित नहीं होगा। उपर्युक्त दायित्वों और कर्तव्यों का प्रत्येक व्यक्ति, उद्योग और सम्बन्धित लाइसेंसधारी/पट्टेधारी द्वारा निर्वहन और पालन किया जाना चाहिए ताकि जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और मानव संसाधन अधिकारिता का संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके और अनुसूचित क्षेत्रों में शान्ति और सुशासन प्राप्त किया जा सके। न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्रों के अन्दर, सभी उद्योगपतियों को कामकाज तुरंत रोकने का निर्देश दिया, सिवाय उन मामलों के, जहां पट्टे किसी राज्य उपक्रम को प्रदान किए गए हैं, तथा उन्हें निर्णय की प्राप्ति के छः महीने के अन्दर उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक अनुपालन रिपोर्ट भेजनी चाहिए। यह टिप्पणी की गई कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन कार्य के लिए पट्टे मंजूर करने से पहले राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो इस प्रयोजनार्थ, प्रधान मंत्री, केंद्रीय कल्याण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री को मिलाकर एक उप समिति का गठन करेगी जिससे कि राज्य की नीति पूरे राष्ट्र की नीति के अनुरूप हो सके।

6.6.2 यह भी निर्धारित किया गया है कि उपर्युक्त राज्य विधान मंडल इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अधिमानतः सभी मुख्य मंत्रियों, सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों और प्रधान मंत्री व संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा/सम्मेलन आयोजित करने के बाद कोई नीति निर्णय लें, जिससे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशानुसार एक उपर्युक्त अधिनियम प्रस्तुत कर सकें। इससे जनजातीय भूमि के संबंध में देश भर में एक सुसंगत स्कीम सुनिश्चित हो सकेगी जिनके तहत खनिजों के रूप में राष्ट्रीय सम्पदा दबी पड़ी है। पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत क्षेत्रों में खनन पट्टे अथवा नवीकरणों के संबंध में, संविधान के उल्लंघन के रूप में, समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश

राज्य व अन्यो के संबंध में (सी.ए.सं0 4601-02/1996) दिनांक 11.7.1997 को दिए गए समथा निर्णय का एक सार अनुबंध-6. III पर रखा गया है ।

6.6.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी करने के लिए पत्र लिखे । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखे गए अर्द्धशासकीय पत्र की एक प्रतिलिपि, जिसमें उनसे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है, अनुबंध-6.IV पर रखी गई है ।

6.7 अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि-हस्तांतरण संबंधी अध्ययन

6.7.1 टी.आर.आई., उदयपुर ने, जनजातियों के बीच भूमि-हस्तांतरण के प्रचलन के संबंध में डुंगरपुर जिले के छः गांवों में अध्ययन आयोजित किए थे । इससे 20 से 50 प्रतिशत तक भूमि-हस्तांतरण का पता चला । जनजातीय भूमि मुख्य रूप से कलाल जाति से संबंधित गैर-जनजातीय साहूकारों को हस्तान्तरित की गई थी तथा प्रयुक्त प्रक्रिया अधिकांश मामलों में किसी औपचारिक पंजीकरण के बिना गैर-औपचारिक थी । यह भी पता चला कि 1970 से पहले केवल 4 व्यक्तियों ने अपनी भूमि रेहन रखी थी जबकि 1970-80 के दौरान यह संख्या 14 थी । छोटे भू-धारियों के बीच यह समस्या ज्यादा थी । बिक्री का कारण, घरेलू खर्च के लिए रेहन रखना, विगत ऋण, चिकित्सा व्यय, विवाह, मुकदमेबाजी, शिक्षा आदि था । बांसवाडा तथा उदयपुर जिलों में भूमि की हानि अधिक थी । अधिकांश भू-हस्तान्तरण अनौपचारिक कशरों के माध्यमों से अथवा पंजीकरण के बिना किए गए थे । अधिकांश मामलों में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को भूमि का हस्तान्तरण किया गया, केवल कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों के लोग सम्मिलित थे । क्रय के लगभग एक-तिहाई मामलों में, भूमि जनजातियों को हस्तान्तरित की गई । अधिकांश जनजातीय लोगों को कानून के अन्तर्गत जनजातीय भूमि प्राप्त करने के लिए हकदार पात्रता समूहों तथा रेहन रखने की अधिकतम अवधि की जानकारी नहीं थी ।

6.7.2 अविभाजित कोरापुट जिले में दो स्वैच्छिक संगठनों, अर्थात् व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता परिषद (सीपीएसडब्ल्यू), भुवनेश्वर और भारत में कमजोर वर्गों के एकीकृत ग्रामीण विकास (डब्ल्यूआईडीए), कोरापुट, द्वारा 64 गांवों में आयोजित "जनजातीय भूमि-हस्तांतरण" संबंधी हाल ही के एक अध्ययन से पता चला कि अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित भूमि-हस्तांतरण के 42.47 प्रतिशत मामले रेहन के माध्यम से, 38.30 प्रतिशत बिक्री के माध्यम से, 10.50 प्रतिशत बेनामी लेने-देने के माध्यम से, और 6.96 प्रतिशत बलपूर्वक कब्जे के माध्यम से थे । इससे पता चला कि भूमि-हस्तांतरण का कारण, गरीबी, सामाजिक समारोह, ऋण की वापसी अदायगी, गृह निर्माण, खेती का सूखा, नई भूमि की खरीद, शराब न्यायालय/पुलिस मामले, पशु खरीद आदि था । अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कामकाज के अभाव में सही भू-अभिलेख नहीं रखे जाते हैं, जो उन्हें, वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने से वंचित रखते हैं । इसकी वजह से साहूकार तथा निहित समूह उनकी भूमि हड़प लेते हैं । अद्यतन भू-अभिलेखों के अभाव में जनजातियों के अधिकार बनाए रखने में राजस्व तथा सिविल न्यायालयों को भी कठिनाई होती है । नौवीं योजना के दौरान सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य करने के लिए 1967.00 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित है । वर्ष 1999-2000 के दौरान टीएसपी क्षेत्रों में 94 गांवों में सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य को पूरा करने के लिए 216.00 लाख रुपए की राशि खर्च की गई । वर्ष 2000-01 के दौरान 185 गांवों में सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कामकाज के लिए 214.81 लाख रुपए प्रस्तावित हैं । जनजातियों की सहायता करने के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान एससीए में से 10.81 लाख रुपए की राशि खर्च की गई,

जिनकी भूमि उड़ीसा अचल सम्पत्ति अनुसूचित क्षेत्र हस्तान्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) अधिनियम के विनियम-2 के अन्तर्गत पुनः बहाल की गई ।

6.7.3 ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय ने भूमि-हस्तांतरण के संबंध में अनेक राज्य विशिष्ट अध्ययन किए थे तथा सात राज्यों, यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से प्राप्त रिपोर्टों से देश के सभी भागों में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय भूमियों के बड़े पैमाने पर भूमि-हस्तांतरण जारी रहने की पुष्टि होती है । अनुमानतः 25 प्रतिशत भूमि-हस्तांतरण राज्य द्वारा खनन कार्यों, उद्योगों व अन्य परियोजनाओं के लिए किया जाता है । विस्थापित जनजातीय लोगों का अनुमान 20 (नौवीं योजना मध्यावधि मूल्यांकन) से 9 मिलियन (फर्नान्डेज) तक भिन्न-भिन्न है । योजना आयोग के अनुसार, जनवरी, 1999 तक 9.17 लाख एकड़ भूमि के क्षेत्रफल का हस्तांतरण किया गया तथा पुनः बहाल की गई भूमि 5.37 लाख एकड़ थी ।

6.8 जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतें

6.8.1 देश के अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत अधिनियम लागू करते हुए संसद ने, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित कर दिया है । जिसे केंद्रीय अधिनियम 40 भी कहा जाता है । यह अधिनियम पारम्परिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों संबंधी कानूनों को मान्यता प्रदान करने के साथ-साथ व्यापक अधिकारों और शक्तियों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को सांविधिक दर्जा प्रदान करता है । भूमि, जल और वन जैसे सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध और नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हाथ में है । सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 23.12.1997 से पहले, केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अपने पंचायत विधानों को संशोधित करना आवश्यक था । केंद्रीय अधिनियम, 40 के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण को रोकने तथा किसी अनुसूचित जनजाति की गैर-कानूनी ढंग से हस्तान्तरित भूमि की पुनः वापसी के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की व्यवस्था है । इसमें यह भी कहा गया है कि उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा और पंचायतों को सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति होगी । गैर-सरकारी संस्थाएँ तथा कार्यकर्ता भी प्रावधानों के अन्तर्गत कवर होते हैं । विकास प्रयोजनों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि का अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा के साथ पूर्व परामर्श को अनिवार्य बना दिया गया है ।

6.8.2 राज्यों द्वारा पी ई एस ए अधिनियम, 1996 का कार्यान्वयन

आन्ध्र प्रदेश में भूमि-हस्तांतरण को रोकने की शक्ति ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में निहित है । महाराष्ट्र सरकार ने पंचायतों और ग्राम सभाओं को इस मामले में केवल सिफारिश करने की शक्तियाँ प्रदान की हैं । उड़ीसा सरकार ने, स्थानीय सीमाओं के अंदर अपने अधिकार और कामकाज संचालित करने के लिए ग्राम पंचायत के नियंत्रण और पर्यवेक्षण का काम ग्राम शासन को सौंपा है । गुजरात, हिमाचल प्रदेश, और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा इस संबंध में कोई संशोधन नहीं किया गया प्रतीत होता है । बिहार राज्य, पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में, जिसके तहत बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 में आरक्षण के संबंध में कतिपय प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था, विशेष अनुमति याचिका के कारण, संशोधन कार्य नहीं कर सका । राज्य सरकार का रुख यह है कि केंद्रीय अधिनियम 40 में दिए गए प्रावधान पहले से ही राज्य पंचायत अधिनियम में विद्यमान हैं । राजस्थान में, अनुरूप विधान कार्यान्वित किए जाने शेष हैं ।

6.8.3 केंद्रीय अधिनियम के खण्ड 1 में यह प्रावधान है कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पहले तथा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से पहले, उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायत से परामर्श किया जाना चाहिए । अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं का

नियोजन तथा कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा। आन्ध्र प्रदेश राज्य ने यह जिम्मेदारी मंडल परिषद (मध्य स्तर) को सौंपी है और गुजरात में यह दायित्व तालुका पंचायत को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र ने प्रावधानों को ईमानदारीपूर्वक पालन किया है। उड़ीसा में यह कार्य जिला परिषद को सौंपा गया है। नीलामी द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान करने के बारे में उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों की पूर्व सिफारिश के लिए अनिवार्य प्रावधान भी हैं।

6.8.4 योजना आयोग का सुझाव

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) तैयार करने के लिए योजना आयोग में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारिता संबंधी संचालन समिति की दिनांक 25.5.2001 को हुई बैठक में यह मत व्यक्त किया गया कि तृण मूल स्तरों पर जनजातियों को समुचित अधिकार देने के लिए पीआरआई/स्थानीय निकायों और ग्राम सभाओं को पी ई एस ए अधिनियम, 1996 के प्रावधान के अनुसार, प्रभावी ढंग से सशक्त बनाया जाना चाहिए। समिति ने भू-अधिग्रहण अधिनियम तथा कोयला धारण क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करने का भी सुझाव दिया, जैसा कि भूरिया समिति रिपोर्ट (1995) और पी ई एस ए अधिनियम, 1996 में सुझाया गया था। अनुसूचित जनजातियों के बीच, झूम खेतिहरों, वन ग्रामों तथा आदिम जनजातीय समूहों के कतिपय वर्गों के लिए विशिष्ट कानून और नीतियां बनाई जानी चाहिए। चूंकि जनजातीय भूमि से विस्थापन का कारण बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तथा औद्योगिकरण-सह-शहरीकरण है, इसलिए काश्तकारी से उनकी सुरक्षा, निहित स्वार्थों और अनावश्यक मुकद्दमेबाजी से बचाव सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के वास्ते नीति तैयार की जानी चाहिए। भूमि को सम्पत्ति समझा जाना चाहिए तथा जनजातीय क्षेत्रों में सभी संसाधन पारम्परिक कानूनों के तहत शासित होने चाहिए। सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध अनुसूचित जनजातियों के बचाव के लिए, संविधान की पांचवी अनुसूची को पूरी तरह से लागू नहीं लाया गया। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के कामकाज की समीक्षा करने की जरूरत है। उप-समूह ने, अनुसूचित क्षेत्रों के युक्तिकरण की सिफारिश की है और जनजाति बहुल क्षेत्रों को अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाए ताकि प्रभावी संरक्षण प्रदान किया जा सके और टीएसपी के अन्तर्गत आर्थिक कार्यक्रम के जरिए विकास प्रोत्साहित किया जा सके। टीएसपी क्षेत्रों की प्रशासकीय मान्यता भी शुरू की जानी चाहिए ताकि व्यवहार्य प्रशासकीय इकाइयां गठित की जा सकें जिसके माध्यम से एहतियाती उपाय सुनिश्चित किए जा सकते हैं और विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

6.8.5 भूमि-हस्तांतरण के विरुद्ध अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए सुझाव

आयोग, अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तान्तरण के विरुद्ध उनके संरक्षण और गैर-कानूनी हस्तान्तरण के मामले में उसकी पुनः वापसी के लिए निम्नलिखित सिफारिशें करता है :-

- (i) जनजातीय भूमि के हस्तांतरण के मामले उठाने तथा आईटीडीपी/आईटीडीए द्वारा दी गई कानूनी सहायता जैसी सहायता प्रदान करने के लिए एनजीओ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन का काम टीआरआई की सहायता से जनजातीय कल्याण आयुक्त को सौंपा जाना चाहिए।
- (ii) विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करने से पहले ग्राम सभा अथवा

पंचायत के साथ पूर्व परामर्श करने संबंधी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(1) के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन ।

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों तथा गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में विकासात्मक परियोजनाओं द्वारा प्रभावित लोगों के हितों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए ।

(iv) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जनजातीय भूमि-हस्तांतरण के संबंध में एक माडल कानून का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व सचिव, श्री बी.एन. युगधन्वर, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है । यह विशेषज्ञ दल, अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों को भूमि-हस्तांतरण, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित भूमि को दर्ज किए जाने, वर्ष 1980 से पहले वन क्षेत्रों में भूमि से संबंधित विवादों, और उनके विनियमीकरण जैसे मामलों की जांच करेगा । अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यो के हितों के बचाव के लिए तुरंत एक राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए कि भूमि-हस्तांतरण मात्र स्वामित्व के हस्तान्तरण का मामला नहीं है बल्कि इसे निचले समूहों के आर्थिक अधिकारों की हानि तथा उच्च वर्गों के लिए सामाजिक शक्ति तथा आर्थिक कार्यकुशलता के लाभ के रूप में देखा जाना चाहिए ।

6.8.6 आस्ट्रेलिया से एक जनजातीय नेता ने जनजातियों और भूमि के बीच संबंध का बहुत सुन्दर ढंग से वर्णन किया है, जो भारत में अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी समान रूप से लागू होता है, यह निम्न प्रकार से है :-

"मेरी भूमि मेरा मेरूदण्ड है..... मैं अपने रंग के बारे में सीधा, प्रसन्न, गर्वशील और बिना किसी शर्म के खड़ा होता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पास भूमि है । मैं नृत्य कर सकता हूँ, चित्र बना सकता हूँ, निर्माण कर सकता हूँ तथा गा सकता हूँ जैसा कि मेरे पूर्वज पहले करते थे..... मेरी भूमि मेरा आधार है, मैं तभी तक खड़ा, जीवित और निष्पादन कर सकता हूँ जब तक कि मेरे पास खड़े रहने के लिए कोई मजबूत और दृढ़ वस्तु है । भूमि के बगैर..... हम दुनिया में सबसे निचले स्तर के लोग होंगे क्योंकि तुमने हमारा मेरूदण्ड तोड़ दिया है, मेरी कला, इतिहास और आधार छीन लिया है । तुमने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा है। "

6.9 जनजातियों का विस्थापन

अपनी भूमि और प्राकृतिक आवास से विस्थापित होने के कारण जनजातीय समुदायों की उत्तरजीविता ही खतरे में पड़ गई है । विभिन्न कानूनों के साथ-साथ यह न केवल गैर-अनुसूचित जनजातीय लोग हैं, जिन्होंने जनजातीय भूमि के हस्तान्तरण में योगदान दिया है बल्कि राज्यों की भूमिका की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है । राज्य ने, जिससे उनके हितों की सुरक्षा करने की उम्मीद की जाती है, उनके शोषण में बहुत योगदान दिया है । वर्तमान स्थिति, जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक और अन्य विकास परियोजनाएं स्थापित करने का परिणाम हैं, जो खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध हैं । यह अनुभव किया गया कि औद्योगिकरण से बहुमुखी लाभ होगा । किन्तु औद्योगिकरण के कारण आर्थिक विकास से केवल विद्यमान धनी व्यक्ति समृद्ध हुए हैं जिनके पास संसाधन और शक्ति है । गरीब जनजातीय लोग न केवल विकास के लाभों से वंचित रहे बल्कि अपनी भूमि और प्राकृतिक आवासों से भी उखाड़ दिए गए । यद्यपि इन क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, किन्तु उनके लाभ स्थानीयवासियों को प्राप्त नहीं हुए ।

भू-अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत जनजातीय भूमि का विशाल क्षेत्रफल अधिगृहीत किया गया है तथा अभी भी देश की योजना नीति के अनुसार औद्योगिक तथा आधारिक संरचना के विकास के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप यह उल्लेख किया जा सकता है कि बिहार में, बड़ी मात्रा में उद्योग, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, खनन की स्थापना तथा अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के बड़े भाग का शहरीकरण किए जाने के कारण भूमि अधिगृहीत की गई थी क्योंकि ये स्थान इन परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थे। छोटानागपुर क्षेत्र में खनिजों का सर्वाधिक भण्डार है जहां कोयला, लौह पिण्ड, माइका, बाक्साइट और चाइना क्ले और अन्य अनेक खनिजों के बहुत बड़े भण्डार हैं। राज्य द्वारा 1950 के दशक के दौरान, मयूराक्षी बांध, पंचेत बांध, आदि के लिए लगभग 1,88,73.91 एकड़ भूमि का उपयोग किया गया जिससे लगभग 9,439 अनुसूचित जनजाति के परिवार उखड़ गए। 1960 के दशक में बोकारो इस्पात नगर परिसर और तेनुघाट बांध से क्रमशः 34,226.78 एकड़ और 97,843 एकड़ भूमि प्रभावित हुई। आदित्य नगर औद्योगिक परिसर से 3442 एकड़ भूमि प्रभावित हुई। रांची में भारी इंजीनियरी निगम (एचईसी) का निर्माण 5,433 एकड़ भूमि पर किया गया, जिससे अनुसूचित जनजाति परिवार प्रभावित हुए। भारी इंजीनियरी निगम, हटिया (रांची) के लिए सरकार ने 7,18,753 एकड़ कृषि भूमि अधिगृहीत की जिसमें से 3892.61 एकड़ भूमि जनजातियों से संबंधित थी। किन्तु पुनर्वास की स्कीम में, इस निगम में अधिकांश पदों पर गैर-जनजातीय लोगों ने कब्जा कर लिया और अधिगृहीत भूमि पर अपनी कालोनियां बसा लीं। अनेक विस्थापित जनजातीय लोग भूमिहीन और बेघर हो गए तथा उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। इसके अलावा, बिहार सरकार ने लगभग 500 एकड़ उपजाऊ भूमि अधिगृहीत की, जो अधिकांशतः जनजातीय लोगों की थी और उसे मालिकों की मर्जी के विपरीत बिहार राज्य आवास बोर्डों को दे दिया। ये मकान अधिकांशतः बाहरी व्यक्तियों को दे दिए गए। बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सहकारी आवास के लिए अधिग्रहण गैर-कानूनी है क्योंकि यह सार्वजनिक प्रयोजनों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता। उपलब्ध सूचना के अनुसार सहकारी समिति के सदस्य बाहरी व्यक्ति हैं। कृषि विपणन बोर्ड ने 65 एकड़ भूमि अधिगृहीत की तथा 55 भू-स्वामी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे। बोर्ड में विभिन्न पदों की कुल संख्या 48 थी। केवल 10 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति (एक परिवार से एक) रोजगार प्राप्त कर सके और वह भी अधिकांशतः निचले पदों पर। बाहरी व्यक्तियों ने सभी अन्य पदों पर कब्जा कर लिया। वनों के विनाश की सीमा से पता चलता है कि वर्ष 1961 में 31,352 वर्ग किलोमीटर, 1971 में 29,323 वर्ग किलोमीटर, 1981 में 29,232 वर्ग किलोमीटर और 1991 में 29,226 वर्ग किलोमीटर वन भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत/नष्ट की गई। वनों से वार्षिक आय में भी बहुत कमी आई है, जो 1988-89 में 61.00 करोड़ रुपये से कम होकर 1990-91 में 51.00 करोड़ रुपये हो गई तथा 1991-92 में कम होकर 40.00 करोड़ रुपये हो गई। हाल ही के वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के औद्योगिक परिदृश्य में काफी परिवर्तन हुआ है जिसका मुख्य कारण जमशेदपुर, बोकारो, रांची जैसे इस्पात संयंत्र तथा धनबाद और रामनगर जैसे क्षेत्रों में कोयले की खान हैं। (स्रोत : टी.आर.आई. रांची का प्रकाशन)

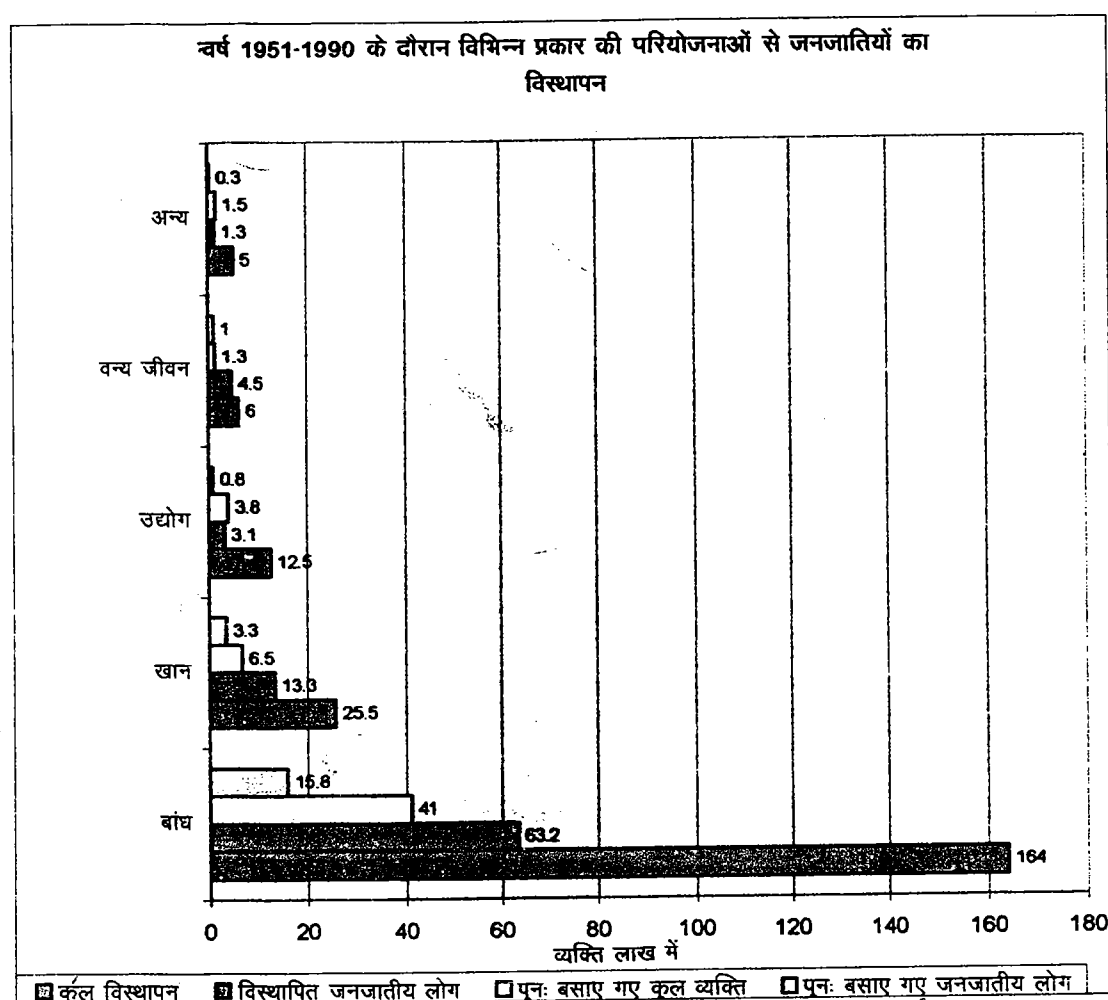
6.9.2 देश के अन्य जनजातीय तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम और निजी उद्योग हैं। ये सभी औद्योगिक इकाइयां जनजातीय बहुल क्षेत्रों के बीच में स्थित हैं। कुल 213 लाख विस्थापित व्यक्तियों में से (1951-1990) 85.4 लाख व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों से हैं। कुल विस्थापित व्यक्तियों में उनकी प्रतिशतता लगभग 40.1 है। पुनः बसाए गए कुल 53.8 लाख व्यक्तियों में से 21.2 लाख, अर्थात् 39.4 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के अन्तर्गत विस्थापन का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

**वर्ष 1951-1990 के दौरान विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं से जनजातियों का
विस्थापन दर्शाने वाली तालिका**

(लाख व्यक्ति)

परियोजना की किस्म	कुल विस्थापन	विस्थापित जनजातीय लोग	पुनः बसाए गए कुल व्यक्ति	पुनः बसाए गए जनजातीय लोग
बांध	164.0	63.2	41.0	15.8
खान	25.5	13.3	6.5	3.3
उद्योग	12.5	3.1	3.8	0.8
वन्य जीवन	6.0	4.5	1.3	1.0
अन्य	5.0	1.3	1.5	0.3

स्रोत : योजना आयोग द्वारा भारत में जनजाति (एक डाटाशीट)



सरदार सरोवर परियोजना

6.9.3 सरदार सरोवर परियोजना की चर्चा समाचार-पत्रों में 50 वर्षों से भी अधिक समय से चल रही है। यह एक अन्तर-राज्य उद्यम है, जिसमें चार राज्य शामिल हैं, नामतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। परियोजना, 13,385 हेक्टेयर वन क्षेत्र, 11,279 हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र तथा 12,869 हेक्टेयर नदी तल, ऊसर और खेतीविहीन क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें कुल, 244 गांव

जलमग्न हो जाएंगे (मध्य प्रदेश में 192 गांव, महाराष्ट्र में 33 गांव और गुजरात में 19 गांव)। परियोजना से प्रभावित परिवार हैं : गुजरात में 4,600, महाराष्ट्र में 3,213 और मध्य प्रदेश में 33,014। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या है : गुजरात में 18,000, महाराष्ट्र में 19,650 और मध्य प्रदेश में 89,796। मध्य प्रदेश में लगभग 18,000 परियोजना प्रभावित व्यक्ति केवल बेघर होंगे न कि कृषि योग्य भूमि से वंचित नहीं होंगे। सभी तीन राज्यों में शेष 22,827 परिवारों में से लगभग 19,700 परिवार सम्भवतः गुजरात में, लगभग 2,200 महाराष्ट्र में तथा लगभग 900 मध्य प्रदेश में फिर से बसाए जाएंगे।

6.9.4 गुजरात सरकार, गुजरात में बसने के इच्छुक मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से उजड़े परिवारों के लिए पुनर्वास तथा नागरिक सुविधाएं प्रदान करेगी। प्रत्येक पीएफ को, जिसकी 25 प्रतिशत से अधिक भूमि अधिगृहीत की गई है, अधिगृहीत भूमि की सीमा तक, न्यूनतम दो हेक्टेयर (5 हेक्टेयर) प्रति परिवार तथा भू-सीमा कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम की शर्त पर, सिंचाई योग्य भूमि प्राप्त होगी। प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक पृथक परिवार समझा जाएगा। पुनर्वास अनुदान तथा सहायता-अनुदान की राशि क्रमशः 750/-रुपए और 500/-रुपए तक प्रति परिवार होगी। इसके अलावा, प्रत्येक 50 परिवारों के लिए पेय जल कुएं, 100 परिवारों की जरूरत को पूरा करने के लिए तीन कमरों वाला एक प्राथमिक स्कूल, प्रत्येक 500 परिवारों के लिए एक पंचायत घर, एक औषधालय, एक बीज भण्डार, एक बाल उपवन तथा ग्राम तालाब की व्यवस्था की जाएगी। उपरोक्त के अलावा, सड़कों, सरकारी भवनों, खुले स्थान आदि के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र होगा। प्रत्येक परिवार को 500 वर्ग मीटर के मुफ्त आवासीय प्लॉट और 4,500 रुपए प्रति परिवार निर्वहन भत्ते के अलावा कोर मकान के निर्माण के लिए, गुजरात के आर आर पैकेज के अनुसार, 45,000/-रुपए दिए जाएंगे। बैल तथा कृषि उपकरण जैसी उत्पादक परिसम्पत्तियों के लिए 7,000/-रुपए प्रति परिवार की राशि की व्यवस्था की गई है। बिजली मुफ्त होगी। मकान, मृत्यु, वैयक्तिक दुर्घटना, आदि के लिए बीमा कवरेज की व्यवस्था है। पुनर्वास पैकेज कहीं अधिक प्रगतिशील है। गुजरात राज्य सरकार ने जनजातीय व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आबंटन के लिए दिनांक 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार 26,258 हेक्टेयर भूमि क्रय/अधिगृहीत की है। पीएफ को कुल 17,205 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। आबंटन के लिए उपलब्ध शेष भूमि 9,035 हेक्टेयर है तथा उपलब्ध अतिरिक्त भूमि 1,145 हेक्टेयर है। गुजरात में फिर से बसाए गए परिवारों की संख्या 8,681 है।

6.9.5 नर्मदा बचाओ आन्दोलन (एनबीए) द्वारा जनजातियों के हितार्थ वर्ष 1994 में भारत के उच्चतम न्यायालय में इस बांध के निर्माण को चुनौती देते हुए एक लिखित याचिका दायर की गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुमत के न्यायनिर्णयानुसार दिनांक 18.10.2000 को लिखित याचिका का निपटान यह निर्देश देते हुए कर दिया गया है कि अधिकरण के अवार्ड के अनुसार बांध का निर्माण कार्य जारी रहेगा तथा 90 मीटर का निर्माण कार्य तत्काल किया जा सकता है और यह भी कहा कि ऊंचाई को और अधिक बढ़ाना, केवल आर एण्ड आर के कार्यान्वयन तथा तीन शिकायत समाधान प्राधिकरणों व पर्यावरण उप-दल के साथ परामर्श करके आर एण्ड आर उप दल की स्वीकृति के साथ समरूप होगी।

6.9.6 उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए गुजरात सरकार द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्य का अनुवीक्षण करने के लिए, सरदार सरोवर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों हेतु शिकायत समाधान प्राधिकरण (जीआरए) नामक एक उच्च स्तरीय स्वायत्त प्राधिकरण का फरवरी, 1999 में गठन किया गया। विभिन्न राज्यों में प्रभावित व्यक्ति इस मंच के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान करा सकते हैं। तदनुसार, न्यायाधीश पी.डी. देसाई को जीआरए का

अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पीडित कोई भी पीएफ, इस प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकता है तथा जीआरए के निर्देश संबंधित राज्य सरकार पर बाध्यकर होंगे। उच्चतम न्यायालय ने आर एण्ड आर के समुचित कार्यान्वयन व अन्य कल्याण उपायों हेतु एक स्थायी प्राधिकरण सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार द्वारा पीएफ के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के समुचित कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व अनुवीक्षण के लिए भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के अधीन एन.डब्ल्यू.डी.टी. के प्रावधान के अन्तर्गत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण नामक एक पृथक संगठन की स्थापना की है।

6.9.7 भारत सरकार, द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव की अध्यक्षता में एक पृथक उप-दल गठित किया गया है, जो आर एण्ड आर की स्थिति तथा गुणवत्ता की समीक्षा करता है तथा विभिन्न स्थानों व प्रभावित गांवों का भी दौरा करता है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण के अवार्ड के कार्यान्वयन के लिए गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है।

6.10 आयोग के कुछ हस्तक्षेप

6.10.1 परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास के लिए कर्नाटक में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई

कर्नाटक में, मैसूर के एच.डी. कोटे तालुक में काबिनी जलाशय के निर्माण तथा कुर्ग जिले में बन्दीपुर और नगरहोल में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के कारण, जनजातीय लोगों का विस्थापन हुआ है। मैसूर जिले तथा मादीकेरे जिले के एच.डी. कोटे तालुक के जनजातियों के लोग वनों से उनके बलपूर्वक निष्कासन और उनका पुनर्वास न किए जाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द युवा आन्दोलन, मैसूर के अध्यक्ष ने फरवरी, 2000 में ऊपर वर्णित परियोजनाओं के कारण जनजातियों की दुर्दशा के बारे में आयोग को बताया। आयोग ने इस संबंध में कर्नाटक सरकार के अधिकारियों तथा संबंधित एन.जी.ओ. के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। आयोग द्वारा लगातार मनीटरिंग किए जाने के बाद राज्य सरकार ने सूचित किया है कि काबिनी जलाशय के निर्माण तथा बन्दीपुर राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के कारण 154 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। बुनियादी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पुनर्वास पैकेज भी तैयार किया गया है तथा पेय जल, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़कों, आदि की व्यवस्था करने के लिए कल्याण विभाग द्वारा अपेक्षित निधियां आवंटित की गई हैं।

6.10.2 नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान के तहत विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास के संबंध में, कुर्ग जिले में उपयुक्त भूमि का विनिर्धारण करने में कठिनाई थी। इस उद्यान के निर्माण के कारण 1550 परिवार प्रभावित हुए थे तथा वे मैसूर क्षेत्र में 25 बस्तियों में तथा कुर्ग क्षेत्र में 29 बस्तियों में रह रहे हैं। वन विभाग ने मैसूर जिले के हुनसुर तालुक में उनके पुनर्वास के लिए 1931 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया है जहां कृषि भूमि के विकास के साथ-साथ मकानों का निर्माण किया जा रहा है।

6.10.3 राज्य सरकारों द्वारा, संवैधानिक सुरक्षाओं तथा पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपबन्धों, जो दिनांक 27.12.1997 से लागू हुए थे, के उल्लंघन में, विकास परियोजनाओं हेतु जनजातीय भूमि के अधिग्रहण के कुछ मामले आयोग के ध्यान में आए हैं। इस अधिनियम में, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अधिग्रहण से पहले तथा पुनर्वास उपायों के संबंध में ग्राम सभाओं से परामर्श करने के अधिकारों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं। किन्तु, अधिकारियों तथा जनजातियों के बीच अधिनियम के प्रावधानों की अनभिज्ञता व अनेक अन्य कारणवश इन प्रावधानों का सही-सही पालन नहीं किया जा रहा है। आयोग के ध्यान में दो विशिष्ट मामले आए गए। एन एम डी सी द्वारा मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में हीरानर इस्पात परियोजना के

निर्माण तथा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में मानसी वाकल बांध परियोजना के निर्माण में, ग्राम सभाओं से परामर्श नहीं किया गया। दोनों जिलों के कलेक्टरों को पी ई एस ए अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई। आयोग ने, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में ग्रामीण विकास, खान, जनजातीय कार्य, आदि जैसे संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 7.3.2001 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे कि कलेक्टर, आदि को संवेदी बनाने के उद्देश्य से, एन आई आर डी, हैदराबाद तथा एल बी एस एन ए ए, मसूरी जैसी संस्थाओं में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि पंचायत राज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 और केंद्रीय अधिनियम 40 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप हीरानर इस्पात परियोजना बन्द कर दी गई है और आयोग राजस्थान में मानसी वाकल बांध परियोजना के बारे में कानूनी उपबन्धों का पालन करने के लिए प्राधिकरण के साथ कार्रवाई की जा रही है।

6.10.4 एक अन्य मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद ने मई, 2000 में आयोग को आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम में बाक्साइट की निकासी के लिए क्षेत्रों के पट्टे के संबंध में मामले की जानकारी दी। आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने, आन्ध्र प्रदेश धातु तथा खनिज विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्राइवेट क्षेत्रक भागीदारी के साथ आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा पूर्व गोदावरी जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों में बाक्साइट की सम्भावना तथा निकासी का प्रस्ताव किया था। संविधान की पांचवीं अनुसूची के खण्ड 5 में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषदों से परामर्श किए बिना इस अनुसूची के अन्तर्गत कोई विनियम नहीं बनाए जाएंगे। आयोग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से इस महत्वपूर्ण नीतिगत मामले में भाग लिया। राज्य सरकार ने, कड़े विरोध को देखते हुए, इस प्रस्ताव को छोड़ दिया है।

6.10.5 मध्य प्रदेश में जनजातियों के लाभ के लिए वन क्षेत्रों के विनियमन के संबंध में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई

एक रूचिकर मामला इस आयोग के ध्यान में आया जबकि स्वयं राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के हित के सुरक्षण के लिए इस आयोग से हस्तक्षेप करने की इच्छा व्यक्त की। मध्य प्रदेश सरकार ने, दिनांक 24.10.1980 से पहले, जब से वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, वन क्षेत्रों में गरीब जनजातियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए, दिसम्बर, 1995 में एक प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया। विनियमन के लिए विनिर्धारित क्षेत्र 1.81 लाख हेक्टेयर था तथा लाभार्थियों की संख्या 1.48 लाख थी, जो वन संरक्षण अधिनियम के पारित होने के फलस्वरूप अनाधिकृत कब्जेदार हो गए थे। राज्य सरकार ने मार्च, 1999 में राष्ट्रीय आयोग के हस्तक्षेप की मांग की। आयोग ने, राज्य सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ 7 बैठकें आयोजित कीं।

6.10.6 सतत रूप से अनुनय-विनय तथा मानीटरन के पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में निम्न प्रकार अतिक्रमणों के विनियमित करने का अनुमोदन कर दिया है :-

- (i) वर्ष 1976 पूर्व अतिक्रमणों के विनियमन के लिए 46,652 परिवारों के पक्ष में 63,966.33 हेक्टेयर वन भूमि का विचलन।
- (ii) दिनांक 1.1.1977 से 6.3.1979 के बीच हुए वन भूमि पर अतिक्रमणों का उन अतिक्रमणकारियों के पक्ष में विनियमन, जो पात्रता मानदण्ड, आदि को पूरा करते थे।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 7.3.1979 से 24.10.1980 के बीच हुए अतिक्रमणों के संबंध में अपनी कठिनाई व्यक्त की जिसमें 12,000 हेक्टेयर भूमि के साथ 9,281 परिवार कवर होते थे क्योंकि राज्य सरकार इस अवधि के दौरान ऐसे अतिक्रमणों को नियमित करने के लिए किए गए किसी निर्णय का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। अनिवार्य वनरोपण, पात्रता मानदण्ड आदि से संबंधित कुछ शर्तों को राज्य सरकारों द्वारा पूरा करने पर अतिक्रमणों को नियमित करने की अनुमति दे दी गई है। आयोग द्वारा मामले पर नजर रखी जा रही है ताकि जनजातियों के वास्तविक हितों की सुरक्षा की जा सके।

6.10.7 जैसा कि स्पष्ट है बहुत सी औद्योगिक इकाइयां और परियोजनाएं जनजातीय बहुल क्षेत्रों के बीच स्थित हैं। राहत तथा पुनर्वास पैकेजों में यह व्यवस्था है कि सड़कों, स्कूलों, कॉलेजों, पुस्तकालय, मनोरंजन केंद्र, पेयजल, संसाधनों तथा कृषि भूमि का विकास, बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित जनजातियों के लिए पुनर्वास स्कीमों का एक भाग है। यह प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजगार प्रदान किए जाने के अलावा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को, जनजातियों द्वारा बसे क्षेत्रों में परियोजना के इर्द-गिर्द शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों की सीमा तथा जनजातियों द्वारा परिणामस्वरूप प्राप्त लाभों के संबंध में सर्वेक्षण/अध्ययन आयोजित करने चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में अथवा जनजातीय लोगों द्वारा बसे क्षेत्रों में इस समय चल रही परियोजनाओं/उद्योगों को अपने लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत भाग तक स्थानीय अनुसूचित जातियों तथा क्षेत्रों के विकास के लिए देना चाहिए।

6.10.8 जनजातीय भूमि हस्तांतरण तथा जनजातियों के विस्थापन के संबंध में वर्ष 1999 में एन आई आर डी, हैदराबाद में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा विस्थापन से संबंधित निम्नलिखित उपयोगी सुझावों पर विचार किया जा सकता है :-

- (i) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिगृहीत जनजातीय भूमि को किसी प्राइवेट पक्षकार अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बिक्री अथवा पट्टे पर हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए।
- (ii) अनुसूचित क्षेत्रों में अधिगृहीत भूमि किन्तु जिस प्रयोजन के लिए उसे अधिगृहीत किया गया था, उसके लिए उचित समयावधि के अन्दर उपयोग न किए जाने पर, उसके मूल जनजातीय मालिक को वापस कर दिया जाना चाहिए।
- (iii) जो प्राइवेट कम्पनियां लाभ के लिए कार्य करें उन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिप्राप्ति के तहत शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

6.11 वन और जनजातियां

जनजातियों तथा वनों का एक सहजीवि संबंध है। वन उन्हें खाद्य, चारा, ईंधन तथा भवन निर्माण सामग्री मुहैया कराते हैं। वे अपनी आजीविका के लिए वनों और धार्मिक विश्वासों के साथ अपार भावात्मक मोह रखते हैं। यह उनके घरेलू पशुओं के लिए चारागाह भी है। अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के संबंध में आठवीं योजना कार्य दल रिपोर्ट के अनुसार 16 राज्यों में 6 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों में झूम खेती की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है। जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि झूम खेती से प्रभावित है। मध्य प्रदेश में सहरिया, बैगास तथा पर्वत कोरबा, आन्ध्र प्रदेश में कोन्डारेड्डी तथा उड़ीसा में जौंग और उत्तर-पूर्वी राज्यों में जनजातियां झूम खेती करती हैं। जनजातीय लोग अधिकांशतः शिकारी और खाद्य एकत्र करने वाले होते हैं। उनकी जरूरतें स्व-उपभोग के लिए वन उत्पाद एकत्र करने से संबंधित होती हैं।

वनों का महत्व राज्य राजस्व के स्रोत के रूप में भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का परिणाम है। पहला विधान लकड़ी काटने के लिए ब्रिटिश हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 1855 में बनाया गया था क्योंकि यह राजस्व का अच्छा स्रोत था। बाद में, इसका स्थान वन अधिनियम, 1865 ने ले लिया। बाद में वर्ष 1878 में इस अधिनियम में और संशोधन से वनों को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन में विभाजित कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार ने वनवासियों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया। वन नीति की उद्घोषणा वर्ष 1894 में की गई थी। इस नीति में पर्यावरणीय संरक्षण, राजस्व तथा वनों के वाणिज्यिक पहलुओं पर बल दिया गया। यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि वनों पर राज्य प्रशासन सार्वजनिक लाभ के लिए है, जिसका अर्थ है कि जनजातियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार, इस ब्रिटिश नीति से जनजातियां तथा ग्रामीण भूमिहीन लोग अपनी आजीविका के स्रोत से वंचित हो गए। राज्य के लाभार्थ वन संसाधनों के दोहन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की यह शुरुआत थी।

6.11.2 राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में जिसमें पिछली नीतियों की मूलभूत अवधारणाओं को बनाए रखते हुए विद्यमान वनों को परिलक्षित करने की जरूरत पर बल दिया गया तथा वन की इष्टतम आवश्यकता कुल भौगोलिक क्षेत्र की 33 प्रतिशत रखी गई। इस प्रकार इसके द्वारा जनजातीय लोगों को झूम खेती से हतोत्साहित करके, उनके लिए विकल्पों की व्यवस्था किए बगैर तथा पशु चराने की फीस प्रारंभ करके निःशुल्क चराने में कटौती करके, जनजातीय लोगों के अधिकार कम कर दिए गए। इस प्रकार आजादी के बाद का विधान पिछले विधानकी अपेक्षा कहीं अधिक कठोर था। वर्ष 1970 में राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम से यह निष्कर्ष निकाला गया कि वन क्षेत्र में गिरावट की वजह वनवासियों और मुख्यतः जनजातियों का होना है। इसलिए जनजातियों के अधिकारों पर और अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए गए। इनमें उल्लेखनीय “निष्तार अधिकार” का विनियम है, अर्थात् कुछ लघु वन उत्पादों (एम.एफ.पी.) पर वनवासियों के अधिकार। बेरोजगारी तथा अल्परोजगारी को दनों के अतिक्रमण का मुख्य कारण समझा गया। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत किसी वन भूमि अथवा उसके किसी भाग को गैर-वन प्रयोजनों के लिए बदलने पर पूर्णतः रोक है। प्रोफेसर डी.के. राय बर्मन की अध्यक्षता में भारत में वन तथा जनजातियों से संबंधित समिति ने अपनी रिपोर्ट, 1982 में भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने वन तथा वनवासियों अर्थात् पुनः रोपण व वनरोपण कार्यक्रमों में स्थानीय निवासियों की पूर्ण भागीदारी के साथ जनजातियों, के बीच सहजीवी संबंध पर बल दिया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वनवासी समुदायों के विकास के बिना वनों का विकास नहीं हो सकता। महसूस किया गया कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वनों में रहने वाले बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों के लिए विकास कार्य शुरू करने में बाधक हैं जिससे वे सड़कों, औषधालयों, स्कूलों आदि जैसी बुनियादी आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं।

6.11.3 नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अन्तर्गत संतुलन को पुनः कायम करने का प्रयास किया गया जैसा कि नीति के प्रमुख उद्देश्यों से देखा जा सकता है, जो नीचे दिए गए हैं :-

- (i) वनों के संरक्षण, पुनः रोपण तथा विकास में जनजातीय लोगों का सहयोग तथा वनों व उनके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना।
- (ii) प्राइवेट टेकेदारों के स्थान पर, सरकारी एजेन्सियां, जैसे कि जनजातीय सहकारिताएं, अन सहकारिताएं, सरकारी निगम आदि कायम करना।
- (iii) विपणन व्यवस्था।
- (iv) वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों के बराबर विकास।

(v) परिवार उन्मुख लाभभोगी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ।

6.12 वन तथा जनजातियों के बीच सह-अस्तित्व से संबंधित बुनियादी मुद्दे

6.12.1 लघु वन उत्पाद

जनजातीय लोग सदा से ही अपनी आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं । अध्ययनों से पता चला है कि एम.एफ.पी. का हिस्सा कुछ जनजातीय समुदायों की खाद्यान्न आवश्यकताओं का 50 से 70 प्रतिशत तक है । वे अपने इस्तेमाल के लिए उन्हें बाजार में नकद या वस्तु के बदले बेचने के लिए अनेक प्रकार के एम.एफ.पी. एकत्र करते हैं । जनजातीय लोगों को पारम्परिक रूप से अपने उत्पाद प्राइवेट व्यापारियों को बहुत कम दर पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था । सहकारी समितियां तथा निगम जनजातीय लोगों को शोषण से बचाने के लिए स्थापित की गईं । जनजातीय विकास सहकारी निगम तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बड़ी-बड़ी बहुउद्देश्यीय सहकारी सोसाइटियों का उद्देश्य बिचौलियों द्वारा जनजातियों के शोषण को कम करना है । किन्तु, अपर्याप्त कार्य पूंजी, असंतोषजनक संगठन, घटिया प्रबंधन तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण निगमों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है । जनजातीय निगम जनजातीय लोगों से उचित कीमतों पर वन उत्पाद खरीदते हैं और उन्हें उचित कीमत पर रागी, चावल, नमक, केरोसिन, कपड़ा आदि जैसी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं । एल.ए.एम.पी.एस. का निर्माण, छटी योजना अवधि के दौरान, एम.एफ.पी. तथा अधिशेष कृषि उत्पाद खरीदने, अनिवार्य वस्तुओं कृषि निविष्टियों की आपूर्ति करने, उत्पादन तथा उपभोग ऋण की व्यवस्था करने के लिए या तो विद्यमान प्राइमरी कृषि सहकारी समितियों को बदलकर अथवा ब्लाक स्तर पर नए एल ए एम पी एस आयोजित करके की गई थी ताकि कम से कम 10,000 एकड़ कृषि भूमि के कवरेज तथा 51 लाख रुपए की वार्षिक अल्पकालिक ऋण क्षमता के साथ कम से कम 10,000 ग्रामवासियों के समूह की आबादी को कवर किया जा सके । तथापि, कम वसूली के कारण, एल.ए.एम.पी.एस. के भारी बकाया ऋण हैं । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जनजातीय लोगों के पक्ष में ऋण का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के वास्ते एल.ए.एम.पी. एस. को सुदृढ़ बनाने के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करता है । अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास संबंधी आठवीं और नौवीं योजना कार्य दल की रिपोर्ट में भी इस संबंध में बहुत सी उपयोगी सिफारिशें की गई हैं । तथापि, जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी । ताकि जनजातियों द्वारा उगाए गए/एकत्र किए गए उत्पाद के लिए उचित आर्थिक कीमत सुनिश्चित की जा सके और निहित स्वार्थों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाया जा सके । ट्राइफेड का देश में जनजातियों के लिए वन तथा कृषि वस्तुओं के संग्रहण, संसाधन तथा विपणन का अपना राष्ट्रीय नेटवर्क है । ट्राइफेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है । तथापि, ट्राइफेड से जनजातीय लोगों के किसी उल्लेखनीय आर्थिक उत्थान में योगदान नहीं मिला है । इसका कारण यह है कि घटते वन संसाधनों तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण की वजह से संसाधनों पर नियंत्रण धीरे-धीरे कम हो रहा है । कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं को उनकी वाणिज्यिक कीमत के कारण एम.एफ.पी. की सूची से हटा दिया गया है । नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में योजना आयोग का यह तर्क रहा है कि इन तीन वस्तुओं, नामतः बेंत (केन), बांस और महुआ बीजों को एम.एफ.पी. के अन्तर्गत शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है क्योंकि लाखों जनजातियों की आजीविका इन वस्तुओं के साथ जुड़ी है, यह जरूरी है कि इन्हें एम.एफ.पी. के रूप में पुनः शामिल कर लिया जाए । राज्य-वार स्थिति इस प्रकार है :

(i) गुजरात

गुजरात की समीक्षा बैठक के दौरान आयोग ने सुझाया कि एम.एफ.पी. का विपणन, विशेष रूप से तेन्दु पत्तों के संग्रह का काम जनजातीय लोगों का होना चाहिए और पंचायतों को तेन्दु पत्तों की बिक्री और खरीद में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों को तेन्दु पत्तों की कीमत बाजार दरों पर दी जानी चाहिए तथा राज्य सरकार तेन्दु पत्तों की बिक्री से जो भी लाभ अर्जित करे उसे तेन्दु पत्तों के तोड़ने वाले अनुसूचित जनजातियों के बीच वितरित कर दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना में गुजरात में तेन्दु पत्ते की दर ऊंची है। ग्राम पंचायतों ने जिला पंचायतों को तेन्दु पत्ते की नीलामी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जो भी लाभ अर्जित होगा उसे क्षेत्र की आबादी के आधार पर जिले में वितरित कर दिया जाएगा। गुजरात राज्य का प्रस्ताव मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र द्वारा अपनाई जा रही तेन्दु पत्ते के विपणन-प्रणाली का अध्ययन करने और उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति अपनाने का है।

(ii) केरल

केरल में, “स्व-सहायता समूह” स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार “कुटुम्बश्री” नामक एक परियोजना कार्यान्वित कर रही है। पलाक्कड, त्रिचूर, आदि कुछेक जिलों में आदिम जनजातियों के लिए यह स्कीम सफलतापूर्वक शुरू की गई है। एम.एफ.पी. के विपणन के लिए सहकारी भण्डार शुरू करने के वास्ते अनुसूचित जनजातियों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋणों की 100 प्रतिशत वसूली की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(iii) मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में, राज्य लघु वन उत्पाद संघ, एम.एफ.पी. के विपणन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। एम.एफ.पी. की बिक्री से जो भी आय सृजित होती है उस कुल आय में से 50 प्रतिशत एम. एफ.पी. के संग्रहकर्ताओं को, 20 प्रतिशत ग्राम वन के अनुस्क्षण के लिए और 30 प्रतिशत स्थानीय विकास कार्य शुरू करने के लिए दे दी जाती है। ऐसा पंचायत राज अधिनियम, 1996 के संदर्भ में किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत राज विस्तार (पी.ई.एस.ए.) अधिनियम, 1996 के अनुसार एम.एफ.पी. के अधिकार ग्राम सभा को नहीं दिए गए हैं। बल्लिक जिला प्राथमिक लघु वन उत्पाद सहकारी समितियों को सौंपे गए हैं।

(iv) मेघालय

मेघालय में, वनों की तीन श्रेणियां हैं, नामतः सामुदायिक वन, आरक्षित वन और वैयक्तिक वन। जिला परिषदें एम.एफ.पी. के निष्कर्षण के लिए रायलटी प्राप्त करती हैं और उनका हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है।

(v) उड़ीसा

उड़ीसा में, पंचायतों को एम.एफ.पी. व्यापार के लिए प्राधिकृत किया गया है। एम.एफ.पी. की 60 से अधिक वस्तुएं ग्राम पंचायतों द्वारा खरीदी जाती हैं, न कि निजी व्यापारियों द्वारा पट्टे पर जैसा कि वन विभाग द्वारा किया जाता था। ऐसा पंचायतों को सशक्त करने और ग्राम सभाओं को मालिकाना अधिकार देकर पंचायत राज

(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों तथा बिचौलियों से जनजातीय किसानों के शोषण को रोकने के लिए किया गया है।

(vi) राजस्थान

राजस्थान में, जनजातियों को लघु वन उत्पाद निःशुल्क निकालने की अनुमति है जिसका राज्य जनजातीय विकास निगम द्वारा संग्रहण और विपणन किया जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बून्दी तथा बारन के वन सम्पन्न जिलों में रहने वाले जनजातीय/कृषि समुदायों को वन उत्पाद की रियायत प्रदान की गई है तथा वे मकान बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त करने, पशुओं को चराने, बाढ़ लगाने की सामग्री, ईंधन की लकड़ी, घास जड़-पत्तियाँ, छाल, फल, आदि वन क्षेत्रों से प्राप्त करने के पात्र हैं जो उनकी ढोने की क्षमता पर निर्भर है। हाल ही में, विगत में इस विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा नहीं की गई। अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अंतर्गत वन ब्लॉकों के निपटारे के दौरान स्वीकृत वन उत्पाद के अपने अधिकार/रियायत पाने के भी हकदार हैं। जनजातीय इलाके में, जनजातीय विकास निगम, क्रय भण्डारों के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय लोगों के एम.एफ.पी. प्राप्त करते हैं। वनों पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय है कि जनजातीय विकास निगम अपनी आय के एक भाग को वनों के पुनः सृजन में लगाए ताकि लघु वन उत्पाद की सतत उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। राजस्थान में आर.टी.ए.डी.सी.एफ. विनिर्दिष्ट दरों पर जनजातियों, जनजातीय एजेन्टों और एल.ए.एम.पी.एस. के माध्यम से एम.एफ.पी. एकत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एकत्रित उत्पाद का निपटान या तो संघ के मुख्य कार्यालय अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निविदाओं अथवा अन्य राज्य उपक्रमों अथवा संघों के साथ अंतर विभागीय विपणन के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार ने कृषि उत्पाद के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसान प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं, उदाहरणस्वरूप सरकार ने तेन्दु पत्ते को मन्दी कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया है। बताया जाता है कि कृषि विपणन बोर्ड, कृषि तथा सम्बद्ध विभागों के सहयोग से 'कृषक सम्वाद' आयोजित करता है। अपने कार्यक्रम के अनुसार यह वर्ष 2000-01 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में वन उत्पादों के भण्डारण के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पूर्ववर्ती वर्ष में, इसने उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में वन उत्पादों के विपणन तथा कटाई-पश्चात प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया।

(vii) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

निकोबार में कोई वन उत्पाद नहीं है। कृषि उत्पाद ग्राम स्तर पर विपणन समितियों के माध्यम से बेचे जाते हैं, जो केन्द्रीय सहकारी समितियों, यथा ई.एच.एल. और एम.एम.एल. से सम्बद्ध हैं। कार निकोबार और नानकोवरी द्वीपसमूहों के समूह में पन्द्रह-पन्द्रह के हिसाब से 30 प्राथमिक विपणन समितियाँ हैं। निकोबारी जनजातियों के परिवार का एक मुखिया संबंधित ग्राम स्तर समितियों का सदस्य होता है। वे अपने कृषि उत्पाद, जैसे कि नारियल और सुपारी अपनी-अपनी प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से ई.एच.एल. और एम.एम.एल. को बेचते हैं। महान अंडमानी तथा ओंगेस

कोपड़ा के रूप में अपने उत्पाद विपणन संघ को बेचते हैं जिसके लिए उन्हें लाभप्रद कीमत प्राप्त होती है। वे आरक्षित वन से एम.एफ.पी. के संग्रहण का काम नहीं करते हैं। संरक्षित वन नियम, 1986 के अनुसार, ए.एन.आई. की जनजातियाँ अपनी घरेलू उपभोग के लिए वन उत्पाद निःशुल्क एकत्र करने की पात्र हैं। स्थानीय जनजातियों ने ए.एफ.पी. के वाणिज्यिक दोहन में कोई रुचि नहीं दिखाई है।

6.12.2 केन्द्रीय अधिनियम, 40 में एम.एफ.पी. से संबंधित सुझाव

केन्द्रीय अधिनियम 40 में लघु वन उत्पाद का स्वामित्व उपयुक्त स्तर पर पंचायतों तथा ग्राम सभा को स्पष्ट रूप से सौंपा गया है। राज्य अधिनियम में एम एफ पी उत्पादों की परिभाषा मात्र भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनुसार की गई है। केवल गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों ने इस संबंध में पंचायत अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए हैं। गुजरात में यह ग्राम पंचायत में विहित है तथा एम.एफ.पी. की बिक्री प्राप्ति ग्राम पंचायत निधि को अदा करते हुए उसका एक भाग होगी। महाराष्ट्र में, एम.एफ.पी. का स्वामित्व ग्राम सभा तथा राज्य पंचायत को प्रदान किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में एम.एफ.पी. का स्वामित्व, राष्ट्रीय उद्यानों तथा मृगवनों को छोड़कर, पंचायत में विहित होगा। वन क्षेत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन एम.एफ.पी. के दोहन के संबंध में पंचायत के लिए मार्गदर्शक बल होगा। पंचायत, संबंधित अंचल के वन संरक्षक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगी। इस नियम के अंतर्गत, सहकारी सेवकों को कानूनी कार्यवाहियों, यदि कोई हों, से अलग रखा गया है। केन्द्रीय अधिनियम 40 के अंतर्गत प्रावधानों को कार्य रूप देने के लिए, अन्य अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को राज्य अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने चाहिए।

6.12.3 संचालन समिति द्वारा सुझाव

दसवीं योजना के लिए अनुसूचित जनजातियों के अधिकार संबंधी संचालन समिति ने चिन्ता के साथ यह नोट किया कि एल.एम.पी.एस. जैसी प्राइमरी जनजातीय सहकारिताओं, तथा राज्य संस्थाओं, जैसे कि जनजातीय विकास सहकारी निगमों, वन निगमों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का निष्पादन तथा जनजातीय उत्पाद के विपणन के लिए गठित ट्राइफेड जैसे राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं का कामकाज वांछित स्तर का नहीं है तथा बिचौलिए विद्यमान हैं। इसने एजेन्सियों और संगठनों की संख्या बढ़ाने की बजाए जनजातीय क्षेत्रों में कार्ययोग्य प्रशासनिक तन्त्र तैयार करने का सुझाव दिया। एम.एफ.पी. तथा अधिशेष कृषि उत्पाद की सीधी खरीद तथा विपणन होना चाहिए और जब भी एक निश्चित परिस्थिति में कीमतें दृष्टतम स्तर से नीचे गिरने लगें, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था होनी चाहिए। दसवीं योजना अवधि के दौरान एल.एम.पी.एस. को पुनः सक्रिय बनाया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में “काम के लिए खाद्य” कार्यक्रम के साथ ग्राम सभाओं के स्व-सहायता दलों को लगाया जा सकता है तथा निधियों की व्यवस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की जा सकती है। समिति ने जनजातीय विकास के लिए कार्यरत विभिन्न निगमों में अपर्याप्त क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे का भी उल्लेख किया। निगमों के पास बड़े वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन करने तथा उन्हें संभालने के लिए विशिष्ट विशेषज्ञ नहीं हैं। इसलिए राज्य निगमों को एस.एफ.सी. तथा राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यकलाप के पुनः वित्त की अनुमति दी जानी चाहिए।

6.13 झूम खेती

6.13.1 झूम खेती, कृषि पद्धति की सर्वाधिक पुरानी पद्धति है तथा इसका इस्तेमाल विश्व भर में, विशेष रूप से उष्णकटिबंधी (ट्रोपिकल) तथा उप-उष्णकटिबंधी (सब-ट्रोपिकल) क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों द्वारा किया जाता है। भारत में जनजातियों द्वारा इसका प्रयोग 5000 से भी अधिक

वर्षों से किया गया है। यह, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, आदि में काफी प्रचलित है। उड़ीसा में कोरापुट के बोण्डा जैसी कुछेक जनजातियां पोडु भूमि को अपनी स्वयं की भूमि समझते हैं तथा उस पर पुश्तैनी अधिकार रखते हैं। वे भूमि को गिरवी रख देते हैं और बेच भी देते हैं। यह खेती की एक एकीकृत पद्धति थी जो जनजातियों की जरूरतों के लिए उपयुक्त थी क्योंकि पहले के समय में वन संसाधनों का कोई वाणिज्यिक दोहन नहीं था। उड़ीसा में इसका तीन जिलों में प्रयोग किया जाता है, नामतः गंजाम, काला हांडी और फूलबनी। आन्ध्र प्रदेश के उत्तर तटीय क्षेत्रों में भी इस पद्धति का पालन किया जाता है। जनजातीय लोग प्रत्येक तीन वर्ष के बाद एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते थे तथा 9 वर्ष के बाद पुनः मूल खेत में वापस आ जाते थे। पेड़ों (फल देने वाले पेड़ों को छोड़कर), झाड़ियों, आदि को जनजातियों द्वारा गर्मी में गिराकर साफ कर दिया जाता है तथा सूखने दिया जाता है। उन्हें जला दिया जाता है तथा राख को फैला दिया जाता है। राख में पोटास होता है जिससे बहुत अच्छी मिट्टी, पोषक बनती है और वह फसलों की पैदावार में सहायक होती है। भूमि पर जनसंख्या दबाव में वृद्धि होने तथा वन अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण, झूम खेती काफी हद तक कम हो गई है। यह देखा गया कि भूमि के एक ही टुकड़े को थोड़ी अवधि के बाद बार-बार जोता जाता था, जिससे कम पैदावार तथा कम उत्पादन होता था। इसलिए इस पद्धति को अधिक परिश्रम किए जाने के बावजूद जनजातियों के लिए जारी रखना किफायतपूर्ण नहीं था। इस खेती के परिणामस्वरूप काफी सीमा तक आरक्षित वनों की भी सफाई हो गई। बागवानी फसल उगाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार आरक्षित वनों में झूम खेतीहरो के स्थायी पुनर्वास की स्कीमों की अनुमति नहीं है। इस पद्धति को अब वनों के परिरक्षण व मृदा की उर्वरता के लिए संतोषजनक नहीं समझा जाता तथा इससे वनों की कटाई और मृदा का कटाव दोनों होते हैं।

6.13.2 कृषि मंत्रालय ने राज्य योजनाओं के लिए 100 % केन्द्रीय सहायता के साथ वर्ष 1994-95 के दौरान सात उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों में जलविभाजक विकास परियोजना (डब्ल्यू डी पी एस सी ए) की स्कीम प्रारंभ की है। स्कीम का उद्देश्य जल विभाजक आधार पर झूम क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। इस कार्यक्रम को, मृदा तथा जल संरक्षण के लिए वानस्पतिक उपायों, सुधरी उत्पादन पद्धति तथा छोटी-छोटी जल दोहन संरचनाओं के निर्माण जैसी स्थानीय सामग्री के उपयोग के साथ कम लागत वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत लाभभोगियों की भागीदारी तथा एन.जी.ओ. के सहयोग पर उचित बल देते हुए, पशुधन विकास तथा घरेलू उत्पादन के घटक भी शामिल हैं। वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना वर्ष 1991 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 25 राज्य तथा 2 संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। नाबार्ड में जल विभाजक विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य सहभागी दृष्टिकोण के जरिए 14 राज्यों में 100 प्राथमिकतापूर्ण जिलों में जलविभाजक विकास को एकीकृत करना है। डी डब्ल्यू डी एफ की कुल पूँजी 20,00,000 रूपए है। इस निधि का उपयोग, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा एन जी ओ क्षेत्रों में अलग-थलग सफल उपायों तथा विभिन्न कार्यक्रमों का अनुकरण तथा उन्हें समेकित करने के लिए आवश्यक संरचना का सृजन करने के लिए किया जाएगा। एकीकृत जलविभाजक विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं भी हैं। इन परियोजनाओं के लिए निधियां सीधे ही राज्य सरकारों को जारी की जाती हैं तथा उन्हें कृषि मंत्रालय के माध्यम से नहीं दिया जाता। कृषि विस्तार की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों को दिए जा रहे हैं। सभी वर्गों के कृषकों के लाभार्थ कृषि विकास तथा सहयोग हेतु कृषि मंत्रालय की अनेक उत्पादन उन्मुख क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें और कार्यक्रम हैं। कृषि मंत्रालय को झूम खेती के संबंध

में उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ-साथ अन्य राज्यों में कार्यान्वित जलविभाजक विकास कार्यक्रमों से संबंधित पूर्ण ब्योरे/आंकड़े रखने चाहिए। जनजातीय तथा अनुसूचित जाति प्रबल स्थानों में क्षेत्रों की सीमा के बारे में, जहां झूम खेती का स्थान जलविभाजक प्रबंधन ने ले लिया है, लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट होनी चाहिए। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को इस बारे में उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय पर्वतीय क्षेत्रों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। वे, जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित स्कीमों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का भी अध्ययन कर सकते हैं।

6.13.3 चूंकि उत्तर-पूर्वी राज्यों में झूम खेती अधिक प्रचलित है, इसलिए संचालन समिति ने वन ग्रामों तथा झूम खेतिहरों के विकास के लिए एक व्यापक परियोजना का सुझाव दिया है। ऐसी परियोजनाओं के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे ही धन दिया जाना चाहिए तथा उन्हें वन विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आई.सी.एफ.आर.ई., इन कमजोर वर्गों के विकास हेतु आर.एण्ड डी. सहायता की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक बसे गांव के लिए माइक्रो योजना तैयार की जानी चाहिए तथा उसे वन कार्यक्रम योजना और वन विभाग के प्रशासन की पद्धति के एक भाग के रूप में चलाया जाना चाहिए।

6.14 औषधीय पौधे तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार

6.14.1 जनजातियों के लिए प्राचीन काल से ही औषधीय पौधे उनके पोषण का एकमात्र स्रोत रहे हैं। वे मुख्यतः पारम्परिक जड़ी-बूटी औषधियों और जनजातीय जादूगरों पर निर्भर करते हैं। अब, औषध पद्धति में परिवर्तन के कारण, आधुनिक औषधि पद्धति ने जनजातीय क्षेत्रों में भी प्रवेश कर लिया है। किन्तु जनजातीय लोग, जो अपनी संस्कृति के साथ गहन रूप में जुड़े होते हैं, सामान्यतः औषधि की अपनी प्रणाली प्रसंद करते हैं तथा जब वे इस पद्धति को अप्रभावी पाते हैं तभी औषधि की एलोपैथिक पद्धति अपनाते हैं। औषधि की आधुनिक पद्धति में जनजातीय लोगों को एक और समस्या का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि डाक्टर तथा अन्य अर्ध-चिकित्सक जनजातीय क्षेत्रों में शायद ही उपलब्ध होते हैं। इन व्यवसायियों की जनजातीय इलाकों में तैनाती को सजा के तौर पर तैनाती समझा जाता है तथा सामान्यतः यह देखा गया है कि केंद्रों और उप-केंद्रों में जनजातीय इलाकों में अधिकांश पद सामान्यतः खाली पड़े रहते हैं। इन क्षेत्रों में प्राइवेट डाक्टर भी नहीं होते हैं क्योंकि अन्दरूनी जनजातीय इलाकों में इस व्यवसाय की अव्यवहार्यता की वजह से यह लाभप्रद नहीं है। जनजातीय महिलाएं ईंधन आदि एकत्र करने के लिए वे अधिक घंटों तक, कम से कम 14 घंटे प्रतिदिन कार्य करती हैं, और वे शायद ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच पाती हैं। इसलिए यह महिलाएं अपनी बीमारियों के लिए आमतौर पर जंगली जड़ी-बूटियों, औषधीय बेलों, जड़ों आदि पर निर्भर रहती हैं। आधुनिक औषधि पद्धति की शुरुआत के कारण जनजातीय क्षेत्रों में परम्परागत पद्धति तथा औषधियों की जानकारी भी समाप्त होती जा रही है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भी देशज औषध पौधों को उगाने की अनुमति है। वनों तथा संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाने वाले औषधीय पौधों को संरक्षित रखने तथा अवनत वन क्षेत्रों में इनकी खेती करने का भी एक कार्यक्रम है।

6.14.2 विभिन्न औषधीय पौधों के संबंध में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का, नई आर्थिक व्यवस्था में देश में तथा विश्व में भी महत्व बढ़ गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार सर्वेक्षण किए गए 70 प्रतिशत में 46,000 पौधों की तथा 81,000 पशुओं की नस्लें हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा की आधुनिक तथा पारम्परिक पद्धतियों में किया जाता है। भारतीय वनस्पति उद्यान दुर्लभ तथा लुप्त प्रायः औषधीय पौधों का संरक्षण करता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश राज्य औषधीय पौधों के संरक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश ने जड़ी-बूटी उपवन स्थापित किए हैं तथा

उनका संयोजन आई.एस.एम.एण्ड.एच. के लिए औषधियों की उत्पादन इकाइयों के साथ किया है। जनजातीय क्षेत्रों में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को बचाने के लिए विधायी कार्यवाई सहित शीघ्र उपाय किए जाने आवश्यक हैं। इन पौधों के स्थानीय औषधीय मूल्य परम्परागत जनजातीय मेडिकल व्यवसायिकों की मदद से संहिताबद्ध हैं। ऐसे बहुत से बहुमूल्य औषधीय पौधे हैं जिनका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा किया जाता है तथा उनमें से अधिकांश केरल राज्य से संबंधित हैं। केरल राज्य में इन पौधों की बहुत सी किस्में हैं। निःसंदेह, पर्यावरण और वन मंत्रालय इस समृद्ध परम्परा को परिरक्षित तथा संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहा है। चूंकि ये पौधे जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए सरकार को इनके परिरक्षण, संरक्षण तथा पुनः सृजन से संबंधित सभी पहलुओं में जनजातियों को शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार, पशुओं की नस्लों भी पारम्परिक औषधियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पारम्परिक पद्धति को आधुनिक औषध पद्धति के साथ मिलाया जा सकता है जिससे अधिक स्वस्थ रहने में सहायता मिलेगी तथा जनजातियों के आय-स्तरों में सुधार हो सकता है। बंजर भूमि के उपयुक्त उपयोग के माध्यम से जनजातियों को औषधीय पौधों की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण भारतीय पौधों का पेटेन्ट किया जाना चाहिए। पेटेन्ट मुद्दे के लिए गठित विशेषज्ञ दल को पेटेन्टिंग कराने के वास्ते पौधों के चिकित्सीय मूल्य के बारे में जनजातीय जादूगर की जानकारी का उपयोग करना चाहिए। भारत सरकार ने हस्ताक्षर करने वाले देशों के साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकार करार के अपने व्यापार सम्बंध पहलू के अंतर्गत या तो पेटेन्ट सुरक्षा प्रदान करके अथवा एक प्रभावी अद्वितीय पद्धति प्रारंभ करके अथवा उनके मिश्रण के द्वारा, पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर, पौधों की किस्मों का बचाव स्थापित किया है। चूंकि समय कम है, इसलिए सुझाव है कि प्राइवेट एजेन्सियों को इस कार्य में लगाया जाए। इनके उपयोगार्थ रायल्टी के माध्यम से जनजातीय किसानों के अधिकार भी संरक्षित किए जाने चाहिए। यह भी आवश्यक है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) औषधी की इस महत्वपूर्ण शाखा तथा परम्परागत जनजातीय चिकित्सकों की जानकारी को मान्यता प्रदान करें पौधों की नस्लों को संरक्षित, परिरक्षित, पुनः सृजित तथा संहिताबद्ध किया जाए। भारतीय औषध पद्धति के अंतर्गत ज्ञान की इस शाखा को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए तथा जनजातीय उपयोगकर्ताओं को रोजगार के एक स्रोत के रूप में इस कार्यकलाप में प्रोत्साहित किया जाए।

6.14.3 “जैव-विविधता तथा आदिवासी/देशज लोग” विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 29 से 31 जनवरी, 2001 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यशाला के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-

- (i) विश्व की ताकतों द्वारा, विशेषकर विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय और सार्वजनिक हितों के लिए, सरकार की सहायता से आदिवासियों की भूमि और संसाधन हड़पने हेतु, आदिवासियों को खतरा पैदा हो गया है।
- (ii) संविधान की पाँचवी अनुसूची में विदेशी सहयोग से कार्यकलाप आयोजित करने के लिए संशोधन न किया जाना।
- (iii) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विचार को, जिसमें जीवन स्वरूप तथा जैव-विविधता से संबंधित ज्ञान के बारे में पेटेन्ट शामिल हैं, नकारा गया।
- (iv) उपयुक्त सामुदायिक अधिकार पद्धतियों के माध्यम से देशज ज्ञान को संरक्षित किया जाना चाहिए।
- (v) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव-विविधता बोर्डों में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व।

जैव-विविधता विधेयक, 2000 जैव-विविधता के संरक्षण तथा आदिवासी आजीविका बचाव के लिए एक सशक्त साधन बन सकता है, यदि इसमें उनकी जैव-विविधता और ज्ञान की अधिप्राप्ति से पहले स्थानीय समुदायों की पूर्ण सहमति, सर्वसम्मति से ग्राम सभा द्वारा अनुसमर्थन, विधेयक के अंतर्गत न्यायालय से सम्पर्क करने के अधिकार, विदेशी कम्पनियों के लिए कठोर उपायों, जैसा कि भारतीय निगमों और संस्थानों पर लागू हैं, पौधा किस्म संरक्षण विधेयक के अंतर्गत पंजीकृत पौधों को दी गई छूट को समाप्त करने और स्थानीय समुदायों के लाभार्थ ग्राम सभा यथा संबंधित सभी समान सम्पत्ति संसाधनों की मान्यता की व्यवस्था कर दी जाए।

6.15 वनग्राम तथा संयुक्त वन प्रबंधन

6.15.1 वन ग्रामों की अवधारणा ब्रिटिश द्वारा विकसित की गई थी। वनों में विद्यमान बस्तियों को वनग्रामों के रूप में घोषित किया गया था अथवा वन ग्राम स्थापित करने के लिए व्यक्तियों को बाहर से लाया गया था। प्रत्येक परिवार को वन में काम करने के लिए एक अथवा दो व्यक्ति उपलब्ध कराने होते हैं। कुछ मामलों में मजदूरी तथा कार्य विनिश्चित था और कृषि के लिए कुछ भूमि आवंटित कर दी गई थी। भूमि के पट्टे का वार्षिक आधार पर नवीकरण कराना होता था। जनजातीय लोगों का स्थाई अधिकार नहीं था। यह पद्धति आजादी के बाद जारी रही। वर्ष 1974 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इसे राजस्व ग्राम समझने तथा व्यक्तियों को उनके द्वारा की गई खेती की भूमि पर पूर्ण अधिकार देने की सलाह दी थी। अनुमान है कि 16 राज्यों में 2 लाख जनजातीय परिवार वन ग्रामों में रहते हैं। इन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 2,500 ग्राम हैं, जिनकी आबादी लगभग एक लाख परिवारों की है। ये ग्राम अन्दर गहरे वन क्षेत्रों में स्थित हैं तथा विकासात्मक लाभों से वंचित हैं। कृषि मंत्रालय ने 1984 में ही राज्यों को सलाह दी थी कि वे इन वन ग्रामों में भूमि जोतने वाले जनजातीय लोगों को दीर्घवधिक, विरासत योग्य, किन्तु अहस्तान्तरणीय अधिकार प्रदान करें। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण यह अधिकार निषिद्ध है। इस समय वन ग्रामों के बारे में पर्याप्त व्योरे और आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सुझाव है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को संबंधित जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से, वन ग्रामों की राज्य-वार संख्या, इन ग्रामों में कुल आबादी के साथ परिवारों की संख्या, खेती के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि की सीमा तथा उन्हें उपलब्ध सम्पर्क सड़कों, जल सुविधाओं, विद्युतीकरण, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थाओं, आदि के विकासात्मक लाभों के संबंध में आंकड़े एकत्र करना चाहिए।

6.15.2 विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.एम.) की नई अवधारणा प्रस्तुत की है। वन विभाग जनजातीय लोगों और अन्यो को वनारोपण और उसके संरक्षण के लिए मजदूरी अदा करते हैं तथा जनजातीय समुदायों को उत्पाद में एक हिस्सा दिया जाता है। इस अवधारणा से जनजातीय लोगों और उनके परिवारों को वन-भूमि पर एक बार पुनः कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब तक संयुक्त वन प्रबंधन में 23 राज्य शामिल हो चुके हैं। दिनांक 1.9.2000 के अनुसार 36165 ग्राम वन संरक्षण समिति द्वारा देश में 10.25 मिलियन हैक्टेयर वन भूमि का प्रबंध और संरक्षण किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को 355 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

6.15.3 सिफारिशें

- I. वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित करना, जिससे कि अधिनियम को जनजातियों के अनुकूल बनाया जा सके।
- II. सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता देना, ताकि जनजातीय समुदाय को वास्तविक दृष्टि से अधिकार दिए जा सके।

अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों वाले अन्य क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में भूमि कानूनों के संबंध में विद्यमान कानून दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	लागू विधान	मुख्य विशेषताएं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश (अनुसूचित जनजाति) भू-हस्तान्तरण विनियम, 1959, यथा संशोधित	यह अधिनियम केवल अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों पर लागू है। अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण का विस्तार किया जाना।
2.	बिहार	(क) छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (ख) संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 (ग) बिहार अनुसूचित जनजाति विनियम, 1969	ये अधिनियम राज्य में अनुसूचित जनजातियों पर लागू हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रभागों में लागू है। दूसरा अधिनियम संथाल परगना प्रभाग के जिलों पर लागू होता है। तीसरा अधिनियम राज्य में सभी अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है।
3.	असम	असम भू-राजस्व विनियम, 1886, वर्ष 1981 में संशोधित	विनियम के अध्याय X द्वारा जनजातीय क्षेत्रों और ब्लकों का सृजन होता है। इन ब्लकों तथा क्षेत्रों में भूमि का हस्तान्तरण, आदान-प्रदान और पट्टेदारी जनजातियों के हित में प्रतिबंधित है।
4.	गुजरात	बम्बई भू-राजस्व (गुजरात द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1980)	जनजातीय भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध है तथा पुनः वापसी की व्यवस्था है।
5.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भू-हस्तान्तरण (विनियम) अधिनियम, 1969	अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों की भूमि गैर जनजातीय लोगों को हस्तान्तरित करना निषिद्ध है।

6.	कर्नाटक	कर्नाटक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमियों का हस्तान्तरण निषिद्ध) अधिनियम, 1978	अधिनियम केवल सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट भूमि कवर करता है जिसे अनुसूचित जनजातियों द्वारा धारित सभी भूमियों तक बढ़ाया जाना चाहिए।
7.	केरल	केरल अनुसूचित जनजाति (भू-हस्तान्तरण तथा अन्य-संक्रामित भूमि की पुनः वापसी) अधिनियम, 1975	अधिनियम को दिनांक 1 जून, 1982 से जनवरी, 1986 में जारी केवल एक अधिसूचना द्वारा लागू किया गया है। केरल उच्च न्यायालय ने अगस्त 2000 में 1999 अधिनियम (अनुसूचित जनजातियों द्वारा भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में केरल प्रतिबंध तथा पुनः वापसी अधिनियम 1999) रद्द कर दिया और मूल अधिनियम, 1975 को लागू करने का निदेश दिया।
8.	मध्य प्रदेश	1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959. 2. मध्य प्रदेश भू-वितरण विनियम अधिनियम, 1964.	संहिता की धारा 153, भूमि के अन्य-संक्रामण के विरुद्ध अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण प्रदान करती है। मध्य भारत क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों में अधिनियम 1964 लागू है।
9.	मणिपुर	मणिपुर भू-राजस्व और भू-सुधार अधिनियम, 1960	अधिनियम की धारा 158 के अंतर्गत, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई भी भूमि उपायुक्त की अनुमति के बिना किसी गैर-जनजातीय को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। तथापि, अधिनियम पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू नहीं है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र जनजातियां कवर नहीं होती हैं।
10.	महाराष्ट्र	(1) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966, 1974 में यथा संशोधित (2) महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी भूमियों की पुनः वापसी अधिनियम, 1974	इन कानूनों के अंतर्गत गैर-कानूनी रूप से हस्तान्तरित भूमि की पुनः वापसी के लिए जनजातियों द्वारा आवेदन करने की अवधि केवल तीन वर्ष है। यह अवधि-1977 में समाप्त हो गई।

			यद्यपि कानूनों के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने आप मामले दर्ज करने का प्रावधान है, तथापि राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह तीन वर्ष की सीमित अवधि के बाद अनुसूचित जनजातियों द्वारा स्वयं आवेदन करने की अनुमति दी जाए ।
11.	उड़ीसा	(क) उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अधल सम्पत्ति हस्तान्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम, 1956 (ख) उड़ीसा भू-सुधार अधिनियम, 1960 यथा संशोधित	अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध है । अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वालों को अनुसूचित जनजातियों की भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध है।
12.	राजस्थान	(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (ख) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956	वर्ष 1955 के अधिनियम के अन्तर्गत, बिक्री, भेंट, रेहन, उप-किराए, आदान-प्रदान आदि के द्वारा अनुसूचित जनजातियों की भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध है । राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 91 को संशोधित करने पर विचार कर रही है जिससे कि तहसीलदार अपने आप ही अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके ।
13.	सिक्किम	वर्ष 1977 का राजस्व आदेश संख्या-1	1977 का राजस्व आदेश लागू है । अध्याय 7 में सिक्किम कृषि भूमि सीमा तथा सुधार अधिनियम, 1977 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों द्वारा भूमियों के अन्य संक्रामण पर प्रतिबन्ध है । इस अध्याय को अभी तक लागू नहीं किया गया है ।

14.	तमिलनाडु	राजस्व बोर्ड के स्थाई आदेश-बी एस ओ, 15-40	बी एस ओ 15-40, तमिलनाडु की केवल मलयाली और शोलेज जनजातियों पर लागू नहीं होता । इनके अंतर्गत इन जनजातियों को विनिर्दिष्ट भूमि को प्रभागीय आयुक्त की अनुमति के बिना हस्तान्तरण निषिद्ध है । राज्य का अभी तक कोई कानून नहीं है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध हो । विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा उस पर कार्रवाई चल रही है ।
15.	त्रिपुरा	त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960, यथासंशोधित	अधिनियम की धारा 187 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बिना अन्यो को हस्तान्तरित करना निषिद्ध है । तथापि दिनांक 1.1.1969 के बाद स्थानान्तरण, एक संशोधन द्वारा पुनः वापसी प्रावधानों के अधीन किया गया है ।
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश भूमि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1982, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जमीन्दारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम, 1950 संशोधित किया गया था ।	संशोधित अधिनियम को कभी भी लागू नहीं किया गया क्योंकि यह 23.9.1981 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में (स्वर्ण सिंह बनाम राज्य सरकार) एक लिखित मामले में रूका पड़ा है । राज्य सरकार से स्थगन आदेश को हटाने के लिए न्यायालय में अपील करने का अनुरोध किया गया है ।
17.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955, यथा संशोधित	अधिनियम के अध्याय 11क के अंतर्गत जनजातीय भूमि का अन्य संक्रामण निषिद्ध है तथा पुनः बहाली की व्यवस्था है ।

स्रोत : अनुसूचित जनजातियों पर आठवीं योजना कार्यदल रिपोर्ट और एन.आई.आर.डी., हैदराबाद द्वारा आयोजित कार्यशाला ।

सितम्बर 2000 तक की स्थिति के अनुसार अन्य संक्रामित तथा पुनः बहाल की गई जनजातीय भूमि क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण
(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्रम संख्या	राज्य	न्यायालय में दर्ज मामलों की संख्या	क्षेत्रफल	न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामले	क्षेत्रफल	अस्वीकृत मामले	क्षेत्रफल	जनजातियों के पक्ष में निर्णित मामले	क्षेत्रफल	वे मामले जिनमें भूमि जनजातियों को वापस बहाल की गई	क्षेत्रफल	न्यायालय में लंबित पड़े मामले	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	65875	287776	58212	256452	31737	150227	26475	106225	23383	94312	7663	31324
2.	असम	2042	4211	50	19	-	-	50	19	50	19	1992	4192
3.	बिहार	86291	104893	76518	95151	31884	49730	44634	45421	44634	45421	9773	9742
4.	गुजरात	47926	140324	40400	20691	119	497	40281	120194	39503	118259	7526	9633
5.	हिमाचल प्रदेश	नगन्ध											
6.	कर्नाटक	42582	130373	38521	115021	16687	47159	21834	67862	21834	67862	4061	15352
7.	मध्य प्रदेश	53806	158398	29596	97123	29596	97123	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	24210	61275
8.	महाराष्ट्र	45634	प्राप्त नहीं	44624	99486	24681	प्राप्त नहीं	19943	99486	19943	99486	1010	प्राप्त नहीं
9.	उड़ीसा	1431	1712	594	816	152	204	442	612	212	455	837	896
10.	राजस्थान	651	2300	240	774	53	187	187	587	187	587	411	1526
11.	त्रिपुरा	28926	25295	28888	25274	20084	18366	8804	6908	855	6732	38	21
	जोड़	375164	855282	317643	810807	154993	363493	162650	447314	158297	433133	57521	143961

स्रोत : ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000

समथा निर्णय

समथा मामले में, अन्य बातों के साथ, प्रारम्भिक प्रश्न यह था कि क्या संकल्प सरकारी भूमि को किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर लागू होगा और क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्र में स्थित भूमि का खनन पट्टा किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को प्रदान कर सकती है ?

(निर्णय का पैरा 8)

1. इसलिए संविधान सभा में बहस की व्याख्या से यह स्पष्ट होगा कि संविधान सभा के समक्ष बहुत से मसौदे प्रस्तुत किए गए थे । पाँचवीं अनुसूची के सुझाव और अंततः अनुमोदन से संविधान निर्माताओं की यह बात पुष्ट होती है कि पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित अनुसूचित क्षेत्र में भूमि को निषिद्ध हस्तान्तरणों द्वारा, जनजातियों और गैर-जनजातियों के बीच परिरक्षित रखने की जरूरत है तथा ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन की व्यवस्था करना तथा ऐसे क्षेत्र में साहुकारों द्वारा कामकाज चलाने को नियमित करना है । (पैरा 35)
2. संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (2) और विनियम का प्रमुख उद्देश्य, जनजातीय क्षेत्रों में शान्ति तथा सिद्ध अच्छे प्रबन्धन के वास्ते, अचल सम्पत्ति को किसी जनजातीय व्यक्ति से इतर व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर पूर्ण रोक लगाना, अनुसूचित जनजातियों द्वारा किसी समय धारित भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का कब्जा, अधिकार, हक और हित सुरक्षित रखना है (पैरा 48) । एजेंसी मार्गों में, गैर-जनजातीय लोगों को किसी भी समय अचल सम्पत्ति पर कोई कानूनी अथवा वैध हक नहीं है जब तक कि वह सरकार की पूर्व मंजूरी से प्राप्त नहीं की गई हो तथा पाँचवीं अनुसूची के अनुरूप बनाए गए कानून द्वारा संरक्षित न हो । समय बीतने के साथ, यदि जनजातीय व्यक्ति से इतर कोई व्यक्ति एजेंसी मार्गों में भूमि का गैर-कानूनी हक और कब्जा प्राप्त कर लेता है, तो अचल सम्पत्ति की प्राप्ति और उसे धारित करना, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो, सदा ही अवैध रहा है । अपने पूर्ववर्ती कानून की तरह, विनियम के अंतर्गत किसी जनजातीय व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण निषिद्ध है, गैर-जनजातीय व्यक्ति के लाभार्थ किसी जनजातीय व्यक्ति के नाम में बेनामी खरीद भी अवैध है । अनुसूचित क्षेत्र में स्थित भूमि पर किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को कोई अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त नहीं हो सकता । निःसन्देह, जनजातीय व्यक्ति तथा गैर-जनजातीय व्यक्ति अथवा गैर-जनजातीय व्यक्तियों के बीच परस्पर किसी भी हस्तान्तरण की पूर्णतः मनाही है, सिवाय किसी जनजातीय व्यक्ति को वसीयतनामों के द्वारा । सम्मिलित अपवाद केवल सहकारी समितियों को हस्तान्तरण है जो एकमात्र रूप से जनजातीय लोगों को मिलाकर बनी हो अथवा राज्य के एक साधन के रूप में पंजीकृत कोई सहकारी भूमि रेहन बैंक अथवा कृषि भूमियों को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कोई ऋणदाता एजेंसी अथवा सरकार के किसी एजेंट, आदि को बिक्री। (पैरा 48)
3. यह निर्विवाद है कि जनजातियों द्वारा धारित पट्टा भूमियों अथवा अन्य भूमियों के अलावा, राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र की, कुछ समृद्ध खनिज वाली भूमि की मालिक है, प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार को विनियमों से छूट है ? क्या राज्य सरकार कानून से ऊपर है ? क्या विनियम की धारा 3(1) (क) में “व्यक्ति” शब्द के अर्थ में राज्य सरकार सम्मिलित होगी ? पाँचवीं अनुसूची भाग 1 के साथ पठित अनुच्छेद 244 (1) “राज्यों” की परिभाषा करते समय, कतिपय राज्यों को छोड़कर, जिनका उल्लेख उसमें किया गया है । यह

दोहराने योग्य है कि पाँचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 5 (2) में राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र में शान्ति तथा अच्छे शासन हेतु विनियम बनाने का अधिकार है। सामान्य शक्ति को प्रभावित किए बगैर, परवर्ती धाराएं विशेष शक्तियों का विस्तार करती हैं। धारा (क) उन्हें ऐसे क्षेत्र में जनजातियों अथवा गैर-जनजातियों के सदस्यों द्वारा अथवा उनके बीच भूमि के हस्तान्तरण को निषिद्ध अथवा सीमित करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा (ख) क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को केवल (जोर देने के लिए जोड़ा गया) भूमि के आबंटन को विनियमित करती है। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस धारा के अंतर्गत भूमि के आबंटन को विनियमित करते समय, किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को भूमि के आबंटन की शक्ति से अपने आप को अलग रख सकती है, जबकि पाँचवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 (1) का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए अनुसूचित क्षेत्र का नियंत्रण और शान्ति तथा अच्छा शासन बनाए रखना है? क्या यह निष्कर्ष निकालना अनुमत्य होगा कि सरकार से संबंधित भूमि ऐसे प्रतिबन्ध अथवा निषिद्धि के नियंत्रण से बाहर है, क्या राज्य सरकार संविधान तथा कानूनों के उल्लंघन में गैर-जनजातीय लोगों को अपनी भूमि आवंटित कर सकती है? उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का अत्यंत महत्व और प्रभाव है क्योंकि संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य राज्यपाल को, उनकी वैयक्तिक संतुष्टि के आधार पर, शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य कानून द्वारा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की शान्ति और अच्छे शासन के लिए अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन अथवा नियंत्रण विनियमित करना है। प्रश्न यह है कि क्या किसी आन्तर व्याख्या से संवैधानिक विस्तार को क्षति पहुँचेगी अथवा क्या इससे संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा पहुँचेगी (पैरा 51)।

4. इसलिए धारा 5 (2) द्वारा पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन को “विनियमित” करने वाले शब्द को पूर्णरूप से पढ़ा जाना चाहिए जिससे कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का विनियमन केवल अनुसूचित जनजातियों को और उनके सदस्यों के बीच सुनिश्चित हो सके। पैरा 5 के उप-पैरा (2) की धारा (क) में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों को राज्य सरकार द्वारा अपनी भूमि के आबंटन की शक्ति के संबंध में अंतर्निहित निषेध है। ऐसा पढ़े जाने पर कार्यकारी सरकार और संविधान की शक्ति के बीच कोई असंगति और अननुरूपता नहीं है तथा मिले-जुले प्रचालन से अनुसूचित क्षेत्रों के अच्छे शासन को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार स्वाभाविक व्यक्तियों, अर्थात् जनजातियों और गैर-जनजातियों के बीच भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध करते हुए तथा अनुसूचित क्षेत्र में किसी अन्य गैर जनजातीय व्यक्ति से खरीदने अथवा उसे हस्तान्तरित करने के लिए भूमि पर उसके अधिकार, स्वामित्व अथवा हित को गैर-जनजातीय लोगों को प्रतिबंधित करते हुए, सरकार के लिए अपनी भूमि किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को हस्तान्तरित करने के सिवाए समान रूप के प्रतियोगी को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, अनुमति नहीं होगी। स्पष्टतः उत्तर यह होना चाहिए कि सरकार के लिए अपनी भूमि गैर जनजातीय लोगों को हस्तान्तरित करना अनुमत्य है। नकारात्मक उत्तरों से, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि को जनजातियों के लिए परिरक्षित रखने के संवैधानिक उद्देश्य विस्तारित होते हैं, जो गैर-जनजातियों का निषेध करता है, अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों के प्रवेश को निषिद्ध करता है तथा गैर-जनजातीय लोगों द्वारा किसी भी रूप में जनजातियों के शोषण को रोकता है। इस उद्देश्यपरक व्याख्या से इस संबंध में जनजातियों के बीच विभाजक न्याय सुनिश्चित होगा तथा संवैधानिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। किसी अन्य व्याख्या से जनजातीय स्वायत्तता, उनकी जनजातीय संस्कृति में फूट के बीज पैदा होंगे तथा समानता, व्यक्ति के सम्मान और हैसियत की समानता के साथ जीवन

बिताने के लिए उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में बाधा पहुँचेगी (पैरा 87)।

5. इसलिए यह स्पष्ट होगा कि अनुच्छेद 298 के अंतर्गत अपनी सम्पत्ति का निपटान करने की राज्य की कार्यपालिका शक्ति, संविधान की एक एकीकृत स्कीम के रूप में पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अध्वधीन है। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि के आबंटन को नियमित करने के लिए, राज्य की विधायी शक्ति भी पाँचवीं अनुसूची के अध्वधीन है। इसलिए स्पष्टतः आन्ध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल ने अब अपनी भूमियों को गैर-जनजातीय व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने के लिए खान अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण रोक लगा दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 298 के अंतर्गत राज्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निपटान की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। जब दो प्रतियोगी सार्वजनिक प्रयोजनों द्वारा प्राथमिकतापूर्ण नीति निर्णय का दावा करने पर राज्य के सामने विकल्प सामान्यतः संवैधानिक लक्ष्य का विस्तार और प्राप्त करना होता है। दूसरे, संवैधानिक प्राथमिकता निजी प्रयोजन को स्थान देती है, यद्यपि यह कार्यपालिका नीति से घिरी होती है। व्याख्या के एक पहलू के रूप में न्यायालय भी, संविधान में निर्धारित लक्ष्यों का विस्तार करने के लिए, उद्देश्यपरक व्याख्या साधन का इस्तेमाल करता है। समान रूप से कार्यपालिका सरकार से उसके नीति विकल्पों में अपेक्षा की जाती है कि वह उन्हें पीछे रखे तथा संवैधानिक नीति, सार्वजनिक नीति द्वारा समर्थित कार्यपालिका निर्णय के अनुसार अपनी भूमि सम्पत्ति का निपटान विनियमित करे तथा साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में महत्वपूर्ण जनजातीय हितों को परिरक्षित रखे। (पैरा 88)
6. “रेडेनडों सिगुंला सिगुंलिस” का मुख्य सूत्र “व्यक्ति” शब्द की व्याख्या करने के लिए लागू होगा ताकि “व्यक्ति” शब्द को सामान्य अर्थ, अपनी व्यापकता के साथ एक नस्ल, अर्थात् प्राकृतिक “व्यक्ति” की विशिष्ट अर्हता द्वारा कम नहीं होगा जबकि यह अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्तियों, न्यायवादी व्यक्तियों और एक प्रजातान्त्रिक पद्धति में शासन की संवैधानिक प्रक्रिया को समाहित करने में समर्थ है। यह मत व्यक्त किया जा चुका है तथा इसे दोहराने की जरूरत नहीं है कि राज्य, सरकार की मंत्रिमंडलीय स्वरूप द्वारा एक स्वीकार्य, सामूहिक आधार है। संविधान, राज्य को अपनी सम्पत्ति प्राप्त करने, उसे घटित और उसका निपटान करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल अपने वैयक्तिक दायित्व के रूप में अनुसूचित क्षेत्र में शान्ति तथा अच्छा शासन बनाए रखने के लिए सशक्त है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची उसे भूमि के विनियमन की धारा 3 के साथ पठित पैरा 5 (2)(ख) द्वारा भूमि के आबंटन को, प्राकृतिक व्यक्तियों के बीच, अर्थात् जनजातियों और गैर जनजातियों के बीच, नियमित करने की शक्ति प्राप्त है; यह अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के हस्तान्तरण को पूर्णतः निषिद्ध करता है। पाँचवीं अनुसूची तथा विनियम का उद्देश्य जनजातीय स्वायत्तता उनकी संस्कृति तथा आर्थिक अधिकारिता को परिरक्षित रखना है जिससे कि अनुसूचित क्षेत्र में शान्ति और अच्छी सरकार बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इसलिए, अनुसूची तथा विनियम में सभी संगत धाराओं को सामन्जस्य पूर्ण तथा विस्तार पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए जिससे कि अनुसूचित क्षेत्रों के एकीकरण को परिरक्षित रखते हुए तथा उसकी एक अभिन्न स्कीम के रूप में विभाजक न्याय सुनिश्चित करते हुए, उपरोक्त संवैधानिक उद्देश्यों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यक्ति की प्रतिष्ठा का विस्तार हो। पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (2) की धारा (क) और (ग), जनजातियों और गैर-जनजातीय लोगों के बीच हस्तान्तरणों को निषिद्ध करती है तथा साहूकारों को जनजातियों का शोषण करने से रोकती है। धारा (ख) का उद्देश्य न केवल जनजातियों के बीच भूमि का आबंटन नियमित करना है, बल्कि यह सरकार से संबंधित भूमि को

गैर-जनजातियों के बीच आबंटन को भी निषिद्ध करता है। इस संबंध में, “विनियम” की व्यापक व्याख्या में “निषेध” शब्द शामिल होगा जिसे उस धारा में पढ़ा जाना चाहिए। यदि इस प्रकार पढ़ा जाए तो इससे अनुसूचित जनजातियों को मात्र अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के आबंटन को विनियमित करने के संवैधानिक उद्देश्यों में रूकावट आती है। धारा 5 (2) (ख) समाजार्थिक अधिकारिता का विभाजक न्याय सुनिश्चित करती है जिसके वास्तविकता में सार्थक परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि इस पृष्ठ भूमि में उद्देश्यपरक निर्माण को अपनाया जाए तो कोई आन्तरिक या बाहरी विरोधाभास पैदा नहीं होगा। “व्यक्ति” शब्द के अर्थ में प्राकृतिक व्यक्ति तथा साथ ही न्याय व्यक्ति और सरकार भी शामिल होगी। इस उदार तथा व्यापक व्याख्या से अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों को सरकारी भूमि का अधिकतम आबंटन होगा जिससे कि जनजातियों के लिए अनुच्छेद 38, 39 और 46 तथा प्रस्तावना में आश्वस्त समाजार्थिक न्याय वास्तविक हो सके। प्रतिबंधित व्याख्या से संविधान का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। “व्यक्ति” शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी कि इसमें राज्य शासन अथवा न्यायिक व्यक्ति, स्वीकार्यता के निगमित आधार को शामिल किया जा सके। गैर-जनजातीय व्यक्तियों को न्यायिक व्यक्तियों द्वारा भूमि का हस्तान्तरण अथवा राज्य द्वारा भूमि आबंटन निषिद्ध होगा, इस प्रकार संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (2) और संकल्प की धारा 3 के उद्देश्य प्राप्त होंगे। यदि “व्यक्ति” शब्द की व्याख्या केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के अर्थ के रूप में की जाएगी तो इसका अर्थ संविधान विनियम का तथा इसकी प्रशाखाओं का उद्देश्य विफल करना होगा। सहायक के रूप में, सक्षम प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्राधिकारी की मंजूरी के बिना जनजातियों को अपनी भूमि का हस्तान्तरण करने की राज्य सरकार की शक्ति की पाँचवीं अनुसूची के अन्तिम मसौदे में छूट द्वारा, लागू की गई व्याख्या द्वारा तथा सांविधान का उद्देश्य आसानी से विफल हो जाएगा। इसलिए हम यह मत अपनाने के इच्छुक हैं कि “व्यक्ति” शब्द में राज्य सरकार शामिल है। राज्य सरकार के लिए, अनुसूचित क्षेत्र में गैर जनजातीय व्यक्ति को, चाहे वह प्राकृतिक न्यायिक व्यक्ति हो, सिवाए अपनी एजेन्सी अथवा सहकारी सोसायटी के, जो मात्र रूप से जनजातियों के सदस्यों की, जैसा कि धारा 3 (1) (क) के द्वितीय भाग में विनिर्दिष्ट है, गठित हो, सरकारी भूमि को पट्टे पर अथवा किसी अन्य रूप में, जो कानून को ज्ञात हो, हस्तान्तरित करना भी निषिद्ध है। कोई और व्याख्या राज्यपाल को पाँचवीं अनुसूची द्वारा एकमात्र रूप से प्रदत्त शक्ति के प्रयोजन को सरलता से निष्फल कर देगी। यदि सरकार का मंत्रिमंडल स्वरूप सरकार की भूमि को गैर-जनजातीय लोगों को हस्तान्तरित करेगा तो शान्ति भंग हो जाएगी, अनुसूचित क्षेत्रों में अच्छा शासन भी गैर-जनजातीय व्यक्तियों के हाथों में चला जाएगा जो जनजातीय लोगों को अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर निकाल फेंकेंगे तथा सुविकसित व आधुनिक गैर-जनजातीय लोग अपना एकाधिकार जमा लेंगे। तथा धीरे-धीरे और परोक्ष रूप से, किन्तु निश्चित रूप से, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि गैर-जनजातीय लोगों के हाथों में पहुँच जाएगी। कानून के अक्षर मात्र आवरण रह जाएंगे तथा शब्दों की हेरा-फेरी से जनजातीय लोगों के लिए न्याय का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा तथा वे समाजार्थिक अधिकारिता और अपनी प्रतिष्ठा से वंचित हो जाएंगे (पैरा 95)।

7. “व्यक्ति” “विनियम” और “वितरण” शब्दों की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिए ताकि जनजातियों के लिए समाजार्थिक न्याय प्राप्त किया जा सके। संविधान की पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (2)(ख) में शब्द “विनियमित करता है” तथा विनियम के शीर्षक से न केवल अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों को भूमि का आबंटन नियंत्रित होगा बल्कि इससे ऐसे क्षेत्रों में निजी अथवा सरकारी भूमि को गैर-जनजातीय लोगों को हस्तान्तरित करना भी निषिद्ध है। यद्यपि बाद वाली धारा (क) का उद्देश्य जनजातियों द्वारा गैर-जनजातीय लोगों को अथवा गैर-जनजातीय लोगों द्वारा

परस्पर हस्तान्तरण को निषिद्ध करना है, तथापि पहली धाराओं में राज्य सरकार अथवा एक न्यायिक व्यक्ति के नाते अनुसूची के पैरा 5 (2) की अभिन्न स्कीम शामिल है। विनियम का यह भी उद्देश्य यह भी प्राप्त करना है कि परिकल्पनात्मक साक्ष्य के साथ यह घोषित किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है तथा किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को किया गया कोई हस्तान्तरण सदा एक जनजातीय व्यक्ति द्वारा किया समझा जाएगा जब तब कि हस्तान्तरण प्राप्तकर्ता नियंत्रण न स्थापित करें। इसके अंतर्गत कानून में ज्ञात किसी भी रूप में भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध है तथा ऐसा हस्तान्तरण अवैध है सिवाय किसी जनजातीय व्यक्ति द्वारा अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार/जनजातीय व्यक्ति के अथवा उनके बीच विभाजन द्वारा। विनियम तथा उसके पूर्ववर्ती कानून द्वारा, जो संबंधित क्षेत्रों में प्रचलन में हैं, जनजातीय व्यक्तियों के शोषण को रोकने की एक पूर्व शर्त के रूप में, पदनामित अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ, किसी जनजातीय व्यक्ति तथा गैर-जनजातीय व्यक्ति के बीच हस्तान्तरण विनियमित होता है। यदि कोई जनजातीय व्यक्ति किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति से भूमि खरीदने का अनिच्छुक है तो राज्य सरकार को विनियमों में यथा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, गैर-जनजातीय व्यक्ति से भूमि खरीदने का हक है तो उसे किसी जनजातीय व्यक्ति या मात्र रूप से जनजातियों की गठित सहकारी समिति को वितरित करने का अधिकार है (पैरा 108)।

8. किसी पूर्ण निषिद्धि के अभाव में, कार्यपालिका के अध्यक्ष के नाते राज्यपाल को निःसन्देह अनुच्छेद 298 द्वारा राज्य की भूमियों का हस्तान्तरण मंजूर करने की शक्ति प्राप्त है। चूंकि जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हित संरक्षित करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है, इसलिए जब राज्य अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि खनिज संसाधनों के दोहन के लिए जनजातियों को पट्टे पर दे, तो वह उन्हें वे संवैधानिक ङ्गुटियां तथा दायित्व भी सौंपती है जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं वे जनजातीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारिता में भी सुधार करेंगे। परियोजना के प्रशासन के एक भाग के रूप में लाइसेंसधारी अथवा पट्टे धारी को निम्नलिखित के संबंध में खर्च वहन करना चाहिए :-

- (क) अनुसूचित क्षेत्रों में पुनः वनरोपण तथा पारिस्थितिकी का अनुक्षण;
- (ख) अनुसूचित क्षेत्रों में सड़कों तथा संचार सुविधाओं का अनुक्षण, जहाँ उद्योग के प्रचालन का प्रभाव हो;
- (ग) जनजातीय लोगों के लिए पेय जल की आपूर्ति;
- (घ) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों की स्थापना तथा जनजातियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे कि वे रोजगार तलाशने में योग्य, सक्षम और आश्वस्त हो सकें;
- (ङ.) अपनी स्थापनाओं/फैक्टरी में जनजातीय लोगों की योग्यताओं के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान करना;
- (च) अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता तथा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों और शिविरों की स्थापना;
- (छ) स्वच्छता बनाए रखना, और

(ज) बाड़ों के रूप में अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के लिए मकानों का निर्माण । उपरोक्त परियोजनाओं के लिए खर्च उनके उद्योग/संस्थापनों/व्यवसाय/उद्यम के वार्षिक बजट का एक हिस्सा होना चाहिए (पैरा 113)

10. इस संबंध के निवल लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत भाग, जन संसाधनों, स्कूलों, अस्पतालों, स्वच्छता तथा परिवहन सुविधाओं की स्थापना और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, सड़कों आदि का निर्माण करके, औद्योगिक/व्यवसाय कार्यकलाप के एक भाग के रूप में एक स्थाई निधि के रूप में अलग रखा जाना चाहिए । इस 20 प्रतिशत आबंटन में, पुनः वनरोपण और पारिस्थितिकी के रख-रखाव के लिए व्यय सम्मिलित नहीं होगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आय कर देनदारी से उक्त राशि के संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए, तथा केन्द्र को ऐसी छूट की मंजूरी सुनिश्चित करनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि ये कार्यकलाप शुरू, संचालित तथा व्यवस्थित ढंग से और सतत रूप से चलाए जाएं । उपरोक्त दायित्व तथा कर्तव्य प्रत्येक संबंधित व्यक्ति/उद्योग/लाइसेंसधारी/पट्टेधारी द्वारा पूरे किए जाने चाहिए ताकि जनजातीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और मानव संसाधनों की अधिकारिता के संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें तथा अनुसूचित क्षेत्रों में शान्ति तथा अच्छा शासन कायम किया जा सके । हमने अन्य अधिनियमों की विस्तारपूर्वक जाँच नहीं की है किन्तु जब भी ऐसी आवश्यकता होगी उनकी उनमें तथा कानून में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए जाँच की जा सकती है । (पैरा 114)
11. फिर प्रश्न यह है क्या सरकार से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि को खनन पट्टे पर मंजूर करना विनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर है ? ऊपर की गई चर्चा तथा इस निष्कर्ष को देखते हुए कि “व्यक्ति” शब्द में राज्य सरकार सम्मिलित होगी, तब आवश्यक उप परिणाम यह होगा कि अनुसूचित क्षेत्र में, गैर-जनजातियों के पक्ष में खनन प्रयोजन हेतु, पट्टे के जरिए भूमि का हस्तान्तरण विनियम की धारा 3 के साथ गठित पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5 (2) (ख) द्वारा निषिद्ध है। यह रिकार्ड पर है कि गैर-जनजातीय व्यक्तियों ने खनन पट्टे में अपने पट्टे धारित हित को कुछ प्रतिवादी कम्पनियों के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया है । सरकार के लिए खनन पट्टों को उसकी अपनी एजेन्सी को छोड़कर निगम आदि को हस्तान्तरित करने का निषेध है (पैरा 115) ।
12. पट्टे के साथ भूमि में हित अथवा पट्टे की अवधि के दौरान ऐसी सम्पत्ति का आनंद लेने के अधिकार का भी हस्तान्तरण होता है, इसलिए इसका हस्तान्तरण निषिद्ध है (पैरा 116) ।
13. उन मामलों में जहाँ अन्य राज्यों में ऐसे ही अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में भूमियों के खनन पट्टे मंजूर करने को निषिद्ध नहीं करते, सचिवों की ऐसी ही समितियाँ और राज्य मंत्रिमंडल उप समितियाँ गठित की जानी चाहिए और उसके बाद निर्णय लिया जाए (पैरा 129) ।
14. पट्टे मंजूर करने से पहले, राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जो इस प्रयोजन के लिए एक उप-समिति गठित करेगी जिसमें भारत के प्रधान मंत्री केन्द्रीय कल्याण मंत्री, तथा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री शामिल होंगे जिससे कि राज्य की नीति पूरे राष्ट्र की नीति के अनुरूप हो सके (पैरा 130)।
15. यह उपयुक्त विधान के लिए भी खुला होगा, सम्भवतः सभी मुख्य मंत्रियों, संबंधित मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, और प्रधान मंत्री तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों के एक सम्मेलन/गहन बहस के बाद नीतिगत निर्णय लेना जिससे कि ऊपर निर्धारित मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त

अधिनियमन प्रस्तुत किया जा सके ताकि पूरे देश में जनजातीय भूमियों के संबंध में, जिनके अधीन खनिजों के रूप में राष्ट्रीय सम्पदा मौजूद है, एक संगत स्कीम तैयार हो सके (पैरा 131)।

16. इसलिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी संबंधित उद्योगपति, चाहे वे प्राकृतिक अथवा न्यायिक व्यक्ति हों, अनुसूचित क्षेत्र में तुरन्त खनन प्रचालन रोक दें, सिवाय उन मामलों के जहाँ पट्टा राज्य उपक्रम को मंजूर किया गया है, अर्थात् ए.पी.एस. एम.डी. निगम; उन्हें इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट इस निर्णय की प्राप्ति के छः महीने के अन्दर इस न्यायालय की रजिस्ट्री को भेजनी चाहिए। खनन पट्टों के पट्टेधारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नई खानें शुरू न करें; तथापि इसी बीच, वे पहले निकाले गए तथा आरक्षित वन क्षेत्र में भण्डारित खनिजों को आज से चार महीने के अन्दर हटाने के हकदार हैं। सभी संबंधित प्राधिकारियों को इनका पालन करने का निर्देश दिया जाता है। खनन प्रचालन में लगे राज्य उपक्रम भी एफ.सी. अधिनियम तथा ई.पी. अधिनियम के अंतर्गत विनियमों के आधीन होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों के अन्दर खनन प्रचालन के लिए, एफ.सी. अधिनियम तथा ई.पी. अधिनियम के अनुपालन की शर्त पर, मात्र अनुसूचित जनजातियों की गठित सहकारी समितियां आयोजित करने की राज्य सरकार को छूट होगी।

नोट :- (1) 'समथा' मूल निर्णय अंग्रेजी में है, हिन्दी त्रुटि के लिए प्रकाशक/अन्य कोई जिम्मेवार नहीं है।

- (2) विभिन्न शब्दों को अंग्रेजी के शब्दों में लिखा है। अनुरोध है कि उनका हिन्दी रूपान्तर अर्थ लिखें तो बेहतर होगा। जैसे एल.ए.एम.पी.एस., आर.टी.ए.डी.एफ., एम.एफ.पी., आई.सी.ए.आर., आई.सी.एफ.आर.ई., आदि शब्द।

अनुबन्ध- 6.IV

अ0शा0पत्र सं0 17(3)/2000-ई.एस.डी.डब्ल्यू. II

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग

पाँचवाँ तल, लोक न्याय भवन

नई दिल्ली-110003

फोन न.4632298/4620435 (कार्यालय)

3715460 (रिहायश)

दिनांक: 2 फरवरी, 2001

दिलीप सिंह भूरिया

अध्यक्ष

प्रिय श्री,

जैसा कि आपको ज्ञात है संविधान की पाँचवी अनुसूची के पैरा 5.2 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अचल सम्पत्तियाँ जनजातीय व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करना निषिद्ध है। अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमियों में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा खनन पट्टे मंजूर करने के विरुद्ध “समथा” (एक स्वैच्छिक संगठन) द्वारा दर्ज सिविल अपील सं. 4601-4602/96 में, उच्चतम न्यायालय द्वारा 11.7.1997 को दिए गए न्यायनिर्णय में यह मत व्यक्त किया गया है कि ऐसे सभी खनन पट्टे अथवा उनके नवीकरण, पाँचवी अनुसूची क्षेत्रों का उल्लंघन है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले अन्य राज्यों के बारे में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। “समथा” न्यायनिर्णय के संगत उद्धरण की एक प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 1.5.2000 के पत्र में “समथा” न्यायनिर्णय का सार सम्प्रेषित करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी मुख्य सचिवों से, अपने-अपने राज्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कठोरतापूर्वक पालन करने का अनुरोध किया था।

हाल ही में उड़ीसा के मेरे दौरे के दौरान यह देखा गया कि एक एल्युमिनियम संयंत्र के लिए रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लॉक में भू-अधिग्रहण और खनन पट्टे के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से जनजातीय विरोधियों के विरुद्ध पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 3 जनजातीय व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

हमने मामला खान मंत्रालय के साथ भी उठाया था और सूचित किया गया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित क्षेत्रों में भी खनन पट्टे मंजूर करती हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे “समथा” न्यायनिर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। श्री सुन्दर लाल पटवा, खान मंत्री से प्राप्त पत्र की एक प्रतिलिपि आपकी जानकारी के लिए नत्थी है।

मैं आभारी हूँगा, यदि आप कृपया अनुसूचित क्षेत्रों में खनन पट्टों की मंजूरी पर विचार करते समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें।

सादर

आपका,

ह0/-

(दिलीप सिंह भूरिया)

संलग्नक : यशोवत

श्री.....

मुख्य मंत्री

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और राजस्थान।

सुन्दर लाल पटवा

खान मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
अ0शा0पत्र सं0 16(48)/97-एम.VI भाग
दिनांक : 17 जनवरी, 2001

प्रिय श्री भूरिया जी,

कृपया दिनांक 22 दिसम्बर, 2000 के अपने अ0शा0पत्र सं0 6/5/2000/ईएसडीडब्ल्यू-II का अवलोकन करें जिसके द्वारा समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य (सी.ए.सं0 4601-02/96) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु की गई और प्रस्तावित कार्रवाई से अवगत करवाने की इच्छा व्यक्त की गई है।

2. आप शायद जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार, आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-जनजातीय और गैर-सार्वजनिक क्षेत्रक पट्टेधारियों द्वारा धारित खनन पट्टे वैध हैं और राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में नई खनिज रियायतें नहीं दी जा रही हैं। खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 10(3) के अनुसार, राज्य सरकारें संविधान की पांचवीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में खनन पट्टे देती हैं और यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें समथा निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करेंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 1 मई, 2000 के अपने पत्र (प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न) के तहत राज्य सरकारों को समथा निर्णय का अनुपालन करने की पहले से ही सलाह दे दी है और इसलिए केंद्रीय खान मंत्रालय के भाग पर कोई आगे की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

सादर,

आपका,

(सुन्दर लाल पटवा)

श्री दिलीप सिंह भूरिया

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग,

पांचवां तल, लोकनायक भवन,

नई दिल्ली

संलग्न : यथोक्त

अनुबन्ध- 6.IV(जारी)

श्री भूरे लाल
सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

अ0शा0पत्र सं0 11014/2/2000-टीडीबी

दिनांक : 1 मई, 2000

प्रिय श्री खन्ना,

जैसा कि आप जानते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी भूमि में खनन पट्टा देने के विरुद्ध “समथा” (एक स्वैच्छिक संगठन) द्वारा दायर की गई सिविल अपील संख्या 4601-4602/96 में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने संविधान की पांचवीं अनुसूची की व्याख्या करते हुए दिनांक 11.7.1997 को एक निर्णय दिया है, जिसका देश के अनुसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक और खनन गतिविधि पर दूरगामी प्रभाव हो सकता है। निर्णय के संगत उद्धरण निम्न प्रकार से हैं :-

- (i) कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5.2 में, एक अनुसूचित क्षेत्र में किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अचल सम्पत्ति का स्थानान्तरण करने पर पूर्ण रोक लगाने का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन है।
- (ii) संविधान की अनुसूची V के साथ पठित अनुच्छेद 244(1) को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तान्तरण विनियम की धारा 3(1) में आ रही अभिव्यक्ति “व्यक्ति” की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए और कि अभिव्यक्ति “व्यक्ति” सरकार पर भी लागू होता है और इसलिए सरकार, अपनी भूमि (सरकारी भूमि) को गैर-जनजाति के व्यक्तियों को स्थानान्तरण करने की अनुमति देने के योग्य नहीं होगी।
- (iii) उक्त कारण से, न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि राज्य जनजातीय अभिकरणों अथवा समग्र रूपेण जनजातीय सहकारी समितियों को छोड़कर सरकार जनजातीय क्षेत्रों में खनन पट्टे नहीं दे सकती है।
- (iv) न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी उद्योगकर्ताओं को, चाहे वे स्वभाविक हो अथवा न्यायिक व्यक्ति हो, उन अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम जैसे राज्य उपक्रम को पट्टा मंजूर किया गया है, उनमें आगे से कार्य रोक देना चाहिए तथा उन्हें इस निर्णय की प्राप्ति के छः माह के भीतर उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार को आदेश की अनुपालन रिपोर्ट देनी चाहिए।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने आगे यह उल्लेख किया है कि :

“उन मामलों में जहां अन्य राज्यों में इस प्रकार के अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में भूमि को खनन पट्टे पर देने की मंजूरी पर पूर्णतः रोक नहीं लगाते हैं, वहां सचिवों की समिति और राज्य मन्त्रिमण्डलीय उप समितियां गठित की जानी चाहिए व उसके बाद निर्णय लेने चाहिए ।

पट्टा मंजूर करने से पूर्व राज्य सरकार को केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य होगा, जो इस प्रयोजनार्थ भारत के प्रधान मंत्री, केंद्रीय कल्याण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन करेगी, ताकि राज्य सरकार की नीति पूरे राष्ट्र की नीति के अनुरूप हो।

उपयुक्त राज्य विधान मंडल इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे अधिमानतः सभी मुख्य मंत्रियों, संबंधित मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों और प्रधान मंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा/सम्मेलन आयोजित करने के बाद एक नीति निर्णय लें, जिससे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपर्युक्त मार्ग-निर्देशों के अनुसार, एक उपयुक्त अधिनियम प्रस्तुत किया जा सके, ताकि जनजातीय भूमि के संबंध में, जिसके अधीन खनिजों के रूप में राष्ट्रीय सम्पदा दबी पड़ी है, देश भर में एक सुसंगत स्कीम सुनिश्चित की जा सके ।”

3. मैं आपका आभारी हूंगा यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

सादर,

आपका,

(भूरे लाल)

श्री इन्द्रजीत खन्ना
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

रूसी क्रान्ति के जनक, लेनिन, ने कहा था कि “बच्चों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को सुन कर मैं उस राष्ट्र का भविष्य बता सकता हूँ।” राष्ट्रों के इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि राष्ट्रों के भाग्य का निर्माण इस बात से होता है कि वहाँ के लोगों ने शिक्षा और कला-कौशल के मामले में कितनी उन्नति की है। हाल के समय में जापान और जर्मनी जैसे देशों तथा चीन के जनवादी गणराज्य के विकास का मूल कारण यह है कि वहाँ लोगों के शैक्षणिक विकास की ओर सुनियोजित तरीके से ध्यान दिया गया है। भारत में, स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मैकाले द्वारा निर्मित शिक्षा के औपनिवेशिक ढांचे की अत्यन्त विचारोत्तेजक विवेचना की गई थी। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के जीवन दर्शन, डा० जाकिर हुसैन की नई तालीम, श्री अरविन्दो के प्रयोगों और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कार्य-प्रणाली, इन सबमें शिक्षा की औपनिवेशिक पद्धति की सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया गया था। दुर्भाग्यवश, शिक्षा प्रणाली की इनमें से कुछ राष्ट्रीय विचार धाराएं स्वतंत्र भारत में शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाईं। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का कभी यह उद्देश्य नहीं रहा कि वह एक जन शिक्षा प्रणाली का रूप धारण करे, क्योंकि उसका सीमित उद्देश्य यूरोपीय किस्म के कुछ भारतीय तैयार करना था, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों में काम करके ब्रिटिश साम्राज्य का संचालन करने का आधार बन सकें। शिक्षा की यह संकुचित धारणा-अर्थात् वेतन वाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक साधन - आज भी हमारी शैक्षणिक उन्नति के लिए अभिशाप बनी हुई है। भारत जैसे देश में, कौशल अथवा हुनर का विकास और श्रम की गरिमा पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। हमारी भारी जनसंख्या तभी एक परिसम्पत्ति बन सकती है, यदि हमारे स्कूल जिज्ञासा की भावना और हाथों से काम करने की इच्छा उत्पन्न करें। आज की अत्युन्नत और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए ऐसे कारीगरों अथवा कर्मकारों की आवश्यकता है, जो उच्चस्तरीय मानदंडों के अनुसार काम कर सकते हों। भारत में प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, हाथ से काम करने और प्रयोग करके और प्रकृति के साथ जुड़ कर सीखने की आवश्यकता है। एक झाड़ूकश की लड़की के लिए झाड़ू देने की प्रथा की गुलामी से मुक्ति पाने का एकमेव तरीका स्कूल में भर्ती होना है।

7.2 भारत के संविधान में दिए गए शैक्षणिक सुरक्षण

7.2.1 हमारे संविधान के निर्माताओं को इस बात की पूरी-पूरी जानकारी थी कि राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह सभी के लिए, और विशेष रूप से जनता के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दे। अतः संविधान में समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिए अनुच्छेद 15(4), 29(1), 46, 350 के अंतर्गत अनेक सुरक्षणों की व्यवस्था की गई है। (ब्योरा अध्याय-2 में देखें)

7.2.2 प्रारम्भिक शिक्षा को भारत में सभी नागरिकों का मूलभूत अधिकार माना गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन के मामले (1993) में अपने निर्णय में यह विचार व्यक्त किया था कि सभी नागरिकों को 14 वर्ष तक शिक्षा पाने का मूलभूत अधिकार है। भारत सरकार ने 1997 में

संसद में 83 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाना था।

7.3 अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक रूपरेखा

7.3.1 अनुबन्ध-7.1 में 1991 की जनगणना के अनुसार गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की तुलना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की साक्षरता-दरों का लिंग- वार तुलनात्मक विवरण दिया गया है। आयोग की पिछली रिपोर्टों में 1961 से लेकर साक्षरता में वृद्धि की दशकीय दर का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। पिछले पांच दशकों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सहित सभी समुदायों की साक्षरता की दर के वक्र में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लोगों की तुलना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों की साक्षरता में वृद्धि की दर कम रही है। राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता के हाल के अनुमानों से पता चलता है कि 1991 में साक्षरता की दर 52 प्रतिशत थी, जो बढ़ कर 1997 में 62 प्रतिशत हो गई, अर्थात् इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में, 1990 के दशक के शुरू के भाग में औपचारिक प्राथमिक शिक्षा में बड़े पैमाने पर जो विस्तार हुआ था उसका और डी.पी.ई.पी. (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम) जैसी प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनाओं की अभिनव कार्यनीतियों से काफी अधिक योगदान प्राप्त हुआ है। फिर भी, विभिन्न राज्यों के बीच और राज्यों के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों के बीच शिक्षा के मामले में काफी अन्तर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के 1998 के सर्वेक्षण के परिणामों से भी साक्षरता की प्रतिशतता में इतनी की वृद्धि होने का पता चलता है। एन.एस.एस.ओ. के 1998 के सर्वेक्षण के अनुसार, साक्षरता की प्रतिशतता के 64 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि 1991 और 1998 के बीच 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 और 1997 के बीच की अवधि में महिला साक्षरता में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह 39 प्रतिशत से बढ़ कर 50 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2001 की जनगणना से उपलब्ध होने वाले संकेतों के अनुसार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों के बीच का अन्तर कम होता जा रहा है और कुछ पाकेटों को छोड़ कर महिला साक्षरता के मामले में भी उत्साहवर्धक प्रवृत्तियाँ दिखाई दी हैं।

7.3.2 अनुबन्ध-7.11 1980-81 में और पांच-पांच वर्षों के अन्तराल पर 1999-2000 तक प्राथमिक, मिडिल/ हाई/ मैट्रिकोत्तर और उच्चतर माध्यमिक स्टेज पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन का ब्योरा दिया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है, लगभग सभी स्तरों पर कुल नामांकन की तुलना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक उत्साहवर्धक बात यह है कि 1999-2000 में प्राथमिक शिक्षा की स्टेज पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का 92 प्रतिशत नामांकन हुआ था। जैसा कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की वर्ष 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, 'भारत में निस्संदेह रूप से प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। देश में स्कूलों की संख्या जो 1950-51 में 2,31,000 थी, बढ़ कर 1998-99 में 9,30,000 अर्थात् चार गुना हो गई है, जबकि प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन छ : गुना हो गया है अर्थात् 1.92 करोड़ से बढ़ कर 11.0 करोड़ हो गया है। उच्च प्राथमिक (अपर प्राइमरी) स्टेज पर

इस अवधि में नामांकन में 13 गुना वृद्धि हुई है, जबकि कन्याओं के नामांकन में रिकार्ड 32 गुना की वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्टेज पर सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर) 100 प्रतिशत से बढ़ गया है। स्कूलों तक पहुंच अब कोई बड़ी समस्या नहीं रही है। प्राथमिक स्टेज पर, ग्रामीण जनता के 94 प्रतिशत भाग को एक किलोमीटर के फासले के अंदर स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध हैं और अपर प्राथमिक स्टेज पर 84 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को 3 किलोमीटर के फासले के अंदर स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी श्रेणियों का सकल नामांकन अनुपात, जो 1980-81 में 83.1 प्रतिशत था, बढ़ कर 1995-96 में 104.3 प्रतिशत हो गया था, अर्थात् 15 वर्ष की अवधि में प्राथमिक स्टेज पर 21.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुसूचित जातियों का तुलनात्मक सकल नामांकन अनुपात 1980-81 में 82.2 प्रतिशत और 1995-96 में 111.9 प्रतिशत है, जो 29.7 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है ; और इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों से संबंधित यह अनुपात 1980-81 के 70 प्रतिशत से बढ़ कर 1995-96 में 113 प्रतिशत हो गया, अर्थात् 43 की प्रतिशत वृद्धि हुई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सकल नामांकन अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह सामान्य श्रेणियों के सकल नामांकन अनुपात से भी बढ़ गया है। सभी समुदायों का सकल नामांकन अनुपात, जो 1980-81 में 40 प्रतिशत था, बढ़ कर 1995-96 में 67.6 प्रतिशत हो गया, अर्थात् मिडिल स्टेज पर 27.6 प्रतिशत की निरपेक्ष वृद्धि हुई, जबकि अनुसूचित जातियों का नामांकन अनुपात, जो 1980-81 में 29.1 प्रतिशत था, बढ़ कर 1995-96 में 61.3 प्रतिशत हो गया अर्थात् 32.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और अनुसूचित जनजातियों का यह अनुपात, जो 1980-81 में 19.5 प्रतिशत था, बढ़ कर 1995-96 में 50 प्रतिशत हो गया अर्थात् 30.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 15 वर्षों की इस अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सकल नामांकन अनुपात में हुई वृद्धि की दर सामान्य जनता के मामले में हुई वृद्धि की दर से अधिक हैं।

7.3.3 लेकिन, चिंता की बात यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की दर बहुत ऊंची है। **अनुबन्ध 7.III** क और ख में विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की राज्यवार दरें दी गई हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, सभी तीनों स्टेजों, अर्थात् प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्टेजों पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की दरें काफी ऊंची हैं। लेकिन वर्ष 1999-2000 के लिए कक्षा I से V तक के मामले में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की दर (अनन्तिम) के अनुसार, जो **अनुबन्ध 7.IV** में दी गई है, स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। मिडिल और हाई स्कूलों के स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता को देखते हुए, यह महसूस किया जाता है कि दसवीं योजना की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी प्राथमिक स्टेज पर अथवा उसके बाद की कक्षाओं में प्रवेश लें, वे पढ़ाई करना जारी रखें। दोपहर के भोजन की स्कीम को सुदृढ़ बना कर, अधिक रिहायशी स्कूल खोल कर, शिक्षण के तरीकों, आदि में सुधार करके, इस क्षेत्र में सरकारी प्रयासों को जोरदार बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन में और उन्हें स्कूलों में बनाए रखने में और सुधार हो सके।

7.3.4 एक अन्य गौरतलब तथ्य यह है कि स्कूलों की संख्या में वृद्धि होने का अर्थ अनिवार्य रूप से अधिक साक्षरता होना नहीं है। आयोग के भुवनेश्वर स्थित कार्यालय ने अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता की निम्न दर की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो कोरापुट में 2.14,

मलकानगिर में 2.32, नवरंगपुर में 1.80, रायगडा में 3.40 और भद्रक में 4.91 है, हालांकि उड़ीसा में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है, जैसा कि नीचे की सारणी से देखा जा सकता है :

सूचक	उड़ीसा	भारत	कुछ प्रगतिशील राज्य	
	प्रति लाख लोगों के लिए स्कूलों की संख्या (1997-98)			
(i) प्राथमिक स्कूल	120	64	मध्य प्रदेश	107
			पंजाब	57
			राजस्थान	68
			आन्ध्र प्रदेश	67
			उत्तर प्रदेश	59
(ii) मिडिल स्कूल	34	19	गुजरात	42
			कर्नाटक	38
			महाराष्ट्र	25
			राजस्थान	26
			उत्तर प्रदेश	13
(iii) हाई स्कूल	19	11	महाराष्ट्र	16
			हरियाणा	18
			कर्नाटक	16

7.4 उच्च शिक्षा

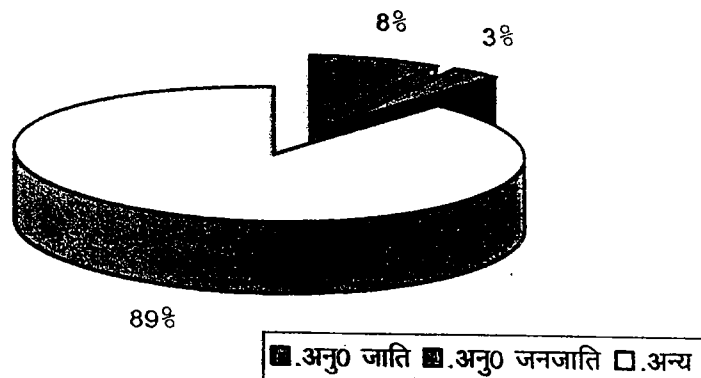
7.4.1 अनुबन्ध-7.v में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों की संख्या दी गई है जो स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। नीचे दिए गए विवरण से एक नजर में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले और अनुसंधान कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता का, इन पाठ्यक्रमों में दाखिल कुल विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पता लगता है :

पाठ्यक्रम	कुल विद्यार्थी*	अनु० जाति **	अनु० जनजाति**
स्नातक	6809100	570130 (8.37 %)	203404 (3%)
स्नातकोत्तर	758000	60661(8%)	16276(2.14%)
शोध कार्य, पी.एच.डी/डी.फिल/ डीएस.सी	68369	1898 (2.77%)	720 (1%)
जोड़	7733612	632689(8.18%)	220400(2.9%)

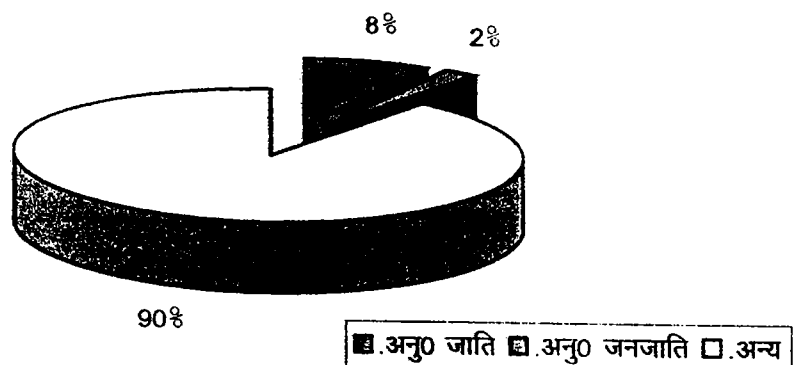
टिप्पणी: * विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 1999-2000 की रिपोर्ट।

** सिलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, 1998-99/मानव संसाधन मंत्रालय।

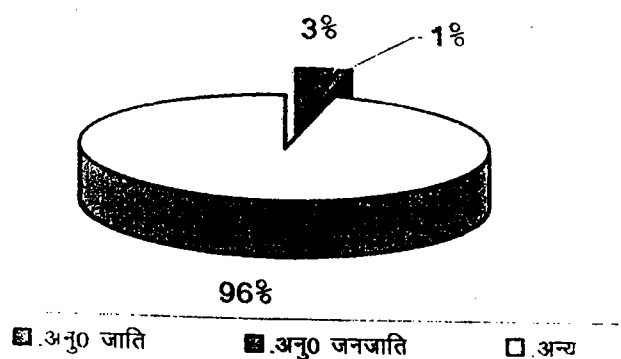
स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता



स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता



अनुसंधान कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिशतता



7.4.2 जैसा कि देखा जा सकता है, इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की प्रतिशतता बहुत असंतोषजनक है। इसके बाद के पैराग्राफों में

उन विशेष प्रयासों की जानकारी दी गई है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किए जा रहे हैं।

7.5 शिक्षा पर व्यय

7.5.1 उन 86 देशों में, जिनके बारे में संगत आंकड़े उपलब्ध हैं, शिक्षा पर होने वाले सरकारी व्यय की तुलना करने से पता चलता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी) के अनुपात के रूप में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय की दृष्टि से भारत का स्थान 32वां है (यू.एन.डी.पी. 1999)। इस समय भारत शिक्षा पर अपने जी.एन.पी का 3.6 प्रतिशत व्यय करता है, जो बहुत से उन्नत और विकासशील देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका (5.5 प्रतिशत), मलेशिया (5.3 प्रतिशत), मेक्सिको (5.8 प्रतिशत) और थाईलैंड (4.2 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है। लेकिन चीन में जी.एन.पी. के अनुपात के रूप में शिक्षा पर होने वाला व्यय केवल 2.6 प्रतिशत है। लेकिन चीन का मामला अलग सा है, क्योंकि वहां स्थानीय स्वायत्तशासी सरकारें कराधान के विभिन्न तरीकों द्वारा शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाती हैं। किसानों, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यापारियों, आदि पर कर लगाए जाते हैं और उनसे प्राप्त राशि का उपयोग शिक्षा के वित्त पोषण के लिए किया जाता है।

7.5.2 भारत में, 1976 से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कुल व्यय में केन्द्र के हिस्से का अनुपात अपेक्षाकृत कम है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र के हिस्से में बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरणार्थ, केन्द्र का हिस्सा जो 1980-81 में कुल व्यय का 6.8 प्रतिशत था, बढ़ कर 1995-96 में 11.1 प्रतिशत हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि 1986 से पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के लिए अधिक परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। राज्य शिक्षा पर होने वाले कुल सरकारी व्यय के लगभग 90 प्रतिशत का वित्तपोषण करते हैं।

7.5.3 कुल मिला कर, शिक्षा पर होने वाले व्यय में वृद्धि की वार्षिक दर 1980-81 और 1990-91 के बीच की अवधि में 10.2 प्रतिशत रही है। इस अवधि के बाद, इसमें गिरावट आती रही है और 1990-91 और 1995-96 के बीच की अवधि में यह दर 3.4 प्रतिशत थी। शिक्षा के सभी स्तरों के लिए यह प्रवृत्ति न्यूनाधिक रूप में एक जैसी थी। अधिकतर राज्यों में शिक्षा के कुल बजट में प्रारम्भिक शिक्षा के सापेक्ष हिस्से में पिछले कुछ समय में गिरावट आई है।

7.5.4 भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का छः प्रतिशत भाग शिक्षा के लिए आबंटित करने की वचनबद्धता के बावजूद, 1990 के दशक के दौरान पहले की प्रवृत्ति विपरीत हो गई और शिक्षा का हिस्सा, जो 1990-91 में 4.1 प्रतिशत था, कम हो कर 1997-98 में 3.6 प्रतिशत रह गया। अधिकतर राज्य सरकारों के बजटों में शिक्षा के हिस्से में काफी अधिक गिरावट आई और यह गिरावट आर्थिक सुधारों और संरचनात्मक समायोजनों की नीतियों की पृष्ठभूमि में विशेष रूप से उभर कर सामने आई है। एस.सी.पी./टी.एस.पी. कार्य-नीतियों के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवश्यकताओं पर आधारित स्कीमें तैयार करने के मामले में भी केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल का अभाव है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्कीम है। इसी प्रकार की स्कीमों का वित्तपोषण सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की कोचिंग स्कीमों और अन्य संबंधित स्कीमों के अंतर्गत किया जा रहा है। यद्यपि इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि सभी क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक/ आर्थिक विकास के लिए योगदान किया जाना जरूरी है, फिर भी विभिन्न अभिकरणों के बीच उपयुक्त तालमेल होना अति आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके परिणामस्वरूप केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सुविधाएं संकेन्द्रित न हो जाएं और उसके फलस्वरूप असन्तुलन उत्पन्न न हो।

7.5.5 हालांकि शिक्षा के विकास की स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, लेकिन इन स्कीमों के तहत जारी किए गए मार्गनिर्देशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आबंटनों के विशिष्ट बंटवारे का उपबंध नहीं होता, और शहरी क्षेत्रों को आबंटनों में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में हिस्सा प्राप्त हो जाता है। इसलिए, पिछड़े जिलों के मामले की तरह आबंटनों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हिस्सा निर्धारित करना वांछनीय होगा।

7.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा-प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की वर्ष 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विशेष प्रोत्साहन

7.6.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता तथा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों की मौजूदा स्कीमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित विशेष उपबन्ध शामिल किए गए हैं :

- प्राथमिक स्कूल खोलने के मानदंडों में ढील देना ;
- 300 की जनसंख्या वाली आबादियों के स्थान पर 200 की जनसंख्या वाली आबादियों से एक किलोमीटर के पैदल फासले के अंदर एक प्राथमिक स्कूल ;
- सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में कम-से-कम अपर प्राथमिक स्तर तक ट्यूशन फीस (शिक्षा शुल्क) की समाप्ति। अधिकांश राज्यों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर तक ट्यूशन फीस समाप्त कर दी है ;
- इन विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, वर्दियों, लेखन-सामग्री, स्कूल बैगों, आदि जैसे प्रोत्साहन ;
- प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.), लोक जुम्बिश (एल.जे.), शिक्षा कर्मी (एस.के.), अनौपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.) और प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है ;
- केंद्रीय सरकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में, जिनमें आई.आई.टी., आई.आई.एम, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, आदि शामिल हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का कड़ाई से पालन। विश्वविद्यालयों, कालेजों और संस्थाओं में, आरक्षण के अलावा, दाखिले के लिए न्यूनतम अर्हक कट-आफ

प्रतिशत अंकों में ढील देने की व्यवस्था भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण की नीति का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित 103 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष स्थापित किए हैं। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थाई समिति का गठन भी किया है ;

- विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की भाषाई प्रवीणता और शैक्षिक कौशलों में सुधार करने और उनके बोध के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक और विशेष कोचिंग की व्यवस्था की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी) में एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को, जो प्रवेश-परीक्षा में सीमान्तिक रूप से यानी थोड़े से अंकों से फेल हो जाते हैं, एक वर्ष के तैयारी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण प्रदान किया जाता है ;
- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली 43,000 छात्रवृत्तियों में 13,000 छात्रवृत्तियां अनन्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम (नेशनल टेलेंट सर्च स्कीम) के अंतर्गत 70 छात्रवृत्तियां केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं ;
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जे.आर.एफ) की परीक्षा के लिए कट-आफ अंकों में 10 प्रतिशत तक की ढील दी जाती है और जे.आर.एफ के अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को फेलोशिप प्रदान की जाती है ;
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी) देते हैं और प्राध्यापक (लेक्चरर) के पद के लिए पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, हर वर्ष विज्ञान और विज्ञानेतर विषयों में, जिनमें समाज विज्ञान भी शामिल हैं, पचास जूनियर फेलोशिप प्रदान की जाती हैं ;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर (मास्टर) स्तर पर 5 प्रतिशत अंकों की - 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत - ढील देता है। आयोग ने एन.ई.टी. परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर पर घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया है।
- केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के विकास की एक स्कीम है। संस्थान ने 75 से अधिक जनजातीय और समावर्ती भाषाओं पर काम किया है।
- कम महिला साक्षरता वाले ऐसे एक सौ छियालीस जिलों का पता लगाया गया है, जिनमें कम महिला साक्षरता और जनजात क्षेत्रों राज्य स्तर पर/राज्य स्तर पर के कार्यान्वयन के

जहां केन्द्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है ; और

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी) और जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के अंतर्गत क्रमशः 889.98 करोड़ रुपए और 436.54 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। यह कुल परिव्यय के क्रमशः 16.33 प्रतिशत और 8.01 प्रतिशत भाग के बराबर है।

7.6.2 इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष रियायतें दे रहा है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

- क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की नीति का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, आयोग विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है। इस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों में 103 कक्ष काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों को 65.71 लाख रुपए का अनुदान रिलीज किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय और समझे जाने वाले (डीम्ड) विश्वविद्यालयों में आरक्षण संबंधी नीति के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए, आयोग ने एक विशेष मानीटरिंग समिति गठित की है, जिसे अनुरक्षण अनुदान प्राप्त हो रहा है।
- ख) विभिन्न विषयों में निपुणता और भाषाई प्रवीणता में वृद्धि करने के लिए उपचारात्मक कोचिंग की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। नवीन योजना के संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार, वर्ष 1999-2000 में उपचारात्मक शिक्षण (रिमेडियल कोचिंग) प्रदान करने के लिए 77 नई संस्थाओं को चुना गया था। 31-03-2000 की स्थिति के अनुसार, यह स्कीम 26 विश्वविद्यालयों और 449 कालेजों में चल रही थी। इन संस्थाओं को 268.04 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थाई समिति इन विश्वविद्यालय और कालेजों द्वारा किए गए कार्य को मानीटर करती है और उसकी समीक्षा करती है।

7.6.3 विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्राध्यापकों के रूप में भर्ती किए जाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अर्हता प्राप्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने के लिए, आयोग ने कोचिंग की कक्षाएं चलाने की एक स्कीम तैयार की है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) के लिए तैयार किया जा सके।

7.7 विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की मुख्य-मुख्य बातें

7.7.1 ऐसे कुछ विशेष कार्यक्रमों/प्रयासों के बारे में नीचे चर्चा की गई है, जिनका अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने पर विशेष प्रभाव पड़ता है:

7.7.2 भारत में प्रारम्भिक शिक्षा

7.7.2.1 सर्व शिक्षा अभियान (नेशनल प्रोग्राम फार यूनीवर्सलाइजेशन आफ ऐलीमेंटरी एजुकेशन) सम्पूर्णतावादी और समन्वयकारी दृष्टिकोण वाली और मिशन मोड में प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम है। सर्व शिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि 0-14 आयु-वर्ग का प्रत्येक बच्चा 2001 तक या तो स्कूल में या शिक्षा गारंटी केन्द्र, अथवा 'बैक

टू स्कूल कैम्प' में हो, ताकि भारत में प्रत्येक बालक को 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक स्कूलिंग और 2010 तक आठ वर्ष की प्रारम्भिक स्कूलिंग प्राप्त होना सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, पाठ्यक्रमों के ढांचे की समीक्षा की गई है ताकि उसे जीवन के प्रति अधिक संगत बनाया जाए और क्षमता आधारित अधिगम (लर्निंग) को बढ़ावा दिया जाए। पाठ्यक्रम की समीक्षा की प्रक्रिया में व्यावसायिक शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा और क्रियाकलाप आधारित अधिगम को सुविधाजनक बनाया जा रहा है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्वाचित पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रभावकारी मानीटरिंग कराने की कोशिश की जा रही है।

7.7.2.2 औपचारिक स्कूलिंग के साथ-साथ, वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा असेवित आबादियों को कवर करने और स्कूलों में न जाने वाले बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को मुख्य धारा में लाने की समूची कार्यनीति का भाग होगी। वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा की स्कीम में विविध आवश्यकताओं की व्यवस्था होती है, जैसे-

- असेवित आबादियों के लिए एक शिक्षण केन्द्र, जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी स्कीम ;
- स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक धारा में मिलाने के लिए विशेष कार्यनीति, जैसे एम.वेंकटरंगैया प्रतिष्ठान के प्रयास और लोक जुम्बिश परियोजना के अंतर्गत बालिका शिक्षण शिविर, अथवा जम्मू और कश्मीर में गूजरों की घुमक्कड़ आबादी के लिए विशेष चल (मोबाइल) स्कूल ;
- किशोरियों की शिक्षण संबंधी विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके बारे में एक विशेष कार्यप्रणाली, जैसे महिला समाख्या परियोजना के अंतर्गत महिला शिक्षण केन्द्र;
- सुविधाहीन बच्चों की जो स्कूलों में दाखिल तो हो जाएं, किन्तु स्थिति का सामना न कर सकते हों, शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी गन्दी बस्तियों में उपचारात्मक शिक्षण का स्रोत, जैसे मुम्बई में 'प्रथम' के प्रयास ;
- एक प्रयोगात्मक धारा, जिनमें नए-नए तरीकों के अंतर्गत शिक्षण की नई पद्धतियों का परीक्षण किया जा सकता हो, जैसे ऋषि वैली प्रयोग, जिसके परिणामस्वरूप औपचारिक तरीका अनौपचारिक बन जाए।

7.7.2.3 राष्ट्रीय नीति में सभी स्टेजों पर शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करने और सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आई.सी.डी.एस के साथ समपार्श्विक तालमेल के जरिए स्कूल पूर्व शिक्षण पर समुचित ध्यान देने और गैर-सरकारी पहलों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषाहार, स्वास्थ्य उपचर्या और वैयक्तिक सफाई में सुधार लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केफेटेरिया पद्धति के अनुसार बालवाड़ियां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

7.7.3 प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

7.7.3.1 प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे आमतौर पर दोपहर के भोजन का कार्यक्रम कहा जाता है, 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम इसलिए

तैयार किया गया है कि सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा I -V में पढ़ने वाले बच्चों की पोषाहार संबंधी आवश्यकताएं पूरी करके और बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण (रिटेंशन) में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता (i) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां पका हुआ भोजन दिया जाता है, 100 ग्राम प्रति स्कूल-दिवस प्रति विद्यार्थी की दर से, और (ii) जहां खाद्यान वितरित किए जाते हैं वहां न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति के अध्यधीन तीन किलोग्राम प्रति माह प्रति विद्यार्थी की दर से मुफ्त खाद्यान मुहैया करके दी जाती है। गुजरात, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश (174 जनजातीय ब्लॉक) और पांडिचेरी जैसे कुछ राज्य पका हुआ भोजन देते हैं। दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों में खाने के लिए तैयार भोजन वितरित किया जाता है।

7.7.3.2 हाल में एक स्वतंत्र अभिकरण अर्थात् आपरेशनस रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा दस राज्यों में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था। इसके निष्कर्ष यह है कि इस कार्यक्रम से असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा मिला है और गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में उपस्थिति और प्रतिधारण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन इस स्कीम का उत्तरी राज्यों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की प्रथा को रोकने पर कोई खास बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। इस स्कीम से आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आदि जैसे दक्षिणी राज्यों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों और अन्य सुविधाहीन बच्चों के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में सहायता मिली है।

7.7.3.3 भारत के नियंत्रक-व-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 1999-2000 की अपनी क्रियाकलाप रिपोर्ट में इस स्कीम के कार्यान्वयन की कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया है। उनकी टिप्पणियां इस प्रकार हैं :-

- विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या को इस कार्यक्रम में कवर नहीं किया गया है।
- बहुत से स्थानों पर उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।
- अधिकतर राज्यों द्वारा पका हुआ भोजन मुहैया नहीं किया जाता।
- बहुत से मामलों में पोषाहार मूल्य मानदंड से कम था।
- नामांकन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।
- बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या बढ़ गई।
- मानीटरिंग और मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं थी।

7.7.3.4 रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आबंटित बजट का उपयोग कम किया गया है। शिक्षा विभाग ने 725 करोड़ रुपए की वह राशि खर्च नहीं की, जिसकी व्यवस्था 1998-99 के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए की गई थी।

7.7.4 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (नेशनल ओपन स्कूल)

7.7.4.1 शिक्षा के सार्वभौमीकरण के मिशन को पूरा करने, सामाजिक साम्यता और न्याय की स्थापना करने और एक पढ़े-लिखे समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई थी ताकि दूरस्थ शिक्षा के तरीके से माध्यमिक/वरिष्ठ

माध्यमिक स्तर पर लचीले पाठ्यक्रम तैयार, विकसित और प्रस्तुत किए जा सकें। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिन लक्ष्यगत समूहों के लिए अपने क्रियाकलापों का संचालन करता है, उनमें ये शामिल हैं : स्कूल छोड़ देने वाले विद्यार्थी, लड़कियां और महिलाएं - बेरोजगार और काम करने वाले प्रौढ़ व्यक्ति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग, भूतपूर्व सैनिक, मानसिक/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के मुख्य क्रियाकलापों में ये शामिल हैं : माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मुक्त प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम और ए.बी.सी स्तर के आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना । मुक्त राष्ट्रीय विद्यालय के कार्यक्रमों की मुख्य विशेषता है, स्व-आधारित शिक्षण अर्थात् स्वयं सीखना, विषयों के चुनाव में लचीलापन, क्रेडिट एक्क्युमुलेशन और निरन्त मूल्यांकन। नए व्यावसायिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जैसे कम्प्यूटर अनु प्रयोग में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, एक्सरे तकनीशन का पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने खुले बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मांग पर परीक्षा (आन डीमाण्ड एक्जामिनेशन) और मांग पर परीक्षा की प्रायोगिक परियोजना की अभिनव स्कीम की परिकल्पना की है, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की पांच स्वीकृत संस्थाओं में शुरू की गई है।

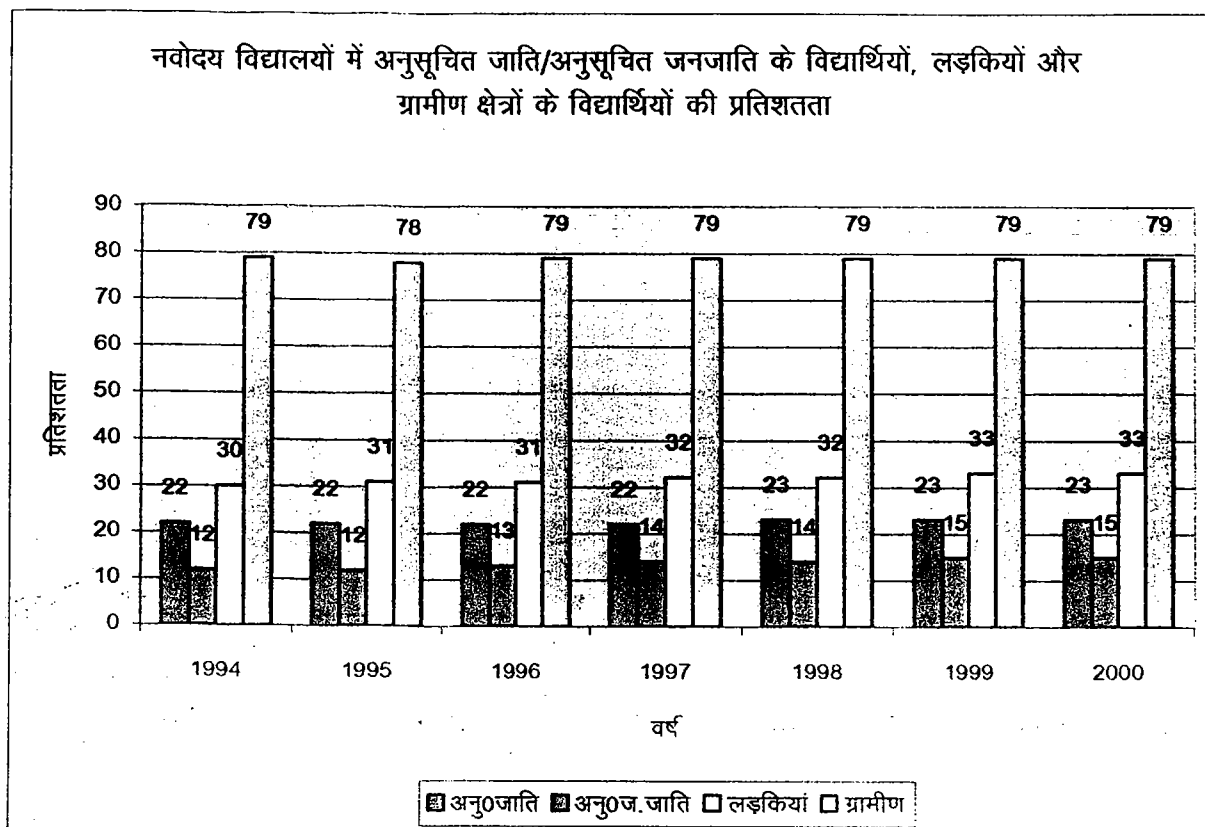
7.7.5 नवोदय विद्यालय समिति

7.7.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करने की परिकल्पना की गई थी। नवोदय विद्यालय VI से XII तक की कक्षाओं वाली पूर्णतया रिहायशी और सह-शिक्षा संस्थाएं हैं। यह स्कीम 1985-86 में 2 प्रयोगात्मक स्कूलों के साथ शुरू की गई थी। अब (1.3.2001 की स्थिति के अनुसार) इसके अंतर्गत 440 स्कूल हैं, जो 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के इतने ही जिलों में स्थित हैं और उनमें 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नवोदय विद्यालय स्कीम की मुख्य विशेषताएं ये हैं :

- मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा ।
- उम्मीदवार - गांवों से कम-से-कम 75 प्रतिशत और शहरों से अधिक से अधिक 25 प्रतिशत।
- राष्ट्रीय न्यूनतम आरक्षण के अध्वधीन, जिले में अनु० जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में इन श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए सीटों का आरक्षण।
- लड़कियों के लिए सीटों का आरक्षण - 33 प्रतिशत।
- XII वीं कक्षा तक सह-शिक्षा और पूर्णतया रिहायशी।
- वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों, लेखन-सामग्री, आदि पर व्यय के अतिरिक्त आवास एवं भोजन व्यवस्था सहित निःशुल्क शिक्षा।

7.7.5.2 पिछले पांच वर्षों में नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों, लड़कियों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की प्रतिशतता राष्ट्रीय मानदंडों (15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से काफी अधिक रही है।

	अनु0जाति	अनु0ज.जाति	लड़कियां	ग्रामीण
1994	22	12	30	79
1995	22	12	31	78
1996	22	13	31	79
1997	22	14	32	79
1998	23	14	32	79
1999	23	15	33	79
2000	23	15	33	79



7.7.5.3 इस प्रकार नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण विद्यार्थियों, विशेष रूप से लड़कियों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके लिए संसद की मानव संसाधन मंत्रालय संबंधी स्थाई समिति द्वारा अप्रैल 1997 में उनकी प्रशंसा भी की गई थी, जो इस प्रकार है:

“ समिति को यह जानकारी प्रसन्नता हुई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण के लिए निर्धारित विभिन्न मानदंडों को पूरा किया जाता है और उसे आशा है कि भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा । ”

7.7.5.4 नवोदय विद्यालयों का शैक्षणिक कार्य-निष्पादन कक्षा X और XII में 80 प्रतिशत से ऊपर रहा है और बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी बारहवीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद विभिन्न

इंजीनियरी/मेडिकल कालेजों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और देश के अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने में सफल रहे हैं।

7.7.5.5 नवोदय विद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही उत्कृष्ट शिक्षा को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने शिक्षा के दो विभागों की समीक्षा बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में और नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था।

7.7.6 व्यावसायिक शिक्षा

7.7.6.1 व्यक्तियों की रोजगार योग्यता को बढ़ाने और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के असन्तुलन को कम करने के लिए 1998 में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। वर्ष 1993-94 से निम्न माध्यमिक स्तर पर व्यवसाय पूर्व शिक्षा की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कक्षा IX और X के विद्यार्थियों को सरल विपणन योग्य कौशलों/हुनरों का प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक रुचियां विकसित करना और विद्यार्थियों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चुनाव करने का कार्य सहज बनाना है।

7.7.7 सामुदायिक पोलिटेक्निकों की स्कीम

7.7.7.1 सामुदायिक पोलिटेक्निकों की स्कीम वर्ष 1988-89 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत डिप्लोमा स्तर की चुनिंदा संस्थाओं को ग्रामीण समुदायों के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्तरण को बढ़ावा देने के केन्द्र-बिन्दुओं के रूप में काम करना होता है। इस स्कीम के क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

- (i) तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण आदि के जरिए समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं का पता लगाना।
- (ii) ग्रामीण जनता के लिए प्रौद्योगिकी के अन्तरण के मंच की व्यवस्था करना।
- (iii) स्थानीय समुदाय को तकनीकी/समर्थन सेवाएं प्रदान करना।
- (iv) युवाओं, महिलाओं और समुदाय के अन्य सुविधाहीन समूहों को ऐसे कला-कौशलों का प्रशिक्षण देना, जिनसे उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके।
- (v) समस्याओं को हल करने वाले वातावरण का निर्माण करने के लिए जानकारी का प्रसार करना और विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- (vi) प्रत्येक सामुदायिक पोलिटेक्निक 5 विस्तार केन्द्रों और पोलिटेक्निक के परिसर में स्थित एक मातृ केन्द्र (मदर सेंटर) के माध्यम से काम करता है। प्रत्येक विस्तार केन्द्र अपने इर्द-गिर्द के 10-12 गांवों की आवश्यकताएं पूरी करता है।

7.7.8 तकनीकी शिक्षा III - तकनीकी शिक्षा में उप क्षेत्र विकास कार्यक्रम

7.7.8.1 जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित था, तकनीकी शिक्षा को नया रूप देने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, सरकार ने एक बृहद परियोजना शुरू की थी, जिसे विश्व बैंक की सहायता से 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दो अतिव्याप्त चरणों में कार्यान्वित किया गया था, ताकि राज्य

सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन अपने पोलीटेकनिकों की क्षमता, गुणवत्ता और कार्यकुशलता का उन्नयन कर सकें। यह परियोजना तीन चरणों में पूरी की जानी है। दिनांक 30-9-98 को पूरे किए गए पहले चरण में 279 पोलीटेकनिकों को कवर किया गया था। दिनांक 31-01-99 को पूरे हुए दूसरे चरण में 252 पोलीटेकनिकों को कवर किया गया है। तीसरा चरण हाल में शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत 12 मौजूदा और 6 नए पोलीटेकनिकों को कवर किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता-निर्माण करना और विद्यार्थियों की रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है। परियोजना का पहला चरण दिसम्बर, 1990 में शुरू हुआ था और 30-9-98 को समाप्त हुआ था। दूसरा चरण जनवरी, 1992 में शुरू हुआ था और दिनांक 31-10-99 को समाप्त हुआ था। परियोजना के पहले चरण में बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल थे और 279 पोलीटेकनिकों को कवर किया गया था। परियोजना के दूसरे चरण में आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी का संघ राज्य क्षेत्र शामिल था और 252 पोलीटेकनिकों को कवर किया गया था। परियोजना के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत विश्व बैंक से क्रमशः 999 करोड़ रुपए और 1085 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई। एक जोरदार मानीटरिंग तंत्र के जरिए परियोजना की निरन्तर समीक्षा की जाती रही। विश्व बैंक द्वारा पिछली समीक्षा अप्रैल, 1999 में की गई थी। विश्व बैंक ने कार्य-निष्पादन के बारे में संतोष प्रकट किया है।

7.8 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमें

7.8.1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से (अधिकांशतः समतुल्य आधार पर) निम्नलिखित केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित करते हैं।

- (i) अस्वच्छ धंधों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां।
- (ii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां (100 प्रतिशत)
- (iii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक।
- (iv) अनुसूचित जाति/ और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के होस्टलों की स्कीम।
- (v) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल।
- (vi) जनजातीय उप-योजना के क्षेत्रों में आश्रम स्कूल।
- (vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय ओवरसिज छात्रवृत्तियां (100 प्रतिशत)
- (viii) कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम।

7.8.2 इन स्कीमों का ब्यौरा इन दो मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टें और उनके वेबसाइटों पर उपलब्ध है। इसलिए उसे यहां दोहराया नहीं जा रहा। इन स्कीमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता, आदि प्रदान की जाती है और इनसे इन

विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने में उल्लेखनीय योगदान मिला है। लेकिन मुख्य रूप से विद्यार्थियों में इन स्कीमों के बारे में आमतौर पर जागरूकता का अभाव होने के कारण, पूर्ण रूप से वांछनीय परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। यह पाया गया है कि ऐसे बहुत से याचिकाकारों को, जो आयोग और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सम्पर्क करते हैं, विभिन्न स्कीमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उनमें से अधिकतर को यह पता नहीं है कि वे इन स्कीमों से किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं ; इसके अलावा उन्हें स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन/ वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों/परिशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन स्कीमों की सूचना वेबसाइटों में शामिल की जाए और इलेक्ट्रानिक और मुद्रण (प्रिंट) माध्यमों के जरिए उनका प्रचार-प्रसार किया जाए। यह देखा गया है कि केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत भी निर्धारित कुल आबंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया जाता । विश्लेषण करने से पता चला है कि इन स्कीमों के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली मुख्य समस्याएं ये हैं :

- (i) राज्यों से प्रस्तावों का देर से प्राप्त होना, जिससे केन्द्रीय सहायता के रिलीज होने और उसका उपयोग करने में में देर हो जाती है।
- (ii) राज्यों द्वारा पूरे समतुल्य हिस्से की व्यवस्था न किया जाना।
- (iii) संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग न किया जाना।
- (iv) राज्यों के प्रस्तावों में बहुत सी पात्र संस्थाओं/विद्यार्थियों को शामिल न किया जाना।
- (v) स्कीमों का सीमित दायरा और गैर-लचीलापन, जैसे मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां केवल विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती हैं।
- (vi) अनु0 जाति/अनु0जनजाति के लड़के और लड़कियों दोनों की स्कीमों के अंतर्गत होस्टलों के निर्माण में धीमी प्रगति।
- (vii) स्थानों का गलत और देर से चुनाव, जैसे आश्रम स्कूलों को कम साक्षरता वाली पाकेटों और आदिवासियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाना अपेक्षित है। बहुत से अध्ययनों में यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के सभी जनजातीय गांवों में आश्रम स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- (viii) अनु0 जाति और अनु0जनजाति के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित स्कीमों के बीच तालमेल का अभाव । कई बार केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित की जा रही स्कीमें परस्पर अतिव्याप्त होती हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रोत्साहन/ सुविधाएं कुछ स्थानों पर संकेन्द्रित हो जाती हैं और कुछ क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं।

7.9 राज्य समीक्षाओं/जिला समीक्षाओं, जिलों में दौरों के दौरान आयोग द्वारा की गई टिप्पणियां/निकाले गए निष्कर्ष

7.9.1 आयोग ने अपनी राज्य समीक्षाओं और जिला समीक्षाओं के दौरान विभिन्न राज्यों में दी जा रही शैक्षणिक सुविधाओं की समीक्षा करने को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की है। राज्य सरकारों के शिक्षा के प्रभारी प्राधिकारियों के साथ अनु0 जाति/अनु0जनजाति की साक्षरता दर,, राज्य सरकारों द्वारा अनु0

जाति/अनु0जनजाति के विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा सुविधाओं, केन्द्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है। अधिकतर राज्य सरकारें प्राथमिक स्कूल खोल कर, मौजूदा प्राथमिक स्कूलों का उन्नयन मिडिल स्तर तक करके, पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को रोकने के लिए छात्रवृत्तियां दे कर, वर्दियां, पुस्तकें दे कर तथा बच्चों को मुफ्त भोजन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करके अनु0 जाति/अनु0जनजाति की आबदियों में सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विशेष प्रयास कर रही हैं। कुछ राज्यों ने इस बात की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिशुओं की देखभाल करनी पड़ती है, प्राथमिक स्कूलों के समीप आंगनवाड़ियां खोलने का विशेष ध्यान रखा है। योग्य और मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियों के रूप में और पब्लिक स्कूलों में पूरी फीस की प्रतिपूर्ति के साथ दाखिला देने के रूप में विशेष प्रोत्साहन देने के प्रयोग भी किए गए हैं। लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनु0 जाति/अनु0जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए रिहायशी होस्टल हैं।

7.9.2 यद्यपि बहुत अधिक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, लेकिन वास्तविक रूप में परिणाम निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रहा है। एक बहुत बड़ा कारण जो सामने आया है, वह है अर्हता प्राप्त अध्यापकों की कमी और ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में अध्यापकों का बार-बार अनुपस्थित रहना। इमारतों, आदि के निर्माण के लिए जो प्रयत्न किए गए हैं, वे अध्यापकों के अभाव में निष्फल हो जाएंगे। यह भी देखा गया कि यद्यपि राज्यों ने होस्टलों के निर्माण के लिए उपलब्ध धनराशि का लाभ उठाया है, लेकिन अनुरक्षण के अभाव में बहुत सी इमारतें बहुत खस्ता हालत में हैं, उनमें बिजली नहीं है, शौचालय आदि की उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं, दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई हैं और कुछ स्थानों पर तो केअरटेकर भी नहीं हैं। अधिकतर छात्रावासों में एल.पी.जी. की सुविधाएं नहीं हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी हालत में बच्चे कितना पढ़ सकते हैं। यह देखा गया कि आमतौर पर विद्यार्थी अपना खाना खुद बनाते हैं और बाकी सभी काम भी स्वयं करते हैं।

7.9.3 आयोग द्वारा शिक्षा सुविधाओं में वृद्धि करने और अनु0 जाति/अनु0जनजाति के विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के योग्य बनाने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :-

- (i) रिहायशी स्कूलों और होस्टलों के उपयुक्त अनुरक्षण को प्राथमिकता देना ।
- (ii) अनु0 जाति/अनु0जनजाति के साक्षरता के स्तर को ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना ।
- (iii) महिला साक्षरता को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान, जिसके लिए राज्य सरकारों को कम महिला साक्षरता वाले पाकेटों में लड़कियों के अधिक होस्टल खोलने के लिए पहल करनी चाहिए ।
- (iv) अधिकतर राज्यों में अनु0 जाति/अनु0जनजाति के अध्यापकों के रिक्त पदों के बैकलाग में वृद्धि हो रही है। आयोग ने दूर-दराज के क्षेत्रों में अध्यापकों को तैनात करने के शैक्षणिक मानदंडों में ढील देने और अनु0 जाति/अनु0जनजाति के अध्यापकों की नियुक्ति में बैकलाग को समाप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने का सुझाव दिया है। स्कूलों के अध्यापकों की अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों को अध्यापकों का रिकार्ड मानीटर करना चाहिए।

- (v) विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता।
- (vi) जनजातीय क्षेत्रों में एकल अध्यापक वाले सभी स्कूलों में एक और अध्यापक की तैनाती।
- (vii) व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर।
- (viii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के वितरण तंत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आयोग को विद्यार्थियों से इस बारे में बहुत बड़ी संख्या में याचिकाएं मिलती हैं कि उन्हें छात्रवृत्तियां देर से और अनियमित रूप से प्राप्त होती हैं। कुछ मामलों में लगातार कई वर्षों तक छात्रवृत्तियां नहीं दी गईं। आयोग ने देखा कि राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार से जो धनराशि प्राप्त होती है, वे उसे संस्थाओं को संवितरण के लिए रिलीज नहीं करती। एक सुझाव यह दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा संस्थाओं को सीधे धनराशियां रिलीज की जाएं ताकि अनु0 जाति/अनु0जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का संवितरण समय पर किया जाए।

7.9.4 आयोग ने यह भी पाया है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हाल ही में शुरू की गई कुछ पद्धतियां अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों के हितों पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। परिणामतः विभिन्न पाठ्यक्रमों में उनके लिए आरक्षित स्थानों का नहीं भरा जाना है। उत्तर प्रदेश, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति एम.बी.बी.एस और बी.डी.एस विद्यार्थी संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में हाल ही शुरू की गई 'नेगेटिव' मार्किंग पद्धति के परिणामस्वरूप अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों को उनके लिए आरक्षित स्थानों पर बड़े पैमाने पर इन्कार किया गया है। इस पद्धति के कारण सामान्य विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं क्योंकि रिक्त आरक्षित स्थानों को उन्हें दे दिया गया है। आयोग ने इस मामले को उत्तर प्रदेश के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया है। तथापि, उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की पद्धति को छोड़ देने में असमर्थता व्यक्त की है। आयोग ने पाया है कि यह पद्धति अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों के हितों पर हानिकारक साबित हो रही है, जिनमें से अधिकांश गरीब और ग्रामीण परिवारों से सामान्यतः प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी हैं।

7.9.5 अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के शैक्षणिक विकास और दो विभागों अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना के क्रियान्वयन के बारे में आयोग द्वारा 15.3.2001 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। विभागों के दो सचिवों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और शिक्षा सेक्टर के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श के बाद यह सहमति हुई कि:

- (i) एस.सी.पी./टी.एस.पी. धनराशियां योजना आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुसार अनु0 जाति/अनु0 जनजाति समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए आवंटित की जाएंगी और इस्तेमाल की जाएंगी।
- (ii) कम साक्षरता वाले जनजातीय खंडों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का एक सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
- (iii) जनजातीय खंडों में नवोदय पद्धति के अनुसार स्कूल खोलने के प्रयास किए जाएंगे।

- (iv) पिछड़े क्षेत्रों में दोपहर के भोजन की स्कीम को मजबूत बनाया जाएगा।
- (v) अनु० जाति/अनु० जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में छात्राओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक होस्टल खोले जाएंगे।
- (vi) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों और अन्य छात्रवृत्तियों की दरों को मूल्यों के सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार बढ़ाने पर विचार किया जाएगा और छात्रवृत्तियों के समय पर संवितरण किए जाने के उपाय किए जाएंगे। धनराशियों का संवितरण सीधे विश्वविद्यालयों/कालेजों को दिए जाने के सुझाव पर विचार किया जाएगा।
- (vii) अनु० जाति/अनु० जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।
- (viii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए अभिप्रेत रिक्त पदों के बैकलाग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा और विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को पदोन्नति के मामले में भी सरकारी नीति के अनुसार अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।
- (ix) किसी कक्षा में फेल होने वाले अनु० जाति/अनु० जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कम से कम एक अन्य शिक्षा वर्ष के लिए छात्रवृत्ति और होस्टल की सुविधाएं जारी रखने के सुझाव पर औपचारिक रूप से विचार किया जाएगा।

7.10 भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समस्याएं

7.10.1 स्वतंत्रता प्राप्ति के चौवन वर्ष बाद क समय कुछ गम्भीर आत्म-निरीक्षण करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में। औपनिवेशिक शासन की अवधि में शिक्षा के प्रति बरती गई उपेक्षा की तुलना में, सुविधाओं में प्रशंसनीय विस्तार हुआ है, लेकिन निश्चरता और अभाव के अभिशाप को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता है। यद्यपि पिछले पांच दशकों में दलितों, जनजातीय व्यक्तियों और महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है, लेकिन हमारी सोपानात्मक सामाजिक व्यवस्था में असमान विकास का पता विभिन्न समुदायों के शैक्षणिक स्तरों के सूचकों से मिलता रहता है। हमारे लगभग चालीस प्रतिशत जिलों में महिला साक्षरता तीस प्रतिशत से कम है। चार में से लगभग एक जिले में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों में महिलाओं की साक्षरता दस प्रतिशत से कम है। स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों में से लगभग एक तिहाई बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने से पहले ही बीच में पढ़ाई करना छोड़ देते हैं और आधे से अधिक बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा के आठ वर्ष पूरे होने से पहले पढ़ना बन्द कर देते हैं। जो बच्चे स्कूल में बने रहते हैं, उनमें से आधे 'मुश्किल से' शैक्षणिक स्तर प्राप्त कर पाते हैं, जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है। अधिकतर सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षाओं के कमरे आमतौर पर ऐसे होते हैं जिनमें जाने को मन नहीं करता, उनमें बिजली, पीने के पानी अथवा शौचालय की व्यवस्था नहीं होती और वे विभिन्न आयु के बच्चों से भरे होते हैं। एक सामान्य स्कूल में आम तौर पर दो अध्यापक होते हैं जो पांचों प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को काबू में रखने (पोलिसिंग) की कोशिश करते रहते हैं और अधिक से अधिक यह पढ़ाते हैं कि बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से नकल करने अथवा पढ़ने के लिए कह देते हैं। किसी सामान्य स्कूल का पता दूर से ही चल जाता है - बच्चों द्वारा

अपने 'मंत्रों' का उच्चारण किए जाने की जोरदार आवाजों और चिल्लपों मचाए जाने से, जिसमें बाल सुलभ सहज आनन्द और खुशी भरी खिलखिलाहट का अभाव होता है।

7.10.2 पिछले दशक के दौरान स्कूलों की स्थापना करने पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन उनमें क्या होता है, उस पर नहीं। देश, स्कूलों में बहुत बड़ी संख्या में नाम अंकित कराने की दिशा में काफी आगे बढ़ा है, हालांकि बहुत से बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते और काफी बड़े अनुपात में वे फेल हो जाते हैं, बार-बार एक ही कक्षा में रहने पर विवश हो जाते हैं और अन्ततः पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली पर भारी पैमाने पर संसाधन व्यर्थ चले जाते हैं। अप्रासंगिक और अरुचिकर पाठ्यक्रम प्रायः थके हुए और कुंठाग्रस्त एवं हताश अध्यापक द्वारा कराई जाने वाली उकताहटपूर्ण पढ़ाई, जो कुछ बिना सोचे समझे कंठस्थ किया जाता है उसके अलावा सीखने और समझने के लिए कुछ न होना- यह है उन अधिकांश बच्चों का 'अरुचिकर और कटु' अनुभव, जो किसी न किसी प्रकार स्कूल जा पाने में समर्थ हो जाते हैं। शहरी शिक्षित समूहों में भी, जो अपने बच्चों को अपेक्षाकृत बेहतर प्रबन्ध वाले प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, स्कूलों की समस्याओं से निपटना दिनों दिन एक कठिन काम बनता जा रहा है। विशेषज्ञता प्राप्त शिक्षकों (ट्यूटर), गाइड-पुस्तकों, और घर के काम और परीक्षाओं के मामले में माता-पिता द्वारा दी जाने वाली सहायता के बावजूद, अधिकांश बच्चे स्कूल को एक बोझ समझते हैं, और किशोर लड़के-लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या अवसाद व निराशा, आत्म-विश्वास में कमी और अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त बताई जाती है।

7.10.3 सामान्यतः यह माना जाता है कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के अपने उद्देश्य में इसलिए विफल हुई है कि विशेष रूप से गरीब लोगों में, "जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने का कोई कारण नहीं समझते ' शिक्षा की मांग कम है। हाल के अध्ययनों से इस धारणा का खंडन होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता उजागर होती है। भारत के शैक्षिक रूप से पिछड़े कुछ हिंदी-भाषी राज्यों में किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि गरीब लोगों में भी 98 प्रतिशत माता-पिता यह समझते थे कि उनके लड़कों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि 89 प्रतिशत माता-पिता लड़कियों के लिए भी ऐसा जरूरी समझते थे। 'पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक एजुकेशन (प्रोब 1999)' में इस बात को नोट करते हुए यह कहा गया था कि "माता-पिता की उदासीनता की यह मिथ्या धारणा बहुत व्यापक रूप से फैली हुई है, विशेष रूप से सरकारी हल्कों में, जहां इससे भारत में स्कूलिंग के स्तर के नीचे होने को युक्तिसंगत ठहराने का एक सरल आधार प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत, सामान्य माता-पिता की यह उत्कट इच्छा होती है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। यह अलग बात है कि उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करने में शिक्षा प्रणाली की योग्यता पर हमेशा विश्वास नहीं होता"। 'प्रोब' अध्ययन द्वारा जिस एक मिथ्या धारणा का खंडन किया गया है, वह यह है कि "स्कूल न जाने वाले अधिकतर बच्चे इसलिए पढ़ने में असमर्थ होते हैं कि उन्हें काम करना होता है"। यह देखा गया कि बच्चों की बहुत कम संख्या पूर्णकालिक मजदूरी करती है, जबकि काम करने वाले अधिकतर बच्चे घरों अथवा खेतों में पारिवारिक श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल श्रम और शिक्षा से वंचित रहने के बीच कारणात्मक संबंध यह है कि बच्चे इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे स्कूल से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अनिवार्यतः इसके उलटे रूप में नहीं।

7.10.4 बच्चे स्कूल से पढ़ाई छोड़ कर क्यों चले आते हैं? 'स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, फिर क्या फायदा पढ़ने से'। यह बिहार के एक दलित परिवार के 10 वर्षीय बच्चे के उद्गार हैं। जिन कुछ

कारणों से इसमें योगदान मिलता है, वे हैं घर और स्कूल दोनों जगह शैक्षिक समर्थन का अभाव, शिक्षण का नीचा स्तर, पाठ्यक्रम की अप्रासंगिकता, पुस्तकों, लेखन-सामग्री और वर्दियों की ऊंची लागत, दंड का भय, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, स्कूल के स्थान और कार्यक्रम का असुविधानजक होना। विशेष रूप से लड़कियों के लिए, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे छोटे बच्चों को संभालेंगी और घर का काम-काज करेंगी, ये बातें और भी अधिक मुश्किल और काबू के बाहर हो जाती हैं, जो स्कूल के 'सामाजिक फासले' को बढ़ा देती हैं। कुछ मामलों में महिला अध्यापकों और शौचालय की अलग सुविधाओं का न होना भी एक बाधा बन जाता है। लेकिन विभिन्न देशों में उठाए गए अनेक कदमों के फलस्वरूप देखा गया है कि जब शिक्षा का एक 'समर्थकारी' वातावरण सुनिश्चित हो जाता है, तो वही बच्चे भागते हुए स्कूल चले आते हैं और दृढ़-संकल्प हो कर पढ़ाई जारी रखते हैं। भौतिक वातावरण के अलावा, जो दो अन्य बातें शिक्षा के वातावरण को प्रभावित करती हैं और जिनकी ओर अविलम्ब ध्यान दिया जाना जरूरी है, वे हैं, पाठ्यक्रम और अध्यापक।

7.10.5 हाल के वर्षों में प्रारम्भिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने के प्रयत्न किए गए हैं, ताकि उसे बाल केन्द्रित, आनन्दपूर्ण और क्रियाकलाप आधारित बनाया जाए। लेकिन अधिकांश मामलों में केवल सतही और दिखावे भर के लिए परिवर्तन किए गए हैं और उनमें 'गाने और नाचने' की अधिक मात्रा शामिल कर ली गई है, जबकि उसकी विषय-वस्तु और डिजाइन का कोई बुनियादी पुनर्गठन नहीं किया गया है। बच्चों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धारणाओं के निर्माण को बढ़ावा देना और सिद्धान्त निर्माण की उनकी क्षमता में वृद्धि करना होना चाहिए। बच्चे अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से उस दुनिया की, जिसे वे देखते हैं, अपनी व्याख्याएं करना शुरू कर देते हैं। पाठ्यक्रमों की रचना करने वाले लोगों की मुख्य रूप से शहरी मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि उस तरीके को निरन्तर प्रभावित करती रही है, जिससे ग्रामीण गरीबों और उनकी जीवन को समझा जाता है। एक विवक्षित प्रवृत्ति होती है कि उन 'पिछड़े' बच्चों को यह बताएं जाने की जरूरत है कि उन्हें अपना जीवन 'उपयुक्त ढंग' से किस प्रकार जीना चाहिए और उनके जीवन की केवल 'सकारात्मक' स्थितियों का चित्रण किया जाना चाहिए। इस प्रकार, स्कूलों में शुचिता, स्वच्छता, कड़े परिश्रम, आदि के बारे में या तो उच्च आदेशात्मक और नीतिपरक पाठ पढ़ाए जाते हैं अथवा ग्रामीण गरीबों की बोधगम्य 'जरूरतों' के बारे में बताया जाता है। स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में सच्ची जनतांत्रिक पंचायतों, परोपकारी मालिकों, गांवों के सुसज्जित और सु-संचालित अस्पतालों और प्रभावकारी सरकारी स्कीमों की अति-आदर्शवादी स्थितियों को 'सामाजिक अध्ययन' के तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सुरक्षित शहरी घरों के बच्चों के विपरीत, गांवों के बच्चों को जीवन के संघर्षों और जीवन की जटिलताओं की, जो उनके जीवन की वास्तविकताओं का अंग होती हैं, कहीं अधिक जानकारी होती है। वे जानते हैं कि ये पाठ बनावटी और झूठ हैं, लेकिन उन्हें उन घिसी-पिटी बातों को बेमन से रटना पड़ता है और उनके बारे में आलोचनात्मक ढंग से प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। गांव का बच्चा प्राकृतिक संसार के बारे में अधिक जानकर होता है और उसे मंकड़ी की टांगों की गिनती करने, अथवा मेंढक के अंडों को अथवा नीम के वृक्ष के पत्तों को पहचानने के लिए 'तस्वीरों' (आमतौर पर भद्दे रूप में खींची गई) को देखने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार एक जनजातीय बच्चा अपने सामुदायिक ज्ञान से धातुओं की ढलाई अथवा चिकित्सकीय जड़ी-बूटियों और वनों की जैव-विविधता के बारे में अधिक जानकारी सीख सकता है, जिनकी चोरी करने और जिन्हें पेटेंट कराने में विदेशी कम्पनियों में होड़ हो सकती है, लेकिन जिसे स्कूल द्वारा 'बहुमूल्य' जानकारी के रूप में मान्यता नहीं मिलती। इस प्रकार, स्कूलों के पाठ्यक्रमों की संरचना जिस तरीके से की जाती है, उससे

ग्रामीण बच्चे को 'प्रासंगिकता' के नाम पर घिसी-पिटी बातें पेश की जाती हैं और उन विषयों के मामलों में भी, जिनकी उसे बेहतर जानकारी होती है, उसे अपने 'विशेषाधिकार प्राप्त' शहरी सहपाठी से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता।

7.10.6 जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका इस बात से निर्णायक रूप से संबंध होता है कि वह किस तरीके से पढ़ाया जाता है। परीक्षा प्रणाली इतनी विकृत है कि उससे कक्षा में अपनाए जाने वाली अच्छी पद्धतियों को निरुत्साहन मिलता है, क्योंकि बच्चों को बनावटी और निरर्थक प्रश्नों का उत्तर देने पर विवश किया जाता है, जिससे बच्चों की जिज्ञासा और अभिव्यक्ति दब जाती है। इसमें साधारण यादाश्त पर आधारित लिखित प्रश्नों पर जोर दिया जाता है और क्रियाकलापों पर आधारित अधिगम (लर्निंग) की उपेक्षा की जाती है। एक ऐसी सृजनात्मक बाल-अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता है, जो निरन्तर आधार पर किया जाए और जिसे करने में बच्चों को भी मजा आए।

7.10.7 गुणवत्ता वाली शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन अर्थात् अध्यापक की आवाज, सरोकार के इन मामलों में सबसे कमजोर होती है। ग्रामीण प्राथमिक स्कूल के अध्यापक का स्थान सोपानात्मक प्रशासनिक ढांचे में सबसे निचला होता है और उसे राष्ट्र-निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य का बोझ बिल्कुल अकेले उठाना पड़ता है, उसे किसी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और व्यवस्था अथवा प्रणाली की सभी विफलताओं के लिए उसे दोष दिया जाता है। इसके अलावा, अध्यापन अध्यापक को सौंपे गए बहुत से कार्यों में से केवल एक कार्य, और जहां तक प्रशासन का संबंध है, प्रायः सबसे कम महत्वपूर्ण कार्य होता है। जनगणना से निर्वाचन तक, परिवार नियोजन कार्यक्रमों से गरीबी के सर्वेक्षण तक, सरकार जिस समय जो भी कार्य जरूरी समझे, गांव के एकमेव बहुप्रयोजनी पदधारी होने के नाते अध्यापक से उन सारे कार्यों को सम्पन्न करने की अपेक्षा की जाती है। जिन ग्रामीण स्कूलों में केवल एक अथवा अधिक से अधिक दो अध्यापक होते हैं, वहां यह समस्या अत्यधिक कठिन हो जाती है। लगातार कई-कई दिनों तक स्कूल बंद पड़ा रह सकता है, क्योंकि अध्यापक को 'ड्यूटी' पर बुला लिया गया होता है और इसके परिणामस्वरूप बच्चे और निरुत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि घरों में कोई समर्थन या सहायता न मिलने के कारण, उनकी ओर वास्तव में कहीं अधिक ध्यान और अतिरिक्त समय दिए जाने की जरूरत होती है।

7.11 निष्कर्ष और सिफारिशें

7.11.1 पूर्ववर्ती पैराग्राफों में अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति की शैक्षिक स्थिति के बारे में जो ब्यौरा दिया गया है, उससे निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आते हैं :

- I. पिछले 53 वर्षों में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति की शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है।
- II. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तुलना में गैर अनु0 जाति/अनु0 जनजाति की शिक्षा की स्थिति में अधिक तेजी से उन्नति हुई है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा की स्थिति में सुधार को गति प्रदान करने के लिए निर्मित विभिन्न नीतिगत मार्गनिर्देशों की उपेक्षा करने में योजनाकारों और कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले पक्षपात का पता चलता है। इससे शहरों के प्रति झुकाव का भी पता चलता है क्योंकि अधिकतर शिक्षा संस्थाएं शहरी केन्द्रों में अथवा उनके आस-पास स्थापित की गई हैं।

- III. अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या अनुबंध-7.7 में दी गई है। इसमें यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या संतोषजनक नहीं है। इन समुदायों के विद्यार्थियों के उच्चतर अध्ययन करने के लिए अधिकांशतः उनकी आर्थिक स्थिति अनुमति नहीं देती है। यह महसूस किया गया कि सरकार को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को अपनी नौकरियों के साथ उच्चतर अध्ययन करने के लिए अवकाश - देने हेतु, एक नई स्कीम तैयार करनी चाहिए। इस प्रावधान को, सभ्य व्यवसायों, अर्थात् शिक्षण, चिकित्सकों, इंजीनियरों तथा अन्य व्यवसायों में स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु सरकारी कर्मचारियों को दिए जा रहे आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए। भारत सरकार अवकाश नियमों में सरकारी कर्मचारियों को, पूरे वेतन तथा अन्य लाभागों सहित, उच्चतर अध्ययन करने के लिए 5 वर्षों की अधिकतम अवधि तक अध्ययन अवकाश देने का प्रावधान है। यदि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सभी प्रकार की नौकरियों में ऐसी सुविधा दी जाती है तो समूह-क तथा व्यावसायिक नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व सुधारने में बहुत समय लगेगा।
- IV. हालांकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामांकन में सुधार हुआ है, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों में अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है।
- V. 10 3 2 की स्टेज पर और स्नातक, स्नातकोत्तर स्तरों पर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है।

7.11.2 स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय हमें जो शिक्षा प्रणाली विरासत में प्राप्त हुई थी, उसकी देश में उस समय व्याप्त जीवन-स्थितियों की आवश्यकताओं के साथ कोई संगति नहीं थी। समय बीतने के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली जीवन की वास्तविकताओं से अटक कर दूर होती गई। इससे आज के युवाओं के सामने, जो जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रस्तुत दुविधा का पता चलता है। लेकिन शैक्षणिक योग्यताएं अथवा अर्हताएं प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किए गए कड़े परिश्रम से उन्हें 'काम या नौकरी' प्राप्त नहीं होती। जबकि पहले की शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश राज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अर्थात् निचले स्तर पर प्रशासन संभालने और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए निर्मित की गई थी, लेकिन ठीक कहे अथवा गलत, स्वतन्त्र भारत ने ब्रिटिश राज द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली को जारी रखा और शायद आज के समाज में युवा-वर्ग का मोह-भंग होने अथवा निराश होने और समाज की सुविधाओं से वंचित वर्गों के युवाओं में से अधिकांश के लिए रोजगार के अवसरों का अभाव होने का एक मुख्य कारण यही है। जबकि थोड़ी सी शिक्षा उन्हें उनके परम्परागत व्यवसायों से दूर ले जाती है अथवा बेगाना बना देती है, वहां दूसरी ओर पारम्परिक दस्तकारों की दयनीय स्थिति से समाज को कुल मिला कर दोहरा नुकसान हुआ है। अब इस विरोधाभास की स्थिति को पहचानने का समय आ गया है। ऐसा नहीं कि व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। इस क्षेत्र में काफी प्रयास किए गए हैं, जैसाकि आई.टी.आई., पॉलीटेक्निकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की बहुत बड़ी संख्या से पता चलता है। शिक्षा संबंधी वर्तमान नीतिगत दस्तावेजों में विश्व बाजार के लिए

उच्च मूल्य वाले कौशलों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय निविष्टियों पर भारी बल दिया गया है, लेकिन उनमें पारम्परिक कौशलों को बढ़ावा देने के मामले में चुप्पी साधी गई है। प्रमुख रूप से ग्रामीण और कृषि समुदायों में, ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिसमें पारम्परिक कौशलों और ज्ञान को महत्व दिया जाए और उसका उन्नयन किया जाए, और उन्नत उपयुक्त और प्रौद्योगिकियों, जैसे जल-संग्रहण, स्थानीय खाद्य-प्रसंस्करण, मछलीपालन, चमड़ा शोधन, जैव नाशक कीट नियंत्रण, आदि के बारे में सीखने के अवसरों की व्यवस्था की जाए।

7.11.3 देश में अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं और देश के विभिन्न भागों में विकसित की गई कुछ अभिनव शिक्षा प्रणालियों के चमत्कारपूर्ण परिणाम निकले हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एकलव्य स्कूल, राजस्थान में मरूशाला और लोक जुम्बिश, उत्तरप्रदेश, बिहार, आदि में महिला समाख्या कार्यक्रम। जब कभी सरकार और समाज द्वारा इच्छा-शक्ति और थोड़ी सी रूचि प्रदर्शित की गई है तो उसके परिणाम बड़े उत्साहजनक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सफलता की कहानियों से इसका पता चलता है, जहां सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है और प्राइवेट स्कूल केवल कुछ जिला मुख्यालयों तक ही सीमित रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग व्यक्तियों, जैसे उड़ीसा के केओनझार जिले की बूढ़ी जनजातीय अनपढ़ महिला तुलसी मुंडा, मुम्बई और उसके इर्द-गिर्द के इलाकों में 'प्रथम' द्वारा संचालित किए जा रहे स्कूल, कनवू, जो केरल के वाईनाड जिले में जनजातीय बच्चों के लिए स्कूल चलाता है-इन सबने यह तथ्य प्रदर्शित किया है कि उपयुक्त वातावरण, समर्पण की भावना, जोश होने पर और समाज के सर्वोत्तम तत्वों के आपस में मिलने पर दलित वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है।

- I. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो बच्चे स्कूल में दाखिल हों, वे प्राथमिक कक्षाओं से आगे की कक्षाओं तक स्कूल में बने रहें अर्थात् पढ़ाई जारी रखें। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की ऊंची दर को कम करने का एक तरीका है, दोपहर के भोजन की स्कीम को मजबूत बनाना। जैसा कि दक्षिणी राज्यों के परिधामों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि स्कूल में भोजन मिलने की संभावना बच्चों के लिए बहुत अधिक आकर्षक और अभिप्रेरक है। इस स्कीम को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में अवश्य कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यदि इस स्कीम का संचालन महिलाओं के स्व-सहायता समूहों अथवा माता-पिता और अध्यापकों के संघों (पी.टी.ए.) के माध्यम से किया जाए, तो इससे एक ओर तो बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम किया जा सकता है तो दूसरी ओर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। पुरजोर से यह सिफारिश की जाती है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के लिए बच्चों के माता-पिता को किसी भी हालत में सूखा राशन नहीं दिया जाना चाहिए। उद्देश्य तो बच्चों के पोषाहार के स्तर में सुधार करना है, जिससे वे अध्ययन करने और देश के योग्य नागरिक बनने के लायक बनेंगे।
- II. लोक जुम्बिश कार्यक्रम में यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि समुदाय-आधारित पद्धति अपनाना महत्वपूर्ण है, जिसमें निर्माण की समूची योजना की जानकारी समुदाय को स्पष्ट रूप से दी जाती है। भवन निर्माण समितियां स्कूलों के निर्माण का काम हाथ में लेती हैं और यह भरोसा होता है कि समुदाय इसका अनुरक्षण कर सकता है। स्कूलों के अनुरक्षण के लिए अंशदान स्कूलों को स्कूल बैंक खाते के जरिए दिया जाना चाहिए।

अनुरक्षण निधियों की केवल सामाजिक लेखा-परीक्षा होनी चाहिए, वित्तीय लेखा-परीक्षा नहीं। समुदाय को कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इसे कार्यान्वित भी करना चाहिए। इसी प्रकार, अध्यापन, शिक्षण सामग्री स्कूल की खेल-कूद की मर्दों के लिए संसाधन स्कूलों के बैंक खातों में अंतरित किए जाने चाहिए। स्कूल के स्तर पर मुख्याध्यापक, पंचायती राज प्रतिनिधि और समुदाय के प्रतिनिधि को मिल कर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में समाज के प्रतिनिधियों, डिप्टी कमिश्नर और स्कूल के साथ सलाह करके स्कूल की छुट्टियों के बारे में फैसला करने का जो प्रयोग किया गया है उससे स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की अनुपस्थिति को कम करने में उल्लेखनीय योगदान मिला है। स्कूलों में छुट्टियां फसलों की कटाई के मौसम के दौरान की जाती हैं जब सभी वयस्कों और बच्चों को खेतों में काम करना होता है। स्कूल के मुख्याध्यापक, स्थानीय पंचायत और समुदाय के प्रतिनिधियों की समिति को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए किए गए सभी अनुरोधों की संवीक्षा करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए और छात्रवृत्तियां दिए जाने के बारे में समिति की सिफारिशें बाध्यकर होनी चाहिए। जैसी कि अनुसूचित जातियों के सशक्तीकरण के बारे में दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, माता-पिता को सलाह-मशवरा देने और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाना चाहिए कि उनके बच्चे स्कूलों में बीच में पढ़ाई न छोड़ें।

- III. विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में टी.वी, फिल्मों, आदि जैसे दृश्य माध्यमों के जरिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को मजबूत बना कर सीखने का प्रक्रिया को एक आनंदपूर्ण कार्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।
- IV. अनु0जाति/अनु0ज0जा0 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाई जा रही उपचारात्मक कोचिंग स्कीम और कोचिंग एवं सम्बद्ध स्कीम को सुदृढ़ बनाना और उसका विस्तार करना। उच्च शिक्षा में अनु0जाति/अनु0ज0जा0 के विद्यार्थियों के मौजूदा अनुपात को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है।
- V. लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मां की भूमिका को और अपनी बेटियों को स्वावलम्बी बनाने और उनके जीवन की स्थितियों में सुधार करने की उसकी इच्छा को समझना महत्वपूर्ण है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि यदि शिक्षा कार्यक्रम उन लड़कियों की, जो शीघ्र ही वयस्क होने वाली हैं, आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों, और यदि लड़कियों को एक बार यह बोध हो जाए कि वे 'जान' सकती हैं, तो वे सीखने की प्रक्रिया असाधारण तेजी के साथ शुरू करती हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसे आत्म-विश्वासपूर्ण वयस्कों के रूप में उभरने का, जो अपने निर्णय स्वयं ले सकें, केवल यही एक मार्ग है।
- VI. इस समय सरकार का बहुत अधिक प्रयास व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर संकेन्द्रित है, जिसका पता बहुत बड़ी संख्या में स्थापित किए जा रहे आई.आई.टी, पोलिटेकनिकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से चलता है। लेकिन पाठ्यक्रम के गैर-लचीलेपन और बाजार की तेजी से बदलती हुई जरूरतों के संबंध में जानकारी के अभाव और इन संस्थानों के उत्पादों के लिए विपणन की सुविधाएं

न होने के कारण इन क्षेत्रों में सरकार के प्रयास विफल हो रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इन संस्थाओं को स्थानीय/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में मार्केट की आवश्यकताओं के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक छूट दी जाए। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या लगातार बनी हुई है। स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की ऊर्जा को विभिन्न धाराओं में प्रवाहित करना महत्वपूर्ण है। कदाचित अब मिडिल स्कूल के स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का समय आ गया है। अब बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, आदि जैसे परम्परागत क्षेत्रों से हट कर आधुनिक आवश्यकताओं, उदाहरणतः कैमरा रोलिंग, टिकेटिंग, यात्रा गाइडों आदि का प्रशिक्षण देना जरूरी हो गया है क्योंकि आज के ग्रामीण इलाकों के भी युवा शहरी क्षेत्रों में तथाकथित आधुनिक जीवन का स्वाद चखना चाहते हैं।

- VII. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने विद्यार्थियों को अपने यूनिट स्थापित करने और अपने उत्पादों का विपणन करने में भी अवश्य सहायता देनी चाहिए। कदाचित कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों आदि के केन्द्रीय/ राज्य सरकार के खरीद नेटवर्क में 'स्व-रोजगारियों' के सेक्टर के उद्योगों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के लिए 'खरीद में तरजीह' देने के लिए कोई नीतिगत तरीका तय करना चाहिए। सरकार अब भी सबसे बड़ी खरीददार है। खरीद में तरजीह की इस स्कीम से स्व-रोजगारियों को जीविका प्रदान करने में बड़ी सहायता मिलेगी। निस्सन्देह, सरकार गुणवत्ता संबंधी कड़ी शर्तें लागू कर सकती है। संक्षेप में, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, जिनमें से अधिकांश अपने परिवारों के सम्भवतः सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे, व्यावसायिक शिक्षा/ प्रशिक्षण और उत्पादों अथवा सेवाओं का विपणन साथ-साथ होना चाहिए।
- VIII. हालांकि उन क्षेत्रों में, जहां स्कूल नहीं है, नए स्कूल खोले जाने जरूरी हैं, पर यह महसूस किया जाता है कि अब एक एकीकृत तरीके से शिक्षा सुविधाओं के अभिविन्दुकरण अथवा तालमेल (कनवर्जेंस) पर जोर दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए एक शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स। प्रत्येक क्षेत्र में मिडिल स्कूल, छात्रावास, माध्यमिक स्कूल, आदि खोले जाने के स्थान पर, यदि सरल पहुंच, जनसंख्या की कवरेज (जैसे 10 किलोमीटर की परिधि में) और भावी विद्यार्थियों की उपलब्धता की संभावना के आधार पर चुने गए किसी केन्द्रीय स्थान पर इन शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, तो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को अधिक समन्वित और किफायती तरीके से पूरा किया जा सकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सों में छात्रावासों, आदि का उपयोग अधिक इष्टतम तरीके से किया जा सकता है। यह भी महसूस किया जाता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सों की योजना बनाते समय पाठ्यक्रमों, आदि को इस प्रकार तैयार किया जा सकता है, जिससे आस-पास के इलाकों की सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसे कॉम्प्लेक्सों से अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।
- IX. बहुत प्राचीन समय से भारतीय शिल्पकारों की विभिन्न प्रकार की कलाओं और हुनरों का, जैसे आन्ध्र प्रदेश की कलमकारी, उड़ीसा और तमिलनाडु की पत्थर पर नक्काशी की कला, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक के बुनकर, गुजरात की कसीदाकारी और शीशे के काम का दुनिया भर में बड़ा नाम रहा है। इनमें से अधिकांश व्यवसायों में

अनु0जाति/अनु0ज0जाति के अनेकानेक परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हालांकि इन शिल्पकारों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की मांग में महानगरों और विश्व के बाजारों में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है, लेकिन वे लोग, जो इन श्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, अपने परम्परागत व्यवसायों से निराश हो रहे हैं और उनका मोहभंग हो रहा है। लगभग सभी मामलों में इसका कारण है, बिचौलिए, जो इन शिल्पकारों की मेहनत से लाभ उठा कर अमीर बन गए हैं। यह सिफारिश की जाती है कि इन समुदायों के शिल्पकारों को, जो सम्भवतः अनपढ़ हों, व्यावसायिक संस्थाओं में अध्यापकों के रूप में तैनात किया जाना चाहिए और इस प्रकार इन मरणोन्मुख कलाओं को बचाने में सहायता दी जानी चाहिए। सामुदायिक पोलिटेक्निकों और आई.टी.आई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) की सरकारी स्कीम में इन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में इन शिल्पकारों और उनके कला-कौशल को जोड़ा जा सकता है। जैसे कि उड़ीसा के केओनझार जिले की सुकिन्दा घाटी के पथरों पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार जो अति सुन्दर मूर्तियां बनाते हैं।

- X. शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के निजीकरण में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या और विशेष रूप से अनु0 जाति/अनु0 ज.जा के विद्यार्थियों के लिए गम्भीर फलितार्थ छिपे पड़े हैं। हाल में, प्रधान मंत्री की व्यापार और वाणिज्य संबंधी सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में, योजना आयोग द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन शुरू किया गया है। उसमें कथित रूप से यह सुझाव दिया गया है कि सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के निधिपोषण को समाप्त कर दिया जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका को सीमित कर दिया जाए। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा अंशदान दिए जाने का प्रस्ताव स्वागत-योग्य है, लेकिन शिक्षा के 'वाणिज्यीकरण' को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि सरकारी प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए शिक्षा के निजीकरण का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाजारीकरण (मार्केटाइजेशन) को 'शैक्षणिक उत्कृष्टता' के हित में पूर्णतः हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.11.4 संक्षेप में आज के संसार में मनुष्य के जीवन के लिए शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितना कि शायद भोजन। यह 'जीवन को वह गरिमा' प्रदान करने के लिए जरूरी है, जिसका वचन भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा वह महामंत्र है, जो उन्हें भारतीय समाज में उनका सही स्थान दिलाएगा। सरकार के साथ-साथ, पूरे समाज को और हम सबको इसमें योगदान देना चाहिए और हमारे सभी नागरिकों में शिक्षा की भावना पैदा करनी चाहिए।

अनुबन्ध-7.1

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों की तुलना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की लिंग-वार साक्षरता दरें ।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ०जा	अ०ज०जा०	गैर अ०जा०/ अ०ज०जा० समुदाय	कुल जनसंख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	*भारत				
	व्यक्ति	37.41	29.6	57.69	52.21
	पुरुष	49.91	40.65	69.53	64.13
	महिला	23.76	18.19	44.82	39.29
	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश				
	व्यक्ति	31.59	17.16	48.65	44.09
	पुरुष	41.88	25.25	60.1	55.13
	महिला	20.92	8.68	36.88	32.72
2.	अरुणाचल प्रदेश				
	व्यक्ति	57.27	34.45	53.67	41.59
	पुरुष	66.25	44	61.44	51.45
	महिला	41.42	29.24	40.55	29.69
3.	असम				
	व्यक्ति	53.94	49.16	53.39	52.89
	पुरुष	63.88	58.93	62.14	61.87
	महिला	42.99	38.98	43.69	43.03
4.	बिहार				
	व्यक्ति	19.49	26.78	43.09	38.48
	पुरुष	30.64	38.4	57.72	52.49
	महिला	7.07	14.75	26.62	22.89
5.	गोवा				
	व्यक्ति	58.73	42.91	75.86	75.51
	पुरुष	69.55	54.43	83.94	83.64
	महिला	47.51	29.01	67.05	67.09
6.	गुजरात				
	व्यक्ति	61.07	36.45	65.93	61.29
	पुरुष	75.47	48.25	77.47	73.13
	महिला	45.54	29.01	53.56	48.64
7.	हरियाणा				
	व्यक्ति	39.22	0	59.78	55.85
	पुरुष	52.06	0	73.15	69.1
	महिला	24.15	0	44.3	40.47

8.	हिमाचल प्रदेश				
	व्यक्ति	53.2	47.09	68.58	63.86
	पुरुष	64.98	62.74	79.77	75.36
	महिला	41.02	31.18	57.21	52.13
9.	जम्मू व काश्मीर				
	व्यक्ति	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	पुरुष	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	महिला	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
10.	कर्नाटक				
	व्यक्ति	38.06	36.01	60.64	56.04
	पुरुष	49.69	47.95	71.74	67.26
	महिला	25.95	23.57	49.06	44.34
11.	केरल				
	व्यक्ति	79.66	57.22	91.34	89.81
	पुरुष	85.22	63.38	94.94	93.62
	महिला	74.31	51.07	87.91	86.17
12.	मध्य प्रदेश				
	व्यक्ति	35.08	21.54	54.46	44.20
	पुरुष	50.51	32.16	69.36	58.42
	महिला	18.11	10.73	38.10	28.85
13.	महाराष्ट्र				
	व्यक्ति	56.46	36.69	69.15	64.87
	पुरुष	70.45	49.09	80.39	76.56
	महिला	41.59	24.03	57.01	52.32
14.	मणिपुर				
	व्यक्ति	56.44	53.63	63.40	59.89
	पुरुष	65.28	62.39	76.83	71.63
	महिला	47.41	44.48	49.31	47.60
15.	मेघालय				
	व्यक्ति	44.27	46.71	62.91	49.10
	पुरुष	54.56	49.78	69.29	53.12
	महिला	31.19	43.63	53.81	44.85
16.	मिजोरम				
	व्यक्ति	77.92	82.71	75.19	82.27
	पुरुष	77.54	86.66	75.43	85.61
	महिला	81.25	78.70	73.97	78.60
17.	नागालैण्ड				
	व्यक्ति	0	60.59	68.98	61.65
	पुरुष	0	66.27	74.84	67.62
	महिला	0	54.51	57.14	54.75

18.	उड़ीसा				
	व्यक्ति	36.78	22.31	61.57	49.09
	पुरुष	52.42	34.44	75.57	63.09
	महिला	20.74	10.21	46.99	34.68
19.	पंजाब				
	व्यक्ति	41.09	10	65.10	58.51
	पुरुष	49.82	0	71.73	65.66
	महिला	31.03	0	57.65	50.41
20	राजस्थान				
	व्यक्ति	26.29	19.44	44.79	38.55
	पुरुष	42.38	33.29	61.76	54.99
	महिला	8.31	4.42	26.11	20.44
21.	सिक्किम				
	व्यक्ति	51.03	59.01	56.78	56.94
	पुरुष	58.69	66.80	65.91	65.74
	महिला	42.77	50.37	45.93	46.69
22.	तमिलनाडु				
	व्यक्ति	46.74	27.89	66.80	62.66
	पुरुष	58.36	35.25	77.80	73.75
	महिला	34.89	20.23	55.55	51.33
23.	त्रिपुरा				
	व्यक्ति	56.66	40.37	72.82	60.44
	पुरुष	67.25	52.88	81.32	70.58
	महिला	45.45	27.34	63.66	49.65
24.	उत्तर प्रदेश				
	व्यक्ति	26.85	35.70	45.48	41.60
	पुरुष	40.80	49.95	59.67	55.73
	महिला	10.69	19.86	29.14	25.31
25.	पश्चिम बंगाल				
	व्यक्ति	42.21	27.78	64.98	57.07
	पुरुष	54.55	40.07	74.07	67.81
	महिला	28.87	14.98	54.85	46.56
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
	व्यक्ति	0	56.62	74.73	73.02
	पुरुष	0	64.16	80.40	78.99
	महिला	0	48.74	67.42	65.46

2.	चंडीगढ़				
	व्यक्ति	55.44	0	81.95	77.81
	पुरुष	64.74	0	85.22	82.04
	महिला	43.54	0	77.71	72.34
3.	दादर एवं नागर हवेली				
	व्यक्ति	77.64	28.21	84.64	40.71
	पुरुष	88.03	40.75	90.78	53.56
	महिला	66.61	15.94	75.40	26.98
4.	दमण एवं दीव				
	व्यक्ति	79.18	52.91	73.27	71.20
	पुरुष	91.85	63.58	84.86	82.66
	महिला	67.62	41.49	61.34	59.40
5.	दिल्ली				
	व्यक्ति	57.60	0	79.23	75.29
	पुरुष	68.77	0	84.96	82.01
	महिला	43.82	0	72.16	66.99
6.	लक्षद्वीप				
	व्यक्ति	0	80.58	96.06	81.78
	पुरुष	0	89.50	95.77	90.18
	महिला	0	71.72	96.75	72.89
7.	पांडिचेरी				
	व्यक्ति	56.26	0	78.20	74.74
	पुरुष	66.1	0	86.97	83.68
	महिला	46.28	0	69.26	65.63

इन आंकड़ों में जम्मू व कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि वहां वर्ष 1991 में जनगणना नहीं हुई थी।

उ.न. : उपलब्ध नहीं

अनुबन्ध-7.II

प्राथमिक, माध्यमिक, प्राथमिक/उच्च स्तर के बाद/ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर
अनुसूचित जातियों का नामांकन

वर्ष	सभी श्रेणियों का नामांकन			अ0जा नामांकन			अ0जा0 नामांकन की प्रतिशतता		
	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
				प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V)					
1980-81	44576	28112	72688	7213	3768	10981	16.18	13.40	15.11
1985-86	51732	34733	86465	8727	5194	13921	16.87	14.96	16.10
1990-91	58095	41023	99118	9737	6057	15794	16.76	14.77	15.93
1995-96	62361	47373	109734	10935	7601	18536	17.53	16.04	16.89
1999-2000	64103	49509	13612	11809	8625	20435	18.42	17.42	17.98
				माध्यमिक स्तर (कक्षा VI-VIII)					
1980-81	13278	6568	19846	1621	602	2223	12.21	9.16	11.20
1985-86	18132	9992	28124	2537	1082	3619	13.99	10.83	12.87
1990-91	20844	12439	33283	2747	1413	4160	13.18	11.36	12.50
1995-96	24971	16043	41014	3701	2153	5854	14.82	13.42	14.27
1999-2000	25082	16983	42065	3881	2419	6300	15.47	14.24	14.98
				प्राथमिक/उच्च स्तर के बाद (कक्षा IX-X)					
1980-81	4953	2189	7142	653	209	862	13.18	9.55	12.07
1985-86	8029	3588	11617	1046	351	1397	13.03	9.78	12.02
1990-91	9678	4862	14540	1236	488	1724	12.77	10.04	11.86
1995-96	10711	6069	16780	1472	657	2129	13.74	10.89	12.69
1999-2000									
				उच्चतर माध्यमिक स्तर					
1980-81	3061	1077	4138	253	37	290	8.27	3.44	7.01
1985-86	3780	1573	5353	332	81	413	8.78	5.15	7.72
1990-91	4326	2032	6358	467	147	614	10.80	7.23	9.66
1995-96	5396	2713	8109	879	338	1217	16.28	12.45	15.00
1999-2000	17246	10968	28214	2560	1479	4039	14.84	13.48	14.32

स्रोत: चयनित शैक्षणिक आंकड़े

प्राथमिक, माध्यमिक, प्राथमिक/उच्च स्तर के बाद/ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर
अनुसूचित जनजातियों का नामांकन

वर्ष	सभी श्रेणियों का नामांकन			अ0ज0जा0 नामांकन			अ0ज0जा0 नामांकन की प्रतिशतता		
	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
				प्राथमिक स्तर (कक्षा I-V)					
1980-81	44576	28112	72688	3133	1527	4660	7.03	5.43	6.41
1985-86	51732	34733	86465	4174	2406	6580	8.07	6.93	7.61
1990-91	58095	41024	99119	4958	2911	7869	8.53	7.09	7.94
1995-96	62361	47373	109734	5489	3735	9224	8.80	7.88	8.40
1999-2000	64103	49509	113612	6138	4511	10650	9.57	9.11	9.37
				माध्यमिक स्तर (कक्षा VI-VIII)					
1980-81	13278	6568	19846	537	205	742	4.04	3.12	3.74
1985-86	18132	9992	28124	893	390	1283	4.93	3.90	4.56
1990-91	20844	12439	33283	1131	576	1707	5.43	4.63	5.13
1995-96	24971	16043	41014	1500	853	2353	6.01	5.31	5.74
1999-2000	25082	16983	42065	1804	1101	2905	7.19	6.48	6.91
				प्राथमिक/उच्च स्तर के बाद (कक्षा IX-X)					
1980-81	4953	2189	7142	193	73	266	3.90	3.36	3.73
1985-86	8029	3588	11617	303	136	439	3.77	3.79	3.78
1990-91	9678	4862	14540	425	188	613	4.39	3.87	4.22
1995-96	10711	6069	16780	561	289	850	5.23	4.76	5.07
1999-2000									
				उच्चतर माध्यमिक स्तर					
1980-81	3061	1077	4138	53	10	63	1.73	0.93	1.52
1985-86	3780	1573	5353	117	29	146	3.10	1.84	2.73
1990-91	4326	2032	6358	142	50	192	3.28	2.46	3.02
1995-96	5396	2713	8109	292	114	406	5.41	4.20	5.00
1999-2000	17246	10968	28214	998	540	1538	5.70	4.92	5.45

स्रोत: चयनित शैक्षणिक आंकड़े

वर्ष 1990-91 में अनुसूचित जातियों द्वारा स्कूल बीच में छोड़ना

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर			उच्चतर स्तर		
		छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	62.41	67.76	64.72	79.39	86.89	82.63	84	88.63	86.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	48.85	56.80	52.27	65.90	65.18	65.58	63.38	61.09	62.42
4.	बिहार	67.53	72.52	68.94	83.63	88.63	84.97	88.12	93.15	89.39
5.	गोवा	53.67	51.72	52.81	68.07	73.30	70.42	78.06	84.49	81.07
6.	गुजरात	23.05	44.17	32.46	52.35	70.37	60.05	65.19	79.26	71.29
7.	हरियाणा	30.62	41.65	36.01	52.31	70.65	59.64	73.40	86.86	78.12
8.	हिमाचल प्रदेश	39.10	40.00	39.5	42.04	50.33	45.64	62.85	74.30	67.78
9.	जम्मू व कश्मीर	24.58	25.30	24.86	34.67	28.43	32.33	77.68	81.63	79.09
10.	कर्नाटक	48.78	57.11	52.54	61.93	80.08	70.99	70.31	81.34	75.03
11.	केरल	2.91	5.04	3.94	9.92	7.83	8.91	54.01	47.93	51.05
12.	मध्य प्रदेश	33.44	53.08	41.17	58.87	78.44	65.62	51.87	85.28	61.58
13.	महाराष्ट्र	35.30	48.92	41.73	52.17	68.43	59.66	65.84	79.40	71.96
14.	मणिपुर	79.81	82.87	81.33	84.29	85.96	85.14	81.31	82.07	81.70
15.	मेघालय	20.86	15.00	17.96	69.59	71.81	70.62	18.52	43.08	30.57
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	57.42	57.32	57.38	74.00	81.24	76.75	78.48	86.47	81.54
19.	पंजाब	36.43	41.53	38.72	60.90	69.35	64.66	75.82	83.66	79.34
20.	राजस्थान	63.22	74.07	66.02	72.12	85.46	74.99	79.97	91.82	82.07
21.	सिक्किम	96.91	67.86	94.76	86.72	85.85	86.33	91.99	90.93	91.51
22.	तमिलनाडु	23.14	29.57	26.16	49.03	50.83	49.85	73.39	82.33	77.32
23.	त्रिपुरा	56.92	61.63	59.1	72.06	79.14	75.38	85.39	89.58	87.29
24.	उत्तर प्रदेश	30.70	57.41	40.06	59.00	69.88	61.76	68.22	84.58	72.20

25.	पश्चिम बंगाल	59.30	63.71	61.03	74.66	84.92	79.26	88.15	89.83	88.81
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	25.49	17.97	21.90
28.	दादर व नगर हवेली	45.90	52.94	49.61	0	10.31	0	44.90	34.15	40.00
29.	दमण व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	50.80	55.17	52.82	44.96	53.33	48.81	58.98	73.39	65.36
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	2.33	25.49	14.23	74.30	83.38	77.65
	भारत	46.27	53.96	49.35	64.34	73.24	67.77	74.30	83.38	77.65

अनुबन्ध-3.III ख

वर्ष 1990-91 में अनुसूचित जनजातियों द्वारा स्कूल बीच में छोड़ना

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर			उच्चतर माध्यमिक स्तर		
		छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.65	71.95	68.64	85.60	90.92	87.57	90.10	93.30	91.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	62.21	58.19	60.71	77.67	77.81	77.72	80.32	87.44	82.93
3.	असम	65.13	67.10	66.00	72.15	74.95	73.34	72.11	75.76	73.66
4.	बिहार	70.96	71.81	71.26	85.12	86.81	85.71	90.72	92.37	90.99
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	गुजरात	53.98	66.51	59.39	75.35	83.26	78.66	84.59	88.90	86.39
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	37.40	35.76	36.74	38.51	51.88	43.75	61.94	65.96	63.39
9.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	55.24	58.71	56.71	41.46	66.70	54.17	66.45	74.58	69.89
11.	केरल	9.26	17.22	13.16	34.82	35.85	35.31	68.25	64.11	66.30
12.	मध्य प्रदेश	31.00	52.27	38.59	67.52	84.47	75.98	81.61	91.79	85.66
13.	महाराष्ट्र	56.24	63.88	59.48	70.86	80.25	74.84	80.62	88.19	83.71
14.	मणिपुर	77.96	78.80	78.34	84.76	85.82	85.25	85.43	87.18	85.94
15.	मेघालय	68.00	67.95	67.98	78.95	85.14	81.97	71.50	79.96	71.25
16.	मिजोरम	57.91	58.37	58.13	56.75	53.81	55.31	45.60	42.29	44.03
17.	नागालैण्ड	45.83	49.23	47.42	61.93	57.95	60.09	75.04	73.56	74.42
18.	उड़ीसा	78.03	74.14	76.81	84.39	86.05	84.94	86.84	91.86	88.56
19.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	राजस्थान	73.01	84.20	75.92	76.83	89.97	79.60	79.80	91.67	81.61
21.	सिक्किम	68.22	54.97	62.81	81.60	73.36	78.10	88.09	85.97	87.18
22.	तमिलनाडु	37.82	50.55	43.71	51.48	50.89	51.24	62.83	71.40	66.40
23.	त्रिपुरा	70.78	73.72	72.13	84.23	86.88	85.34	91.01	94.30	92.37
24.	उत्तर प्रदेश	15.81	64.42	37.31	47.61	74.09	55.47	44.41	77.85	54.06
25.	पश्चिम बंगाल	62.47	69.68	65.07	81.97	88.52	84.20	92.22	92.42	92.28

26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	7.67	17.10	12.09	35.54	30.30	33.20	64.80	64.21	64.54
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	दादर व नगर हवेली	35.79	63.57	48.36	62.31	74.51	67.26	84.19	91.00	87.09
29.	दमण व दीव									
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	5.62	10.11	7.64	29.66	44.92	37.07	69.69	78.12	73.72
32.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	भारत	60.28	66.14	62.52	75.67	82.19	78.57	83.34	87.71	85.01

अनुबन्ध -7.IV

वर्ष 1999-2000 में कक्षा I से V तक छात्र/ छात्राओं द्वारा बीच में छोड़ने की कुल दरें

क्रम सं०	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	छात्र	छात्राएं	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	39.42	41.23	40.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.77	50.81	50.23
3.	असम	25.85	42.20	33.69
4.	बिहार	56.50	58.64	57.27
5.	गोवा	5.83	11.51	8.58
6.	गुजरात	30.51	28.10	29.49
7.	हरियाणा	16.09	12.78	14.57
8.	हिमाचल प्रदेश	36.63	33.90	35.35
9.	जम्मू व कश्मीर	55.12	47.39	51.84
10.	कर्नाटक	30.32	27.19	28.87
11.	केरल	-9.03	-5.00	-7.05
12.	मध्य प्रदेश	16.02	22.97	19.03
13.	महाराष्ट्र	18.99	21.72	20.29
14.	मणिपुर	43.66	42.90	43.30
15.	मेघालय	57.63	57.22	57.43
16.	मिजोरम	51.96	51.27	51.64
17.	नागालैण्ड	46.78	46.78	46.73
18.	उड़ीसा	27.87	44.38	36.12
19.	पंजाब	24.57	20.15	22.49
20.	राजस्थान	46.00	62.68	52.53
21.	सिक्किम	61.27	56.35	58.94
22.	तमिलनाडु	42.70	39.19	41.10
23.	त्रिपुरा	49.66	49.25	49.47
24.	उत्तर प्रदेश	53.11	62.16	56.64
25.	पश्चिम बंगाल	49.85	58.48	54.07
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5.52	5.77	5.64
27.	चंडीगढ़	-67.15	-66.17	-66.70
28.	दादर व नगर हवेली	23.69	41.29	31.53
29.	दमण व दीव	0.76	6.60	3.59
30.	दिल्ली	5.36	6.03	5.67
31.	लक्षद्वीप	1.58	4.08	2.70
32.	पांडिचेरी	-6.44	-6.19	-6.32
	भारत	38.67	42.28	40.25

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट - 2000-2001 प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।

स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
1.	बी.ए./बी.ए. (आनर्स)	249850	99040	348890	97924	45626	143550
2.	बी.एस.सी/बी.एस.सी (आनर्स)	61539	28205	89744	15469	6704	22173
3.	बी.कॉम/ बी.कॉम (आनर्स)	52996	22688	75684	15882	5053	20935
4.	बी.ई./बी.एस.सी(अंग्रेजी)/बी. आर्च	24021	6172	30193	6381	1063	7444
5.	एम.बी.बी.एस/ आयुर्वेद	7791	4824	12615	2958	1516	4474
6.	बी.एड./ बी.टी	9366	3638	13004	3378	1450	4828
7.	एम.ए.	33489	10604	44093	6985	3701	11686
8.	एम.एस.सी	6877	3257	10134	1434	1469	2904
9.	एम. काम	4967	1467	6434	1328	349	1677
10.	पी.एच.डी./ डी.एस.सी./ डी. फिल	1429	469	1898	468	252	720

स्रोत: चयनित शैक्षणिक आंकड़े (दिनांक 30 सितम्बर, 1998, 1998-99 की स्थिति के अनुसार)

अध्याय - VIII

सेवा सम्बन्धी सुरक्षण

8.1 पृष्ठभूमि

8.1.1 दलित और जनजातियों के लोग शताब्दियों से भेद-भाव के शिकार रहे हैं और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अवसरों से वंचित रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय लोक सेवाओं में इन समुदायों का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। श्री पी.एस.वर्मा द्वारा वर्ष 1992 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1935 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व केवल एक प्रतिशत था, जबकि देश की जनसंख्या में उनका हिस्सा 60 प्रतिशत से अधिक था। लोक सेवाओं में दलित वर्गों के नगण्य प्रतिनिधित्व को देखते हुए वर्ष 1932 के पूना पैक्ट में यह सहमति हुई थी कि निर्वाचित निकायों में और लोक सेवाओं की नियुक्तियों में इन समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के भरसक प्रयत्न किए जाएंगे।

8.1.2 स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद, संविधान का निर्माण करते समय यह महसूस किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए विशेष उपबन्ध किए जाने जरूरी हैं। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 16 (4), 16 (4क), 16 (4ख) और 335 के अंतर्गत विशेष उपबन्ध किए गए थे। अनुच्छेद 16 (4), यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 16 (4क) और 16 (4ख) बाद में, संविधान का संशोधन करके, अंतर्विष्ट किए गए थे, ताकि पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। अनुच्छेद 335 यह व्यवस्था करता है कि राज्य, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं में नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार, ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार, संविधान में ये उपबन्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को देश के शासन और प्रशासन में उचित हिस्सा दिलाने और अवसर प्रदान करने के लिए किए गए हैं।

8.1.3 संविधान के इन उपबन्धों को कार्य रूप देने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, जिसे इस प्रयोजनार्थ नोडल विभाग अधिसूचित किया गया है, समय-समय पर कार्यकारी अनुदेश जारी किए गए हैं। इस समय, अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण और उन पदों में, जिनके लिए भर्ती अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता से भिन्न तरीके से होती है, 16.66 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरक्षण की प्रतिशतता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में भिन्न-भिन्न है। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्रारम्भिक भर्ती में और पदोन्नतियों में भी छूट और रियायतें देने के लिए विशेष अनुदेश जारी किए गए हैं।

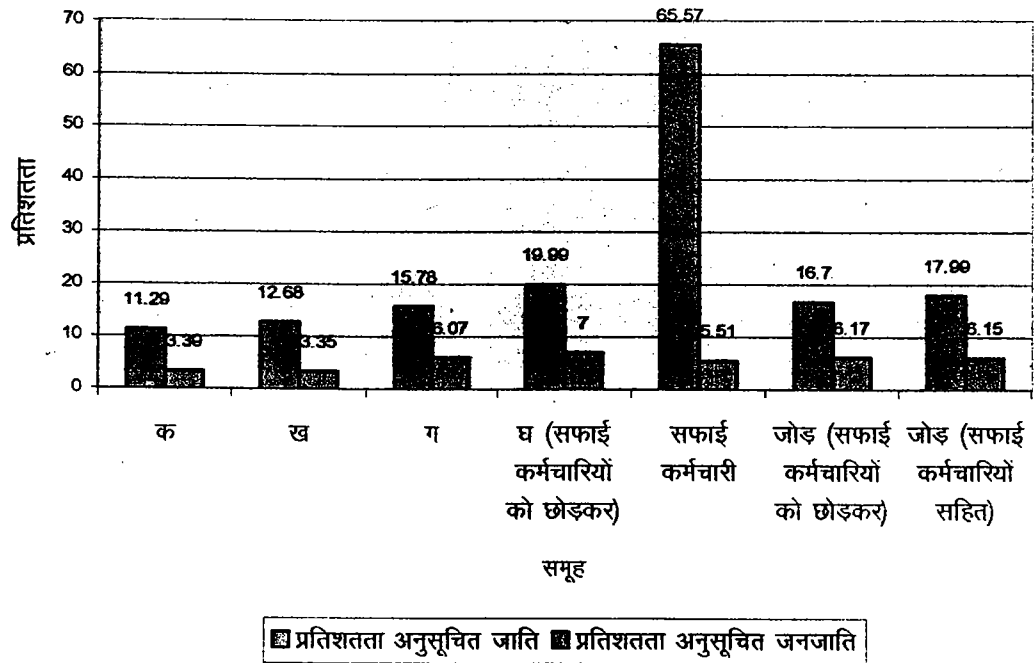
8.1.4 आरक्षणों की स्कीम इस समय कार्यकारी अनुदेशों पर आधारित है । हालांकि सकारात्मक भेदभाव के सिद्धान्त को प्रणाली के अन्दर न्यूनाधिक रूप से शामिल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ कमजोर क्षेत्र हैं, जिनकी ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत है । अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सभी स्तरों पर, और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व समूह 'क' और 'ख' के पदों में अभी भी बहुत कम है; इस के लिए विशेष प्रयास किए जाने जरूरी हैं। आरक्षण नीति का एक खेदजनक पहलू यह है कि यद्यपि इसे सिद्धान्त रूप से सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस नीति के पीछे जो भावना है, उसकी प्रायः उपेक्षा की जाती है । विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत आरक्षण नीति को कड़ाई से लागू न किए जाने पर, इसके उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ दांडिक कार्रवाई किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसलिए इसका कार्यान्वयन अप्रभावकारी बना हुआ है । आयोग आरक्षण नीति को सांविधिक आधार प्रदान करने की सिफारिशें करता रहा है, जिन पर पूरी ईमानदारी से और शीघ्रतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

8.2 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व ।

8.2.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 15.12.2000 के अपने पत्र संख्या 1-28011/23/2000-प्रशासन-III द्वारा सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रतिनिधित्व के बारे में अद्यतन सूचना, दिनांक 1.1.99 की स्थिति के अनुसार, इस आयोग को भेजी थी । लेकिन दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार, कुछ मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है । दिनांक 1.1.99 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में पूरी सूचना नीचे की तालिका में दी गई है :

समूह	जोड़	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशतता
क	93520	10558	11.29	3172	3.39
ख	104963	13306	12.68	3512	3.35
ग	2396426	378115	15.78	145482	6.07
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	949353	189761	19.99	66487	7.00
सफाई कर्मचारी	96435	63233	65.57	5314	5.51
जोड़ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	3544262	591740	16.7	218653	6.17
जोड़ (सफाई कर्मचारियों सहित)	3640697	654973	17.99	223967	6.15

दिनांक 1.1.99 की स्थिति के अनुसार सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व



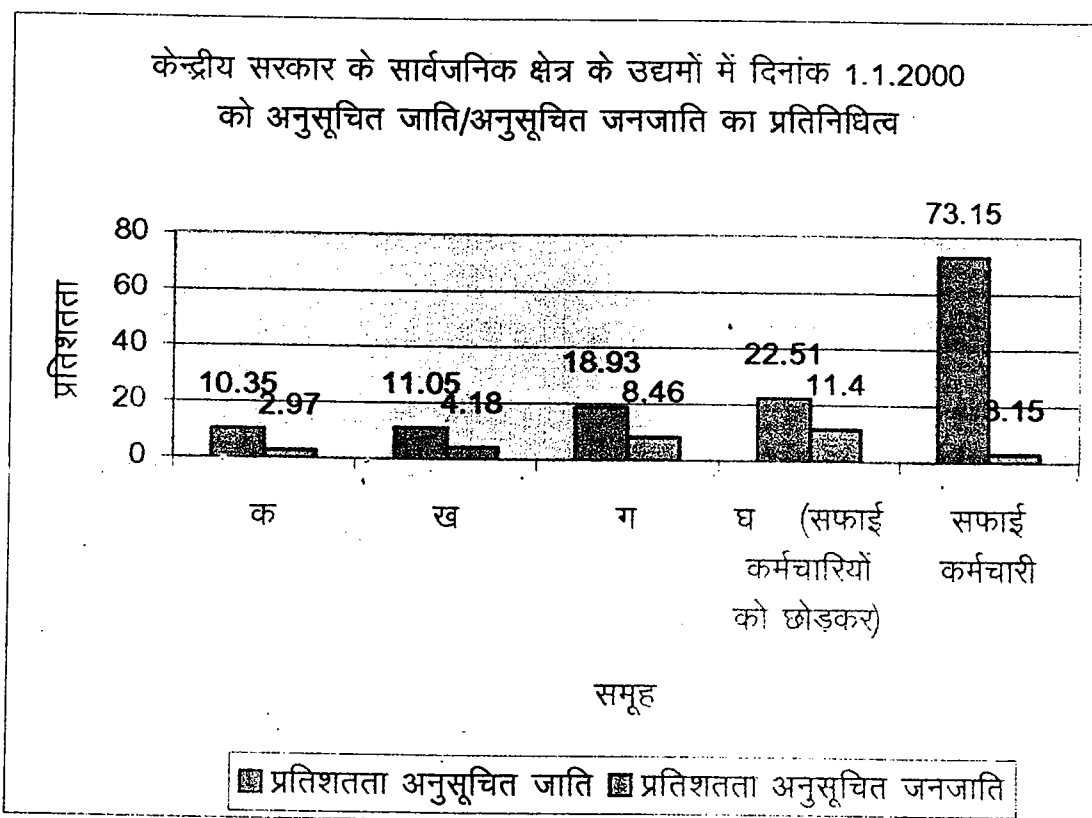
उपर्युक्त तालिका से प्रकट होता है कि समूह 'क' और 'ख' के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी पूरा नहीं है और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व समूह 'क' और 'ख' के पदों में बहुत कम है और समूह 'ग' और 'घ' के पदों में भी अनुसूचित जनजाति का विहित प्रतिनिधित्व अभी प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसलिए सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अधिक जोरदार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से समूह 'क' में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित सूचना को दो श्रेणियों में विभाजित करने का अनुरोध किया गया था, अर्थात् (i) समूह 'क' के निम्नतम स्तर पर और (ii) समूह 'क' के निम्नतम स्तर से ऊपर के पदों के बारे में। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सूचित किया गया था कि प्रतिनिधित्व के आंकड़ों को एकत्र और संकलित करने के काम में बहुत समय लगता है। वर्ष 1999 तक की अवधि के बारे में मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना से स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चलता कि समूह 'क' के निम्नतम स्तर पर और उससे ऊपर के स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिनिधित्व है। यह आश्वासन दिया गया था कि मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाएगी कि वे वर्ष 2000 के बारे में, अर्थात् दिनांक 1-1-2001 को और उसके बाद की स्थिति के अनुसार, समूह 'क' के निम्नतम स्तर पर और समूह 'क' के निम्नतम स्तर से ऊपर के स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में सूचना अलग-अलग भेजें।

8.2.2 केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दिनांक 1.1.2000 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के बारे में अद्यतन सूचना, दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार जो सार्वजनिक उद्यम विभाग से प्राप्त हुई हैं, नीचे की तालिका में दी गई है :-

दिनांक : 1.1.2000 को

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशतता
क	204127	21125	10.35	6057	2.97
ख	175159	19355	11.05	7317	4.18
ग	1013917	191931	18.93	85744	8.46
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	407425	91729	22.51	46463	11.40
जोड़	1800628	324140	18.00	145581	8.09
सफाई कर्मचारी	27903	20412	73.15	878	3.15
कुल जोड़	1828531	344552	18.84	146459	8.01



उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि समूह क और ख वर्गों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की विहित प्रतिशतता से कम है। समूह क और ख में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है।

8.2.3 रिपोर्टीधीन वर्ष में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों, सरकारी उपक्रमों और सरकार द्वारा स्थापित अन्य निकायों के साथ समीक्षा बैठकें की। ऐसे संगठनों की सूची इस प्रकार है :

1. भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संगठन, नई दिल्ली
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, लिमिटेड
3. पावर ग्रिड कारपोरेशन, नई दिल्ली
4. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
5. भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नई दिल्ली
7. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
8. सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, रांची
9. हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची
10. भीकोन (एम.ई.सी.ओ.एन.) रांची
11. कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता
12. वेस्टर्न कोल फील्ड्स, नागपुर
13. बी.एच.ई.एल., नागपुर
14. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
15. साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर
16. भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई
17. मंगनीज़ ओर इंडिया लिमिटेड, नागपुर
18. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन
19. एन.टी.पी.सी., सोनभद्र
20. मारमुग पोर्ट ट्रस्ट, गोवा
21. मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट, मुम्बई
22. नाल्को, भुवनेश्वर
23. भारतीय वन संस्थान, भोपाल
24. ओ.एन.जी.सी., देहरादून
25. बी.पी.सी.एल., मुम्बई
26. एच.पी.सी.एल., मुम्बई
27. वी.एस.एन.एल., मुम्बई
28. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, विशाखापत्तनम
29. विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम
30. होटल कारपोरेशन आफ इंडिया
31. एयर इंडिया, मुम्बई
32. शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, मुंबई
33. भारतीय रिजर्व बैंक
34. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली
35. जी.ओ.आई. पर्यटन कार्यालय, नई दिल्ली

8.2.4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में पिछले 3 वर्षों की जानकारी भेजी है, जो नीचे की तालिका में दी गई है :-

		1.1.98 को	1.1.99 को	1.1.2000 को
अधिकारी	कुल	252072	254511	254692
	अनुसूचित जाति	29956	30857	31871
	प्रतिशत	11.80	12.12	12.51
	अनुसूचित जनजाति	10098	10412	10749
	प्रतिशत	4.00	4.09	4.22
लिपिक	कुल	465780	460909	456802
	अनुसूचित जाति	69902	70160	67975
	प्रतिशत	15.00	15.22	14.88
	अनुसूचित जनजाति	22416	22321	21755
	प्रतिशत	4.81	4.84	4.76
अधीनस्थ कर्मचारी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	जोड़	183061	179606	178428
	अनुसूचित जाति	42567	42766	43653
	प्रतिशत	23.25	23.81	24.46
	अनुसूचित जनजाति	11275	11138	11154
	प्रतिशत	6.15	6.20	6.25
सफाई कर्मचारी	कुल	43509	43508	39406
	अनुसूचित जाति	22864	22707	20086
	प्रतिशत	52.55	52.18	50.97
	अनुसूचित जनजाति	2449	2386	2422
	प्रतिशत	5.62	5.48	6.14

उपर्युक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व पिछले 3 वर्षों में विहित प्रतिशतता तक नहीं पहुंचा है। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सभी संवर्गों में पिछड़ा हुआ है, जबकि पिछले तीन वर्षों में लिपिकों, अधीनस्थ कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के संवर्गों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अधिकारियों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की विहित प्रतिशतता प्राप्त करने और अधिकारियों, लिपिकों, अधीनस्थ कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के सभी संवर्गों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की विहित प्रतिशतता प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की आरक्षण-नीति का अनुपालन करना चाहिए।

8.2.5 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों की सेवाओं में दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और चार अन्य बीमा कम्पनियों, अर्थात् नेशनल एशुरेंस कम्पनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एशुरेंस कम्पनी लिमिटेड, ओरियंटल इंशुरेंस कम्पनी लिमिटेड और यूनाइटेड इण्डिया इंशुरेंस कम्पनी लिमिटेड की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना भेजी है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कर्मचारियों की संख्या के बारे में वित्त वर्ष के आधार पर आंकड़े एकत्र किए हैं, और इस प्रकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में अपेक्षित सूचना दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के

अनुसार भेजी गई है, जबकि भारतीय साधारण बीमा निगम और चार बीमा कम्पनियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में अपेक्षित सूचना दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार भेजी है। वांछित जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है :

बीमा क्षेत्र में दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार, सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना

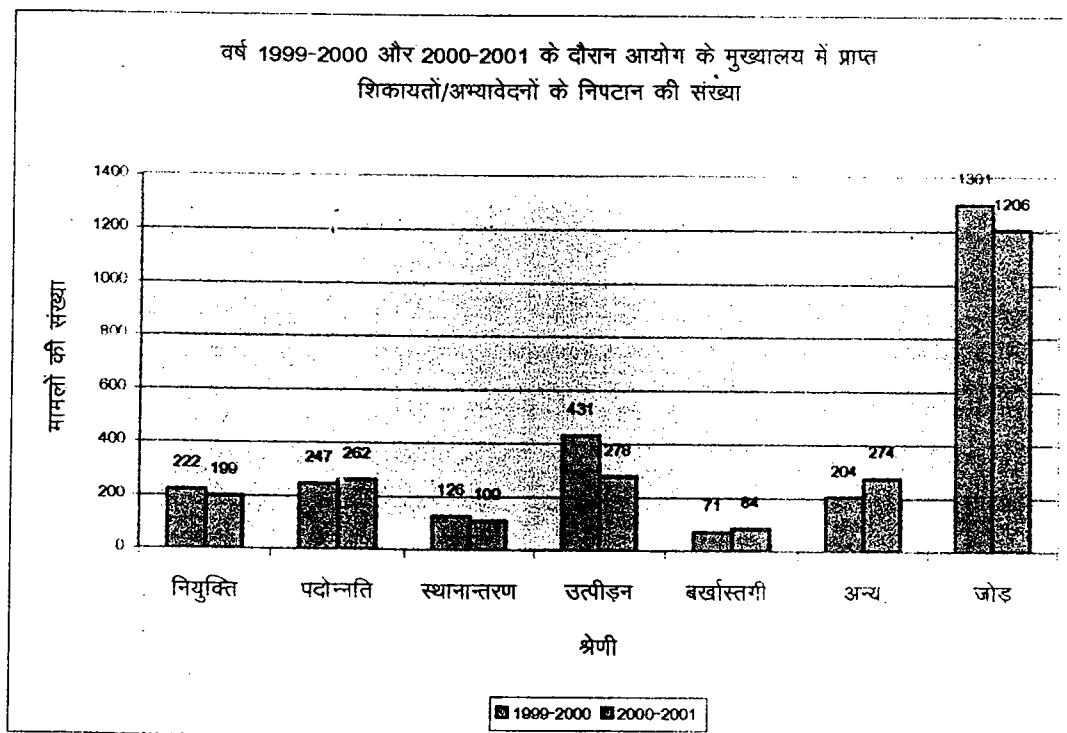
कम्पनी श्रेणी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल की तुलना में प्रतिशत
श्रेणी I					
नेशनल	3698	533	14.41	90	2.43
न्यू इंडिया	4195	734	17.50	106	2.53
ओरिएंटल	3632	535	14.73	106	2.92
यूनाइटेड इंडिया	4050	719	17.75	123	3.04
साधारण बीमा निगम	253	33	13.04	4	1.58
भारतीय जीवन बीमा निगम (समूह क के निम्नतम स्तर से भिन्न)	7910	1081	13.67	257	3.25
समूह क के निम्नतम स्तर पर जोड़	8312	1293	15.56	483	5.81
जोड़	32050	4928	15.38	1169	3.65
श्रेणी II					
नेशनल	2867	263	9.17	59	2.06
न्यू इंडिया	3418	320	9.36	89	2.60
ओरिएंटल	3068	353	11.51	92	3.00
यूनाइटेड इंडिया	3064	297	9.69	69	2.25
साधारण बीमा निगम	0	0	0	0	0
भारतीय जीवन बीमा निगम	19474	2721	13.97	856	4.39
जोड़	31891	3954	12.40	1165	3.65
श्रेणी III					
नेशनल	10134	1948	19.22	502	4.95
न्यू इंडिया	13603	2218	16.31	714	5.25
ओरिएंटल	10219	1848	18.08	616	6.03
यूनाइटेड इंडिया	11605	2427	20.91	618	5.33
साधारण बीमा निगम	340	69	20.29	19	5.59
भारतीय जीवन बीमा निगम	76804	12645	16.46	5632	7.33
जोड़	122705	21155	17.24	8101	6.60
श्रेणी IV					
नेशनल	2396	759	31.55	185	7.72
न्यू इंडिया	2690	1091	40.56	222	8.25
ओरिएंटल	2403	754	31.38	200	8.32
यूनाइटेड इंडिया	2462	912	37.04	221	8.98
साधारण बीमा निगम	119	28	23.53	13	10.92
भारतीय जीवन बीमा निगम (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	9794	2543	25.96	830	8.47
सफाई कर्मचारी	573	320	55.85	41	7.16
जोड़	20437	6407	31.35	1712	8.38

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नेशनल इंशुरेंस कम्पनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंशुरेंस कम्पनी लिमिटेड, जी.आई.सी. और एल.आई.सी. के मामले में (समूह क के निम्न स्तर से भिन्न स्तरों पर) श्रेणी I की सेवाओं में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व थोड़ा सा कम है, जबकि अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बीमा कम्पनियों में श्रेणी I की सेवाओं में सन्तोषजनक नहीं है। इन कम्पनियों की श्रेणी II की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विहित स्तर अर्थात् क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुंचा है। श्रेणी III की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी पूरा नहीं है। इसलिए श्रेणी I और II की सेवाओं में अनुसूचित जातियों को और श्रेणी II और III की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

8.3.1 आयोग के मुख्यालय में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान

भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, बैंकों, आदि में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के बारे में आयोग के मुख्यालय द्वारा वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान जो मामले हाथ में लिए, उनकी संख्या क्रमशः 1301 और 1206 थी। शिकायतों के स्वरूप के अनुसार, श्रेणी-वार वर्गीकरण की जानकारी नीचे तालिका में दी गई है:

	1999-2000	2000-2001
नियुक्ति	222	199
पदोन्नति	247	262
स्थानान्तरण	126	109
उत्पीड़न	431	278
बर्खास्तगी	71	84
अन्य	204	274
जोड़	1301	1206

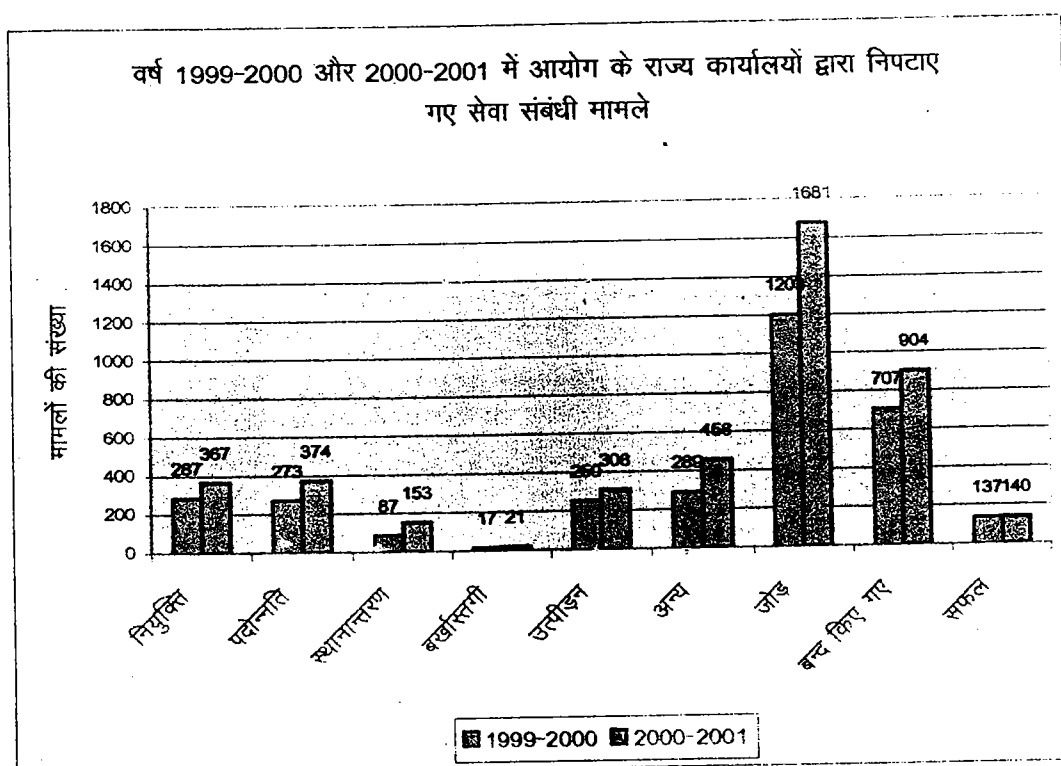


जांच के लिए हाथ में लिए गए कुल मामलों में से वर्ष 1999-2000 के 318 मामलों और वर्ष 2000-2001 के 256 मामलों का निपटारा आयोग के मुख्यालय द्वारा विस्तृत जांच करने के बाद और विभिन्न सम्बन्धित सरकारी संगठनों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके अन्तिम रूप से किया गया और क्रमशः 138 और 94 मामलों में याचिकाकर्ताओं को वांछित राहत प्रदान की गई।

8.3.2 वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में आयोग के राज्य कार्यालयों द्वारा निपटाए गए सेवा संबंधी मामले

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में आयोग के राज्य कार्यालयों द्वारा हाथ में लिए गए सेवा सम्बन्धी मामलों के स्वरूप, सफल मामलों और इन वर्षों में बन्द किए गए मामलों की जानकारी नीचे की तालिका में दी गई है:

	1999-2000	2000-2001
नियुक्ति	287	367
पदोन्नति	273	374
स्थानान्तरण	87	153
बर्खास्तगी	17	21
उत्पीड़न	250	308
अन्य	289	458
जोड़	1203	1681
बन्द किए गए	707	904
सफल	137	140



उपर्युक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान आयोग के राज्य कार्यालयों द्वारा विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ कुल 1203 मामले उठाए गए, जिनमें से

137 मामले सफल घोषित किए गए, जिनमें याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की गई। उस वर्ष 707 मामले बन्द कर दिए गए और शेष 359 मामलों के बारे में अभी कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार, वर्ष 2000-2001 में 1681 मामलों को हाथ में लिया गया, जिनमें से 140 मामलों में याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की गई और 904 मामले उसी वर्ष बन्द कर दिए गए और शेष 637 मामलों के बारे में अभी कार्रवाई की जा रही है।

8.4 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा

8.4.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने आयोग के सदस्यों और अधिकारियों के साथ मिलकर आरक्षण नीति और संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए दिनांक 10-1-2001 को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। आयोग के अध्यक्ष ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रणाली और संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि सेवाओं में समाज के वंचित वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के संवैधानिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किए जाने से आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के बारे में होने वाली मुकदमेबाजी काफी कम हो जाएगी। उन्होंने यह उल्लेख भी किया कि राजनीतिक आरक्षण की तरह, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को देखते हुए, अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत के आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में चिंता प्रकट की कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी भी अपर्याप्त बना हुआ है। बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई :-

8.4.2 आरक्षण अधिनियम

आयोग के अध्यक्ष ने आरक्षण अधिनियम को शीघ्र अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुव्यवस्थित हो जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया कि इस अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बार-बार न्यायिक अर्थ-निर्णय की गुंजाइश न रहे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने बताया कि इस समय आरक्षण नीति का कार्यान्वयन समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी आदेशों के आधार पर किया जा रहा है, जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त है और उसके साथ-साथ उनमें समय की जरूरतों के अनुसार परिवर्तन किए जाने का लचीलापन भी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरक्षण अधिनियम के बारे में उनकी टिप्पणियां मांगी गई थीं और विभाग ने उस मंत्रालय को अपने विचार भेज दिए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि दिसम्बर, 1999 में संसद सदस्यों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें जिन मद्दों पर चर्चा हुई थी उनमें से एक मद संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के बारे में और उस सम्मेलन में इस संबंध में एक अधिनियम बनाने की जोरदार सिफारिश की गई थी। उक्त सम्मेलन में माननीय संसद सदस्यों द्वारा दी गई सलाह को देखते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस विषय पर विचार कर रहा है। चूंकि सेवाओं में पदों के आरक्षण का मामला कार्यों के आबंटन नियम, 1961 के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सौंपा गया है, इसलिए आयोग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया कि वह चर्चा के प्रकाश में मामले पर विचार करें और आरक्षण अधिनियम के अधिनियमन के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करें।

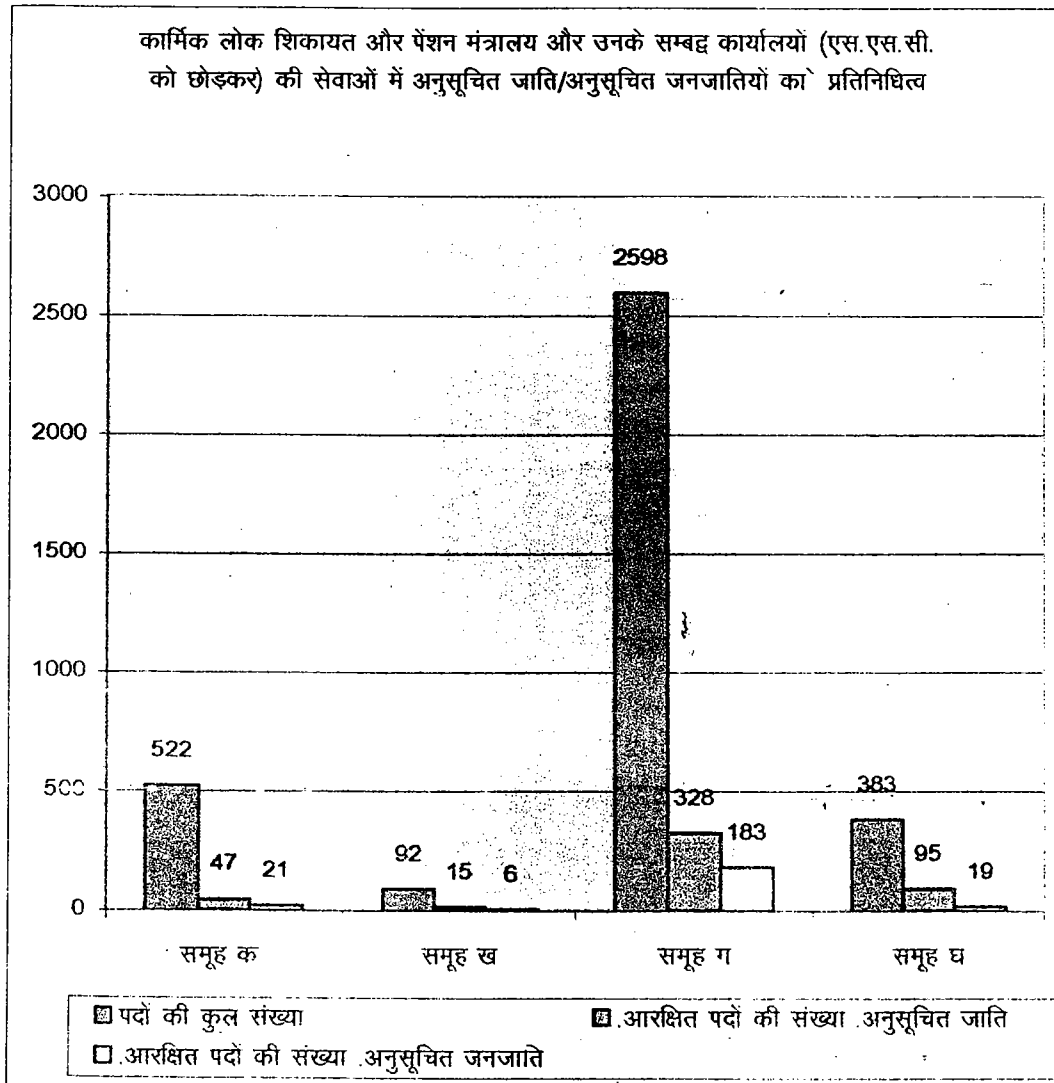
बारे में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष ने यह मत व्यक्त किया कि इन पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम होने की संभावना है और इन स्तरों पर इन जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की चर्चा करते समय, अध्यक्ष ने यह कहा कि आई.ए.एस. और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का आबंटन करते समय यह सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनका आबंटन उनके मूल राज्यों अथवा पड़ोसी राज्यों में किया जाए। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों का अपने समुदाय के साथ विशेष लगाव होता है और उनकी जनजाति के सदस्य उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता करेंगे। किसी दूरस्थ राज्य अथवा क्षेत्र में उनकी तैनाती होने से, वे अपने समुदाय के लिए कार्य करने में अप्रभावी रहते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने आयोग के अध्यक्ष के इस सुझाव पर विचार करना स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित मुद्दे पर, अध्यक्ष द्वारा 20.3.2001 को हुई बैठक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव के साथ फिर चर्चा की गई। आयोग के अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया कि विभिन्न राज्यों के दौरों के समय आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य सिविल सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल कुछ पॉकेटों तक सीमित है और जनजातीय लोगों की विशाल संख्या का, विशेष रूप से मध्य भारत की जनजातियों का, इन सेवाओं में कदाचित कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया गया कि इन सेवाओं में देश के सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विशिष्ट उपाय किए जाएं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से यह अनुरोध भी किया गया है कि सम्बन्धित अधिकारियों को यह हिदायतें जारी की जाएं कि वे प्रत्येक सेवा के लिए चुने गए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या के बारे में आयोग को वर्ष-वार सूचना भेजें।

8.4.6 स्थानीय अनुपातों पर सीधी भर्ती और राष्ट्रीय प्रतिशतता पर पदोन्नतियों के लिए आरक्षण के विभिन्न रोस्टरों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियां

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह सूचित किया गया कि समूह ग और घ के पदों के लिए जो सामान्यतः क्षेत्रीय आधार पर भरे जाते हैं, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था और पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए 1982 के डब्ल्यू. पी. संख्या 1098 में मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 29-8-1988 के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ दायर की गई अपील में वैद्य ठहराया गया है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सेवाओं में पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण की भिन्न-भिन्न प्रतिशतताएं विहित करने के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

8.4.7 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और उनके सम्बद्ध कार्यालयों (एस.एस.सी. को छोड़ कर) की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी, दिनांक 1-1-2000 की स्थिति के अनुसार, नीचे की तालिका में दी गई है :-

पदों की श्रेणी	पदों की कुल संख्या	आरक्षित पदों की संख्या		कर्मचारियों की प्रतिशतता	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	522	47	21	10.9 %	2.29 %
समूह ख	92	15	6	13.04 %	5.43 %
समूह ग	2598	328	183	12.29 %	5.08 %
समूह घ	383	95	19	35.24 %	3.65 %



उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि समूह क, ख और ग में अनुसूचित जाति का और क, ख, ग और घ के सभी समूहों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कार्मिक मंत्रालय में अपर्याप्त है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

8.4.3 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1997 में जारी किए गए पांच कार्यालय ज्ञापनों की समीक्षा

आयोग को वर्ष 1997 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए पांच कार्यालय ज्ञापनों की स्थिति से अवगत कराया गया, जो इस प्रकार हैं :

(i) दिनांक 30-1-1997 का कार्यालय ज्ञापन

दिनांक 30-1-97 के कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा विचाराधीन थी, जब अजित सिंह-II के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय की घोषणा हुई। इसके कारण भारत के महान्यायवादी की और आगे राय लेना जरूरी हो गया, जिसके प्राप्त होने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने बताया कि भारत के महान्यायवादी की राय के साथ, दिनांक 30-1-97 के कार्यालय ज्ञापन की स्थिति माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 30-1-97 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों में नाराजगी के बारे में आयोग को अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को वापस लेने और यदि आवश्यक हो, तो संविधान में संशोधन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

(ii) दिनांक 2-7-1997 का कार्यालय ज्ञापन

दिनांक 2-7-1997 के कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा करने का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने महान्यायवादी के साथ सलाह-मशवरा कर लिया है और उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि कार्यालय ज्ञापन में कोई त्रुटि नहीं है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने बताया कि भारत के महान्यायवादी की राय के साथ, दिनांक 2-7-1997 के कार्यालय ज्ञापन की स्थिति माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष निर्णयार्थ रखी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि रोस्टर्स में परिवर्तन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी हुई है, इसलिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को चाहिए कि वह इस कार्यालय ज्ञापन को तत्काल वापस लेने के लिए कदम उठाए।

(iii) दिनांक 13-8-1997 का कार्यालय ज्ञापन

संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) की, जिसके अनुसरण में दिनांक 13-8-1997 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है, अंतर्वस्तु और उसके संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष चुनौती दी गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया गया कि वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों का ब्योरा आयोग के पास उसके विचारार्थ भेजे।

(iv) दिनांक 22-7-1997 का कार्यालय ज्ञापन

संविधान (बियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 पारित किया गया है, जिसके द्वारा अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत एक परन्तुक अन्तर्विष्ट किया गया है। तदनुसार, दिनांक

3.10.2000 का कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 22.7.97 को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन आशोधित किया गया है।

(v) दिनांक 29-8-1997 का कार्यालय ज्ञापन

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के बाद संविधान में अनुच्छेद 16 (4ख) अन्तर्विष्ट किया गया है। तदनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 29.8.1997 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जो अनुदेश जारी किए गए थे, उन्हें दिनांक 20.7.2000 के एक अन्य कार्यालय ज्ञापन द्वारा आशोधित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि चूंकि कार्यालय ज्ञापन को आशोधित कर दिया गया है, इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को चाहिए कि वह बैकलाग रिक्तियां अभिनिर्धारित करने के लिए कार्रवाई शुरू करें और विभागों को सलाह दें कि वे बैकलाग को क्लियर करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं।

(vi) आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इन कार्यालय ज्ञापनों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और इसलिए आयोग को इन कार्यालय ज्ञापनों के बारे में भारत के माननीय राष्ट्रपति को एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ी थी, जिसे संसद में रखा गया है। उन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से पुनः अनुरोध किया कि वह शेष कार्यालय ज्ञापनों को आशोधित करने/वापस लेने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18.3.1999 को संसद में आश्वासन दिया गया था।

8.4.4 आरक्षण की प्रतिशतता

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत की आरक्षण व्यवस्था, गृह मंत्रालय के 25.3.1970 के संकल्प संख्या 27/25/68-एस्ट (एस.सी.टी.) द्वारा 1961 की जनगणना को देखते हुए की गई थी। तब से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में काफी वृद्धि हुई है और तदनुसार, राजनीतिक आरक्षण में वृद्धि की गई है। इसी प्रकार, सेवाओं में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को, जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मौजूदा अनुपात को देखते हुए, वृद्धि की जानी चाहिए।

8.4.5 सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

अध्यक्ष ने भारत सरकार के अधीन सेवाओं के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उच्च स्तरों के पदों पर इस प्रतिनिधित्व की कमी का उल्लेख किया, जो खासतौर से अनुसूचित जनजाति के मामले में और भी ज्यादा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने बताया कि समूह क और ख के मामले में सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग संगठित सेवाओं के लिए अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार भर्ती कर लेता है। संघ लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया कि आरक्षित मेडिकल पदों के लिए, विशेष रूप से अति विशेषज्ञता वाले (सुपर स्पेशलिटीज) पदों के लिए, प्रतिमानों में ढील दिए जाने पर भी, उपयुक्त उम्मीदवारों के मिलने में कुछ समस्या पेश आती है। यह भी नोट किया गया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यावेदनों के बारे में सूचना इसलिए संकलित नहीं करता, क्योंकि इन पदों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है और आरक्षण के

8.4.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ (एसोसिएशन)

आयोग ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बनाए गए संघों को कुछ न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि ये संघ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों का प्रायः अन्य वर्गों के कर्मचारियों के हितों के साथ टकराव होता है, इसलिए आम ट्रेड यूनियन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों के मामलों को नहीं उठाती। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने सरकारी नियमों का हवाला दिया, जिनके अनुसार जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के संघ बनाना निषिद्ध है। अध्यक्ष ने बताया कि स्वयं संविधान में सकारात्मक भेदभाव करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्दों का प्रयोग किया गया है और ये संघ प्रबन्धकों को अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में सहायता देते हैं इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों को मान्यता देने और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सहायता देने के लिए कुछ न्यूनतम सुविधाएं देने के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों में पदाधिकारियों के एक तिहाई पद इन समुदायों की महिलाओं द्वारा भरे जाने चाहिए।

8.4.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका

आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका को अद्यतन बनाने के लिए शीघ्र कार्रवाई किए जाने पर बल दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने बताया कि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्ष 1997 के कार्यालय ज्ञापनों को विवरणिका में शामिल करने के लिए इन ज्ञापनों की समीक्षा संबंधी अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बतलाया गया था कि इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है क्योंकि विद्यमान विवरणिका पुरानी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विवरणिका का अद्यतन संस्करण यथासम्भव शीघ्र निकालने की सलाह दी गई है।

8.4.10 कुछ अन्य मुद्दे

- (i) आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सिविल सेवा से अखिल भारतीय सेवाओं में प्रोन्नति के समय आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (ii) विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता है। कई बार, इनसे संबंधित परिपत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पास नहीं पहुंच पाते। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया कि उस विभाग द्वारा हर वर्ष सभी राज्य सरकारों और मंत्रालयों के पास प्रशिक्षण संबंधी जो परिपत्र भेजे जाते हैं, और जिनमें विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त अधिकारियों के नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं, उनमें यह निर्धारित किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अधिकारियों के नाम पर्याप्त संख्या में भेजे जाएं ताकि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। इस प्रकार, विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करते समय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, निःसंदेह रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के आवेदनों की उपलब्धता के पाठ्यक्रम के अध्यक्षीन प्रत्येक

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

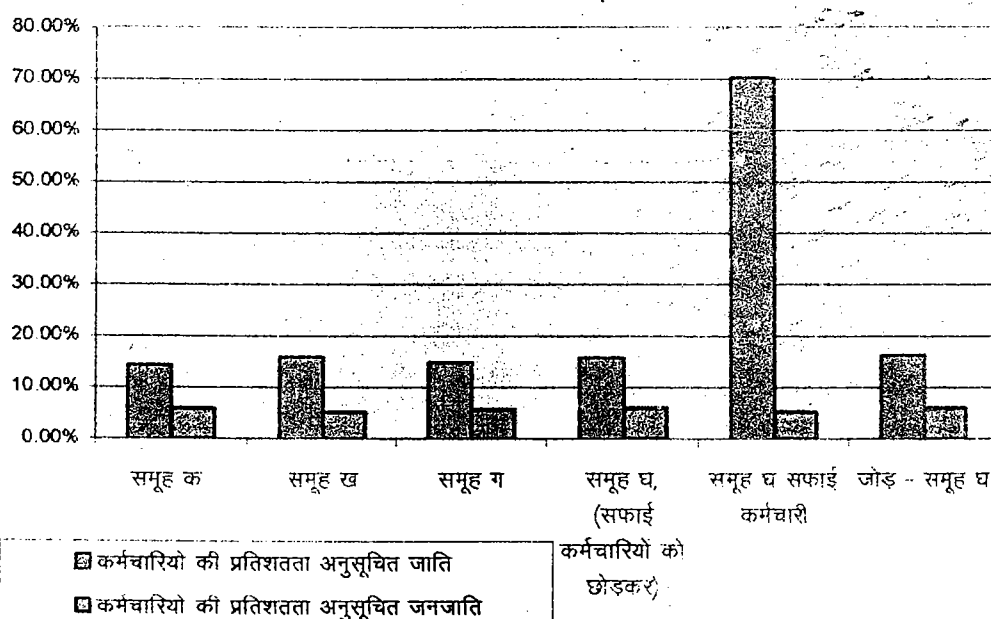
8.5 दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, रेल मंत्रालय, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व।

8.5.1 रेल मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की जानकारी दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, नीचे की तालिका में दी गई है:-

दिनांक 31.3.1999 को

पदों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	कर्मचारियों की प्रतिशतता	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	7885	14.32 %	5.94 %
समूह ख	6830	15.97 %	5.23 %
समूह ग	902676	14.77 %	5.67 %
समूह घ, (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	609597	15.77 %	6.08 %
समूह घ सफाई कर्मचारी	55125	70.37 %	5.32 %
जोड़ - समूह घ	664722	16.24 %	6.02 %

दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार रेल मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की जानकारी



उपर्युक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति के 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 7.5 प्रतिशत के विहित कोटे की तुलना में, समूह क और ग के पदों में अनुसूचित जाति और समूह क, ख, ग और घ के सभी समूहों के पदों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कम है। रेल मंत्रालय समूह क में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सूचना को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकता है, अर्थात् (i) समूह क का निम्नतम स्तर, और (ii) समूह क के निम्नतम स्तर से ऊपर का स्तर। मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, इन आधारों पर अपेक्षित सूचना जोनल रेलवे/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्र की जा रही है।

8.5.2 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.7.2000 के कार्यालय ज्ञापन को देखते हुए जिसमें यह उपबन्ध है कि 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा बैकलाग रिक्तियों पर लागू नहीं होगी, रेलवे बोर्ड ने 4.8.2000 को सभी जोनल रेलवे/उत्पादन एककों को एक पत्र भेज कर उन्हें सलाह दी कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बैकलाग रिक्तियाँ/आगे लाई गई रिक्तियों की समीक्षा करें और उन्हें भरने के लिए कदम उठाएं। जैसा कि 2000-2001 के बजट में घोषित किया गया था, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों के बैकलाग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। रेल सेवाओं के ग श्रेणी के पदों पर भर्ती, देश के विभिन्न भागों में स्थित 19 रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा की जाती है। आर.आर.बी., रांची की स्थापना अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार लेने के लिए की गई है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 22-11-2000 के एक पत्र द्वारा, सभी जोनल रेलवे और उत्पादन एककों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी बैकलाग पदों को विशेष भर्ती अभियान द्वारा समयबद्ध तरीके से भरा जाए। परिपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि दिनांक 30-6-2000 को विद्यमान बैकलाग को 30 जून, 2001 की लक्ष्यगत तारीख तक समाप्त करने के भरसक प्रयत्न किए जाएं। यह क, ख, ग, और घ के सभी समूहों पर लागू है। रिक्तियों के बैकलाग का निर्धारण पद-आधारित रोस्टर्स के सन्दर्भ में किया जाएगा।

8.6 निजी यानी गैर-सरकारी क्षेत्र में आरक्षण

8.6.1 उदारीकरण और केन्द्र तथा राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण से निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करने का मुद्दा सामने आ गया है। राज्य के अधीन पदों/नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद, सार्वजनिक विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, आदि में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के पदों की संख्या घट रही है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जो एक समय इन समुदायों को रोजगार देने में सक्षम थे, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, यदि उनका निजीकरण कर दिया जाता है, क्योंकि आरक्षण की नीति गैर-सरकारी क्षेत्र पर लागू नहीं होती है।

8.6.2 गैर-सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के बारे में दो चरम मत हैं। एक ओर यह मांग है कि प्रतिपूरक आरक्षण का विस्तार गैर-सरकारी क्षेत्र तक, कानून बना कर, कर दिया जाए और दूसरा यह कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश रोक दिया जाए। पहले हम दूसरे मत पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों को भारी घाटा हो रहा है और राज्य को अपना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेचना पड़ता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उद्योगपतियों के दबाव के कारण, सरकारें (केन्द्र और राज्य) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों का विनिवेश करने की योजना बना रही हैं, जो मुनाफा कमा रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को

कार्यान्वित कर रहे हैं। सरकार यह भी देखती है कि बजट में विनिवेश के बारे में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसे सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों की अपेक्षा मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों की अच्छी कीमत मिल सकती है। जहां तक पहले मत का संबंध है, समस्या का सरल समाधान यह है कि विनिवेश के समय एक आबद्धकर उपबन्ध कर दिया जाए कि नए प्रबन्धक नियुक्तियों/पदों के बारे में आरक्षण के आदेशों का पालन करेंगे और इसे पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए इस बारे में एक विधान बनाया जाए। संसद द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति का गठन किए जाने से बहुत पहले इस मुद्दे पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी केन्द्रीय सलाहकर बोर्ड द्वारा विचार किया गया था। संसदीय समिति ने वर्ष 1975 में इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि उद्योग मंत्रालय ने गैर-सरकारी अथवा निजी क्षेत्र को कुछ रिक्त पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के बारे में अनुदेश जारी नहीं किए थे। वर्ष 1976 में सरकार ने इस बात की जांच की थी कि क्या निजी क्षेत्र को औद्योगिक लाइसेंस जारी करते समय और ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता की मंजूरी देते समय कोई ऐसी शर्त लागू की जा सकती है, जिससे उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मजबूर किया जा सकता हो। विधि मंत्रालय का विचार था कि कानून के अधीन कोई ऐसी शर्त लागू करना अनुज्ञेय नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने भी वित्तीय सहायता के लिए पूर्व-शर्त के रूप में इस सुझाव का समर्थन नहीं किया, क्योंकि बैंक ऋणकर्ताओं को इसके लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते और न ही इसे लागू कर सकते हैं। अक्टूबर, 1978 में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने भी इसका पक्ष नहीं लिया, लेकिन यह निदेश दिया कि गैर-सरकारी क्षेत्र को सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को अपनाने के लिए मनाया जा सकता है। इन प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। भारत सरकार द्वारा हाल में 'मार्डन फूड' हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को बेचा गया था और अब मार्डन फूड में आरक्षण नीति का पालन नहीं किया जाता। इसी प्रकार, मारुति उद्योग में भारत सरकार ने अपने हिस्से (स्टेक) को 50 प्रतिशत से कम कर दिया है और इस प्रकार अब वह इस बात पर जोर देने की स्थिति में नहीं है कि आरक्षण नीति जारी रखी जाए। गैर-सरकारी क्षेत्र को, जिसे रियायती जमीन, वित्त, उत्पाद और बिक्री कर में छूट, आदि के रूप में सरकारी संरक्षण और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, आरक्षण नीति के क्षेत्र में लाया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ ने भी अपने दिनांक 9.6.1999 के ज्ञापन में माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाया था। आयोग का यह सुविचारित मत है कि संवैधानिक स्कीम के अनुसार, सकांरात्मक भेदभाव के सिद्धान्त को गैर-सरकारी क्षेत्र पर भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि वह सामाजिक साम्या के अपने दायित्व को निभा सके। इसकी शुरुआत ऐसे सभी आर्थिक क्रियाकलापों के साथ की जानी चाहिए, जिन्हें संस्थात्मक वित्त का लाभ प्राप्त हो रहा है और/अथवा जिन्हें राज्य द्वारा किन्हीं अन्य तरीकों से समर्थन दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति आ गई है, जब भारतीय कम्पनी अधिनियम, सोसाइटीज पंजीयन अधिनियम, आदि सहित किसी भी विधि के अन्तर्गत स्थापित किए गए सभी निगम निकायों, सहकारी समितियों और ऐसे अन्य सभी संगठनों के लिए, जिनमें विदेशी सहयोग से स्थापित संगठन भी शामिल हैं, जो पूर्णतः अथवा अंशतः, संस्थात्मक वित्त का लाभ उठा रहे हों, यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने अधीन रोजगार के सभी अवसरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के दायरे का विस्तार धीरे-धीरे अन्य प्राइवेट संगठनों तक भी किया जाना चाहिए। आखिर, गैर-सरकारी क्षेत्र राज्य द्वारा सृजित किए गए अदृश्य और दृश्य बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है और यह एक पर्याप्त कारण है जिसके लिए उन्हें उन सामाजिक

लक्ष्यों को स्वीकार करना चाहिए, जिन्हें राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए उन संगठनों के लिए, जो संस्थात्मक वित्त का लाभ उठाते हैं, यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि सामाजिक समानता के राष्ट्रीय लक्ष्य को स्वीकार करें और तदनुसार उसे प्राप्त करने के लिए योगदान दें।

8.7 पद-आधारित रोस्टरों का प्रभाव

8.7.1 आयोग के हस्तक्षेप के कारण, संसद ने इस बीच उन लाभों को बहाल करने के लिए, जिन्हें दो कार्यालय ज्ञापनों के जरिए वापस लिया गया था, संविधान को संशोधित किया है। जहां तक तीन अन्य कार्यालय ज्ञापनों का सम्बन्ध है, आयोग ने उनको वापस लिए जाने का मामला भी सरकार के साथ उठा रखा है। माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 18.3.1999 को संसद में एक वक्तव्य दिया था कि, “सरकार आरक्षण की उस प्रणाली को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है, जिसका अनुसरण अब तक किया गया है और यदि इसके लिए आवश्यक हुआ तो वह संविधान को संशोधित करने के बारे में विधान प्रस्तुत करने के लिए भी तैयार है।” आयोग के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को पत्र लिख कर दो संविधान संशोधन विधेयकों के पारित किए जाने के लिए उनका धन्यवाद किया है और उनसे तीन अन्य कार्यालय ज्ञापनों की समीक्षा करने का भी अनुरोध किया है।

8.7.2 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 2.7.97 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13012/2/96-एस्ट.(रिज.) द्वारा यह निदेश दिया था कि मौजूदा 200 सूत्री, 40 सूत्री और 120 सूत्री रिक्तियां आधारित रोस्टर के स्थान पर पद-आधारित रोस्टर बनाए जाएंगे। सभी मंत्रालयों/विभागों और सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन में निरूपित सिद्धान्तों के आधार पर सम्बन्धित रोस्टर तैयार करें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ, नई दिल्ली ने आयोग का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण संविधान का वह उपबन्ध एक तरह से निष्प्रभावी हो गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है :-

- (क) नई रोस्टर प्रणाली के अनुसार, आरक्षित श्रेणियों के लिए अभिप्रेत बैकलाग रिक्तियां समाप्त हो जाती हैं।
- (ख) सीधी भर्ती के लिए और पदोन्नति के लिए, जहां पदोन्नति में आरक्षण लागू होता है, अलग-अलग रोस्टर तैयार करने और रखने से, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों की कुल संख्या में कमी आ सकती है।
- (ग) पद-आधारित-रोस्टर के कार्यान्वयन से, जिससे सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व पहले से कम हुआ है, उत्पन्न समस्याओं के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ है।

8.8 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

8.8.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का एक प्रस्ताव भेजा गया और उसे उस प्रस्ताव के बारे में अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया। यह प्रस्ताव दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजातियों को अभिनिर्धारित करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने के बारे में था, ताकि ऐसे समुदायों को संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित किया जा सके। विस्तृत जांच करने के बाद, आयोग ने अपना यह मत सूचित किया कि दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता हमेशा,

समूचे देश में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आधारित रही है और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाती रही है, चाहे उनका जन्म नई दिल्ली में हुआ हो अथवा किसी अन्य राज्य में; और इस सिद्धान्त में फेर-बदल करने का कोई औचित्य नहीं है।

8.8.2 आयोग ने दिनांक 15.1.2001 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। उप-राज्यपाल और मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली की जनसंख्या के महानगरीय स्वरूप को बनाए रखने के उद्देश्य से सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत के मौजूदा अनुपात को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उपबन्ध को आशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को यह पत्र लिखा कि इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को उपयुक्त हिदायतें जारी की जाएं और उनकी सूचना आयोग को भी दी जाए। तदनुसार, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग ने अपने दिनांक 16.2.2001 के पत्र संख्या एफ-20/ 96-97/डी.एस.सी.एस.टी. द्वारा सतर्कता निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को यह अनुदेश जारी किए कि दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के लिए, चाहे उनका जन्मस्थान कोई भी हो, 7.5 प्रतिशत का आरक्षण होगा और उस पत्र की एक प्रतिलिपि आयोग को भेजी गई। यह सुनिश्चित किया जाना था कि दिल्ली में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की, उपर्युक्तानुसार, व्यवस्था की जाएगी।

8.9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

8.9.1 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन पदों के विभिन्न स्तरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :-

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अध्यापन पद		
		प्रोफेसर	रीडर	लैक्चरर
1.	असम विश्वविद्यालय वर्ष 1998-99			
	योग	21	46	44
	अनुसूचित जाति	1	-	17
	%	5	-	39
	अनुसूचित जनजाति	1	-	4
	%	5	-	9
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वर्ष 1998-99			
	योग	360	396	329
	अनुसूचित जाति	1	1	31
	%	0.2	0.2	9.4
	अनुसूचित जनजाति	-	-	2
	%	-	-	0.6
3.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वर्ष 1998-99			
	योग	233	385	521
	अनुसूचित जाति	-	-	-
	%	-	-	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-	-
	%	-	-	-

4.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वर्ष 1998-99			
	योग	183	100	70
	अनुसूचित जाति	2	3	6
	%	1.0	3.0	8.5
	अनुसूचित जनजाति	1	2	2
	%	0.5	2.0	2.8
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया वर्ष 1998-99			
	योग	80	128	216
	अनुसूचित जाति	-	1	-
	%	-	0.7	-
	अनुसूचित जनजाति	-	-	1
	%	-	-	0.4
6.	नागालैंड विश्वविद्यालय वर्ष 1995-96			
	योग	17	21	54
	अनुसूचित जाति	-	1	-
	%	-	4.7	-
	अनुसूचित जनजाति	3	5	32
	%	-	23.8	59.2
7.	हैदराबाद विश्वविद्यालय वर्ष 1999-2000			
	योग	72	87	44
	अनुसूचित जाति	1	2	13
	%	1.39	2.3	29.5
	अनुसूचित जनजाति	-	-	1
	%	-	-	2.2
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय वर्ष 1998-99			
	योग	24	47	62
	अनुसूचित जाति	-	2	14
	%	-	4.2	22.5
	अनुसूचित जनजाति	-	-	-
	%	-	-	-
9.	विश्व भारती विश्वविद्यालय वर्ष 1998-99			
	योग	148	70	188
	अनुसूचित जाति	1	1	16
	%	0.7	1.4	8.5
	अनुसूचित जनजाति	-	-	1
	%	-	-	0.5
10.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ			
	योग	2	3	8
	अनुसूचित जाति	-	-	1

	%	-	-	12.5
	अनुसूचित जनजाति	-	-	1
	%	-	-	12.5
11.	दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ष 1998-99			
	योग	332	197	140
	अनुसूचित जाति	3	2	9
	%	0.9	1.0	6.4
	अनुसूचित जनजाति	1	-	2
	%	0.03	-	1.4
12.	एन.ई.एच.यू. वर्ष 1998-99			
	योग	69	75	70
	अनुसूचित जाति	-	-	-
	%	-	-	-
	अनुसूचित जनजाति	9	23	38
	%	13.0	30.6	54.2
13.	तेजपुर विश्वविद्यालय वर्ष 1998-99			
	योग	9	11	40
	अनुसूचित जाति	-	-	-
	%	-	-	-
	अनुसूचित जनजाति	1	-	2
	%	11.1	-	5.0

8.9.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में अद्यतन सूचना भेजी है, जिसमें वर्ष 1999-2000 में असम विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, एन.ई.एच.यू., तेजपुर विश्वविद्यालय और विश्व भारती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की वैसी ही स्थिति दर्शाई गई है। जे.एन.यू., नागालैंड और पांडिचेरी विश्वविद्यालयों के मामले में लेक्चरर के स्तर पर मामूली सा परिवर्तन हुआ है, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मामले में थोड़ी सी कमी हुई है।

8.9.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डीम्ड (समझे जाने वाले) विश्वविद्यालयों के बारे में भी सूचना दी है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 100 प्रतिशत अनुक्षण अनुदान प्राप्त हो रहे हैं। इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों, जैसे अविनाशलिगम इंस्टिट्यूट्स फार होम साइंसिज, कोयम्बतूर, केंद्रीय विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद, दयाल बाग शैक्षिक संस्थान, आगरा, गुजरात विद्यापीठ, और टाटा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंसिज के मामले में लेक्चररों के स्तर पर स्थिति कुछ बेहतर है। लेकिन अन्य डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

8.9.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 27 अप्रैल, 2001 को एक बैठक हुई थी।

8.9.5 आयोग ने इस बात का उल्लेख किया कि केंद्र और राज्य दोनों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संकाय के सदस्यों की भर्ती में आरक्षण के नियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्ष 1997 में हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी विश्वविद्यालयों को ये अनुदेश जारी करे कि आरक्षण नियम को लेक्चरर्स के पदों के अतिरिक्त रीडरों और प्रोफेसरों जैसी श्रेणियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि यू.जी.सी. में इस मामले की जांच की गई है और उन्होंने रीडरों और प्रोफेसरों के पदों पर आरक्षण नियम लागू करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। आयोग ने पाया कि अधिकांश विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम संतोषजनक है। कुछ विश्वविद्यालयों में, जिन्हें 100 प्रतिशत अनुसूचित अनुदान प्राप्त होते हैं, इन श्रेणियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। कुछ विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सूचना देने में भी कतरा रहे थे, जिसका पता उस सूचना से लगता है, जो यू.जी.सी. द्वारा आयोग के पास भेजी गई है। यू.जी.सी. के सचिव ने कहा कि वे उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों को और राज्यों के अन्य विश्वविद्यालयों को यह अनुदेश दे रहे हैं कि वे आरक्षण नियम का पालन करें, परन्तु अनेक विश्वविद्यालय इन अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। यह भी बताया गया कि यू.जी.सी. और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को, अधिक से अधिक, सलाह ही दे सकते हैं, लेकिन ऐसे विश्वविद्यालयों के खिलाफ, जो नियमों को कार्यान्वित करने में आनाकानी कर रहे हैं, कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि वे अपनी अपनी संविधियों से विनियमित होते हैं।

8.9.6 अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में बैकलाग पद हैं। नार्दन इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद के दिनांक 10.4.2001 के अंक के अनुसार, विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापन के 75,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव ने कहा कि उनके विचार में यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है, लेकिन वे इस बात से सहमत थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अभिप्रेत पदों का काफी बैकलाग है। यह फैसला किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों की संख्या के बारे में अद्यतन सूचना एकत्र करनी चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि विशेष रूप से संविधान में किए गए 81वें संशोधन को देखते हुए, जिसे संविधान में अनुच्छेद 16(4) (ख) के रूप में जोड़ा गया है और जिसके जरिए सरकार को बैकलाग रिक्तियों को भरने में आने वाली पाबन्दियों को दूर करने का सामर्थ्य प्रदान किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों को यह अनुदेश देने चाहिए कि वे इस बैकलाग को, और देर किए बिना, समाप्त करें। इसलिए इन रिक्त पदों को भरने में अग्रेतर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव से भी अनुरोध किया गया कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों और सम्बन्धित राज्य सरकारों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

8.9.7 आई.आई.टी. के अध्यापन पदों में आरक्षण

यह बताया गया था कि आई.आई.टी., चेन्नई में लगभग 450 संकाय सदस्यों में से केवल 3 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के हैं और वे भी किसी आरक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता (मेरिट) के आधार पर चुने गए थे। आयोग के अध्यक्ष ने दिनांक 22.1.2001 को मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिख कर उनसे आई.आई.टी. में अध्यापन-पदों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध किया। यह कहा गया था कि शिक्षा विभाग ने आई.आई.टी. को

केवल लेक्चररों के स्तर तक सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के अनुदेश जारी किए थे। लेकिन, चूंकि आई.आई.टी. (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों) में भर्ती सहायक प्रोफेसर के स्तर पर की जाती है, लेक्चररों के स्तर पर नहीं, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इन संस्थानों के अध्यापन संकायों में नियुक्तियों में आरक्षण के लाभों से वंचित किया जा रहा है। सीधी भर्ती के मामले में, भारत सरकार ने इस बारे में कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं किया कि आरक्षण की व्यवस्था किन स्तरों पर की जानी है। केवल चयन के तरीके से पदोन्नति के मामले में, आरक्षण को समूह 'क' की सेवाओं के निम्नतम स्तर तक सीमित रखा गया है। आई.आई.टी. के संकाय के सदस्य भी वही कार्य निष्पादित करते हैं, जो इंजीनियरी कालेजों और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विज्ञान विभागों के संकाय के सदस्यों द्वारा निष्पादित किया जाता है, जहां आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। यह अनुरोध किया गया कि मौजूदा अनुदेशों के प्रकाश में स्थिति की समीक्षा की जाए और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के लाभ प्रदान करने की सलाह दी जाए। मानव संसाधन विकास मंत्री के दिनांक 6.4.2001 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया गया था कि आई.आई.टी. की परिषद ने दिनांक 13.2.2001 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने के बाद इस मामले को उस समीक्षा समिति को सौंपने का फैसला किया है, जिसकी स्थापना इन संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए की जा रही है।

8.10 आयोग द्वारा निपटाए गए कुछ मामलों की संक्षिप्त जानकारी

8.10.1 एक भूतपूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) ने इस आयोग का ध्यान डी.डी.ए. में जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति द्वारा सहायक इंजीनियरों के 12 पदों के भरे जाने के मामले की ओर दिलाया। उन्होंने अपने अभ्यावेदन में यह बताया कि दिनांक 2.7.1997 से पहले 40 प्वाइंट वाले रोस्टर के अनुसार 18 पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे और विनिमय अर्थात् अदला-बदली के उपबन्धों के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण, ये पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दिए जा सकते थे। यह मामला दिनांक 30.6.1999 को डी.डी.ए. के उपाध्यक्ष के साथ उठाया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों के बारे में अपनी टिप्पणियां भेजें और उत्तर न मिलने पर, आयुक्त (कार्मिक), डी.डी.ए. को आयोग के समक्ष हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किए गए। दिनांक 21.9.1999 को डी.डी.ए. ने आयोग को सूचित किया कि दिनांक 8.9.1999 और 14.9.1999 के आदेश संख्या 1137 द्वारा, अनुसूचित जनजातियों के न भरे गए आरक्षित कोटे के बदले, अनुसूचित जातियों के 12 जूनियर इंजीनियरों (सिविल) को सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों पर पदोन्नत किया गया है।

8.10.2 अनुसूचित जाति की महिला, जो ए.जी.। (पी.ए.), ए.ए.आई. के रूप में कार्य कर रही थी, ने पी.एस. के रूप में अपनी पदोन्नति पर अपना स्थानान्तरण दिल्ली से कलकत्ता किए जाने के बारे में आयोग को अभ्यावेदन दिया था। उसने अपने अभ्यावेदन में बताया कि उसका पति उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल आफिसर के रूप में कार्य कर रहा है और दिल्ली के निकट बागपत में तैनात है और वे लोग दिल्ली में रहते हैं। उसने कहा कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने वर्ष 1998 में 13 निजी सहायकों को पदोन्नत किया था और उन सबको दिल्ली मुख्यालय में रखा गया था, हालांकि कोई पद रिक्त नहीं था। उसने अभ्यावेदन दिया कि विगत में सामान्य श्रेणी के किसी व्यक्ति को पदोन्नत होने पर स्थानान्तरित नहीं किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में, उसे कलकत्ता जाने के लिए कहा गया है। उसने अपने अभ्यावेदन में इस बात का भी उल्लेख किया था कि उसका एक नवजात शिशु है और महिला होने

का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण संबंधी पुस्तिका में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समूह ग और घ में चयन द्वारा पदोन्नति के संबंध में जो अनुदेश दिए गए हैं उनमें यह उपबन्ध है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अलग सूची आरक्षित पदों के लिए तैयार की जानी चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नामों को सामान्य श्रेणी की सूची से बाहर नहीं रखा जा सकता। आयोग ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सलाह दी कि अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नामों पर गैर-आरक्षित रिक्त पदों के लिए विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.के. सम्बरवाल के मामले में दिए गए निर्णय में विचार व्यक्त किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जोगिन्द्र सिंह सेठी और अन्य बनाम पंजाब सरकार और अन्य के मामले में, जिसका संबंध आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जातियों की पदोन्नति से था, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, यह निदेश दिया है कि “जब किसी विशेष संवर्ग के बारे में आरक्षण की कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई हो और रोस्टर से रिजर्व प्वाइंट का संकेत मिलता हो, तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि रिजर्व प्वाइंटों पर प्रदर्शित पदों को आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों में से भरा जाना है और सामान्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को रिजर्व पद के लिए विचार किए जाने का हक नहीं है। दूसरी ओर, रिजर्व श्रेणी के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति हो जाने पर उनकी संख्या को आरक्षण की प्रतिशतता का निर्धारण करने के लिए हिसाब में नहीं लिया जा सकता और जोड़ा नहीं जा सकता।” आयोग ने, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निदेश है उसके अनुसार गैर-आरक्षित रिक्तियों के लिए भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करते हुए सूची को फिर से तैयार करने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस को इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए अप्रैल, 2001 को लिखा गया था। दिल्ली पुलिस का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

8.10.8 एस. क्यू. ए.ई. (एल.एण्ड.एस.) चंडीगढ़ में फोरमैन (जी) के रूप में कार्यरत, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने आयोग को जनवरी, 1999 में एक अभ्यावेदन दिया, जो उसकी पदोन्नति के बारे में था। सहायक फोरमैन से फोरमैन के रूप में पदोन्नत करने के लिए वर्ष 1993 में एक डी.पी.सी. हुई थी और सहायक फोरमैन से फोरमैन के रूप में पदोन्नत करने के लिए 18 उम्मीदवारों का एक पैनल दिनांक 5-3-1993 को तैयार किया गया था। वह पैनल में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में सबसे पहला उम्मीदवार था, लेकिन चूंकि उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई चल रही थी, इसलिए उसके नाम को सीलबंद लिफाफे में रखा गया। दिनांक 14-9-94 को उसे दोषमुक्त कर दिया गया और उसे दिनांक 25-11-1994 से पदोन्नति दे दी गई। वर्ष 1993 में सामान्य श्रेणी से 14 उम्मीदवारों को फोरमैन के रूप में पदोन्नत किया गया था, लेकिन अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार को पदोन्नत नहीं किया गया, हालांकि 2 पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। उसका कहना यह था कि उसे दिनांक 5-3-1993 से फोरमैन के रूप में पदोन्नति पाने का हक था, लेकिन विभाग ने उसके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। अप्रैल, 1999 में यह मामला रक्षा विभाग के सचिव के साथ उठाया गया। जून, 1999 में एक अनुस्मारक भेजा गया। रक्षा मंत्रालय ने अपने दिनांक 20.10.1999 के पत्र के जरिए श्री रामजी लाल को मार्च, 1993 से पदोन्नति देने से इन्कार कर दिया। आयोग ने अपने दिनांक 16.11.1999 के पत्र द्वारा रक्षा मंत्रालय से फिर अनुरोध किया कि वे उस आरक्षण रोस्टर की एक प्रति आयोग को भेजें, जिसका अनुसरण वर्ष 1993 में पदोन्नतियां देते समय किया गया था, और स्पष्ट करें कि श्री रामजी लाल के नाम पर रिजर्व प्वाइंट पर पदोन्नति के लिए क्यों विचार नहीं किया गया था। रक्षा मंत्रालय के

सम्बन्धित अधिकारियों से यह कहा गया कि वे दिनांक 21.6.2000 को चर्चा के लिए आयोग में पेश हों। चर्चा से पहले, रक्षा मंत्रालय ने अपने दिनांक 20.6.2000 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि एक समीक्षा डी.पी.सी. के जरिए याचिकाकर्ता को वर्ष 1994 के स्थान पर वर्ष 1993 से फोरमैन के रूप में पदोन्नत कर दिया है और उन्हें उसके सभी परिणामी लाभ भी दिए गए हैं।

8.10.9 अनुसूचित जाति की एक महिला ने दिनांक 16.12.1998 को आयोग को यह अभ्यावेदन दिया कि लिखित परीक्षा से पुलिस की जांच तक की सभी औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के बावजूद, आकाशवाणी, बरेली (उत्तर प्रदेश) में उद्घोषक (अनाउंसर) के रूप में उसकी नियुक्ति करने में 3 वर्ष से भी अधिक की देरी हो रही है। आयोग ने अपने दिनांक 9.2.1999 के पत्र द्वारा आकाशवाणी के महानिदेशक को सारे तथ्य भेजने का अनुरोध किया और दिनांक 17.3.1999 को अनुस्मारक भेजा। ए.आई.आर. (आकाशवाणी) ने अपने दिनांक 30.9.1999 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि उक्त पद अस्थाई था और इसलिए याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती; आकाशवाणी में अस्थाई पदों को जारी रखने के प्रस्ताव पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ सलाह करते हुए विचार किया जा रहा है और अस्थाई पदों को जारी रखने के बारे में फैसला होने के बाद ही याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है। इस मामले पर चर्चा के लिए प्रसार भारती के सी.ई.ओ. को आयोग में दिनांक 27.7.1999 को पेश होने के लिए कहा गया। मामले पर चर्चा होने से पहले, प्रसार भारती के सी.ई.ओ. ने अपने दिनांक 23.7.1999 के अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि वर्ष 1997 में चयन की सारी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, याचिकाकर्ता को, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति के आधार पर, अनाउंसर के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुदेशों के अनुसार, पद को वित्त वर्ष 1996-97 के बाद जारी रखने का अनुमोदन नहीं दिया जा सका। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, और सी.ई.ओ. के निदेशानुसार, एक विशेष मामले के रूप में, श्रीमती सीमा रानी आर्य को उद्घोषक ग्रेड IV के रूप में नियुक्ति की पेशकश कर दी गई है। याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश 23.7.1999 को की गई थी।

8.10.10 इस मामले का सम्बन्ध उत्कल विश्वविद्यालय के यूनीवर्सिटी ला कालेज में लेक्चरर के रूप में श्री एस.एन. मलिक की नियुक्ति के बारे में उनकी शिकायत से है। इस मामले के बारे में आयोग के उड़ीसा राज्य कार्यालय द्वारा कार्रवाई की गई थी और मामला उत्कल विश्वविद्यालय के साथ उठाया गया था, लेकिन उसका कोई फलदायक परिणाम नहीं निकला। उड़ीसा राज्य कार्यालय ने यह मामला आयोग के पास भेज दिया, ताकि आयोग याचिकाकर्ता को न्याय दिलाने के लिए; अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करे। इस मामले पर दिनांक 10.4.2000 को उत्कल विश्वविद्यालय के उप-रजिस्ट्रार के साथ चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह पता चला कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक पद भर लिया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक अन्य पद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण भरा नहीं गया है। उसके बाद, वर्ष 1998 में विधि के लेक्चररों के दो पद आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत विज्ञापित किए गए थे। विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि किसी विशिष्ट आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर, पद को ओ.आर.यू. अधिनियम, 1975 के उपबन्धों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षण की अदला-बदली करके भरा जाएगा। उप-रजिस्ट्रार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पद को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त होने के बाद निकट भविष्य में होने वाले अगले साक्षात्कार में श्री मलिक के नाम पर विचार किया जाएगा। आयोग द्वारा उत्कल विश्वविद्यालय को दिनांक 26.4.2000 को एक पत्र भेजा गया, जिसमें उत्कल विश्वविद्यालय से यह अनुरोध किया गया कि श्री

मलिक को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद के आधार पर, विधि के लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया जाए। आयोग और राज्य सरकार के निदेशानुसार आयोग को सूचित किया गया कि श्री मलिक को उत्कल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि कालेज में विधि लेक्चरर के पद पर नियुक्ति का पत्र दिनांक 1.11.2000 को जारी किया गया।

8.10.11 नवम्बर, 2000 में अनुसूचित जनजाति की एक महिला ने आयोग को अभ्यावेदन दिया कि उसके पति की, जो बासगो, लेह (लद्दाख, जम्मू और कश्मीर) में विभाग-बाह्य रनर था, वर्ष 1998 में काम करते समय मृत्यु हो गई थी। पी.पी.ओ. संख्या एस.जी.आर.-189 के तहत परिवार पेंशन उसके नाम मंजूर की गई थी। चूंकि मृत कर्मचारी की उत्तरजीवी पत्नी के रूप में उसकी स्थिति के बारे में कुछ विवाद था, इसलिए विभाग द्वारा मृत कर्मचारी की परिवार पेंशन रोक ली गई है। इसके अलावा, उसने अनुकम्पा के आधार पर अपने पुत्र की नियुक्ति किए जाने का भी अनुरोध किया। इस मामले को दिनांक 16.1.2001 को महानिदेशक, डाक विभाग के साथ उठाया गया, जिन्होंने आयोग को सूचित किया कि भर्ती पर पाबन्दी में ढील दिए जाने और अनुकम्पा आधार पर सीधी भर्ती के कोटे की 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन रिक्त पद उपलब्ध होने के कारण, जे.और के. सर्कल ने मृत कर्मचारी के पुत्र को पी.ए. के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है, जिसने लेह, एच.पी.ओ. में व्यावहारिक प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया है। जे.एंड के. सर्कल ने उसे पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, सहारनपुर में अगले बैच में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए भेजने के आदेश जारी किए हैं। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद उसे औपचारिक रूप से पी.ए. के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जहां तक परिवार पेंशन रिलीज करने का सम्बन्ध है, यह सूचित किया गया कि मामले को विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करने के बाद डाक विभाग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में परिवार पेंशन रिलीज करने का निर्णय लिया है।

8.10.12 मुख्य महा प्रबन्धक, भारत संचार निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र, मुंबई के कार्यालय में तैनात, अनुसूचित जनजाति के एक सब-डिवीजनल इंजीनियर (फोन) ने अक्टूबर, 2000 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को यह अभ्यावेदन दिया कि इन तथ्यों के बावजूद उसे डिवीजनल इंजीनियर (फोन) के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है, जबकि उसके कनिष्ठ (जूनियर) लोगों को पदोन्नत कर दिया गया है। इस मामले को मुख्य महा प्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, मुंबई के साथ तत्काल उठाया गया ताकि याचिकाकर्ता की पदोन्नति के मामले को तय किया जा सके। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, याचिकाकर्ता को संशोधित वरीयता सूची के अनुसार मार्च, 2001 स्थानापन्न आधार पर डिवीजनल इंजीनियर के रूप में पदोन्नति दे दी गई और उसे पुणे टेलीकाम जिले में तैनात किया गया।

8.10.13 केंद्रीय विद्यालय, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में टी.जी.टी.(गणित) के रूप में कार्यरत, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने आयोग का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि उसकी सेवा को दिनांक 10.3.1999 से नैतिक अधमता के झूठे आरोप के आधार पर, कोई उपयुक्त जांच और तफ्तीश किए बिना, समाप्त कर दिया गया था। आयोग द्वारा यह मामला केंद्रीय विद्यालय के साथ उठाया गया। आयोग ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त को आयोग में बुलाकर याचिकाकर्ता के मामले की जांच की। जब मामला तय नहीं किया जा सका, तो आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अपर सचिव को, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं, बुलाने का फैसला किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपाध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श के बाद ही, याचिकाकर्ता की अपील की फिर से जांच की गई और उसे सेवा में बहाल किया गया।

8.10.14 सुपर बाजार, दिल्ली में सीनियर सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने मार्च, 2000 में आयोग को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें यह कहा गया था कि सुपर बाजार के प्रबन्ध निदेशक द्वारा, बिना कोई कारण बताए और बिना कोई नोटिस दिए, उसकी सेवाएं दिनांक 1.12.1999 से समाप्त कर दी गई हैं। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, आयोग ने सुपर बाजार, दि कोओपरेटिव स्टोर लिमिटेड, कनाट सर्कस, नई दिल्ली के साथ इस मामले को उठाया और तथ्य मांगे। इसके उत्तर में, सुपर बाजार ने आयोग को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को विहित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना दिनांक 10.9.1998 से सीनियर सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था। सुपर बाजार ने अपने पत्र में यह भी सूचित किया था कि राजनीतिक नियुक्ति होने के कारण भूतपूर्व अध्यक्ष ने, इस प्रकार की कई अन्य अनियमित/गैर-कानूनी नियुक्तियों की थीं और उनके बहुत से निर्णय सी.बी.आई. को उपभोक्ता कार्य और खाद्य वितरण मंत्रालय द्वारा तफ्तीश के लिए भेज दिए गए हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया कि अनियमित नियुक्तियों/पदोन्नतियों का मामला सुपर बाजार के निदेशक बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1999 में विचारार्थ हाथ में लिया गया था और उसने यह फैसला किया था कि मामलों की जांच करने के बाद ऐसी सभी अनियमित नियुक्तियों/पदोन्नतियों को रद्द कर दिया जाए। तदनुसार, ऐसे सभी मामलों की जांच की गई थी और उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें अनियमित तरीके से नियुक्त/पदोन्नत किया गया था, हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता भी, जो अनुसूचित जाति का है, उनमें से एक था। संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करके, सुपर बाजार, नई दिल्ली के सम्बन्धित अधिकारियों को आयोग में बुलाया गया और संगत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि सुपर बाजार (दि कोओपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली) ने विहित प्रक्रिया का पालन किए बिना और उसके लिए विहित आरक्षण-रेस्टर पर विचार किए बिना अनेक नियुक्तियों/पदोन्नतियों की थीं।

8.10.15 सितम्बर, 1999 में अनुसूचित जाति के एक याचिकाकर्ता, श्री सुरेश चन्द्र ने आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया कि खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के चीनी प्रौद्योगिकी निदेशालय में उप-निदेशक के रूप में उनका चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान किया गया। उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य, पर्याप्त लिपिकीय/सहायक स्टाफ दिए बिना, सौंपे गए। उनके टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए। उन्हें अपने कनिष्ठ अधिकारियों और स्टाफ के साथ एक अनुभाग में बैठने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें जलील करने और नीचा दिखाने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया। तब तो हद हो गई, जब उनके द्वारा अपनी परिवीक्षाधीन अवधि के पूरा होने के दो वर्ष बाद उनकी परिवीक्षाधीन अवधि को एक वर्ष और बढ़ा दिया गया। नामला खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के चीनी और खाद्य तेल विभाग के सचिव को निर्दिष्ट किया गया। लेकिन बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि, इस मामले का याचिकाकर्ता के भावी कैरियर पर सीधा प्रभाव पड़ना था और आयोग को विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत प्रदत्त, सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग ने प्रतिवादी विभाग के संबंधित अधिकारियों को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया। सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को परेशान किए जाने के बारे में अवगत कराया गया, जिन्होंने आयोग को सूचित किया कि मामले की जांच की जाएगी और यदि याचिकाकर्ता के साथ कोई भेदभाव किया गया है तो इसका निराकरण किया जाएगा। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने याचिकाकर्ता की परिवीक्षाधीन अवधि को बढ़ाने वाले कार्यालय ज्ञापन को वापस ले लिया। कमरे के आबंटन, बैठने के स्थान, टेलीफोन सुविधाओं, आदि के बारे में याचिकाकर्ता की अन्य शिकायतों का भी समाधान कर दिया गया है और अब वे किए गए प्रबन्धों और प्रदान की गई सुविधाओं से सन्तुष्ट हैं।

8.10.16 भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा राज्य में एक अनुसूचित जाति के अधिकारी (1988-बैच) ने दिनांक 7.4.2000 को इस आयोग में एक अभ्यावेदन, इस बात का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया था कि राज्य सरकार ने प्रदेश और नगर आयोजना के पूर्व मंत्री और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के खिलाफ एक आपराधिक मामला प्रारम्भ किया है व उनका नाम अनावश्यक रूप से प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में भी यह आरोप लगाते हुए शामिल किया गया है कि जब वे अप्रैल, 1997 से जून, 1999 तक उपायुक्त, रोहतक के रूप में तैनात थे, उस समय सड़कों की मरम्मत में कुछ अनियमितताएं हुई थीं। उन्होंने, आगे यह कहा कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 5.12.1995 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि रोहतक, हिसार, भिवानी, सिरसा और पानीपत जिलों के नगर क्षेत्रों में, बाढ़/भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण किया जाए। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को इन सड़कों का पता लगाना था तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को इन अभिज्ञात सड़कों की मरम्मत का कार्य सौंपा गया। उन्होंने, अपने आवेदन में उल्लेख किया कि अप्रैल, 1997 में उपायुक्त, रोहतक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले सड़कों का पता लगाने का कार्य उनके पूर्वाधिकारी द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका था। शहरी विकास मंत्री और याचिकाकर्ता सहित, अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दिनांक 31.12.1999 को दर्ज किया, जिसमें अनुमानों को तैयार करने तथा सड़क के मरम्मत कार्य को निष्पादित करने में हुई कुछ अनियमितताओं के बारे में आरोप लगाया गया था। चूंकि, यह मामला एक अनुसूचित जाति के अधिकारी को परेशान और उत्पीड़ित करने का है, इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर हरियाणा के मुख्य सचिव से पैरावार टिप्पणियों की मांग की। मुख्य सचिव ने, पैरावार टिप्पणियां भेजने की बजाए दिनांक 4.5.2000 के पत्र संख्या 20/4/2000-एस (1) के तहत सूचित किया कि भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत, याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा करने के बाद, याचिकाकर्ता के निलम्बन की अवधि को, अगले आदेश होने तक, बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया था। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों सहित आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में, मुख्य सचिव, हरियाणा ने मामले के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की और कहा कि मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है क्योंकि यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है और इसलिए आयोग में बैठक से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री टी0वी0 एस0एन0 प्रसाद, जो रोहतक जिले के उपायुक्त के रूप में श्री अनिल कुमार के पूर्वाधिकारी थे और एस0वी0बी0 रोहतक के एक अधिकारी के साथ दिनांक 20.6.2000 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। मुख्य सचिव की ओर से हरियाणा सरकार के संयुक्त सचिव (राजनीतिक और सेवाएं) दिनांक 3.8.2000 को आयोग में उपस्थित हुए, परन्तु अपेक्षित रिकार्डों/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया। अंततः मुख्य सचिव दिनांक 15.9.2000 को आयोग में उपस्थित हुए। राज्य सरकार ने, आयोग की पूछताछ का उत्तर दिनांक 14.9.2000 के अपने पत्र संख्या 20/4/2000-एस (1) के तहत, प्रस्तुत किया। उपलब्ध रिकार्डों से यह देखा गया है कि समुचित प्रारंभिक जांच और अनियमितताओं में, उनके शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य के बिना एफ0आई0आर0 में याचिकाकर्ता का नाम शामिल किया गया। प्रथम दृष्टया औचित्य और आपराधिक कार्रवाई के बिना, आपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ करना, याचिकाकर्ता के आरोप के विश्वास के अनुकूल प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की कार्रवाई अन्य विचार-विमर्शों के कारण थी और न कि उनके सड़क के मरम्मत कार्यों में शामिल होने से संबंधित थी। आयोग ने पाया कि वे आधार, जिन पर उनके पूर्वाधिकारी और अन्य अधिकारियों को शामिल न करके, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी, असंगत विचारों पर प्रतिशोधात्मक तमाचों के समान

है । उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने राज्य सरकार को अपने निर्णय दिए, जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ की जा रही आपराधिक कार्रवाई वापस ली जाए, उनके निलम्बन को तुरन्त समाप्त किया जाए तथा उनकी वरीयता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उनकी उपयुक्त तैनाती की जाए । तथापि, राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की । आयोग द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर याचिकाकर्ता ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक अभ्यावेदन दिया, जिसने आयोग की सिफारिशें तथा अन्य संगत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के निलम्बन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को सलाह दी । याचिकाकर्ता की सेवा पुनः बहाल कर दी गई है तथा उनकी तैनाती कर दी गई है ।

अध्याय - IX

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

9.1.1 भारतीय संविधान का उद्देश्य, अपने सभी नागरिकों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक न्याय, हैसियत में समानता और व्यक्तियों के लिए सम्मान व अवसर सुनिश्चित करना है। देश की आबादी का एक भाग, जो अनुसूचित जातियों से संबंधित है, अभी भी सामाजिक तिरस्कार और आर्थिक वंचनाओं से पीड़ित है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियाँ, जो दूरवर्ती इलाकों में रहती हैं, विभिन्न विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं उठा सकी हैं और अभी भी आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति में रह रही हैं तथा विभिन्न बेईमान तत्वों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। राज्य की कार्यनीति सामान्य रूप से कमजोर वर्गों के लिए और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति हेतु कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करने के वास्ते वितरणशील न्याय, विशिष्ट और बढ़े हुए संसाधनों का आबंटन सुनिश्चित करने की है।

9.1.2 संविधान का अनुच्छेद 46 निर्धारित करता है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से संरक्षा करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 के जरिए अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है और उसका किसी प्रकार से आचरण दण्डनीय है। 'अस्पृश्यता' से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को प्रवर्तित करना कानून के अनुसार एक दण्डनीय अपराध बनाया गया है। संविधान में दिए गए सामाजिक सुरक्षणों को सांविधिक आधार देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'अस्पृश्यता' के व्यवहार और अत्याचारों तथा भेदभाव के अन्य रूपों से, जिसके वे परम्परागत रूप से अधीन थे, को संरक्षण देने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं।

9.2 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

9.2.1 संसद ने संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई घोषणा को कार्यरूप देने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया और यह एक जून, 1955 से लागू हो गया। इस अधिनियम में, कतिपय परिस्थितियों में सामाजिक निर्योग्यताएँ लगाने के लिए दण्डिक प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इस विशेष सामाजिक अधिनियम का उद्देश्य 'अस्पृश्यता' की सामाजिक बुराई को नियंत्रित करना तथा अस्पृश्यों को हिन्दुओं की अन्य जातियों के बराबर समझना है। यद्यपि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम ने अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन में अपना भरपूर योगदान दिया है, तथापि यह कुछ त्रुटियों के कारण बहुत अधिक कामयाब नहीं रहा है, जैसे कि अपराधों को इकट्ठा करने की व्यवस्था, अपराधकर्ताओं को दण्डित करने में असमर्थता, शीघ्र विचारण के लिए किसी प्रावधान का अभाव, आदि। वर्ष 1965 में, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की अस्पृश्यता तथा आर्थिक और शैक्षिक विकास के संबंध में एल. इलियोपेरूमल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने के बाद, भारत सरकार ने अप्रैल, 1972 में लोक सभा में अस्पृश्यता (अपराध) और संशोधन तथा विविध प्रावधान बिल, 1972 नामक एक बिल प्रस्तुत किया। संसद ने, नवम्बर, 1976 में 1955 के अधिनियम को संशोधित किया तथा इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 रख दिया। यह अधिनियम 19 नवम्बर, 1976 से लागू हो गया। इस अधिनियम में "नागरिक अधिकार" शब्द की परिभाषा, किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 17

के अंतर्गत “अस्पृश्यता” की समाप्ति के कारण उत्पन्न किसी अधिकार के रूप में की गई है। अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को असंज्ञेय बना दिया गया है। ऐसे प्रत्येक अपराध के मामले में, उन मामलों को छोड़कर, जिनमें तीन माह से अधिक की न्यूनतम अवधि की सजा के दण्ड की व्यवस्था है, शीघ्र विचारण का निर्धारण किया गया है। अपराधों के लिए दण्ड में काफी वृद्धि की गई है। अधिनियम के अंतर्गत, अस्पृश्यता के व्यवहार के लिए, दण्ड लगाने तथा एकत्र करने की व्यवस्था करते हुए न केवल व्यक्तिगत अपराधों को बल्कि सामूहिक-अपराधों को भी शामिल किया गया है।

9.2.2 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15-क के अंतर्गत राज्य सरकारों की स्वयं यह सुनिश्चित करने की सांविधिक ज़्युटी है कि अस्पृश्यता की समाप्ति से उत्पन्न अधिकार संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध हो। इन उपायों में पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है, जिनमें अस्पृश्यता के कारण उत्पन्न किसी अशक्तता के शिकार व्यक्तियों को कानूनी सहायता, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजनों के संबंध में पर्यवेक्षण प्रारंभ अथवा निष्पादित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, विशेष न्यायालयों, समितियों की स्थापना, अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय-समय पर सर्वेक्षण, और उन क्षेत्रों का पता लगाना शामिल है जहाँ व्यक्ति अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अशक्तता से पीड़ित हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा स्वयं और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस धारा का उद्देश्य केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के संबंध में निरन्तर रूप से निगरानी रखना है। केंद्रीय सरकार ने इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत 17 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

9.2.3 वर्ष 1997 के संबंध में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट (17वीं रिपोर्ट) में अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जातियों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखने के कुछेक महत्वपूर्ण पङ्क्तियों का उल्लेख किया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों के संबंध में केवल 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्टें मिली हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप से, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, नागरिक अधिकारों की वंचना की किसी समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। असम और पश्चिम बंगाल राज्यों से, जहाँ अनुसूचित जातियों के लोग बड़ी संख्या में हैं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत किसी मामले की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में, जहाँ देश की अनुसूचित जातियों की आबादी का 36.2 प्रतिशत है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पूरे देश में रिपोर्ट किए गए मामलों में से पंजीकृत मामलों के 89.30 प्रतिशत मामले पंजीकृत किए गए। बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से, जहाँ देश की अनुसूचित जातियों की कुल आबादी का 35.78 प्रतिशत है, केवल 2.89 प्रतिशत मामलों की रिपोर्टें मिली हैं। शेष राज्यों से, वर्ष 1997 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम मामलों के 10.70 प्रतिशत की रिपोर्टें मिली हैं। वर्ष 1999 में पंजीकृत मामलों से संबंधित आंकड़े, जिन्हें अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है, मामलों के पंजीकरण की लभगत ऐसी ही प्रवृत्ति परिलक्षित करते हैं। तथापि, यह स्पष्ट है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मामलों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से इन क्षेत्रों में अस्पृश्यता का पालन करने की विद्यमानता का कोई सूचक नहीं है।

9.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

9.3.1 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा भारतीय दण्ड संहिता, के कठोर दण्डिक उपबन्धों के बावजूद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर किए जाने वाले अत्याचारों, विशेष रूप से जातिगत आधार पर किए गए अपराधों पर काबू पाने में अपर्याप्त साबित हुए हैं। दिनांक 16 अगस्त, 1989 को संसद ने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों के कार्यों को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पुनर्वास तथा राहत के वास्ते तथा उनसे जुड़े अथवा उनसे प्रासंगिक मामलों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 नामक एक और अधिनियम पारित किया। राष्ट्रपति ने 11 सितम्बर, 1989 को अधिनियम के संबंध में अपनी सहमति दे दी तथा अधिनियम 30 जनवरी, 1990 से लागू हो गया।

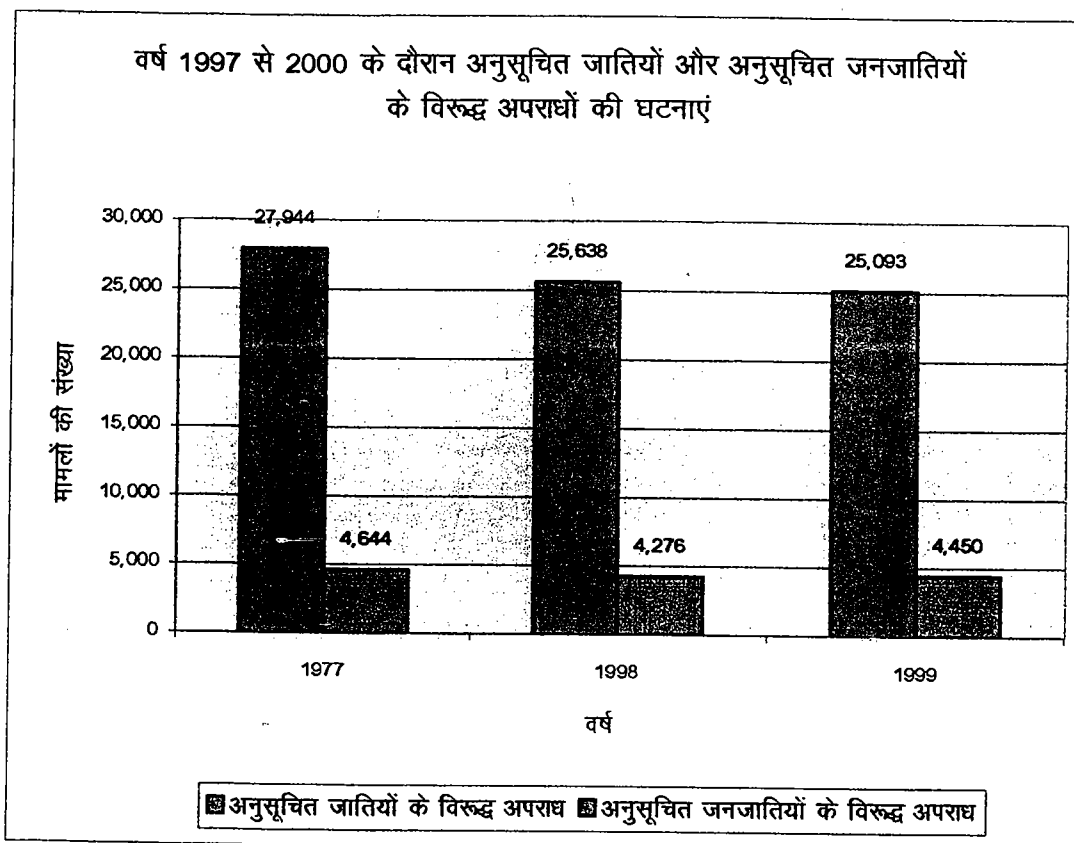
9.3.2 'अत्याचार' शब्द की प्रथम बार इस अधिनियम में परिभाषा की गई है। ऐसे अत्याचार करने के लिए और अधिक दण्डों की व्यवस्था करने के लिए कठोर उपाय किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिकारग्रस्त होने से बचाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट निवारक तथा दण्डात्मक उपाय करने हैं तथा जहां ऐसे अत्याचार किए गए हैं, वहां उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त राहत और सहायता प्रदान करनी है। कुल मिलाकर 23 ऐसे काम हैं, जिनके गैर-अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध किए जाने पर अत्याचार कहलाते हैं और इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। यद्यपि ये अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सम्मिलित हैं तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों के लिए भौ.द.सं. की तुलना में भारी दण्ड का प्रावधान है। इस अधिनियम में सम्पत्ति की जब्ती, नजरबन्दी और सामूहिक तथा दण्डात्मक जुर्माने की भी व्यवस्था है।

9.3.3 इस अधिनियम में तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में, विशेष न्यायालयों, विशेष सार्वजनिक अभियोजकों की व्यवस्था, अन्वेषण के लिए उप पुलिस अधीक्षक के दर्जे के पुलिस अधिकारी, अन्वेषण के लिए अवधि निर्धारण आदि द्वारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के संबंध में व्यापक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण सैल स्थापित करने, राज्य स्तर पर सरकार के सचिव के दर्जे के नोडल अधिकारी और जिला स्तर पर विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने, राज्य तथा जिला स्तर पर सतर्कता और मानीटरिंग समितियों के गठन और इसके अलावा अत्याचारों के पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत व यात्रा भत्ते, आदि की अदायगी करने की भी व्यवस्था है।

9.3.4 वर्ष 1997 से 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की घटनाओं का विवरण नीचे तालिका 9.1 में दिया गया है :

तालिका 9.1

वर्ष	अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध	अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध
1997	27,944	4,644
1998	25,638	4,276
1999	25,093	4,450



उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों में वर्ष 1997 से वर्ष 2000 के बीच घटती हुई प्रवृत्ति है, सिवाय वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 1999 के दौरान, जबकि अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचारों में मामूली सी वृद्धि हुई।

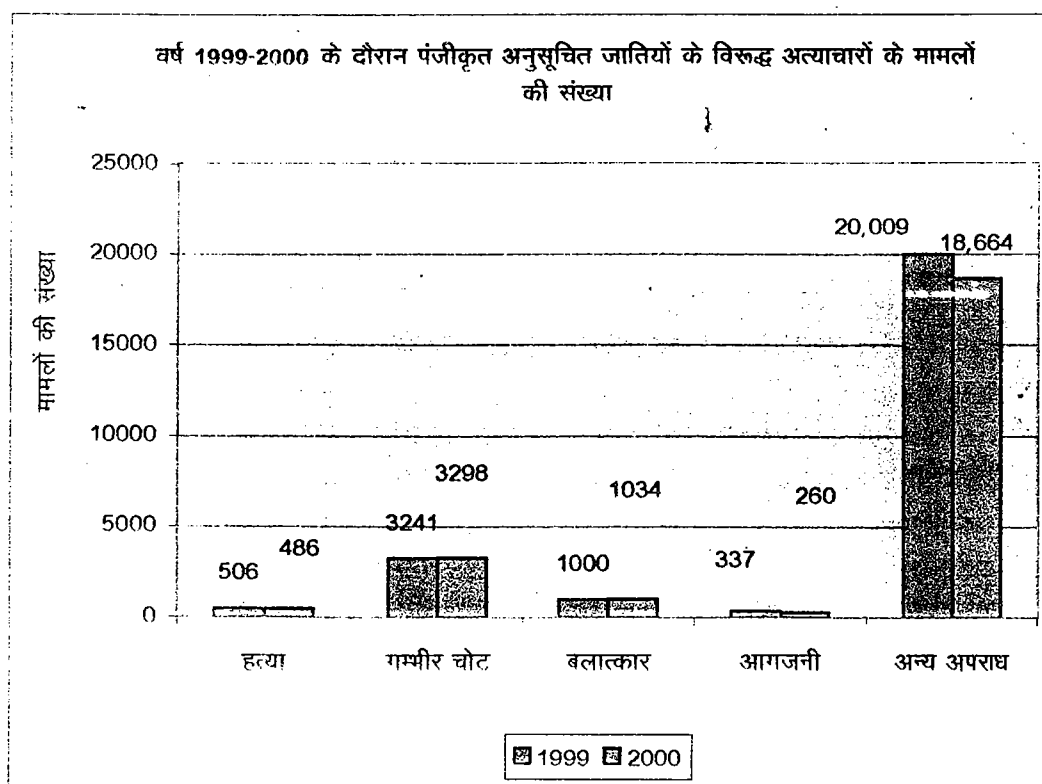
9.3.5 भारतीय दंड संहिता, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों की समीक्षा

वर्ष 1999 से 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और श्रेणी-वार संख्या अनुबंध 9.I से 9.IV में दी गई है। पुलिस द्वारा वर्ष 1999 और 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अपराधों की विभिन्न किस्मों के अन्तर्गत पंजीकृत तथा निपटाए गए मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे क्रमशः अनुबंध 9.V और 9.VI में दिए गए हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान पंजीकृत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का एक सार (श्रेणीवार) नीचे क्रमशः तालिका 9.2 और 9.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों में भा.द.सं., नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 व किसी अन्य संगत अधिनियमों की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों के सभी पंजीकृत मामले शामिल हैं।

तालिका 9.2

अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचार

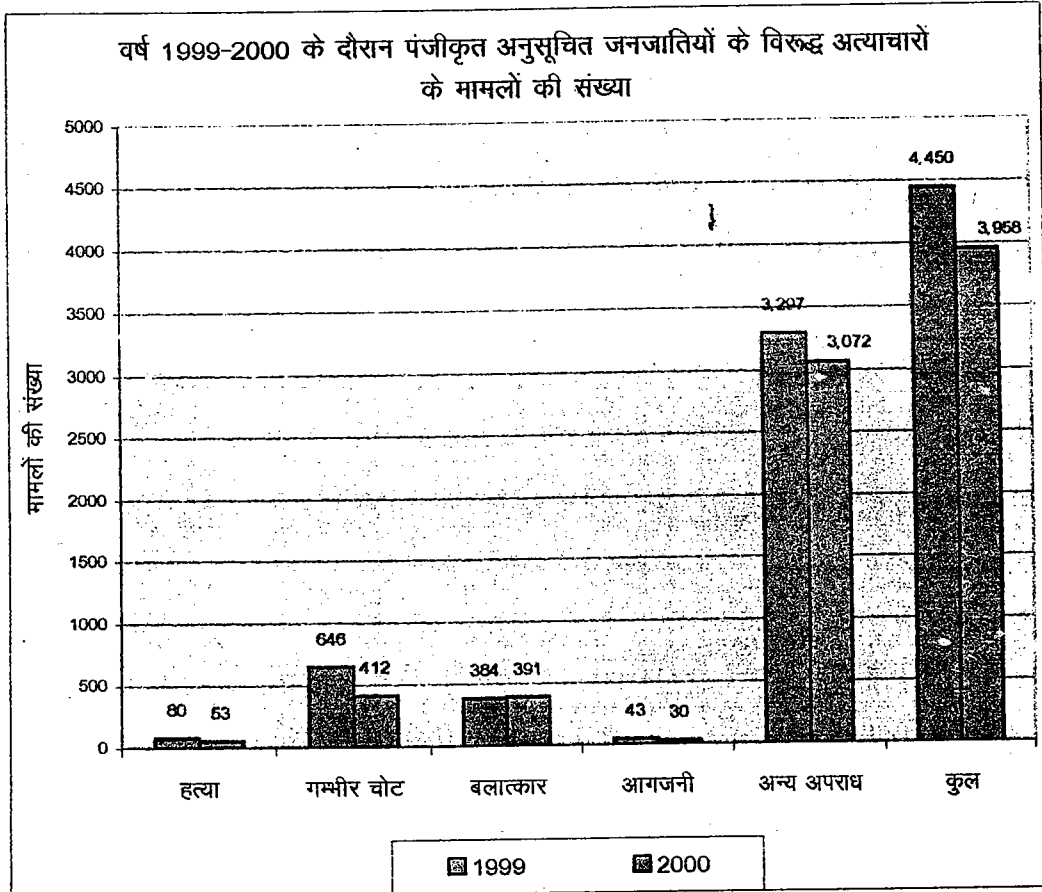
क्रम सं.	अपराध का स्वरूप	वर्ष के दौरान अपराधों के मामलों की संख्या	
		1999	2000
1.	हत्या	506 (2.01 प्रतिशत)	486 (2.05 प्रतिशत)
2.	गम्भीर चोट	3241 (12.92 प्रतिशत)	3298 (13.89 प्रतिशत)
3.	बलात्कार	1000 (3.98 प्रतिशत)	1034 (4.36 प्रतिशत)
4.	आगजनी	337 (1.35 प्रतिशत)	260 (1.09 प्रतिशत)
5.	अन्य अपराध	20009 (79.79 प्रतिशत)	18664 (78.61 प्रतिशत)
कुल :		25093 (100.00 प्रतिशत)	23742 (100.00 प्रतिशत)



तालिका 9.3

अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचार

क्रम सं.	अपराध का स्वरूप	वर्ष के दौरान अपराधों के मामलों की संख्या	
		1999	2000
1.	हत्या	80 (1.79 प्रतिशत)	53 (1.33 प्रतिशत)
2.	गम्भीर चोट	646 (14.52 प्रतिशत)	412 (10.40 प्रतिशत)
3.	बलात्कार	384 (8.63 प्रतिशत)	391 (9.87 प्रतिशत)
4.	आगजनी	43 (0.98 प्रतिशत)	30 (0.76 प्रतिशत)
5.	अन्य अपराध	3297 (74.08 प्रतिशत)	3072 (77.64 प्रतिशत)
जोड़ :		4450 (100.00 प्रतिशत)	3958 (100.00 प्रतिशत)



के नाते उसके लिए कलकत्ता जाना संभव नहीं है। यह मामला ए.ए.आई. के अध्यक्ष के साथ दिनांक 27.9.1999 को उठाया गया था और उन्हें इस मामले में अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 27.10.1999 को आयोग को उत्तर प्राप्त हुआ, जो संतोषजनक नहीं था। इसलिए ए.ए.आई. के सदस्य (पी.एंड ए.) को आयोग में आने और इस मामले के बारे में वैयक्तिक रूप से चर्चा करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 4.11.1999 को सदस्य (पी.एंड ए.) के साथ, आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा चर्चा की गई और चर्चा के दौरान सदस्य (पी.एंड ए.), ए.ए.आई. ने याचिकाकर्ता को दिल्ली के मुख्यालय में ही बनाए रखना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर याचिकाकर्ता को वांछित राहत मिल गई।

8.10.3 एयर इंडिया में मैनेजर के रूप में कार्यरत, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने दिनांक 22.9.2000 को आयोग को सीनियर मैनेजर के रूप में अपनी पदोन्नति न होने के बारे में अभ्यावेदन दिया था। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे नजरन्दाज करके उनके जूनियर अधिकारियों को, जो सामान्य श्रेणी के हैं, पदोन्नत कर दिया गया है। दिनांक 19.10.2000 को यह मामला एयर इंडिया के प्रबन्धकों के साथ उठाया गया और उन्हें मामले के पूर्ण तथ्यों की जानकारी देने का अनुरोध किया गया। आयोग को दिनांक 05-01-2001 को एयर इंडिया के प्रबन्धकों से उत्तर प्राप्त हुआ कि याचिकाकर्ता को दिनांक 1.1.2001 से वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है।

8.10.4 एक अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ने जिसका संबंध अनुसूचित जाति समुदाय से था, आयोग को अपनी वर्ष 1998-99 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां, जो अनोचितपूर्ण थीं, किए जाने के बारे में दिनांक 3.4.2000 को अभ्यावेदन दिया। आयोग ने दिनांक 17.4.2000 को वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य (कार्मिक) के साथ यह मामला उठाया और उन्हें अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया। आयोग को दिनांक 11.5.2000 को वित्त मंत्रालय से उत्तर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की वर्ष 1998-99 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में से प्रतिकूल टिप्पणियां निकाल दी गई हैं।

8.10.5 इलाहाबाद बैंक के एक क्लर्क-व-असिस्टेंट कैशियर का दिनांक 4-12-1999 को देहान्त हो गया और वह अपने पीछे अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़े मां-बाप को छोड़ गया। उसकी पत्नी, जो अनुसूचित जाति की थी, ने दिनांक 15.5.2000 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुकम्पा के आधार पर अपनी नियुक्ति के बारे में अभ्यावेदन दिया। इलाहाबाद बैंक के सी.एम.डी. के साथ यह मामला दिनांक 26.5.2000 को उठाया गया। याचिकाकर्ता के परिवार में रोजी कमाने वाला कोई सदस्य नहीं था। वह अपने बच्चों और बूढ़े सास-ससुर का पेट भरने के लिए मेहनत-मजदूरी कर रही थी। दिनांक 28-6-2000 को इलाहाबाद बैंक ने आयोग को सूचित किया कि मृतक को देय उपदान (ग्रेच्युटी) की 40,555 रुपये की राशि मृतक के परिवार को दे दी गई है और मृतक ने पेंशन के लिए अपना विकल्प नहीं दिया था। अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर, विहित नियमों/प्रतिमानों के अनुसार विचार किया जा सकता है। इसके प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता ने आयोग को सूचित किया कि उसे बैंक से कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उसका पति बीमार था और उसने अपने उपचार के लिए बैंक से ऋण ले रखा था। बैंक ने उक्त सारी राशि ऋण के प्रति समायोजित कर ली थी। दिनांक 24.7.2000 को यह मामला बैंक के साथ उठाया गया और बैंक से अनुरोध किया कि वह उसके मामले पर मानवीय आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, क्योंकि उसका परिवार बिल्कुल कंगाली की दशा में है। उसके बाद आयोग ने बैंक को दिनांक 21-8-2000, 20-9-2000, 16-10-2000, 7-12-2000 और अंत में 14-2-2001 को मामले की याद दिलाई। आयोग द्वारा लम्बे समय तक हस्तक्षेप किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली।

8.10.6 क्षेत्रीय पास पोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत, अनुसूचित जाति समुदाय के एक अवर श्रेणी लिपिक ने दिनांक 24-2-2000 को आयोग को अभ्यावेदन दिया और यू.डी.सी. के ग्रेड में अपनी पदोन्नति के बारे में अपनी शिकायत को दूर किए जाने की मांग की। आयोग ने इस मामले को विदेश मंत्रालय के साथ उठाया। विदेश मंत्रालय ने अपने दिनांक 21-3-2001 के पत्र के द्वारा अपनी टिप्पणियां/उत्तर आयोग को भेजा। मामले की जांच करने के बाद यह पाया गया कि अवर श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति करते समय विदेश मंत्रालय द्वारा नियमों का घोर उल्लंघन किया गया था। विदेश मंत्रालय के संबंधित अधिकारी को सम्मन भेजे गए कि वह मामले पर चर्चा करने के लिए दिनांक 12-5-2000 को आयोग के सामने पेश हों। विदेश मंत्रालय के निदेशक (पी.यू.) दिनांक 12-5-2000 को आयोग के समक्ष पेश हुए। विस्तृत चर्चा के बाद, निदेशक इस बात पर सहमत हुए कि विदेश मंत्रालय मामले में सुधार के उपाय करने के लिए मामले की समीक्षा डी.पी.सी. बैठक आयोजित करेगा। यह भी आश्वासन दिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के विहित कोटे को भरने के लिए उपयुक्त ध्यान रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह आश्वासन भी दिया कि आरक्षित श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी डी.पी.सी. में शामिल किया जाएगा। कोई आरक्षित पद भविष्य में सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा और एक ही समय बहुत से ग्रेडों के लिए एक ही डी.पी.सी. आयोजित करने से बचा जाएगा। आयोग के निदेशानुसार, विदेश मंत्रालय ने दिनांक 31-7-2000 के अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि विदेश मंत्रालय में समीक्षा डी.पी.सी. बैठक दिनांक 29-6-2000 को आयोजित की गई थी और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी। याचिकाकर्ता को, अनुसूचित जाति के 14 अन्य उम्मीदवारों के साथ उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था।

8.10.7 दिल्ली पुलिस में कान्स्टेबल के रूप में कार्यरत, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने आयोग को अभ्यावेदन दिया कि हालांकि उसने दिल्ली पुलिस के हेड कान्स्टेबल (कार्यकारी) के पद पर पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के एक उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे पदोन्नति के लिए नहीं चुना। चयन एक मूल्यांकन परीक्षा पर आधारित था, जिसमें लिखित परीक्षा, एक आउट-डोर परीक्षा और सेवा-रिकार्ड और पात्र कान्स्टेबलों की वरीयता सूची शामिल थी; यह परीक्षा दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और स्थायीकरण) नियम, 1980 के अनुसार ली जाती है। दिल्ली पुलिस ने अपने दिनांक 25-9-2000 के पत्र द्वारा इस बात की पुष्टि की कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने, जो अनुसूचित जाति का है, सामान्य क्षेत्र के कुछ उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उसे इस कारण से नहीं चुना गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण रोलर के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए केवल 13 पद थे। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए विभाजन रेखा (कट-आफ प्वाइंट) 170.01 अंकों पर निर्धारित की गई थी और याचिकाकर्ता ने 166.79 अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उसे चुना नहीं गया। आयोग ने वर्ष 1999 की योग्यता के क्रमानुसार पदोन्नति सूची के अन्तिम परिणाम का अवलोकन किया और यह देखा कि दिल्ली पुलिस ने तीन अलग-अलग सूचियां तैयार की थी। एक सामान्य श्रेणी के 691 उम्मीदवारों के लिए, दूसरी अनुसूचित जाति के 13 उम्मीदवारों के लिए और तीसरी अनुसूचित जनजाति के 419 उम्मीदवारों के लिए। इन सभी तीनों श्रेणियों के लिए एक सामान्य परीक्षा हुई थी। आयोग द्वारा नोट किया गया कि अनुसूचित जाति के 47 उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी के सबसे अन्तिम उम्मीदवार से, जिसने 165.46 अंक प्राप्त किए थे, अधिक अंक प्राप्त किए थे। अनुसूचित जाति के जिन उम्मीदवारों ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन पर गैर-आरक्षित पदों के लिए चयन के लिए विचार न करके, दिल्ली पुलिस द्वारा नियमों/अनुदेशों

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल मिलाकर देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की घटनाओं में 1999-2000 के दौरान सतत रूप से कमी हो रही है। तालिका से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की तुलना में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों और अत्याचारों की सीमा काफी अधिक है। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामले अनुसूचित जनजातियों की तुलना में लगभग 6 से 7 गुना अधिक हैं, यद्यपि देश में अनुसूचित जातियों की आबादी अनुसूचित जनजातियों के मुकाबले में केवल दुगुनी है। उपरोक्त तालिकाओं से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अन्य अपराधों के अन्तर्गत अत्याचार के मामले, जिनमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराध भी शामिल हैं, वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की कुल संख्या का लगभग 79-80 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध 74 प्रतिशत है तथा 2000 के दौरान 78 प्रतिशत है। वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध बलात्कार और हत्या जैसे नृशंस अपराधों की संख्या क्रमशः 3.98 प्रतिशत और 2.01 प्रतिशत तथा इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध यह संख्या 8.63 प्रतिशत और 1.79 प्रतिशत है। वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध बलात्कार और हत्या जैसे नृशंस अपराधों की संख्या क्रमशः 4.36 प्रतिशत और 2.05 प्रतिशत तथा इसी अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध यह संख्या 9.87 प्रतिशत और 1.33 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के बारे में देखी गई एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के विरुद्ध हत्या, आगजनी, गम्भीर चोट, आदि जैसे अन्य अपराधों की तुलना में बलात्कार की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं।

9.3.6 अनुबन्ध 9.I से 9.IV में दिए गए विवरणों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या उत्तर प्रदेश (6122), राजस्थान (5623) और मध्य प्रदेश (4667) में सबसे अधिक है। वर्ष 1999 के दौरान देश में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों के कुल मामलों में इन तीन राज्यों का हिस्सा 65.4 प्रतिशत बैठता है। पिछले वर्ष में भी इन तीन राज्यों में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध मामलों की संख्या सर्वाधिक थी। अन्य राज्यों में अत्याचारों के पंजीकृत मामलों की स्थिति थी :- गुजरात (1781), आन्ध्र प्रदेश (1749), कर्नाटक (1277), तमिलनाडु (883), बिहार (820), उड़ीसा (772), महाराष्ट्र (605), केरल (514), हरियाणा (121), हिमाचल प्रदेश (54), पंजाब (39), दिल्ली (18)। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों का कोई मामला नहीं था अथवा उनकी संख्या नगण्य थी।

9.3.7 वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या उत्तर प्रदेश (6599), राजस्थान (5199) और मध्य प्रदेश (4631) में सर्वाधिक थी। अन्य राज्य, जिनमें अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामले हैं, वे हैं : आन्ध्र प्रदेश (1582), तमिलनाडु (1296), कर्नाटक (1218), गुजरात (891), बिहार (741), महाराष्ट्र (489), केरल (467), उड़ीसा (375), हरियाणा (105), हिमाचल प्रदेश (52), पंजाब (30), पाण्डिचेरी (21) और दिल्ली (13)। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचारों का कोई मामला नहीं था अथवा उनकी संख्या नगण्य थी।

9.3.8 इसी प्रकार वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक (1756) थे, उसके बाद राजस्थान का स्थान था (1221)। अन्य राज्य हैं : गुजरात (367), उड़ीसा (335), आन्ध्र प्रदेश (178), महाराष्ट्र (171), तमिलनाडु (105), केरल (81), बिहार (67), कर्नाटक (60), उत्तर प्रदेश (58)। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों का कोई मामला नहीं था अथवा उनकी संख्या नगण्य थी।

9.3.9 वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के मामले मध्य प्रदेश (1845) और राजस्थान (1130) में सर्वाधिक थे। अन्य राज्य, जहां से अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों की रिपोर्टें मिली हैं, वे हैं : गुजरात (221), आन्ध्र प्रदेश (202), महाराष्ट्र (142), उड़ीसा (97), उत्तर प्रदेश (78), केरल (63), बिहार (61), कर्नाटक (57)। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार का या तो कोई मामला नहीं था अथवा उनकी संख्या नगण्य थी। यह भी देखा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या में मध्य प्रदेश और राजस्थान में वृद्धि हो रही है। गैर-अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए इन राज्यों की सरकारें कारगर कदम उठा सकती हैं।

9.4 न्यायालयों द्वारा पंजीकृत और निपटाए गए मामले

9.4.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 और 15 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के शीघ्र विचारण के वास्ते विशेष न्यायालयों की स्थापना करने तथा विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों की दो किस्में हैं। ये हैं मात्र विशेष न्यायालय और पदनामित विशेष न्यायालय।

तालिका 9.4

न्यायालयों द्वारा वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के विभिन्न किस्मों के अन्तर्गत पंजीकृत मामले, न्यायालयों द्वारा निपटाए गए तथा लम्बित मामले दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आगे लाए गए मामले	प्राप्त मामलों की संख्या	कुल मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दोषमुक्त मामलों की संख्या	दोषमोचन मामलों की संख्या	लम्बित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	713	713	100	9	91	613
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	4670	1247	5917	646	14	632	5271
5.	गोवा	-	2	2	2	-	2	-
6.	गुजरात	680	208	888	113	2	111	775
7.	हरियाणा	117	103	220	23	2	21	197
8.	हिमाचल प्रदेश	131	40	171	32	1	31	139
9.	जम्मू और कश्मीर	सूचित नहीं किया गया						
10.	कर्नाटक	3834	839	4673	678	10	668	3995
11.	केरल *	1964	258	2222	462	6	280	1760
12.	मध्य प्रदेश	सूचित नहीं किया गया						
13.	महाराष्ट्र *	7795	827	8622	255	15	238	8367
14.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	4413	1041	5454	198	6	192	5256
19.	पंजाब	54	37	91	4	-	4	87
20.	राजस्थान *	5836	2530	8366	2607	239	1993	5759
21.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	1594	1302	2596	885	40	845	1710
23.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	70457	5464	75921	2662	355	2307	73259
25.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-
27.	चंडीगढ़	1	-	1	-	-	-	-
28.	दादर और नगर हवेली	5	-	5	1	-	1	4
29.	दमण और दीव	4	1	5	1	-	1	4
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
32.	पाण्डिचेरी	8	3	11	3	1	2	8
जोड़ :		101563	14315	115878	867663	700	7420	107204

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने कोई सूचना नहीं भेजी है।
केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़े मेल नहीं खाते हैं।

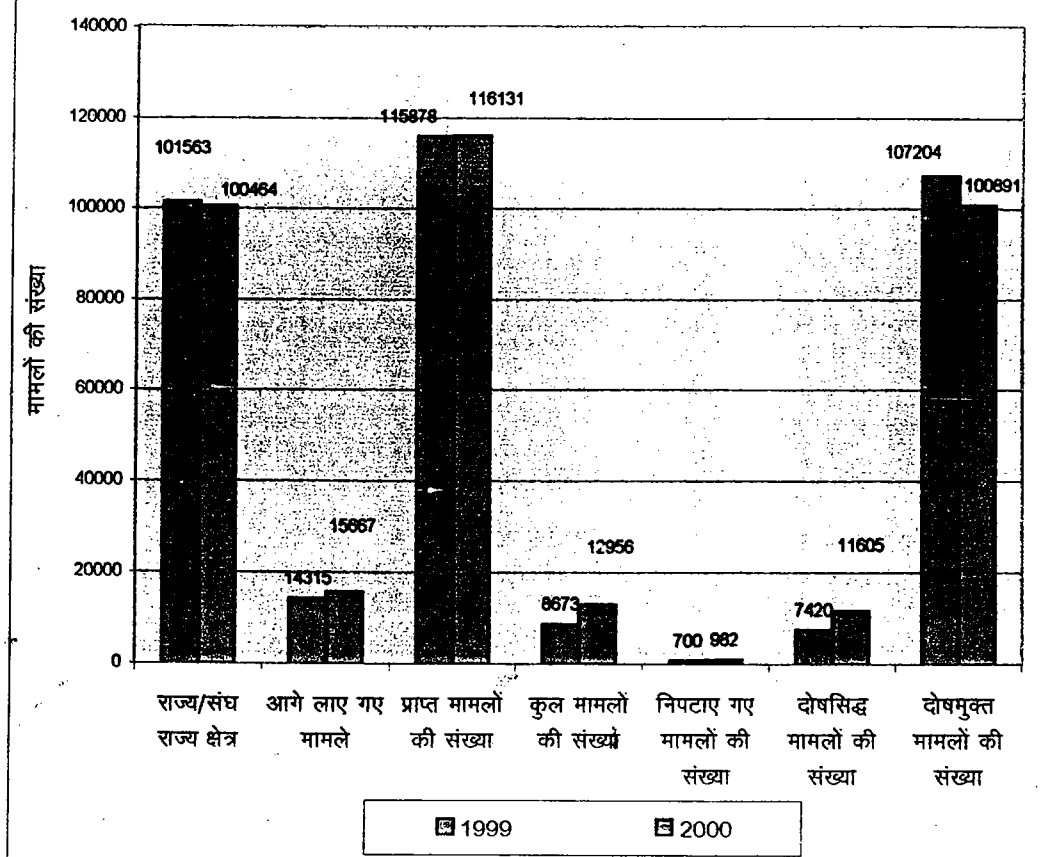
तालिका 9.5

न्यायालयों द्वारा वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के विभिन्न किस्मों के अन्तर्गत पंजीकृत मामले, न्यायालयों द्वारा निपटाए गए तथा लम्बित मामले दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आगे लाए गए मामले	प्राप्त मामलों की संख्या	कुल मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	दोषसिद्ध मामलों की संख्या	दोषमुक्त मामलों की संख्या	लम्बित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	1912	1912	67	9	58	1845
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	-	528	-	48	-	-	480
5.	गोवा	-	1	1	1	-	-	1
6.	गुजरात	775	151	926	52	-	52	874
7.	हरियाणा	239	117	356	19	3	16	337
8.	हिमाचल प्रदेश	139	41	180	29	3	26	151
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	3995	1828	5923	4129	4	4125	1794
11.	केरल	1760	426	2186	358	12	302	1768
12.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
13.	महाराष्ट्र	8367	700	9067	849	22	795	8218
14.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	5256	631	5887	218	4	214	5669
19.	पंजाब	93	13	106	1	-	1	105
20.	राजस्थान	5759	2488	8247	2411	296	1871	5836
21.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	1710	1211	2921	1111	36	1075	1810
23.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	72354	5609	77963	3660	592	3068	74303
25.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-
27.	चंडीगढ़	1	1	2	1	-	1	1
28.	दादर और नगर हवेली	4	1	5	-	-	-	5
29.	दमण और दीव	4	1	4	1	1	-	3
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-
32.	पाण्डिचेरी	8	9	17	1	-	1	16
जोड़ :		100464	15667	116131	12956	982	11605	100891

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने कोई सूचना नहीं भेजी है ।
केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़े मेल नहीं खाते हैं ।

वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के विभिन्न किस्मों के अन्तर्गत पंजीकृत मामले, न्यायालयों द्वारा निपटाए गए तथा लम्बित मामलों की संख्या



उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक (74303) मामले लम्बित हैं, उसके बाद महाराष्ट्र (8218), राजस्थान (5836), उड़ीसा (5669), आन्ध्र प्रदेश (1845), तमिलनाडु (1810), कर्नाटक (1794) और केरल (1768) का स्थान है। दो विवरण-पत्र न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या और दोषसिद्ध की बहुत कम दर भी दर्शाते हैं।

9.5 केंद्र सरकार की भूमिका

9.5.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों को समन्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई करना तथा इस अधिनियम के अनुसरण में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 1996 और 1997 से संबंधित चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

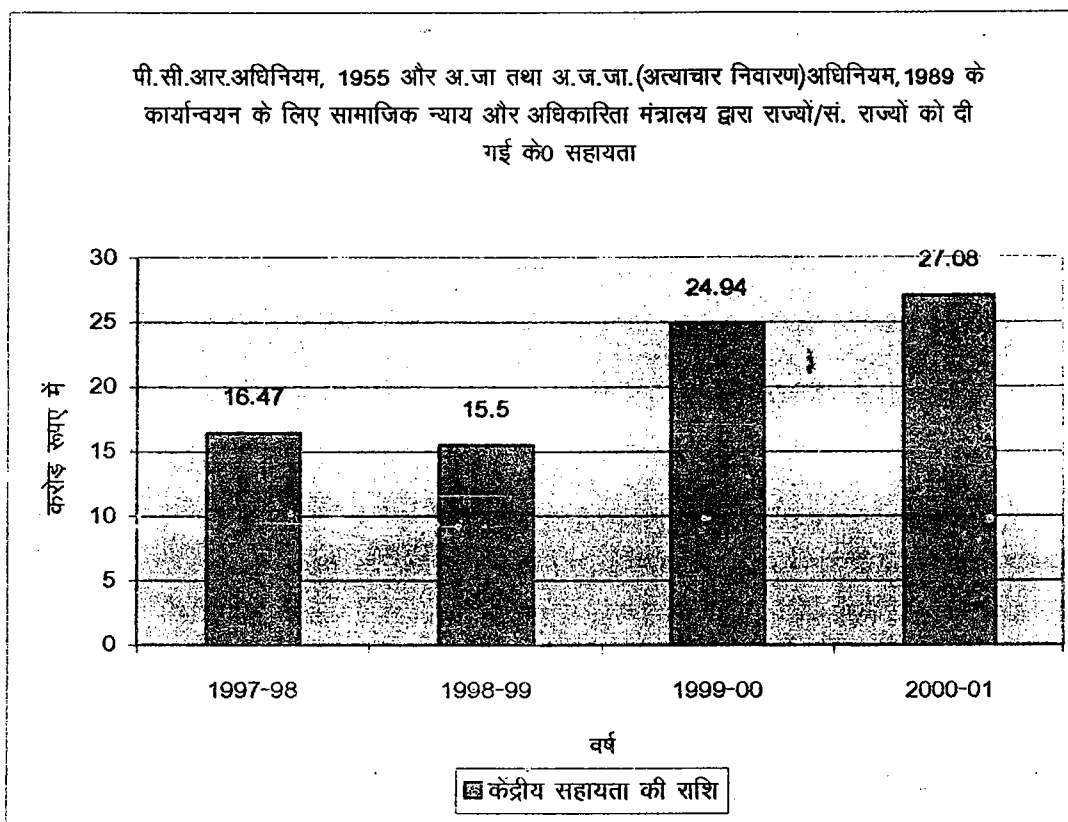
9.5.2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक केंद्र प्रायोजित स्कीम का संचालन करता है जिसके अन्तर्गत अधिनियमों और नियमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न उपायों के

संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन की जाने वाली प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50 : 50 अनुपात में (संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । ऐसे उपायों में प्रशासन और न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करना, प्रचार तथा राहत और पुनर्वास शामिल हो सकते हैं । केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता की मंजूरी की वर्ष-वार स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

तालिका 9.6

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	केंद्रीय सहायता की राशि
1997-98	16.47
1998-99	15.50
1999-2000	24.94
2000-2001	27.08



वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए स्कीम के अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तालिका 9.7 में नीचे दिया गया है :

तालिका 9.7

वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.00	294.68	361.33	208.60
2.	असम	-	-	-	2.00
3.	बिहार	9.50	50.00	-	34.03
4.	गोवा	0.70	0.575	-	-
5.	गुजरात	156.24	50.00	270.93	325.79
6.	हरियाणा	-	21.70	7.83	11.53
7.	हिमाचल प्रदेश	1.00	1.81	-	4.88
8.	कर्नाटक	15.50	136.68	170.70	150.44
9.	केरल	2.50	2.00	10.00	41.95
10.	मध्य प्रदेश	500.85	682.06	732.96	977.24
11.	महाराष्ट्र	23.00	50.00	100.00	190.44
12.	उड़ीसा	-	3.60	4.00	0.57
13.	पंजाब	10.70	20.64	25.00	18.38
14.	राजस्थान	16.00	50.00	50.00	150.00
15.	सिक्किम	-	0.25	1.00	-
16.	तमिलनाडु	14.550	100.00	50.00	89.08
17.	उत्तर प्रदेश	844.51	50.00	636.24	448.19
18.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
19.	अं. और नि. द्वीप समूह	-	0.0929	-	-
20.	दिल्ली	-	1.40	-	-
21.	दादर और नगर हवेली	15.88	15.90	30.99	27.00
22.	पाण्डिचेरी	18.28	18.60	34.16	28.63
23.	दमण और दीव	-	-	9.01	-
जोड़ :		1647.00	1550.00	2494.16	2708.75

तालिका 9.6 से पता चलता है कि केंद्रीय सहायता की राशि में विगत चार वर्षों में वृद्धि होती रही है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि इन अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक न्याय पद्धति को सुधारने में कुछेक राज्य सरकारों द्वारा समुचित ध्यान दिया जाता रहा है। किन्तु विभिन्न स्तरों पर आधारिक संरचना व अन्य अनिवार्य सुविधाओं में सुधार करने तथा साथ ही अत्याचार पीड़ितों को समय पर व पर्याप्त आर्थिक राहत अदा करने के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है। जिन राज्यों ने पीड़ितों को पूरी अदायगी करने और आधारिक संरचना का विकास करने के लिए इस बजटीय प्रावधान का उपयोग नहीं किया है, उनके बीच जागरूकता पैदा करने तथा समझाने-बुझाने की आवश्यकता है।

उदाहरणार्थ, उड़ीसा सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1955 के नियम 4 में निर्धारणानुसार अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक राहत प्रदान नहीं करती ।

9.5.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीकृत अत्याचार के मामलों का शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत कवर होने वाले अपराध भा.द.सं. अधिनियम के अन्तर्गत कवर होने वाले अपराधों की तुलना में अधिक गम्भीर हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दण्ड भी नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों के लिए दण्डों से अधिक है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 और 15 में विशेष न्यायालयों की स्थापना और सरकारी लोक अभियोजक नियुक्त करने की व्यवस्था है ।

9.6 अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में स्थापित विशेष न्यायालय तथा जाँच-पडताल, अभियोजन और मानीटरन तंत्र

9.6.1 धारा 14 : “शीघ्र विचारण की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की सहमति से, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु एक विशेष न्यायालय का रूप लेने के वास्ते प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय विनिर्दिष्ट करेगी ।”

धारा 15 : “प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी अथवा किसी अधिवक्ता को नियुक्त करेगी जो कम से कम सात वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो ।”

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और मिजोरम राज्यों ने कुछ जिलों में एकमात्र विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं । अविभाजित मध्य प्रदेश ने 25 विशेष न्यायालयों के साथ सबसे अधिक ऐसे न्यायालयों की स्थापना की है । इन राज्यों में शेष जिलों के बारे में और अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सत्र/अपर सत्र के विद्यमान न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है ।

9.6.2 आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, एकमात्र विशेष न्यायालयों, विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एहतियाती विधान के कारगर कार्यान्वयन हेतु किए गए अन्य उपायों की राज्य-वार स्थिति का नीचे उल्लेख किया गया है :

I. आन्ध्र प्रदेश :

सरकार ने एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल सृजित किया है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 के अंतर्गत राहत और पुनर्वास के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए समाज कल्याण

विभाग में कार्य कर रहा है। अत्याचार के मामलों की शीघ्र जाँच-पड़ताल, अभियोजन और प्रभावी निपटान के वास्ते सहायक स्टाफ के साथ एक पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक, सी.आई.डी. की अध्यक्षता में सी.आई.डी. के कार्यालय में पुलिस विभाग में एक विशेष सैल है। चित्तूर, गुन्तूर और हैदराबाद में तीन एकमात्र विशेष सत्र न्यायालय तथा सभी अन्य जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तेइस विशेष चल न्यायालय भी संस्वीकृत किए हैं।

II. असम :

मैदानी जिलों के सभी सत्र न्यायालयों को और पहाड़ी जिले के सभी उपायुक्त न्यायालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

III. बिहार :

गृह विभाग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के मानीटरन के लिए पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में एक सैल स्थापित किया है। यद्यपि सभी जिलों में पदनामित विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं, किन्तु उनका कामकाज अप्रभावी है। अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति भी गठित की गई है। राज्य सरकार ने अधिनियम की प्रतियाँ सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, उप-मंडल अधिकारियों और पुलिस स्टेशनों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके अधीन बनाए गए नियम, 1995 के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेशों के साथ परिचालित की है।

VI. गुजरात :

अत्याचार के मामलों की समीक्षा और मॉनीटरन जिला स्तर पर सतर्कता समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मामलों की समीक्षा करने तथा अधिनियम के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन के वास्ते राज्य के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। अहमदाबाद (ग्रामीण), पालनपुर तथा कच्छ जिले में तीन एकमात्र विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अन्यत्र जिला सत्र न्यायालयों को विशिष्ट न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

V. गोवा :

समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान के अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय समिति स्थापित की गई है। मारगोआ तथा पणजी के सत्र न्यायालयों को क्रमशः उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा जिलों के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया गया है।

VI. हरियाणा :

सभी जिला न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया गया है। मामलों के बहुत कम लम्बित होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत कोई एकमात्र विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।

VII. हिमाचल प्रदेश :

राज्य स्तरीय सतर्कता तथा मानीटरन समिति की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। नौ जिलों- शिमला, मंडी, शिमोग, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, चम्बा और बिलासपुर में जिला तथा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

VIII. जम्मू और कश्मीर :

चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 राज्य में लागू नहीं है, इसलिए कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है।

IX. कर्नाटक :

अधिनियम में किए गए प्रावधानों की देखभाल करने के लिए अपर महानिदेशक की अध्यक्षता में, जिसकी सहायता महानिरीक्षक व अन्य अधिकारी करते हैं, एक पृथक सी.आर.ई. सैल है। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली राहत तथा पुनर्वास सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता तथा मानीटरन समिति गठित की गई है। इसके अलावा बीजापुर, कोलार, रायचूर, मैसूर, बेलगांव और गुलबर्गा में छः एकमात्र विशेष न्यायालय तथा अन्य जिलों में विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट जिला तथा सत्र न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

X. मध्य प्रदेश :

राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार-प्राप्त राज्य स्तरीय मानीटरन व सतर्कता समिति स्थापित की है। सभी जिलों में जिला स्तरीय समितियां भी स्थापित की गई हैं। पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिरीक्षक के प्रभार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पीसीआर सैल कार्य कर रहा है। अविभाजित राज्य में 25 एकमात्र विशेष न्यायालय स्थापित किए गए थे। शेष जिलों में जिला तथा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया गया है।

XI. महाराष्ट्र :

राज्य के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है तथा विभिन्न विभागीय सचिव और पुलिस प्राधिकारी इसके सदस्य हैं। राज्य में नागरिक अधिकार प्रवर्तन मशीनरी के अध्यक्ष मुंबई राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक पीसीआर हैं। प्रत्येक जिले में जिला तथा सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

XII. मणिपुर :

पूर्व तथा पश्चिम मणिपुर जिलों के जिला तथा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। राज्य अत्याचार के मामलों से मुक्त है।

XIII. मेघालय :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों के विचारण के लिए सभी जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

XIV. मिजोरम :

अधिनियम के तहत पूरे राज्य के लिए एक विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।

XV. उड़ीसा :

राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक के अधीन राज्य नागरिक अधिकार संरक्षण सैल कार्य कर रहा है, जो राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के सभी मामलों का मानीटरन करते हैं। राज्य में किसी एकमात्र विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, 13 जिलों में जिला तथा सत्र न्यायाधीश को और दस जिलों में अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

XVI. पंजाब :

अपर महानिदेशक (पी) अपराध, पंजाब के पर्यवेक्षण में पुलिस मुख्यालय, पंजाब, चण्डीगढ़ में एस.एस.पी. की अध्यक्षता में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल कार्य कर रहा है तथा जिला स्तर पर भी एस.एस.पी. के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XVII. राजस्थान :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय में एक नागरिक अधिकार सैल कार्य कर रहा है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की धारा 16 और 17 के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। राज्य सरकार सतर्कता समिति की सिफारिश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा निश्चित दर के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पीड़ितों को मौद्रिक राहत प्रदान करती है। सोलह जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। अन्य जिलों में सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

XVIII. सिक्किम :

राज्य में अत्याचार के मामले नगण्य हैं, जिला कलेक्टरों/पुलिस अधिकारियों को उत्पीड़न और अत्याचारों की शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जाँच करने के निदेश दिए गए हैं। जिला तथा सत्र न्यायालयों (ई एण्ड एन) को विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया गया है।

XIX. तमिलनाडु :

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता मानीटरन समिति गठित की है। अपर महानिदेशक, पुलिस (समाजिक न्याय) तथा उप महानिरीक्षक (नागरिक अधिकार संरक्षण), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन को मानीटर करते हैं। सोलह जिलों के लिए तिरुचिरापल्ली, तंजावूर, मदुरई, तिरुनवेली में चार विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं तथा दस जिलों में प्रधान सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XX. त्रिपुरा :

सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय को पश्चिम त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा तथा दक्षिणी त्रिपुरा के तीन जिलों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XXI. उत्तर प्रदेश :

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर/जिला स्तर समितियां गठित की हैं। अभियोजन का पर्यवेक्षण करने के लिए लखनऊ में अपर महानिदेशक (पी) की अध्यक्षता में एक विशेष सैल कार्य कर रहा है। राज्य में कोई एकमात्र विशेष न्यायालय स्थापित नहीं है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी जिला तथा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया गया है।

XXII. पश्चिम बंगाल :

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार के मामले नगण्य हैं, तथापि सभी जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदनामित किया गया है।

XXIII. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह :

जिला तथा सत्र न्यायाधीश, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह पोर्ट ब्लेयर को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XXIV. चंडीगढ़ :

सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XXV. दादरा और नगर हवेली :

सत्र न्यायालय, सिलवासा को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XXVI. दमण और दीव :

सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XXVII. दिल्ली :

अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय तीस हजारी, दिल्ली को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

XXVIII. लक्षद्वीप एवं मिनीकॉय :

केरल राज्य में सत्र न्यायालय, कोज़ीकोड को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XIX. पाण्डिचेरी :

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, पाण्डिचेरी, एस डी जे एम, कराईकल तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, यनम को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है।

XXX. अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड :

अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड से विशेष न्यायालयों की स्थापना के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, जो बहुत थोड़ी सी अनुसूचित जाति आबादी के साथ जनजातीय राज्य हैं, अत्याचार का लगभग कोई मामला नहीं है।

9.7 सुपुर्दगी कार्यवाहियां

9.7.1 गंगुला अशोक व अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि “कोई भी विशेष न्यायालय सत्र न्यायालय के नाते दण्ड प्रक्रिया संहिता (इसके

बाद संहिता) की धारा 193 में वर्णित निषेधादेश का निवारण नहीं कर सकता क्योंकि मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में ऐसे अपराध को संज्ञान के लिए विशेष न्यायालय को अधिकार प्रदान करने वाला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में कोई प्रावधान नहीं है। यह अपराध का संज्ञान कर सकता है जबकि मामला इसे संहिता के प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द कर दिया जाए। किसी शिकायत अथवा आरोप पत्र को अधिनियम के अंतर्गत सीधे ही विशेष न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। विशेष अधिनियम में किसी विपरीत प्रावधान अथवा किसी विशेष प्रावधान के अभाव में, जिसमें न्यायालय का क्षेत्राधिकार अथवा प्रयोज्यता शामिल है, उस सीमा तक दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू हो सकते हैं।' (2000 के क्रिल. नं० 94 में न्यायनिर्णय, दिनांक 28.1.2000)(एस एल पी (क्रिल) नं० 3828 से उत्पन्न।

9.7.2 उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से वह प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाएगा जिसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तैयार किया गया है। न्यायालयों द्वारा अत्याचार संबंधी मामलों के निपटान की गति धीमी हो जाएगी। अधिनियम की भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 14 में दिए गए प्रावधान को संशोधित करने की आवश्यकता है। चूंकि यह एक केन्द्रीय अधिनियम है, इसलिए भारत सरकार को अधिनियम संशोधित करना चाहिए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायनिर्णय को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रावधान जोड़ना चाहिए ताकि अत्याचार के मामलों पर सुपुर्दगी कार्यवाहियों के बिना सीधे ही विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण किया जा सके।

9.8 आयोग में निपटाए गए अत्याचारों के कुछ महत्वपूर्ण मामले

9.8.1 वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 की अवधि के दौरान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से 2000 से अधिक अम्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी आयोग द्वारा सीधे ही अथवा स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से जाँच-पड़ताल की गई। जब भी आयोग के नोटिस में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए किसी नृशंस अत्याचार का मामला आता है तो उनकी जाँच-पड़ताल आयोग द्वारा सीधे ही स्थान पर जाकर जाँच करके पीड़ितों के रिश्तेदारों के साथ भेंट करके, और साथ ही जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस कार्मिकों के जरिए, की जाती है।

9.8.2 निम्नलिखित मामलों में आयोग ने तत्काल जाँच की तथा अपने निष्कर्ष सम्बन्धित राज्य सरकार को अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किए :-

- i) फरवरी, 1999 के माह में, अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष के साथ बिहार में जिला जहानाबाद में ग्राम नारायणपुर का दौरा किया, जहां 12 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने स्थल पर जाकर स्थानीय लोगों और जिला अधिकारियों के साथ पूछताछ की। उसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव, महानिदेशक (पी) व बिहार सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की ताकि दुर्घटना के कारण, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवारक उपायों और पीड़ितों के परिवारों को प्रदत्त वित्तीय राहत के बारे में पता लगाया जा सके। आयोग द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर राज्य सरकार ने उन सभी परिवारों को अनुग्रह राशि अदा की जिनके रिश्तेदार मार दिए गए थे। आयोग ने घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दिया जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं : न्यूनतम मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करना, सरकार द्वारा भूमि की खरीद और भूमिहीन अनुसूचित जातियों के बीच इसका वितरण, बटाईदारी पद्धति के अन्तर्गत खेती करने

वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को स्वामित्व अधिकार, विकास कार्यक्रम, रिहायशी स्कूल खोलना, आदि। आयोग ने बिहार राज्य में भूमि धारण अधिकार के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत की।

- ii) दलितों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच एक जातीय संघर्ष में, दिनांक 13.3.2000 के एक प्रादेशिक समाचार पत्र के अनुसार, एक सवर्ण हिन्दू युवक की मृत्यु के बदले में, कर्नाटक के चिन्ताभणि जिले में सात दलितों को जिन्दा जला दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह भूरिया ने कम्बलपल्ली व अन्य ग्रामों का दौरा किया और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए कोलार जिले के उपायुक्त व सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ भेंट की जिनमें मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा पुलिस महानिदेशक सम्मिलित थे। समीक्षा से पता चला कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करने की अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रही। आयोग के हस्तक्षेप के कारण राज्य सरकार ने चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की तथा निकटवर्ती गांव में एक पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। पीड़ितों के परिवारों को क्षतिपूर्ति की अदायगी करने तथा उनका पुनर्वास करने का भी निर्णय लिया गया। हत्या के इस मामले में पन्द्रह सवर्ण हिन्दुओं को गिरफ्तार किया गया तथा राज्य सरकार ने एक सीबीआई जांच का भी आदेश दिया। राज्य सरकार से अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित करने के लिए कहा गया है।
- iii) अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष के साथ 2.7.2000 को बिहार में लखी सराय जिले में ग्राम हसनपुर बालुघाट का दौरा किया, जहां अनुसूचित जाति के छः व्यक्तियों सहित ग्यारह व्यक्ति मारे गए थे, तथा स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस कार्मिकों से स्थान पर पूछताछ की। अन्वेषण करने पर आयोग ने पाया कि बिहार खनिज विकास निगम द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में असफल रहने के कारण समाज विरोधी तत्व गैर-कानूनी ढंग से खनिजों की निकासी कर रहे थे तथा अपने लाभ के लिए उनकी बिक्री कर रहे थे। आयोग ने, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए अपनी रिपोर्ट और सिफारिश बिहार सरकार को भेजी। बिहार सरकार ने प्रत्येक पीड़ित को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा प्रत्येक व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए 5000/-रुपए और प्रत्येक पीड़ित के परिवार को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक मकान तथा समाज सुरक्षा के तहत प्रत्येक विधवा को विधवा पेंशन की अदायगी की।
- iv) स्थानीय दैनिक 'नई दुनियां' में एक रिपोर्ट छपी कि 2.4.2001 को मध्य प्रदेश के देवास जिले के महेन्दीखेडा, हिरापुर, हरमोडी, जमासिंध, विशाली आदि ग्रामों के जनजातियों के लोग जिला प्राधिकारियों द्वारा वन अधिकारियों की मिली भगत से उनके मकानों को गिराने के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए ग्राम महेन्दीखेडा में इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने गोली चला दी जिसमें तीन जनजातीय लोग मारे गए। अध्यक्ष ने 6.4.2001 को कलेक्टर, एस.पी. व अन्य अधिकारियों के साथ महेन्दीखेडा गांव का तथा हिरापुर, विशाली, जमासिंध, सिमोली, बनद, परपारही तथा कतुलिया जैसे अन्य गांवों का भी दौरा किया और प्रभावित परिवारों के साथ भेंट की। अदालत रूप से काटकर गिराए गए पेड़ों को प्राप्त करने की अपनी उत्सुकता में, जिला प्रशासन ने उनके घर गिराकर जिनमें से कुछेक के बारे में बताया गया कि वे दस-

पन्द्रह वर्ष पुराने थे, लूटमार और उनके खाद्यान्नों, आदि को तितर-बितर करके आतंक का माहौल पैदा कर दिया। आयोग के हस्तक्षेप पर मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि की अदायगी की जो पुलिस की गोली से मारे गए थे और घटना के कारण का पता लगाने के लिए तीन सचिवों की एक समिति भी नियुक्त की। गम्भीर/सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को क्रमशः 10,000/-रुपए तथा 5,000/-रुपए प्रति परिवार वित्तीय सहायता दी गई है। की गई ज्यादाती, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है।

9.8.3 कुछेक महत्वपूर्ण मामलों की सूची नीचे दी गई है जिनमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों के माध्यम से अन्वेषण की गई और अभ्यावेदनकर्ताओं को वांछित न्याय दिलाया गया।

i) दिल्ली में एक प्रिंसीपल द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला के उत्पीड़न का मामला।

स्कूल के प्रिंसीपल द्वारा उत्पीड़न के संबंध में सर्वोदय कन्या विद्यालय, शाहदरा, दिल्ली की एक अनुसूचित जाति पीजीटी (इतिहास) श्रीमती उर्मिला आजाद ने आयोग में एक शिकायत की। आयोग ने मामले की जांच करने तथा रिपोर्ट भेजने के वास्ते मामले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ उठाया। शिक्षा निदेशक ने यह कहते हुए रिपोर्ट भेजी कि याचिकादाता द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके। शिक्षा निदेशक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की आयोग में सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह पाया गया कि शिक्षा निदेशक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण थी तथा कोई वास्तविक तथ्य नहीं दिया गया। शिक्षा निदेशक द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता की गवाही को भी रिकार्ड नहीं किया। आयोग में अत्याचार के प्रभासी सदस्य श्री एच.एस. खालसा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्कूल के प्रिंसीपल को तुरंत किसी ऐसे स्कूल में स्थानान्तरित करने की सिफारिश की, जहां उसे बहुत से सदस्यों के साथ डील नहीं करना पड़े क्योंकि उसका रूख अपने अधीनों के प्रति उचित और निष्पक्ष नहीं है। सदस्य की टिप्पणी के अनुपालन में शिक्षा निदेशक ने आयोग को सूचित किया कि उक्त प्रिंसीपल को ऐसे स्कूल में स्थानान्तरित कर दिया गया है जहां उसके पास थोड़ी संख्या में स्टाफ होगा तथा आयोग की टिप्पणी को उसके सी.आर. डोजियर में जोड़ दिया गया है।

ii) एक झूठे मामले में फंसाकर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति का उत्पीड़न

श्री राम बाबू, निवासी बी-85, रामबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश ने आयोग के अध्यक्ष को एक शिकायत भेजी जिसमें एक पुलिस जीप द्वारा, जिसे स्थानीय लोगों ने आग लगा दी थी, एक अनुसूचित जाति के लड़के की मृत्यु के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने एक झूठे मामले में उसे और उसके परिवार के सदस्यों को फंसा दिया। शिकायत के आधार पर आयोग द्वारा मामले को आगरा रेंज के उप महानिरीक्षक (पुलिस) के साथ गम्भीरतापूर्वक उठाया गया। आगरा रेंज के उप महानिरीक्षक (पुलिस) द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से आयोग

सन्तुष्ट नहीं था और उसकी पुनः जांच के आदेश दिए । अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष जांच सैल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ने मामले की पुनः जांच की तथा इस बात की पुष्टि की कि याचिकाकर्ता तथा उसके परिवार के सदस्यों को मामले में झूठा फंसाया गया है । जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने पीड़ित को आर्थिक राहत और पुनर्वास प्रदान करने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के अन्तर्गत दिए गए उपबन्धों के अनुसार चूक करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने की सिफारिश की । मामले की सिफारिश तथा रिपोर्ट के अनुपालन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के साथ उठाया गया । सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यथा अनुमोदित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में एक अनुपालन रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया कि सरकार ने श्री राम बाबू व उसके परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने व पुनर्वास का निर्णय लिया है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 के अन्तर्गत चूक करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एक मामला भी दर्ज किया गया है तथा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है और जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है ।

- iii) जनपद पंचायत पाली, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश की प्रधान कुमारी ज्ञानवती सिंह (अनुसूचित जनजाति) के साथ अपशब्द इस्तेमाल करने, डराने-धमकाने और यौन संबंधी-उत्पीड़न के कारण अत्याचार का मामला

जनपद पंचायत पाली, शहडोल की प्रधान कुमारी ज्ञानवती सिंह (अनुसूचित जनजाति) के विरुद्ध किए गए अत्याचार का एक मामला मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, भोपाल द्वारा अत्याचार और उत्पीड़न के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा गया था । आयोग ने मामले को अन्वेषण तथा रिपोर्ट के लिए जिला पुलिस अधिकारियों के साथ उठाया । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि श्री एम.के. श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रामीण विकास विंग, शहडोल, मध्य प्रदेश ने कुमारी ज्ञानवती सिंह के साथ बुरा बर्ताव किया और गाली दी । अभियुक्त ने विभाजित करो और शासन करो की नीति द्वारा पंचायत की एकरूपता और सौहार्द को भंग करने का भी प्रयास किया । स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई किन्तु काफी समय बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले को अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए जिला प्रशासन शहडोल के साथ उठाया । मामले की जिला मजिस्ट्रेट, शहडोल ने जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट को देखने पर पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं । चूक करने वाले मुख्य कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संगत धारा के तहत मामला दर्ज किया गया ।

iv) भारतीय तेल निगम, नई दिल्ली के एक अनुसूचित जाति अधिकारी, श्री एम.पी. सिंह का उत्पीड़न

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानन अधिकारी के रूप में कार्यरत भारतीय तेल निगम के एक अनुसूचित जाति अधिकारी, श्री एम.पी. सिंह ने आयोग को एक शिकायत भेजी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गैर-अनुसूचित जाति के उनके सहयोगियों और अधीनस्थों ने ड्यूटी के समय उनके साथ मारपीट की। आयोग द्वारा मामले को भारतीय तेल निगम के प्रबंधन के साथ नई दिल्ली में उठाया गया। प्रबंधन ने अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए श्री एम.पी. सिंह के कार्यालय परिसर में आने से रोक लगा दी तथा शिकायतकर्ता के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू की। आयोग ने मामले को भारतीय तेल निगम के प्रबंधन के साथ उठाया और अन्वेषण व रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया। तदनुसार, भारतीय तेल निगम प्रबंधन ने मामले की पुनः जांच की और अधिकारी का निलम्बन समाप्त कर दिया और अधिकारी को बहाल कर दिया गया।

v) ग्राम तरहारा, बीकापुर पुलिस स्टेशन, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में एक गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा एक अनुसूचित जाति की महिला का बलात्कार

आयोग में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि ग्राम तरहारा फैजाबाद की श्रीमती करम कला गल्ली श्री अमरनाथ, का उसी गांव के श्री राम प्रताप यादव और मल्लू यादव द्वारा बलात्कार किया गया। अभियुक्त ने 19.9.1999 को उसके पति की अनुपस्थिति में श्रीमती करम कला के घर में प्रवेश किया और उसके साथ बलात्कार किया। एस.एस.पी. फैजाबाद के हस्तक्षेप पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (i) (xii) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 376 और 506 के तहत स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया। जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पीड़ित को 25,000/-रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की। इसी बीच यादवों और उनके सहयोगियों ने अदायगी रोकने के वास्ते प्रशासन पर दबाव डालने का प्रयास किया। पीड़ित से शिकायत प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने जिला प्रशासन तथा जिला पुलिस प्रशासन से जांच करने व रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। जिला पुलिस प्रशासन ने स्वीकार किया कि अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार किया गया है और जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पीड़ित को आर्थिक राहत की अदायगी की। मामले की जांच की गई और दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान दायर कर दिया गया है।

vi) ग्राम अदोली, पुलिस स्टेशन खेडली, जिला-अलवर, राजस्थान के एक अनुसूचित जाति की विवाह पार्टी के लिए सुरक्षा उपायों के संबंध में, राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान समिति, नई दिल्ली की शिकायत

राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान समिति, नई दिल्ली ने ग्राम अदोली, पुलिस स्टेशन खेडली, जिला-अलवर, राजस्थान के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का एक अभ्यावेदन अग्रेषित किया जिसमें यह अनुरोध किया गया कि विवाह पार्टी के संबंध

में सम्भावित शरास्ती तत्वों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। अभ्यावेदन में यह आरोप लगाया गया था कि उसी गांव के कुछ लोग सदैव अनुसूचित जातियों की विवाह पार्टी में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हैं। वे अनुसूचित जाति समुदाय के दूल्हे को परम्परा के अनुसार विवाह समारोह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। आयोग ने, विवाह समारोह और साथ ही दूल्हे को उसके गांव से दुल्हन के गांव तक तथा 28.6.1999 को विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद वापस आने के लिए भी सुरक्षा प्रदान करने के वास्ते, मामले को जिला प्रशासन और अलवर जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ उठाया। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और कड़े सुरक्षा प्रबंध किए। बिना किसी अवरोध के विवाह परम्परा के अनुसार सम्पन्न हो गया।

vii) फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति के श्रमिकों की हत्या

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के चार अनुसूचित जाति के श्रमिकों की हत्या का समाचार 3 मई, 2000 के 'दैनिक जागरण' में छपा था। आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री दिलीप सिंह भूरिया, ने स्थिति का जायजा लेने के लिए 7.5.2001 को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल वहां भेजा। दल ने वरिष्ठ पुलिस प्राधिकारियों तथा सम्बन्धित वरिष्ठ जिला अधिकारियों के साथ भेंट की तथा अन्वेषण के बाद एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के आयुक्त, उप महानिरीक्षक, आगरा रेंज, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को घटना का उचित रूप से प्रबंध करने में असफल रहने के कारण, जिसके फलस्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ी, यातायात अवरुद्ध हो गया, और क्षेत्र में हिंसा में वृद्धि हुई, स्थानान्तरित कर दिया। आयोग द्वारा समय पर हस्तक्षेप किए जाने के कारण प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई और राज्य सरकार के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों का तुरंत तबादला कर दिया गया।

viii) अनुसूचित जाति की सरकारी महिला अधिकारी का जातिगत आधार पर अपमान

अनुसूचित जाति की एक सरकारी अधिकारी, श्रीमती नीलम सिंह ने आयोग को एक शिकायत भेजी जिसमें उसकी बस्ती में गैर-अनुसूचित जाति के पड़ोसियों द्वारा जाति के आधार पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया गया था। बताया जाता है कि पड़ोसियों द्वारा हमले में उसके कपड़े फाड़ दिए गए। पहली बार इलाके के पुलिस स्टेशन द्वारा उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आयोग के माननीय सदस्य श्री एच.एस. खालसा ने पीड़ित के विरुद्ध अपराध को गम्भीरता से लिया और संबंधित पुलिस उपायुक्त को समन जारी करने का आदेश दिया। पुलिस उपायुक्त तथा पुलिस सहायक आयुक्त आयोग के सामने पेश हुए और इलाके के पुलिस स्टेशन की ओर से ढिलाई बरतने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में जानकारी के अभाव के लिए खेद प्रकट किया, जिसमें गैर-अनुसूचित जाति के अपराधकर्ताओं को कड़े दण्ड तथा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। आयोग द्वारा कड़ी भर्त्सना किए जाने व हस्तक्षेप पर गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया।

ix) दलित लड़कों पर अत्याचार

सचिव, तहसील समिति, भारतीय साम्यवादी पार्टी, राजकोट, जिला-लुधियाना, पंजाब ने आयोग को जून 2000 में भेजी गई याचिका में आरोप लगाया कि उच्च जाति के चौधरियों ने दो अल्पवयस्क दलित लड़कों के खिलाफ नृशंस और वीभत्स कार्य किए। यह घटना लुधियाना के एक दूरवर्ती गांव में हुई। दो नाबालिग अनुसूचित जाति के लड़कों को बुरी तरह से मारा-पीटा गया जबकि उनका अपराध एक धार्मिक स्थान से थोड़ी सी चोरी करने का था। लड़कों को उल्टा करके पेड़ों पर लटकाया गया, पीटा गया और गांव की सड़कों पर घसीटा गया। उच्च जाति के अभियुक्तों ने समझौता करने के लिए तथा मामले को रफा-दफा करने के लिए दबाव डाला। अपराध की गम्भीर प्रकृति को देखते हुए आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लुधियाना को समन किया। आयोग के माननीय सदस्य श्री हरिन्दर सिंह खालसा ने पुलिस जांच रिपोर्ट को एकतरफा पाया जिसमें अपराध के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दबाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस बात से सहमत थे कि अपराध हुआ है और जाट-जमींदार इसमें सम्मिलित थे। आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामला दर्ज करने, अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और अभियोजन हेतु विधि न्यायालय में चालान पेश करने का निदेश दिया। आयोग की सिफारिश पर एफ आई आर दर्ज की गई और अभियुक्तों को अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।

x) जिला कलेक्टर नुआपाडा, उड़ीसा का उत्पीड़न

श्री विष्णुपाडा सेठी, जिला कलेक्टर, नुआपाडा, उड़ीसा, से जो अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, एक अम्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उन्हें जब वह ड्यूटी पर थे, पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में, खुले आम 27 सितम्बर 2000 को नुआपाडा जिला परिषद के प्रधान, श्री एच.के. बगार्टी, द्वारा मारा-पीटा गया। आयोग ने तत्काल राज्य सरकार को अभियुक्त को गिरफ्तार करने और रिपोर्ट भेजने के लिए वायरलेस द्वारा संदेश भेजा। राज्य सरकार द्वारा 19.12.2000 को सूचित किया गया कि चूककर्ता पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह भी सूचित किया गया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती क्योंकि उसने उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी। चूंकि राज्य सरकार का उत्तर अरांतोषजनक पाया गया इसलिए मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भुवनेश्वर में अध्यक्ष के एक शिविर के दौरान 11.1.2001 को चर्चा के लिए बुलाया गया। अध्यक्ष ने, समय पर अभियुक्त को गिरफ्तार न करने, मामले की अन्वेषण में और चूक करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई में भी धीमी गति के लिए राज्य सरकार की असफलता के लिए आयोग की नाराजगी व्यक्त की। अधिकारियों को अभियुक्त की जमानत रद्द करने के लिए कार्रवाई तेज करने तथा आरोप पत्र अनुचित देरी के बिना फाइल करने की सलाह दी गई। आयोग की टिप्पणी के अनुपालन में राज्य सरकार ने सूचित किया कि श्री एच.के. बगार्टी, अध्यक्ष, जिला परिषद के विरुद्ध जे एम एफ सी खरिआर की अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

9.9 संरक्षणात्मक विधान के कार्यान्वयन की कारगरता में सुधार करने के लिए सुझाव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों के दौरान राज्य सरकारों के साथ पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की समीक्षा करता रहा है। आयोग ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में 1999-2000 में विशेष अध्ययन भी किए हैं तथा एक विशेष रिपोर्ट 26.2.2001 को राष्ट्रपति को भेजी थी। इन अधिनियमों के कार्यकरण के संबंध में चर्चा करने के वास्ते दिसम्बर, 1996 में गृह सचिवों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक राष्ट्रस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इन रिपोर्टों तथा टिप्पणियों के आधार पर, इन अधिनियमों के और अधिक कारगर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं :-

9.9.1 निवारक तथा एहतियाती कार्रवाई और उपाय

जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत निवारण पर बल दिया जाता है, अधिनियम और नियमों में अनेक उपायों की व्यवस्था है, जिनमें मामलों की समीक्षा और मानीटरन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों की स्थापना करना, अत्याचार प्रवण क्षेत्रों का दिनिर्धारण, सम्भावित अपराधियों का निष्कासन और बेहतर पुलिस व्यवस्था तथा अत्याचार प्रवण क्षेत्रों में सतर्कता शामिल है। तथापि, देखा गया है कि अधिकांश राज्यों में या तो समितियां स्थापित नहीं की गई हैं अथवा जहां ऐसी समितियां स्थापित की गई हैं, उनकी बैठकें नियमित आधार पर आयोजित नहीं की जाती हैं। ऐसी बैठकों से, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के चुने हुए प्रतिनिधि और इन अधिनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारीगण सम्मिलित होते हैं, निवारक कार्यनीतियां तय करने तथा इन अधिनियमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच और अवसर प्राप्त होता है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य और जिला स्तरों पर सतर्कता एवं मानीटरन समितियां गठित करने और उनका कारगर संचालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक उपाय करने सम्बन्धी अनुदेश दिए जाने चाहिए।

9.9.2 संसद के लिए वार्षिक रिपोर्ट

अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस प्रावधान का कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और वर्ष 1991-92 से संबंधित दूसरी रिपोर्ट संसद में जून, 1998 में प्रस्तुत की गई थी। इस प्रावधान के कठोर कार्यान्वयन से अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।

9.9.3 इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यह स्कीम, प्रशासनिक, अन्वेषक तथा न्यायिक मशीनरी, प्रचार और पुनर्वास उपायों को सुदृढ़ करने के लिए संचालित करता है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत हिस्से के अंशदान की व्यवस्था है जिसे अधिकांश राज्य सरकारें अपनी असंतोषजनक वित्तीय स्थिति के कारण आबंटित करने में कठिनाई अनुभव करती हैं। इसलिए यह वांछनीय है कि केंद्रीय हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 75 प्रतिशत कर दिया जाए ताकि अपराध न्याय पद्धति को सुधारने के लिए इस स्कीम का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।

9.9.4 अन्वेषण अधिकारियों का स्तर

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में यह व्यवस्था है कि अत्याचार मामलों में अन्वेषण कम से कम उप पुलिस अधीक्षक के रैंक के स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। दिसम्बर, 1996 में गृह सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के एक सम्मेलन के दौरान इस बात पर सर्वसम्मति थी कि अधिकांश राज्यों में पुलिस उप-अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के अभाव को देखते हुए, केवल पुलिस उप-अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को अन्वेषण का कार्य सौंपना कठिन है। (इसलिए आयोग ने नियमों में संशोधन करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था जिससे कि निरीक्षकों को भी अन्वेषण करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाए। इस विषय में शीघ्र निर्णय की अपेक्षा है।)

9.9.5 पंजीकरण और अन्वेषण

बड़ी संख्या में उन मामलों को, जिन्हें (अत्याचार निवारण) अधिनियम अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित होता है, या तो कानून की अनभिज्ञता के कारण अथवा निहित स्वार्थों से दबाव के कारण, वस्तुतः इन अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किए जाते हैं। उन सीमित संख्या के मामलों के भी अन्वेषण प्रायः धीमी गति से और काफी देरी के साथ किया जाता है। पुलिस अधिकारियों और सामान्य जनता के बीच, इन अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में जानकारी में सुधार करना आवश्यक है। जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता तथा मानीटरन समितियों की बैठकें प्रायः आयोजित की जानी चाहिए, जैसा कि नियमों में भी निर्धारित है तथा अत्याचार संबंधी मामलों के समय पर पंजीकरण और तुरंत व समुचित अन्वेषण सुनिश्चित करने के आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

9.9.6 अभियोजन तथा मामलों का विचारण

देखा गया है कि अभियोजकों की नियुक्ति प्रायः राजनीतिक स्वार्थों से प्रभावित होती है। अभियोजकों को अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक सामान्यतः बहुत कम होता है जिससे सक्षम व योग्य वकील आकर्षित नहीं होते। इसलिए यह आवश्यक है कि लोक अभियोजकों के पारिश्रमिक में उचित रूप से वृद्धि की जानी चाहिए और उन्हें प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। विशेष न्यायालयों की स्थापना के बावजूद, मामलों का निपटारा सामान्यतः बहुत असंतोषजनक है तथा लम्बित मामलों की संख्या बढ़ रही है। अत्याचार मामले में आपराधिक न्याय पद्धति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से दण्ड तुरंत और पर्याप्त होना चाहिए ताकि संभावित अपराधकर्ताओं में भय पैदा हो। जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा लम्बित मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। चिन्ताजनक रूप से बड़ी संख्या में दोषमुक्ति के कारणों की जांच की जानी चाहिए तथा दोषसिद्धि की दर सुधारने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

9.9.7 सुपुर्दगी कार्यवाहियों से संबंधित समस्या

दिनांक 28.1.2000 के अपने न्यायनिर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना अनिवार्यतः एक सत्र न्यायालय है तथा यह अपराध का संज्ञान केवल तभी कर सकता है जब मामला आ.द.सं. की धारा 193 के अनुसार उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द किया जाए क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे विशेष न्यायालयों को अभियुक्त को इसे विचारण हेतु सुपुर्द

किए बगैर अपराधों का संज्ञान लेने का विशेष रूप से अधिकार हो । समझा जाता है कि विशेष न्यायालयों को कतिपय अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसे अधिकार दिए गए हैं जैसे कि स्वापी, औषध और मनश्चिकित्सीय पदार्थ अधिनियम । यदि सुपुर्दगी कार्यवाहियों का पालन किया जाए तो इससे मामले के निपटान में और देरी होगी तथा विशेष न्यायालय स्थापित करने, जिससे विशेष न्यायालयों को आ.द.सं. की धारा 193 के अधीन सुपुर्दगी कार्यवाहियों के बिना इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों का संज्ञान लेने का प्रयोजन निष्फल हो जाएगा ।

9.9.8 राहत और पुनर्वास

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत अत्याचार के पीड़ितों और उनके परिवारों को राहत प्रदान करने तथा पुनर्वास के लिए मानकीकृत मानदण्ड निर्धारित हैं । केंद्र सरकार एक केंद्र प्रायोजित स्कीम का संचालन करती है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को ऐसी राहत और पुनर्वास की लागत वहन करने के लिए समानुपाती हिस्सा प्रदान किया जाता है । यद्यपि अधिकांश राज्यों ने इस प्रावधान का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया है किन्तु कुछ राज्यों द्वारा पुनर्वास पैकेज की अदायगी अभी प्रारंभ की जानी है । प्रावधान का उद्देश्य पीड़ितों तथा गवाहों की यात्रा और अनुरक्षण लागत वहन करना भी है ताकि वे न्यायालय आदि में उपस्थित होने में समर्थ हो सकें । अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के वास्ते इस प्रावधान को कठोरतापूर्वक लागू करने की जरूरत है ।

9.10 विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि अस्पृश्यता के पारम्परिक आचरण सम्बद्ध सामाजिक निर्योग्यताओं के अलावा, भू-विवाद, भू-अन्यसंक्रमण, बेगार और न्यूनतम मजदूरी अदा करने की मनाही के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से शैक्षिक पाठ्यक्रमों में तथा सेवाओं में आरक्षण नीति भी अन्य समुदायों के लिए विद्वेष का एक स्रोत बनता जा रहा है तथा बढ़ती शिक्षा व जागरूकता के कारण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों ने भी अपने अधिकारों पर बल देना शुरू कर दिया है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों व अन्य समुदायों के बीच किसी भी संघर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सामाजिक व आर्थिक रूप से बहुत अलाभ की स्थिति में रहते हैं । वे संरक्षण तथा न्याय प्रदान करने के लिए प्रशासन, पुलिस तथा न्यायपालिका की ओर देखते हैं । इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख पदों पर व्यक्तियों का चयन, विशेष रूप से जो उनके सुरक्षाओं और विकास से संबंधित हैं, सावधानीपूर्वक और उचित तरीके से सुगृहित किया जाता है और उन्हें सभी आवश्यक समर्थन प्रदान किया जाता है ।

अनुबन्ध 9.1

वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पीसीआर अधिनियम	अ.जा.तथा अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम	अन्य अपराध	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	26	437	61	2	3	6	8	266	522	418	1749
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	7
4.	बिहार	5	230	22	1	2	0	13	0	276	271	820
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	26	363	28	15	8	23	17	9	415	877	1781
7.	हरियाणा	5	33	26	8	1	0	1	0	18	29	121
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	4	0	0	0	0	6	21	19	54
9.	जम्मू व कश्मीर	0	1	2	0	0	0	0	1	0	9	13
10.	कर्नाटक	11	27	6	0	0	0	8	85	1131	9	1277
11.	केरल	5	177	54	0	0	0	4	3	194	77	514
12.	मध्य प्रदेश	55	751	305	36	2	16	56	26	433	2987	4667
13.	महाराष्ट्र	7	67	40	6	1	4	10	135	160	175	605
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16.	मिजोरम	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	10	145	8	4	0	3	3	3	263	333	772
19.	पंजाब	5	9	7	2	0	0	0	1	6	9	39

20.	राजस्थान	49	154	146	10	0	3	67	19	887	4288	5623
21.	सिक्किम	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	12
22.	तमिलनाडु	20	165	12	11	0	3	1	109	366	196	883
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	279	672	276	133	19	50	145	1	2597	1950	6122
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग(राज्य)	506	3241	1000	228	36	109	337	665	7289	11651	25062
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमण व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	3	10	5	18
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	10	2	1	13
	योग(संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	13	12	6	31
	योग(अखिल भारत)	506	3241	1000	228	36	109	337	678	7301	11657	25093

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुबन्ध 9.II

वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पीसीआर अधिनियम	अ.जा. तथा अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम	अन्य अपराध	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	48	22	7	0	0	1	7	39	50	178
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.	असम	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
4.	बिहार	1	15	6	1	1	0	0	0	14	29	67
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	11	55	23	6	1	1	8	1	45	216	367
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	17	0	0	0	0	0	0	0	2	19
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
10.	कर्नाटक	3	0	1	0	0	0	0	4	49	3	60
11.	केरल	0	23	10	0	0	1	2	0	14	31	81
12.	मध्य प्रदेश	38	216	233	28	0	3	16	3	105	1114	1756
13.	महाराष्ट्र	4	13	34	9	1	1	1	13	18	77	171
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
16.	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	3	105	10	1	0	1	0	7	94	114	335
19.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	5

20.	राजस्थान	14	61	40	4	0	1	13	0	175	913	1221
21.	सिक्किम	0	8	2	1	0	0	0	0	0	7	18
22.	तमिलनाडु	1	70	0	0	0	0	0	10	11	13	105
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	14	1	0	0	0	0	0	6	36	58
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग(राज्य)	80	646	383	59	3	8	43	45	574	2608	4449
	संघ राज्य क्षेत्र											
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमण व दीव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	योग(अखिल भारत)	80	646	384	59	3	8	43	45	574	2608	4450

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुबन्ध 9.III

वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पीसीआर अधिनियम	अ.जा.तथा अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण), अधिनियम	अन्य अपराध	योग	माह के अंत तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	29	323	53	9	2	0	8	284	529	345	1582	दिसम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	अगस्त
3.	असम	0	4	0	0	0	1	1	0	1	4	11	दिसम्बर
4.	बिहार	4	244	17	5	2	3	12	6	220	228	741	दिसम्बर
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	दिसम्बर
6.	गुजरात	11	115	12	11	2	9	3	7	211	510	891	अगस्त
7.	हरियाणा	2	33	20	6	0	0	2	1	19	26	109	दिसम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	0	7	6	0	0	1	3	10	16	9	52	दिसम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	3	0	0	0	0	1	1	4	9	दिसम्बर
10.	कर्नाटक	10	13	14	2	0	0	1	95	1073	10	1218	नवम्बर
11.	केरल	7	126	65	0	1	0	4	0	146	118	467	दिसम्बर
12.	मध्य प्रदेश	45	798	289	26	5	8	27	27	539	2867	4631	दिसम्बर
13.	महाराष्ट्र	2	16	49	4	1	2	5	98	128	184	489	दिसम्बर
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
18.	उड़ीसा	14	47	6	0	0	0	3	0	147	158	375	जून
19.	पंजाब	0	4	8	2	0	0	0	0	13	3	30	दिस. (सित.)

20.	राजस्थान	48	153	128	13	1	3	49	0	454	4341	5190	दिसम्बर
21.	सिक्किम	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	15	दिसम्बर
22.	तमिलनाडु	12	654	17	1	0	1	0	103	418	90	1296	दिसम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	302	761	346	163	23	65	142	18	2683	2096	6599	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
	योग(राज्य)	486	3298	1034	242	37	93	260	650	6599	11007	23706	
	संघ राज्य क्षेत्र												
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
29.	दमण व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	नवम्बर
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	13	दिसम्बर
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	17	4	1	21	दिसम्बर
	योग(संघ राज्या क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	16	18	2	36	
	योग (अखिल भारत)	486	3298	1034	242	37	93	260	666	6617	11009	23742	

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुबन्ध 9. IV

वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुए अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा श्रेणीवार घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	चोट	बलात्कार	अपहरण तथा भगा ले जाना	डकैती	लूटमार	आगजनी	पीसीआर अधिनियम	अ.जा.तथा अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम	अन्य अपराध	योग	माह के अंत तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	45	17	2	0	0	1	6	83	44	202	दिसम्बर
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	4	0	0	0	0	0	5	13	अगस्त
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
4.	बिहार	1	6	10	1	0	0	0	0	15	28	61	दिसम्बर
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
6.	गुजरात	4	30	16	2	0	0	2	0	16	151	221	अगस्त
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	0	8	1	0	0	0	0	1	0	1	11	दिसम्बर
9.	जम्मू व कश्मीर	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4	दिसम्बर
10.	कर्नाटक	5	3	2	0	0	0	0	1	44	2	57	नवम्बर
11.	केरल	2	7	28	1	0	0	2	0	7	16	63	दिसम्बर
12.	मध्य प्रदेश	22	217	244	26	0	1	12	9	146	1168	1845	दिसम्बर
13.	महाराष्ट्र	0	14	26	1	1	0	3	0	13	84	142	दिसम्बर
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	दिसम्बर
16.	मिजोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	दिसम्बर
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर

18.	उड़ीसा	1	23	2	1	0	0	0	3	34	33	97	जून
19.	पंजाब	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	6	दिसम्बर
20.	राजस्थान	9	39	38	2	0	0	10	0	54	978	1130	दिसम्बर
21.	सिक्किम	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	8	दिसम्बर
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	9	दिसम्बर
23.	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	दिसम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	3	13	3	3	1	0	0	0	11	44	78	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
	योग(राज्य)	53	412	391	45	5	2	30	27	428	2560	3953	
	संघ राज्य क्षेत्र												
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	दिसम्बर
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	दिसम्बर
29.	दमण व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	नवम्बर
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	दिसम्बर
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	दिसम्बर
	योग(संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	
	योग(अखिल भारत)	53	412	391	45	5	2	30	27	432	2561	3958	

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली

अनुबन्ध 9.V

वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर हुए विभिन्न स्वरूप के अपराधों के अंतर्गत पुलिस द्वारा पंजीकृत/निपटाए गए मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत मामलों की सं०		मामलों की कुल सं०		चालान किए गए मामलों की सं०		जांच के बाद बंद किए गए मामलों की सं.		पुलिस के पास लंबित मामलों की सं.		टिप्पणियां
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1397	शून्य	1397	शून्य	713	शून्य	410	शून्य	769	शून्य	मिश्रित
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	बिहार	1353	92	1353	92	834	46	164	3	807	21	
5.	गोवा	2	शून्य	2	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	गुजरात बी/एफ	1503	341	1698	420	1347	296	72	4	279	120	
7.	हरियाणा	141	शून्य	141	शून्य	103	शून्य	38	शून्य	शून्य	शून्य	
8.	हिमाचल प्रदेश	65	शून्य	65	शून्य	40	शून्य	22	शून्य	3	शून्य	
9.	जम्मू व कश्मीर	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
10.	कर्नाटक	1162	77	1162	77	704	65	271	15	16	7	
11.	केरल	245	13	245	13	209	31	शून्य	शून्य	982*	54*	पुराने मामलों सहित
12.	मध्य प्रदेश	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
13.	महाराष्ट्र 113 + 57	668	259	801	316	609	218	90	43	102	55	
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	उड़ीसा	1063	386	1063	386	760	281	189	114	114	114	
19.	पंजाब	56	शून्य	56	शून्य	37	शून्य	8	शून्य	11	शून्य	
20.	राजस्थान	5682	1156	5682	1156	2452	493	2829	533	401	130	

21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
22.	तमिलनाडु बी/एफ 940	1635	2	2575	2	1002	2	708	शून्य	865	शून्य	
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
24.	उत्तर प्रदेश 818	6917	शून्य	7753	शून्य	5464	शून्य	1238	शून्य	1033	शून्य	
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
संघ राज्य क्षेत्र												
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
27.	चंडीगढ़	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	
28.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
29.	दमण व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
30.	दिल्ली	उ0न0	उ0न0	उ0न0	उ0न0	उ0न0	उ0न0	उ0न0	उ0न0	उ0न0	उ0न0	
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
32.	पांडिचेरी	12	शून्य	12	शून्य	6	शून्य	6	शून्य	शून्य	शून्य	

उ0न0: उपलब्ध नहीं

वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर हुए विभिन्न स्वस्य के अपराधों के अंतर्गत
पुलिस द्वारा पंजीकृत/निपटाए गए मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत मामलों की सं०		मामलों की कुल सं०		चालान किए गए मामलों की सं०		जांच के बाद बंद किए गए मामलों की सं.		पुलिस के पास लंबित मामलों की सं.		टिप्पणियां
		अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.जा.	अ.ज.जा	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1912	शून्य	1912	शून्य	833	शून्य	475	शून्य	604	शून्य	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	असम	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	
4.	बिहार	659	9	659	9	288	शून्य	91	8	1087	22	
5.	गोवा	1	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	गुजरात	1411	288	1690	408	1012	249	95	14	583	145	
7.	हरियाणा	157	शून्य	157	शून्य	117	शून्य	40	शून्य	शून्य	शून्य	
8.	हिमाचल प्रदेश	68	1	68	1	40	1	22	शून्य	6	शून्य	
9.	जम्मू व कश्मीर	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
10.	कर्नाटक	1186	68	1186	68	530	60	221	22	368	8	
11.	केरल	413	13	413	13	316	12	शून्य	शून्य	974	28	
12.	मध्य प्रदेश	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
13.	महाराष्ट्र	561	232	663	287	470	230	58	17	135	40	
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	उड़ीसा	1036	318	1036	318	460	171	97	23	479	124	
19.	पंजाब	34	शून्य	95	शून्य	18	शून्य	6	शून्य	71	शून्य	
20.	राजस्थान	5450	1229	5450	1229	2201	517	2998	651	251	61	
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
22.	तमिलनाडु	1104	1	1969	1	1211	1	390	शून्य	368	शून्य	

23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
24.	उत्तर प्रदेश	8462	शून्य	9476	शून्य	5609	शून्य	1594	शून्य	2273	शून्य	
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
संघ राज्य क्षेत्र												
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
27.	चंडीगढ़	1	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	
28.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
29.	दमण व दीव	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	
30.	दिल्ली	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	
31.	लक्षद्वीप											
32.	पांडिचेरी	20	शून्य	20	शून्य	6	शून्य	2	शून्य	12	शून्य	

अध्याय X

मुख्य सिफारिशों का सारांश

भिन्न भिन्न अध्यायों में विस्तृत सिफारिशों की गई है। प्रत्येक अध्याय में की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश नीचे दिया जाता है:-

सं०

सिफारिश

पैरा सं०

अध्याय II

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान

1	चूंकि अनु० जा० और अनु० जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एक केन्द्रीय अधिनियम है, भारत सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन और विशेष प्रावधान जोड़ने चाहिए ताकि सुपुर्दगी कार्यवाही के बिना अत्याचार के मामले विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण के लिए सीधे लिए जाए।	2.9
2	बाल श्रम की समस्या अभी जारी है और इस बुराई को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए स्वेच्छिक प्रयासों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाने के लिए विशेष उपाय किये जाने अपेक्षित है। केन्द्र तथा राज्य सरकार के श्रम विभागों के भाग पर एक ही समय में विधिक प्रावधानों तथा सतर्कता के कार्यान्वयन को तीव्र किए जाने की आवश्यकता है।	2.11
3	अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी-अपनी भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा से अलग किसी अन्य भाषा परिवार की होती है। जनजातीय समुदायों में शिक्षा की सुलभता तथा स्वीकार्यता में सुधार के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि, जहां तक संभव हो सके उन्हें शिक्षा उनकी भाषा में दी जाए तथा इस प्रयोजनार्थ पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि तैयार करने के लिए परम अग्रता आधार पर उपाय शुरू किए जाएं।	2.16
4	झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के नए राज्यों के सृजन के साथ जनजातीय जनसंख्या का अधिक संकेन्द्रण होता है, अनुच्छेद 164 (1) को उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।	2.17
5	आयोग ने अपनी चौथी और पांचवी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रोन्नति में आरक्षण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-8-1997 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए पदों की सभी श्रेणियों में सभी स्तरों तक दिया जाना चाहिए। समाज के अत्यधिक दलित वर्ग को उनका उचित हिस्सा दिलवाने तथा शासन में योगदान का अवसर प्रदान करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए आयोग अपनी सिफारिश दोहराता है।	2.33

6	छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के नए राज्यों के सृजन के बाद, जिनमें विशाल जनजातीय जनसंख्या है, इन राज्यों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करने और इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदों की भी व्यवस्था करने हेतु, संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।	2.40
7	आयोग के निर्णय स्वयं में केवल अनुशासनात्मक है और संघ अथवा राज्य सरकार के प्रतिवादी विभाग/संगठन, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, वित्तीय संस्थान, आदि पर बाध्यकारी नहीं है। आयोग महसूस करता है कि सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने और संविधान के अंतर्गत आयोग को और कारगर शक्तियां प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।	2.45

अध्याय - III

अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास

1	आयोग सिफारिश करता है कि खेतिहर मजदूरों को शोषण से बचाने, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में उन्हें सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत कवर करने के लिए तत्काल एक कानून लाया जाना चाहिए।	3.4.2
2	रेलवे को उन मौसमी श्रमिकों के, जो मुख्यतः अ०जा०/अ०ज०जा० से संबंधित है, प्रबन्धन के स्वरूप (पैटर्न) का अध्ययन करना चाहिए और इन श्रमिकों को रोजगार के लिए अपने गन्तव्य स्थलों तक जाने और कृषि कार्यों के पूरा होने के बाद वापस जाने में सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष गाड़ियां चलानी चाहिए।	3.4.2
3	आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि भूमि सुधारों का कारगर ढंग से कार्यान्वयन किया जाए और अनुसूचित जातियों के बीच भूमि का इष्टतम वितरण किया जाए और काश्तकारों के अधिभाग के अधिकारों को उपयुक्त रूप से अभिलेखबद्ध किया जाए, ताकि काश्तकारी सम्बन्धी कानूनों को समुचित रूप से संशोधित करके यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि जोतने वाले किसानों को उसकी जमीन से बलपूर्वक निकाला न जा सके जहां पर वे खेती कर रहे हों, जिससे की मृत अंडर रैय्यत के परिवार के सदस्यों को काश्तकार के देहान्त के बाद काश्तकारी के अधिकार उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो सकें।	3.5.4
4	केवल फालतू/ अतिरिक्त भूमि वितरण के लिए पर्याप्त नहीं होगी। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कृषि भिन्न अवसरों को बढ़ाना चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों के लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके।	3.5.6
5	सरकार को अनुसूचित जातियों के परम्परागत व्यवसायों के बारे में प्रशिक्षण देने, कौशल उन्नयन करने, उन व्यवसायों का	3.6.1

सहकारीकरण करने और उनका बेहतर गठन करने के लिए कदम उठाने चाहिए और कच्ची सामग्री, वित्त और उत्पादों के विपणन के रूप में उन्हें सहायता देनी चाहिए।

- 6 आयोग की सिफारिश है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को, 3.8.7
वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देकर संचार क्षेत्रों की स्कीम में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- 7 चूंकि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्य सरकारों के 3.9.5
सभी कार्यक्रम एस. सी. पी. के कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम को कारगर बनाया जाए।
- 8 सिफारिश की जाती है कि उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समान 3.9.7
जल आपूर्ति, बिजली, सफाई, आदि जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करने के लिए समयबद्ध कार्य योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य वर्गों के बीच के अंतर को आंकने के लिए साक्षरता-दर, शिशु मृत्युदर, अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचारों की मात्रा, उपभोग व्यय के अनुमानों और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए “अनुसूचित जाति मानव विकास सूचकांक तैयार करें। ऐसी समयबद्ध कार्य-योजनाओं के बिना, एस0 सी0 पी0 के रूप में किए जाने वाले प्रयत्न अनुसूचित जातियों की स्थिति में कोई वास्तविक सुधार करने के लिए अपर्याप्त रहेंगे।
- 9 अनुसूचित जाति की अधिक जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र, 3.10.5
उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और दिल्ली ने भारत सरकार द्वारा इन राज्यों को रिलीज की गई राशियों का कम उपयोग करने की रिपोर्ट दी है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आंबटित की गई विशेष केन्द्रीय सहायता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है।
- 10 आयोग की सिफारिश है कि जिन मंत्रालयों/विभागों ने एस0 सी0 3.11.1
पी0 तैयार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, उनकी वार्षिक योजनाओं और कार्यक्रमों को योजना आयोग द्वारा गठित स्थाई त्रिपक्षीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि समिति यह तसल्ली कर सके कि ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं हैं, जिन्हें ये मंत्रालय अनन्य रूप से अनुसूचित जाति के लाभ के लिए कारगर नहीं कर सकते हैं। उस मामले में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्यों द्वारा उपयोग हेतु एस.सी.पी. के अन्तर्गत अनुपातिक निधियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास रखा जाना चाहिए।

- 11 एन0 एस0 एफ0 डी0 सी0 द्वारा वर्ष 2000-2001 के बारे में दी गई सूचना से पता चलता है कि इसके द्वारा संवितरित की गई 117.48 करोड़ रूपए की राशि में से 99.04 करोड़ रूपए (84 प्रतिशत) की राशि इस्तेमाल नहीं हुई । यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है और निगम को वर्ष के दौरान इतनी बड़ी राशियों का इस्तेमाल किए बिना पड़े रहने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए । 3.13.1
- 12 गरीब अनुसूचित जातियों को सहायता देने के लिए निर्धारित राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए करना एक गम्भीर मामला है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । 3.14.3
- 13 पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक को बार-बार बदला गया है । प्रबन्ध निदेशक को इस प्रकार बदले जाने से निगम के सुचारु कार्यचालन में बाधा आती है । 3.14.5
- 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने समाज के कमजोर वर्गों की महत्वपूर्ण सेवा की है । अनुसूचित जाति के लोगों को सहायता देने में बैंकों की भूमिका को कम करने से साहूकारों के प्रति इन लोगों की कर्जदारी में वृद्धि हो जाएगी, जिससे ये गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे और उनके बंधुआपन और भूमि के हस्तान्तरण के लिए इसके परिणाम बड़े गम्भीर होंगे । 3.15.2
- 15 अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान की दृष्टि से यह बात महत्वपूर्ण है कि आर्थिक सुधारों और उसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के लाभ अनुसूचित जातियों को भी उपलब्ध हों, जो गरीबों में सबसे अधिक गरीब हैं । 3.16.1
- 16 इसलिए सुझाव दिया जाता कि सब्सिडियों को आमूलचूल वापस लेने की बजाय यह उचित होगा कि ये सब्सिडियाँ गरीबों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को दी जाएं । 3.16.2
- 17 इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि गैर-सरकारी पार्टियों के साथ समझौता - ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय, भारत सरकार को उसमें एक खंड यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल करना चाहिए कि उद्यम का निजिकरण होने के बाद उसमें आरक्षण की नीति को कार्यान्वित किया जाता रहेगा । 3.16.3
- 18 आयोग सिफारिश करता है कि सरकार को अनुसूचित जाति के लोगों की बहुलता वाले पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए और अधिक संस्थान स्थापित करने की हिदायतें जारी करनी चाहिए और अनुसूचित जातियों को इन संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ताकि वे संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें । 3.16.3

अध्याय - IV

अनुसूचित जातियों का सामाजिक एकीकरण

- 1 केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को भी पी.सी.आर. अधिनियम का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों के लोगों के बीच इस अधिनियम के उपबन्धों के बारे में जागरूकता में सुधार किया जा सके । 4.15.1
- 2 केन्द्र सरकार को, कानूनी सहायता सहित सहायता की पर्याप्तता की समीक्षा करनी चाहिए जो राज्य सरकारों द्वारा अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को प्रदान की जा रही है और पी.सी.आर. अधिनियम के इस उपबन्ध का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए । इसके अलावा, प्रदान की जाने वाली सहायता के स्वरूप और उनकी मात्रा का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि ये अस्पृश्यता की प्रथा को रोकने का प्रभावी साधन बन सके । 4.15.1
- 3 केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों पर यह सुनिश्चित करने के लिए जोर डालना चाहिए कि इस उपबन्ध के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों का उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दर्ज किए गए सभी मामलों में कार्रवाई शुरू करने और अभियोजन का पर्यवेक्षण करने के लिए किया जाए । राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन राज्यों में, जहां ऐसा प्रबन्ध नहीं है, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त अथवा निर्धारित किए जाएं जो केवल पी.सी.आर. अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के बारे में कार्य करें । इन लोक अभियोजकों का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी मेहनत की सफलता अथवा विफलता के लिए उन्हें पुरस्कृत करने अथवा उनकी भर्त्सना करने की कोई स्कीम शुरू की जानी चाहिए । 4.15.1
- 4 केन्द्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के साथ विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का मामला उठाना चाहिए जिन्होंने अभी तक ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए हैं । इसके अलावा, विशेष न्यायालयों के कार्य-निष्पादन पर, मामलों के समय पर निपटान तथा दोष सिद्ध दर के संबंध में ध्यानपूर्वक और विवेचनागत रूप से नजर रखी जानी चाहिए । 4.15.1
- 5 केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिए कि वे मानिट्रिंग समितियों की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करें ताकि उन्हें और कारगर बनाया जा सके ! 4.15.1
- 6 केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना चाहिए और उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करना चाहिए कि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए और पी.सी.आर. अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय किए जाएं। 4.15.1

- 7 केन्द्र सरकार को राज्यों से अस्पृश्यता-प्रवण क्षेत्रों के अभिनिर्धारण का कार्य समयबद्ध आधार पर पूरा करने का अनुरोध करना चाहिए । केन्द्र सरकार को उन राज्यों से, जो ऐसे क्षेत्रों का अभिनिर्धारण कर चुके हैं अनुरोध करना चाहिए कि वे विशेष संघटक योजना के अधीन स्कीमों को कार्यान्वित करते समय ऐसे क्षेत्रों को अधिमानतः दें । 4.15.1
- 8 केन्द्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में केवल राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना को इकट्ठा करने की बजाय, इस सूचना की विवेचनात्मक ढंग से जांच करानी चाहिए और इसके साथ-साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए । 4.15.1
- 9 अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित मामलों के बारे में मार्ग-निर्देशों का एक संकलन तैयार किया जाना चाहिए तथा उसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को जारी किया जाए जिसे अन्य संबंधित प्राधिकारियों में परिचालित किया जाना चाहिए । 4.15.1
- 10 केन्द्र सरकार को मैला उठाने वालों को मुक्त कराने की सम्बन्धी अस्पृश्यता-निवारण स्कीम के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए । 4.15.1
- 11 राज्य सरकारों को जन-संचार के माध्यमों के जरिए अन्तर्जातीय विवाहों की स्कीम का व्यापक प्रचार करना चाहिए, ताकि युवाओं की बहुत बड़ी संख्या को अन्तर्जातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । 4.15.1
- 12 ग्राम पंचायतें अस्पृश्यता की कुप्रथा का उन्मूलन करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। राज्य सरकारों को इस बुराई को समाप्त करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर उचित प्रतिस्पर्धा हेतु स्कीमें तैयार करनी चाहिए । 4.15.1
- 13 केन्द्र सरकार को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रभाव की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस मामले में उनके समर्थन को सूची में शामिल करना चाहिए । राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ सलाह करके, राष्ट्रीय स्तर पर अस्पृश्यता के उन्मूलन का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार किए जाने की भी आवश्यकता है । सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, राज्य सरकारों को चुनिंदा सामाजिक कार्यकर्ताओं को अस्पृश्यता के निवारण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देने की स्कीम शुरू करने पर भी विचार करना चाहिए । 4.15.1
- 14 भारत सरकार को हरिजन थानों और विशेष न्यायालयों द्वारा अब तक प्राप्त किए गए ठोस परिणामों के अनुसार उनके निष्पादन का निरन्तर मानीटर करना चाहिए । 4.15.1
- 15 आकाशवाणी स्टेशनों और दूरदर्शन केंद्रों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के उद्देश्य, उसकी गतिविधियों व उसके कार्य के बारे में, जिसके लिए उसकी स्थापना की गई है, देश में सामान्य जनता की जागरूकता में सुधार लाने के लिए व्यापक प्रचार करना चाहिए । 4.15.1

अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

- 1 आयोग अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराता है कि राज्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार राज्यों को जनजातीय उप-योजना के लिए धनराशि का नियतन राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता से कुछ अधिक करना चाहिए। 5.4.7
- 2 आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई विशेष केंद्रीय सहायता का पूरा उपयोग विकास स्कीमों को अधिक सक्षम बनाने और पारिवारिक आय का सृजन करने में अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। 5.5.2
- 3 एस.सी.ए. का एक बड़ा भाग बुनियादी ढांचे और सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए और कुछ व्यवस्था व्यक्ति-उन्मुख स्कीमों के लिए की जानी चाहिए। 5.5.3
- 4 विशेष केंद्रीय सहायता सीधे कार्यान्वयन अभिकरण को अर्थात् आई.टी.डी.पी. को रिलीज किया जाना चाहिए, जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधे डी.आर.डी.ए. को धनराशियां रिलीज करके किया जाता है। 5.5.4
- 5 जनजातीय क्षेत्रों में एक गम्भीर समस्या सुरक्षित पेय जल की अनुपलब्धता की है और इसलिए राज्यों को अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों को कवर करने के लिए विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए। 5.10.1
- 6 आयोग सिफारिश करता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या के अनुसार, इन लोगों को ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी स्कीमों के अन्तर्गत उनके अनुपात के अनुसार कवर किया जाना चाहिए। 5.12.4
- 7 आयोग इन 75 आदिम जनजातीय समूहों के बारे में अनुसंधान - अध्ययन करने की जरूरत पर बल देता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्राप्त किया जा चुका है, किस चीज का अभाव है, और भावी योजनाओं में उनके कल्याण के लिए क्या किया जाना चाहिए। 5.13.3
- 8 जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को जो धनराशियां रिलीज की जाएं, उनका उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाए और इसके लिए मूल्यांकन अग्रगण्य बात में लिए जा सकते हैं। 5.13.4
- 9 आयोग के ध्यान में ऐसे कई उदाहरण आए हैं जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय, परियोजनाओं को मंजूरी देने और राज्यों को धनराशि रिलीज करने में देर करता है, जिससे अन्ततः परियोजनाओं/ निर्माण- 5.14.3

- कार्यों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकारों के साथ सलाह करके, प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की अविलम्ब आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें कम से कम देरी हो।
- 10 भारत सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 99.50 करोड़ रुपए का अंशदान किया है और प्राधिकृत शेयर पूंजी का स्तर ट्राइफेड की चुकता पूंजी पहले ही प्राप्त कर चुकी है। इसलिए सरकार से निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने का अनुरोध करना जरूरी है। 5.16.2
 - 11 ट्राइफेड को कौशलों के उन्नयन, विपणन योग्य वस्तुओं का पता लगाने, उत्पादों के मूल्य-वर्धन और गुणवत्ता-सुधार, मार्केट के लिकेज स्थापित करने, आदि के लिए इस दृष्टि से स्कीमें तैयार करनी चाहिए ताकि जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। 5.16.4
 - 12 गौण वन उत्पादों के प्रबन्ध के कौशलों की जानकारी के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञता के रूप में सहायता प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। 5.16.6
 - 13 हम सिफारिश करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्व-सहायता समूहों को गौण वन उत्पादों और कृषि उत्पादों के संग्रह, भंडारण और बिक्री का काम हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि जनजातीय लोग आत्मनिर्भर बन सकें। 5.16.9
 - 14 नाबार्ड, राज्य सरकार और सम्बन्धित अभिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनजातियों के लोगों का शोषण न किया जाए और उन्हें उनके श्रम और उत्पादों के लिए विहित दरों पर अदायगी की जाए। 5.18.3
 - 15 आयोग की सिफारिश है कि पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप संसद अथवा विधानसभाओं के आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। 5.19.2
 - 16 यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों और तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबंटियों के प्रति वे अधिक सहायतापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण बन सकें। 5.19.3
 - 17 एल.पी.जी. के वितरण की एजेंसियां ग्रामीण क्षेत्रों में भी देनी शुरू की जानी चाहिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सब्सिडीयुक्त दरों पर गैस कनेक्शन देने में प्राथमिकता देनी चाहिए। 5.19.4
 - 18 यह सिफारिश की जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के डीलरशिप की संख्या और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के साथ-साथ राज्य स्तर पर इन उत्पादों की बिक्री की कुल मात्रा के अनुसार, 25 प्रतिशत आरक्षण विनियमित किए जाएं। 5.19.5
 - 19 आयोग सिफारिश करता है कि नए व्यापारी (डीलर), चयन बोर्ड में 5.19.6

- एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए ।
- 20 सिफारिश की जाती है कि आरक्षण के 25 प्रतिशत के निर्धारित कोटे को पूरा करने के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को डीलरों और वितरण की एजेंसियों का बैकलॉग/कमी को पूरा करने लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए । 5.19.7
- 21 यह पुरजोर यह सिफारिश की जाती है कि बिहार सरकार को वर्ष 2001-2002 तक महाराष्ट्र पैटर्न अवश्य अपना लेना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शुरू कर देना चाहिए । 5.20.1
- 22 बिहार के जनजातीय क्षेत्र में सम्बन्धित प्राधिकारियों को, जनजातीय लोगों की खान-पान की आदतों और भौगोलिक-जलवायु सम्बन्धी स्थितियों के आधार पर, बारी-बारी से वैकल्पिक फसलें उगाने की पद्धति विकसित करनी चाहिए । 5.20.1
- 23 आयोग की सिफारिश है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि जनजातीय लोगों के असन्तोष और नक्सलवादी आन्दोलन को बढ़ने से रोका जा सके । 5.20.2
- 24 तमिलनाडु राज्य सरकार को नियत की गई राशि का पूरा उपयोग करने के गम्भीर प्रयत्न करने चाहिए क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय विकास बहुत अधिक उत्साहजनक नहीं है । 5.20.3
- 25 यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि तमिलनाडु सरकार को दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में सुरक्षित पेय जल की 100 प्रतिशत व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए। पेय जल की समस्या को, जनजातीय समुदाय द्वारा अपनाई जाने वाली पारम्परिक जल प्रबन्ध प्रणालियों को फिर से जीवित करके और आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा उन्हें सम्यक रूप से समर्थन देकर, सुलझाया जा सकता है । 5.20.3
- 26 आयोग सुझाव देता है कि तमिलनाडु में को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक निश्चित समयावधि में प्रतिवर्ष 60 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने की योजना बना कर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क तैयार करने की कमी को दूर किया जाना चाहिए । लोक निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सड़क-निर्माण के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत किए जाएं और इस कार्य में उपयुक्त तालमेल सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनजातीय लोग उनके लाभों से वंचित न रहें । 5.20.3
- 27 आयोग ने तमिलनाडु सरकार के इस फैसले की सराहना की कि वह मैदानी क्षेत्रों में 32,000/- रुपए की यूनिट लागत पर और पहाड़ी क्षेत्रों में 34,000/-रुपए की यूनिट लागत पर मकानों का निर्माण करेगी, 5.20.3

- जबकि भारत सरकार की यूनिट लागत 20,000/-रुपए है । आयोग सिफारिश करता है कि अन्य राज्यों को भी यूनिट लागत में उपयुक्त रूप से वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए ताकि जनजातियों के लाभभोगियों को रहने की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ।
- 28 तमिलनाडु सरकार को पात्र जनजातीय अतिक्रमणार्थियों के वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को नियमित बनाने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार करना चाहिए । 5.20.3
- 29 आयोग सिफारिश करता है कि मध्य प्रदेश सरकार को उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए, जो विभिन्न अभिकरणों द्वारा आदिम जनजातियों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं और आदिम जनजाति-वार, आवश्यकता आधारित परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित मानीटरिंग किसी स्वतंत्र अभिकरण द्वारा कराने की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए। 5.20.4
- 30 पंचायती राज निकायों के विभिन्न स्तरों पर लोगों के प्रतिनिधियों को अपेक्षित रूप से तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सदस्यों के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना जरूरी है । जनजातीय लोगों और राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न स्थानीय प्रशासनिक अभिकरणों में अवधारणाओं की बेहतर समझ के लिए सामान्य जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाना चाहिए । 5.20.4
- 31 आयोग की सिफारिश है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए भूमि खरीद की स्कीम को अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए । 5.20.5
- 32 आयोग सिफारिश करता है कि जो जनजातीय लोग वर्ष 1980 से पहले वन क्षेत्र में खेती करते थे अथवा रहते थे, उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करके पट्टे जारी कर दिए जाने चाहिए । 5.20.6
- 33 सिफारिश की जाती है कि जनजातीय बस्तियों और घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए वनों के अन्दर बिजली की लाइनें बिछाने की अनुमति दी जानी चाहिए । 5.20.8
- 34 आदिम जनजातीय समूहों, अर्थात् जारवा, सेंटीनीलीज और शोम्पेन जातियों के लोग विशाल जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था शिकार करके और खाद्य-पदार्थों को इकट्ठा करके जीवन बिताने की है । उन्हें स्थाई कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रशासन को उन्हें कृषि मशीनें, औजार और उपस्कर, खेती के लिए देने चाहिए तथा उनमें फलदार वृक्ष और चिकित्सीय पौधे उगाने के कौशल विकसित करने चाहिए । 5.20.10

- 35 राज्य के पास, एस.सी.ए. की खर्च न की गई शेष राशि सहित कुल 5.20.16
33.57 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी, जिसमें से दिसम्बर, 2000 तक केवल 1.39 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट मिली है, जो केवल 4.14 प्रतिशत है। आयोग राज्य को सलाह देना चाहेगा कि एस.सी.ए. का शेष अवधि में पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि टी.एस.पी. के अन्तर्गत आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रभाव न पड़े।
- 36 सिक्किम में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के 5.20.17
अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
- 37 आयोग, सिक्किम में प्राथमिकता के आधार पर अधिशेष उच्चतम 5.20.17
सीमा भूमि का पता लगाने की जरूरत पर बल देता है और अधिशेष भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित करने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- 38 आयोग ने सिफारिश की कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विशिष्ट 5.20.18
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उत्तर-पूर्वी वन नीति तैयार की जानी चाहिए।
- 39 सुझाव दिया जाता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बांस और बेंत का 5.20.18
विपणन जनजातीय सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- 40 टी.डी.सी.सी. में फिर से नई जान डाली जाए, ताकि वह जनजातीय 5.20.19
लोगों की जरूरतों को कारगर ढंग से पूरा कर सके।
- 41 आय-सृजन की वैयक्तिक लाभभोगी स्कीमों को अधिक गम्भीरता से 5.20.19
और प्रभावकारितापूर्वक कार्यान्वित करके जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए सुनियोजित प्रयास करने की आवश्यकता है।
- 42 आयोग सिफारिश करता है कि सरकार को अविलम्ब अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत 5.24.1
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करना चाहिए।
- 43 आयोग बल देता है कि राष्ट्रीय जनजातीय कार्य संस्थान को चालू किया 5.25.1
जाना चाहिए और इसका स्तर एक 'डीम्ड' विश्वविद्यालय का होना चाहिए और संकाय तथा अन्य स्टाफ की नियुक्तियां, वेतनमान और सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पद्धति के अनुरूप होनी चाहिए।
- 44 सभी जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का समन्वय और तकनीकी 5.25.2
पर्यवेक्षण होना, प्रस्तावित राष्ट्रीय जनजाति कार्य संस्थान के साथ सम्बद्ध करना चाहिए और इन संस्थानों के स्टाफ की सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह ही होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी जनजातीय उप-योजना से इन संस्थानों को धनराशियां मुहैया करवानी चाहिए।

जनजातीय लोगों के बीच भूमि हस्तांतरण और विस्थापन की समस्याएं तथा वनों पर उनकी निर्भरता

- 1 अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यो के हितों के बचाव के लिए तुरंत एक राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति बनाई जानी चाहिए क्योंकि भूमि-हस्तांतरण मात्र स्वामित्व के हस्तान्तरण का मामला नहीं है बल्कि इसे आर्थिक अधिकारों की हानि के रूप में देखा जाना चाहिए । 6.8.5
- 2 जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को, जनजातियों के बसे क्षेत्रों में परियोजना के इर्द-गिर्द शुरू किए गए विकास कार्यकलापों की सीमा तथा जनजातियों द्वारा परिणामस्वरूप प्राप्त लाभों के संबंध में सर्वेक्षण/अध्ययन आयोजित करने चाहिए । अनुसूचित क्षेत्रों में अथवा जनजातीय लोगों द्वारा बसे क्षेत्रों में इस समय चल रही परियोजनाओं/उद्योगों को अपने लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत भाग तक स्थानीय अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के विकास के लिए देना चाहिए । 6.10.7
- 3 केन्द्रीय अधिनियम 40 के अंतर्गत प्रावधानों को कार्य रूप देने के लिए, सभी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को राज्य अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने चाहिए । 6.12.2
- 4 कृषि मंत्रालय को झूम खेती के संबंध में उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ-साथ अन्य राज्यों में कार्यान्वित जलविभाजक विकास कार्यक्रमों से संबंधित पूर्ण ब्योरे/आंकड़े रखने चाहिए । जनजातीय तथा अनुसूचित जाति प्रबल स्थानों में क्षेत्रों की सीमा के बारे में, जहां झूम खेती का स्थान जलविभाजक प्रबंधन ने ले लिया है, लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट होनी चाहिए । विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को इस बारे में उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय पर्वतीय क्षेत्रों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए । वे, जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित स्कीमों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का भी अध्ययन कर सकते हैं । 6.13.2
- 5 बंजर भूमि के उपयुक्त उपयोग के माध्यम से जनजातियों को औषधि पौधों की खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण भारतीय पौधों का पेटेन्ट किया जाना चाहिए । पेटेन्ट मुद्दे के लिए उचित विशेषज्ञ दल को पेटेन्टिंग कराने के वास्ते पौधों के चिकित्सीय मूल्य के बारे में जनजातीय जादूगर की जानकारी का उपयोग करना चाहिए । इनके उपयोगार्थ रायल्टी के माध्यम से जनजातीय किसानों के अधिकार भी संरक्षित किए जाने चाहिए 6.14.2

। यह भी आवश्यक है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) औषधी की इस महत्वपूर्ण शाखा तथा परम्परागत जनजातीय चिकित्सकों की जानकारी को मान्यता प्रदान की जाए और पौधों की नस्लों को संरक्षित, परिरक्षित, पुनः सृजित तथा संहिताबद्ध किया जाए । भारतीय औषध पद्धति के अंतर्गत ज्ञान की इस शाखा को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए तथा जनजातीय उपयोगकर्ताओं को रोजगार के एक स्रोत के रूप में इस कार्यकलाप में प्रोत्साहित किया जाए ।

- 6 इस समय वन ग्रामों के बारे में पर्याप्त ब्योरे और आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । सुझाव है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से, वन ग्रामों की राज्य-वार संख्या, इन ग्रामों में कुल आबादी के साथ परिवारों की संख्या, खेती के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि की सीमा तथा उन्हें उपलब्ध सम्पत्क सड़कों, जल सुविधाओं, विद्युतीकरण, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थाओं, आदि के विकासात्मक लाभों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने चाहिए । 6.15.1
- 7 वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित करना, जिससे कि अधिनियम को जनजातियों के अनुकूल बनाया जा सके । 6.15.3
- 8 सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों के रूप में मान्यता देना, ताकि जनजातीय समुदाय को वास्तविक दृष्टि से अधिकार दिए जा सके । 6.15.3

अध्याय - VII

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

- 1 सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो बच्चे स्कूल में दाखिल हों, वे प्राथमिक कक्षाओं से आगे की कक्षाओं तक स्कूल में बने रहें अर्थात् पढ़ाई जारी रखें। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की ऊंची दर को कम करने का एक तरीका है, दोपहर के भोजन की स्कीम को मजबूत बनाना। जैसा कि दक्षिणी राज्यों के परिधामों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि स्कूल में भोजन मिलने की संभावना बच्चों के लिए बहुत अधिक आकर्षक और अभिप्रेरक है। 7.11.3
- 2 लोक जुम्बिश कार्यक्रम में यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि समुदाय-आधारित पद्धति अपनाना महत्वपूर्ण है, जिसमें निर्माण की समूची योजना की जानकारी समुदाय को स्पष्ट रूप से दी जाती है। भवन निर्माण समितियां स्कूलों के निर्माण का काम हाथ में लेती हैं और समुदाय इसका अनुक्षण कर सकता है। स्कूलों के अनुक्षण के लिए अंशदान स्कूलों को स्कूल बैंक खाते के जरिए दिया जाना चाहिए। समुदाय को कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इसे कार्यान्वित भी करना चाहिए। इसी प्रकार, अध्यापन, शिक्षण सामग्री स्कूल की खेल-कूद की मर्दों के लिए संसाधन स्कूलों के बैंक खातों में अंतरित किए जाने चाहिए । स्कूल के स्तर पर मुख्याध्यापक, पंचायती राज प्रतिनिधि 7.11.3

और समुदाय के प्रतिनिधि को मिल कर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में समाज के प्रतिनिधियों, डिप्टी कमिश्नर और स्कूल के साथ सलाह करके स्कूल की छुट्टियों के बारे में फैसला करने का जो प्रयोग किया गया है उससे स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की अनुपस्थिति को कम करने में उल्लेखनीय योगदान मिला है। स्कूलों में छुट्टियां फसलों की कटाई के मौसम के दौरान की जाती है जब सभी वयस्कों और बच्चों को खेतों में काम करना होता है। स्कूल के मुख्याध्यापक, स्थानीय पंचायत और समुदाय के प्रतिनिधियों की समिति को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए किए गए सभी अनुरोधों की संवीक्षा करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए और छात्रवृत्तियां दिए जाने के बारे में समिति की सिफारिशें बाध्यकर होनी चाहिए। जैसी कि अनुसूचित जातियों के सशक्तीकरण के बारे में दसवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, माता-पिता को सलाह-मशवरा देने और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाना चाहिए कि उनके बच्चे स्कूलों में बीच में पढ़ाई न छोड़ें।

- 3 विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में टी.वी, फिल्मों, आदि जैसे दृश्य माध्यमों के जरिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को मजबूत बना कर सीखने का प्रक्रिया को एक आनंदपूर्ण कार्य बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। 7.11.3
- 4 उच्च शिक्षा में अनु0जाति/अनु0ज0जा0 के विद्यार्थियों के मौजूदा अनुपात को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अनु0जाति/अनु0ज0जा0 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलाई जा रही उपचारात्मक कोचिंग स्कीम और कोचिंग एवं सम्बद्ध स्कीम को सुदृढ़ बनाया जाए और उसका विस्तार किया जाए। 7.11.3
- 5 लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मां की भूमिका को मान्यता देना महत्वपूर्ण है। यह सिद्ध किया जा चुका है कि यदि शैक्षणिक कार्यक्रम उन लड़कियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है, तो उन्हें अपने अध्ययनों को अधिक गंभीरता से करने और आत्मविश्वासी व्यस्क के रूप में विकसित होने, अपने स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता में सहायता मिलेगी। 7.11.3
- 6 इस समय सरकारी प्रयास व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर संकेन्द्रित है, जिसका पता बहुत बड़ी संख्या में स्थापित किए जा रहे आई.आई.टी, पोलिटेक्निकों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से चलता है। लेकिन पाठ्यक्रम के गैर-लचीलेपन और बाजार की बदलती हुई जरूरतों के संबंध में जानकारी के अभाव और इन संस्थानों के उत्पादों के लिए विपणन की सुविधाएं न होने के कारण इन क्षेत्रों में सरकार के प्रयास विफल हो रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इन संस्थाओं को स्थानीय/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/ 7.11.3

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में मार्केट की आवश्यकताओं के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक छूट दी जाए। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या लगातार बनी हुई है। स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की ऊर्जा को विभिन्न धाराओं में प्रवाहित करना महत्वपूर्ण है। अब बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, आदि जैसे परम्परागत क्षेत्रों से हट कर आधुनिक आवश्यकताओं, उदाहरणतः कैमरा सेलिंग, टिकेटिंग, यात्रा गाइडों आदि का प्रशिक्षण देना जरूरी हो गया है क्योंकि आज के ग्रामीण इलाकों के भी युवा तथाकथित आधुनिक जीवन का स्वाद चखना चाहते हैं।

- 7 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों को अपने यूनिट स्थापित करने और अपने उत्पादों का विपणन करने में भी अवश्य सहायता देनी चाहिए। सरकार को स्व-रोजगारियों द्वारा विनिर्मित उत्पाद हेतु क्रय अधिमानतः देने के लिए एक नीति प्रस्तुत करनी चाहिए। सरकार अब भी सबसे बड़ी खरीददार है। खरीद में तरजीह की इस स्कीम से स्व-रोजगारियों को जीविका प्रदान करने में बड़ी सहायता मिलेगी। निस्सन्देह, सरकार गुणवत्ता संबंधी कड़ी शर्तें लागू कर सकती है। संक्षेप में, अनु० जाति/अनु० जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, जिनमें से अधिकांश अपने परिवारों के सम्भवतः सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे, व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण और उत्पादों अथवा सेवाओं का विपणन साथ-साथ होना चाहिए। 7.11.3
- 8 हालांकि उन क्षेत्रों में, जहां स्कूल नहीं हैं, नए स्कूल खोले जाने जरूरी हैं, पर यह महसूस किया जाता है कि एकीकृत तरीके से शिक्षा सुविधाओं के तालमेल (कनवर्जेंस) पर शैक्षणिक काम्पलेक्सों के विकास के माध्यम से अब जोर दिया जाना चाहिए। यह भी महसूस किया जाता है कि ऐसे कॉम्पलेक्सों की योजना बनाते समय पाठ्यक्रमों, आदि को इस प्रकार तैयार किया जा सकता है, जिससे आस-पास के इलाकों की सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसे काम्पलेक्सों से अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। 7.11.3
- 9 बहुत प्राचीन समय से भारतीय शिल्पकारों की विभिन्न प्रकार की कलाओं और हुनरों का, जैसे आन्ध्र प्रदेश की कलमकारी, उड़ीसा और तमिलनाडु की पत्थर पर नक्काशी की कला, आन्ध्रप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक के बुनकर, गुजरात की कसीदाकारी और शीशे का कार्य बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से अधिकांश व्यवसायों में अनु०जाति/अनु०जनजाति के अनेकानेक परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हालांकि इन शिल्पकारों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं की मांग में महानगरों और विश्व के बाजारों में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है, लेकिन वे लोग, जो इन श्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, अपने परम्परागत व्यवसायों से निराश हो रहे हैं और उनका मोहभंग हो रहा है। लगभग सभी मामलों में बिचौलिए, जो इनकी मेहनत से लाभ उठा

कर अमीर बन गए हैं। यह सिफारिश की जाती है कि इन समुदायों के शिल्पकारों को, व्यावसायिक संस्थाओं में अध्यापकों के रूप में तैनात किया जाना चाहिए और इस प्रकार इन मरणोन्मुख कलाओं को बचाने में सहायता दी जानी चाहिए। सामुदायिक पोलिटेक्निकों और आई.टी.आई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) की सरकारी स्कीम में इन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में इन शिल्पकारों और उनके कला-कौशल को जोड़ा जा सकता है।

- 10 शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के निजीकरण में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या और विशेष रूप से अनु0 जाति/अनु0 ज.जा के विद्यार्थियों के लिए गम्भीर फलितार्थ छिपे पड़े हैं। हाल में, प्रधान मंत्री की व्यापार और वाणिज्य संबंधी सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में, योजना आयोग द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन शुरू किया गया है। उसमें कथित रूप से यह सुझाव दिया गया है कि सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के निधिपोषण को समाप्त कर दिया जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका को सीमित कर दिया जाए। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा अंशदान दिए जाने का प्रस्ताव स्वागत-योग्य है, लेकिन शिक्षा के स्वाणिज्यीकरण- को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि सरकारी प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए शिक्षा के निजीकरण का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बाजारीकरण (मार्केटाइजेशन) को स्त्रैक्षणिक उत्कृष्टता- के हित में पूर्णतः हतोत्साहित किया जाना चाहिए। 7.11.3

अध्याय - VIII

सेवा सम्बन्धी सुरक्षण

- 1 अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सभी स्तरों पर, और अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व समूह 'क' और 'ख' के पदों में अभी भी बहुत कम है; इस के लिए विशेष प्रयास किए जाने जरूरी हैं। 8.1.4
- 2 आयोग बल देता है कि आरक्षण अधिनियम को शीघ्र अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता है जिससे आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुव्यवस्थित हो जाएगा। इस अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बार-बार न्यायिक अर्थ-निर्णय की गुंजाइश न रहे। 8.4.2
- 3 संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संघ सहायता देते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों को मान्यता देने और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सहायता देने के लिए कुछ न्यूनतम सुविधाएं देने के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघों में पदाधिकारियों के एक तिहाई पद इन समुदायों की महिलाओं द्वारा भरे जाने चाहिए। 8.4.8

- 4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका पुरानी है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विवरणिका का अद्यतन संस्करण यथासम्भव शीघ्र निकालने की सलाह दी गई है । 8.4.9
- 5 आयोग का यह सुविचारित मत है कि संवैधानिक स्कीम के अनुसार, सकारात्मक भेदभाव के सिद्धान्त को गैर-सरकारी क्षेत्र पर भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि वह सामाजिक साम्या के अपने दायित्व को निभा सके । 8.6.2
- 6 अब ऐसी स्थिति आ गई है, जब भारतीय कम्पनी अधिनियम, सोसाइटीज पंजीयन अधिनियम, आदि सहित किसी भी विधि के अन्तर्गत स्थापित किए गए सभी निगम निकायों, सहकारी समितियों और ऐसे अन्य सभी संगठनों के लिए, जिनमें विदेशी सहयोग से स्थापित संगठन भी शामिल हैं, जो पूर्णतः अथवा अंशतः, संस्थात्मक वित्त का लाभ उठा रहे हों, यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने अधीन रोजगार के सभी अवसरों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समुचित प्रतिनिधित्व दें । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने के दायरे का विस्तार धीरे-धीरे अन्य प्राइवेट संगठनों तक भी किया जाना चाहिए । 8.6.2

अध्याय - IX

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

- 1 वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक (1756) थे, उसके बाद राजस्थान का स्थान था (1221) । अन्य राज्य हैं : गुजरात (367), उड़ीसा (335), आन्ध्र प्रदेश (178), महाराष्ट्र (171) और तमिलनाडु (105) । वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के मामले मध्य प्रदेश (1845) और राजस्थान (1130) में सर्वाधिक थे । यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की संख्या में मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में वृद्धि हो रही है । गैर-अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए इन राज्यों की सरकारें कारगर कदम उठा सकती हैं । 9.3.9
- 2 प्रमुख पदों पर व्यक्तियों का चयन, विशेष रूप से जो अ0जाति/ अनु0 जनजाति के सुरक्षणों और विकास से संबंधित हैं, सावधानीपूर्वक और उचित तरीके से सुगृहित किया जाना चाहिए और उन्हें सभी आवश्यक समर्थन दिया जाए । 9.10